

विहगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 वर्ष 2004 (जनवरी से दिसंबर) में, विस्तारमुखी मौद्रिक नीतियों और सुविधाजनक वित्तीय परिस्थितियों के चलते वैश्विक आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ रही। वैश्विक वृद्धि, जो 2004 की पहली छमाही के दौरान मजबूत थी, कुछ हद तक वर्ष के बाद वाली दूसरी छमाही में कम हो गई जो पण्यों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई तथा मुद्रा के समायोजन में अव्यवस्थित गतिशीलता की आशंका की सूचक है। तथापि, 2004 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि लगभग तीन दशकों में उच्चतम दर है। वैश्विक उत्पादन में अमरीका और उभरते एशिया की वृद्धि का हिस्सा आधा से ज्यादा है। यूरोपीय क्षेत्रों तथा जापान में वृद्धि और निम्नतर रही। 2004 की दूसरी छमाही में वैश्विक वृद्धि में कमी के कारण, विभिन्न क्षेत्रों के वृद्धि विभेदकों में अंतर बढ़ गया। यद्यपि अधिक कार्पोरेट व्यय और अधिक रोजगार सृजन के कारण अमरीका वृद्धि को बरकरार रखने में समर्थ रहा परंतु यूरोपीय क्षेत्रों और जापान ने नवीकृत कमजोरी का सामना किया। विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की पद्धति में बड़े एवं निरंतर वृद्धि के विभेदकों के कारण वैश्विक वित्तीय असंतुलन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

1.2 तेल और तेल से इतर पण्यों की कीमतों में तीव्र वृद्धि एवं समायोजनात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीतियों के बावजूद, 2004 के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति का स्तर मध्यम दर्जे का बना रहा। तेल कीमतों का स्फीतिकारी प्रभाव उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा महसूस किया गया जो उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा तेल पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। यह खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि के साथ सम्मिलित होकर एशिया में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2004 की शुरुआत में 3 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में सर्वाधिक लगभग 5 प्रतिशत तक पहुँच गई। उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में, 2004 की शुरुआत में उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति (सीपीआई) 1.5 प्रतिशत थी जोकि वर्ष के अंत तक बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गई। केंद्रीय और पूर्वी यूरोप में कई वर्षों की अवस्फीति के बाद मुद्रास्फीति की स्थिति और भी बिगड़ी है। फिर भी, विश्व के अधिकतर हिस्सों में अंतर्निहित मुद्रास्फीतिकारी दबाव सामान्यतः सीमा के भीतर रहा। प्रमुख मुद्रास्फीति (हेडलाइन

मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा घटकों को छोड़कर) बहुत से उन्नत तथा उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में स्थूल रूप से स्थिर रही।

1.3 जून 2004 की शुरुआत में, अमरीका द्वारा समायोजनात्मक मौद्रिक नीति के उत्क्रमण के बावजूद, प्रचुर मात्रा में चलनिधि की उपलब्धता के साथ वित्तीय बाजार की स्थिति सुविधाजनक रही। तथापि, अल्पावधि ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद, अमरीका में दीर्घावधि दरें घट गईं। यह पिछली अवधियों में मौद्रिक नीतिगत कड़ाई के बिलकुल विपरीत थी जबकि ऊंचे पालिसी रेट के अनुसरण में दीर्घावधि ब्याज दर ऊंची थी। वही प्रवृत्ति यू.के., आस्ट्रेलिया, कनाडा और स्वित्जरलैंड में भी देखने में आई, जहाँ पर मौद्रिक नीतिगत कड़ाई के बावजूद दीर्घावधि आय घट गई। परिणामस्वरूप, बहुत सी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिफल वक्र सपाट हो गया। सरकार और कंपनी जगत द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की वृद्धि दरों में अब तक की सबसे भारी गिरावट आई जिससे ऋण लेने की लागतें कम रखने में मदद मिली। सुदृढ़ आर्थिक सुधार के मद्देनजर भविष्य में सुदृढ़ कार्पोरेट अर्जन की संभावनाओं से प्रेरित होकर इक्विटी बाजार अधिकतर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जुट गए।

2005 के दौरान गतिविधियाँ

1.4 वर्ष 2005 के दौरान संयत वैश्विक आर्थिक वृद्धि होना प्रत्याशित है। 2004 के मध्य में अस्थायी धीमी गति रहने के बाद, वैश्विक जीडीपी ने 2005 की पहली तिमाही में वृद्धि पकड़ी और उसके साथ ही सेवा क्षेत्र के मजबूत उत्पादन के कारण विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक वृद्धि की कमी की प्रतिपूर्ति से भी ज्यादा रही। परंतु, दूसरी तिमाही में वृद्धि कम हो गई जो अंशतः, तेल की उच्चतर कीमतों तथा प्रमुख संकेतकों और अधिकतम बड़े देशों में कारोबारी विश्वास कमजोर पड़ने के कारण थी। यद्यपि, वैश्विक विनिर्माण और व्यापार सुदृढ़ हो रहे हैं एवं प्रमुख संकेतकों ने भी सुधार दर्शाया, तथापि ऊंची तथा अस्थिर तेल कीमतों, हाल की विनाशकारी हरीकेन कैटरीना ने वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित करना जारी रखा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक वृद्धि का अनुमान वर्ष 2004 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 4.3 प्रतिशत लगाया है। इस समग्र अनुकूल तस्वीर के भीतर, वृद्धि में व्यापक अंतर है और अमरीका, चीन तथा भारत वैश्विक

¹ इस अध्याय में जब तक कि अन्यथा रूप से विनिर्दिष्ट न हो, वैश्विक विकास कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) से संबंधित हैं, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी विकास राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित हैं।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

वृद्धि में अग्रणी बने रहेंगे। यद्यपि, जापान गति पकड़ते हुए प्रतीत होता है, परंतु यूरोपीय क्षेत्र में लगातार विस्तार की गति मंद बनी हुई है।

1.5 वित्तीय बाजार में मंदी की स्थिति बनी रही। दीर्घावधि ब्याज दरें यद्यपि कुछ हद तक अस्थिर रहीं, परंतु लगभग विश्वभर में उनका असाधारण रूप से निम्न रहना जारी है। कंपनी जगत के सुदृढ़ लाभ और तुलन पत्रों से मिले समर्थन के कारण इक्विटी बाजार संसार भर में अनुकूल रहे। ऋण विस्तार मध्यम दर्जे का बना हुआ है। अच्छी वृद्धि, निम्न मुद्रास्फीति, प्रचुर चलनिधि, समतल आय वक्र, ऋण जोखिम प्रीमियम में कमी और आय के लिए हमेशा बढ़ती रहने वाली खोज के वर्तमान समनुरूपण के कारण कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हुआ है। ईएमई से निम्न मुद्रास्फीति, उन्नत राजकोषीय स्थिति और भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा रिजर्व के प्रचुर संचयन के परिवेश में समष्टि मौलिक सिद्धांत सुदृढ़ हुए हैं।

1.6 बढ़ता हुआ वैश्विक वित्तीय असंतुलन मध्यकालिक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है। असाधारण रूप से बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में निम्न निवेश दरों के कारण वैश्विक स्तर पर बचत के लिए अत्यधिक आपूर्ति उपलब्ध हुई जिसके कारण वास्तविक ब्याज की दरें कम हुई हैं। यद्यपि, अमरीका बिना किसी कठिनाई के, चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण जारी रखे हुए है, परंतु एक जोखिम यह है कि प्रत्याशा से उच्चतर मुद्रास्फीति अथवा अमरीकी आस्तियों में घटे हुए हित के कारण मुद्रा में तीव्र पुनर्समायोजन से वित्तीय बाजारों पर प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

समष्टि माहौल

1.7 कम वर्षा के कारण उत्पन्न कुछ धक्कों के बावजूद वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि जारी रही। 2004-05 (अप्रैल से मार्च) में 6.9 प्रतिशत की दर से वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, विश्व के उच्चतम में से एक थी। 2003-04 में 15 वर्ष की सबसे ऊंची वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत से पीछे आ गई। कृषि में तीव्र मंदी के बावजूद 2004-05 में 6.9 प्रतिशत की दर से समग्र वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, दसवीं पंच वर्षीय योजना के पहले तीन वर्ष की अवधि (2002-03 से 2006-07) में, औसतन 6.5 प्रतिशत रही। 'कृषि एवं सहायक गतिविधियों' से होने वाली वास्तविक जीडीपी की वृद्धि, 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष के 9.6 प्रतिशत से तेजी से घटकर 1.1 प्रतिशत हो गई। तथापि, उद्योग से होने वाली वास्तविक जीडीपी की वृद्धि, लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हुए सुधार के परिणामस्वरूप 2004-05 के दौरान सुदृढ़ होकर 8.3

प्रतिशत हो गई। औद्योगिक कार्यकलापों में वृद्धि और सुधार का कारण विनिर्माण क्षेत्र में सकारात्मक निवेश का वातावरण, बेहतर कारोबारी विश्वास और उत्साहजनक बाह्य माँग थे। 2004-05 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में सेवा क्षेत्र ने 70.5 प्रतिशत का योगदान किया।

1.8 वर्ष 2004-05 में मुद्रास्फीति दर 2003-04 की दर के मुकाबले कुछ हद तक उच्चतर थी जिसका प्रमुख कारण तेल की कीमतों में वृद्धि था। तथापि, सफल नीतिगत उपायों, राजकोषीय एवं मौद्रिक-दोनों द्वारा उसे नियंत्रण में रखा गया। हेडलाइन मुद्रास्फीति को साल-दर-साल थोक कीमत सूचकांक में परिवर्तनों के अनुसार 2004-05 के दौरान दो भिन्न चरणों में मापा गया। पहला चरण अप्रैल-अगस्त 2004 तक का था जिसमें कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों, लौह अयस्क एवं धातुओं की घरेलू कीमतें बढ़ीं जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों के समायोजन में देरी हुई। अपर्याप्त दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण भी जुलाई और अगस्त 2004 के दरम्यान खाद्य और गैर-कृषि पण्यों की कीमतें बढ़ीं। सितंबर 2004 से प्रारंभ होने वाले दूसरे चरण में मुद्रास्फीति घटी क्योंकि पूर्ववर्ती अनुमान के विपरीत दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रभाव बहुत कम रहा। हेडलाइन मुद्रास्फीति दर-वर्ष-दर कम होकर मार्च 2005 के अंत में 5.1 प्रतिशत रही। समग्र रूप से वर्ष 2004-05 में, मुद्रास्फीति (थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार) औसत के आधार पर, 2003-04 के 5.4 प्रतिशत की तुलना में कुछ हद तक उच्चतर, 6.4 प्रतिशत थी।

1.9 2004-05 के दौरान राजकोषीय नीति का संचालन राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 तथा राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध नियमावली, 2004 द्वारा निर्धारित किया गया। 2004-05 के लिए केंद्र सरकार का संशोधित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 प्रतिशत ही था जितना कि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध द्वारा प्रारंभिक स्तर के रूप में निर्धारित किया गया है। बाद में विमोचित किए गए केंद्र सरकार के अनंतिम खाते में आंके गए घाटे के सभी प्रमुख संकेतकों को संशोधित अनुमानों से निम्नतर रखा गया है जो कर से इतर उच्चतर आय तथा पूंजीगत निम्नतर खर्च का सूचक है। समग्र राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.1 प्रतिशत रखा गया है। प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा भी जीडीपी के अनुपात में हुआ है।

1.10 व्यापक मुद्रा (एम₃) की वृद्धि 2003-04 के 16.7 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 के दौरान निम्नतर रही जो कि 12.2 प्रतिशत थी और वह भली-भांति अनुमानित नियत लक्ष्य के अनुसार 14.0 प्रतिशत के भीतर थी। एम₃ में हास, अंशतः, पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा उच्चतर जमा संग्रहण के कारण रहा। वर्ष के दौरान ध्यान देने योग्य बात यह थी कि वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण देने की गति में वृद्धि हुई। वाणिज्य

बैंकों द्वारा खाद्येतर क्षेत्र को ऋण देने में उछाल, जो जुलाई 2004 में शुरू हुआ था, औद्योगिक क्षेत्र में उछाल के कारण जारी रहा। इसके अतिरिक्त, बैंकेतर संस्थाओं से कंपनियों को संसाधन उपलब्ध कराने में, वैश्विक और अमरीकी निक्षेपागार रसीदे (जीडीआर और एडीआर), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करने समेत, वर्ष में लगभग दोगुना की वृद्धि हुई है।

1.11 2004-05 के दौरान मुद्रा बाजार के विविध खंडों में चलनिधि की स्थिति स्थूल रूप से स्थिर बनी रही। मांग मुद्रा की भारित औसत दर मार्च 2004 में 4.37 प्रतिशत थी जिसमें थोड़ी सी वृद्धि होकर मार्च 2005 में 4.77 प्रतिशत हो गई। मांग मुद्रा की दरों में अस्थिरता की स्थिति 2004-05 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कुछ हद तक उच्चतर थी जो प्रमुख रूप से नवंबर-दिसंबर 2004-05 के दौरान मांग मुद्रा की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण थी। उसी प्रकार से, 91 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों की न्यूनतम आय मार्च 2004 में क्रमशः 4.37 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2005 में क्रमशः 5.32 प्रतिशत और 5.66 प्रतिशत हो गई। वाणिज्यिक पत्र का बाजार 2004-05 के दौरान उत्साहजनक बना रहा। 61 दिन से 90 दिन की परिपक्वता अवधि वाले वाणिज्यिक पत्र की भारित औसत बट्टा दर मार्च 2004 में 5.11 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2005 में 5.84 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान रेपो दरों का परास 3.70 प्रतिशत एवं 5.58 प्रतिशत के दरम्यान रहा, सिवाय नवंबर और दिसंबर 2004 में कभी आकस्मिक तेजी के। 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर जो आय मार्च 2004 में क्रमशः 4.78 और 5.15 प्रतिशत थी, वह बढ़कर मार्च 2005 में क्रमशः 6.36 प्रतिशत एवं 6.65 प्रतिशत हो गई।

1.12 उत्साहजनक निर्यात के कारण उद्योगों के व्यापक जगत में माँग बढ़ी है। उच्च वृद्धि का जो चरण 2002-03 में शुरू हुआ था वह आगे बढ़ा और व्यापार निर्यात वृद्धि अमरीकी डॉलर के हिसाब से 24 प्रतिशत को पार कर गई। तथापि, चालू खाता अधिशेष लगातार तीन वर्ष तक अधिशेष रहने के बाद उसमें मध्यम दर्जे की गिरावट आ गई। वैश्विक चलनिधि स्थितियों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ मूल-सिद्धांतों के कारण पूंजीगत अन्तर्वाह जारी रहा। एशियन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करनेवाले देशों में भारत एक प्रमुख देश होने के कारण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह भारी मात्रा में बढ़ा। यद्यपि कच्चे तेल की कीमतों की महंगाई और ब्याज दर चक्र में वृद्धि के कारण विश्वभर में विद्यमान अनिश्चितता के कारण वर्ष की पहली छमाही में संविभाग प्रवाहों में कमी आई, फिर भी समग्र रूप से, 2004 में भारत में संविभाग संबंधी

प्रवाह वैश्विक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के लिए प्रवाहों की तुलना में, विश्व का 30.6 प्रतिशत रहा। इन सब घटकों के परिणामस्वरूप वर्ष में भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व के भंडार का उपचय 26.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ। मार्च 2005 के अंत में 141.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचा विदेशी मुद्रा रिजर्व विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व का पांचवा सबसे बड़ा भंडार है जो कि 14 महीने तक के आयातों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त है। विदेशी मुद्रा भंडार और अल्पावधि ऋण का 5.3 प्रतिशत का अनुपात तुलनीय देशों के मुकाबले पर्याप्तता मानदंड को बहुत आसानी से पूरा करता है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1.13 सुदृढ़ समष्टिगत माहौल ने 2004-05 के दौरान भारतीय बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन को सुदृढ़ आधार प्रदान करना जारी रखा, साथ ही बड़े बैंक समूहों ने ब्याज दर चक्र में वृद्धि के प्रभावों को झेलने में सफलता प्राप्त की। 2004-05 के दौरान ऋण की माँग विस्तृत आधारवाली थी जिसमें कृषि, उद्योग, आवास निर्माण और फुटकर क्षेत्र शामिल थे जिससे ऋण की माँग बढ़ी। निवल ब्याज आय में तीव्र वृद्धि ने, प्रमुख रूप से ट्रेडिंग में लाभ में आई गिरावट के कारण, ब्याज से इतर आय में आई गिरावट के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर दिया। बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में कुछ हद तक निम्नतर परंतु भारी ब्याज अर्जित करना जारी रखा। 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार जारी रहा (सारणी I.1)। बैंकों का पूंजी आधार जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के साथ अपनी गति बनाए रखा।

1.14 माँग जमाराशियों तथा बचत जमाराशियों में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में निम्नतर दर से वृद्धि हुई। माँग जमाराशियों में हास का प्रमुख कारण पिछले वर्ष में माँग जमाराशियों में असाधारण ऊंची वृद्धि था। बैंक ऋण ने पिछले वर्ष की हासो-नुखी प्रवृत्ति को उल्टा करते हुए पिछले वर्ष के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की। यद्यपि, 2004-05 के दौरान बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों में वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई, बैंकिंग क्षेत्र ने 2005 के मार्च के अंत में, अपनी धारित निवल माँग और मीयादी देयताओं का 38.4 प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों के रूप में रखा जोकि 25 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा से बहुत ज्यादा है। 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एसएलआर से भिन्न निवेशों में गिरावट जारी रही जिसके कारण बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर और दिसंबर 2003 में गैर एसएलआर प्रतिभूतियों के बारे में जारी दिशानिर्देशों के उपरांत पोर्टफोलियो समायोजन करने पड़े।

सारणी 1.1: चुनिंदा वित्तीय क्षेत्र के संकेतक : 2003-04 की तुलना में 2004-05

बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/एनबीएफसी	संकेतक	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि आस्तियाँ	16.2	15.2	
	जमाराशियाँ	16.4	15.4	
	निवेश	15.9	4.8	
	अग्रिम	16.9	27.9	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
	परिचालनगत लाभ	2.7	2.2	
	निवल लाभ	1.1	0.9	
	विस्तार	2.9	2.9	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)			
सकल अनर्जक आस्तियाँ	7.2	5.2		
निवल अनर्जक आस्तियाँ	2.9	2.2		
2. शहरी सहकारी बैंक	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि(प्रतिशत)			
	जमाराशियाँ	1.7	0.7	
	ऋण	3.4	-1.5	
	निवेश	14.6	-2.5	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)#			
	परिचालनगत लाभ	1.4	0.9	
	निवल लाभ	0.4	0.3	
	विस्तार	1.6	1.9	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)			
सकल अनर्जक आस्तियाँ	22.7	23.0		
निवल अनर्जक आस्तियाँ	12.1	12.2		
3. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि(प्रतिशत) ¹			
	मंजूरी	81.4	-37.2	
	संवितरण	42.2	-29.5	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) ²			
	परिचालनगत लाभ	1.7	2.5	
	निवल लाभ	1.2	2.0	
	विस्तार	1.1	1.7	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) ²			
	निवल अनर्जक आस्तियाँ	5.6	3.7	
4. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आरएनबीसी को छोड़कर)	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि (प्रतिशत)			
	जनता की जमाराशियाँ	-14.3	-15.5	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
	निवल लाभ	1.6	1.7	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)			
	निवल अनर्जक आस्तियाँ	2.4	3.4	
	5. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (आरएनबीसी)	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि (प्रतिशत)		
		जनता की जमाराशियाँ	1.7	8.3
		ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
निवल लाभ		1.0	0.5	

* : वर्ष 2004-05 के डाटा में एक गैर-बैंकिंग संस्था का बैंकिंग संस्था में परिवर्तन शामिल नहीं है।

: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है।

1. आईएफसीआई, आईआईबीआई, आईडीएफसी, सिडबी, आईवीसीएफ, आईसीआईसीआई उद्यम, टीएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी, एनआईए और यूआईए से संबंधित है।

2. आईएफसीआई, आईआईबीआई, टीएफसीआई, आईडीएफसी, एक्विजि बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी से संबंधित है।

नोट : 2004-05 का डाटा अंतिम है।

1.15 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक वर्षीय परिपक्वता वाली मीयादी जमा राशियों के लिए दी जाने वाली ब्याज दरें मार्च 2004

में 3.75 से 5.25 प्रतिशत के परास (रेंज) में थीं जो कि मार्च 2005 में 2.75 से 6.00 प्रतिशत के परास में चली गईं। इस अवधि

के दौरान एक वर्ष से अधिक मीयादी अवधि वाली जमाराशियों पर ब्याज दरें 5.00 से 6.00 प्रतिशत के दायरे से निकलकर 4.75 से 7.00 प्रतिशत के दायरे में चली गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 15 से 29 दिनों के और 3 वर्ष से अधिक अवधि वाली विशिष्ट जमा दरों के दरम्यान विस्तार एक वर्ष पहले 175 आधार पर अंक था जो कि मार्च 2005 में 200 आधार अंक हो गया।

1.16 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरें मार्च 2004 में 10.25 से 11.50 प्रतिशत के दायरे में थीं जोकि मार्च 2005 में 10.25 से 11.25 प्रतिशत के दायरे में चली गई। विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरें क्रमशः 11.00 से 14.85 प्रतिशत और 10.50 से 13.00 प्रतिशत के दायरे में थीं जोकि उसी अवधि के दौरान क्रमशः 10.00 से 14.50 प्रतिशत और 11.00 से 13.50 प्रतिशत के दायरे में चली गई। 2004-05 के दौरान, बैंकों के ऋण का बड़ा भाग मूल उधार दर से नीचे दर पर था। वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण में मूल उधार दर से नीचे दर पर ऋण का हिस्सा, सिवाय निर्यात ऋण के, मार्च 2004 में 50 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2005 में 60 प्रतिशत हो गया। जैसा कि मार्च 2005 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माँग और मीयादी ऋणों की माध्य (प्रातिनिधिक) दरें (जिस पर कि ज्यादातर कारोबारी संविदाएं की जाती हैं) क्रमशः 9.00 से 12.50 प्रतिशत और 8.35 से 12.00 प्रतिशत के दायरे में थीं जिनमें मार्च 2004 में प्रत्येक में तदनुरूपी स्तरों की तुलना में 11.00 से 12.75 प्रतिशत की नरमी देखने में आई।

1.17 वास्तविक संख्या की दृष्टि से, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र और निवल अनर्जक आस्तियों में पिछले दो वर्ष आई कुल कमी के अलावा और कमी आई। तथापि, वह कमी निवल अनर्जक आस्तियों के मामले में ज्यादा स्पष्ट थी। अनर्जक आस्तियों में गिरावट के लिए विविध कारकों, जैसे, उन्नत जोखिम प्रबंध संव्यवहार, वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत वसूली के लिए अधिक तेज प्रयास और इसके साथ-साथ, कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना तंत्र का योगदान है।

1.18 जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद बैंक जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात पिछले वर्ष के स्तर के बराबर बनाए रखने में काफी हद तक समर्थ थे। यद्यपि, नए निजी क्षेत्र के बैंकों का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात बढ़ा परंतु अन्य बैंक समूहों के संबंध में थोड़ा घटा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भीतर, राष्ट्रीयकृत बैंकों का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात यद्यपि कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा है, परंतु वह स्टेट बैंक समूह के मामले में घटा है।

सहकारी बैंक

1.19 2004-05 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों में थोड़ी वृद्धि हुई, परन्तु उनके अग्रिम और निवेश में कमी आई। आंतरिक संसाधन, जमाराशि और उधार में हुई तीव्र वृद्धि के समर्थन से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के कारोबारी परिचालन का विस्तार हुआ। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की निवल ब्याज आय में हुई वृद्धि अन्य आय में आई कमी से समायोजित हो गई जिसके कारण इस क्षेत्र के परिचालन लाभ और निवल लाभ में गिरावट आई। इस वर्ष शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

1.20 वर्ष 2003-04 के दौरान ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई दीं। परिचालनों के उच्च विस्तार के बावजूद राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में कमी आई। केंद्रीय सहकारी बैंकों के मामले में यह प्रवृत्ति विपरीत थी। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग ढांचे का निचला स्तर, अर्थात्, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों ने अपनी सदस्यता में विस्तार किया, फिर भी उनके ऋण लेने वाले सदस्यों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। तथापि, जमाराशियों में गिरावट के बावजूद 2003-04 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के परिचालनों में समग्र रूप से विस्तार जारी रहा। यद्यपि, उनकी आस्ति गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ, परंतु बहुत अधिक बकाया बना रहना जारी रहा। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों समेत ग्रामीण सहकारिता के दीर्घावधि ढांचे के परिचालनों में मध्यम दर्जे की वृद्धि जाहिर हुई। तथापि, उनका वित्तीय कार्यनिष्पादन असंतोषजनक रहा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सिवाय ग्रामीण सहकारी बैंकों के सभी स्तरों पर आस्ति गुणवत्ता बिगड़ी है।

वित्तीय संस्थाएं

1.21 2004-05 के दौरान भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता में कमी आई है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (भूतपूर्व आई डी बी आई के सिवाय) द्वारा जुटाए गए संसाधन बढ़े जिसमें नाबार्ड द्वारा किए गए संग्रहण की रकम सबसे बड़ी थी और एक्विज्म बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी द्वारा किए गए संग्रहण की राशि उसके बाद के क्रम में थी। बांडों/डिबेंचरों द्वारा उधार लेना, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की उधार लेने की निधियों के प्रमुख स्रोत के रूप में जारी रहा। कुछ वित्तीय संस्थाओं, जैसे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आइ आइ बी आइ) लिमिटेड की कमजोर

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

वित्तीय स्थिति के कारण उनके द्वारा नए रूप से संसाधन जुटाने पर लगी रोक जारी रही।

1.22 ऋणों तथा अग्रिमों में जो भारतीय वित्तीय संस्थाओं की निधियों के विनियोजन के प्रमुख मार्ग होते हैं, वर्ष 2004-05 के दौरान काफी वृद्धि हुई। विस्तार (निवल ब्याज आय) और परिचालन लाभ, वास्तविक संख्या और कुल आस्तियों के अनुपात, दोनों दृष्टि से बढ़े हैं। मार्च 2005 के अंत में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के सिवाय सभी वित्तीय संस्थाओं का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात 9 प्रतिशत के मानदंड से बहुत ऊपर रहा। 2004-05 के दौरान, बकाया की वसूली तथा प्रावधानीकरण में वृद्धि के कारण सिडबी को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

1.23 जमाराशि स्वीकार करने वाली बड़ी कंपनियों द्वारा गैर-जमा कार्यकलाप की श्रेणी में जाने के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या निरंतर कम होती रही। एनबीएफसी (शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) की आस्तियाँ, जो 2003-04 में तेजी से संकुचित हुई थी, 2004-05 में थोड़ी बढ़ी। 2003-04 और 2004-05 में एनबीएफसी के वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार हुआ जिसका मुख्य कारण खर्चों को सीमित रखना था। 2003-04 और 2004-05 में सकल अनर्जक आस्तियों में कमी आई, लेकिन 2004-05 में निवल अनर्जक आस्तियों में थोड़ी वृद्धि हुई। कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जोखिम भारित आस्ति में पूंजी का अनुपात निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर बरकरार रखने के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जोखिम भारित आस्ति में पूंजी का अनुपात संतोषजनक रहा। 2003-04 और 2004-05 में शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों की आस्तियों में गिरावट आई। 2003-04 और 2004-05 में शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों के वित्तीय निष्पादन मंद रहे।

2005-06 के दौरान विकास

1.24 अप्रैल 2005 में जारी किए गए वार्षिक नीति वक्तव्य में 2005-06 के लिए सामान्य मानसून रहने और इस मान्यता के आधार पर कि तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को अवशोषित करते हुए उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में वृद्धि की वही गति जारी रहेगी, 7.0 प्रतिशत की दर से वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। यद्यपि, इस वर्ष मानसून की शुरुआत देर से हुई परंतु उसने जून 2005 के अंत में जोर पकड़ा जिसके परिणामस्वरूप 36 मौसमी

उपमंडलों में से 32 में अधिक अथवा सामान्य वर्षा पायी गई। पूरे देश में इस वर्ष जून-सितंबर के दौरान वर्षा अपने दीर्घावधि औसत की 99 प्रतिशत रही। विभिन्न फसली क्षेत्र के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार खरीफ का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में जल भंडारण स्तर में हुई वृद्धि के कारण रबी उत्पादन में वृद्धि की संभावना का शुभ संकेत है। कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं उद्योग और सेवा क्षेत्र की गति में वृद्धि के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर, अक्टूबर 2005 में जारी की गई वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में सदेउ की वृद्धि अप्रैल 2005 में अनुमानित लगभग 7.0 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में 7.0 - 7.5 प्रतिशत के दरम्यान रखी गयी। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएओ) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार वास्तविक सदेउ में पिछले वर्ष की पहली तिमाही के 7.6 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 की पहली तिमाही में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य-स्तर में वृद्धि से सकल सदेउ की वृद्धि दर के कम होने का जोखिम पैदा हो गया है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संतुलित विकास और बढ़ते निर्यात का विकास पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। औद्योगिक उत्पाद की स्थिर वृद्धि की संभावना के कारण निवेश और निर्यात मांग, सुदृढ़ कंपनी लाभप्रदता और उत्साहजनक कारोबार विश्वास में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के सूचकांक में अप्रैल-अगस्त 2005 के दौरान 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8.0 प्रतिशत थी। बुनियादी वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। स्थिर औद्योगिक वृद्धि के साथ साथ गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि देखी गयी। तैयार वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात उत्साहजनक बना रहा और भारत में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार परिवेश और निवेशक का विश्वास सकारात्मक बना रहा। घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ पूंजीगत वस्तुओं के आयात में भी भारी वृद्धि हुई, जो सतत क्षमता विस्तार का संकेतक है। कारोबार के लगातार विस्तार और निम्नतर ब्याज लागत के कारण कंपनी लाभप्रदता उच्च रही और निवेश के लिए उपलब्ध आंतरिक संसाधनों में वृद्धि हुई। इन कारकों के फलस्वरूप बाजार भावनाओं की जीत हुई और निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ।

1.25 वाणिज्य क्षेत्र में बैंक ऋण की मांग में आई निरंतर वृद्धि के बावजूद 2005-06 (30 सितंबर 2005 तक) में मौद्रिक स्थिति संतोषजनक रही। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में अपने बढ़ते हुए निवेश को कम करके वाणिज्यिक ऋण की ऊंची मांग की पूर्ति की। वर्तमान राजकोषीय वर्ष में जमाराशि में भारी वृद्धि एवं सरकारी

प्रतिभूतियों में गैर-बैंक स्रोतों द्वारा किये गए उच्चतर निवेश के कारण बैंक, ऋण की मांग पूरी करने में समर्थ हुए। 30 सितंबर 2005 तक एम₃ में साल-दर-साल 16.6 प्रतिशत की वृद्धि 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में उल्लिखित 14.5 प्रतिशत की वृद्धि से उच्चतर थी।

1.26 लगभग सभी खंडों में ब्याज मजबूत रहने के बावजूद वित्तीय बाजार स्थिर एवं सुव्यवस्थित रहा। औसत मांग मुद्रा दर अप्रैल 2005 के 4.77 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2005 (21 अक्टूबर तक) में 5.06 प्रतिशत हो गई जबकि यह सामान्यतः नकदी समायोजन सुविधा रिवर्स रेपो दर के आस पास बरकरार रही। 91 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिल की दर भी अप्रैल 2005 के क्रमशः 5.12 प्रतिशत और 5.60 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2005 में क्रमशः 5.53 प्रतिशत और 5.85 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में 182-दिवसीय खजाना बिल दर 5.21 प्रतिशत से बढ़कर 5.78 प्रतिशत हो गई। सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में 1 वर्ष की शेष परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाली आय अप्रैल 2005 के 5.66 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2005 में 5.88 प्रतिशत हो गई। 10 और 20 वर्ष की शेष परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाली आय क्रमशः 6.68 प्रतिशत और 7.08 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 7.18 प्रतिशत और 7.52 प्रतिशत हो गई। दीर्घावधि आय में तुलनात्मक रूप से हुई उच्चतर वृद्धि के कारण आय वक्र आरोही हो गया। 10 वर्षीय और 1 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के बीच आय का अंतर 102 आधार अंक से बढ़कर 130 आधार अंक हो गया जबकि 20 वर्षीय और 1 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के बीच यह अंतर 142 आधार अंक से बढ़कर 164 आधार अंक हो गया।

1.27 61 दिवसीय से 90 दिवसीय तक की परिपक्वतावाले वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर भारत औसत छूट दर अप्रैल के 5.80 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2005 के मध्य तक 5.89 प्रतिशत हो गई। बाजार रिपो में दैनिक कारोबार की मात्रा 3,958 करोड़ रुपये से बढ़कर (एक चरण) सितंबर 2005 तक 5,661 करोड़ रुपये हो जाने के कारण बाजार रिपो दर 4.63 प्रतिशत से बढ़कर 4.85 प्रतिशत हो गई। सीबीएलओ दर के 4.58 प्रतिशत से बढ़कर 4.80 प्रतिशत होने के साथ-साथ सीबीएलओ (जमानती उधार लेने-देने के दायित्व) की औसत दैनिक मात्रा 5,185 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,572 करोड़ रुपये हो गई। त्रैमासिक जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर विशेष ब्याज दर अप्रैल के 5.87 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2005 के मध्य तक 5.90 प्रतिशत हो गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अप्रैल-सितंबर 2005 के दौरान अपनी

एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमा दर 5.25 - 6.50 प्रतिशत के बीच यथावत रखी। सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों और विदेशी बैंकों की न्यूनतम प्रमुख उधार दर (बीपीएलआर) क्रमशः 10.25 - 11.25 प्रतिशत, 11.00 - 13.50 प्रतिशत और 10.00 - 14.50 प्रतिशत के बीच रही।

1.28 अंक-दर-अंक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अंतर द्वारा मापी जानेवाली मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 7.4 प्रतिशत से घटकर 22 अक्टूबर 2005 को 4.5 प्रतिशत रह गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक औसत आधार पर एक साल पहले के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 22 अक्टूबर 2005 को 5.2 प्रतिशत थी।

1.29 भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक (21 अक्टूबर 2005 तक) चालू वित्तीय वर्ष में सामान्यतः सुव्यवस्थित रहा। रुपये की विनिमय दर प्रति अमरीकी डालर मार्चांत 2005 के रु. 43.75 से 3.0 प्रतिशत घटकर 21 अक्टूबर 2005 को रु. 45.09 रह गई। लेकिन उसी अवधि में इसमें यूरो की तुलना में 4.2 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 2.5 प्रतिशत और जापानी येन की तुलना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अमरीकी ब्याज दर में और वृद्धि होने से वायदा प्रीमियम घटता गया, साथ ही ब्याज दर अंतर भी कम होता चला गया।

1.30 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशि में 30 सितम्बर 2005 तक 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.8 प्रतिशत की उच्चतर दर से वृद्धि हुई थी। वार्षिक आधार पर, सकल जमाराशि में वृद्धि, परिवर्तन को घटाकर, 18.6 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले के 15.8 प्रतिशत से अधिक थी। 30 सितम्बर 2005 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई 11.7 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक थी। खाद्य-ऋण अपने मार्चांत के स्तर से कम हो गया जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न की कम उगाही के रूप में परिलक्षित होता है। दूसरी ओर, खाद्येतर ऋण में पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 11.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 14.8 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि हुई। चूंकि बकाया ऋण-जमा अनुपात एक वर्ष पहले के 58.4 प्रतिशत से बढ़कर 65.8 प्रतिशत हो गया, इसलिए वृद्धिशील खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 92.9 प्रतिशत से घटकर 75.2 प्रतिशत रहा गया। गैर बैंक निधि स्रोतों में अप्रैल-सितंबर 2005 में कंपनियों ने इक्विटी बाजार में आए उछाल का लाभ लेते हुए इक्विटी निर्गम के जरिए भारी मात्रा में संसाधन जुटाए। वाणिज्यिक पत्र बाजार (सीपी) उत्साहजनक रहा, जो उपकरण और वित्त कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक पत्र के निरंतर निर्गम के रूप में परिलक्षित होता है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

1.31 बैंकों ने मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों में अपने वृद्धिशील निवेश को सीमित करके वाणिज्य क्षेत्र की भारी ऋण मांग को पूरा किया। 2005-06 की पहली छमाही के दौरान वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी लिखतों में किया गया वृद्धिशील निवेश उनके द्वारा पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि में किए गए वृद्धिशील निवेश के एक तिहाई से कम था। इसके परिणामस्वरूप, वाणिज्य बैंकों की सरकारी प्रतिभूति धारिता उनकी मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से 36 प्रतिशत कम रही जो एक वर्ष पहले लगभग 40 प्रतिशत थी। इसके बावजूद वह 25 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम अपेक्षा से अधिक थी।

1.32 अमरीकी डालर के हिसाब से अप्रैल-सितंबर 2005 के दौरान भारत के निर्यात में 20.5 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उसमें 30.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस अवधि के दौरान भारत का पण्य निर्यात अधिकांश एशियाई देशों के निर्यात को पार कर गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान आयात में हुई 37.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 33.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूँकि तेल आयात में वृद्धि एक साल पहले के

58.2 प्रतिशत से घटकर 42.9 प्रतिशत ही रही, अतः गैर-तेल आयात में वृद्धि पिछले वर्ष के 29.8 प्रतिशत के मुकाबले 28.8 प्रतिशत रही। अप्रैल-सितंबर 2005 के दौरान सकल व्यापार घाटा एक वर्ष पूर्व के 11.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 20.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में और खास तौर से, घरेलू औद्योगिक कार्यकलापों में हुई वृद्धि के कारण, आयात मांग में वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल-अगस्त 2005 में व्यापक आधार पर निर्यात में वृद्धि हुई, जो मुख्यतः इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्न और आभूषण के निर्माताओं द्वारा अलग-अलग स्तर पर किए गए निर्यात में परिलक्षित होता है। इंजीनियरिंग वस्तुओं में मशीनरी और औजार, परिवहन उपकरण और धातु निर्माण में वृद्धि में गतिशीलता आई। अप्रैल-अगस्त 2005 में सोना और चांदी को छोड़कर गैर-तेल आयात 36.7 प्रतिशत बढ़ा जिसका मुख्य कारण औद्योगिक निविष्टियों का आयात था। इस श्रेणी में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि लोहा और इस्पात के आयात में 109.9 प्रतिशत का उछाल आया जो घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि दर्शाता है।

वाणिज्य बैंकिंग में नीतिगत गतिविधियां

2.1 किसी भी अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए एक सुरक्षित और सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र का होना अनिवार्य शर्त है। हाल के वर्षों के विश्वव्यापीकरण, अविनियमन और सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के परिचालनात्मक परिवेश में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इन संस्थाओं को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव और ग्राहकों की नई-नई मांगों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में इन संस्थाओं ने उत्पाद नवोन्मेष में तीव्रतर वृद्धि की और कारोबारी नीतियों में परिवर्तन लाना शुरू किया। इन गतिविधियों के चलते संस्थाओं की दक्षता में सुधार करने में सहायता मिली, साथ ही, कुछ गंभीर जोखिम भी उत्पन्न हुए हैं। तदनुसार, विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियाँ प्रणालीगत जोखिमों में निहित चुनौतियों का सामना करने के लिए पुनः निर्धारित की जा रही हैं। इस बदलते परिवेश में पर्यवेक्षकों के लिए प्रमुख चुनौती वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाये रखने के साथ ही वित्तीय संस्थाओं को पर्याप्त लचीलापन उपलब्ध कराना है ताकि वे कारोबार के अवसरों और प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों का लाभ उठाते हुए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रभावी रूप से सामना कर सकें।

2.2 रिजर्व बैंक भी विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा यथोचित रूप से पुनःनिर्धारित करता रहा है ताकि नये परिवेश की चुनौतियों का सामना किया जा सके। रिजर्व बैंक का प्रयास रहा है कि एक प्रतियोगी, सुदृढ़ और गतिशील बैंकिंग प्रणाली विकसित हो ताकि यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि की प्रक्रिया के समर्थन में एक प्रभावी भूमिका निभा सके। इसके लिए समग्र प्रणाली की वित्तीय स्थिरता को निम्नलिखित उपायों के जरिए बनाये रखने पर बल दिया गया : विवेकसम्मत दिशानिर्देशों और प्रभावी निगरानी पर अत्यधिक जोर देना, संस्थागत सुदृढ़ता में सुधार करना, अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप विनियामक और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना और आवश्यक प्रौद्योगिकी और विधि संबंधी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना। सुधारों के प्रति दृष्टिकोण क्रमिक और परिस्थितियों के अनुरूप रहा है, साथ ही, परामर्शी प्रक्रियाएं और यथोचित समय पर कदम उठाने तथा उपायों की क्रमिक वृद्धि में तीव्रता लाने, दक्षता बढ़ाने, संकट टालने तथा वित्तीय प्रणाली में लचीलापन लाने में सफल रहे।

2.3 2004-05 के दौरान रिजर्व बैंक ने उचित परिवर्तन के जरिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया। 2004-05 में वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण उसकी सुदृढ़ता और दक्षता बढ़ाकर इसके प्रति विश्वसनीयता बनाये रखने के उद्देश्य द्वारा नियंत्रित होता रहा। कंपनी नियंत्रण पद्धतियों को सुदृढ़ करने और इसकी पारदर्शिता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसके विविधीकृत स्वामित्व के लिए रूप रेखा तैयार की गई। रिजर्व बैंक ने बासेल II रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की निगरानी जारी रखी। विश्व व्यापार संगठन से किए गए वायदे के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र का क्रमिक सुधार मार्च 2005 में जारी 'विदेशी बैंकों के लिए रोड मैप' में स्पष्ट किया गया। अंततः रिजर्व बैंक ने आम व्यक्ति के लिए लेन-देन को सरल बनाने पर महत्त्व देते हुए अर्थव्यवस्था की महत्त्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं के लिए ऋण वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को वित्तीय सुविधाओं के दायरे में लाने पर जोर दिया।

2.4 इस पृष्ठभूमि में, 2004-05 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय वाणिज्य बैंकिंग में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न नीतिगत उपायों और 2005-06 के दौरान अब तक की प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का इस अध्याय में एक विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। मौद्रिक और ऋण नीति से संबंधित उपाय खण्ड 2 में दिये गये हैं। उसके बाद खंड 3 में ऋण वितरण के क्षेत्र में प्रारंभ किये गये उपायों की एक समीक्षा दी गयी है। इस अवधि के दौरान प्रारंभ किये गये विवेकसम्मत विनियामक और पर्यवेक्षी उपाय क्रमशः खण्ड 4 और 5 में दिये गये हैं। तत्पश्चात खंड 6 में नीति निर्माण के प्रति विकसित हो रहा परामर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय बाजारों अर्थात् मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित नीतिगत गतिविधियां खंड 7 में प्रस्तुत की गई हैं। भुगतान और निपटान प्रणालियों और प्रौद्योगिकी गतिविधियों से संबंधित पहल क्रमशः खंड 8 और खंड 9 में दिये गये हैं जबकि खंड 10 में विधि संबंधी आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रारंभ किए गए उपायों के ब्योरे दिये गये हैं।

2. मौद्रिक और ऋण नीति

2.5 रिजर्व बैंक का नीतिगत वक्तव्य मौद्रिक, संरचनात्मक और विवेकसम्मत उपायों के लिए रूपरेखा उपलब्ध कराता है जिन्हें वृद्धि, मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के समग्र उद्देश्य के अनुरूप समय-समय पर प्रारंभ किया जाता है। हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों में होते निरंतर सुधार और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ समेकन से प्रेरित तीव्र परिवर्तन के अनुरूप मौद्रिक प्रबंधन में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता आ पड़ी। चलनिधि की पर्याप्तता और 2003-04 के दौरान मुद्रास्फीति में भिन्न-भिन्न समय पर उतार-चढ़ाव की पृष्ठभूमि में 2004-05 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह इंगित किया गया कि 'अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अनपेक्षित गतिविधियों के उत्पन्न होने को छोड़कर और यह मानते हुए कि अंतर्वर्ती मुद्रास्फीतिकारी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं होगी, 2004-05 के लिए मुद्रास्फीति का समग्र रुझान इस प्रकार होगा : (i) मूल्य स्तर संबंधी गतिविधियों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था में अधिक ऋण की मांग को पूरा करने और निवेश और निर्यात मांग के समर्थन के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान, और (ii) यथास्थिति के अनुरूप वृद्धि और समष्टि आर्थिक और मूल्य स्थिरता की गति बनाये रखने में सहायक ब्याज दर परिवेश को जारी रखना।

2.6 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषित मौद्रिक नीति के अनुरूप मोटे तौर पर 2004-05 की पहली छमाही में मौद्रिक प्रबंधन किया गया लेकिन अक्टूबर 2004 में मध्यावधि समीक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन के कई कारक हैं। पहला, 81,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त चलनिधि आगे लायी गयी। दूसरा, शीर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वर्ष की पहली छमाही के दौरान अनुमानित स्तर से अधिक वृद्धि हुई। तीसरा, खाद्य पदार्थों के मूल्य में मौसमी गिरावट पूर्णतः संभव नहीं हुई। चौथा, पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्य अधिक रहे और घटते-बढ़ते रहे। पांचवां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में मौद्रिक नीति का रुझान बहुत अधिक समायोजनपरक होने के स्थान पर तटस्थ होता जा रहा था। छठा, पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्य के दबाव का जो असर देशी मुद्रास्फीति पर पड़ा, उसके चलते देशी मुद्रास्फीति पर असर पड़ा। सातवां, अनिश्चतताओं के कारण वित्तीय बाजारों की प्रतिक्रिया निरंतर प्रतिकूल होती जा रही थी। चूंकि ब्याज दर अभी तक सबसे कम स्तर पर थी, इसलिए बाहरी जोखिम ज्यादा थे। वास्तव में वर्ष के बीच तक ब्याज दरों में तीव्र उर्ध्वमुखी गतिविधि ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में बिक्री को प्रेरित किया। आठवां, 17 मई 2004 को इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट आयी जिसका परिवेश पर अस्थायी तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, ये गतिविधियां ऐसे समय हुई जब काफी समय की मंदी के बाद औद्योगिक वृद्धि होने लगी थी तथा खाद्येतर ऋण में भी वृद्धि हो रही थी। इस स्थिति में

रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति के प्रभावों को नियंत्रित करते हुए वृद्धि संबंधी प्रतिफलों में भी सामंजस्य लाने पर ध्यान देना पड़ा।

2.7 मुद्रास्फीति की प्रक्रिया में आपूर्ति के कारकों की भूमिका की दृष्टि से नीतिगत प्रतिक्रिया सरकार की उम्मीदों के अनुरूप थी। मूल्य स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीतिगत विवरण में 'मूल्य स्तर' की गतिविधियों पर अत्यधिक निगरानी के अपने रवैये में बदलाव लाकर मध्यावधि समीक्षा में 'मूल्य स्थिरता पर समान महत्त्व' पर जोर दिया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयोजन हेतु 'पर्याप्त चलनिधि' के बदले 'उपयुक्त चलनिधि' का प्रावधान अपनाकर चलनिधि प्रबंधन पर जोर दिया गया। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप, विशेषकर मुद्रास्फीति संबंधी परिस्थितियों को स्थिर करने के उद्देश्य से, नपे-तुले नीतिगत उपाय किए गए।

2.8 2004-05 की दूसरी छमाही के दौरान मौद्रिक प्रबंध, वर्ष की मध्यावधि समीक्षा में निर्धारित नीति के प्रायः अनुरूप, किया गया। इस अवधि के दौरान रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के प्रबंध संबंधी दो प्रमुख वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करना पड़ा। चूंकि उस समय मुद्रास्फीति आपूर्ति प्रेरित समझी गई थी, इसलिए यह तर्क दिया गया कि प्रत्यक्ष मौद्रिक नीति संबंधी उपाय करना असामयिक हो सकती है, विशेषकर इसलिए कि उद्योग में अभी मंदी के बाद सुधार शुरू हुआ था। दूसरी ओर, शीर्ष मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण बाजार ब्याज दरों में तीव्र गतिविधियों के साथ मुद्रास्फीति संबंधी आशाओं के पूरा न होने तथा बाजार ब्याजदर में तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण मूल्य स्थिरता केंद्रीय बैंक के सामने कठिन चुनौती साबित हो रही थी। चूंकि मुद्रास्फीति संबंधी आशाओं का पूरा न होना पहले से अधिक चलनिधि की उपलब्धता, भारी ऋण वृद्धि, तेल मूल्य के प्रभावों का पूरा असर न प्रकट हो पाने और इसके दूसरे दौर के प्रभावों की अनिश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत घटित हुआ, इसलिए मुद्रास्फीति संबंधी प्रभावों को रोकने के लिए मौद्रिक उपाय करना दूसरा तर्क था।

2.9 इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए 2004-05 के दौरान कई सुविचारित और नपे-तुले उपाय किए गए। पहला, रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के आपूर्ति-प्रेरित स्वरूप के संबंध में अपना मूल्यांकन कई अवसरों पर बाजारों को सूचित किया। दूसरा, उत्पादकों के स्तर पर और ग्राहकों के स्तर पर मुद्रास्फीति के अलग-अलग व्यवहार के अनुरूप बाजार को जानकारी दी गई - जिसमें महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि कई अन्य तेल आयातक देशों में उत्पादकों के स्तर की मुद्रास्फीति ज्यादा पाई गई। तीसरा, सरकार ने विशेषकर तेल पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कम करके राजकोषीय उपाय किए। चौथा, कंपनियों ने भी अपने मूल्य निर्धारण संबंधी अधिकार के प्रयोग को कम करते हुए जवाबी प्रतिक्रिया दी। पांचवां, चलनिधि के और लचीले प्रबंधन के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा के

अंतर्गत निर्धारित दर वाला रिजर्व रेपो प्रारंभ किया गया। छठा, आरक्षित नकदी निधि अनुपात आधा प्रतिशत बढ़ाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया। सातवां, आरक्षित नकदी निधि अनुपात पर दिए जाने वाले हरजाने को बैंक दर से अलग कर दिया गया और उसे कम करके 3.5 प्रतिशत किया गया, ताकि मौद्रिक साधन के रूप में इसकी दक्षता बढ़ायी जा सके। आठवां, बैंकों को अपने निवेश को, उन पर मूल्यहास प्रदान करने के बाद, उनके सांविधिक न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात तक 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अंतरित करने की अनुमति दी गई। इस उपाय से बैंकों को ब्याज दर चक्र में दखल देने का अवसर मिला, लेकिन समष्टि स्तर पर इससे वित्तीय स्थिरता बनाये रखने में सहायता मिली। नौवां, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत निर्धारित रिजर्व रेपो दर¹ को 25 आधार अंक बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत किया गया। तथापि, रेपो दर और बैंक दर (दोनों) 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहे जो अल्पावधि प्रकार के ऊर्ध्वमुखी मुद्रास्फीति दबावों का संकेत देते हैं। अंततः, चलनिधि की अधिकता की स्थिति से निपटने में रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने हेतु, सरकार ने बाजार स्थिरीकरण योजना की उच्चतम सीमा 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी।

2.10 2005-06 के लिए अप्रैल 2005 में घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य में मौद्रिक नीति का समग्र दृष्टिकोण अक्टूबर 2004 की मध्यावधि समीक्षा में निर्धारित पद्धति के अनुसार था अर्थात् (i) मूल्य स्थिरता पर समान रूप से जोर देते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि और निवेश तथा निर्यात मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान, (ii) उपर्युक्त के अनुरूप समष्टि अर्थव्यवस्था और मूल्य स्थिरता के लिए और वृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए अनुकूल ब्याज दर का वातावरण बनाए रखना, और (iii) मुद्रास्फीति संबंधी आशाओं को सफल बनाने के उद्देश्य से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उपायों को लागू करने पर विचार करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण संबंधी सभी वैध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि रखी जाती है, यह सूचित किया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार स्थिरीकरण योजना, चलनिधि समायोजन सुविधा और सीआरआर सहित और स्थिति के अपेक्षानुसार अपने पास उपलब्ध नीतिगत साधनों का प्रयोग करते हुए खुले बाजार परिचालन के माध्यम से चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंध की नीति को जारी रखेगा। इसके अलावा, बदलती परिस्थितियों द्वारा अनिवार्य बनाये गये विशिष्ट उपायों के लिए लचीलेपन को बनाये रखते हुए बाजारों के साथ और अधिक व्यवस्थित संप्रेषण के

लिए यह निर्णय लिया गया कि वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा के अनुरूप रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की दो अतिरिक्त तिमाही समीक्षाएं जारी करेगा : वक्तव्य के भाग I की पहली तिमाही समीक्षा जुलाई में और तीसरी तिमाही समीक्षा जनवरी में।

2.11 2005-06 की पहली तिमाही के दौरान मौद्रिक नीति का संचालन वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में घोषित स्थिति के अनुसार था। वित्तीय बाजार में समष्टि-आर्थिक गतिविधियां और परिस्थितियां मोटे तौर पर वक्तव्य के अनुमान के अनुरूप थीं। निश्चित रूप से, मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण को जारी रखने के पक्ष में और विपक्ष में भी बातें मौजूद थीं। बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं, जैसे तेल के उच्च और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय मूल्य, देशी तौर पर तेल के मूल्य का पूरा प्रभाव नीचे अंतरित न हो पाना, अमरीका में पालिसी रेट में वृद्धि, चलनिधि की अधिकता, उच्च ऋण वृद्धि, अनवरत औद्योगिक वृद्धि तथा संभाव्य क्षमता का दबाव, व्यापार घाटे में वृद्धि, आधारभूत सुविधा संबंधी कठिनाइयाँ तथा विलंबित मानसून मौद्रिक नीति में परिवर्तन के कारण हैं। तथापि कई अन्य कारक थे जो पिछली नीति को जारी रखने का समर्थन करते हैं। मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के समन्वय द्वारा तेल मूल्य की वृद्धि को भलीभांति नियंत्रित किया गया। अर्थव्यवस्था की समायोजन संबंधी क्षमता में वृद्धि के कारण अधिक चलनिधि की मात्रा में कमी आयी और अतिरिक्त चलनिधि निष्क्रिय हो गई। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यक्ष चलनिधि में भी कमी आयी, जबकि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि अनुमान के अनुरूप रही। मौद्रिक नीति की पूर्व स्थिति को जारी रखने के पक्ष वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं : ऋण प्रवाहों का विस्तृत आधार, काफी समय तक मंदी के बाद औद्योगिक वृद्धि में सुधार, निवेश मांग में वृद्धि, अनुकूल निवेश का परिवेश, अनवरत कंपनी प्राप्तियां और लाभ, थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर मुद्रास्फीति का कम स्तर, वैश्विक स्तर पर कुछ समायोजनपरक मौद्रिक नीति जारी रहना और तेल के उच्च मूल्य के बावजूद 2005 के दौरान संतुलित मुद्रास्फीति का अनुमान। 26 जुलाई 2005 को जारी पहली तिमाही समीक्षा यह सूचित करती है कि यथापूर्व स्थिति के पक्ष के विचारों जैसे ही दमदार हैं, परंतु इस स्तर पर सुविधाजनक यह होगा कि विशेषकर वैश्विक स्तर पर प्रकट होने वाली तमाम अनिश्चितताओं पर नजर रखते हुए यथापूर्व स्थिति जारी रखी। समष्टि मौद्रिक दृष्टिकोण के मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में समग्र स्थिति विस्तृत रूप से अपरिवर्तित बनी रही।

¹ 29 अक्टूबर 2004 से रिजर्व बैंक ने एलएएफ परिचालनों के अंतर्गत 'रेपो' और 'रिजर्व रेपो' शब्दों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयोग को अपनाया। तदनुसार, एलएएफ विंडो में रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि के समायोजन (एबसॉरपशन) को 'रिजर्व रेपो' और चलनिधि को शामिल करने को 'रेपो' कहा जाता है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

2.12 25 अक्टूबर 2005 को जारी वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में संकेत दिया गया था कि अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति संबंधी संभावना सहित विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल या अप्रत्याशित गतिविधि उभरने की स्थिति को छोड़कर वर्ष के शेष भाग में मौद्रिक नीति का समग्र बल निम्नप्रकार रहेगा : '(i) मूल्य स्थिरता पर दिए जाने वाले बल के अनुरूप वास्तविक ऋण जरूरतों तथा निर्यात को समर्थन देने एवं अर्थव्यवस्था की निवेश मांग को पूरा करने के लिए यथोचित चलनिधि की व्यवस्था करना; (ii) समष्टि-आर्थिक तथा मूल्यस्थिरता के लिए सहायक ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करने और वृद्धि की गतिशीलता बनाए रखना, तथा (iii) मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को स्थिर बनाने की दृष्टि से उभरती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में अंशांकित तथा तत्परता से उपाय करने पर विचार करना। वर्तमान समष्टि-आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों के परिप्रेष्य में रिजर्व रिपो दर और रिपो दर बढ़ायी गई। ऋण सुपुर्दगी तंत्र में सुधार करने, विवेकशील मानदंडों को सुदृढ़ करने तथा भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार करने के लिए भी कई उपाय किए गए।

2.13 वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य के साथ-साथ रिजर्व बैंक की मध्यावधि समीक्षाओं ने भी वित्तीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए संरचनात्मक और विनियामक उपायों पर भी जोर दिया। मौद्रिक नीति की परिचालन क्षमता में वृद्धि, रिजर्व बैंक की विनियामक भूमिका के पुनर्निर्धारण, विवेकसम्मत मानदंडों के सुदृढ़ीकरण और प्रौद्योगिकी और संस्थागत आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए समय-समय पर नीतिगत कदम उठाए जाते रहे हैं। 2005-06 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में वित्तीय प्रणाली के विभिन्न खण्डों के समेकन, अनुकूल ऋण व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के रिजर्व बैंक के संकल्प को जारी करने पर जोर दिया गया। इस वक्तव्य में भी (i) मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास; (ii) कृषि और लघु उद्योग को ऋण की मात्रा में वृद्धि; (iii) सहकारी बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संस्थागत सुधार; (iv) आम जनता विशेषकर जमाकर्ताओं को अच्छी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर महत्व देने के साथ सभी वर्गों के लोगों को गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने और (v) प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणाली में कार्रवाई संबंधी मुद्दे के संबंध में मध्यावधि रूपरेखा निर्धारित की गई।

सांविधिक पूर्व उपाय

2.14 1991-92 से मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग के बजाय बाजार आधारित साधनों को अपनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसके फलस्वरूप, आरक्षित नकदी निधि अनुपात

(सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) जैसे सांविधिक पूर्व उपायों को उल्लेखनीय तौर पर चरणबद्ध रूप से कम किया गया। एसएलआर को फरवरी 1992 के 38.5 प्रतिशत की सर्वाधिक दर से क्रमिक रूप से कम कर अक्टूबर 1997 तक न्यूनतम 25 प्रतिशत के सांविधिक स्तर तक लाया गया। तथापि, वाणिज्य बैंकों के पास मार्च 2005 के अंत तक निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 38.5 प्रतिशत के उच्चतर स्तर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां थीं। मात्रा के अनुसार एसएलआर से अधिक ऐसी प्रतिभूतियां 2,60,582 करोड़ रु. की थीं।

2.15 रिजर्व बैंक ने सीआरआर को 3.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर तक कम करने के अपने मध्यावधि लक्ष्य का अनुसरण जारी रखा, लेकिन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरआर को 18 सितंबर 2004 से निवल मांग और मीयादी देयताओं के 25 आधार अंकों के दो स्तरों में एक प्रतिशत का आधा बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत और 2 अक्टूबर, 2004 से 5.0 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, सीआरआर के अंतर्गत पात्र नकदी शेष पर दिए जाने वाले लाभों को बैंक दर से अलग कर दिया गया और 18 सितंबर 2004 से उसे कम करके 3.5 प्रतिशत कर दिया गया। सीआरआर में वृद्धि अंशतः प्रणाली से चलनिधि को बाहर निकालने के लिए आवश्यक था परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति संबंधी प्रभावों के संबंध में रिजर्व बैंक की चिंता का संकेत देने के लिए ऐसा किया गया।

ब्याज दर संरचना

2.16 ब्याज दरों का अविनियमन वित्तीय क्षेत्र सुधारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। हाल के वर्षों में ब्याज दरों के अविनियमन से वित्तीय परिवेश की प्रतिस्पर्धा में सुधार आया और मौद्रिक नीति संबंधी प्रणाली की प्रभावोत्पादकता सुदृढ़ बनी। ब्याज दर अविनियमन की क्रमबद्धता ने भी बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद की और संसाधनों के आबंटन की प्रक्रिया को और अधिक दक्षता प्रदान की। यह प्रक्रिया क्रमिक रही है और बैंकिंग प्रणाली बाजार की प्रवृत्ति, वित्तीय अवसरों और सर्वोपरि, अंतर्निहित समष्टि आर्थिक परिस्थितियों के विवेकपूर्ण नियंत्रण को जरूरी साबित किया है। (i) बचत जमा खातों; (ii) अनिवासी भारतीय (एन आर आइ) जमाराशियों; (iii) 2 लाख रुपए तक के अल्प ऋणों, और (iii) निर्यात ऋण को छोड़कर अधिकांशतः ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है।

बैंक दर और रेपो / रिजर्व रेपो दर

2.17 मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण का संकेत देने वाला साधन तैयार करने के उद्देश्य से अप्रैल 1997 में बैंक दर को फिर से सक्रिय किया गया तथा उसे विभिन्न स्थायी सुविधाओं की दरों से जोड़ दिया

बॉक्स II.1 : वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में मुख्य नीतिगत घोषणाएं

1. मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गयी है।
- चलनिधि समायोजन योजना के अंतर्गत फिक्सड रिपो दर और रिवर्स रेपो दर 26 अक्टूबर 2005 से 25 आधार अंक बढ़कर क्रमशः 5.25 प्रतिशत और 6.25 हो गयी है। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो और रेपो दर के बीच का स्प्रेड 100 आधार अंक बनाए रखा गया है।
- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 5.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।

2. ब्याज दर नीति

- भारतीय बैंक संघ से कहा जा रहा है कि वह बैंच मार्क प्राइम लेंडिंग दर (बीपीएलआर) प्रणाली की समीक्षा करें और कर्ज के उचित मूल्य निर्धारण (प्राइसिंग) के लिए पारदर्शी दिशानिर्देश जारी करें।

3. सरकारी प्रतिभूति बाजार

- सरकारी प्रतिभूतियों की अंतः दिवसीय मंदड़िया बिक्री शुरू की जाए।
- एनडीएस-ओएम मॉड्यूल ऐसी सभी बीमा कंपनियों पर लागू किया जाए, जिनके लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है।

4. विदेशी मुद्रा बाजार

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विशेष प्रयोजन संस्था या कोई अन्य संस्था जिसका गठन मूलभूत सुविधा कंपनियों / परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए किया गया है, वित्तीय संस्था माना जाएगी और ऐसी संस्थाओं द्वारा जुटाए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) को अनुमोदित रूट के अंतर्गत माना जाएगा।
- बैंकों को कपड़ा यूनियों के आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए टैक्स्टाइल कंपनियों द्वारा जुटाए गए ईसीबी के संबंध में तत्काल (स्टैंडबाइ) साख पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है।

5. ऋण वितरण व्यवस्था

- वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि वे छोटे और मझोले उद्यमों को ऋण की वृद्धि करने के संबंध में एक नीतिगत पैकेज तैयार करें।
- नाबार्ड में स्थापित किए गए माइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट फंड (एमएफडीएफ) का नाम बदलकर माइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड (एमएफडीईएफ) कर दिया गया है और इसकी आधारभूत निधि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई है। एमएफडीईएफ के कार्य करने की पद्धतियां तैयार की जा रही हैं।
- ग्रामीण ऋण और व्यक्तिगत से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए गठित आंतरिक कार्यकारी दल की रिपोर्ट परीक्षणधीन है।
- आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जानेवाले राहत उपायों के संबंध में एक आंतरिक कार्यकारी समूह का गठन प्रस्तावित है।

6. विवेकपूर्ण उपाय

- कुल पूंजी बाजार जोखिम एकल अथवा समेकित आधार पर बैंक के निवल मूल्य के 40 प्रतिशत तक प्रतिबंधित; समेकित प्रत्यक्ष पूंजी बाजार जोखिम को बैंक के निवल मूल्य का 20 प्रतिशत कर दिया गया है : सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंध प्रणाली रखने वाले बैंक उच्चतर सीमा हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
- 'मानक अग्रिमों' के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा को 0.25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत कर दिया गया। कृषि और छोटे एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष अग्रिमों को अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षा से छूट दी गई है।

- रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के उन पूंजीगत लिखतों की जांच कर रहा है जिन्हें बैंकों के लिए नई पूंजीगत पर्याप्तता रूपरेखा के अंतर्गत अनुमत किया जा सके।

- उन चुनिंदा बैंकों में पर्यवेक्षी समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करना जिनका स्थावर संपदा, उच्च लीवरेज एनबीएफसी, उद्यम पूंजी निधियों और पूंजी बाजार जैसे क्षेत्रों में भारी मात्रा में एक्सपोजर है, ताकि प्रभावी जोखिम प्रशासक और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण के उपाय किए जा सकें।

- व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 'नो फ्रिल्स' खातों वाली एक ऐसी बेसिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएं जिसमें 'शून्य' अथवा बहुत ही अल्प न्यूनतम शेष की अनुमति हो और प्रभार भी अल्पतम या कम हों ताकि ऐसे खातों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुँच हो। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे 'नो फ्रिल्स' खातों की सुविधा का खूब प्रचार करें ताकि व्यापक वित्तीय समावेश सुनिश्चित किया जा सके।

- गैर-बैंकिंग संस्थाओं के साथ टाइ-अप व्यवस्था के अंतर्गत डेबिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति।

7. भुगतान और निपटान प्रणालियां

- तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) में मार्च 2006 के अंत तक 15,000 शाखाओं को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और यह आशा की जाती है कि इसके मासिक लेनदेनों की संख्या एक लाख से बढ़कर दो लाख हो जाएगी।
- निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली देश भर में बैंकों के नेटवर्क से जुड़ी सभी शाखाओं में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।
- चेक ट्रैकिंग प्रणाली के लिए प्रायोगिक परियोजना मार्च 2006 के अंत तक नई दिल्ली में लागू किए जाने की आशा है।
- बैंक अपनी चलनिधि की पूर्ण क्षमता के साथ और प्रभावी ढंग से व्यवस्था कर सकें इसके लिए यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय निपटान प्रणाली को दिसंबर 2005 के अंत तक चार महानगरीय केंद्रों में लागू किया जाए।
- फुटकर भुगतान प्रणाली के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक नई कंपनी गठित करने का प्रस्ताव है जिसके स्वामी और परिचालक बैंक होंगे। इस प्रस्तावित कंपनी के अप्रैल 2006 से काम आरंभ करने की संभावना है।
- बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे आवधिक रूप से अपनी कारोबार निरंतरता योजनाओं की जांच करें और सतत सेवा सुनिश्चित करें।

8. शहरी सहकारी बैंक

- उन शहरी सहकारी बैंकों को करेंसी चेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाए और विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार चलाने हेतु अनुसूचित लाइसेंस (प्राधिकृत व्यक्ति लाइसेंस) जारी किए जाएं जो बहु-प्रदेशीय सहकारी समिति अधिनियम और राज्य अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जहां संबंधित राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करते हुए विनियामक समन्वय का आश्वासन दिया है।
- अभिग्रहणकर्ता शहरी सहकारी बैंक को अभिग्रहीत शहरी सहकारी बैंक से लिए हुए ऋणों को, विलय वर्ष सहित पांच वर्षों के भीतर, परिशोधित करने की अनुमति दी जाए।

9. विनिमय दर सूचकांक का परिकलन - नई श्रृंखला

- भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी नाममात्र प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक को अद्यतन किया है। एनईईआर और आरईईआर की 6 मुद्रा सूचियां और आशोधित 36 मुद्रा सूचियां दिसंबर 2005 की भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित की जाएंगी।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

गया। तथापि, हाल की अवधि में बाजार में अधिकतर उपलब्ध कराई गई चलनिधि, अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो रेट के माध्यम से प्रदान की गई। देखा जाए तो संकेतक दर के रूप में बैंक दर का महत्व कम हो गया है। तदनुसार, रिजर्व बैंक प्रचलित समष्टि आर्थिक परिवेश के अनुरूप बैंक दर घोषित कर रहा है। समष्टि आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा के बाद 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। पिछली बार बैंक दर को 29 अप्रैल 2003 को संशोधित किया गया था जब इसे 25 आधार अंक घटाकर 6.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर लाया गया था।

2.18 2004-05 की मध्यावधि वार्षिक नीति समीक्षा में की गई घोषणा के फलस्वरूप 7 दिवसीय तथा 14 दिवसीय रेपो दर की नीलामियों को 1 नवंबर, 2004 से समाप्त कर दिया गया तथा चलनिधि समायोजन सुविधा योजना अब एक दिवसीय निर्धारित रेपो और रिवर्स रेपो दर के माध्यम से कार्य कर रही है। प्रचलित समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक परिस्थितियों की दृष्टि से 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया गया है कि चलनिधि-समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत दर वाले को 29 अप्रैल, 2005 से 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.00 प्रतिशत किया जाएगा। रिवर्स रेपो दर तथा रेपो दर के बीच के अंतर को भी 25 आधार अंक से घटाकर 100 आधार अंक कर दिया गया। चलनिधि-समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रेपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।

जमा दरें

2.19 वर्तमान में, जमा के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा केवल बचत जमा राशियों और अनिवासी जमा राशियों संबंधी ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं। मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य 2002² में बचत खाते संबंधी ब्याज के अविनियमन के विकल्प की जाँच-परख की गई परंतु इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस प्रकार की जमा राशियों का अधिकांश हिस्सा अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों का है, इसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं समझा गया। तथापि, यह महसूस किया गया कि अविनियमन से बैंकों के लिए बेहतर आस्ति देयता प्रबंधन तथा बचत खाता धारकों को प्रतियोगी मूल्यन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। 2004-05 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में बैंकों को खुदरा देशी मीयादी जमा राशियों (15 लाख रु. तक) की न्यूनतम अवधि को 15 दिनों से घटाकर 7 दिन करने का विवेकाधिकार बैंकों को प्रदान किया गया है।

2.20 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमा राशियों से संबंधित ब्याज दर की उच्चतम सीमा को तदनुसारी विदेशी मुद्राओं के लिबोर दरों से जोड़ा गया है (वर्तमान में जापानी येन को छोड़कर जहाँ अधिकतम सीमा प्रचलित लिबोर दर पर आधारित है, लिबोर से 25 आधार अंक कम है), जबकि अनिवासी बाह्य जमा दरें यूएस डॉलर लिबोर / स्वैप दरों से जोड़कर रखी गई है। 2004-05 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में उच्चतम सीमा को तदनुसारी परिपक्वता के लिबोर / स्वैप दर से 50 आधार अंक बढ़ाकर निश्चित किया गया। बैंकों को अनुमति है कि वे विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमा राशियों तथा अनिवासी जमा राशियों (दोनों) पर मासिक आधार पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

ऋण देने की दरें

2.21 वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जा रही ऋण दरें कतिपय क्षेत्रों, जैसे निर्यात और 2 लाख रु. तक के छोटे ऋणों से संबंधित दरें (संबंधित बैंकों के बीपीएलआर से कम) और विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत है। 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में शेष ब्याज दर निर्धारणों को जनता की विस्तृत बहस के लिए छोड़ देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

2.22 अक्टूबर 1994 में उधार दरों को अविनियमित किया गया और बैंकों से अपेक्षित था कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से निधियों की लागत और लेन-देन लागत को ध्यान में रखते हुए मूल उधार दर (पीएलआर) घोषित करें। 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए मूल उधार दर को न्यूनतम नियत दर बना दिया गया। बाद में, बैंकों को दो पीएलआर - एक अल्पावधि और दूसरा दीर्घावधि ऋणों के लिए - परिचालित करने की अनुमति दी गई। अवधि पर आधारित मूल उधार दर, अर्थात् विभिन्न परिपक्वताओं के लिए पीएलआर की संकल्पना अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई ताकि बैंकों को और अधिक परिचालनगत लचीलापन न मिल सके। तथापि सभी बैंकों के मामले में उधार देने की दरों में काफी अंतर होने लगा तथा बैंकों ने गैर प्रमुख उधारकर्ताओं से पीएलआर से और अधिक दर प्रभारित करना शुरू कर दिया। जमा दरों में गिरावट और समय के साथ-साथ निधियों की लागत में कमी के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पीएलआर के रेंज में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। चूंकि पीएलआर में गिरावट की ठोस प्रवृत्ति लघु और मध्यावधि आकार के उधारकर्ताओं को उचित लागत पर ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा बन गया, इसलिए 2002-03 संबंधी मौद्रिक और ऋण नीति में यह निर्णय लिया गया कि पीएलआर संबंधी जानकारी और बैंक अग्रिमों के

² वार्षिक नीति वक्तव्य 2004-05 से पहले मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य के रूप में जाना जाता था।

संबंध में अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरें, ग्राहकों की सुरक्षा और सार्थक प्रतिस्पर्धा के लिए, पब्लिक डोमेन में रखी जाए। इसके अलावा, पीएलआर में गिरावट की टोस प्रवृत्ति के चलते रिजर्व बैंक ने 29 अप्रैल, 2003 को बेंचमार्क संकल्पना प्रस्तुत की ताकि बैंकों की उधार दरों में पारदर्शिता की आवश्यकता का समाधान किया जा सके और साथ ही ऋणों के मूल्य निर्धारण में निहित जटिलता को कम किया जा सके। चूंकि सभी अन्य उधार दरों को, निर्धारित मीयादी प्रीमियम और / या जोखिम प्रीमियम को गणना में लेते हुए, आधारभूत मूल उधार दर को ध्यान में रखते हुए उधार देने की अन्य सभी दरें निश्चित की जा सकती हैं इसलिए अवधि पर आधारित मूल उधार दर की प्रणाली बंद कर दी गई। नवंबर 2003 में मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने बैंकों को सूचित किया कि बीपीएलआर निश्चित करते समय वे किन विस्तृत मानदंडों का ध्यान रखें। ये मानदंड हैं: (i) निधियों की वास्तविक लागत (ii) परिचालनगत व्यय और (iii) प्रावधानीकरण / पूंजी प्रभार संबंधी विनियामक अपेक्षा को कवर करने के लिए न्यूनतम मार्जिन और लाभ मार्जिन।

2.23 निर्यात ऋण संबंधी ब्याज दरों के संबंध में अप्रैल 2002 के मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य में यह सूचित किया गया था कि 'निर्यात ऋण पर देशी ब्याज दरों को पीएलआर से जोड़कर रखना इन परिस्थितियों में अनावश्यक है क्योंकि रुपए की दृष्टि से निर्यात ऋण पर प्रभावी ब्याज दर पीएलआर से पर्याप्त कम है।' अक्टूबर 2002 की मध्यावधि समीक्षा में निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों को चरणबद्ध रूप से अविनियमित करने का विचार व्यक्त किया गया था ताकि निर्यात के हित में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाई जा सके। तदनुसार 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण पर और 90 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋणों पर पीएलआर से 0.5 प्रतिशत अंक अधिक की उच्चतम सीमा 1 मई 2003 से हटा दी गई। इसके अलावा यह सूचित किया गया कि उदारीकरण पर बाद में विचार किया जाएगा और यह जांच की जाएगी कि बैंकों के बीच बृहतर प्रतिस्पर्धा के लिए, निर्यात ऋण को प्रोत्साहित करने हेतु, क्या 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर उच्चतम सीमा को भी समाप्त कर देना चाहिए। पोतलदान पूर्व (180 दिनों तक) और पोतलदान पूर्व (90 दिनों तक) ऋण के संबंध में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की वर्तमान उच्चतम सीमा 30 अक्टूबर, 2005 तक वैध है।

2.24 2 लाख रुपए तक के छोटे ऋणों से संबंधित ब्याज दर की उच्चतम सीमा को बीपीएलआर से जोड़कर रखा गया ताकि उचित दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही, इस

वजह से भी कि छोटे उधारकर्ताओं के पास ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने की क्षमता सीमित है। इसके विपरीत यह दृष्टिकोण भी है कि (क) ऋण बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उप - बीपीएलआर से नीचे दर पर दिए गए उधार का उच्च अंश और निरंतर बढ़ते हुए विस्तृत आधार वाली ऋण संरचना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, उनके ऋण प्रोफाइल के अनुरूप दर पर ऋण की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है और (ख) उधार देने की दर के विनियमन से छोटे उधारकर्ताओं को दिए जा रहे ऋणों पर एक तरह से लगाम लग गया है और तथा बीपीएलआर में कमी के रुख को बढ़ावा मिला है। निर्यात ऋण पर ब्याज दर के विनियमन से निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी दरों पर निर्यातकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल वातावरण बना है। तथापि, एक और दृष्टिकोण यह भी है कि अर्थव्यवस्था में उधार देने की प्रतियोगी दरों के कारण यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विनियमित ब्याज दर विभिन्न जोखिम प्रोफाइल वाले निर्यातकों के सभी वर्गों को ऋण प्रवाह प्रतिबंधित नहीं करती है।

2.25 वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह संकेत दिया गया कि 'कुछ क्षेत्र, जो अब तक विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कारणों से, अलग-अलग समयों पर प्रासंगिक पाए जाने पर, विनियमित रहे हैं, और अधिक अविनियमित ब्याज दरों द्वारा वित्तीय प्रणाली के क्रियाकलापों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ना अच्छा है, वहीं यह भी प्रस्तावित है कि चूंकि उपर्युक्त विनियमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बहस जारी है, इसलिए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाए।'

3. ऋण वितरण

2.26 रिजर्व बैंक ने बिना किसी प्रक्रियागत समस्याओं के, उचित दरों पर अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त एवं सामयिक वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों को एक सहायक परिवेश उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं। समष्टि मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए मांग प्रबंध के प्रभावों का आकलन करते हुए रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों को समायोजित करते हुए, उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण वृद्धि सुनिश्चित की जाए। ऋण के मात्रा और लागत पर निरंतर सतर्कता बनाए रखने के अलावा, ऋण के अभिनियोजन से संबद्ध गुणवत्ता तथा अन्य कारकों को भी समान रूप से महत्व दिया गया। ऋण वितरण के रास्ते की अड़चनों को दूर करने की नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2004-05 में कई उपाय किए, विशेषकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि, अल्प (लघु) वित्त तथा लघु उद्योगों के संबंध में प्रारंभ की है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार³

2.27 देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने के उपलक्ष्यों को पूरा करते हुए, वे अपने निवल ऋण में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को न्यूनतम क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत का ऋण प्रदान करें तथा इसमें भी जिन देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य से कम है, उनसे अपेक्षित है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्थापित ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आइआरडीएफ) में अंशदान करें। भारत में कार्य कर रहे उन विदेशी बैंकों के संबंध में, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार के लक्ष्य या उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होते हैं, यह अपेक्षित है कि वे इस कमी के समरूप राशि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास जमा करें। यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में कमी से संबंधित ऐसी कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि करने के यथोचित उपाय करें ताकि वे निर्धारित लक्ष्य हासिल कर सकें।

2.28 समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक ऋण को सुनियोजित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विस्तार तथा परिभाषा को इधर कुछ समय में कई नई मर्दानों को शामिल करके और संघटक उप-क्षेत्रों की ऋण सीमा को बढ़ाकर परिष्कृत किया गया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, 2004-05 के दौरान कुछ और उपाय प्रारंभ किए गए। पहला, कृषि उत्पाद (गोदाम रसीदों सहित) का बंधक / दृष्टिबंधक रखकर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। दूसरा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ड्रिप / सिप्रंकलर सिंचाई प्रणालियों सहित कृषि मशीनरी में कारोबार करने वाले को दिए जाने वाले अग्रिम को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तथा अनुषंगी कार्यकलापों के लिए निविष्टियों के वितरण के लिए 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। तीसरा, बैंकों को वे अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के कार्य के भाग के रूप में आवास क्षेत्र को, मकान की स्थिति को ध्यान में लिए बिना, 15 लाख रुपए तक प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। चौथा, बंधक समर्थित जमानत (एमबीएस) के मामलों में बैंकों के निवेश को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के अंतर्गत आवास को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पांचवा, विपत्तिग्रस्त शहरी निर्धनों को उनके गैर संस्थागत उधारदाताओं को

देय समय से पहले ऋण की चुकौती करने के लिए, यथोचित संपार्श्विक अथवा सामूहिक जमानत पर दिए गए ऋण को प्राथमिकता प्राप्त, क्षेत्र के अंतर्गत, कमजोर तबके को दिए गए ऋण की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। छठा, खेल सामग्री से संबंधित उन सात मर्दानों के लिए, जो लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मर्दानों की सूची में हैं, संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश सीमा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकरण प्रयोजन के लिए 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। सातवां, बैंकों से आग्रह किया गया कि विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत दिए जानेवाले अपने प्रत्यक्ष ऋणों को बढ़ाकर 40 प्रतिशत लघु और सीमांत कृषकों को मार्च 2007 तक कर दें। निजी क्षेत्र के सभी बैंकों से भी कहा गया है कि वे ऋण संवितरणों का, कम से कम 20-25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2005-06 के लिए एसएसीपी लक्ष्य निर्धारित करें। आठवां, यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा जारी विशेष बांडों में बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद किये गये निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे और 31 मार्च 2005 तक किए जा चुके ऐसे निवेशों की पात्रता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत चरणबद्ध तौर पर समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है 1 जुलाई 2005 को या उसके बाद बैंकों द्वारा उद्यम पूंजी में किये गये निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे, जबकि ऐसे निवेश जो पहले से ही 30 जून 2005 तक किये जा चुके ऐसे निवेशों की पात्रता 1 अप्रैल, 2006 से प्राथमिकता प्राप्त उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए समाप्त हो जाएगी। अंततः, विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दायित्वों में कमी के लिए सिडबी के पास जमा की गयी राशि के उपयोग की पद्धतियों के मूल्यांकन के संबंध में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता के संबंध में बनाए गए कार्यकारी दल (अध्यक्ष - डॉ. ए.एस.गांगुली) की सिफारिशें रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और तदनुसार वर्तमान योजना की संरचना को संशोधित कर दिया गया है।

ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) के अंतर्गत उधार देने और जमा स्वीकार करने की दरें।

2.29 विभिन्न राज्य सरकारों तथा नाबार्ड द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि आरआइडीएफ IV से VII तक में से 31 अक्टूबर 2003 को या उससे पहले संवितरित राशि के संबंध में उधार देने और जमा स्वीकार करने की दरों को 16 अप्रैल, 2005 से पुनः निर्धारित किया जाए (सारणी II.1)।

³ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कृषि (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों) लघु उद्योग, लघु सड़क और जल परिवहन परिचालन, लघु कारोबार, खुदरा व्यापार, व्यावसायिक तथा स्व-नियोजित व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रयोजित संगठन, शिक्षा, (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों), उपभोग ऋण, सॉफ्टवेयर तथा खाद्य और खाद्य तथा कृषि-संसाधन क्षेत्र तथा बैंकों द्वारा अल्प ऋण जोखिम पूंजी में किया गया निवेश शामिल है।

सारणी II.1: आरआइडीएफ के अंतर्गत उधार देने और जमाराशियां स्वीकार करने की दरें

आरआइडीएफ	बैंकों को देय जमाराशियां (प्रतिवर्ष प्रतिशत)		राज्य सरकारों द्वारा देय उधार दरें (प्रतिवर्ष प्रतिशत)	
	विद्यमान	संशोधित	विद्यमान	संशोधित
1	2	3	4	5
IV	11.5	8.0	12.0	8.5
V	11.5	8.0	12.0	8.5
VI	11.0	8.0	11.5	8.5
VII	कृषि उधार में कमी से संबद्ध ब्याज दर (17 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के बीच है)		10.5	8.0

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी दायित्वों में कमी के बदले सिडबी के पास रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें

2.30 कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त उधार लक्ष्यों में कमी के बदले सिडबी के पास रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें को समग्र लक्ष्य में कमी (निवल बैंक ऋण का 32 प्रतिशत) लघु उद्योग के मामले में या उप लक्ष्य में सकल कमी (10 प्रतिशत) और निर्यात ऋण (12 प्रतिशत), जो भी उच्चतर हो, की सीमा तक उल्टे क्रम में जोड़कर रखा गया (सारणी II.2)। विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में रखी गई जमाराशियों की मीयाद 3 वर्ष होगी।

कृषि तथा अनुषंगी कार्यकलापों हेतु ऋण

2.31 तीन वर्षों में कृषि को ऋण उपलब्धता दुगना करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जून 2004 में की गई घोषणा के अनुरूप केंद्रीय बजट 2005-06 में वर्ष के दौरान कृषि को ऋण की उपलब्धता 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे ऋण पुनर्निर्धारण और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों को नए ऋणों का प्रावधान प्रारंभ करें, लघु और सीमांत कृषकों के लिए एक बारगी निपटान करें, उन कृषकों

को नया वित्त प्रदान करें जिनका पूर्व ऋण समझौता या बट्टे खाते डालने के जरिए निपटाया जा चुका हो, और गैर-संस्थागत उधारकर्ताओं के ऋणी कृषकों के संबंध में राहत उपाय उपलब्ध कराए³। रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि ऋण वितरण की अड़चनों को हटाकर कृषि को ऋण उपलब्धता बढ़ाई जाए। बैंकिंग प्रणाली की ओर से कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण की उपलब्धता संबंधी सलाहकार समिति (अध्यक्ष : प्रो. वी.एस. व्यास) की अधिकांश सिफारिशों को रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है। समिति द्वारा की गई 99 सिफारिशों में से 33 सिफारिशों को जून 2005 के अंत तक स्वीकार व कार्यान्वित कर दिया गया। ये निम्नलिखित से संबंधित हैं : (i) प्रणालियों तथा पद्धतियों के प्रक्रियागत आशोधन तथा युक्तिकरण, (ii) बैंकों द्वारा संबद्ध कृषि मशीनरी विनिर्माताओं के साथ संबंध स्थापन, (iii) परिवार को नकदी की उपलब्धता में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन या निवेश के छोटे उधारकर्ताओं के लिए लचीली परिक्रामी ऋण-सीमा का प्रयोग, (iv) मौखिक पट्टेधारियों के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त देयता समूहों तथा स्वयं सहायता समूह दृष्टिकोणों को सहयोजित करना, (v) स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाते खोलने में होनेवाली कमियों/अस्वीकृतियों से संबंधित समस्याओं को हल करना, (vi) कृषि को खुदरा उधार दिए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफिंग में सुधार, अलग-अलग स्वयं सेवकों, कृषकों के क्लबों या एनजीओ / एसएचजी का प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों के रूप में प्रयोग करना, (vii) सुव्यवस्थित कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और वाणिज्य बैंकों के बीच तालमेल स्थापित करना, (viii) ग्रामीण शाखाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग; (ix) तत्काल चुकौती के लिए यथोचित लाभदायक संरचना तैयार करना, छोटे ऋणों पर ब्याज दरों को उचित स्तर पर रखना; और (x) लघु उधारकर्ताओं को ऋण वितरण की प्रभाविता में सुधार तथा ठेका कृषि के साथ संयोजन।

2.32 कृषि क्षेत्र को और अतिरिक्त ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में निम्नलिखित

सारणी II.2 : सिडबी के पास रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें

क्रम सं.	समग्र लक्ष्य में कमी (निवल बैंक ऋण का 32 प्रतिशत) या लघु उद्योग के मामले में उप लक्ष्य सकल कमी (10 प्रतिशत) और निर्यात ऋण (12 प्रतिशत), जो भी उच्चतर हो	सिडबी के पास रखी गयी समग्र जमाराशि पर ब्याज दर
1	2	3
1.	2 प्रतिशत अंक से कम	बैंक दर (वर्तमान में 6 प्रतिशत)
2.	2 और उससे अधिक, परंतु 5 प्रतिशत अंक से कम	बैंक दर से 1 प्रतिशत अंक कम
3.	5 और उससे अधिक परंतु 9 प्रतिशत अंक से कम	बैंक दर से 2 प्रतिशत अंक कम
4.	9 प्रतिशत अंक और उससे अधिक	घटाकर बैंक दर से 3 प्रतिशत अंक कम

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

उपायों का प्रस्ताव किया गया। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा ऋण वितरण के संबंध में ग्राहक संतुष्टि के मूल्यांकन के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से एक सर्वेक्षण कराया जाए। दूसरा, फसलोत्तर कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद विपणन योजना के माध्यम से कृषकों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमा को प्राथमिकता प्राप्त के अंतर्गत 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए। बैंकों के बीच एक बढ़ती सोच यह है कि कृषि के वित्तपोषण में कारोबारी अवसर ज्यादा हैं। बैंकों से आग्रह किया गया कि कृषि को ऋण प्रदान करने के अपने प्रयासों को वे तेज कर दें।

2.33 कृषि को ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि में निवेश ऋण में वृद्धि करने के लिए एक नीति तैयार करने हेतु रिजर्व बैंक ने निवेश ऋण संबंधी एक विशेषज्ञ दल गठित किया (अध्यक्ष : श्री वाय.एस.पी. थोरात)। इस समूह ने जून 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कई ऐसे कारकों की पहचान की जो कृषि में निवेश वृद्धि को बाधित करते हैं। इनमें लघु सिंचाई में अल्प वृद्धि और कृषि मशीनीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में कमी; सीमित ऋण अवशोषक क्षमता, प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव तथा खराब विस्तार सेवाएं; अपर्याप्त विस्तार सेवाएं;

कृषि संसाधन; भंडारण, गोदाम सुविधा, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए सीमित आधारभूत सुविधा; मंडियों के बाहर खरीद पर प्रतिबंध; मौसम में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव तथा उत्पाद मूल्य उतार-चढ़ाव, अपर्याप्त जोखिम प्रशमन तंत्र; और भू-रिकाडों की अनुपलब्धता शामिल है। इस समूह ने वांछित वृद्धि का स्तर प्राप्त करने के लिए कृषि में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने निवेशों के उचित रूप से व्यवस्थित, समयबद्ध और सही कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया ताकि अच्छा से अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सके। (बॉक्स II.2)।

व्यष्टि वित्त

2.34 देश में स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने का कार्यक्रम प्रमुख व्यष्टि वित्त कार्यक्रम के रूप में उभर कर आया है। तदनुसार, 2005-06 के लिए केंद्रीय बजट में प्रस्तावित है कि 2004-05 के दौरान 2 लाख स्वयं सहायता समूहों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 2005-06 के दौरान 2.5 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण कार्यक्रमों से सहबद्ध किया जाए।

2.35 केंद्रीय बजट 2005-06 में की गई घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋण और व्यष्टि वित्त से

बॉक्स II.2: कृषि में निवेश ऋण के संबंध में गठित विशेषज्ञ दल

समूह की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं,

- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ग्रामीण परिदृश्य में विभिन्न परिवर्तनों की दृष्टि से, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृषि के जिन क्षेत्रों में निवेश ऋण प्रदान करने पर जोर दिया जाता है, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। परंपरागत निवेशों (जैसे भूमि विकास और सिंचाई) के अलावा कृषि उत्पादों की आपूर्ति की समग्र प्रक्रिया के प्रबंधन, कृषि बाजारों में सुधार और कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाओं में सार्वजनिक प्रबंधन की समग्र आपूर्ति श्रृंखला पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
- विधिक प्रावधानों / भू रिकाडों का कम्प्यूटरीकरण, वसूली के संबंध में कानूनी समर्थन, कृषि विपणन में सुधार, समर्थक आधारभूत सुविधा द्वारा ऋण अवशोषी क्षमता में सुधार तथा आधारभूत सुविधा के सुदृढीकरण, विस्तार नेटवर्क के सुदृढीकरण और राज्य सरकारों द्वारा विपणन सुविधाओं को आपस में जोड़े जाने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है।
- नाबार्ड को, मूल्यांकन कौशल में ऋण संस्थाओं के क्षमता निर्माण को सुसाध्य बनाने हेतु, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में, विशेष उपाय करने चाहिए और बाजार या बैंकों से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर संसाधन संगृहीत करके आरआईडीएफ के बाहर ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयुक्त उत्पाद तैयार करने चाहिए।
- कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों तथा बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से जल प्रबंधन नीतियां और जल संग्रहण में निवेश को निर्धारित करना होगा।
- राज्य सरकार और नाबार्ड को सहभागी सामुदायिक परियोजनाओं तथा मृदा संसाधन में निवेश करना होगा ताकि बंजर भूमि और परती भूमि को कृषियोग्य बनाया जा सके।

- संस्थागत ऋण तंत्र के सुदृढीकरण के उद्देश्य से, अल्पावधि-ऋण को मीयादी ऋण के साथ समेकित कर दिया जाए तथा जिन क्षेत्रों में ऋण सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है उन क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं, अनुपूरक ऋण वितरण चैनलों को प्रोत्साहित किया जाए, निगरानी सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाए, विविधीकृत कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाएं, मानवसंसाधन नीतियों की समीक्षा की जाए, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के पूल का मिलजुलकर उपयोग किया जाए और नाबार्ड द्वारा तैयार की गई मॉडल बैंकिंग सहायतायोग्य परियोजनाओं का उपयोग किया जाए।
- अन्य बैंकों के साथ मिलकर रिजर्व बैंक ऋण वितरण के लिए एजेंसी मॉडल अपनाए।
- आरएण्डडी कार्यकलापों के पुनर्विन्यास के लिए, भारत सरकार और / राज्य सरकारें तथा कृषि अनुसंधान और विकास (कार्यों) से संबद्ध संगठन प्रयास करें।
- कृषि के वित्तपोषण में जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उक्त दल ने कई उपाय सुझाये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उचित वित्तीय उत्पाद और पण्य विनिमय केंद्र विकसित करना; (ii) कृषकों की ओर से बैंकों को कार्य करने की अनुमति देना और पण्यों के फ्यूचरों में भाग लेने की अनुमति देना, (iii) शीघ्र नष्ट होनेवाली वस्तुओं की खेती के लिए एक जोखिम निधि स्थापित करना; (iv) निम्न आस्ति - आधारित उधारकर्ताओं के लिए जोखिम कम करने के विशेष पैकेज तैयार करना, (v) मूल्यों की प्रतिरक्षा वाले लिखतों के साथ गोदाम रसीदों का उपयोग करना; (vi) बाजार आसूचना प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; उधारकर्ताओं से संबंधित (vii) जानकारी का आदान-प्रदान; और (viii) बैंकों द्वारा / आरआईडीएफ के माध्यम से वैल्यू चेन के लिए वित्तपोषण करना।

संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक आंतरिक समूह (अध्यक्ष : श्री.एच.आर. खान) गठित किया। समूह ने जुलाई 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समूह ने बताया कि कम सुविधा प्राप्त तथा ग्रामीण निर्धनों को सेवा प्रदान करने के लिए बाह्य उपक्रमों को शामिल करते हुए प्रभावी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है (बॉक्स II.3)। इस दल की सिफारिशों की रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है।

2.36 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जनसंख्या के विशाल क्षेत्रों से बाहर रह जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की और ऐसी नीतियों को लागू

करने की घोषणा की जिनके द्वारा ऐसे बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सके जो व्यापक सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा उन बैंकों की सुविधाएं/ उनके प्रोत्साहनों की मात्रा कम कर दी जाए, जो व्यापक जनसमुदाय (जिनमें अत्यंत गरीब भी शामिल हैं) की बैंकिंग संबंधी जरूरतों के प्रति अनुकूल नजरिया नहीं अपनाते। यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक सेवाओं के स्वरूप, परिघ तथा लागत पर नजर रखी जाए ताकि यह निश्चित किया जा सके कि आम व्यक्ति को मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते समय, प्रत्यक्ष या परोक्ष अस्वीकृति की घटनाएँ तो नहीं हो रही हैं। बैंकों से यह भी अनुरोध

बॉक्स II.3: ग्रामीण ऋण और व्यष्टि वित्त से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए बनाए गए आंतरिक समूह की सिफारिशें

समूह ने महसूस किया कि कम सुविधा प्राप्त तथा ग्रामीण निर्धनों तक, बड़ी संख्या में ग्राहकों *यद्यपि छोटे* तक बढ़ी हुई पहुंच से कारोबार की मात्रा तथा लाभ में बड़े पैमाने पर पर्याप्त वृद्धि होगी क्योंकि निर्धनों के साथ बैंकिंग निश्चय ही लाभदायक कारोबार है। समूह की प्रमुख सिफारिशों नीचे दी गई हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में बचत, ऋण और विप्रेषण, बीमा और पेंशन सुविधाओं सहित व्यापक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समूह ने दो मॉडलों की सिफारिश की है : अर्थात् फेसिलिटेटर (बिजनेस) मॉडल और बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट मॉडल।
- बिजनेस फेसिलिटेटर मॉडल के अंतर्गत यह परिकल्पित है कि बैंक बड़ी मात्रा में सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) और अन्यो को गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में उनकी सहायता के लिए उपयोग कर सकेंगे। फेसिलिटेटर प्रभावी वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के लिए सहायक सेवाएं उपलब्ध कराता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) उधारकर्ता की पहचान, (ii) आवेदन प्राप्त करना, उनका संसाधन और प्रस्तुतीकरण, (iii) प्रारंभिक मूल्यांकन, (iv) बचत सहित अन्य वित्तीय उत्पादों का विपणन, (v) स्वीकृति पश्चात निगरानी, (vi) एसएचजी/संयुक्त देयता समूहों (परिभाषा) को बढ़ाना, और (vii) वसूली के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई।
- एनजीओ, कृषकों के क्लब, कार्यरत सहकारिताएं, कंपनियों के सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित ग्रामीण बाजार (आउटलेट), डाक एजेंट, बीमा एजेंट, अच्छी तरह कार्य करने वाले पंचायत, ग्रामीण बहु प्रयोजन कियोस्क / ग्रामीण जानकारी केंद्र, बैंकों द्वारा वित्तपोषित कृषि-क्लिनिक कारोबार केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) / खादी और ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड की इकाइयां, बिजनेस फेसिलिटेटर के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट मॉडल के अंतर्गत, संस्थागत एजेंट / अन्य बाह्य संस्थाएं, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों की सहायता कर सकती हैं। बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट, कारोबार फेसिलिटेटर मॉडल के अन्य कार्यों के अलावा कम मूल्य वाले ऋण का संवितरण, मूलधन की वसूली/ब्याज संग्रहण और व्यष्टि बीमा/म्यूच्युअल फंड / पेंशन उत्पादों की बिक्री जैसी ऋण से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में 'पास थ्रू' एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में कारगर रही। पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सोसाइटीज/ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एनजीओ - व्यष्टि वित्त संस्थाएं (एमएसीएस), वित्तीय कार्य करने के लिए शासनादेश प्राप्त परस्पर सहायक सहकारी समितियां, कंपनियों के ऐसे ग्रामीण आईटी केंद्र, जिनका अपनी मूल कंपनी के साथ उचित समझौता हो, अच्छी तरह चलने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां तथा डाक घर बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- विनियमित माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के व्यष्टि ऋण संविभाग को नाबार्ड से प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए पात्र बनाया जाए, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के ऋण संबंधी जोखिमों के एक ही प्रकार के होने की बात को दृष्टिगत रखते हुए इन संस्थाओं को चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा इन्हें स्वीकृत अधिकतम ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- नाबार्ड और सिडबी जैसी संस्थाएं माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को प्रारंभ करने के लिए थोक उधार सहायता उपलब्ध करा सकती हैं और यदि व्यवहार्य हो तो राज्य/केंद्र विकास/वित्त निगमों की निधि नाबार्ड के माध्यम से निर्धारित माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को प्रदान की जाए।
- नाबार्ड भारतीय सनदी लेखाकार संस्था से परामर्श कर, प्रोत्साहक पहल के रूप में, स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए लेखांकन मानक विकसित, कूटबद्ध और मानकीकृत करे।
- सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से नाबार्ड, आरआइडीएफ से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त ग्रामीण कियोस्क/ ग्राम सूचना केंद्र स्थापित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे। शेष लागत केंद्र /राज्य सरकारों द्वारा मिलजुलकर वहन की जाए।
- माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के एजेंटों के रूप में कार्य करने और वित्त उपलब्ध कराने में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की मदद करने के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की रेटिंग की जाए। रेटिंग एजेंसियों को यथोचित प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- नाबार्ड, सिडबी और प्रमुख बैंक इक्विटी अंशदानों के जरिए स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियाँ स्थापित करने पर विचार करें। मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों को उनके परिचालनगत घाटे को कवर करने के लिए तीन से पांच वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा इस संबंध में हुए व्यय को माइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट और इक्विटी फंड से पूरा किया जाए।
- जमा स्वीकार न करने वाली माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ राज्य स्तरीय संगठनों की स्थापना करके स्व-विनियमन का प्रयास करें।
- फिलहाल माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के लिए एक अलग और अनन्य विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।
- लेनदेन की उच्च लागत और ऋण की सामयिक उपलब्धता पर जोर दिए जाने पर विचार करते हुए माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा लिए जानेवाले ब्याज की दर और सेवा शुल्क की उच्चतम सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

किया गया है कि वे अपनी विद्यमान प्रक्रियाओं की समीक्षा इस उद्देश्य से करें कि ज्यादा-से-ज्यादा व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं के दायरे के अंतर्गत लाया जा सके। व्यष्टि वित्त गतिविधि को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने संसाधन संग्रहण के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में, व्यष्टि वित्त कार्यक्रमों से संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को स्वचालित माध्यम के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 मिलियन यूएस डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकने की अनुमति प्रदान की।

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण

2.37 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा और बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण प्रवाह पर परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आधार पर 8 दिसंबर 2004 को सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना की समीक्षा की गई और सेवाक्षेत्र दृष्टिकोण की ऋण आयोजना और ऋण प्रबंध जैसी सकारात्मक विशेषताओं को बनाये रखते हुए योजना के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ये शिथिलताएं ग्रामीण उधारकर्ताओं को उनके अपने पसंद के किसी बैंक से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर संस्थागत ऋण प्राप्त करना आसान बनाने के लिए तथा और सार्वजनिक और निजी - दोनों क्षेत्र के बैंकों को एक समान के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए 1989 में प्रारंभ किया गया। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंकों की सभी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं को सामान्यतः भौगोलिक तौर पर निकटस्थ क्षेत्रों में विशिष्ट ग्राम आबंटित किए गए और संबंधित शाखाओं को उनके समग्र विकास और ऋण आवश्यकताओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत उपाय

2.38 दिसंबर 2004 में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से जीवन और संपत्ति को हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजकों को सूचित किया गया कि वे स्थिति का जायजा कर लें तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों को उपयुक्त राहत उपलब्ध कराने के लिए तत्काल उपाय करें। बैंकों के माध्यम से राहत और पुनर्वास

उपायों की प्रगति की निगरानी और स्थिति की निरंतर समीक्षा करने के लिए, और यह देखने के लिए कि क्या कोई और अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता है, 27 दिसंबर 2004 को एक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री वी. लीलाधर) गठित किया गया। उपर्युक्त तीन राज्यों तथा दो संघशासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय बैंकर समितियों की विशेष बैठकें आयोजित की गईं। प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर मत्स्यपालन से संलग्न व्यक्तियों को, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा विशेष उपाय किए गए। कुछ राज्यस्तरीय बैंकर समितियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपभोग ऋण की सीमा को विद्यमान 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया। संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों को सूचित किया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा करने के लिए वे अपने अधिकारियों का एक छोटा दल वहां भेजें।

2.39 इसके अलावा, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुदेश जारी किए गए कि सभी शाखाओं में प्रधान मंत्री राहत निधि में दान प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए तथा ऐसी सारी राशि एकत्र करने के प्रयोजन हेतु एक नोडल शाखा नामित की जाए। केंद्र सरकार ने विशेष सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम चलाने वाली सभी संस्थाओं (राजनैतिक पार्टियों को छोड़कर) को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों से 31 मार्च 2005 तक छूट प्रदान कर दी ताकि वे सुनामी पीड़ितों के राहत के लिए केंद्र सरकार के औपचारिक अनुमोदन के बिना नकद और वस्तु के रूप में विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकें। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि इस संबंध में वे अपनी शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

2.40 रिजर्व बैंक ने संबंधित राज्यों में अपने स्टाफ को अनुमति दी कि वे प्रभावित इलाकों में राहत कार्य प्रारंभ करें। इसके अलावा बैंकों से आग्रह किया गया कि उधारकर्ताओं की पहचान करने में वे उन क्षेत्रों में कार्यरत अच्छे गैर-सरकारी संगठनों की मदद लें तथा प्रभावित व्यक्तियों को बिना किसी जमानत के 5000 रुपए का उपभोग ऋण स्वीकृत करें जिसे 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि नाम मात्र के शेष के साथ बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दें, प्रभावित व्यक्तियों को शैक्षिक ऋण प्रदान करें, चूककर्ता मछुआरों और अन्य उधारकर्ताओं के वित्तपोषण के लिए एक योजना तैयार करें तथा ऐसे पीड़ितों की पहचान करें जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और सरकार द्वारा औपचारिक तौर पर तैयार की गई सूची प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, उन्हें आवश्यक राहत प्रदान करें। केंद्र

सरकार ने सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज की भी घोषणा की जिसके अंतर्गत सुनामी से पीड़ित व्यक्तियों को नाव खरीदने / मरम्मत करने के लिए प्रदान किए गए ऋणों के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, भारतीय बैंक संघ ने भी अपने सदस्य बैंकों को सूचित किया है कि पैकेज के अंतर्गत सूचित ऋणों पर उच्चतम आर्थिक सहायता प्रदान करना सीमित प्रयोजन के लिए था तथा पात्र आर्थिक सहायता को गणना में लेते हुए बैंकों को संपूर्ण इकाई की लागत तक की राशि ऋण उपलब्ध कराने का काम करना चाहिए।

महाराष्ट्र में अप्रत्याशित बारिश तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय

2.41 महाराष्ट्र राज्य में अप्रत्याशित बारिश तथा बाढ़ से जान-माल के हुए भारी नुकसान के परिणामस्वरूप राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक को सूचित किया गया कि वे स्थिति का जायजा लें तथा प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपायों पर रिजर्व बैंक के स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभावित लोगों को यथोचित राहत पहुंचाने के लिए तत्काल उपाय करें। बैंकों का ध्यान विशेष रूप से अप्रत्याशित विपदा से प्रभावित काश्तकारों, स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यापारियों, अत्यंत लघु और लघु औद्योगिक यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की ओर आकर्षित किया गया। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे राज्यों में जहां राज्य सरकारों ने वाणिज्य बैंकों द्वारा ऐसे ऋण दिए जाने के जोखिम, जोखिम निधि स्थापित की है, में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों को रुपए 1,000/- तक सामान्य खपत ऋण प्रदान करें। राज्य की विद्यमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को राज्य के आपदाग्रस्त व्यक्तियों को दी जानेवाली खपत ऋण की सीमा बिना किसी जमानत के 5000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार करने के लिए सूचित किया गया। शाखा प्रबंधक के विवेकानुसार यह सीमा 10,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है जो उधारकर्ता की चुकौती क्षमता पर निर्भर होगी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे प्रस्तावों की अर्थक्षमता को ध्यान में रखते हुए रिहायशी यूनिटों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के प्रयोजन के लिए तथा विपदाग्रस्त टैक्सी, ऑटो रिक्शा परिचालकों सहित छोटे सड़क परिवहन चालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करें। बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं शीघ्रता से पुनः स्थापित करें।

तीव्र भूकंप से प्रभावित जम्मू और कश्मीर राज्य तथा उत्तरी भारत के अन्य भागों में राहत उपाय

2.42 जम्मू और कश्मीर राज्य तथा उत्तरी भारत के अन्य भागों में आए भूकंप से जान माल को हुए भारी नुकसान के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजन बैंक को स्थिति का जायजा लेने तथा रिजर्व बैंक के स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभावित लोगों को यथोचित राहत प्रदान करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी होनेवाले ऐसे किसी विशेष उपायों की सिफारिश करने के लिए बैठक बुलाने के लिए सूचित किया जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को भी आमंत्रित किया गया था। बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं शीघ्रता से पुनः स्थापित करें। बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे राज्यों में जहां राज्य सरकारों ने वाणिज्य बैंकों द्वारा ऐसे ऋण दिए जाने के जोखिम, जोखिम निधि स्थापित किया है, में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों को रुपए 1,000/- तक सामान्य खपत ऋण प्रदान करें। राज्य की विद्यमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को राज्य के आपदाग्रस्त व्यक्तियों को दी जानेवाली खपत ऋण की सीमा बिना किसी संपार्श्विक के 5000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार करने के लिए सूचित किया गया। शाखा प्रबंधक के विवेकानुसार यह सीमा 10,000 रुपए तक बढ़ा दी जा सकती है जो उधारकर्ता की चुकौती क्षमता पर निर्भर होगी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त रिहायशी यूनिटों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करें। रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को भी सूचित किया कि वे भूकंप से प्रभावित रिहायशी यूनिटों के पुनर्निर्माण/ मरम्मत के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करने पर विचार करें।

गोदाम रसीदों और पण्यों के फ्यूचरों की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों की भूमिका

2.43 वर्ष 2004-05 की वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोदाम रसीदों की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों की भूमिका की जांच करने और पण्य के फ्यूचर बाजार में बैंकों की सहभागिता के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए गोदाम रसीद और पण्यों के संबंध में एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री प्रशांत सरन) गठित किया। कार्यकारी दल ने अप्रैल 2005 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि बैंकों को कृषकों को फ्यूचरों पर आधारित उत्पाद देने की अनुमति दी जाए ताकि मूल्य जोखिम से बचाव की व्यवस्था कर सकें (बॉक्स II.4)।

बॉक्स II.4 : गोदाम रसीद और पण्यों के फ्यूचरों के संबंध में गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट

कार्यकारी दल को विस्तृत दिशानिर्देश, मानदंड, सीमाएं, जोखिम प्रबंध प्रणाली के साथ पण्य (डेरिवेटिव) बाजार में बैंकों की सहभागिता को सुसाध्य बनाने के लिए तथा कृषि के वित्तपोषण हेतु गोदाम रसीदों के प्रयोग के लिए एक कानूनी ढाँचा तैयार करने के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- कृषि पण्यों के कारोबार में बैंकों के पहले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्तर पर यह उचित होगा कि कृषि पण्यों में डेरिवेटिव्स में लेन-देन करने हेतु बैंकों को अनुमति दी जाए।
- चूंकि वर्तमान में बैंकों को वस्तुओं के लेन देन की अनुमति नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ओ) के अंतर्गत बैंकों को डेरिवेटिव्स सहित कृषि पण्यों के कारोबार में लेन-देन करने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी करे।
- एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा गोदाम रसीदें इसके धारकों के बीच आसानी से अंतरणीय हों क्योंकि इससे लेन-देन लागत में कमी होगी तथा गोदाम रसीदों का उपयोग बढ़ेगा।
- एक ऐसी सामूहिक संरचना तैयार की जाए जो कृषि पण्यों के कारोबार में संलग्न सभी के लिए एक सीमित उपयोगकर्ता समूह के रूप में कार्य करे। एक से अधिक सीयूजी भी हो सकते हैं जो वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) जैसे विनियामक प्राधिकारी के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे।
- बैंक कृषि पण्यों के डेरिवेटिव्स में स्वामित्व की स्थिति का उपयोग को कृषकों को उधार देने में होने वाले अपने जोखिमों को कम करने में कर सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए उन्हें फ्यूचरों पर ऑप्शन खरीदने होंगे।

- वायदा करार (विनियमन) अधिनियम 1952 को संशोधित किया जाए तथा वायदा बाजार आयोग भारत में कृषि पण्यों में कारोबार करने के लिए ऑप्शनों की खरीद-बिक्री प्रारंभ करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करे।
- स्थूल रूप से बैंकों के ऋण संविभाग से जुड़े पण्यों के फ्यूचरों में बैंकों को स्वतंत्र स्वामित्व की स्थिति रखने की अनुमति दी जाए। तथापि, बैंकों द्वारा उचित जोखिम नियंत्रण उपाय अपनाए जाएं।
- वर्तमान में, भारत में पूर्णतः नकद निपटान ठेके उपलब्ध नहीं हैं। अतः पण्य ठेकों में व्यापार या लेन देन करने वाले बैंकों को भौतिक सामग्री की सुपुर्दगी करने या स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बैंकों को विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय की अपनी स्थिति को अधिमानतः करने से मना किया जाएगा तथा ठेकों का नकद निपटान करने के लिए कहा जाएगा।
- बैंकों को, इस शर्त के अधीन कि वे अपने व्यापारी ग्राहकों को समाशोधन सेवाएं प्रदान करने के कारण कोई ऋण जोखिम का पूर्वानुमान न करें, पण्य विनियम के प्रोफेशनल समाशोधन सदस्य बनने की सामान्य अनुमति दी जाए। कम से कम वर्तमान में बैंकों को पण्य विनियम के द्रो में खरीद-बिक्री करने वाले सदस्यों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- पण्य विनियम के द्रो में बैंकों का इक्विटी हित धारण रखना जारी है ताकि उन्हें वित्तीय सुदृढ़ता तथा स्थिरता प्रदान की जा सके, वे अपनी इक्विटी धारिता को निश्चित समय के दौरान, 5 प्रतिशत के अधिकतम अनुमत स्तर तक कम/समाप्त कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार के हितों के टकराव को टाला जा सके।

लघु और मध्यम आकार वाले उद्योगों को ऋण उपलब्धता

2.44 समग्र अर्थ व्यवस्था में लघु उद्योगों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर रोजगार प्रदान करने की संभाव्यता की दृष्टि से इस क्षेत्र को ऋण उपलब्धता को उच्च प्राथमिकता दी गई है। जबकि बड़े उद्योगों को वित्त के विभिन्न स्रोतों की पहुंच है लघु उद्योग (एसएसआर) क्षेत्र प्रधानतः बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्त पर ही निर्भर है। एसएसआइ इकाइयों को ऋण उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : लघु और अत्यंत लघु उद्यमों की परिभाषा में सुधार करना, इन उद्योगों को परोक्ष वित्त की परिघ को विस्तृत करना, इसमें शामिल हैं: लघु उद्योग और अति लघु उद्यमों की परिभाषा का परिष्करण, इन उद्योगों में परोक्ष वित्तपोषण की संभावनाएं बढ़ाना, विविध क्षेत्रों में निवेश करना, जैसे विशेष बाण्ड, प्रतिभूतिकृत आस्तियां, लाइन ऑफ क्रेडिट, बिल-भुनाई, पट्टा और किराया खरीद, जो प्राथमिकता क्षेत्र हेतु अग्रिमों के लिए पात्र हैं तथा लघु उद्योगों हेतु प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्यों में आशोधन करना। इसके अलावा, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न कार्यदलों

एवं उच्चाधिकार समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में लघु उद्योग क्षेत्र के सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं को अग्रिम देने के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

2.45 रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण प्रवाह के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण प्रवाह से संबंधित एक दल का गठन किया (अध्यक्ष : डॉ.ए.एस. गांगुली)। इस दल ने 30 अप्रैल, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिजर्व बैंक ने अब तक इसकी आठ सिफारिशें स्वीकार की हैं। इनमें शामिल हैं : लघु तथा मझोले उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु नए उद्योग समूहों का पता लगाना और समूह-आधारित दृष्टिकोण अपनाना, विशिष्ट परियोजनाओं को प्रायोजित करना तथा एनजीओ के सफल की मॉडल का खूब प्रचार करना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इन्वेंट्री का उच्च स्तर बनाए रखने हेतु लघु लघु उद्योगों को उच्च कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत करना तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए लिखतों का पता लगाना। कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में लक्ष्य की बाध्यता से कम दिए गए उधार के बदले अंतर राशि को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में

जमा की गई राशि पर ब्याज दरों को पुनःनिर्धारित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2005-06 से जमाराशियों की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है (पैराग्राफ 2.28 देखें)। अन्य एजेंसियों जैसे - लघु उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, लघु उद्योग हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास, भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो मिलिटेड (सिबिल) और भारतीय बैंक संघ से संबंधित सिफारिशों में से सात सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार की गईं तथा तीन सिफारिशों को आंशिक रूप में स्वीकार किया गया है।

2.46 रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों के वित्त पोषण के संबंध में पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक दल का गठन किया था (अध्यक्ष : श्री सी.एस. मूर्ति) जिसका प्रयोजन लघु उद्योग/मझोले उद्यमों के उधार खातों की पुनर्संरचना करने हेतु उपयुक्त तरीका सुझाना तथा बीमार लघु उद्योगों के पोषण हेतु रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जांच करना तथा इन मानदंडों के संबंध में उपयुक्त रियायत एवं उदारता सुझाना था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट जून 2005 में प्रस्तुत कर दी है जिसमें लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्रों में ऋण प्रवाह से संबंधित दिशा निर्देशों को कारगर बनाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं (बॉक्स II.6)।

2.47 रिजर्व बैंक ने वर्ष 2004-05 के दौरान लघु उद्योगों को दिए जाने वाले बैंक उधार में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रथम, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योगों को ऋण आसानी से प्राप्त हो, एकल विंडो के माध्यम से लघु उद्योग उद्यमियों हेतु कंपोजिट ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। द्वितीय, लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋणों के प्रतिभूतिकरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में किए गए निवेशों, जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र को सीधे दिया गया उधार माना जाता है, को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया

प्रत्यक्ष उधार माना जाएगा, बशर्ते कि इस तरह से संगृहीत आस्ति लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण के रूप में हो जिनकी गणना प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत की गई हो तथा प्रतिभूतिकृत ऋण मूलतः बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए हों। तृतीय, गांगुली कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में लक्ष्य की बाध्यता से कम दिए गए उधार के बदले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में जमा की गई राशि पर ब्याज को पुनः निर्धारित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2005-06 से जमाराशियों की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है (देखें पैराग्राफ 2.29)। चतुर्थ, विशिष्ट संस्थाओं द्वारा जारी विशेष बाण्डों में निवेश को जिन्हें प्राथमिकता क्षेत्र उधार के स्तर की मान्यता दी जानी थी, उन्हें और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है। पंचम, खेलकूद सामग्री से संबंधित सात ऐसी मदें जो लघु उद्योग क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए आरक्षित मदों की सूची में हैं, हेतु संयंत्र एवं मशीनरी में किए गए निवेश की सीमा को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत करने के प्रयोजन से 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा, वर्ष 2005-06 के वक्तव्य में एवं उद्योग समूह में स्थित बैंकों एवं सिडबी की शाखाओं के बीच प्रणालीगत संबंध स्थापित करने की योजना के निर्माण हेतु लघु उद्योग एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय बैंक संघ तथा कुछ चुनिंदा बैंकों के परामर्श से “लघु उद्यमी वित्तीय केंद्र (एसइएफसी)” योजना बना ली गई है और उसे कार्यान्वयन के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में परिचालित किया गया है। एक उचित ऋण अभिलेख प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो एक व्यवस्था तैयार कर रहा है ताकि बैंक छोटे और मझोले उद्यमों को देने के लिए ऋणों का मूल्यनिर्धारण कर सकें। छोटे और मझोले उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक सरलीकृत पुनर्संरचना तंत्र तैयार किया गया है और कार्यान्वयन के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित कर दिया गया है।

बॉक्स II.5: लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्रों में ऋण प्रवाह से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु आंतरिक दल की प्रमुख सिफारिशें

दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

- रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में शक्तिसंपन्न समितियां गठित की जाएं जो (क) लघु उद्योग एवं मझोले उद्यमों के वित्तपोषण में हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा करेंगी; (ख) किसी भी अवरोध को दूर करने के लिए अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय का कार्य करेंगी और (ग) यह सुनिश्चित करेंगी कि इस क्षेत्र को सुचारु रूप से ऋण प्राप्त हो।
- बैंक ऐसे निर्दिष्ट उद्योग-समूहों/ केंद्रों में एसएमई (लघु एवं मझोले उद्यम) शाखाएं खोल सकती हैं जहां लघु उद्योगों एवं मझोले उद्यमों का बाहुल्य हो ताकि उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण मिल सके तथा बैंक कार्मिकों में अपेक्षित विशेषज्ञता पैदा हो सके।

- बैंक के बोर्ड को यह अधिकार दिया जाए कि वे कतिपय दिशानिर्देशों के अधीन एसएमई इकाइयों के खातों की पुनर्संरचना करने के संबंध में नीतियां बना सकें। 10 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की सकल ऋण सीमा वाले कारपोरेट लघु उद्योग/ मझोले उद्यम के उधारकर्ताओं के खातों की बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्संरचना को संशोधित कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) विधि के अंतर्गत माना जाएगा।
- बीमार लघु उद्योग की परिभाषा के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देश जारी रहेंगे।
- अर्थसक्षमता से संबंधित सभी अनुदेश और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बीमार लघु उद्योग इकाइयों को दी जाने वाली राहत एवं रियायत के पैरामीटर हटा लिए जाएं और बैंकों को यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से स्वयं के दिशानिर्देश निर्धारित करें।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

2.48 10 अगस्त 2005 को संघ वित्त मंत्री ने लघु एवं मझोले उद्यमों के ऋण को बढ़ाए जाने के लिए संसद में कतिपय उपायों की घोषणा की है जिन्हें सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2005 को सभी सरकारी क्षेत्र को सूचित किया है कि वे वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार लघु एवं मझोले उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह को उसके अनुरूप बनाएं (बॉक्स II.6)। मझोले उद्यमों की बहुलता वाले उद्योग समूहों / केंद्रों में विशेषीकृत एसएमई शाखाएं खोलने और एसएमई शाखाओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू करने जैसे उपायों को छोड़कर ये उपाय सभी निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को सूचित कर दिए गए हैं।

निर्यात ऋण

2.49 निर्यात में वृद्धि की गति को बनाए रखने में निर्यात ऋण के महत्त्व को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन वर्षों में निर्यात

क्षेत्र को समय से एवं बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं। बैंक, निर्यातकों को लदान से पहले और बाद में दोनों स्तरों पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं और निर्यातकों को ऋण सीमा की मंजूरी इस बात पर आधारित होती है कि वित्त देने वाले बैंक की नज़र में निर्यातकों की साख कैसी है और कार्यनिष्पादन कैसा है। निर्यात का वित्तपोषण या तो भारतीय रुपए में या विदेशी मुद्रा में किया जाता है। दोनों प्रकार की लदान पूर्व (180 दिन तक) एवं लदान के बाद (90 दिन तक) के वित्तपोषण हेतु रिजर्व बैंक ब्याज दर की उच्चतम सीमा निर्धारित करता है जिसे बैंक इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं पर लगा सकते हैं। चूंकि रिजर्व बैंक निर्यात ऋण के लिए केवल उच्चतम ब्याज दर निर्धारित करता है इसलिए बैंक अपनी निधियों की वास्तविक लागत, परिचालनगत व्यय, उधारकर्ता /निर्यातक के रिकॉर्ड एवं जोखिम के अंदाजे के आधार पर निर्यातकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बॉक्स II.6: लघु एवं मझोले उद्यमों में ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत उपाय निम्नलिखित हैं :

- ऐसी इकाइयां जिनके संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश लघु उद्योग की ऋण सीमा से अधिक हैं और 10 करोड़ रुपए तक हैं, को मझोले उद्यम माना जाएगा। केवल लघु उद्योग वित्तपोषण को ही प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।
- बैंक, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र को दिए जाने वाले वित्त का अपना लक्ष्य कुछ इस प्रकार निर्धारित करें कि वह अभी पिछले वर्ष में दिए गए वित्त से अधिक हो जबकि अति लघु एवं छोटी इकाइयों को वित्त देने हेतु उप-लक्ष्य का निर्धारण क्रमशः 40 एवं 20 प्रतिशत रखना जारी रख सकते हैं। बैंक नई परिभाषा के अनुसार 31 मार्च 2005 तक की स्थिति के अनुसार लघु एवं मझोले उद्यमों के प्रति बकाया ऋणों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था करें तथा अति लघु, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए अलग-अलग आंकड़े दर्शाएं।
- बैंक, एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाते हुए ऋण की लागत को उद्यम की ऋण रेटिंग से लिंक करते हुए लघु एवं मझोले उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों की लागत को युक्तसंगत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करें।
- बैंक, इस संबंध में सिडबी द्वारा लघु एवं मझोले उद्यमों हेतु प्रस्तावों के जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजन से विकसित किए गए ऋण मूल्यांकन एवं रेटिंग टूल (सीएआरटी) तथा जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) का लाभ उठाने पर विचार कर सकते हैं।
- बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा विकसित रेटिंग्स का भी इस्तेमाल उनकी उपलब्धता के अनुसार करने पर विचार कर सकते हैं तथा जहां कहीं उपयुक्त हो अपनी ब्याज दरों को उधार लेने वाली लघु एवं मझोले उद्यम की इकाइयों को प्रदत्त रेटिंग के हिसाब से निर्धारित करें।
- लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र को औपचारिक तौर पर ऋण की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक इस बात का पूरा प्रयास करें कि वे प्रतिवर्ष अपनी प्रत्येक अर्ध शहरी /शहरी शाखाओं में औसतन 5 नए लघु/मझोले उद्यमों को ऋण कवर उपलब्ध कराएं।

- रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जुलाई 2005 में जारी दिशानिदेशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में वर्तमान नीतियों से अधिक व्यापक एवं उदार नीति बना सकते हैं। जब तक बैंक इस प्रकार की नीति बनाएं तब तक बैंकों द्वारा एसएमई इकाइयों को दिए गए / दिए जाने वाले अग्रिमों पर रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेश लागू रहेंगे।
- लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु अपनाए गए समूह आधारित दृष्टिकोण से होने वाले फायदों को ध्यान में रखते हुए बैंक इसे जोर दिया जाने वाला क्षेत्र समझें और एसएमई वित्तपोषण के लिए उक्त दृष्टिकोण को बढ़चढ़कर अपनाएं।
- एसएमई क्षेत्र की बीमार इकाइयों के पोषण के लिए ऋण पुनर्संरचना विधि तथा 31 मार्च 2004 की स्थिति को बैंकों की बहियों में छोटे आकार के एनपीए खातों के एकबारगी निपटान की (ओटीएस) योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
- लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की समीक्षा हेतु वर्तमान संस्थागत व्यवस्था इस प्रकार है, जैसे, रिजर्व बैंक में स्थायी सलाहकार समिति और संपूर्ण अति लघु क्षेत्र सहित एसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह की समय-समय पर समीक्षा हेतु वाणिज्य बैंकों के प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्रों पर कक्ष बनाए गए हैं।
- बैंक निर्दिष्ट समूहों/केंद्रों में मझोले उद्यमों को तरजीह देते हुए विशिष्ट एसएमई शाखाएं बनाना सुनिश्चित करें ताकि एसएमई उद्यमी आसानी से बैंक ऋण पा सकें तथा बैंक कार्मिकों को अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु सज्जित करें। वर्तमान विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं को एसएमई शाखा का नाम दिया जा सकता है।
- व्यापक प्रसार तथा सहज पहुंच के प्रयोजन से बैंक के मंडलों द्वारा बनाए गए नीतिगत दिशानिदेशों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिदेशों को संबंधित बैंकों की वेबसाइटों एवं सिडबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए। बैंक अपनी प्रत्येक शाखाओं में भी उनके द्वारा उद्यमियों को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं/योजनाओं को समुचित रूप से प्रदर्शित करें।

2.50 हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक ने बदलते परिवेश के साथ निर्यात ऋण का तालमेल बिठाने की दृष्टि से कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : निर्यात ऋण ब्याज दरों का युक्तिकरण एवं उदारीकरण; लदान पूर्व ऋण की चुकौती/ पूर्व चुकौती में नरमी, बड़े मूल्य के निर्यातकों हेतु विशेष वित्तीय पैकेज; कृषि निर्यात हेतु निर्यात वित्त; और बैंकों को इस बात की आजादी कि वे विशेषतया विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी सीमा तक विदेश से निधियां हासिल करें।

2.51 जनवरी 2004 में जारी वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात-आयात नीति 2003-04 के प्रस्ताव के अनुपालन में रिजर्व बैंक ने चुनिंदा बैंकों और निर्यातकों के परामर्श से मई 2004 में एक स्वर्ण कार्ड योजना बनाई थी ताकि बैंक ऋण तक निर्यातकों की पहुंच और भी आसान हो सके, विशेष रूप से लघु एवं मझोले निर्यातकों के लिए तथा इसकी प्रक्रिया और ऋण की शर्तें उधारकर्ता के लिए मैत्रीपूर्ण हों। 4 मार्च 2005 से यह निर्णय किया गया कि यह योजना उन निर्यातकों के लिए लागू नहीं होगी जिन्हें निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) ने काली सूची में डाल दिया है अथवा रिजर्व बैंक की चूककर्ता / सावधनी सूची में डाले गए हैं अथवा पिछले तीन वर्ष से घाटे में हैं अथवा पिछले वर्ष के टर्नओवर के 10 प्रतिशत से अधिक के निर्यात बिल अतिदेय हैं।

2.52 समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री आनंद सिन्हा) गठित किया गया जो इन बातों की समीक्षा करेगा (क) निर्यात ऋण की वर्तमान प्रक्रिया ; (ख) निर्यातकों के संतुष्टि सर्वेक्षण के संबंध में की गई कार्रवाई; (ग) स्वर्ण कार्ड योजना; (घ) अतारांकित (नॉन-स्टार) निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण; तथा (ङ) निर्यात ऋण की वर्तमान ब्याज दर संरचना। कार्यदल ने अपने विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की और वर्तमान ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार के लिए मई 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें की हैं (बॉक्स II.7)।

निर्यात-जमा अनुपात से संबंधित विशेषज्ञ दल

2.53 सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) के अंश के रूप में संघ सरकार ने एक विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष : श्री वाइ.एस.पी. थोरात) की नियुक्ति इस प्रयोजन से की है कि वह इस बात की जांच करे कि विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों में ऋण-जमा अनुपात कम बने रहने का स्वरूप क्या है और इसमें क्या-क्या समस्याएं हैं और इस अनुपात में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाए, विशेष रूप से 37 राज्यों में सुधार लाने के लिए जिसके अनुपात 60 प्रतिशत से कम हैं। इस दल ने 15 फरवरी, 2005 को भारत सरकार को प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में ऋण-जमा अनुपात में सुधार के लिए अनेक सिफारिशें की हैं (बॉक्स II.8)।

बॉक्स II.7: निर्यात ऋण समीक्षा हेतु कार्यदल रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

- हालांकि विद्यमान निर्यात ऋण की वर्तमान प्रक्रिया निर्यातकों के हितों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त है। फिर भी इसके प्रति बैंक अधिकारियों के रवैये में बदलाव की जरूरत है। अधिकारियों की तैनाती के समय बैंक निर्यातकों की ऋण अपेक्षाओं, विशेष रूप से लघु एवं मझोले निर्यातकों की अपेक्षाओं के प्रति अधिकारियों के रवैये का ध्यान रखें।
- बैंक, क्षेत्रीय आंचलिक कार्यालयों तथा अत्यधिक मात्रा में निर्यात ऋण वाली प्रमुख शाखाओं में एसएमई निर्यातकों की ऋण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें।
- बैंक एक नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करें ताकि निर्यात ऋण के आवेदनों, विशेष रूप से एसएमई के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
- बैंक तमाम तरह की पूछताछ सिर्फ एक बार में कर ले न कि थोड़ी- थोड़ी कई बार में जिससे ऋण मंजूर करने में विलंब न हो।
- संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए पर्याप्त आबंटन हो और उनका पूरा इस्तेमाल किया जाए।
- लघु और मझोले निर्यातकों की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा किसी बाहरी एजेंसी से इस बात का 'संतुष्टि सर्वेक्षण' करवाया जाए कि निर्यातक बैंकों की सेवाओं से वे कितने संतुष्ट हैं।

- चूंकि बैंकों द्वारा निर्गत स्वर्ण कार्डों की संख्या काफी कम है इसलिए बैंकों को सूचित किया जाए कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और कार्डों को जारी करने की आसान प्रक्रिया अपनाएं।
- कार्ड की सुविधा सभी पात्र निर्यातकों, खासतौर से एसएमई निर्यातकों को प्रदान की जाए और यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाए।
- लघु और मझोले निर्यातकों के हित में फिलहाल रिजर्व बैंक द्वारा दी गई वर्तमान ब्याज दर संरचना को जारी रखा जाए।
- विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें 25 आधार अंक तक बढ़ाई जाएं (अर्थात् लिबोर + 1.00 प्रतिशत प्रथम स्लैब हेतु तथा अतिरिक्त 2 प्रतिशत द्वितीय स्लैब हेतु) बशर्ते कि यह अभिव्यक्त शर्त हो कि बैंक जेब खर्च की वसूली को छोड़कर किसी भी तरीके से किसी भी नाम में कोई अन्य प्रभार जैसे - सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि नहीं लगाएगा।
- बैंक, गैर-निर्यात उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले विदेशी मुद्रा ऋण की तुलना में निर्यातकों की विदेशी मुद्रा ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें।
- विदेश से उधार लेने से विदेशी मुद्रा के निर्यात ऋण में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस बात का पता लगाए जाने की आवश्यकता है कि क्या इसके लिए एक विनियामक सीमा निर्धारित की जाए ताकि बैंकों को इस प्रयोजन से विदेश से उसी सीमा तक उधार लेने की अनुमति दी जाए।

बॉक्स II.8: ऋण जमा अनुपात से संबंधित विशेषज्ञ दल-प्रमुख सिफारिशें

विशेषज्ञ दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

- जहां किसी जिले में बैंकों के ऋण-जमा अनुपात की निगरानी के लिए यथास्वीकृत ऋण के वर्तमान संकेतक का उपयोग जारी रखना चाहिए, वहीं राज्य और बैंक स्तर पर इसकी निगरानी के प्रयोजन से ऋण को उसकी उपयोगिता के अनुसार सहज बनाना चाहिए।
- राज्य और बैंक स्तर पर ऋण-जमा अनुपात, बैंकों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार की एजेंसियों के बाण्डों में तथा बाण्डों, डिबेंचरों एवं कंपनियों के वाणिज्य पत्रों में किए गए निवेशों में एक घटक के रूप में होना चाहिए।
- राज्य, कार्यान्वयन, निरीक्षण एवं निगरानी की इकाई के रूप में होंगे। जिलों को 20 प्रतिशत से कम, 20-40 प्रतिशत के बीच, 40-60 प्रतिशत तथा

60 प्रतिशत से अधिक के ऋण जमा अनुपात के समूह में संगठित किया जाए।

- ऐसी उप-समितियां जिन्हें राज्य स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की विशेष उपस्थिति के रूप में बनाया गया है, उन जिलों में गठित की जाएं जहां ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। ऐसे जिलों में जहां ऋण-जमा अनुपात 20 प्रतिशत से कम है, कार्यान्वयन हेतु संस्तुत ढांचा वही है जो 40 प्रतिशत से कम ऋण-जमा अनुपात के लिए है, सिवाय इसके कि ऐसे जिले को जिला प्रशासन और अग्रणी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 'ग्रहण' किया जाना है।
- राज्य सरकार इस बात की स्पष्ट वचनबद्धता दे कि वह निर्दिष्ट ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के सृजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और ऐसा वातावरण बनाने में समर्थन देगी जिससे बैंक उधार दे सकें और अपने बकायों को वसूल सकें।

4. विवेकपूर्ण विनियमन

2.54 वित्तीय क्षेत्र के सतत सुधार का एक महत्वपूर्ण तत्व यह रहा है कि एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करते हुए विवेकपूर्ण ढांचे को मजबूत बनाया जाए तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जाए। व्यष्टि-विनियमन से समष्टि-प्रबंध की ओर निदर्शनात्मक तब्दीली से विवेकपूर्ण मानदंडों को और भी अधिक महत्व मिल गया है। हाल के वर्षों में विवेकपूर्ण विनियमन का जोर बैंकों के स्वामित्व एवं संचालन तथा बासल II पर था।

बैंकों का स्वामित्व एवं संचालन

2.55 कई कारणों से बैंकों का स्थान विशिष्ट है। वे प्रचुर मात्रा में गैर संपार्श्विकृत सार्वजनिक निधि को स्वीकार करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं तथा ऋण सृजन के माध्यम से इन निधियों का उत्तोलन करते हैं। बैंक भुगतान प्रणाली का भी नियंत्रण करते हैं। तदनुसार, बैंकों के स्वामित्व और संचालन का विशेष महत्व है। बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 में स्वामित्व तथा संचालन के संबंध में निर्दिष्ट विधिक आदेशों को समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियामक आदेशों का समर्थन प्राप्त होता रहा है। वर्तमान विधिक ढांचा और महत्वपूर्ण वर्तमान प्रथाओं में ये पहलू शामिल हैं जैसे - (i) निदेशक मंडल का गठन, (ii) कंपनी संचालन से संबंधित दिशानिर्देश, (iii) निजी क्षेत्र के बैंकों में फरवरी 2004 में जारी शेयरों के अंतरण / आबंटन की अभिस्वीकृति के संबंध में दिशानिर्देश, और (iv) बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 5 मार्च, 2004 के प्रेस नोट द्वारा निदेशित होता है।

2.56 रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के स्वामित्व एवं संचालन के संबंध में एक व्यापक नीतिगत संरचना का प्रारूप इंटरनेट पर 2 जुलाई 2004 से रखा है। प्रारूप नीति के संबंध में प्राप्त फीड बैक के आधार पर रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 28 फरवरी 2005 को एक व्यापक नीति निर्धारित की है। इस नीतिगत संरचना

दिए गए प्रमुख सिद्धांत सुनिश्चित करेंगे कि (i) परम स्वामित्व एवं नियंत्रण का समुचित विशाखन, (ii) महत्वपूर्ण शेयर धारक, 'चुस्त और दुरुस्त' हैं (शेयरों के आबंटन एवं अंतरण के संबंध में अभिस्वीकृति से संबंधित 3 फरवरी 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार), (iii) निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'चुस्त और दुरुस्त' हैं और टोस कंपनी संचालन सिद्धांतों का पालन करते हैं (जैसा कि 25 जून 2004 के परिपत्र में दिया गया है), (iv) निजी क्षेत्र के बैंक इष्टतम परिचालन और विधिवत स्थिरता हेतु न्यूनतम पूंजी बनाए रखें (प्रारंभ में 200 करोड़ रुपए, इस वचनबद्धता के साथ कि तीन वर्ष के भीतर उसे बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर देंगे / निवल मालियत (सदैव के लिए 300 करोड़ रुपए) कर देंगे), और (v) नीति एवं प्रक्रियाएं पारदर्शी तथा स्पष्ट हैं।

2.57 एक सुव्यवस्थित विशाखीकृत स्वामित्व संरचना प्राप्त करने हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी एकल संस्था अथवा संबंधित संस्थाओं के समूह की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शेयरधारिता अथवा नियंत्रण, निजी क्षेत्र के बैंक की चुकता-पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्तमान में किसी वैयक्तिक संस्था/संबंधित संस्थाओं के समूह द्वारा विद्यमान शेयरधारिता 10 प्रतिशत से अधिक हो तो बैंक से अपेक्षित होगा कि वह शेयरधारिता को स्वीकार्य स्तर तक कम करने हेतु एक समय-सारणी बनाकर दे। कोई भी बैंक जिसकी भारत के किसी अन्य बैंक में शेयरधारिता 5 प्रतिशत से अधिक है, उससे यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी धारिता को स्वीकार्य सीमा तक कम करने के लिए समबद्ध योजना बनाएगा। किसी भी विदेशी बैंक का मूल बैंक जो भारत में विद्यमान है और जिसके पास किसी अन्य संस्था के माध्यम से बैंकिंग समूह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता है, वे भी शेयरधारिता को 5 प्रतिशत तक कम करने के लिए समयबद्ध योजना बनाएंगे। समस्याग्रस्त/ कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना करने अथवा बैंकिंग क्षेत्र के समेकन के हित में रिजर्व बैंक उच्चतर स्तर की शेयरधारिता की अनुमति दे सकता है, जिसमें किसी बैंक द्वारा उच्चतर स्तर की शेयरधारिता रखने की अनुमति शामिल है।

भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी हेतु तरीका

2.58 वर्तमान में, विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों में से केवल एक चैनल के माध्यम से कार्य कर सकते हैं अर्थात् (i) शाखाओं के माध्यम से, (ii) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था, अथवा (iii) एक सहायक संस्था जिसका किसी निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत तक सकल विदेशी निवेश हो। इस क्षेत्र में दिशा तय करने और सुधार प्रक्रिया को गति देने की दृष्टि से तथा 4 मार्च 2004 के वर्तमान दिशानिर्देशों को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित करने हेतु रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के लिए 28 फरवरी 2005 को तरीके जारी किए हैं।

2.59 ये तरीके दो चरणों में बंटे हुए हैं। प्रथम चरण के दौरान मार्च 2005 और मार्च 2009 के बीच, विदेशी बैंक जो पहली बार भारत में अपनी मौजूदगी स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, वे एक विधीय मौजूदगी मानदण्ड अपनाते हुए या तो शाखाओं के माध्यम से कार्य करें अथवा शत प्रतिशत संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था स्थापित करें। नए और विद्यमान विदेशी बैंकों के लिए, यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक वर्ष 12 शाखाओं की वर्तमान डब्ल्यूटीओ वचनबद्धता से आगे बढ़ा जाए। भारत में पहले से कार्य कर रहे बैंकों को यह अनुमति दी जाएगी कि वे संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था स्थापित करके अथवा मौजूदा शाखाओं को संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था में परिवर्तित करके अपनी मौजूदगी स्थापित कर सकते हैं। इस प्रयोजन से, मानदण्ड जैसे स्वामित्व पैटर्न, वित्तीय सुदृढ़ता, पर्यवेक्षीय रेटिंग तथा अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग को विचार में लिया जाएगा। संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था की न्यूनतम पूंजी 300 करोड़ रुपए होगी और उसे सुदृढ़ कंपनी संचालन सुनिश्चित करना होगा। विदेशी बैंकों की मौजूदा शाखाओं के शाखा विस्तार करने तथा वर्तमान डब्ल्यूटीओ वचनबद्धता से आगे जाने की रियायत एवं अन्य बैंक वाले क्षेत्रों में शाखा का विस्तार करने जैसी सुविधा संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था को भी होगी। रिजर्व बैंक बाजार में उसकी पहुंच का भी निर्धारण कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन से संगत राष्ट्रीय मान्यता का परिसीमन तथा अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं एवं देश की अपेक्षाओं के अनुरूप संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था के कार्यों का अन्य उचित परिसीमन कर सकता है। इस चरण के दौरान, पात्र विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारिता अधिग्रहण की अनुमति केवल उन्हीं बैंकों को होगी जिन्हें रिजर्व बैंक ने पुनर्संरचना हेतु निर्दिष्ट किया है। यदि इस बात की पूर्ति होती है कि संबंधित विदेशी बैंक का इस तरह का निवेश, जिस बैंक में निवेश किया गया है उसके सभी स्टेकधारियों के दीर्घकालिक हित में होगा तो रिजर्व बैंक ऐसे अधिग्रहण की अनुमति दे सकता है। यदि ऐसा अधिग्रहण किसी ऐसे विदेशी बैंक द्वारा किया जाता है जो भारत में मौजूद है, ऐसे मामले में उसे 'मौजूदगी का एक रूप' सिद्धांत का पालन करने के लिए अधिकतम छह महीने का समय दिया जाएगा।

2.60 इसका दूसरा चरण प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने तथा बैंकिंग क्षेत्र के सभी स्टेकधारियों से विधिवत परामर्श करने के बाद अप्रैल 2009 में शुरू होगा। इस चरण में तीन ऐसे मुद्दे लिए जाएंगे जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रथम, संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी संस्थाओं के कार्यों से संबंधित सीमाओं को हटाने तथा उन्हें यथा उपयुक्त घरेलू बैंकों के बराबर लाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी और उसे कार्यान्वित किया जाएगा। द्वितीय, विदेशी बैंकों की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाओं को, न्यूनतम परिचालन अवधि पूरा कर लेने पर उनके स्टेक को सूचीबद्ध करने एवं डायल्यूट करने की अनुमति दी जा सकती है जो 5 मार्च 2004 के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी और सहायक कंपनी की चुकता-पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत निवासी भारतीयों द्वारा सदैव धारित किया जाएगा। यह डायल्यूशन या तो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा बिक्री प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा। तृतीय, इस चरण के दौरान, विदेशी बैंकों को भारत में किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक में विलयन तथा अधिग्रहण की अनुमति होगी बशर्ते कि समग्र निवेश की सीमा 74 प्रतिशत हो।

लाभांशों का भुगतान

2.61 बैंकों के कंपनी संचालन और स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू वे सिद्धांत हैं जिनसे शेयरधारकों तथा प्रवर्तकों को लाभांश के भुगतान निर्देशित होते हैं। इन भुगतानों के मानदंडों को और उदार बनाने के प्रयास स्वरूप रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस बात की सामान्य अनुमति दी है कि वे 31 मार्च 2005 को समाप्त लेखा वर्ष से बैंकों के लिए लाभांश घोषित करें जो इन बातों का अनुपालन करेगा (i) पूर्व के दो वर्ष और लेखा वर्ष जिसके लिए लाभांश घोषित किया जाना है, में सीआरएआर (क्रार) का कम से कम 9 प्रतिशत, और (ii) 7 प्रतिशत से कम का निवल एनपीए। यदि कोई बैंक उक्त क्रार मानदंडों को नहीं पूरा कर पाता है, किंतु लेखा वर्ष जिसके लिए लाभांश घोषित किया जाना है, का क्रार कम से कम 9 प्रतिशत हो तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र माना जाएगा बशर्ते कि उसका निवल एनपीए अनुपात 5 प्रतिशत से कम हो। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 तथा 17 के प्रावधानों और रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, साथ ही अनर्जक होती आस्तियों एवं स्टाफ सेवा निवृत्ति लाभ के लिए पर्याप्त प्रावधान करना तथा लाभ को सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित करना होगा। प्रस्तावित लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से किया जाएगा तथा रिजर्व बैंक द्वारा लाभांश घोषित करने हेतु बैंक पर कोई विशेष पाबंदी न लगाई गई हो।

2.62 यह भी निर्धारण किया गया है कि लाभांश भुगतान का अनुपात (वर्ष के दौरान निवल लाभ की तुलना में 'वर्ष में देय लाभांश' (लाभांश कर छोड़कर का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

यदि संबंधित अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल है तो इस असाधारण मद को छोड़ते हुए भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी जिससे विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना हो सके। जिस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है उस वर्ष के वित्तीय विवरण में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी प्रकार की बंदिश नहीं होनी चाहिए जिससे उस वर्ष के दौरान लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि इस आशय की कोई पाबंदी लगाई गई हो तो लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को यथोचित रूप से समायोजित किया जाए। वर्ष 2004-05 में, यदि 'निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों के 4 प्रतिशत से कम हो तो लाभांश भुगतान अनुपात की गणना समायोजित निवल लाभ के अनुसार की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता

2.63 भारत सरकार ने 22 फरवरी 2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता पैकेज जारी किया है जिससे वे भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के समान कार्य कर सकें। इस नए ढांचे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड को और अधिक स्वतंत्रता होगी और वे अपने कार्य बिना किसी बाधा के कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। तथापि, उनके कार्य वर्तमान सांविधिक अपेक्षाओं, सरकारी नीतिगत निर्धारण और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। संशोधित दिशानिर्देशों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे नए कारोबार शुरू करें, कंपनियों अथवा कारोबार का उचित अभिग्रहण करें, जो शाखाएं अर्थक्षम नहीं हैं उन्हें बंद / विलय करें, विदेशों में कार्यालय खोलें, सहायक संस्थाएं स्थापित करें और एक ही प्रकार के कारोबार से बाहर निकलें। इसी प्रकार इन बैंकों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे मानव संसाधन मामलों, जैसे,

स्टाफिंग पैटर्न, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति एवं पेंशन तथा निवेशकों, जमाकर्ताओं और अन्य स्टेकधारियों से संपर्क करने हेतु विदेशों में दौरे के संबंध में निर्णय लें। इसके अलावा, सुदृढ़ बैंकों के निदेशक मण्डलों को इस बात की अतिरिक्त स्वायत्तता होगी कि वे अपनी स्वयं की मानव संसाधन नीतियों के आधार पर वर्गीकरण करने हेतु मानकों के निर्धारण का निर्णय बैंकों पर छोड़ दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिकारियों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व के संबंध में नीति का निर्धारण करने की अनुमति दी गई है।

बैंकों का विलयन और समामेलन

2.64 संयुक्त संसदीय समिति (2002) की सिफारिशों के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कंपनियों के स्वैच्छिक विलयन के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु एक कार्यदल का गठन किया था। तदुपरांत, 11 मई 2005 को निजी क्षेत्र के बैंकों के विलयन / समामेलन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए जिसमें विलय प्रस्ताव प्रक्रिया, स्वैप अनुपात निर्धारण, प्रकटीकरण, और प्रवर्तकों द्वारा विलय प्रक्रिया से पहले तथा उसके दौरान शेयरों की बिक्री/खरीद के मानदंडों के ब्यौरे दिए गए हैं (बॉक्स II.9)। हालांकि ये दिशानिर्देश दो बैंकिंग कंपनियों अथवा एक बैंकिंग कंपनी और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बीच विलयन के लिए हैं, इस दिशानिर्देश के तहत दिए गए सिद्धांत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी यथा उपयुक्त लागू होंगे। यदि एक एनबीएफसी का विलय किसी बैंकिंग कंपनी में प्रस्तावित है तो बोर्ड इस बात की जांच करें कि (i) एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक / सेबी मानदंडों का उल्लंघन तो नहीं किया है या करने की संभावना है और यदि ऐसा है तो समामेलन योजना अनुमोदित किए जाने से पहले इन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए, (ii) एनबीएफसी ने सभी खातों के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए (के वाइ सी) मानदण्ड का पालन किया है, जो समामेलन के बाद बैंकिंग कंपनी के खाते होने वाले हैं, और (iii)

बॉक्स II.9: बैंकों के विलयन तथा समामेलन से संबंधित दिशानिर्देश

विलयन और समामेलन से संबंधित दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का निर्धारण करते हैं :

- समामेलन की प्रारूप योजना दोनों बैंकिंग कंपनियों के प्रत्येक निदेशक मण्डल के कुल सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा व्यक्तिशः अनुमोदित होनी चाहिए।
- निदेशक मण्डल के सदस्य जो समामेलन की प्रारूप योजना को अनुमोदित करते हैं, उनके द्वारा कंपनी संचालन से संबंधित गांगुली कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार प्रसंविदा विलेख पर भी हस्ताक्षर होने चाहिए।
- समामेलन की प्रारूप योजना प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के शेयर धारकों द्वारा ऐसे बहुमत से जिसकी संख्या शेयरधारकों को मूल्य की दो-तिहाई हो, व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में प्रतिनिधि द्वारा संकल्प पारित करके अनुमोदित की जाए।

- स्वैप अनुपात का निर्धारण स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाए जो सक्षम और अनुभवी हो, बोर्ड यह उल्लेख करे कि यह स्वैप अनुपात सही और उचित है।
- असहमत शेयरधारकों को उनके द्वारा धारित शेयरों के लिए संबंधित बैंकिंग कंपनी द्वारा अदा किए जाने वाले मूल्य का निर्धारण रिजर्व बैंक करेगा।
- समामेलन के बाद समामेलित बैंकिंग कंपनी का शेयरधारित पैटर्न और बोर्ड का गठन रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
- जहाँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अनुसार किसी एनबीएफसी का किसी बैंकिंग कंपनी में समामेलन के प्रस्ताव का मामला हो वहाँ बैंकिंग कंपनी समामेलन योजना को उच्च न्यायालय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

एनबीएफसी ने बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा प्राप्त की है और यदि ऐसा है तो क्या ऋण करार एनबीएफसी को इस बात की आशा देता है कि वह संबंधित बैंक / वित्तीय संस्था से प्रस्तावित विलय /समामेलन की सहमति प्राप्त करे।

2.65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, प्रायोजक बैंकों को उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राज्य स्तर पर समामेलित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार, (वित्त मंत्रालय) ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों से परामर्श करने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23.क के अंतर्गत 12 सितंबर 2005 को नौ अधिसूचनाएं जारी की जिनमें 12 सितंबर 2005 से 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छह राज्यों, नामतः बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नौ बैंकों द्वारा प्रायोजित नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समामेलित करने की व्यवस्था दी गई।

2.66 भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण वितरण के एक प्रभावी साधन के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से फरवरी 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक आंतरिक दल (अध्यक्ष : श्री ए.वी. सरदेसाई) इस बात की जांच करने के लिए गठित किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्तमान विधिक ढांचे के भीतर कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं और उन्हें अर्थक्षम ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था कैसे बनाया जाए। जून 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए कई सिफारिशों की हैं (बॉक्स II.10)। पुनर्संरचना के विकल्प, प्रायोजक बैंकों का परिवर्तन, न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं, संचालन

और प्रबंधन, विनियमन और पर्यवेक्षण जैसी दल की मुख्य सिफारिशों को भारत सरकार के विचारार्थ भेज दिया गया है।

बीमा कारोबार

2.67 वर्ष 2004-05 से बीमा कारोबार की परिघ में अन्य बैंकिंग संस्थाओं को शामिल करके उसमें प्रवेश प्रक्रिया को और व्यापक आधार प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2004 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से कंपनी एजेंट के रूप में बिना किसी जोखिम सहभागिता के बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे कतिपय शर्तों जैसे कि सकारात्मक निवल मालियत, विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन, एनपीए 10 प्रतिशत से अधिक न होना, पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ की स्थिति में रहना और कोई हानि संचित न होना पूरी करें। इसके अलावा, कतिपय शर्तों के अधीन, उनसे अनुरोध किए जाने पर, बिना किसी जोखिम सहभागिता के अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से बीमा कारोबार भी करने की उन्हें अनुमति दी गई है।

2.68 बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण से संबंधित विनियमावली के अनुसार और तदुपरांत भारत सरकार की अधिसूचना जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि 'बीमा' एक अनुमत स्वरूप का कारोबार है और इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1)(ण) के अंतर्गत किया जा सकता है, वाणिज्य बैंकों को अगस्त 2000 में जोखिम की सहभागिता के आधार पर बीमा संयुक्त उद्यम गठित करने की अनुमति दी गई और बैंकों एवं उनकी सहायक कंपनियों द्वारा बिना किसी जोखिम सहभागिता के, शुल्क आधार पर बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में

बॉक्स II.10: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित आंतरिक दल

दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यगत अर्थक्षमता में सुधार के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय/समामेलन का मार्ग दो तरीकों से विचार करके तय किया जाए : (i) उसी राज्य में एक ही प्रायोजक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच विलयन, और (ii) उसी राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलयन।
- कुछ मामलों में प्रायोजक बैंक बदलने से संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्पर्धा, कार्य-संस्कृति एवं कार्यकुशलता में सुधार आएगा, जिसके लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र के बैंकों के लिए विचार किया जा सकता है।
- विलयित संस्थाओं और मौजूदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जिन्हें काफी हानि हुई है, हानियों को समाप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जा सकता है ताकि वे न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं (जो प्रारंभ में 5 प्रतिशत रखी जा सकती है) को पूरा कर सकें।
- ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो निर्धारित समय-सीमा, जो 3 से 5 वर्ष हो सकती है, में नहीं उभर पाते हैं तो उन्हें उससे बाहर निकालने के लिए वर्तमान विधिक प्रावधानों के अधीन विचार किया जाए।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया की दुबारा जांच की जाए और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें खुले बाजार से नियुक्त करने की संभावना का पता लगाया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्डों में व्यावसायिकों, जैसे, कृषि विशेषज्ञों और बैंकों को शामिल करके उसे व्यापक आधार प्रदान करते हुए और सुदृढ़ किया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक उपयुक्त भर्ती नीति अपेक्षित है जो उन्हें अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करेगी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त प्रोत्साहन ढांचा, कैरियर प्लानिंग, संबंधित प्रशिक्षण, विशेष रूप से कौशल उन्नयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, तैयार की जानी चाहिए।
- यह उपयुक्त होगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण दोनों कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे म्यूचुअल फंडों/ बीमा कंपनियों के उत्पादों का सक्रिय रूप से वितरण करने पर विचार करें, शाखा नेटवर्क को युक्तिपरक बनाएं, अपने कार्य क्षेत्र में संघीय ऋण (कंसोर्टियम लेंडिंग) में सहभागी बनें।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को करेंसी चेस्ट सुविधा देने और राज्य सरकार की ओर से कर वसूलने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर विचार किया जाए।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार, जून 2000 में, रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी को जोखिम सहभागिता सहित बीमा कारोबार करने हेतु बीमा संयुक्त उद्यम गठित करने की अनुमति दी गई और बिना किसी जोखिम सहभागिता के, शुल्क आधार पर बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में बीमा कारोबार भी करने की अनुमति दी गई। यह सुविधा बाद में नवंबर 2001 से वित्तीय संस्थाओं को भी दे दी गई। अक्टूबर 2002 से वाणिज्य बैंकों को इरडा और रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अपने नेटवर्क के माध्यम से अनुरोध आधार पर बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई। सितंबर 2003 में इसके लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन समाप्त कर दिया गया। अगस्त, 2003 में वित्तीय रूप से सुदृढ़ अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को जिनकी न्यूनतम निवल मालियत 100 करोड़ रुपए है और जो कतिपय अन्य मानदंडों को पूरा करते हों, बिना किसी जोखिम सहभागिता के कंपनी एजेंट के रूप में बीमा कारोबार करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। तदुपरांत फरवरी 2004 में यह निर्णय लिया गया कि रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी को शुल्क आधार पर और बिना किसी जोखिम सहभागिता के कतिपय शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना बीमा एजेंसी कारोबार करने की अनुमति दी जाए।

एक्सपोजर मानदंड

2.69 रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों द्वारा व्यक्तियों को और समूह उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के संबंध में विनियामक सीमाएं निर्धारित की हैं जिससे ऋण एक ही स्थान पर केंद्रित न हो और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशिष्ट उद्योगों अथवा क्षेत्रों के अपने ऋण पर सीमा निर्धारित करें ताकि बेहतर जोखिम प्रबंध सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे शेयरों, डिबेंचरों और बाण्डों में निवेश की जमानत पर अग्रिमों के संबंध में कतिपय सांविधिक एवं विनियामक ऋण सीमा का पालन करें। उच्चतम ऋण सीमा को बैंकों की पूंजीगत निधियों के आधार पर निर्धारित किया गया है। अकेले उधारकर्ता के मामले में लागू सीमा पूंजीगत निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के मामले में 40 प्रतिशत है। किसी समूह के उधारकर्ताओं को ऋण सीमा बैंक की पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के ऋण मानदंड से 10 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) हो सकती है बशर्ते कि यह अतिरिक्त ऋण सीमा मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए हो। अकेले उधारकर्ता को ऋण सीमा बैंक की पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के ऋण मानदंड से 5 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) हो सकती है बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण सीमा मूलभूत सुविधाओं के लिए हो। बैंक, अपवादात्मक परिस्थितियों में, अपने बोर्ड के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता को पूंजीगत निधियों की और 5 प्रतिशत ऋण सीमा मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं।

2.70 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के इक्विटी शेयरों एवं प्राथमिक शेयरों में निवेश जो पूंजी का दर्जा दिए जाने, गौण ऋण लिखत, संकरी ऋण पूंजी लिखत तथा पूंजी के रूप में अनुमोदित अन्य लिखतों के योग्य हो, जो अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हों और निवेशिती बैंक / वित्तीय संस्था के लिए पूंजी का दर्जा रखने हेतु पात्र हो, निवेश करने वाले बैंक की पूंजी निधि (टियर I + टियर II) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। बैंक / वित्तीय संस्थाएं, बैंक के इक्विटी शेयरों में ताजा स्टेक न हासिल करें, यदि इस तरह के अभिग्रहण से निवेश करने वाले बैंक / वित्तीय संस्था की धारिता निवेशिती बैंक की इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक होती है।

2.71 बैंकिंग कारोबार में निहित जोखिमों की पहचान करने, मूल्यांकन करने और उन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपयुक्त जोखिम प्रबंध प्रणाली लागू किए जाने की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में बैंकों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक विभिन्न जोखिमों के संबंध में बैंकों के भले के लिए अनुदेश/ मार्गदर्शी नोट जारी करता रहा है। तथापि, हाल की समीक्षा से पता चलता है कि यद्यपि बैंकों द्वारा आवास क्षेत्र को, खासकर भूमि विकासकर्ताओं एवं भवन निर्माताओं को दिए जाने वाले अग्रिम में वृद्धि हो रही है, उसके साथ-साथ उसमें निहित जोखिमों के प्रबंध के लिए अधिकांश बैंकों द्वारा कोई नियंत्रण प्रणाली नहीं अपनाई गई है। अतः बैंकों के स्थावर संपदा एक्सपोजर के संबंध में जोखिम प्रबंध की स्थिति, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और तुलनपत्र प्रकटन की आगे भी समीक्षा की गई तथा रिजर्व बैंक ने 29 जून 2004 को बैंकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेशों का एक सेट जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में उनके स्थावर संपदा एक्सपोजर के संबंध में बोर्ड द्वारा आदेशित नीति होनी चाहिए। इस नीति में एक्सपोजर सीमा, विचार में लिए जाने वाले संपाश्विक, रखी जाने वाली मार्जिन, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी / स्तर और वह क्षेत्र जिसे वित्त दिया जाना है, शामिल किए जा सकते हैं, हालांकि अलग-अलग बैंकों की वास्तविक सीमा/मार्जिन भिन्न हो सकती है जो प्रत्येक बैंक के संविभाग आकार, जोखिम उठाने की गुंजाइश और जोखिम नियंत्रित करने की योग्यताओं पर निर्भर है। इस नीति में मूल्य संबंधी जोखिम और निगरानी प्रणाली सहित उक्त क्षेत्र में निहित जोखिमों के नियंत्रण हेतु लागू की जाने वाली जोखिम प्रबंधन प्रणाली भी शामिल होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फील्ड स्तर के कार्मिकों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है और यह कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में बैंक का ऋण निर्दिष्ट सीमा के भीतर है। इसके अलावा, बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्थावर संपदा में उनके सकल ऋण तथा स्थावर संपदा में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ऋण के यथा उल्लिखित ब्रेक-अप के ब्योरे दें।

2.72 उद्यम पूंजी के लिए वित्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बैंकों का उद्यम पूंजी में निवेश (सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोजन हेतु डेडिकेटेड उद्यम पूंजी निधियों की इकाइयों सहित) पूंजी बाजार के लिए निर्धारित पिछले वर्ष 31 मार्च को बैंक के कुल बकाया अग्रिमों (वाणिज्य पत्र सहित) के 5 प्रतिशत से अधिक होगा।

2.73 बैंकों को बेजमानती गारंटियों के माध्यम से अपनी वचनबद्धता को सीमित करने के संबंध में दिए गए अनुदेश वापस ले लिए गए हैं ताकि बैंक गैर-जमानती ऋण के संबंध में अपनी स्वयं की नीतियां बना सकें। तरीका और कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से 'गैर-जमानती ऋण' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - ऐसा ऋण जिसमें जमानत का वसूली मूल्य प्रारंभ से ही बकाया ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। 'ऋण' में निधिगत और गैर निधिगत सभी ऋण (हामीदारी और इसी प्रकार की वचनबद्धता) शामिल हैं। 'जमानत' से तात्पर्य है, मूर्त जमानत जो यथोचित रूप से बैंक को प्रभारित हो और इसमें अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे गारंटी तथा कंफर्ट पत्र शामिल नहीं हैं।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन (बासल II मानदण्ड)

2.74 वित्तीय नवोन्मेष और वित्तीय लेनदेन की बढ़ती कठिनाइयों को देखते हुए बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासल समिति ने 26 जून 2004 को नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (बासल II) जारी किया है जो तीन स्तंभों - न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्ष्य समीक्षा और बाजार अनुशासन पर आधारित है। संशोधित ढांचे को इस प्रकार बनाया गया है जिससे बैंकों एवं बैंकिंग प्रणाली को ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए विकल्प उपलब्ध हो सकें ताकि बैंक / पर्यवेक्षक उन तरीकों का चयन कर सकें जो उनके परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हों। संशोधित ढांचे में, बैंकों में अत्यधिक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध प्रथाएं अपनाते को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा है। बासल II के अंतर्गत, बैंकों की पूंजीगत आवश्यकताओं को बैंक के तुलनपत्र में अंतर्निहित जोखिमों को देखते हुए और भी बारीकी से संतुलित (एलाइन) किया जा सकेगा। संशोधित ढांचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता परिचालनगत जोखिम पर जोर देना है (बॉक्स II.11)।

बॉक्स II.11 : विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत परिचालनगत जोखिम का माप

परिचालनगत जोखिम को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है - नुकसान होने का ऐसा जोखिम जो अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के कारण होता है। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है किंतु रणनीतिगत एवं साख्तगत जोखिम शामिल नहीं है। परिचालनगत जोखिम अन्य बैंकिंग जोखिमों से भिन्न होता है, जिसमें इसे विशिष्ट रूप से प्रत्याशित लाभ हेतु प्रतिफल में प्रत्यक्षतः नहीं लिया जाता अपितु यह कंपनी की सामान्य गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होता है और इसमें जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली शक्ति होती है। बासल समिति ने 7 प्रकार की परिचालनगत जोखिम घटनाओं को पहचान की है जिनमें भारी नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं होती हैं। वे इस प्रकार हैं : (i) आंतरिक धोखाधड़ी, (ii) बाह्य धोखाधड़ी, (iii) रोजगार प्रथाएं और कार्यस्थल सुरक्षा, (iv) ग्राहक, उत्पाद और कारोबारी प्रथाएं, (v) भौतिक आस्तियों को नुकसान, (vi) कारोबार में बाधा और व्यवस्थागत असफलता, और (vii) निष्पादन, सुपुर्दगी तथा प्रक्रिया प्रबंधन। इसके फलस्वरूप, बैंक के भीतर किए जाने वाले कारोबार में होनेवाली घटनाओं के अनुसार की संभावनाएं अलग-अलग होती हैं।

विशिष्ट प्रकार के परिचालनगत जोखिमों का प्रबंध कोई नई प्रथा नहीं है। हमेशा से बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण रहा है कि वे धोखाधड़ी से बचने के प्रयास करें, आंतरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता को कायम रखें, लेनदेन प्रक्रियाओं में होने वाली गलतियों को कम करें आदि। तथापि, तुलनात्मक रूप से नई बात यह है कि ऋण जोखिम और बाजार जोखिम की तुलना में परिचालनगत जोखिम प्रबंध पर एक व्यापक प्रथा के रूप में जोर दिया जाए। परिचालनगत जोखिमों के प्रबंध के लिए, बैंक धीरे-धीरे जोखिम मूल्यांकन तकनीकें विकसित करने लगे हैं जो संविभागों के आकार एवं उनकी जटिलताओं, उनके संसाधनों और आंकड़ों की उपलब्धता के अनुरूप हैं।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे ने बढ़ते परिष्करण तथा जोखिम संवेदनशीलता एवं बढ़ती जटिलताओं के 'मापदंड (कंटेन्यूम)' में परिचालनगत जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए विभिन्न विकल्प पैदा कर दिए हैं। परिचालनगत जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए तीन विकल्प इस प्रकार हैं : (क) बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (ख) मानकीकृत दृष्टिकोण और (ग) आधुनिकीकृत गणना दृष्टिकोण।

बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत, जिसका पालन भारत में बैंकों को, चाहे जैसे करना ही है, बैंकों के लिए आवश्यक होगा कि वे एक संकेतक (वर्तमान में धनात्मक

वार्षिक सकल आय प्रस्तावित है) के पिछले तीन वर्ष के निश्चित प्रतिशत (अल्फा द्वारा प्रदर्शित और बीसीबीएस द्वारा 15 प्रतिशत पर निर्धारित) के औसत के बराबर पूंजी परिचालनगत लागत के लिए धारित करें। किसी भी वर्ष में यदि वार्षिक सकल आय के आंकड़े ऋणात्मक अथवा शून्य होते हैं तो औसत की गणना करते समय उसे न्युमरेटर (अंश) और डिनामिनेटर (हर) दोनों से हटा दें।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंकों की गतिविधियों को आठ प्रकार के कारोबार में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक के लिए एक बृहत संकेतक निर्दिष्ट किया गया है ताकि उस क्षेत्र में बैंक की गतिविधियों के आकार और मात्रा का पता चल सके। प्रत्येक कारोबार लाइन के अंतर्गत, पूंजी प्रभार की गणना, संकेतक को उस कारोबार (लाइन हेतु निर्दिष्ट कारक (बीटा) से गुणा करके की जाएगी। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत कुल पूंजी प्रभार की गणना प्रत्येक कारोबार लाइन पर लगाए गए विनियामक पूंजी प्रभारों को जोड़कर की जाएगी।

एक पर्यवेक्षक किसी बैंक को वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) का इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, परिचालनगत, जोखिम पूंजी प्रभार/तरीका वही है जो दो कारोबार लाइन खुदरा बैंकिंग और वाणिज्यिक को छोड़कर बैंकिंग मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए है। इन कारोबार लाइनों में ऋण और अग्रिम को नियत कारक 'एम' से गुणा किया जाता है जो सकल आय को एक्सपोजर संकेतक के रूप में बदल देते हैं। खुदरा और वाणिज्यिक बैंकिंग हेतु बीटा वही इस्तेमाल होंगे जो मानकीकृत दृष्टिकोण में होते हैं।

बासल समिति ने आधुनिकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में अधिक जोर नहीं दिया है, यह बैंक की आंतरिक गणना प्रणाली से प्राप्त परिचालनगत जोखिम के आकलन पर आधारित हो सकते हैं, जो यद्यपि समिति द्वारा निर्धारित गुणात्मक और मात्रात्मक मानकों के अधीन होंगे, अतः ये अन्य दो दृष्टिकोणों की तुलना में जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। वर्तमान में बैंक जिन दृष्टिकोणों का विकास कर रहे हैं उन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है अर्थात् आंतरिक गणना दृष्टिकोण (आइएमए), हानि वितरण दृष्टिकोण (एलडीए) और स्कोरकार्ड दृष्टिकोण। आइएमए दृष्टिकोण प्रत्याशित और अप्रत्याशित हानियों के बीच निश्चित और स्थिर संबंध की स्थापना करता है। आइएमए की गणना आमतौर से एक ऐसे ढांचे पर आधारित है जो बैंक के परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर को कई कारोबार लाइनों एवं अलग-अलग प्रकार की परिचालनगत जोखिम घटनाओं में विभक्त करता है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

2.75 बासल II के अंतर्गत पूंजी बढ़ जाने से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह बैंक द्वारा उठाए जा रहे बढ़ते हुए जोखिमों का समाधान है। जोखिम के समाधान के अन्य तरीकों पर भी विचार किया जाना जरूरी है, जैसे, जोखिम प्रबंध को सुदृढ़ बनाना, आंतरिक तौर पर सीमाएं लागू करना, प्रावधानों एवं आरक्षित निधियों के स्तर को मजबूत करना तथा आंतरिक नियंत्रण को बेहतर बनाना। पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित संशोधित ढांचे के द्वितीय पिलर से अभिप्राय केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि बैंकों के पास जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त पूंजी है, बल्कि बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे जोखिमों की निगरानी के लिए और जोखिमों के प्रबंध के लिए बेहतर जोखिम प्रबंध तकनीकें विकसित करें और उनका उपयोग करें (बॉक्स II.12)।

2.76 बासल II की ओर बाधा-रहित तरीके से बढ़ना सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसमें निहित जटिलताओं के मद्देनजर एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। तदनुसार, 14 बैंकों (सरकारी, निजी और विदेशी) के वरिष्ठ अधिकारियों और रिजर्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों पर आधारित एक संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने बासल II को भारत में कार्यान्वित करने के लिए 15 फरवरी 2005 को दिशानिदेशों का प्रारूप जारी किया है। प्रारूप दिशानिदेशों के अनुसार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत

दृष्टिकोण और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाएं। बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत अवधि प्रणाली का उपयोग किया जाना जारी रहेगा। बैंकों को जोखिम मापने के उन्नत दृष्टिकोण की ओर उन्मुख होने के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेना होगा।

2.77 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), को स्वयं (वैश्विक स्थिति) और समेकित दोनों स्तर पर संशोधित पूंजी पर्याप्तता ढांचा 31 मार्च 2007 से लागू करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संशोधित ढांचे की ओर अबाध रूप से आया जाए और बैंकों को अपनी प्रणालियों एवं रणनीतियों को कारगर बनाने का मौका मिले, भारत के बैंकों से अपेक्षित है कि वे 01 अप्रैल 2006 से संशोधित ढांचे को समानांतर रूप से कार्यान्वित करना शुरू कर दें।

2.78 रिजर्व बैंक ने बासल II की ओर आसानी से जाने हेतु बैंकिंग प्रणाली को तैयार करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। वर्ष 1994 में बैंकिंग कंपनी (अभिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) के माध्यम से भारत और विदेश दोनों स्थानों पर पूंजी जुटाई है। कई सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निजी खरीद मार्ग के माध्यम से टियर- II में शामिल करने के लिए अधीनस्थ ऋण भी जुटा लिए हैं। यह प्रस्ताव है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में

बॉक्स II.12: बासल II और जोखिम प्रबंधन - पिलर II पर विशेष ध्यान

बासल II का पिलर II अर्थात् पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया इस बात को मान्यता देती है कि बैंक प्रबंध की यह जिम्मेदारी है कि वह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करें और ऐसा पूंजी लक्ष्य निर्धारित करें जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल तथा नियंत्रण परिवेश के अनुरूप हो। पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे इस बात का मूल्यांकन करें कि बैंक कितने अच्छे तरीके से जोखिम की तुलना में अपनी पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं और जहां उचित हो वहां हस्तक्षेप करें।

पिलर II के अंतर्गत तीन मुख्य प्रासंगिक क्षेत्र हैं। प्रथम, पिलर I के अंतर्गत आने वाले जोखिम जो पूरी तरह से पिलर I प्रक्रिया द्वारा पकड़ में नहीं आते हैं जैसे-ऋण केंद्रीकरण जोखिम। द्वितीय, कतिपय जोखिम जिनपर पिलर I प्रक्रिया द्वारा विचार नहीं किया जाता है जैसे-बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम, कारोबारी और रणनीति संबंधी जोखिम। तृतीय, बैंक के बाहर के कारक जैसे - कारोबार के जोखिम चक्र के प्रभाव। पिलर II का एक महत्वपूर्ण पहलू बैंकों द्वारा पिलर I के अंतर्गत उच्चतर दृष्टिकोण हेतु निर्धारित न्यूनतम मानदंड एवं प्रकटीकरण के साथ, विशेष रूप से ऋण जोखिम हेतु आंतरिक रेटिंग आधार पर और परिचालनगत जोखिम हेतु उच्च गणना दृष्टिकोण द्वारा निरंतर आधार पर अनुपालन का मूल्यांकन करते रहना है।

बासल समिति ने बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित 4 मुख्य पर्यवेक्षीय समीक्षा सिद्धांत निर्दिष्ट किए हैं। वे इस प्रकार हैं :

- बैंकों के पास उनके जोखिम प्रोफाइल की तुलना में उनकी समग्र पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन की प्रक्रिया और अपने पूंजी स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीति होनी चाहिए। इस मूल्यांकन के मूलभूत तत्त्व में वे नीतियां

एवं क्रियाविधियां शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि बैंक सभी आर्थिक जोखिमों को पहचान सकें, गणना कर सकें और उनकी रिपोर्ट कर सकें - एक ऐसी प्रक्रिया जो पूंजी कजोखिम के स्तर से संबंध स्थापित करती है।

- पर्यवेक्षक, बैंक के आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन एवं रणनीतियों, तथा विनियामक पूंजी अनुपात पर निगरानी रखने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने की उनकी योग्यता की समीक्षा तथा मूल्यांकन करें। पर्यवेक्षक यदि इस प्रक्रिया के परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे उपयुक्त पर्यवेक्षीय कार्रवाई करें। पर्यवेक्षक इस बात का मूल्यांकन करें कि आंतरिक लक्ष्य और प्रक्रियाएं बैंक द्वारा उठाए जा रहे आर्थिक जोखिमों की समस्त श्रेणियों को किस हद तक समाविष्ट कर लेती हैं।
- पर्यवेक्षकों की बैंकों से यह अपेक्षा होनी चाहिए कि बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात से ऊपर रहकर कार्य करें और पर्यवेक्षकों में यह योग्यता होनी चाहिए कि वे बैंक से न्यूनतम से अधिक की पूंजी रखने की अपेक्षा करें। पिलर I की अपेक्षाओं में उन अनिश्चितताओं का प्रतिरोधक होगा जो पिलर I परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं और बैंक को प्रभावित करती हैं। बैंक-विशेष की अनिश्चितताओं को पिलर II के अंतर्गत रखा जाएगा।
- पर्यवेक्षक, प्रारंभिक स्तर पर ही हस्तक्षेप करें ताकि पूंजी न्यूनतम स्तर से नीचे न गिरने पाए क्योंकि यह बैंक विशेष के जोखिम लक्षणों के प्रति सहारा बनती है और यदि पूंजी का स्तर बनाया या बहाल नहीं रखा जाता है तो पर्यवेक्षक तीव्र उपचारात्मक कार्रवाई करें।

उपयुक्त संशोधन करते हुए बैंकों को उनके पूंजी आधार बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार से अधीनस्थ ऋण जुटाने की अनुमति दी जाए। संगामी तौर पर, रिजर्व बैंक ने सिलसिलेवार विनियामक पहल की है जो बासल II के लिए प्रासंगिक है। प्रथम, यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट प्रयास किए गए हैं कि बैंकों के पास उपयुक्त जोखिम प्रबंधन ढांचा हो जो उनकी आवश्यकताओं की ओर उन्मुख हो और जो कारोबार के आकार और जटिलताओं, जोखिम दर्शन, बाजार बोध और पूंजी के अपेक्षित स्तर द्वारा आदेशित हो। द्वितीय, 23 बैंकों में प्रायोगिक आधार पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रारंभ किया गया है। तृतीय, रिजर्व बैंक, बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता रहा है कि वे अपने पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन कार्यक्रम (सीएएपी) को अपनी कारोबार योजना तथा निष्पादन बजट प्रणाली के अनुरूप निश्चित आकार प्रदान करें। इसके और आरबीएस दोनों के अपनाए जाने से बासल II के अंतर्गत पिलर II के उपादान में मदद मिलेगी। चतुर्थ, प्रकटीकरण क्षेत्र (पिलर III) में स्पष्ट सुधार हुआ है, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति और जोखिम प्रोफाइल में काफी पारदर्शिता आई है। इसी प्रकार से, पात्र बैंकों की पहचान करने और उन्हें आइआरबी/उन्नत गणना दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देने के लिए विनियामक की योग्यता सुनिश्चित करने हेतु क्षमता निर्माण को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है।

2.79 परिचालनगत जोखिम के प्रबंध से संबंधित मार्गदर्शी नोट का प्रारूप व्यापक प्रसार और फीडबैक के लिए 11 मार्च 2005 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करके अंतिम मार्गदर्शी नोट 14 अक्टूबर 2005 को जारी किया गया। यह आशा की जाती है कि परिचालनगत जोखिम प्रबंधन की डिजाइन और शिल्प, पूंजी के आकार और उसकी जटिलताओं पर निर्भर करेगा और इस प्रकार बिल्कुल सटीक दृष्टिकोण प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग होगा। इस तरह से, मार्गदर्शी नोट में निर्धारित प्रणाली, क्रियाविधि और उपकरण केवल सांकेतिक हैं।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

2.80 आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में आस्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि वाली आस्तियों में से प्रत्येक आस्तियों हेतु उपयुक्त प्रावधानीकरण आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान के लिए 'विगत देय' की अवधारण को समाप्त कर दिया गया है और मार्च 2004 से एनपीए वर्गीकरण के लिए 90 दिवसीय बकाया मानदंड अपनाया गया है।

2.81 विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ बनाने के प्रमुख उपाय के रूप में बैंकों को मई 2002 में यह सूचित किया गया था कि मार्च

2005 को समाप्त वर्ष से एक आस्ति को संदिग्ध के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह पूर्व के 18 महीने के मानदंड की अपेक्षा 12 महीने अवमानक श्रेणी में रहती है। हालांकि बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि अवमानक से संदिग्ध आस्ति बनने में संक्रमण अवधि 18 महीने से घटाकर 12 महीने कर दिए जाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रावधानीकरण को मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ करके अगले चार वर्षों में, प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत के हिसाब से समाप्त कर दें।

2.82 जून 2004 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को श्रेणीवार उच्च प्रावधानीकरण अपनाने के लिए सूचित किया। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार एनपीए के 60 से 100 प्रतिशत तक के सुरक्षित भाग पर अगले तीन वर्ष में चरणबद्ध रूप से 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से श्रेणीवार उच्च प्रावधानीकरण किया जाना लागू किया है। तथापि, जिन अग्रिमों को 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद 'तीन वर्ष से अधिक संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन पर 100 प्रतिशत प्रावधान निर्धारित किया गया है। उक्त श्रेणी के अंतर्गत एनपीए के असुरक्षित भाग हेतु 100 प्रतिशत प्रावधान की अपेक्षा रखी गई है।

2.83 राज्य सरकारी के गारंटीकृत एक्सपोजर के संबंध में प्रावधान की अपेक्षा को, राज्य सरकार गारंटी प्रारंभ हो जाने से समाप्त कर दिया गया है। अगस्त 2004 में निर्धारित संशोधित मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण, अग्रिम और निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लागू होंगे यदि बैंक को देय ब्याज और/अथवा मूल राशि अथवा कोई अन्य रकम 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष हेतु 180 दिन से अधिक और 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय रहती है।

2.84 बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे इंदिरा आवास योजना और स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत कृषकों को दिए गए ग्रामीण आवास अग्रिमों पर चुकौती तारीखें निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करें कि उन अग्रिमों पर देय ब्याज / किस्त फसल चक्र से जुड़ी हुई हों।

निवेश मानदंड

2.85 बैंकों को 2 सितंबर 2005 से यह अनुमति दी गई है कि वे 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत 25 प्रतिशत की सीमा को पार कर सकते हैं बशर्ते कि बढ़ी हुई सीमा एसएलआर प्रतिभूतियों में हो और 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में रखी गई कुल एसएलआर

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

प्रतिभूतियां उनके डीटीएल के 25 प्रतिशत से अधिक न हों। इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे वर्ष 2004-05 के दौरान एकबारगी रूप में एसएलआर प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अंतरित कर सकते हैं। तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' के अंश के रूप में धारित गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां उसी श्रेणी में बनी रहेंगी और किसी नई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।

2.86 बैंकों को अपने निवेश 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में करने या उससे हटाने की अनुमति वर्ष में एक बार उनके बोर्ड के अनुमोदन पर दी गई है। इसी प्रकार बैंक 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी से निवेश हटाकर 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में कर सकते हैं। निवेश को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी से हटाकर 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में करने के लिए अनुमति केवल अपवादात्मक स्थिति में ही दी जाएगी। शेयरों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण, सभी परिस्थितियों में, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य / बाजार मूल्य, जो भी सबसे कम हो, पर किया जाएगा, और यदि कोई मूल्यहास हो, तो ऐसे अंतरण पर उसका पूरा प्रावधान किया जाएगा।

पूँजी पर्याप्तता मानदंड

2.87 वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुवर्तन में यह निर्णय किया गया था कि बैंकों द्वारा व्यक्तियों को दिए गए आवास ऋणों पर पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन से जोखिम भार 50 से 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ऋण आवासीय संपत्तियों द्वारा पूरी तरह दृष्टिबंधक और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की दृष्टिबंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एनबीएस) में निवेश जो एनएचबी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और पर्यवेक्षित हैं, से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। एचएफसी के एमबीएस मामले में जो 75 प्रतिशत जोखिम भार हेतु पात्र हैं, केवल वही आस्तियां विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों से समर्थित होंगी जो 75 प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं। वाणिज्यिक भू-संपदा एक्सपोजर हेतु जोखिम भार 100 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। साथ ही, उपभोक्ता ऋण, वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्ति पर जोखिम भार को 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत किए जाने का निर्णय किया गया है। चूंकि जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) निरंतर आधार पर बनाए रखना है इसलिए बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि ऊपर निर्दिष्ट जोखिम भार सभी प्रकार के बकाया एक्सपोजर पर लागू होंगे। बाद में, 24 जुलाई 2005 से वाणिज्यिक भू-संपदा में बैंकों के एक्सपोजर पर जोखिम भार निरंतर आधार पर 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया है।

2.88 बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कि वे बाजार जोखिमों के प्रति पूँजी प्रभार बनाए रखने से संबंधित दिशानिदेशों का शीघ्रतापूर्वक अनुपालन कर लें, पूर्व में यह निर्णय किया गया था कि जिन बैंकों ने 'एचएफटी' और 'एएफएस' श्रेणियों हेतु ऋण जोखिम और बाजार-जोखिम दोनों के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के न्यूनतम 9 प्रतिशत तक की पूँजी बनाए रखी है, वे निवेश घट-बढ़ निधि (आइएफआर) में 'एचएफटी' और 'एएफएस' श्रेणियों में शामिल 5 प्रतिशत की प्रतिभूतियों के अलावा जो शेष है उसे टियर I पूँजी के रूप में मानें। उपर्युक्त मानदंड पूरा करने वाले बैंकों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे आइएफआर की उक्त 5 प्रतिशत के अलावा शेष राशि को सांविधिक चलनिधि में अंतरित कर सकते हैं। इस अंतरण को लाभ-हानि समायोजन खाता में 'लाइन के नीचे' मद में दिखाया जाना है।

2.89 बाद में, अक्टूबर 2005 में यह निर्णय लिया गया कि जिन बैंकों ने 'एचएफटी' और 'एएफएस' श्रेणियों हेतु ऋण जोखिम और बाजार-जोखिम दोनों के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के न्यूनतम 9 प्रतिशत तक की पूँजी बनाए रखी है, उन्हें आइएफआर के समस्त शेष को टियर I पूँजी के रूप में मानने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बैंक लाभ और हानि समायोजन खाते में 'निर्दिष्ट रेखा से नीचे रहने वाली' आइएफआर आरक्षित राशि को सांविधिक आरक्षित निधि सामान्य आरक्षित निधि या लाभ हानि शेष खाते में 'एएफएस' या 'एचएफटी' श्रेणियों में मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान में अंतरित कर सकते हैं। किसी वर्ष में अपेक्षित राशि से अधिक पाए जाने की स्थिति में अधिक राशि को लाभ-हानि खाते में जमा किया जाए और इसकी समकक्ष राशि (यदि कोई कर लागू हो तो उसे घटाकर तथा ऐसे अधिक प्रावधान के यथा लागू सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण को छोड़कर) को राजस्व और अन्य आरक्षित धन शीर्ष के अधीन अनुसूची-2 - आरक्षित और अधिशेष में एक निवेश आरक्षित खाते में समायोजित किया जाए तथा यह सामान्य प्रावधान/हानि आरक्षित धन के लिए निर्दिष्ट कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर टियर II के अधीन शामिल किए जाने की पात्र होगी।

पारदर्शिता और प्रकटीकरण

2.90 जब संस्थाएं तथा बाजार सूचित निर्णयों के आधार पर कार्य करती हैं तब वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बढ़ जाती है। सूचना का पर्याप्त प्रकटीकरण अत्यधिक जोखिम उठाने के निवारक के रूप में कार्य करता है और प्रतिकूल चयन तथा नैतिक संकट संबंधी समस्याओं को कम करता है। जमाकर्ता, देनदार और निवेशक जैसे

बाहरी जोखिम धारकों की रुचि से बाजार अनुशासन का बढ़ना प्रतीत होता है। संस्थाओं की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने में समर्थ होने के लिए जोखिमधारियों को सुनिश्चित रूप से पर्याप्त जानकारी देना और उसमें बेहतर पारदर्शिता वांछनीय है। बैंकों द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को उनकी वित्तीय स्थिति से संबंधित पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण का स्तर बढ़ाने के लिए दिशानिदेश जारी किया।

2.91 शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने दिसंबर 2002 में जारी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणी बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय परिणाम के साथ साथ प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। प्रकटीकरण के संवेदनशील स्वरूप और जमाकर्ताओं के हित पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने वित्तीय विनियमन संबंधी स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसीएफआर) और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के परामर्श से संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों की जांच की। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति (1998), मौद्रिक और वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता पर गठित सलाहकार दल (2000) और लोक सेवा की प्रक्रिया तथा निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी समिति (2004) की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा। यह महसूस किया गया कि बैंक पर लगाए गए दंड के विवरण का पब्लिक डोमेन में प्रकटीकरण निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में होगा। तदनुसार, नवंबर 2004 में यह भी निर्णय किया गया कि निरीक्षण रिपोर्ट या अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर की जाने वाली कटु आलोचना या निदेश पब्लिक डोमेन में डाले जाएँ। जहां ऐसे प्रकटीकरण रिजर्व बैंक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के जरिए किए जाएंगे वहीं बैंकों से कहा गया कि वे तुलनपत्र की लेख टिप्पणी में दंड का प्रकटीकरण करें। उक्त नीति 1 नवंबर 2004 से अमल में आई।

2.92 सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं में यह अपेक्षा की जाती है कि बैंकों के निवेश जोखिम तथा जोखिम प्रबंध संबंधी उनकी रणनीति का सार्थक और समुचित प्रकटीकरण किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने व्युत्पाद से विभाग सार्थक प्रकटीकरण करते हैं, वाणिज्य बैंकों को प्रकटीकरण हेतु व्युत्पाद संबंधी जोखिम निवेश के न्यूनतम ढांचे से अवगत कराया गया। दिशानिदेश में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही पहलू शामिल किए गए हैं ताकि व्युत्पाद

संबंधी जोखिम निवेश, जोखिम प्रबंध प्रणाली, उद्देश्य तथा नीति संबंधी सुस्पष्ट चित्र उपलब्ध हो सके। बैंकों से कहा गया कि वे प्रकटीकरण को 31 मार्च, 2005 से तुलनपत्र में 'लेख टिप्पणी' का एक भाग बना लें।

मानक आस्तियों का प्रतिभूतीकरण

2.93 प्रतिभूति बाजार का सुनिश्चित विकास करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 4 अप्रैल, 2005 को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए प्रारूप दिशानिदेश जारी किए। प्रारूप दिशानिदेश में पूंजी पर्याप्तता, मूल्यन, आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि, आय निर्धारण और प्रवर्तकों और सेवा प्रदाताओं यथा ऋण संवर्द्धक, नकदी सहायता करने वालों के लिए प्रावधान और प्रतिभूति लेनदेन के लेखांकन तथा प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लेख किया गया।

2.94 प्रस्तावित दिशानिदेशों के अंतर्गत, किसी लेनदेन को प्रतिभूतीकरण माने जाने के लिए द्विचरणी प्रक्रिया अपनायी पड़ेगी। पहली प्रक्रिया में, आस्तियों का समूहन तथा बैंकपसी रिमोट स्पेशल पर्पज वेहिकल को अंतरित की जानी चाहिए। दूसरे चरण में, प्रतिभूति हित, जिसमें अन्य निवेशक पार्टी को आस्ति समूह से नकदी आवक पर दावा शामिल है, की रिपैकेजिंग और बिक्री की जानी चाहिए। प्रतिभूतीकरण ढांचे में अंतरित आस्तियों को बिक्रेता के तुलन-पत्र से हटाने के लिए आस्तियों अथवा बिक्रेता या प्रवर्तक द्वारा विशेष प्रयोजन संस्था को की गई वास्तविक बिक्री को अलग करना अनिवार्य पूर्वापेक्षा होगी। अतः बिक्रेता/प्रवर्तक और विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के बीच कुछ दूरी बनाए रखनी होगी। यदि अंतरित आस्तियों के मामले में वास्तविक बिक्री मानदंड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आस्ति में बिक्रेता के तुलनपत्र में शामिल आस्ति मानी जाएगी, जिस संबंध में उन आस्तियों से संबंधित सभी लागू लेखांकन तथा विवेकशील अपेक्षाओं के अनुपालन की अपेक्षा की जाएगी। प्रतिभूतीकरण ढांचे में विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) से भी अपेक्षा की जाएगी कि वे उन मानदंडों का अनुपालन करें, जिनसे प्रवर्तक विशेष प्रयोजन संस्था को अंतरित आस्तियों के लिए तुलन पत्र से इतर मदों के लिए उपचार प्राप्त कर सकें तथा सेवा प्रदाता और भार-अंतरण प्रमाण पत्र के निवेशक अपने निवेश के लिए विनियामक उपचार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, प्रतिभूतीकरण के सभी मामलों में विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों की बाह्य क्रेडिट / विशेष प्रयोजन संस्था रेटिंग एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से रेटिंग की जानी चाहिए तथा ऐसी रेटिंग कम-से-कम छमाही आधार पर अद्यतन करना अपेक्षित है।

बैंकों द्वारा अनर्जक आस्ति का प्रबंधन

2.95 रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय सरकार ने अनर्जक आस्ति का स्तर सीमित रखने के लिए अनेक संस्थागत उपायों की शुरुआत की है। इनमें ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), लोक अदालत (जन अदालत), आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) तथा कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) तंत्र शामिल हैं। वाणिज्य बैंकों के क्षेत्रीय तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर निपटानकर्ता सलाहकार समितियां भी बनाई गई हैं। इसके अलावा, बैंक प्रतिभूति हित प्रवर्तन के लिए प्रतिभूतीकरण के सभी मामलों में वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति-हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना नोटिस जारी कर सकते हैं। इस प्रकार, बैंकों को अपनी अनर्जक आस्ति संबंधी समस्याओं का हल करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं।

2.96 अनर्जक आस्तियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने तथा एक स्वस्थ गौण बाजार विकसित करने की दृष्टि से जुलाई 2005 में अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के संबंध में दिशानिदेश जारी किए गए जिनमें प्रतिभूतीकरण कंपनियां तथा पुनर्निर्माण कंपनियां शामिल नहीं हैं। उक्त प्रारूप दिशानिदेशों में निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र : (i) बैंकों द्वारा अनर्जक वित्तीय आस्तियों की, मूल्यांकन तथा मूल्यनिर्धारण पहलू समेत, खरीद/बिक्री संबंधी प्रक्रिया; तथा (ii) आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान, वसूली के लेखांकन, पूंजी पर्याप्तता तथा निवेश मानदंड तथा प्रकटीकरण अपेक्षा संबंधी विवेकशील मानदंड शामिल हैं। दिशानिदेश में अनेक विशेष उपबंध शामिल हैं: (i) बैंक की बहियों में स्थित अनर्जक आस्तियों की अन्य बैंकों को बिक्री तभी की जा सकेगी जब वे विक्रेता बैंक की बहियों में कम से कम दो वर्ष तक अनर्जक आस्ति रहें हो तथा ऐसा विक्रय केवल नकदी आधार पर ही होना चाहिए; (ii) क्रेता बैंक को कोई अनर्जक आस्ति बेचने से पहले कम से कम 15 महीने की अवधि के लिए अपनी बहियों में रखना होगा; (iii) कोई बैंक अनर्जक वित्तीय आस्तियों को केवल 'आश्रय रहित आधार' पर ही अन्य बैंकों से/को खरीद/बेच सकता है; (iv) बैंक सुनिश्चित करें कि अनर्जक वित्तीय आस्ति की अन्य बैंकों को बिक्री करने के बाद बेची गई आस्तियों से उनका कोई लेना-देना नहीं रहेगा तथा बेची गई आस्तियों के संदर्भ में उनका कोई परिचालन, कानूनी या किसी अन्य प्रकार का जोखिम नहीं होगा; (v) बैंक की बहियों में ऐसी अनर्जक वित्तीय आस्ति क्रेता खरीद की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए 'मानक' के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। उसके बाद, उस खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति क्रेता बैंक की बहियों में दर्ज वसूली रिकार्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो उस आस्ति की खरीद के समय अनुमानित नकदी प्रवाह के संदर्भ में

होगी; (vi) अन्य बैंकों से खरीदी गई किसी अनर्जक आस्ति की वसूली पहले अभिग्रहण लागत पर समायोजित की जानी चाहिए। अभिग्रहण लागत की वसूली में प्राप्त अधिक राशि लाभ के रूप में निर्धारित की जा सकता है; (vii) खरीदार बैंक की बहियों में उसी अनुग्राहक (ओब्लाइजर) में किए गए वर्तमान निवेश की आस्ति वर्गीकरण स्थिति ऐसे निवेश की वसूली रिकार्ड से संचालित होती रहेगी और इस कारण वह भिन्न हो सकती है; (viii) बैंकों को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन के लिए, अन्य बैंकों से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्ति के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित करना चाहिए; (ix) यदि खरीदी गई अनर्जक वित्तीय परिसंपत्तियां निवेश हो तो उस पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार भी लागू होगा; तथा (x) क्रेता बैंक को अनुग्राहक (ओब्लाइजर) पर खरीद के लिए किए गए निवेश का परिकलन करने के बाद समुचित ऋण निवेश सीमा (एकल और सामूहिक दोनों) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

कंपनी ऋण पुनर्संरचना तंत्र

2.97 कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) तंत्र की पुनः समीक्षा करने तथा वर्तमान योजना का क्षेत्र बढ़ाने और उसे अधिक कारगर बनाने हेतु उसमें परिवर्तन/सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए एक विशेष दल (अध्यक्ष: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) नियुक्त किया गया। विशेष दल की सिफारिशों के अनुसरण में, कंपनी ऋण पुनर्संरचना संबंधी वर्तमान योजना के संबंध में 6 मई 2005 को जारी प्रारूप दिशानिदेश में काफी आशोधन प्रस्तावित किए गए: (i) योजना में ऐसी कंपनियों को शामिल करना जहां बैंकों और संस्थाओं का बकाया निवेश 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक हो जबकि पहले यह राशि 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक थी; (ii) निर्णय करने की प्रक्रिया को ज्यादा न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से मूल्य की दृष्टि से 75 प्रतिशत लेनदार की सहायता के अलावा संख्या की दृष्टि से 60 प्रतिशत लेनदार की सहायता की अपेक्षा; (iii) पैकेज के अनुमोदन की तारीख से तीन महीने के भीतर पैकेज लागू करने के लिए कंपनी ऋण पुनर्संरचना कक्ष को भेजने की तारीख को विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंड से पुनर्संबद्धता; (iv) आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान की अपेक्षा के संबंध में विनियामक रियायत को पहली पुनर्संरचना तक सीमित करना जहां पैकेज के लिए वापसी सुधार अवधि तथा न्यूनतम त्याग एवं प्रवर्तकों द्वारा निधि के निवेश से संबंधित कतिपय मानदंडों को भी पूरा करना अपेक्षित है; (v) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच आर्थिक त्याग की गणना की पद्धति को अपनाया; (vi) अभिगृहीत गैर एसएलआर लिखतों पर ब्याज या उसके बदले ऐसे लिखतों के बकाया मूल धन और मूल्यन का निधीयन करने के लिए विनियामक उपाय करना; (vii) रिजर्व

बैंक की भूमिका को कंपनी ऋण पुनर्संरचना या व्यापक दिशानिदेश उपलब्ध कराने तक सीमित करना; (viii) तुलन-पत्र संबंधी प्रकटीकरण में वृद्धि; (ix) अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता में समानुपातिक हिस्सेदारी; (x) एकबारगी निपटान (ओटीएस) को कंपनी ऋण पुनर्संरचना तंत्र के एक भाग के रूप में शामिल करना ताकि निकलने का विकल्प काफी लचीला रहे; तथा (xi) कतिपय मामलों में मुख्य दल को जानबूझकर चूक करने वालों पर कार्रवाई करने के विवेकाधिकार।

ऋण वसूली अधिकरण

2.98 बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण के शीघ्र अधिनिर्णय तथा वसूली की दृष्टि से बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) स्थापित किए गए थे। रिजर्व बैंक की सिफरिश पर भारत सरकार ने जुलाई 2004 में ऋण वसूली अधिकरण की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु एक कार्यकारी दल गठित किया है। कार्यकारी दल से अपेक्षित है कि वह क) 10 लाख रुपए से कम के मामलों पर बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम के उपबंध लागू करने, (ख) विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना, (ग) ऋण वसूली अधिकरणों / ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में आशोधन और (घ) कानूनी तथा संस्थागत उपबंध संबंधी मामलों की जांच करे तथा उनके संबंध में समुचित उपाय सिफरिश करे।

लोक अदालत

2.99 रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को लोक अदालत का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए दिशानिदेश जारी किया। दिशानिदेशों के अनुसार बैंक 5 लाख रुपए तक की राशि वाले बैंकिंग विवादों का लोक अदालत मंच के जरिए निपटा सके। साथ ही, बैंकों को अपनी अनर्जक आस्ति कम करने के लिए 10 लाख रुपए और उससे अधिक राशि वाले मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न ऋण वसूली अधिकरण / ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भाग लेने के लिए कहा गया। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से दीवानी न्यायालयों द्वारा आयोजित लोक अदालतों के पास भेजे जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। तदनुसार, 3 अगस्त 2004 को रिजर्व बैंक ने सिविल कोर्टों द्वारा आयोजित लोक अदालतों के पास भेजे जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा पहले के 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी।

धनशोधन निवारण संबंधी दिशानिदेश : प्रस्थिति

2.100 हाल ही के वर्षों में, काले धन शोधन की रोकथाम को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंधों में विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इस संबंध में, आतंकवाद से निपटने के लिए वित्तीय कार्रवाई कृति दल काले धन शोधन की रोकथाम के मानकों के संबंध में की गई सिफरिशों की सीमा में रहते हुए रिजर्व बैंक ने नवंबर 2000 में 'अपने ग्राहकों को जानिए' (केवाईसी) सिद्धांतों पर दिशानिदेश जारी किए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से केवाईसी नीतियां बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर 2005 तक उसके उपबंधों के अनुसार उनका अनुपालन हो जाता है। नीति की मुख्य विशेषताएं काले धन को वैध बनाने की रोकथाम अधिनियम 2000 में यथापेक्षित ग्राहक की स्वीकृति, ग्राहक की पहचान, जोखिम प्रबंध और निगरानी से संबंधित है। संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों के जरिए ग्राहक की पहचान और उसके पते का सत्यापन करना आवश्यक है। बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे जोखिम की अपनी समझ के अनुसार खातों को वर्गीकृत करें। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निम्न आय समूहों के व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान और पता सिद्ध करने की असमर्थता के कारण उनको वित्तीय अपवर्जन नहीं होता है और उन्हें बैंकिंग सेवाओं से और ज्यादा वंचित नहीं किया जाता है, खाता खोलने की एक सरलीकृत प्रक्रिया ऐसे व्यक्तियों के लिए लागू की गई है जो 50,000/- रुपये से अधिक जमा शेष नहीं रखना चाहते और एक वर्ष के दौरान जिनकी संपूर्ण जमा राशि 1,00,000 रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं जिनमें बैंकों में खाता रखने वाले संघों / संगठनों की ओर से विदेशी दान स्वीकारने के संबंध में विदेशी दान (विनियम) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का पालन करने के लिए बैंकों के दायित्वों पर जोर दिया गया।

ग्राहक सेवा

क्रेडिट कार्ड सुविधा

2.101 उपभोक्ता ऋण के कार्ड क्षेत्र की वृद्धि तथा बैंकों और उनके ग्राहकों के हित की रक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने कार्ड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक तंत्र के लिए एक कार्य दल गठित किया। उक्त कार्य दल की रिपोर्ट अप्रैल 2005 में पब्लिक डोमेन में प्रसारित की गई। उक्त कार्य दल की रिपोर्ट पर मीडिया, जनता और अन्य से प्राप्त प्रतिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने जून 2005 में सभी वाणिज्य बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के उनके क्रेडिट कार्ड

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

परिचालन के संबंध में क्रेडिट कार्ड पर प्रारूप दिशानिदेश तैयार किया।

2.102 प्रारूप दिशानिदेशों में ऐसे व्यापक मानदंड प्रस्तुत किए गए हैं जिनको बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना है : (क) अत्यधिक महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीसी) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए क्रेडिट जारी करने, (ख) ग्राहकों पर लागू ब्याज दर तथा अन्य प्रभार, (ग) गलत बिलिंग के लिए निवारक तंत्र, (घ) क्रेडिट कार्ड के विविध परिचालन के आउटसोर्सिंग के लिए प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों तथा अन्य एजेंटों के उपयोग, (ङ) उपभोक्ता अधिकार विशेषतः निजता (प्राइवसी), ग्राहक गोपनीयता, तथा ऋण वसूली में उचित व्यवहार के अधिकार की रक्षा, (च) ग्राहक की शिकायतों के निवारक उपाय, तथा (छ) बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के क्रेडिट कार्ड परिचालन के आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली।

2.103 प्रारूप दिशानिदेशों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक बैंक/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के साथ क्रेडिट कार्ड परिचालन के लिए एक सुलिखित नीति तथा उचित व्यवहार संहिता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) भारतीय बैंक संघ द्वारा मार्च 2005 में क्रेडिट कार्ड परिचालन पर जारी उचित व्यवहार संहिता उपयोग भी कर सकते हैं। तथापि, बैंकों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की संहिता में रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रारूप दिशानिदेश में अंतर्निष्ठ संगत निदेश अनिवार्यतः शामिल की जानी चाहिए।

उपभोक्ता सेवा बोर्ड/स्थायी समिति की ग्राहक सेवा समिति

2.104 रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2003 में सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया और निष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थाई समिति (अध्यक्ष: श्री एस. एस तारापोर) बनाई की थी। समिति ने चार रिपोर्ट, यथा कारोबार संबंधी रिपोर्ट, विदेशी मुद्रा संबंधी सरकारी कारोबार, बैंकिंग परिचालन तथा मुद्रा प्रबंध संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए गवर्नर के 14 अगस्त 2004 के पत्र द्वारा सभी सरकारी क्षेत्र/ निजी क्षेत्र बैंकों और चुनिंदा विदेशी बैंकों से कहा गया कि वे बैंकिंग तंत्र में कंपनी संचालन ढाँचे को सुदृढ़ करने तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बनाएँ। इसके अलावा समिति की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 2005 में बैंकों से कहा गया कि वे वर्तमान तदर्थ समितियों को स्थायी ग्राहक सेवा समितियों के रूप में परिवर्तित करे। यह महसूस किया गया कि तदर्थ समितियों को एक स्थायी समिति बनाते समय यह देखे कि वह

विभिन्न विभागों को ध्यान में रखे बिना कार्यान्वयन प्रक्रिया संचालित करने वाली और सुसंगत प्रतिसाद देने वाली व्यक्ति स्तरीय कार्यकारी समिति के रूप में कार्य कर सके जबकि बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति निगरानी रखेगी तथा पहल की समीक्षा/में आशोधन करेगी। इस प्रकार, ये दो समितियाँ एक दूसरे की सहायता कर सकेंगी।

बैंकिंग लोकपाल

2.105 बैंकिंग लोकपाल योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने की दृष्टि से अप्रैल 2005 में बैंकों से कहा कि बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त परिवार/ शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका अदा करे। इसके अलावा, बैंकिंग लोकपाल का निर्णय तत्काल लागू करने और उसमें उच्चतम प्रबंध तंत्र का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से यह भी कहा गया कि वे i) ग्राहक सेवा समिति के सम्मुख सभी निर्णय रखें ताकि वह निर्णयों में निर्दिष्ट बैंकों में विद्यमान सर्वांगीण त्रुटियों, यदि हो, को दूर कर सके; और ii) ग्राहक सेवा समिति के समक्ष तीन महीने से अधिक समय से लागू नहीं किए गए शेष सभी निर्णय कारण सहित रखें ताकि वह बोर्ड को बिना किसी वैध कारण के लागू करने में हुए ऐसे विलम्ब से अवगत करा सके तथा आवश्यक निवारक कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड

2.106 सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया तथा निष्पादन लेखापरीक्षा स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि एक स्वतंत्र संस्था के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की जाए परंतु रिजर्व बैंक द्वारा उसे पूरा समर्थन दिया जाए और उसका पूर्ण निधीयन भी किया जाए। तदनुसार, 2005-06 के वार्षिक नीतिगत विवरण में यह प्रस्ताव किया गया था कि ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ यू के की बैंकिंग संहिता के अनुरूप एक स्वतंत्र भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड गठित किया जाए ताकि ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए व्यापक आचार संहिता का निर्माण और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बोर्ड स्थापित करने के लिए उसका व्यापक स्वरूप तैयार किया जा रहा है।

चेकों के संग्रहण और प्रक्रमण

2.107 रिजर्व बैंक i) स्थानीय/बाहरी चेकों को तत्काल जमा देने; (ii) स्थानीय/बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए समय-सीमा; तथा (iii) संग्रहण के लिए ब्याज भुगतान से संबंधित मामलों पर समय-समय पर बैंकों को सूचित करता रहा है। भुगतान तथा निपटान

प्रणाली में हुई प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा कई बैंकों द्वारा परिचालन प्रणाली तथा प्रक्रिया में किए गए गुणात्मक परिवर्तन की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह महसूस किया गया कि एक ही प्रकार के नियमों का निर्धारण उपयुक्त नहीं भी हो सकता है। अतः बैंकों से नवंबर 2004 में कहा गया कि वे ऐसी व्यापक तथा पारदर्शी नीति बनाएं जिसमें उनकी प्रौद्योगिकी क्षमता, समाशोधन व्यवस्था के लिए अपनाई गई प्रणाली तथा प्रक्रियाओं और पत्राचार शाखाओं के माध्यम से संग्रहण की अन्य आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उक्त तीनों पहलू शामिल किए गए हों। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे लघु जमाकर्ताओं के हित की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें।

शिकायत निवारण तंत्र

2.108 केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) ने निजी क्षेत्र के बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र के अभाव पर चिंता व्यक्त की है। इस मामले की विस्तृत जांच-पड़ताल की गई तथा रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को निर्देश दिया है कि वह सभी सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहे कि उनके ग्राहकों/घटकों से शिकायतें प्राप्त करने तथा उनका निवारण करने के लिए उनके पास एक उपयुक्त तंत्र उपलब्ध है और विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों का समाधान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित है।

मृत जमाकर्ताओं के दावे का निपटान

2.109 सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया तथा निष्पादन लेखापरीक्षा समिति ने पाया है कि, विशेष रूप से, मृत जमाकर्ताओं के दावे के निपटान पर लागू पेचीदी प्रक्रिया से परिवार के सदस्य काफी व्यथित होते हैं। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकों को जून 2005 में सूचित किया कि मृत जमाकर्ता के वारिस(सों)/नामित(यों) को भुगतान करते समय वे उनसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासन-पत्र या प्रोबेट प्रस्तुत करने, अथवा कोई क्षतिपूर्ति बांड या वारिस(सों)/नामित से जमानत प्राप्त करने के आग्रह से बचें चाहे मृत खाताधारक के खाते में जमा राशि कुछ भी क्यों न हो। इसके अरिक्त, उन मामलों में जहां मृत जमाकर्ता ने कोई नामिति निदेशित नहीं किया हो अथवा 'कोई एक या जीवित' (जैसे एकल या संयुक्त रूप से परिचालित खाते) खाते से भिन्न खाते के लिए बैंकों से कहा गया कि वे कानूनी वारिसों को चुकौती करने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएं। मीयादी जमाराशि के मामले में, बैंकों से कहा गया है कि वे खाता खोलने के फॉर्म में स्वयं इस आशय का एक खंड शामिल कर दें कि जमाकर्ता की मृत्यु हो

जाने की स्थिति में मीयादी जमाराशि के मामले में परिपक्वता-पूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी इसके अलावा बैंकों से यह भी कहा गया कि वे आवक जावक राशि के व्यवहार के संबंध में उत्तरजीवी(यों)/ नामिति(यों) से उपयुक्त करार पत्र/प्राधिकार पत्र प्राप्त करें। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे मृत जमाकर्ता के संबंध में किए गए दावे का निपटान दावा प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर उत्तरजी(यों)/ नामिति(यों) को भुगतान करें बशर्ते कि बैंक की संतुष्टि के लिए जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाणपत्र तथा उपयुक्त पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

घर पर बैंकिंग सुविधा

2.110 मई 1983 में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से कहा गया कि उससे पूर्व अनुमति लिए बिना ग्राहकों को उनके परिसर में कोई बैंकिंग सुविधा न दी जाए। तथापि, रेलवे जैसे सरकारी विभागों से ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए कि उन्हें अपने परिसर में नकदी संग्रहण सहित अन्य बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसे तथा कई बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदन को देखते हुए अप्रैल 2005 में यह निर्णय किया गया कि बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के ढांचे के भीतर ग्राहक को उसके परिसर में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाएं तथा रिजर्व बैंक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारी विभागों को असुविधा न हो, एजेंसी बैंक इस बीच उनके परिसर से नकदी तथा जमा लिखत संग्रहण जारी रख सकते हैं।

सरकारी कारोबार

2.111 सभी एजेंसी बैंकों को वित्त वर्ष 2004-05 में मार्च में हुए लेनदेनों की रपोर्टिंग तथा लेखांकन के लिए i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ii) केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड तथा (iii) विभागीय मंत्रालयों के खाते में देय की उगाही करने की योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए।

2.112 सरकारी कारोबार संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि ऐसे कारोबार की केवल निम्नलिखित मदें कारोबारी कमीशन के भुगतान के योग्य होंगी: (i) केंद्रीय / राज्य सरकार की ओर से राजस्व प्राप्ति तथा भुगतान; ii) केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन भुगतान; iii) अनिवार्य जमा योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा खाता धारकों को किए जाने वाले भुगतान; iv) विशेष जमा योजना, 1975 तथा लोक भविष्य निधि; और v) रिजर्व बैंक द्वारा कारोबारी कमीशन

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

की पात्रता के लिए विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य मद (अर्थात् राहत बांड/बचत बांड)।

2.113 एजेंसी बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे 1 नवंबर, 2004 से सरकारी खाते में अपनी कर देयताओं (टीडीएस, निगम कर आदि) का भुगतान केवल अपनी शाखाओं के जरिए करें। ऐसे भुगतानों का उल्लेख अलग सूची में किया जाए ताकि उन्हें अन्य लेनदेन से अलग किया जा सके। यह दोहराया गया कि बैंक उपर्युक्त प्रकार के लेनदेन पर 'कारोबारी कमीशन' के पात्र नहीं हैं।

2.114 बैंकों का ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) के अंतर्गत कर सूचना नेटवर्क (टीआइएन) को प्रेषित चलान आँकड़ों तथा अंचल लेखा कार्यालय को प्रेषित मूर्त चालान में पाई जाने वाली असंगति को दूर करने हेतु समुचित कदम उठाने के लिए व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए।

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को विप्रेषण सुविधा

2.115 समझौते से प्राप्त पैतृक संपत्ति/विरासत के अधीन 13 मई, 2005 को अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को अनिवासी सामान्य खाता शेष में प्रति कैलेंडर वर्ष 1 मिलियन डालर के अतिरिक्त विप्रेषण की अनुमति दी गई। तथापि, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक को अचल संपत्ति के बिक्री आगम के विप्रेषण संबंधी वर्तमान दिशानिदेश जारी रहेंगे। सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया तथा निष्पादन लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष:श्री एस एस तारापोर) की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय किया गया कि पहले की सुविधा के अलावा 15 मार्च, 2005 से मुख्तारनामा धारक किसी निवासी को सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एनआरई/एफसीएनआर(बी) खाते की शेष राशि में से अनिवासी खाता धारक को निधि प्रेषित करने अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ, विशेष अधिकार प्रदान किए गए हों।

शाखाओं/कार्यालयों का स्थान परिवर्तन - प्रक्रियागत युक्तिकरण

2.116 अप्रैल 27, 2005 से बैंकों को रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी ग्रामीण शाखाओं को महानगरीय/शहरी और अर्ध शहरी केंद्रों में म्यूनिसिपल वार्ड/इलाके के भीतर स्थान परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे कुछ शर्तों का पालन करते हों। पहले बैंकों को रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना महानगरीय/शहरी और अर्धशहरी केंद्रों में म्यूनिसिपल वार्ड/इलाके के भीतर अपनी शाखाओं का स्थान परिवर्तन करने की अनुमति दी गई थी। 8 सितंबर 2005 से शाखा प्राधिकरण नीति के

लिए एक ऐसा फ्रेम वर्क तैयार करने का निर्णय किया गया जो बैंकों को मध्यावधि कंपनी कार्यनीति और जनहित के अनुकूल हो।

2.117 जनहित के मद्देनजर प्राधिकरण के निवेदनों पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाए : (i) खाता खोलने के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करते समय रिजर्व बैंक आम जनों, खासकर उस क्षेत्र के आम जनों को, जहाँ कम बैंक स्थित हैं, बैंकों द्वारा दी जानेवाली बैंकिंग सुविधाओं जैसे कि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित नए उत्पाद आरंभ करने और विस्तारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक रूप में ऋण उपलब्ध करना, उत्पादों का मूल्य निर्धारित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के प्रयास करने को वरीयता देगा; (ii) इस प्रकार के मूल्यांकन में न्यूनतम शेष आवश्यकताएं और ऋण जमाकर्ताओं की न्यूनतम बैंकिंग या 'नो फ्रिल्स' बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच, मूलभूत बैंकिंग सेवाओं के प्रति हामीदारी जैसे कि जमाराशियां स्वीकारना और ऋण देने के लिए प्रावधान एवं ग्राहक सेवा की गुणवत्ता जो अन्य बातों के साथ-साथ, प्राप्त शिकायतों और बैंक में व्यथा निवारण के लिए स्थापित निवारक व्यवस्था से प्रमाणित होती है, के बारे में नीति शामिल है। (iii) विभिन्न इलाकों में बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती स्पर्धा का अभिप्रेरण। इस संबंध में विनियामक सहजता भी आवश्यक होगी जिसमें ये शामिल होंगे : (क) न केवल विनियम के पाठ बल्कि यह बात भी कि बैंकिंग कार्यकलाप विनियम की आत्मा और अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। (ख) बैंकिंग समूह के कार्यकलाप और बैंकों का अपने सहायक सहयोगी और सहबद्ध बैंकों से संबंध का स्वरूप और (ग) कंपनी जगत का संचालन, समुचित जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण तंत्र।

2.118 जहाँ तक प्रक्रियागत पहलुओं का संबंध है, समय-समय पर व्यक्तिगत शाखाएं खोलने के लिए प्राधिकरण प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर परामर्शदात्री और अन्योन्य क्रिया की प्रक्रिया के जरिए वार्षिक आधार पर समुच्चयित अनुमोदन देनेवाली प्रणाली लागू की जाएगी। रिजर्व बैंक बैंकों की शाखा विस्तार रणनीति और मध्य अवधि की योजनाओं पर अलग-अलग बैंकों के साथ चर्चा करेगा। मध्य अवधि ढाँचे और विशिष्ट प्रस्तावों में जहाँ तक संभव हो, एटीएम सहित सभी श्रेणी की शाखाओं/कार्यालयों का खोला जाना/बंद किया जाना शामिल होगा। विदेशी बैंकों पर ये नीतिगत मापदंड, विदेशी बैंकों के लिए विशेष रूप से लागू मानदंडों, और डब्ल्यू टी ओ में भारत की वचनबद्धता के अतिरिक्त लागू होंगे। ऐसे परिकलन के लिए एटीएम को शाखाओं की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा।

अन्य पहले

2.119 बैंकों से कहा गया है कि वे एक पारदर्शी और व्यापक जमा नीति तैयार करें जिसमें सामान्य रूप से जमाकर्ताओं के और विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं के अधिकार तय किए गए हों। चलन के अंतर्गत जारी मुद्रा की गुणवत्ता में सुधार लाने और नई मुद्रा और नए सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वच्छ नोट नीति बनाई गई थी। खातों में न्यूनतम शेष बनाए रखने, चेक बुक जारी करने, पासबुक/ खाता विवरणों में प्रविष्टियां करने, बैंकों द्वारा पारदर्शी चेक वसूली नीति तैयार करने आदि जैसे पहलुओं के संबंध में बैंकों द्वारा प्रकटीकरण की उचित व्यवस्था करने के बारे में विभिन्न निर्धारण लागू किए गए हैं।

5. पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षी नीति

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

2.120 केवल पर्यवेक्षण पर पूरा ध्यान देने के लिए नवंबर 1994 में केन्द्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) गठित किया गया था। बीएफएस संचालन संबंधी विषयों तथा पर्यवेक्षी व्यवहारों समेत विनियामक नीतियों पर निरंतर आधार पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। यह विशिष्ट मामले में पर्यवेक्षी पर कार्रवाई के संबंध में भी मार्गदर्शन करता है। बीएफएस सुनिश्चित करता है कि वाणिज्य बैंकों, विकास वित्त संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शहरी सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के पर्यवेक्षण के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण हो।

2.121 2004-2005 दौरान बीएफएस ने क्षेत्र में पाई गई कमियों के मद्देनजर शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण पर अधिक ध्यान देने के लिए 18 बैठकें आयोजित कीं। उसने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में होने वाली धोखाधड़ियों तथा अंतर शाखा खातों में प्रविष्टियां के समाधान, अंतर-बैंक खातों (नोस्ट्रो खाते भी) और लेखा बहियों की बैलेंसिंग समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आंतरिक रखरखाव के संबंध में निगरानी की भी समीक्षा की। बोर्ड ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी का भी पुनरावलोकन किया। बोर्ड ने संस्था विशिष्ट पर्यवेक्षी चिंताओं के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करने के अलावा, कई विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतिगत मामलों पर मार्गदर्शन किया। बोर्ड ने समग्रतः प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के वित्तीय कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की और मार्गदर्शन किया। उसने शहरी सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन के संबंध में की गई निगरानी की भी समीक्षा की।

2.122 आलोच्य वर्ष के दौरान बीएफएस के कहने पर कई नीतिगत पहले की गईं। फरवरी 2005 में निजी बैंकों के लिए स्वामित्व और संचालन पर दिशानिदेश जारी किए गए (देखें पैरा 2.56)। बोर्ड ने निजी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति तथा प्रबंध को सुधारने के लिए अपना योग्य दृष्टिकोण सुझाए। इनमें शामिल हैं: (क) सीआरएआर और निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के आधार पर पूंजीगत निधियां डालना और विलयन के विकल्पों की जांच करना; (ख) ऐसे बैंकों पर विशेष ध्यान देना जहां पूंजीगत निधियां डालने में बाधा पहुंचाने वाले विशिष्ट मामले/कानूनी मामले/ अन्य समस्याएं हों; और (ग) प्रमुख/शेयर धारिता अथवा अन्य कारणों से संचालन संबंधी चिंताओं वाले बैंकों का बारिकी से पर्यवेक्षण करना। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे बैंकों में निदेशकों के 'सही तथा समुचित' मानदण्ड को सही मायने में अनुपालित किया जाना चाहिए।

2.123 बीएफएस के निदेशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और संचालन पर दिशानिदेशों पर बैंकों के अनुपालन का एक विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रत्येक बैंक के साथ इन दिशानिदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी उनके प्लान का पता लगाने के लिए चर्चाएं की गईं। बैंकों द्वारा अपने निदेशकों के संबंध में पूर्व इतिवृत्तांत का पता लगाने के लिए स्वयं ही किए गए प्रयास की रिजर्व बैंक द्वारा समीक्षा की गई है और जहां कहीं आवश्यक था निवारक कार्रवाई की जा रही है।

2.124 ऑन-साइट निरीक्षण के अलावा, रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी रणनीति में तीन अन्य दृष्टिकोण रहते हैं, अर्थात् स्थान से बाहर निगरानी, बैंकों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा बाहरी लेखा परीक्षकों का प्रयोग। स्थान पर वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआइ प्रणाली) भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए क्रमशः कैमेल (पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन आगणन, चलनिधि तथा नियंत्रण प्रणालियां) तथा कैलकस (पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, चलनिधि, नियंत्रण तथा प्रणालियां) मॉडल पर आधारित है। कैमेल अवधारणा के आधार पर प्रत्येक बैंक के कार्यनिष्पादन का सार निकालने तथा बैंकिंग प्रणाली की कुल सामर्थ्य सुदृढ़ता को आकलित करने के लिए बैंकों के पर्यवेक्षी रेटिंग की एक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। जहां भारतीय बैंक शाखाओं के विदेशी परिचालनों का निरीक्षण कार्य ज्यादातर मूल बैंक पर छोड़ दिया गया है, वहीं विभिन्न वित्तीय केंद्रों में कार्यरत सभी शाखाओं को शामिल करते हुए सीमापर पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने के लिए किए गए उपायों के रूप में मूल्यांकन दौरों की एक प्रणाली लागू की गई है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

2.125 वित्तीय पर्यवेक्षण के प्रति समष्टि दृष्टिकोण ने रिजर्व बैंक की विनियामक तथा मौद्रिक नीतिगत रुझान को सुव्यवस्थित करने में सहायता की है ताकि विकास तथा वित्तीय स्थिरता के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त किया जा सके। उसी समय, बाहरी लेखा का, जिन्हें बैंकों की सांविधिक लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर्यवेक्षी प्रणाली के विस्तारित भाग के रूप में अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। उनसे कतिपय अन्य पहलुओं जैसे कि, बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अपेक्षाओं का पालन, आय निर्धारण तथा परिसंपत्तियों के वर्गीकरण तथा प्रावधान को भी सत्यापित तथा प्रमाणित करना अपेक्षित है। बैंकों के लेनदेनों की समवर्ती ऑनलाइन लेखापरीक्षा की एक प्रणाली प्रचलन में है जिसमें बैंकों के जोखिम संवेदी पोर्टफोलियो जैसे कि विदेशी मुद्रा तथा निवेशों की 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा के अलावा, बैंकों का कम से कम 50 प्रतिशत कारोबारी लेनदेन की लेखा परीक्षा करना शामिल है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति

2.126 अप्रैल 2000 की मौद्रिक तथा ऋण नीति में की घोषणा के समय से जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। 2003-2005 के दौरान सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र (पुराने तथा नए) तथा विदेशी बैंकों की श्रेणी के 23 बैंकों शामिल करते हुए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दो प्रायोगिक दौर चलाए गए। प्रथम प्रायोगिक दौर के निष्कर्षों के मूल्यांकन से पता चलता है कि बैंक स्तर पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआइए) प्रक्रिया के लिए तैयारी की स्थिति बहुत धीमी थी। कारोबारी तथा नियंत्रण जोखिमों के अंतर्गत बहुत सी कमियां पाई गईं। अतः, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया (आरबीएस) को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। पहला, जोखिम प्रोफाइल टेम्प्लेटों में संशोधन किए जाने तक कारोबारी जोखिम तथा नियंत्रण जोखिम का एक ही स्थान पर पता लगाने तथा उसकी सूचना दे सकने की दृष्टि से निरीक्षण रिपोर्ट के ढांचे में परिवर्तन किए गए। दूसरा, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) करने में निरीक्षण अधिकारियों की सहायता के लिए एक आदर्श ऑन साइट निरीक्षण रिपोर्ट के साथ एक वर्क बुक तैयार की गई। तीसरा, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक के भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारियों का एक संसाधन समूह कार्यरत है जो भारत में बैंकों द्वारा प्रयुक्त विविध जोखिम माड्यूलों का विश्लेषण करता है। चौथा, जोखिम प्रोफाइल टेम्प्लेटों (आरपीटी) पर पुनर्विचार करने के लिए एक आंतरिक समूह बनाया गया। जुलाई 22 तथा 23, 2005 को रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के संपन्न

हुए सम्मेलन में संशोधित जोखिम प्रोफाइल टेम्प्लेटों (आरपीटी), जोखिम निर्धारण के लिए नई विधि, तथा बैंक की पर्यवेक्षी जोखिम रेटिंग निर्धारित करने संबंधी दिशानिदेशों पर चर्चा की गई। संशोधित जोखिम प्रोफाइल टेम्प्लेटों (आरपीटी) को चालू निरीक्षण चक्र (अप्रैल-मार्च) की अंतिम तिमाही में कार्यान्वित किया जाएगा।

2.127 जुलाई 2004 में बासल II के मानदंडों तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआइए)/जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के कार्यान्वयन की ओर बढ़ने की तैयारी के स्तर पर चर्चा करने के लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। विविध बाधाओं जिनका बैंकों द्वारा सामना किया जा रहा है, के मद्देनजर वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के स्थान पर स्वयंपूर्ण आरबीएस की ओर बढ़ने की प्रगति धीमी होने की आशा है।

2.128 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) दृष्टिकोण विभेदीकृत सिद्धांतों पर आधारित है। पर्यवेक्षण बैंकों में भेद उनकी जोखिम प्रोफाइल तथा उनके द्वारा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को पहुंचाए जोखिमों के आधार पर किया जाता है। भारी जोखिमवाले बैंकों, तथा बैंकों के भीतर भारी जोखिम युक्त जटिल क्षेत्रों की ओर पर्यवेक्षी रूपेण ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार, आरबीएस पर्यवेक्षी स्रोतों को अधिक कारगर ढंग से निर्धारित करने तथा प्रत्येक संस्था के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। आरबीएस का सार बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली लाना है।

परोक्ष (ऑफ साइट) निगरानी तथा चौकसी (सर्विलेन्स)

2.129 रिजर्व बैंक ने पूर्व में चेतावनी (ईडब्ल्यूएस) के आपदा प्रबंध के भाग के रूप में तथा अतिसंवेदनशील संस्थाओं के लिए ऑनसाइट निरीक्षण के ट्रिगर के रूप में 1995 में बैंकों के लिए एक परोक्ष निगरानी तथा चौकसी प्रणाली (ऑसमॉस) प्रणाली स्थापित की। परोक्ष चौकसी की व्याप्ति तथा विस्तार को इस बीच व्यापक बना दिया गया है ताकि उसमें निपुणता के विविध आयाम तथा बैंकों के जोखिम प्रबंध को शामिल किया जा सके। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे विनियामक एवं पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली के लिए इन्फिनेट का अधिक मात्रा में प्रयोग करें।

2.130 यह निश्चय किया गया कि पब्लिक जमाराशियां स्वीकार न करने वाली वित्तीय संस्थाओं जिनका परिसंपत्ति आकार 500 करोड़ रुपए तथा अधिक है, को रिजर्व बैंक द्वारा सीमित ऑफ-साइट पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाए। अतः 1 अप्रैल 2005 से वर्तमान की परोक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली के स्थान पर एक सरलीकृत सूचना प्रणाली अमल में लाई गई जो सूचना प्रणाली 'चयनित वित्तीय संस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंडों पर त्रैमासिक विवरणी' के नाम से जानी जाती है।

2.131 बैंकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते समय बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए निरीक्षण अधिकारियों द्वारा ऑसमॉस प्रणाली से प्राप्त डाटा प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाईन संयोज्यता प्रदान की गई जहां बैंकों के प्रधान कार्यालय उनके क्षेत्राधिकार में थे ताकि वे सीधे ही डेटा प्राप्त कर सकें तथा 'मानक रिपोर्टें' तैयार कर सकें। डेरिवेटिव्स, निवेश संविभाग में ब्याज दर जोखिम, बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार तथा आवास ऋणों तथा उपभोक्ता ऋणों पर जोखिम भार के संबंध में कुछ अतिरिक्त डेटा इकट्ठित करने के लिए उक्त प्रणाली में संशोधन किए गए। तुरंत पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता वाले क्षेत्र को पहचानने तथा समय पर कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए बैंकों की सभी श्रेणियों के लिए जून 2005 से विवरणियाँ प्रस्तुत करने का समय सीमा घटाकर मासिक के लिए 15 दिन और तिमाही विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 21 दिन कर दी गई। डाटा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय किए गए। इनमें शामिल हैं: क) 'ऑफ साइट विवरणियों पर मार्गदर्शी नोट, में आशोधन, प्रणाली में हाल ही में हुए नए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विनियामक परिवर्तनों, और विभिन्न विवरणियों की रिपोर्टिंग में पाई गई आम गलतियां तथा ख) विवरणियों में पाई गई गलतियों को बताने, अवधारणा संबंधी संदिग्धता को दूर करने तथा ऑफ साइट विवरणियों के महत्व के प्रति सचेत करने के लिए चुने गए बैंकों के साथ अलग-अलग बैठकें करना।

वित्तीय संकेतों के पर्यवेक्षण की पहले

2.132 बड़े बैंकों द्वारा अन्य वित्तीय गतिविधियों 'जैसे' मर्चेन्ट बैंकिंग, बीमा तथा म्यूच्युअल फंडों में कार्य प्रारंभ करने के कारण भारत में वित्तीय क्षेत्र अधिकाधिक जटिल होता जा रहा है। कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए भी इतने बड़े हो चुके हैं कि उनका प्रणालीगत प्रभाव पड़ने लगा है। भारत में तथा भारत के बाहर कार्यरत देशों के कई वित्तीय बिचौलिए भी बढ़ते जा रहे हैं। उपर्युक्त गतिविधियों के कारण विनियामक दृष्टिकोण से, वित्तीय संकेतों के परिचालनों में से उत्पन्न संभाव्य जोखिम का उपाय करने में पर्यवेक्षण के विभाजित दृष्टिकोण की सीमा बढ़ती जा रही है। वित्तीय संकेतों पर कार्यकारी दल (संयोजक: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) ने मई 2004 में पेश अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ वित्तीय संकेतों की पहचान करने, अंतर समूह लेनदेनों तथा एक्सपोजर को पकड़ने की एक निगरानी प्रणाली और वित्तीय संकेतों के संबंध में जानकारी के अंतर विनियामक आदान-प्रदान संबंधी मानदंड सुझाए हैं।

2.133 उक्त कार्यसाधक समूह ने 22 वित्तीय संकेतों को अभिनिर्धारित किया है। निगरानी तंत्र को परिचालित करने के एक भाग के रूप में, नामित संस्थाओं (डीई) द्वारा उनके प्रधान नियंत्रकों

[रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इडी) को निर्धारित फार्मेट में डेटा/जानकारी प्रस्तुत करने की परिकल्पना करते हुए एक की परिकल्पना की गई और इसके बाद प्रायोगिक प्रक्रिया तथा चिंता के विषयों पर डीई और विनियामकों के बीच वार्ता प्रचलन में लाई गई है। 31 दिसंबर 2004 को समाप्त तिमाही से उक्त संशोधित फार्मेट में संशोधन किया गया ताकि वह यूजर फ्रेंडली, सोद्देश्यपूर्ण तथा ग्रैन्यूलर बने। वार्षिक नीति वक्तव्य, 2005-06 में की गई घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वित्तीय संकेतों के मुख्य कार्यपालकों तथा अन्य प्रधान विनियामकों के साथ छमाही चर्चा करने की एक प्रणाली लागू की गई ताकि बकाया मुद्दे/पर्यवेक्षी चिंतकों पर कार्रवाई हो सके।

भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल)

2.134 वित्तीय प्रणाली के प्रति की गई चूक संबंधी डाटा सहित क्रेडिट जानकारी के समेकन तथा प्रसार का कार्य 2001 में स्थापित भारतीय ऋण सूचना जानकारी ब्यूरो (सिबिल) ने हाथ में लिया है। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे सिबिल को आवधिक डाटा तथा रिजर्व बैंक को प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों को यह भी सूचित किया गया कि वे सिबिल को सभी उधारकर्ताओं की अपेक्षित जानकारी भेजने के संबंध में निगरानी रखें और इसके अनुपालन की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को दें। ऋण सूचना के प्रसार में सिबिल की भूमिका स्पष्ट की गई। सिबिल को एक ऐसे काफी वैविध्यपूर्ण स्वामित्व वाले ढांचे के रूप में विकसित होना होगा जिसमें किसी एक संस्था की 10 प्रतिशत से अधिक चुकता पूंजी न हो।

2.135 वार्षिक नीति वक्तव्य, 2004-2005 में की गई घोषणा के अनुसार, सिबिल से रिजर्व बैंक, सिडबी तथा भारतीय बैंक संघ (आइबीए) से सलाह मशविरा कर क्रेडिट रिकार्डों की एक समुचित प्रणाली के लिए तंत्र तैयार करने का अनुरोध किया गया ताकि बैंक छोटे तथा मझोले उद्यमियों को दिए गए ऋणों का समुचित मूल्य निर्धारण कर सकें। फिलहाल, सिबिल अपने टेक्नालॉजी पार्टनर डन एण्ड ब्रेडस्ट्रीट इन्फर्मेेशन सर्विसेज इंडिया (प्रा.) लिमिटेड ('सिबिल तथा डी एण्ड बी') के साथ मिलकर दोनों की डेटाबेस प्रणालियों से एसएमई डाटा को अलग करने की वर्तमान की प्रणाली को आशोधित करते हुए अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग प्रणाली निर्मित करते हुए करेगा। उसने आइबीए, सिडबी तथा रिजर्व बैंक के साथ इस संबंध में चर्चाएं की हैं। इस यह प्रस्तावित एसएमई समाधान से एक समेकित रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी जिसमें एसएमई डेटा, एसएमई वेंडर भुगतान से संबंधित डाटा तथा एक एसएमई समेकित स्कोर शामिल होगा। आशा है सिबिल उक्त प्रोजेक्ट को 18-24 महीनों के भीतर चालू करेगा।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

2.136 कानूनी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी इकट्ठित करने, उनका प्रसंस्करण करने और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उसे बांट लेना आसान बनाने की दृष्टि से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियाँ (विनियमन) विधेयक का प्रारूप संसद में पेश किया गया। विधेयक राज्य सभा और लोक सभा द्वारा मई 2005 में पारित कर दिया गया तथा उस पर जून 2005 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। विधेयक द्वारा सिबिल को सभी उधारकर्ताओं से संबंधित जानकारी इकट्ठित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तथा इसमें रिजर्व बैंक को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों के कार्यों के बारे में नीति निर्धारित करने की एवं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को निदेश देने की भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

धोखाधड़ी पर निगरानी

2.137 धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने बैंकों को अक्टूबर 2002 में सूचित किया कि वे अपनी संस्थाओं में सतर्कता प्रबंध के वर्तमान तंत्र की जांच करें तथा स्टाफ की जवाबदेही और धोखाधड़ी के सभी मामलों में स्टाफ की ओर की कार्रवाई पूर्ण करने के संबंध में यदि कोई खामी हो तो उसे निर्धारित समय के भीतर दूर करें जो कि एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगी। बैंकों से यह भी आग्रह किया गया कि वे बड़े मूल्य की धोखाधड़ी तथा इस संबंध में प्रारंभ की गई कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए गठित बोर्ड की विशेष समिति को अवगत कराएं।

2.138 बैंक धोखाधड़ियों संबंधी विविध विषयों, जैसे, धोखाधड़ियों का स्वरूप, धोखाधड़ी की अनुवर्ती कार्रवाई की वर्तमान व्यवस्था, धोखाधड़ी संबंधी अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा, कानूनी तथा संगठनात्मक परिदृश्यों के संबंध में संभाव्य और भावी उपाय शामिल करते हुए बैंक धोखाधड़ी पर एक तकनीकी पेपर तैयार किया गया तथा 8 अप्रैल 2004 को हुई वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) की बैठक में पेश किया गया। तकनीकी पेपर में सिफारिश की गई है कि केवल वाणिज्य बैंकों में ही नहीं अपितु, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में भी होनेवाली धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने के लिए एक अलग कक्ष गठित किया जाए। चूंकि बीएफएस ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अतः 1 जून 2004 को गठित किया गया बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन धोखाधड़ियों पर निगरानी रखनेवाला एक अलग कक्ष (एफआरएमसी) गठित किया गया। आशा है एफआरएमसी एक समेकित दृष्टिकोण अपनाएगा

तथा ऊपर उल्लिखित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की जानेवाली धोखाधड़ियों पर अधिक ध्यान देते हुए कार्रवाई करेगा।

2.139 'धोखाधड़ी-वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग' पर 18 अक्टूबर 2002 का मास्टर परिपत्र 7 अगस्त 2004 को संशोधित किया गया तथा उसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। 'धोखाधड़ी - रिपोर्टिंग तथा निगरानी प्रणाली (एफआरएमएस)' पैकेज की आवश्यकतानुसार मास्टर परिपत्र के फार्मेटों में संशोधन किया गया है। एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने तथा धोखाधड़ी निगरानी कक्ष की परिधि में आनेवाली सभी संस्थाओं के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकता में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मास्टर परिपत्र वित्तीय संस्थाओं तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर भी लागू किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षकों से अऋणग्रस्तता की घोषणा के फार्मेट में संशोधन

2.140 बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों से अपेक्षित है कि वे उन बैंकों को जहां वे लेखापरीक्षा करते हैं, इस आशय का एक ऐसा घोषणा पत्र उपलब्ध कराएं कि लेखापरीक्षा फर्म उनके परिवार के सदस्यों या ऐसे कोई लेखा परीक्षा फर्म जिसमें वे पार्टनर/निदेशक हैं द्वारा किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से कोई क्रेडिट सुविधा (तीसरी पार्टी द्वारा ली गई किसी सुविधा के लिए दी गई गारंटी समेत) नहीं ली है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त करते समय वे संबंधित लेखापरीक्षा फर्म के प्रमुख पार्टनर/प्रोप्राईटर से विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र प्राप्त कर लें कि उनके पार्टनर/परिवार के सदस्यों या ऐसी कोई फर्म/कंपनी जिसमें वे पार्टनर/निदेशक हैं द्वारा किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ली गई, यदि कोई हो, क्रेडिट सुविधा या ऐसी संस्थाओं द्वारा तीसरी पार्टी की ओर से गारंटीकृत क्रेडिट सुविधा रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर निष्पादक नहीं बनी है।

2.141 बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जानेवाले लेखापरीक्षा फर्म के पार्टनर/प्रोप्राईटर से लिए जानेवाले अऋणग्रस्तता की घोषणा के फार्मेट को जनवरी 2005 में आशोधित कर उसमें यह शामिल किया गया कि कोई प्रोप्राईटर प्रमुख पार्टनर अथवा उनके किसी पार्टनर/उनके परिवार के सदस्यों या ऐसी कोई फर्म/कंपनी जिसमें वे पार्टनर/निदेशक हैं को किसी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा जानबूझकर चूक करनेवाले के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

बैंकों द्वारा आउटसोर्सिंग

2.142 पूरे विश्व के बैंक अधिकाधिक मात्रा में अपनी ऐसी विनियमित तथा अविनियमित गतिविधियों के उल्लेखनीय हिस्सों को विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं से आउटसोर्सिंग द्वारा करा लेते हैं, जिन्हें कि वे पारंपरिक रूप से आंतरिक व्यवस्था द्वारा करा ले सकते थे। हाल में, गतिविधियों के आउटसोर्सिंग के ऐसे अवसर उभरती तथा विकसित होती जा रही संप्रेषण प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। हालांकि, आउटसोर्सिंग का बैंकों की लागत निपुणता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा उन्हें

ऐसी विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं जो उन्हें आंतरिक रूप से सामान्यतया नहीं मिलतीं, फिर भी, इससे बैंकों को ऐसे कई जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है जिनका यदि पर्याप्त ढंग से प्रबंधन न किया गया तो वह विनियामक तथा पर्यवेक्षी चिंता का मामला बन सकता है। (बॉक्स II.13)

अनुपालन कार्य

2.143 जैसा कि बासल समिति द्वारा टिप्पणी की गई है, बैंकों में अनुपालन कार्य ज्यादा औपचारिक तथा ज्यादा दृष्टिगोचर बन

बॉक्स II.13: बैंकों द्वारा आउटसोर्सिंग

आउटसोर्सिंग को ऐसी तीसरी पार्टी (कंपनी जगत समूह के भीतर संबद्ध एक संस्था अथवा ऐसी संस्था जो कंपनी जगत के बाहर की है) को ऐसी गतिविधियों को निरंतर आधार पर करवाने के लिए प्रयोग में लाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यतया स्वयं बैंक द्वारा की जा सकती हैं। अन्य पार्टी या सेवा प्रदाता से आशय है ऐसी संस्था जो बैंक की ओर से आउटसोर्स की गई गतिविधि को हाथ में लेती है। आउटसोर्सिंग में कुछ प्रमुख जोखिम हैं, जैसे, कार्यनीतिगत जोखिम, प्रतिष्ठागत जोखिम, अनुपालन जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, निकास रणनीति जोखिम, प्रति पक्ष, देश जोखिम, संविदागत जोखिम, पहुंच जोखिम, संकेत द्रव्य जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिम। बैंक के लिए बाध्यकर होगा कि वह इन गतिविधियों के प्रभावपूर्ण प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए अपनी गतिविधियों को आउटसोर्स करें।

विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान करने में सेवा प्रदाता से होनेवाली चूक, सुरक्षा/गोपनीयता अथवा सेवा प्रदाता या आउटसोर्सिंग करने वाले बैंक द्वारा कानूनी तथा विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन न करने से बैंक को वित्तीय हानि हो सकती है जो समूचे देश की बैंकिंग प्रणाली के भीतर सर्वांगीण जोखिम बन सकती है। इस कारण उसके निदेशक बोर्ड या प्रबंध तंत्र को चाहिए कि वह बैंकों को प्रभावपूर्ण ओवरसाइट, पूर्व इति वृत्तांत का पता लगाने, और ऐसी आउटसोर्सिंग गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंध के लिए एक स्वस्थ सुदृढ़ तथा प्रतिक्रियाशील जोखिम प्रबंध व्यवस्था अपनाएं।

यदि कुछ आउटसोर्सिंग व्यवस्था विघटित हो जाती हैं तो उनमें कारोबारी परिचालनों, प्रतिष्ठा या लाभप्रदता प्रभावित होने की संभावना रहती है। ऐसी व्यवस्था को 'मटिरियल आउटसोर्सिंग' के रूप में माना जाता है। बैंकों को प्रचलन में रहने वाली आउटसोर्सिंग व्यवस्था या नियोजित की जा रही आउटसोर्सिंग व्यवस्था को 'मटिरियल आउटसोर्सिंग' के रूप में माना जाए अथवा नहीं इसका निर्धारण करने के लिए गुणवत्तापूर्ण अधिनिर्णय का प्रयोग करना चाहिए।

एक आउटसोर्सिंग व्यवस्था अपनाए, अथवा उल्लेखनीय रूप से बदलाव लाने से पूर्व किसी बैंक को i) उक्त व्यवस्था अपने संगठन तथा रिपोर्टिंग ढांचे के लिए कितनी उचित होगी इसका विश्लेषण करना चाहिए; ii) इस बात को देखना चाहिए कि क्या आउटसोर्सिंग व्यवस्था स्थापित करने संबंधी करार में सेवा प्रदाता से संबंधित परिचालनात्मक जोखिम एक्सपोजर पर निगरानी रखने तथा नियंत्रण रखने की प्रावधान है; iii) सेवा प्रदाता वित्तीय स्थिति तथा विशेषज्ञता का यथोचित पूर्व इतिवृत्तांत जान लेने का कार्य करता है; iv) इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह अपने परिचालनों को उनकी चालू

व्यवस्था से एक नई या बदली हुई आउटसोर्सिंग व्यवस्था (संविदा समाप्त करने पर क्या होगा इसके साथ) में कैसे सुचारु रूप से परिवर्तित लिया जाएगा; तथा v) किसी संकेत द्रव्य जोखिम प्रभाव यथा कई बैंकों द्वारा एक ही सेवा प्रदाता से काम लेने पर उत्पन्न होनेवाले कारोबारी निरंतरता के (बिजनेस कंट्यूनिटी) प्रभाव पर विचार करें।

बैंक को चाहिए कि वे अपने सेवा प्रदाता से अपेक्षा करें कि वह प्रलेखीकरण, अनुरक्षण तथा बिजनेस कंट्यूनिटी तथा वसूली प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए एक पुख्ता / मजबूत ढांचा स्थापित करें। आउटसोर्सिंग से अक्सर सेवा प्रदाताओं द्वारा परिचालित सुविधाओं को बांट लेना (शेयरिंग) प्रारंभ हो जाता है। बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता बैंकों की जानकारी, दस्तावेज तथा रिकार्डों, तथा अन्य परिसंपत्तियों को पृथक रख पाता है। यहां यह है सुनिश्चित करना है कि विपरीत परिस्थितियों में लेनदेनों के सभी दस्तावेज, रिकार्ड तथा सेवा प्रदाता को दी गई जानकारी तथा बैंक की परिसंपत्तियों को सेवा प्रदाता के कब्जे से हटा लिया जा सकेगा ताकि उसके कारोबारी परिचालनों को जारी रखा, मिटा दिया, नष्ट अथवा अनुपयोगी बनाया जा सके।

बैंक के पास अपनी आउटसोर्सिंग गतिविधियों पर निगरानी तथा नियंत्रण रखने के लिए एक प्रबंध ढांचा होना चाहिए। ऐसे बैंक जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था अपना चुका है या ऐसी आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव लाने की योजना बना रहा है, को चाहिए कि वह विनियामक तथा पर्यवेक्षी अपेक्षाओं का पालन करें। बैंक के लिए यह अत्यावश्यक है कि आउटसोर्सिंग के संबंध में उसके पूर्व इतिवृत्तांत का पता लगाते समय सभी संगत कानूनों, विनियमों, दिशानिदेश तथा अनुमोदन की शर्तों, लाइसेंसिंग और पंजीकरण को देख लें। विदेश में सेवा प्रदाता को नियुक्त करने में बैंक को देश जोखिम - आर्थिक, सामाजिक तथा राजकीय परिस्थितियों तथा किसी विदेश में घटित होने वाला ऐसा प्रसंग जिसका बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है - उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां तथा प्रसंग सेवा प्रदाता को बैंक साथ हुए उसके करार की शर्तों को पूरा करने से बचा सकते हैं। आउटसोर्सिंग गतिविधियों में निहित ऐसे जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक को उस देश जहां पर सेवा प्रदाता बसा हो, की सरकारी नीतियों तथा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए तथा उन पर बारीकी से निगरानी रखनी चाहिए।

संदर्भ:

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2005), 'आउटसोर्सिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज', बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति, फरवरी।

बाक्स II.14: अनुपालन और अनुपालन कार्य

अनुपालन जोखिम को कानूनी अथवा विनियामक मंजूरीयों, भौतिक वित्तीय हानि, या कानूनों, विनियमों, नियमों, संबंधित स्वयं विनियामक संगठन मानकों, तथा आचरण संहिता का पालन करने में होनेवाली चूक के कारण बैंक अथवा अन्य संस्था की प्रतिष्ठा को पहुंची हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुपालन जोखिम एक प्रतिपक्ष के रूप में मुकदमेबाजी के जोखिम से भिन्न है क्योंकि यह क्रेडिट संस्थाओं की उनके संविदागत क्रेडिट दायित्वों पर जिम्मेदारी संबंधी कार्य नहीं करता मगर सरकारी आदेश के नियमों का अनुपालन न करने के नकारात्मक परिणामों पर उपाय करता है। कुछ वर्षों से बैंक प्रभावपूर्ण अनुपालन उपायों को कम महत्व देते रहे हैं। कुछ ही बैंकों ने विनियामक अनुपालन प्रक्रिया को स्वचालित या समेकित किया है तथा उन संस्थाओं के लिए जो कुछ न कुछ प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, यह सामान्यतः प्रारंभिक अवस्थावाली है तथा इसे लेनदेन प्रक्रिया में विलंब से प्रयुक्त किया जाता है।

अनुपालन कार्य स्वभावतः बैंकों की परिचालनात्मक गतिविधि से अवश्य स्वतंत्र होनी चाहिए तथा उसके द्वारा बहुत वरिष्ठ स्तर को सीधे ही रिपोर्ट किया जाना है परंतु उसकी गतिविधियों पर आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा संवीक्षा करने की शर्त अवश्य लागू होनी चाहिए। इन मुद्दों को हल करने के लिए किसी बैंक में अनुपालन कार्य को नीचे निर्दिष्ट दर्शाए प्रकार से कई तरह से पुख्ता किया जा सकता है।

- संभवतः प्रभावपूर्ण अनुपालन कार्यक्रम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है बैंक के निदेशक बोर्ड तथा प्रबंध तंत्र की प्रतिबद्धता। इस प्रतिबद्धता में सभी कर्मचारियों को यह संदेश देना शामिल है कि अनुपालन को गंभीरता से लिया जा रहा है तथा अनुपालन कर्मिकों को अपनी अनुपालन ड्यूटी को निभाने के लिए समय तथा संसाधन प्रदान करना।
- दूसरा कदम है बैंक के अनुपालन कार्य की संरचना करना। क्या एक व्यक्ति अथवा एक समिति पर अनुपालन का दायित्व होना चाहिए? लगभग सभी मामलों में, किसी व्यक्ति से अनुपालन समिति को तरजीह दी जाएगी।
- समिति के ढांचे तथा सदस्यता स्थापित हो जाने के बाद कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। समिति के ड्यूटी की एक लिखित नियम बही रखी जाने की सिफारिश की जाती है क्योंकि इससे अनुपालन कार्य का एक औपचारिक ढांचा

बनता है। नियम बही में: i) समिति की विशिष्ट ड्यूटी तथा दायित्वों की रूपरेखा हो; तथा ii) अनुपालन दायित्वों को निभाने के लिए समिति के प्राधिकार स्थापित करना शामिल हो।

- समिति को अनुपालन के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाना चाहिए।
- बैंक द्वारा अनुपालन के सभी क्षेत्रों में कम से कम प्रत्येक वर्ष कुछ मात्रा में परीक्षण किया जाना चाहिए। ज्यादा जोखिमवाले तथा ऐसे क्षेत्रों जहां बैंकों को समस्याएं हुई हैं, में बार-बार परीक्षण किया जाना जरूरी है। उद्देश्यपरकता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक को इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि जिस विभाग का परीक्षण किया जा रहा है उसके दैनंदिन परिचालनों में न लगे ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा ही परीक्षण किया गया है।
- बैंक को चाहिए कि वह विनियमों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराए।

अनुपालन समस्याओं से बैंकिंग संस्थाओं को सभी प्रकार के परिणाम का सामना करना पड़ सकता है यथा विनियामकों द्वारा दंड, विनियामकों द्वारा कम रेटिंग जिससे बैंकों की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, संव्यवहारों में जबरन किए जानेवाले परिवर्तन जो कि महंगे हो सकते हैं, बारंबार विनियामक निरीक्षण, कुछ बैंकों की गतिविधियों तथा कानूनी मुकदमों से जबरन होने वाले प्रतिबंध। कुछ मामलों में, बैंकों का कानूनी अस्तित्व समाप्त हो सकता है तथा सभी अधिकारियों तथा निदेशकों पर केवल अन्य बैंकों में ही नहीं परंतु यहाँ तक कि अन्य निगमों में भी इसी प्रकार की भूमिका से पाबंदी होगी। कई प्रसंगों में, अधिकारियों तथा निदेशकों को आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है।

संदर्भ:

1. मैकेबेआइ. माइकल (2005), हाउ टू एलाइन यो ऑरगनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस विथ इट्स कंप्लायंस स्ट्रेटेजी (आइबीएम)।
2. हाइड लॉरेन (2003), एफआइडीसी एडॉप्ट्स रिस्क बेस्ड एप्रोच टू कंप्लायंस इक्जाम्स, (आरएसएम मैकग्लैड्रे, आइएनसी)

गया है। समिति ने टिप्पणी की है कि किसी बैंक के भीतर अनुपालन कार्य कैसे होता है इसको न देखते हुए उसे स्वतंत्र तथा पर्याप्त संसाधन युक्त होना चाहिए; उसके दायित्व सुस्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होने चाहिए तथा इसकी गतिविधियों पर आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य पद्धति द्वारा आवधिक तथा स्वतंत्र पुनर्विलोकन की शर्त होनी चाहिए।

2.144 वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से बैंकों के विनियमन का कार्य तीन मिले-जुले दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहले में, न्यूनतम विवेकशील मानकों तथा अनुपालन की निगरानी शामिल है। दूसरे में, बैंकों द्वारा दी गई गुणवत्तापूर्ण तथा मात्रात्मक जानकारी तथा बैंक की आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के आधार पर पर्यवेक्षक आकलन शामिल है। तीसरा दृष्टिकोण है जानकारी जनता के लिए प्रकट करने पर निर्भर रहना। बासल समिति के अनुसार यदि बैंक में अनुपालन का कार्य पूर्णतः सुस्थापित हो तो पर्यवेक्षकों का कार्य सुलभ हो जाएगा। अनुपालन कार्य में अनुपालन संस्कृति को

प्रोत्साहित करते हुए अनुपालन जोखिम पर अधिक ध्यान देना वांछित है (बाक्स II.13)। बैंकों में अनुपालन कार्य स्थापित करने को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर लगाए जानेवाले दंड को नवंबर 2004 से पब्लिक डोमेन पर प्रकट किए जाने के निर्णय के बाद काफी महत्व प्राप्त हुआ है।

6. नीति निर्माण में परामर्शदात्री प्रक्रिया

2.145 संगत उपायों के समय पर तथा प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने नीतिगत उपाय लागू करने से पूर्व एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। विविध विषयों पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है ताकि वित्तीय निपुणता तथा स्थायित्व के लाभ आम व्यक्ति को प्राप्त हो तथा भारतीय वित्तीय प्रणाली की सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप पारदर्शी रूप में बेंचमार्क किया जा सके। कुछ वर्षों से, रिजर्व बैंक से विभिन्न कार्यदलों तथा समितियों की

रिपोर्टें दुतरफा संप्रेषण का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई हैं। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य दल गठित किए गए अथवा तकनीकी रिपोर्टें तैयार की गईं जिनमें सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों, उपलब्ध विकल्पों एवं आगे बढ़ने के तरीकों की समीक्षा शामिल की गई थी। दलों समितियों की सदस्यता रिजर्व बैंक के भीतर या बाहर से या मिली जुली रहती है। प्रारूप रिपोर्टें अक्सर पब्लिक डोमेन में डाली जाती हैं तथा अंतिम रिपोर्टें में इनपुट का लेखा-जोखा विशेष रूप से उद्योग संघों तथा स्वयं विनियामक संगठनों से लिया जाता है।

वेब आधारित संप्रेषण

2.146 रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत विवरणों तथा उन पर मध्यावधि समीक्षाओं में आगामी छह महीनों से एक वर्ष तक के लिए मौद्रिक नीति पर रुझान संप्रेषित किया जाता है। रिजर्व बैंक की संप्रेषण नीति की महत्वपूर्ण बात है उसकी वेबसाइट के जरिए लगभग साथ-साथ जानकारी प्रसारण। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत दिन के नीलामी के परिणाम उसी दिन दोपहर 12.30 बजे वेबसाइट पर दर्ज किए जाते हैं, वहीं 2.30 बजे तक चुनिंदा विदेशी मुद्राओं की संदर्भ दरें भी वेबसाइट पर डाली जाती हैं। अगले दिन सुबह तक मुद्रा बाजार परिचालनों पर प्रेस प्रकाशनी जारी की जाती है। प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12.30 बजे तक वेबसाइट पर साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक डाला जाता है जिसमें वित्तीय क्षेत्र संबंधी काफी विस्तृत जानकारी उपलब्ध की जाती है। वेबसाइट पर रिजर्व बैंक के सभी भिन्न-भिन्न विभागों के विनियामक तथा प्रशासनिक परिपत्र उन्हें अंतिम रूप दिए जाने के आधे घंटे के अंदर डाले जाते हैं।

2.147 रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर पब्लिक के अभिमत के लिए महत्वपूर्ण दिशानिदेशों के प्रारूप भी पब्लिक डोमेन पर डालने का एक तंत्र स्थापित किया है। इस परामर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तथा विनियामक दिशानिदेशों को ज्यादा उपयोगकर्ता के अनुकूल यूजर फ्रेंडली बनाने के एक विशिष्ट उद्देश्य से उपयोगकर्ताओं का परामर्शी पैनल गठित किया गया है जिसमें चुनिंदा बैंकों के प्रतिनिधि तथा बाजार सहभागी शामिल हैं। उक्त पैनल विनियामक अनुदेशों पर निर्माण के स्तर पर प्रतिसूचना उपलब्ध कराता है ताकि बाद में आनेवाली संदिग्धता तथा परिचालनात्मक खामियों से बचा जा सके।

संसाधन प्रबंधन संबंधी चर्चाएं

2.148 रिजर्व बैंक द्वारा नीति की घोषणा करने से पूर्व चयनित वाणिज्य बैंकों के साथ संसाधन प्रबंधन चर्चा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में केवल अर्थव्यवस्था, चलनिधि स्थितियों, क्रेडिट प्रवाह, भिन्न भिन्न बाजार विकसित करने तथा ब्याज की

दरों संबंधी निदेश के संबंध में ही नहीं बल्कि बैंकिंग परिचालनों के विकासात्मक पहलुओं संबंधी घटकों से संबंधित विषयों पर भी बैंकरों की भावी नीति तथा दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाता है। 1998 में बनाये गए संव्यवहार के अनुरूप ये बैठकें मार्च 2005 के दौरान 9 चयनित बैंकों (दो निजी बैंकों तथा एक विदेशी बैंक समेत) आयोजित की गईं। बहुत से व्यष्टि तथा समष्टि मुद्दों पर जोकि बैंकों की परिसंपत्तियों तथा देयताओं, निधियों की लागतों, मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशाओं तथा उत्पादन वृद्धि के अतिरिक्त प्रतिलाभ तथा स्प्रेड पर भी चर्चा की गई। इन चर्चाओं के दौरान मौद्रिक नीतिगत उपाय, बैंकों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों तथा विकास संबंधी सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें 2005-06 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य बनाते समय ध्यान में रखा गया।

वित्तीय विनियमन पर स्थायी तकनीकी परामर्शदात्री समिति

2.149 मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार संबंधी मार्च 2004 में पुनर्गठित एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी), बैंकों समेत नियंत्रकों तथा विविध बाजार सहभागियों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री तंत्र के रूप में उभरी है। समिति वित्त बाजार के विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श को मूर्त रूप दे रही है तथा उसके द्वारा मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार तथा विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार लाने के मामले में रिजर्व बैंक के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है।

2.150 विनियामक डोमेन में परामर्शदात्री प्रक्रिया को और सुदृढ़ करना तथा अनवरत आधार पर एक ऐसी प्रक्रिया कायम रखने के लिए रिजर्व बैंक ने नवंबर 2003 में टीएसी की तर्ज पर वित्तीय विनियम पर स्थायी सलाहकार समिति गठित की। समिति के सदस्य शैक्षिक समूह, वित्तीय बाजारों, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से लिए गए थे। समिति इसे संदर्भित मुद्दों पर विचार करती है तथा बैंकों, गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य बाजार भागीदारों के लिए निरंतर आधार पर वांछनीय विनियामक ढांचे के बारे में रिजर्व बैंक को सलाह देती है।

2.151 इसी प्रकार, शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित संरचनागत, विनियामक तथा पर्यवेक्षी मुद्दे पर सलाह देने तथा इस क्षेत्र के लिए भावी दृष्टिकोणों के प्रतिपादन की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ऐसी व्यवस्था गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्धारित की जा रही है।

2.152 विविध नियंत्रकों से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर समय-समय पर औपचारिक विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय तथा पूँजी बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति है

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं तथा सदस्य वित्त मंत्रालय के सचिव तथा अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड हैं। समिति ने परिचालनात्मक स्तर पर विनियामक संरचना में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कई स्थायी समितियों का गठन प्राधिकृत किया है।

2.153 मौद्रिक नीति में परामर्शदात्री प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने जुलाई 2005 में मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है जिसमें मौद्रिक अर्थशास्त्र, केन्द्रीय बैंकिंग, वित्तीय बाजारों तथा पब्लिक वित्त क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति समष्टिगत तथा मौद्रिक गतिविधियों की समीक्षा के लिए तिमाही में कम से कम एक बैठक करती है तथा मौद्रिक नीति के उद्देश्य पर रिजर्व बैंक को सलाह देती है।

7. वित्तीय बाजार

2.154 वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति संचरण तंत्र का अनिवार्य अंग है। भारत में वित्तीय बाजारों का विकास संसाधनों की आबंटनात्मक निपुणता में वृद्धि करने तथा वित्तीय स्थायित्व के संवर्धन पर विशिष्ट बल देकर किया गया है। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, लेनदेन प्रतिबंध कम करने, लेनदेन लागत कम करने तथा प्रणालीगत चलनिधि बढ़ाने पर बल दिया गया है।

सुदृढ़ आधार पर बाजारों के और विकास के लिए 2004-05 के दौरान कई उपाय शुरू किए गए।

मुद्रा बाजार की गतिविधियाँ

2.155 मुद्रा बाजार मोटे तौर पर दो कार्य कार्य करता है। एक, वह दक्ष संतुलित बाजार मूल्य पर अल्पावधि चलनिधि असंगतियों को दूर करने में बैंकों को सक्षम बनाता है। दो, चलनिधि संबंधी स्थितियों को प्रभावित करने तथा ब्याज दर दृष्टिकोण का संकेत देने के लिए केन्द्रीय बैंक के हस्तक्षेप के लिए प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है। हाल के वर्षों में नीतिगत नए कदमों द्वारा भिन्न-भिन्न बाजार खंडों में संतुलित विकास सुकर बनाने, विशुद्ध अंतर बैंक मुद्रा तथा रिपो बाजार का विकास करने, मांग मुद्रा बाजार में असंपाश्विकीकृत एक्सपोजर को घटाने तथा नियमित मीयादी ढांचे के विकास को सुकर बनाने का प्रयास किया गया है।

2.156 उभरते मौद्रिक नीतिगत ढांचे, राजकोषीय परिदृश्य, विनियामक व्यवस्था तथा घरेलू तथा बाह्य वित्तीय समेकन की सीमा के संदर्भ में मुद्रा बाजार की हाल की गतिविधियों तथा वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए मुद्रा बाजार के बारे में एक तकनीकी समूह का गठन किया गया। मई 2005, में पेश अपनी रिपोर्ट में समूह ने मुद्रा बाजार के और विकास के लिए कई सिफारिशें दी हैं (बॉक्स II.15)। समूह की कई सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया

बॉक्स II.15: मुद्रा बाजार समूह की रिपोर्ट

समूह ने सिफारिश की कि नीति में निम्नलिखित पर महत्व देना चाहिए: संपाश्विकीकृत बाजार को बढ़ावा देना, रुपया प्रतिफल वक्र विकसित करना, पारदर्शिता तथा बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए अवसर उपलब्ध कराना तथा मौद्रिक परिचालन को सुदृढ़ करना। इसे दृष्टि में रखते हुए, समूह ने निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशों की: मांग / सूचना मुद्रा बाजार, रिपो/सीबीएलओ, मीयादी मुद्रा, जमा-प्रमाणपत्र, वाणिज्य-पत्र, एफआरए / आइआरएस, मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर (मिबोर)-संबद्ध अल्पावधि पेपर्स तथा चलनिधि समायोजन सुविधा का समय। समूह की प्रमुख सिफारिशों नीचे प्रस्तुत की गई हैं

- रिजर्व बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए मांग / सूचना मुद्रा बाजार के लिए विवेकशील सीमाओं के निर्धारण के लिए बेंचमार्क के रूप में स्वाधिकृत निधि के बजाय पूँजी निधियों (टियर I तथा टियर II पूँजी का योग) को अपनाना चाहिए।
- तथापि, रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों (यथा, समग्र जमा), प्राथमिक व्यापारी (यथा, निवल स्वाधिकृत निधि) तथा गैर-बैंक (यथा 2000-01 के दौरान अपने औसत दैनिक उधार का 30 प्रतिशत) से संबद्ध वर्तमान मानक जारी रख सकता है।
- मांग सूचना मुद्रा बाजार में लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक तयशुदा कोट द्वारा निर्धारित दर पर संचालित किया जाना चाहिए।
- समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा तुलन पत्र व्यवस्था करने वाले बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को मांग / सूचना मुद्रा बाजार से उधार लेने की ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए।

- मांग / सूचना मुद्रा बाजार का विकास विशुद्ध अंतर बैंक बाजार के रूप में होने पर बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार देने की ज्यादा छूट दी जानी चाहिए।
- राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 के प्रभाव में आने के फलस्वरूप प्रतिभूति समूह का विस्तार करने की जरूरत है ताक वह रिपो तथा सीबीएलओ बाजारों के लिए संपाश्विक के रूप में कार्य कर सके।
- इलेक्ट्रॉनिक, अनामी आदेश पर आधारित ट्रेडिंग व्यवस्था में रिपो संबंधी लेनदेन संचालित करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।
- मीयादी मुद्रा बाजार लेनदेन की पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए इसकी सूचना तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) पर अनिवार्यतः दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, तयशुदा कोट आधारित प्लेटफार्म पर मीयादी मुद्रा बाजार लेनदेन शुरू किया जाना चाहिए।
- जमा प्रमाण-पत्रों की परिपक्वता अवधि कम कर वाणिज्य पत्र तथा नियत जमाराशियों के अनुरूप, 7 दिन कर दी जाए।
- भारतीय बाजार में आस्ति आधारित वाणिज्य पत्र लागू किये जाएँ।
- ओटीसी डेरिवेटिव्स को कानूनी स्पष्टता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में समुचित संशोधन किए जाएँ।
- व्यवस्थित बाजार के विकास के लिए नई लिखत, जैसे कि मिबोर-संबद्ध अल्पावधि पेपर्स से संबंधित विनियामक मुद्दों के समाधान की जरूरत है।
- भविष्य में जब कभी वांछित हो, अंतः दिवसीय विलम्बकालिक चलनिधि समायोजन सुविधा लागू करने की संभावना पर विचार किया जाए।

गया तथा अप्रैल 2005 में घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य में बहुत से उपाय घोषित किए गए।

2.157 प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर, मांग सूचना मुद्रा बाजार से गैर-बैंक भागीदारों को चरणबद्ध रूप से हटाने की घोषित नीति के अनुरूप 11 जून, 2005 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से गैर-बैंक भागीदारों को 2000-01 के दौरान मांग नोटिस मुद्रा बाजार में एक रिपोर्टिंग पखवाड़े में उनके औसत दैनिक उधार औसतन 10 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति दी गई। 6 अगस्त, 2005 से गैर-बैंक भागीदारों को मांग सूचना मुद्रा बाजार से चरणबद्ध रूप से पूर्णतः हटा दिया गया। निधियों के अविवेकपूर्ण उछाल को रोकने के लिए 30 अप्रैल, 2005 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क को उनकी पूंजी निधि (टियर I तथा टियर II पूंजी के योग) से संबद्ध कर दिया गया।

2.158 पारदर्शिता बढ़ाने तथा कीमत निर्धारण तथा बाजार सुदृढ़ता को भी और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तयशुदा लेनदेन प्रणाली के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए। 30 अप्रैल, 2005 से सभी एनडीएस सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे सभी मीयादी मुद्रा सौदों की रिपोर्ट एनडीएस प्लेटफार्म पर करें। इसके अतिरिक्त, मांग/सूचना तथा मीयादी मुद्रा बाजार लेनदेन के सभी सौदों के लिए एक स्क्रीन-आधारित तयशुदा दर-निर्धारित प्रणाली 2005-06 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में प्रस्तावित की गई। बोली पर आधारित वर्तमान प्रणाली के अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार रेपो परिचालनों के संचालन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म का भी प्रस्ताव किया गया। इसके अतिरिक्त, सीबीएलओ क्षेत्र के विकास के लिए बाजार के भागीदारों तथा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) के बीच स्वचालित मूल्य-निरपेक्ष प्रतिभूति अंतरण को सुकर बनाने का प्रस्ताव किया गया।

2.159 बैंकों को अपने चलनिधि प्रबंधन के लिए उपलब्ध लिखतों में वृद्धि करने की दृष्टि से जमा प्रमाण-पत्रों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 28 अप्रैल, 2005 से 15 दिनों से कम कर 7 दिन कर दी गई। इसके पहले, वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में, वाणिज्य पत्र की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 26 अक्टूबर, 2004 से 15 दिनों से कम कर 7 दिन कर दी गई ताकि निर्गमकर्ताओं को वाणिज्य पत्र के जरिए अल्पावधि संसाधन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प तथा गुणवत्ता के अल्पावधि पेपर्स के रूप में निवेशकों को एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराया जा सके। पारदर्शिता बढ़ाने तथा व्यापक प्रसार सुकर बनाने के लिए वाणिज्य पत्र निर्गमों संबंधी

जानकारी जैसेकि निर्गम तिथि, परिपक्वता तिथि, निर्गम राशि, छूट/ब्याज दर, बिना किसी शर्त के तथा अपरिवर्तनीय गारंटी तथा गारंटर की क्रेडिट रेटिंग, जोकि निर्गमकर्ता तथा भुगतान एजेंटों (आइपीए) द्वारा एनडीएस प्लेटफार्म पर रिपोर्ट की गई हो, रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 1 जुलाई, 2005 से उपलब्ध करा दी गई है।

2.160 कम से कम टी+1 आधार पर निपटान हासिल करने की दृष्टि से, विविध बाजार व्यवहारों को मानकीकृत करने तथा उस संबंध में सिफारिश करने के लिए फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भीतर गठित समूह ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की। समूह ने स्वीकार किया कि यह आरटीजीएस प्रणाली के पूर्ण परिचालन के बाद संभव हो पाएगा। वाणिज्य पत्र निर्गम पर लागू स्टॉप शुल्क को संगत बनाने के लिए तथा भारतीय वाणिज्य पत्र बाजार को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए 2005-06 के संघीय बजट में स्टॉप शुल्क को युक्तियुक्त बनाने तथा इसे निवेशकों की आरंभिक श्रेणी का खयाल किए बिना, एकसमान रूप से लागू करने का प्रस्ताव है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार की गतिविधियां

2.161 सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सुदृढ़ तथा अर्थसुलभ बाजार का विकास करना रिजर्व बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि कीमत निर्धारण की प्रक्रिया सुकर बन सके तथा सरकारी ऋण की लागत कम की जा सके। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार को सुदृढ़ तथा व्यापक बनाने के लिए कई संरचनागत तथा विकासात्मक उपाय किए हैं। हाल के वर्षों में सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के प्रति दृष्टिकोण में और अधिक पारदर्शिता, जोखिम मुक्त निपटान, चलनिधि, तथा व्यापक सहभागिता को अधिक महत्व दिया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा हाल में उठाए गए उल्लेखनीय उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: परिपक्वता अवधि का विस्तार, प्रमुख परिपक्वता अवधि में नए निर्गमों के समेकन के जरिए नई सरकारी प्रतिभूति बेंचमार्क का विकास, वर्तमान ऋणों के पुनर्निर्गम के जरिए परस्पर विनिमेयता तथा चलनिधि में बढ़ोत्तरी करना, सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री को बढ़ावा देना, अस्थायी दर वाले बांड शुरू करना, नीलामियाँ करने के लिए एक कैलेंडर (कार्यक्रम) की घोषणा और केंद्र सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम की पारदर्शिता में वृद्धि।

2.162 2004-05 के दौरान रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार को और गहन बनाने तथा व्यापक बनाने के अपने प्रयास जारी रखे। उन्नत प्रौद्योगिकीय इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कार्यात्मक निपुणता में सुधार के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाए गए थे। इसके

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

साथ - साथ नई संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत कायम जोखिम प्रबंध प्रणाली का मूल्यांकन किया गया। सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित परिचालनों के आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए गए। पहला, एक टी+1 आधार पर ऐसे लेनदेनों के लिए निपटान प्रणाली को मानकीकृत करने का निर्णय लिया गया। दूसरा, रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में बहुविध तथा समान कीमत विधि, लचीलेपन के साथ अपनाने की इच्छा पर जोर दिया। तीसरा, रक्षोपाय के अधीन, जो बैंक कुछ न्यूनतम मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें शामिल करने के लिए प्राथमिक व्यापारी कारोबार की अनुमत व्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव था तथा यह बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों तथा सरकार से परामर्श कर किया जाएगा। चौथा, सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि में बढ़ोत्तरी के लिए घटकों की सहायक खाता बही (सीएसजीएल) खाताधारकों को प्राथमिक निर्गमों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री उनके बीच भी उसी दिन करने की अनुमति दी गयी। इस छूट के पहले, प्राथमिक निर्गमों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री केवल रिजर्व बैंक में एसजीएल खाता रखने वाले प्रतिष्ठानों के बीच ही उसी दिन की जा सकती थी। पाँचवा, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में गिल्ट खाते रखने वाली खाता वाली सूचीबद्ध कंपनियों को पात्रता मानदंडों तथा रक्षोपाय के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार रेपो में भाग लेने की अनुमति दी गयी।

2.163 राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 ने रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति संचालन, लोक ऋण प्रबंध तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार के विनियामक पर्यवेक्षण के लिए प्रासंगिक

निर्धारण तथा परिचालन संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन की शुरुआत की। यह स्वीकार करते हुए कि सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में रिजर्व बैंक की सहभागिता एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2006 से समाप्त हो जाएगी, 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में यह जोर दिया गया कि 'खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) एक अधिक उपयोग में लाया जानेवाला लिखत बन जाएगा जिससे बाजार के विकास के अनुरूप प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधा की समीक्षा आवश्यक होगी'। इन उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रिजर्व बैंक तथा अन्य बाजार सहभागियों को समुचित रूप से तैयार करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिभूति बाजार पर एक आंतरिक तकनीकी समूह का गठन किया गया (बॉक्स 11.16)। इसके पहले, एक अन्य समूह (अध्यक्ष : डॉ. आर.एच. पाटिल) ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका की समीक्षा की थी। इन रिपोर्टों पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) में चर्चा की गयी तथा इनकी सिफारिशों के आधार पर 2005-06 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में चलनिधि में सुधार करने तथा बाजार में कीमत निर्धारण के लिए पुनर्निर्गम कार्यक्रम को जारी रखते हुए, सरकार के परामर्श से ऋण के समेकन तथा विशाल अर्थसुलभ प्रतिभूतियों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। एफआरबीएम के बाद की अवधि में, रिजर्व बैंक मौद्रिक परिचालनों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सरकारी ऋण प्रबंध परिचालनों को पुनर्निर्धारित करेगा। इससे रिजर्व बैंक में ऋण प्रबंधन तथा मौद्रिक परिचालनों के बीच कार्यात्मक पृथक्करण होगा। इस प्रयोजन से यह संकेत किया गया कि रिजर्व बैंक बाजार परिचालनों

बॉक्स 11.16: केंद्र सरकार प्रतिभूति बाजार संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट

समूह की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- रिजर्व बैंक अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने तथा सुव्यवस्थित बाजार की परिस्थितियों को बढ़ावा देने और सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार चलनिधि में सुधार करने की दृष्टि से, जैसा कि उचित हो, द्वितीयक बाजार में सहभागिता के विकल्प को खुला रख सकता है।
- प्राथमिक व्यापारियों को प्रत्येक नीलामी की अधिसूचित राशि के समग्र 100 प्रतिशत तक हामीदारी की अनुमति हो।
- प्राथमिक व्यापारियों को थोक बाजार तथा खुदरा अथवा मध्यम बाजार दोनों में बाजार निर्धारण का दायित्व दिया जाए। रिजर्व बैंक थोक तथा खुदरा-दोनों बाजारों में अपेक्षाकृत द्वितीयक बाजार निष्पादन के आधार पर प्राथमिक व्यापारियों को अपने द्वितीयक बाजार पूरक के रूप में अधिमानी पैठ देने पर विचार कर सकता है।
- प्रतिभूतियों का सक्रिय समेकन, चरणबद्ध रूप से तथा समुचित रक्षोपायों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत, 'व्हेन इश्यूड' मार्केट की शुरुआत तथा प्राथमिक व्यापारियों के लिए प्रतिभूति उधार माध्यम जैसे उपायों से सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार का विकास सहज होगा तथा (द्वितीयक बाजार की) दक्षता और चलनिधि में वृद्धि होगी।
- प्राथमिक व्यापारी कारोबार के लिए अनुमत व्यवस्था का विस्तार किया जाए ताकि पृथक् सहायक खाता बही के साथ, विभाग के रूप में सीधे प्राथमिक व्यापारी गतिविधि संचालित करने वाले बैंकों को शामिल किया जा सके। इसके साथ ही, गैर-सरकारी प्रतिभूतियों तथा तुलनपत्रेतर कारोबार (कार्यो) में स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के ऋण आदि जोखिमों को सीमित किया जाए।
- लेखांकन पद्धतियों में परिवर्तन, जैसे कि लाभ और हानि लेखा के बजाय इक्विटी के प्रति बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में प्रतिभूतियों पर मूल्यवृद्धि तथा मूल्यहास प्रभारित करने के लिए बैंकों को अनुमति देना, उचित मूल्य लेखांकन को अपनाना ताकि 'कारोबार के लिए धारित' पोर्टफोलियों के मामले में लाभ तथा हानि दोनों को पहचाना जा सके तथा सभी डेरिवेटिव लिखतों के लिए व्यापक लेखांकन मानदंड की शुरुआत करना।
- सुरक्षा निपटान व्यवस्था आरटीजीएस के साथ एकीकृत की जाए। रिपोर्ट में प्रस्तावित परिवर्तनों को कार्यरूप देने के लिए तयशुदा लेन-देन प्रणाली में समुचित परिवर्तन किए जाएं।
- प्राथमिक तथा खुला बाजार परिचालन संबंधी नीलामी सीसीआईएल के जरिए की जाए।
- तयशुदा लेन-देन प्रणाली पर अथवा पृथक रूप से, एक प्रभावी कार्यनिष्पादन निगरानी और पर्यवेक्षण व्यवस्था स्थापित की जाए।

के तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं के संबंध में बाजार सहभागियों से विचार-विमर्श करेगा।

2.164 जैसा कि 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, कामचलाऊ विशेषताओं वाले कैपिटल इंडेक्सड बॉण्ड को दुबारा शुरू करने के लिए चर्चा-पत्र, टिप्पणी के लिए रिजर्व बैंक तथा केंद्र सरकार की वेबसाइट पर जारी किया गया है। इस संबंध में वर्ष के दौरान, द्वितीयक बाजार में लेनदेन तथा बॉण्डों के निपटान के लिए बाजार प्रथाओं को, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआइ) से परामर्श कर अंतिम रूप दिया गया। पीडीओ-एनडीएस कारोबार, और निपटान व्यवस्था में किए गए समुचित परिवर्तनों की जाँच की जा रही है। जैसा कि 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में उल्लेख किया गया है, यह संभावना है कि सरकार से परामर्श कर 2005-06 के दौरान कैपिटल इंडेक्सड बॉण्ड शुरू किया जाए।

2.165 चूंकि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का बाजार उधार कार्यक्रम पर प्रमुख निहितार्थ होगा, 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया कि रिजर्व बैंक केंद्र सरकार से परामर्श कर प्रक्रिया के सहज परिवर्तन को सुकर बनाएगा। पहले उपाय के रूप में 8 अप्रैल 2005 को राज्य वित्त सचिवों के साथ परामर्श किया गया। बाद में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा उधार के संबंध में एक तकनीकी समूह (अध्यक्ष : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) गठित किया जिसके सदस्य वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों से लिए गए थे। आशा है, समूह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा।

2.166 रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबार और निपटान की व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किया है। फरवरी 2002 में तयशुदा लेनदेन प्रणाली की शुरुआत इस दिशा में एक प्रमुख उपाय था। एनडीएस-पूर्व की अवधि की तुलना में, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए संपूर्ण रिपोर्टिंग और निपटान प्रक्रिया को पूर्णतः

स्वचालित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप समय और दक्षता के संदर्भ में काफी सुधार आया है। तथापि, एनडीएस की खरीद-बिक्री संबंधी व्यवस्था का मुश्किल से ही उपयोग किया गया है। एनडीएस प्रणाली की खरीद-बिक्री क्षमता में और सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2005 को अपनी तयशुदा लेनदेन प्रणाली (आरबीआइ-एनडीएस -गिल्टस-आर्डर मैचिंग सेगमेंट, एनडीएस -ओएम) पर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आर्डर मैचिंग ट्रेडिंग माड्यूल औपचारिक रूप से प्रवर्तित किया (बॉक्स II.17)। पहले चरण में एनडीएस - ओएम प्रणाली रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, वित्तीय संस्थाओं, जिनके पास संप्रति एनडीएस सदस्यता है, की कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अगले चरण में एनडीएस के अन्य सदस्यों को इस व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। आरम्भ में उस व्यवस्था में टी + निपटान के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को शामिल किया जाएगा जिसमें खजाना बिल जैसे डिस्काउंटेड लिखतों में कारोबार सुकर बनाने के लिए बाद में सुधार किया जाएगा। 30 सितंबर 2005 की स्थिति के अनुसार में 117 सदस्य भाग ले रहे थे। एनडीएसओएम लेखों की लेनदेन मात्रा गौण बाजार में सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के कुल एकमुश्त लेनदेनों का 60-70 प्रतिशत थी।

विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां

2.167 रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार के तत्काल तथा वायदा खंड के विकास के लिए कई उपाय किए हैं। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार की रूपरेखा 1995 में भारत में विदेशी मुद्रा बाजार संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री ओ.पी. सोढानी) द्वारा निर्धारित की गयी थी। अतिरिक्त परिचालनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को अपनी विदेशी मुद्रा की आरंभिक स्थिति निर्धारित करने की छूट दी गयी। आस्ति देयता रूपरेखा, कारोबार संबंधी दक्षता तथा अन्य संगत कारकों के आधार पर, विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राथमिक व्यापारियों को अपनी आस्तियों और देयताओं के अधिक

बॉक्स II.17: सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार - आर्डर मैचिंग खंड

एनडीएस - ओएम प्रणाली की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

- पूर्णतः आर्डर द्वारा चालित तथा सभी आर्डरों का पूर्णतः मूल्य / समय की प्राथमिकता के आधार पर मिलान किया जाता है।
- गुमनामी आर्डर मैचिंग प्रणाली जिसमें पार्टियों की पहचान कारोबार के समय अथवा पहले व्यक्त नहीं की जाती है। भारतीय समाशोधन निगम लि. इस प्रणाली में किए जानेवाले प्रत्येक कारोबार के लिए केंद्रीय प्रतिपार्टी के रूप में काम करेगा।
- स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग की अनुमति देता है; संपन्न किए गए कारोबार का विवरण निपटान के लिए तैयार स्थिति में सीधे सीसीआइएल को उपलब्ध हो जाएगा।

- आर्डर प्रबंधन (आर्डर देने, आर्डर में परिवर्तन आने अथवा आर्डर रद्द करने के लिए), कारोबार संबंधी पूछताछ, एक्टिविटी लॉग, बाजार सूचना तथा विश्लेषण (जैसे कि परिपक्वता आय की गणना) के लिए विभिन्न स्तर की क्रियाविधि संबंधी सुविधा उपलब्ध कराता है।
- आर्डर मैचिंग प्रणाली एनडीएस की वर्तमान रिपोर्टिंग तथा कारोबार व्यवस्था के उपयोग का विकल्प रखने वाले सहभागियों के लिए उपलब्ध एक अतिरिक्त सुविधा है। फिर भी दोनों प्रकार के लेनदेन के निपटानों को समेकित कर दिया गया है।

बॉक्स 11.18: भारत में वाणिज्य बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय एक्सपोज़र मानक

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए अधिकृत बैंकों अर्थात् प्राधिकृत व्यापारियों के लिए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र मानक नीचे प्रस्तुत किये गए हैं :

स्थिति (स्तर) और अंतर:

- रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए निवल रातभर की मुक्त निवल आरंभिक सीमा (स्वर्ण सहित) तथा कुल अंतर सीमा के रूप में विदेशी मुद्रा विनिमय एक्सपोज़र सीमा निर्दिष्ट की है। आरंभिक सीमा तथा कुल अंतर सीमा का रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।
- प्राथमिक व्यापारियों के निदेशक मंडलों से अपेक्षित है कि वे समुचित नीति बनाएं तथा विभिन्न खजाना कार्यों के लिए समुचित सीमा निर्धारित करें।

विदेशी बाजारों में निवेश:

- प्राथमिक व्यापारी, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार लिखतों (ऐसे ऋण लिखतों सहित जिनकी परिपक्वता अवधि, क्रय की तारीख को एक वर्ष से अधिक न हो) तथा / अथवा विदेशी सरकार द्वारा जारी एक वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वतावाले ऋण लिखतों में, अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा तक निवेश कर सकते हैं। तथापि, लिखतों की रेटिंग कम से कम स्टैंडर्ड एण्ड पूअर / एफआइटीसीएच या आइबीसीए द्वारा एए (-) अथवा मूडी द्वारा एए3 हो। विदेशी सरकार के मुद्रा बाजार लिखतों को छोड़कर अन्य ऋण लिखतों में निवेश के प्रयोजन से बैंकों के बोर्ड जहाँ कहीं आवश्यक हो देश की रेटिंग तथा देशवार पृथक्-पृथक् सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
- प्राथमिक व्यापारी अप्रयुक्त एफसीएनआर (बी) निधियों का निवेश विदेशी बाजार में दीर्घावधि नियत आयवाली प्रतिभूतियों में कर सकते हैं बशर्ते जिन प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है उनकी परिपक्वता अवधि अंतःवर्ती (निवेशित) एफसीएनआर (बी) जमा राशियों की परिपक्वता अवधि से अधिक न हो।
- प्राथमिक व्यापारी रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंतर सीमा का पालन करते हुए, नोस्त्रो खाता में अधिशेष रातभर के प्लेसमेंट तथा विदेशी शाखाओं / प्रतिनिधियों में निवेश के जरिए भी निवेश कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा में दूसरे देशों से उधार लेना:

- प्राथमिक व्यापारियों के लिए प्रायः सभी श्रेणियों के ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार की कुल सीमा उनकी अक्षत अनर्जक टियर I पूंजी अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा उसके समकक्ष) जो भी उच्चतर हो का 25 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। इस प्रकार, जुटायी गयी निधि भारत में ग्राहकों को, विदेशी मुद्रा से भिन्न मुद्रा में उधार देने का छोड़कर, अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा सकती है तथा रिज़र्व बैंक को बताए बिना ही उसकी चुकौती की जा सकती है। इस नियम के अपवाद के रूप में प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति दी गयी है कि वे उधार ली गई निधि तथा स्वैप के जरिए प्राप्त विदेशी मुद्रा निधि का उपयोग कतिपय शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए करें। इसके अतिरिक्त विदेशी बैंकों के मुख्यालयों द्वारा भारत में अपनी शाखाओं में रखे गौण ऋण को भी, उपर्युक्त सीमा के ऊपर, टियर II पूंजी के रूप में माना जाता है।

स्वर्ण लेन-देन

- केवल रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक ही स्वर्ण लेन-देन का कार्य कर सकते हैं। ऐसे बैंक भारत में उन बैंकों के साथ जो स्वर्ण के आयात के लिए अधिकृत हैं तथा उनके (उन बैंकों के) पास सुवर्ण में अंतर्वर्ती बिक्री / क्रय तथा उधार लेन-देन के संबंध में उन बैंकों के घटकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, आभूषणों के निर्माताओं तथा व्यापार गृहों) से वायदा संविदा कर सकते हैं। तथापि, ऐसी संविदाओं की अवधि छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बैंक कीमत जोखिम के प्रबंधन के लिए विदेशों में उपलब्ध एक्सचेंज ट्रेडेड तथा ओवर-द-काउंटर बचाव (प्रतिरक्षा) उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। तथापि, आशान संबंधी उत्पादों का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रीमियम की कोई निवल प्राप्ति न होती हो।

वोस्त्रो खाते

- व्यवसाय की सामान्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विदेशी शाखाओं / प्रतिनिधि कार्यालयों के वोस्त्रो खातों में अस्थायी अधिनिकासी की कुल सीमा समग्र रूप से 5 करोड़ रुपए है।

कुशल प्रबंधन के लिए अपनी अंतर की सीमा खुद निर्धारित करने की छूट दी गयी (बॉक्स 11.18)।

2.168 रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में समय-समय पर उठाए गए कदमों की व्यापक समीक्षा तथा अतिरिक्त सुधार के प्रयोजन से क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक आंतरिक तकनीकी समूह का गठन किया गया। जून 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समूह ने चुनिंदा उभरते हुए बाजारों में विदेशी बाजार के उदारीकरण की समीक्षा की, तथा अतिरिक्त उदारीकरण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संबद्ध क्षेत्रों में उदारीकरण को देखते हुए वर्तमान विनियामक व्यवस्था की जाँच की। समूह ने यह उल्लेख किया कि यद्यपि बाहरी क्षेत्र मूल रूप में पहले की तुलना में अधिक मजबूत तथा अधिक लचीला हो गया है, फिर भी अतिरिक्त उदारीकरण के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी तारापोर समिति द्वारा निर्धारित

कुछ पूर्व शर्तों को अभी भी पूरा किया जाना है। शेष पूंजी नियंत्रणों में छूट सहित विदेशी मुद्रा बाजार के अतिरिक्त अविनियमन के लिए निरंतर आधार पर सुधार के लिए एक सामर्थ्यकारी परिवेश की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सुधार प्रक्रिया के परस्पर सहक्रिया से प्राप्त अनुभव के अनुरूप, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का उदारीकरण जारी रखना होगा। समूह ने रूप के अंतरराष्ट्रीयकरण से संबद्ध जोखिमों पर भी विचार किया तथा निष्कर्ष निकाला कि प्रचलित परिस्थितियों के अनुरूप क्रमिक और आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त होगा (बॉक्स II.19)।

2.169 तकनीकी समूह की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कई उपाय शुरू किए गए : पहला, निवासियों द्वारा बुक किए गए सभी पात्र वायदा संविदाओं को, चाहे उनकी अवधि कुछ भी हो, रद्द करके पुनः बुक करने की अनुमति दी

बॉक्स II.19: विदेशी मुद्रा बाजार संबंधी आंतरिक तकनीकी समूह की रिपोर्ट

समूह ने निवासी संस्था बैंकों तथा अनिवासियों के लिए अल्पावधि में कार्यान्वयन के प्रयोजन से कई उपाय अपनी रिपोर्ट में सुझाए हैं। निवासी संस्थाओं के लिए समूह की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

Resident Entities:

- बाजार के वायदा क्षेत्र का अतिरिक्त विकास करने के लिए निवासी संस्थाओं को अपने ऋण आदि जोखमों का गतिशील प्रबंधन करने हेतु अधिक लचीलापन उपलब्ध कराना तथा ऐसी संविदाओं की बुकिंग, के संबंध में एकरूपता लाने के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई सभी वायदा संविदाओं को, चाहे उनकी अवधि कुछ भी हो, निरस्त करके पुनः बुक करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- विदेशी मुद्रा के वास्तविक एक्सपोजर की प्रतिरक्षा के लिए बुक किए गए विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप को भी पुनः बुक करने / रद्द करने के बाद पुनः बुक करने की अनुमति दी जाए।
- रुपया-विदेशी मुद्रा स्वैप से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाले कार्पोरेट को ब्याज दर जोखिम तथा विभिन्न मुद्राओं में एक्सपोजर (इसमें रुपया शामिल नहीं है) की प्रतिरक्षा की अनुमति दी जाए।
- पर्याप्त लेखांकन मानदंड तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली कायम होने की शर्त के अधीन, कार्पोरेट को कवर्ड कॉल और पुट ऑप्शन की अनुमति दी जाए।

Banks:

- बैंकों से अपेक्षित है कि वे ग्राहक उपयुक्तता के संबंध में नीति लागू करें।

- बैंकों को अनुमति दी जाए कि वे आरंभिक विदेशी मुद्रा संबंधी सीमा के बजाय, अपने द्वारा रखे गए रातभर के वास्तविक विदेशी मुद्रा स्तर पर पूंजी का प्रावधान करें।
- बैंकों को अदत्त निर्यात बिलों के क्रिस्टलाइजेशन की अवधि के संबंध में निर्णय लेने की छूट दी जाए; क्रिस्टलाइजेशन संबंधी विनियम लाभ और हानि निर्यातकों के जिम्मे कर दिए जाने चाहिए।
- जिन बैंकों को पण्य कीमत जोखिम के प्रबंधन में दक्षता प्राप्त है तथा रिजर्व बैंक द्वारा जिन्हें इस कारण से विशेषकर इस संबंध में अधिकृत किया गया है, उन्हें अपने कार्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त पण्य प्रतिरक्षा प्रस्तावों के अनुमोदन की अनुमति दी जाए।
- भारत में अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार का कार्य समय एक घंटा बढ़ाकर अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक कर दिया जाए।
- डेरिवेटिव्स जैसे कि विदेशी मुद्रा रुपया ऑप्शनों के लिए कारोबार की मात्रा सहित, फॉरेक्स डेटा नियमित आधार पर बाजार को उपलब्ध कराया जाए।

Non-Resident Entities:

- अनिवासी संस्थाओं के संबंध में, समूह का यह विचार था कि यूएस डॉलर, पौण्ड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के अलावा विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक) जमाराशियां कनाडियन डॉलर, अस्ट्रेलियाई डॉलर तथा न्यूजीलैंड डॉलर में भी स्वीकार की जा सकती है।

गयी। दूसरा, ट्रेडेबल्स में अंतरराष्ट्रीय कीमत घट-बढ़ से बचाव (रक्षा) के लिए बैंकों को अपने कार्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनियम में पण्य प्रतिरक्षा के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन की अनुमति दी गयी। तीसरा, भारत में अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार का कार्यसमय एक घंटा बढ़ाकर अपराह्न 5.00 बजे तक कर दिया गया। चौथा, डेरिवेटिव्स जैसे कि विदेशी मुद्रा रुपया ऑप्शनों के लिए कारोबार की मात्रा सहित अतिरिक्त जानकारी बाजार को प्रसारित की गई।

2.170 विदेशों में संसाधन जुटाने के लिए मानदंडों के अतिरिक्त उदारीकरण तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत विदेशी संयुक्त उद्यमों तथा / अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा उनकी निवल संपत्ति के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी जाए। साथ ही, प्रक्रियाओं के और उदारीकरण के लिए, प्राथमिक व्यापारियों को सामान्य अनुमति दी गयी कि वे विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित परियोजना कार्यालयों के विदेशी मुद्रा खाते खोलें तथा ऐसे खातों के परिचालन में लोच रखें। इससे पहले, प्राथमिक व्यापारियों के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेना अपेक्षित था।

8. भुगतान और निपटान प्रणाली

2.171 भुगतान और निपटान प्रणाली किसी देश की वित्तीय प्रणाली का अनिवार्य घटक है। सुचारु रूप से कार्यरत् भुगतान और निपटान प्रणाली मौद्रिक नीति के सफल कार्यान्वयन तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, रिजर्व बैंक विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य करने के अतिरिक्त, भुगतान और निपटान प्रणाली की कार्यपद्धति को निरंतर बढ़ावा देने और उसके आधुनिकीकरण के लिए भी प्रयास करता रहा है।

2.172 भुगतान और निपटान प्रणाली को अधिक महत्त्व देने के लिए रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (बीपीएसएस) का गठन केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में किया। भारतीय रिजर्व बैंक (भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड) विनियमन, 2005 18 फरवरी 2005 को भारत के गजट में अधिसूचित किया गया।

बॉक्स 11.20: भुगतान और निपटान प्रणाली और इसका पर्यवेक्षण : केंद्रीय बैंक की भूमिका

केंद्रीय बैंक की भुगतान और निपटान प्रणाली में कई प्रकार से सहभागिता है। ये हैं : (i) भुगतान खाता और ऋण उपलब्ध कराना, (ii) अनिवार्य भुगतान व्यवस्था की निगरानी तथा (iii) विविध भुगतान सुविधाओं का परिचालन, उन्हें उपलब्ध कराना तथा उनका उपयोग करना। केंद्रीय बैंक कई प्रणालियों विशेषकर सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण बड़े मूल्य / खुदरा व्यवस्था के लिए आस्तियों के सुरक्षित निपटान के लिए भी जिम्मेदार है। वित्त बाजार के सहज कार्यकरण के सुरक्षित और दक्ष भुगतान प्रणाली लिए पूर्वशर्त है। भुगतान और निपटान प्रणाली व्यक्तियों, कंपनी प्रतिष्ठानों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच मुद्रा और वित्तीय लिखतों का अंतरण सुकर बनाती है। प्रभावी तरीके से मौद्रिक नीति के संचालन के लिए सुरक्षित और दक्ष भुगतान एवं निपटान प्रणाली अपेक्षित है ताकि वित्तीय प्रणाली में केंद्रीय बैंक तथा अन्य सहभागियों के बीच निधियों और प्रतिभूतियों का अंतरण सुकर हो। अंतर बैंक मुद्रा बाजार तथा अन्य अल्पावधि ऋण बाजार, जिसके जरिए मौद्रिक नीति संचरित की जाती है, के लिए दक्ष तथा स्थायी भुगतान और निपटान प्रणाली भी एक पूर्वशर्त है। इसके अतिरिक्त भुगतान और निपटान प्रणाली की गतिविधियां जो लेन-देन के प्रदत्त मूल्य तथा मात्रा के लिए मौद्रिक शेष के पण्यावर्त की गति और भावी स्थिति को प्रभावित करती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समग्र मांग को प्रभावित कर सकती है।

मौद्रिक दावों के अंतरण तथा भुगतान दायित्व के निपटान के प्रयोजन से वित्तीय संस्थाओं को एक साथ संबद्ध करने से भुगतान और निपटान प्रणाली एक सरणि के रूप में कार्य करता है जिसके जरिए वित्तीय जोखिम सभी वित्तीय संस्थाओं तथा बाजारों में संचरित होते हैं। इस प्रकार सुनिर्धारित तथा कुशलता पूर्वक संचालित प्रणाली निपटान की अनिश्चितताओं को कम कर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती है। निपटान की विफलता जो संसर्गज प्रभाव के जरिए अन्य भुगतान

और निपटान प्रणालियों में फैल जाती है न केवल वित्त बाजार के सहज कार्यकरण को हानि पहुंचाती है बल्कि मुद्रा में आम लोगों के विश्वास तथा लिखतों की प्रभावोत्पादकता तथा मुद्रा अंतरण में उपयोग प्रणालियों में आमलोगों के विश्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

केंद्रीय बैंक विद्यमान तथा निर्धारित प्रणाली की निगरानी, कथित उद्देश्यों के प्रति उनके मूल्यांकन तथा जहाँ आवश्यक हो, परिवर्तन शुरू कर सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली के पर्यवेक्षण (निगरानी) की अवधारणा वित्तीय स्थिरता के प्रति बढ़ती चिंता तथा भुगतान और निपटान प्रणाली उपलब्ध कराने में निजी सहभागियों की बढ़ती हुई भूमिका के कारण हाल के वर्षों में अधिक स्पष्ट और औपचारिक हो गयी है। केंद्रीय बैंकों द्वारा इस ओर बढ़ता हुआ प्रयास समाशोधित तथा निपटाए गए अंतरणों के मूल्य में काफी वृद्धि, प्रमुख प्रणालियां जिनकी संख्या कम है, में लेन-देन के केंद्रीकरण में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ती हुई प्रौद्योगिकीय जटिलताओं को परिलक्षित करता है। यदि प्रमुख प्रणालियों की संरचना भुगतान और निपटान के विभिन्न जोखिमों का समुचित रूप से समाधान नहीं करती है तो सर्वांगी जोखिम बढ़ सकता है।

संदर्भ:

1. बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2005), सेंट्रल बैंक ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टम्स, मई।
2. बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2005), कंसल्टेटिव रिपोर्ट ऑन जनरल गाइडेंस फॉर पेमेंट सिस्टम डेवलपमेंट, मई।

रिज़र्व बैंक के गवर्नर बीपीएसएस के अध्यक्ष हैं और भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी उप गवर्नर उपाध्यक्ष तथा अन्य उप गवर्नर एवं रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के दो सदस्य इसके सदस्य हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग और वित्तीय बाजार समिति के प्रभारी कार्यपालक निदेशक और प्रभारी विधि परामर्शदाता इसके 'स्थायी आमंत्रिती' हैं। बोर्ड के पास 'स्थायी आमंत्रिती' के रूप में एक बाहरी विशेषज्ञ भी है।

2.173 बीपीएसएस के प्रकार्यों और अधिकारों में निम्नलिखित शामिल है : सभी प्रकार के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन, भुगतान और निपटान प्रणालियों को अधिकृत करना तथा सदस्यता के लिए मानक निर्धारित करना। 1999 में गठित राष्ट्रीय भुगतान परिषद को बीपीएसएस की तकनीकी सलाहकार समिति के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है। बीपीएसएस को अपने प्रकार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए मार्च 2005 में रिज़र्व बैंक में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) नामक एक नए विभाग का गठन किया गया।

2.174 मार्च 2005 में गठन के बाद बीपीएसएस की वर्ष में दो बार बैठक हुई हैं। बोर्ड ने अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पर जोर दिया है : (i) भारत में भुगतान प्रणाली

संबंधी सुविधाओं में सुधार कर इसे विश्व में सर्वोत्तम से तुलनीय स्तर का बनाया जाए; (ii) यथाशीघ्र समुचित कानूनी बुनियादी सुविधा का निर्माण किया जाए; (iii) जहाँ कहीं संभव हो भुगतान की नकदी विधि के बजाय इलेक्ट्रॉनिक निधि को अपना देने के लिए योजना बनायी जाए; (iv) चेक ट्रेंकेशन प्रणाली के जरिए चेक समाशोधन व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाना होगा; तथा (v) तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) के उपयोग को अतिरिक्त शाखा कार्यालय खोलने तथा इसके जरिए किए जानेवाले लेनदेन की अधिक संख्या दोनों के संदर्भ में बढ़ोत्तरी की जाए।

2.175 भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें समेकन, विकास और एकीकरण पर समुचित महत्व दिया गया है। वर्तमान भुगतान प्रणाली के समेकन में कंप्यूटरीकृत चेक समाशोधन को सुदृढ़ करना तथा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सुविधाओं (इसीएस) और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की व्याप्ति में विस्तार करना सम्मिलित है। विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एसइएफटी) प्रणाली नामक एक नयी सुविधा, जिसमें देश के लगभग 169 केंद्र सम्मिलित हैं, की शुरुआत से खुदरा भुगतान प्रणाली को गति मिली। विकास संबंधी नीति के महत्वपूर्ण घटकों में नए समाशोधन गृहों को खोलना, भारतीय

वित्तीय नेटवर्क (इंफ्रीनेट) के जरिए समाशोधन गृहों को परस्पर जोड़ना, तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) केंद्रित निधि प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस), तयशुदा लेन देन प्रणाली (एनडीएस) तथा निर्धारित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) का विकास करना। महत्व का एक अन्य क्षेत्र पृथक् - पृथक् बैंकों की प्रणालियों से विभिन्न भुगतान उत्पादों का एकीकरण है। बैंक के भीतर उच्च स्तर के मानकीकरण तथा विभिन्न बैंकों में निर्बाध इंटरफेस (परस्पर कार्य) पर ध्यान दिया गया है।

2.176 आरटीजीएस के कार्यान्वयन के कारण नवंबर 2004 में मुंबई में अंतर बैंक समाशोधन को बंद करने के साथ चरणबद्ध तरीके से पेपर आधारित अंतर बैंक समाशोधन रोक दिया गया है। सभी आरटीजीएस सदस्य बैंक अब अपना अंतर-बैंक लेनदेन का समाशोधन केवल आरटीजीएस के जरिए कर रहे हैं। इस समय 109 प्रत्यक्ष सहभागी हैं (रिज़र्व बैंक, 94 अनुसूचित बैंक तथा 14 प्राथमिक व्यापारी) जिसमें से 84 बैंक देश के 508 शहरों / कस्बों की 11,280 से अधिक शाखाओं में आरटीजीएस आधारित ग्राहक सेवा प्रदान कर रहे हैं। मार्च 2006 तक आरटीजीएस आधारित उपभोक्ता सेवाएं 15,000 बैंकों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

2.177 थोक तथा क्रेडिट-प्रेरित पुनरावृत्ति भुगतान जैसे कि वेतन, पेंशन, लाभांश तथा ब्याज तथा क्रेडिट-सृजित लेनदेन जैसे कि यूटिलिटी बिल, बीमा प्रीमियम, उधार के किस्तों की चुकौती पूरे देश में पहले से ही 45 केंद्रों पर उपलब्ध है। रिज़र्व बैंक द्वारा अधिक केंद्रों में इसीएस उपलब्ध कराने के लिए बैंक परिचालित चेक प्रोसेसिंग केंद्रों (सीपीसी) का सुझाव यथाशीघ्र इसीएस परिचालन शुरू करने के लिए दिया गया है। पहले से ही इसीएस सेवाओं का परिचालन कर रहे बैंकों को भी सूचित किया गया है कि वे सभी केंद्रों पर दो दिवसीय एक समान प्रोसेसिंग चक्र अपनाएं तथा प्रस्तुतीकरण (प्रदर्शन) के रूप में उसी दिन वापसी समाशोधन का भी पालन करें। इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण को बढ़ावा देने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवाओं को 31 मार्च 2006 तक प्रोसेसिंग प्रभार से छूट दी गयी है। इसीएस, इएफटी तथा एसइएफटी के लिए प्रति लेन-देन संबंधी अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

2.178 रांची, गुवाहाटी, तिरुचिरापल्ली में चेक प्रोसेसिंग प्रणाली परिचालित हो जाने से स्वचालित समाशोधन प्रणाली के केंद्रों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इन केंद्रों पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नीशन (माइकर) टेक्नालॉजी का अब इस्तेमाल किया जा रहा है और सदस्य बैंकों का सूचीकरण, चेकों की छंटनी एवं निपटान स्थिति का सुनिश्चयन स्वचालित ढंग से किया जाता है और पूरे देश के

कुल समाशोधन का मात्रा के हिसाब से 85 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 86 प्रतिशत समाशोधन इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्ष के दौरान 17 नए शहरों/कस्बों में माइकर प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना की योजना अनुमोदित की गई है। इससे माइकर समाशोधन वाले शहरों की कुल संख्या 60 हो जाएगी जिसके अंतर्गत मूल्य और मात्रा दोनों के हिसाब से 90 प्रतिशत से अधिक माइकर समाशोधन होंगे। एक शहर के गैर-माइकर आधारित चेक प्रणाली से माइकर आधारित समाशोधन की ओर आने के लिए आमतौर से दो वर्ष का संक्रमण समय लग जाता है क्योंकि सदस्य बैंक गैर-माइकर चेकों के स्टॉक को निर्गत करना जारी रखते हैं। पहले से तैयारी करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे माइकर चेक जारी करें भले ही समाशोधन केंद्र माइकर चेक फार्मेट इस्तेमाल करता हो या न करता हो। माइकर चेक के इस्तेमाल से कंप्यूटिंग प्लेटफार्म पर चेकों के आंकड़े मानकीकृत रूप में एकत्र करने में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में चेक-ट्रंक्शन प्रणाली प्रारंभ करने में भी मदद मिलेगी।

2.179 यद्यपि रिज़र्व बैंक ने निपटान जोखिम को न्यूनतम करने और फुटकर आस्थगित निवल निपटान प्रणाली (डीएनएसएस) की क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, किंतु इसमें ऋण, चलनिधि और परिचालनगत जोखिमों की पूरी संभावना होती है जिससे निपटान प्रक्रिया विफल हो सकती है। एक कार्यदल ने खुदरा भुगतान में जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली के परिचालनगत प्रभाव की जांच की है और यह सिफारिश की है कि विशेष रूप से 'उच्च मूल्य समाशोधन प्रणाली' सहित फुटकर प्रणाली के अंतर्गत बड़े मूल्य की प्रणाली हेतु गारंटी निधि की स्थापना करने की आवश्यकता है।

2.180 हाल के समय में, रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली के संस्थागत, प्रौद्योगिकीगत और प्रक्रियागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों को एकीकृत और सशक्त तरीके से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों जैसे बैंकों, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं, जनता तथा इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005-08 के लिए विज्ञान दस्तावेज तैयार किया गया है। विज्ञान दस्तावेज में अगले तीन वर्षों में भुगतान और निपटान प्रणाली के विज्ञान को कार्यान्वित करने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। विज्ञान दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्ययोजना के प्रमुख विषय बचाव, सुरक्षा, सुदृढ़ता और कुशलता हैं जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली में बचाव से तात्पर्य जोखिम कम करने वाले उपायों से सुरक्षा का अर्थ भुगतान प्रणाली सुदृढ़ आधार पर हो जिसमें परिचालनगत प्रक्रिया हेतु पर्याप्त कानून हो और पारदर्शिता मानदण्ड हों। कौशल वृद्धि करने का आशय लागत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है (बॉक्स II.21)।

9. प्रौद्योगिकी और अन्य मूलभूत सुविधा संबंधी मुद्दे

2.181 वर्ष 2004-05 के दौरान प्रौद्योगिकी से संबंधित की गई अधिकांश पहल का मकसद ग्राहकों को विविध विकल्प देकर बेहतर तथा अधिक कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करना रहा है। दूरी की समाप्ति, प्रौद्योगिकी का उप उत्पाद है, जो बैंकिंग क्षेत्र का सच बन गया है। प्रतिस्पर्धात्मक होने के लिए बैंक की रणनीति में प्रौद्योगिकी प्रमुख भूमिका भी निभा रही है।

2.182 कई बैंकों ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। जहां नए निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और कुछ पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही ऐसी प्रणाली स्थापित कर ली है, वहीं सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों को लाभ होगा। बैंक के कारोबार को कंप्यूटरीकृत किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने 70 प्रतिशत कारोबार को कंप्यूटरीकृत करने के स्तर को पार कर चुके हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकरण प्राप्त किए जाने के आदेश से शाखाओं

का कंप्यूटरीकरण किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.183 बैंकों में नेटवर्किंग पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस गतिविधि की निगरानी रिजर्व बैंक भी कर रहा है। अधिकांश बैंकों में अंतर-शाखा और शाखा-नियंत्रक कार्यालय के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषण स्थापित करने के लिए उनके स्वयं के कार्पोरेट नेटवर्क हैं, जबकि अंतर-बैंक और अंतः-शहर संप्रेषण इन्फिनेट के माध्यम से होता है। इन्फिनेट के अंश के रूप में, स्थलीय (टैरेस्ट्रियल) लाइनें बढ़ाई गई हैं ताकि अधिक आंकड़े अंतरित करने की क्षमता में वृद्धि हो। इन सबने बैंकों को नेटवर्क-आधारित गणना प्रणाली पर निर्भर कर दिया है जिसका लाभ ग्राहकों को मिला है। इन्फिनेट, पब्लिक की-इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विश्वस्त एवं सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का कानूनी समर्थन प्राप्त है। यह एसएफएमएस का प्रयोग करते हुए संदेशों को स्ट्रक्चर्ड परिवेश में वाहित किए जाने की सुविधा प्रदान करता है, जो संदेशों को अंतर-परिचालनात्मक बनाता है ताकि उनकी सीधे-सीधे प्रोसेसिंग (एसटीपी) हो सके।

2.184 वर्ष के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, वह है ग्राहकों के लिए बहुविध सुपुर्दगी चैनलों में वृद्धि जैसे - इंटरनेट आधारित बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कहीं भी बैंकिंग। इससे बैंक

बॉक्स II.21 : भुगतान प्रणाली हेतु विज्ञान दस्तावेज़ 2005-08

विज्ञान दस्तावेज़ में भुगतान एवं निपटान प्रणाली हेतु दिए गए मुख्य कार्रवाई बिंदु निम्नानुसार हैं :

पहले वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान इस बातों पर ध्यान दिया जाएगा : (i) भारतीय बैंक संघ और प्रमुख बैंकों से एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था स्थापित करने के लिए बार-बार कहना जो देश में समस्त खुदरा भुगतान प्रणाली को परिचालित करेगी ; (ii) चार महानगरों के सभी समाशोधनों हेतु दिसंबर 2005 तक राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली प्रारंभ कर देना ; (iii) प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (इएफटी) विनियमावली को अंतिम रूप देना ; (iv) आरटीजीएस प्रणाली के चरण-2 को कार्यान्वित करना अर्थात् एकीकृत लेखांकन प्रणाली (आइएसएस) - आरटीजीएस प्रवाह जिसके दौरान सभी प्रमुख केंद्रों के समस्त अंतर-बैंक लेनदेन का निपटान आरटीजीएस प्लेटफार्म पर होगा और कागज आधारित अंतर-बैंक समाशोधन बंद कर दिया जाएगा ; (v) आरटीजीएस सहभागियों से यह बार-बार कहना कि वे अपनी नेटवर्क वाली सभी शाखाओं को आरटीजीएस के अंतर्गत लाएं, इससे देश में लगभग दस हजार शाखाओं में आरटीजीएस आधारित ग्राहकों के लेनदेन आसानी से हो सकेंगे ; (vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इमेज आधारित चेक ट्रेंडेशन प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर लागू करना ; (vii) माइक्रो चेक प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) पर परिचालनगत कुशलता हेतु न्यूनतम मानक तैयार करना ; (viii) बीएसई और एनएसई द्वारा निर्दिष्ट 500 गहन पूंजी बाजार केंद्रों पर इएफटी सुविधा उपलब्ध कराना ; (ix) रिजर्व बैंक में राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के विभिन्न खण्डों हेतु ग्राहक सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करना ; (x) प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा अपने मानकों एवं शर्तों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण जिनके माध्यम से भुगतान कार्य किया जाएगा तथा सीएफसी की स्थापना सहित क्षतिपूर्ति

नीति और सेवा में किसी भी कमी हेतु क्रियाविधि बनाना ; (xi) भारत में भुगतान प्रणाली से संबंधित रेड बुक का प्रारूप तैयार करना ; और (xii) भुगतान प्रणाली विधेयक के माध्यम से भुगतान प्रणाली से संबंधित व्यापक कानून बनाना।

दूसरे वर्ष के दौरान अर्थात् 2006-07 में यह विचार करना है कि : (i) वर्ष 2005-06 में शुरू किए गए कार्यों को पूरा करना ; (ii) माइक्रो समाशोधन सुविधा 20 अतिरिक्त निर्दिष्ट केंद्रों में उपलब्ध करवाना ; (iii) यह सुनिश्चित करना कि जारी किया गया प्रत्येक चेक माइक्रो फार्मेट एवं मानक में हो ; (iv) नई खुदरा भुगतान संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इएफटी प्रणाली लागू करना ; (v) भारत की सभी भुगतान प्रणाली को सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआइपीएस) के प्रमुख सिद्धांतों के प्रति अनुपालक बनाना ; (vi) अन्य बड़ी कवरेज वाली संस्थाओं जैसे डाकघर के साथ गठबंधन तथा सहयोग से भुगतान सेवाओं के दायरे को बढ़ाना ; और (vii) सरकारी भुगतानों एवं प्राप्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहज बनाना।

तीसरे वर्ष अर्थात् 2007-08 में ये कार्य किए जाएंगे : (i) बड़े मूल्य वाली राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली जैसे आरटीजीएस तथा जी-सेक समाशोधन के लिए उस शहर से बाहर बैंक-अप की व्यवस्था करना ; (ii) खुदरा भुगतान प्रणाली हेतु नए संगठन को उसकी परिधि में ऐसे सभी भुगतानों को लाते हुए पूरी तरह से क्रियान्वित करना ; (iii) विभिन्न भुगतान प्रणालियों को विनियमित करना ; (iv) मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में चेक ट्रेंडेशन आधारित समाशोधन सुनिश्चित करना ; और (v) देश के सभी प्रमुख समाशोधन गृहों/समाशोधन संगठनों में राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली कार्यान्वित करना।

और ग्राहक दोनों को समान रूप से फायदा हुआ है। जहां ग्राहकों को अब चयन हेतु बहुत से विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, वहीं इससे बैंकों की लागत में कमी हुई जिसका उनकी लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

2.185 हालांकि इन गतिविधियों ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे विश्व में जहां भौगोलिक बंधन अपना महत्व खो रहे हैं और दूरी की मौत एक सच बन गई है, यह जरूरी है कि इस संक्रमण काल में जहां प्रचुर मात्रा में धन दांव पर लगा हुआ है, सुरक्षा को सबसे अधिक अहमियत दी जाए। जहां तक भौतिक सुरक्षा से संबंधी चुनौतियों का प्रश्न है, वह तुलनात्मक रूप से आसान है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सुरक्षा की स्थिति अत्यधिक जटिल है। यह सर्वथा स्वीकार्य है कि सुरक्षा उसी प्रकार से प्रभावी होती है जिस प्रकार से किसी चेन में सबसे कमजोर कड़ी। अतः रिजर्व बैंक ने सूचना प्रणाली (आइएस) सुरक्षा तथा आइएस ऑडिट के संबंध में दिशानिर्देश उपलब्ध करवाया है जिसका इस्तेमाल बैंक अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ये दिशानिर्देश सामान्य स्वरूप के हैं और उनमें कोई आदेशात्मक शैली भी नहीं है।

2.186 इस समय विभिन्न वित्तीय कार्यों के लिए कई सुरक्षा मानक उपलब्ध हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं और आइएसओ मानक के अंग हैं। इन अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे बीएस 7799 को रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया है (बॉक्स II.22)। हालांकि, बैंक ऐसे उपाय लागू कर सकते हैं जो उनकी अपनी नीतियों के अनुरूप हों और

उनकी नियमित तथा आवधिक रूप से लेखापरीक्षा सुनिश्चित करें।

सेवा शाखा

2.187 बैंकों को पूर्व में यह अनुमति दी गई थी कि समाशोधन और संबद्ध कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा शाखाएं / क्षेत्रीय वसूली केंद्र खोलें। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के फलस्वरूप हुए परिवर्तन और ग्राहक सेवा में वृद्धि करते हुए परिचालनगत लागत को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने सितंबर 2004 में यह निर्णय लिया कि बैंकों को ऐसी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए जो केवल डाटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रोसेसिंग, अन्य शाखाओं के अनुरोध पर चेक बुक, मांग ड्राफ्ट जारी करना और वे अन्य कार्य करना जो बैंकिंग कारोबार के लिए प्रासंगिक हों और जिनमें ग्राहकों के साथ कोई संपर्क नहीं होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी शाखाओं को 'सेवा शाखा' श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया जाए। तदनुसार, 'सेवा शाखा' समाशोधन एवं संबद्ध बैंकिंग गतिविधियों के कार्य कर सकती हैं जिसमें प्रोसेसिंग केंद्र, बैंक ऑफिस कार्य और वे कार्य जो बैंकिंग कारोबार के लिए प्रासंगिक हों, शामिल हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि 'सेवा शाखा', कॉल सेंटर अथवा फोन बैंकिंग सुविधा या किसी प्रकार की अन्य सुविधा जिसमें ग्राहक से संपर्क होता हो, शामिल नहीं करेगी। बैंकों को यह भी अनुमति दी गई है कि अपनी ग्रामीण शाखाओं को उसी ब्लॉक / सेवा क्षेत्र में रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना स्थानांतरित कर सकते हैं बशर्ते इन बातों का पालन करें : (i)

बॉक्स II.22 : बीएस 7799 मानक

बीएस 7799 सुरक्षा मामलों के कवरेज के हिसाब से व्यापक है, जिसमें काफी संख्या में नियंत्रण अपेक्षाएं हैं। इसलिए, अधिकांश संगठनों के लिए इसका अनुपालन करना महत्वपूर्ण कार्य है। इस मानक को अपनाते हुए, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अधिकांश सूचना सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती हैं। इन मानकों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- सूचना सुरक्षा हेतु प्रबंध दिशा तथा सहायता प्रदान करना जो बीएस 7799 के लिए आधारभूत अपेक्षा है।
- संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा का प्रबंध करना, तीसरे पक्ष द्वारा एक्सेस करते समय संगठनात्मक सूचना प्रोसेसिंग सुविधा और सूचना आस्तियों को सुरक्षित रखना, और जब सूचना प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसी अन्य संगठन से आउटसोर्स की जाए तो सूचना की सुरक्षा को बनाए रखना।
- कंपनी आस्तियों की यथोचित रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि सूचना आस्तियों को उचित स्तर की सुरक्षा प्राप्त है।
- मानवीय गलतियों, चोरी, धोखाधड़ी के जोखिम अथवा सुविधाओं के दुरुपयोग को कम करना और सुरक्षात्मक घटनाओं से होनेवाले नुकसान को न्यूनतम रखना और इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेना।

- सूचना प्रोसेसिंग सुविधाओं का सही और सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करना, प्रणालीगत खराबी के जोखिम को न्यूनतम बनाना, साफ्टवेयर और सूचना की विश्वसनीयता को बचाना तथा सूचना प्रोसेसिंग एवं संप्रेषण की विश्वसनीयता तथा उपलब्धता को बनाए रखना।
- सूचना के एक्सेस पर नियंत्रण रखना, अनधिकृत एक्सेस को रोकना, अनधिकृत गतिविधियों का पता लगाना और मोबाइल कंप्यूटिंग तथा टेलीनेटवर्किंग सुविधाओं का इस्तेमाल करते समय सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि परिचालन प्रणाली में ही सुरक्षा निर्मित की गई है, नुकसान को रोकना, अनुप्रयोग प्रणाली में यूजर डाटा में आशोधन अथवा दुरुपयोग को रोकना।
- बड़ी खराबी अथवा आपदा के प्रभाव से कारोबार की गतिविधियों एवं महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं में पैदा होने वाले व्यवधानों का प्रतिकार करना।
- किसी भी दण्डात्मक अथवा सिविल कानून, सांविधिक, विनियामक अथवा संविदात्मक दायित्वों एवं किसी भी सुरक्षा अपेक्षाओं के उल्लंघन को रोकना, संगठनात्मक सुरक्षा नीतियों और मानकों का प्रणालियों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना तथा प्रणाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया में/से हस्तक्षेप न्यूनतम करना।

बॉक्स II.22 : वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी संबंधी विज्ञान दस्तावेज

विज्ञान दस्तावेज में चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है अर्थात् विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) वित्तीय क्षेत्र हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तथा सरकारी कार्यों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी।

विज्ञान दस्तावेज में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में विविध प्रकार की मिश्रित प्रणालियों के बीच मानकीकरण के कार्यान्वयन के रूप में उत्पन्न होती चुनौतियों, निर्णय समर्थित प्रणाली तथा जोखिम-आधारित अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को सहज बनाने हेतु प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें विनियामक कार्यों से संबंधित आंकड़ों के संचार के लिए संयुक्त रूप से अंतर-परिचालनीय वेब आधारित संरचना, तथा रिजर्व बैंक में गैर-महत्वपूर्ण कार्यों के परिचालनों को अलग रखते हुए, समस्त सूचनाओं के लिए एक के द्रिकृत डाटाबेस के इस्तेमाल का समावेश किया गया है।

विज्ञान दस्तावेज में आइडीआरबीटी को प्रमुख अनुसंधान संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर ध्यान

केंद्रित रखेगा, कारोबार संबंधी गतिविधियों को अलग रखते हुए शैक्षिक / प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

वित्तीय क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को मान्यता देते हुए विज्ञान दस्तावेज में विभिन्न मानकों एवं दृष्टिकोणों के संबंध में सामान्य सूचना उपलब्ध कराना, आइएस लेखा परीक्षा और कारोबार की निरंतरता योजना के अपेक्षित महत्व जैसे रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की व्याख्या की गई है। विज्ञान दस्तावेज में यह प्रस्ताव किया गया है कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि प्रौद्योगिकी के प्रयास सभी प्रकार के बैंकों तथा बैंकों के सभी प्रकार के ग्राहकों, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचें और ऐसे प्रौद्योगिकी उत्पाद का इस्तेमाल हो जो सामर्थ्य में हो और जिनका उपयोग लक्ष्यित ग्राहकों द्वारा परस्पर संसाधन के रूप में हो सके।

दस्तावेज में सरकारी क्षेत्र के लेनदेनों (जिनमें आने वाले वर्षों में अत्यधिक वृद्धि होने की अपार संभावना है) में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का ब्योरा दिया गया है, जिसमें कारोबार की प्रक्रिया की री-इंजियरिंग, नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव लाना ताकि उन्हें ई-गवर्नेंस के अनुरूप इस प्रकार से बनाया जा सके कि कार्यान्वित योग्य उद्देश्य हासिल किए जा सकें।

मौजूदा और प्रस्तावित दोनों केंद्र एक ही ब्लॉक में और शाखा के सेवा क्षेत्र में हों, और (ii) दूसरे स्थान पर स्थानांतरित शाखा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आबंटित ग्रामों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम होगी।

2.188 रिजर्व बैंक ने 6 मई 2005 को वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी विज्ञान दस्तावेज का प्रारूप जारी कर दिया है। इसमें रिजर्व बैंक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध में दो दशकों से अधिक समय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु दिए गए मार्गदर्शन का व्यापक चित्रण और वित्तीय क्षेत्र के लिए वर्ष 2005-06 तक के लिए मार्च का खाका प्रस्तुत किया गया है (बॉक्स II.23)।

10. बैंकिंग क्षेत्र में विधिक सुधार

2.189 एक कुशल वित्तीय प्रणाली में एक ऐसे विनियामक ढांचे की आवश्यकता होती है जिसमें सुस्पष्ट परिभाषित उद्देश्य हों, पर्याप्त और स्पष्ट विधिक ढांचा तथा पारदर्शी पर्यवेक्षी प्रक्रिया हो। परिणामस्वरूप, इसके लिए व्यापक कानून की आवश्यकता होती है ताकि विनियामक प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारियों को कारगर तरीके से निभा सके। अतः रिजर्व बैंक बदलते परिवेश के अनुसार विधिक ढांचे को अद्यतन करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है।

संसद द्वारा हाल में बनाए गए अधिनियम

2.190 प्रतिभूति हित प्रवर्तन और वसूली ऋण विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम संख्या 30) ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों की पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम 2002 (एसएआरएफएइएसआइ), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम 1993 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 को संशोधित कर दिया है। इस संशोधित अधिनियम से एसएआरएफएइएसआइ अधिनियम में संशोधन हो गया है और अन्य बातें भी शामिल हैं : (i) उधारकर्ता द्वारा ऋण वसूली ट्रिबुनल के समक्ष बिना कोई रकम जमा किए आवेदन करना, (ii) यह व्यवस्था है कि ऋण वसूली ट्रिबुनल आवेदनों का निपटान आवेदन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्र करेगी, (iii) ऋण वसूली ट्रिबुनल के किसी आदेश से दुःखी व्यक्ति द्वारा ऋण वसूली अपीलीय ट्रिबुनल के समक्ष उसके द्वारा देय ऋण की रकम जो विश्वस्त उधारदाता द्वारा दावाकृत है, की पचास प्रतिशत रकम अथवा ऋण वसूली ट्रिबुनल द्वारा यथानिर्धारित रकम जो भी कम हो, अपीलीय ट्रिबुनल के पास जमा करके अपील दायर करना।

2.191 ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 का उद्देश्य रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ऋण सूचना का विनियमन करना और ऋण आदि का दक्ष वितरण सुविधाजनक बनाना है। उक्त अधिनियम सरकार द्वारा अधिकारिक गजट (राजपत्र) में अधिसूचित किए जाने के बाद अमल में आएगा। अधिनियम लागू हो जाने के बाद कोई भी कंपनी रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ऋण सूचना का कारोबार न तो प्रारंभ कर सकती है और न ही चला सकती है। अधिनियम में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रक्रिया, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता और ऋण सूचना कंपनियों के प्रबंधन का निर्धारण किया गया है। यह अधिनियम रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह ऋण सूचना कंपनियों के कार्यों के

संबंध में नीति निर्धारित करे और ऐसी कंपनियों तथा ऋण संस्थाओं और विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं को निर्देश दे। अधिनियम में ऋण सूचना कंपनियों द्वारा किए जा रहे ऋण सूचना कार्यों, लेखा परीक्षकों की शक्तियों एवं कर्तव्य, ऋण संस्थाओं द्वारा ऋण सूचना कंपनियों की सदस्यता प्राप्त करना, सूचना गोपनीयता सिद्धांत, ऋण सूचना फाइलों और ऋण रिपोर्टों में संशोधन, ऋण सूचना के अनाधिकृत इस्तेमाल से संबंधित विनियमन, अपराध और दण्ड, निष्ठा और गोपनीयता के प्रति दायित्व दिए गए हैं। अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है - ऋण संस्थाओं और ऋण सूचना कंपनियों, अथवा ऋण संस्थाओं और ऋण सूचना कंपनियों या ऋण संस्थाओं और उनके उधारकर्ताओं के बीच विवाद का निपटान। अधिनियम में कानून की कतिपय विधि में संशोधन करने का प्रावधान है ताकि ऋण सूचना के प्रकटीकरण को अनुमति दी जा सके।

संसद में प्रस्तुत विधेयक

2.192 सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004 संसद में 21 दिसंबर 2004 को प्रस्तुत किया गया जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों एवं रिजर्व बैंक द्वारा उसके प्रबंधन से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है : (i) रिजर्व बैंक में सहायक सामान्य खाता, ग्राहक का सहायक सामान्य खाता तथा बाण्ड सामान्य खाता खोलना और बनाए रखना ; (ii) रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु फार्म निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करना; (iii) न्यासियों द्वारा सरकारी प्रॉमिसरी नोट धारित करना; (iv) सरकारी प्रतिभूतियों के एक लाख रुपए तक के स्वत्वाधिकार को मान्यता देने वाली सरल प्रक्रिया जिसमें केंद्र सरकार को उक्त सीमा एक करोड़ रुपए तक बढ़ाने की शक्ति प्रदान करना शामिल है; (v) माइक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की अनुलिपियों, चुंबकीय टेप और कंप्यूटर प्रिंट आउट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना; और (v) सहायक सामान्य बही खाता के धारकों को उक्त सुविधा के दुरुपयोग की स्थिति में खाते की सुविधाओं की सहायता से किए जाने वाले व्यापार को निलंबित करना। विधेयक की अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं - सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में गिरवी, दृष्टिबंधन अथवा ग्रहणाधिकार का सृजन करना, और रिजर्व बैंक को सूचना मांगने, निरीक्षण करने एवं निर्देश देने तथा विधेयक के प्रयोजनों को लागू करने की दृष्टि से केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियामवली बनाने की शक्ति प्रदान करना।

2.193 मई 2005 में संसद में प्रस्तुत भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक 2005 और बैंककारी विनियमन (संशोधन)

विधेयक 2005 बाद में स्थायी वित्त समिति के पास भेज दिए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस विधेयक में ये प्रावधान शामिल किए गए हैं : (i) अभिव्यक्तियों 'डेरिवेटिव', 'रेपो' और 'रिवर्स रेपो' को परिभाषित करना; (ii) रिजर्व बैंक को डेरिवेटिव कारोबार करने, प्रतिभूतियां उधार देने और लेने तथा रेपो एवं रिवर्स रेपो कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करना; (iii) नकद प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) की न्यूनतम एवं उच्चतम सीमा को हटाना तथा रिजर्व बैंक को सीआरआर निर्दिष्ट करने की छूट देना, (iv) रिजर्व बैंक द्वारा डेरिवेटिव की विधिक वैधता से संबंधित अस्पष्टता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक को ऐसे डेरिवेटिव निर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान करना जिनकी खरीद बिक्री बैंकों और संस्थाओं के बीच शेयर बाजार के बाहर (ओटीसी डेरिवेटिव) की जा सके; और (v) रिजर्व बैंक को नीति बनाने एवं सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों, डेरिवेटिव से संबंधित विभिन्न प्रकार की संविदाओं का काम करने वाली किसी भी एजेंसी को निर्देश देने और उनका निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करना।

2.194 बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन शामिल हैं। प्रस्तावित संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : (i) अनुमोदित प्रतिभूति शब्द को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां और रिजर्व द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियां के रूप में पुनः परिभाषित करना; (ii) बैंकिंग कंपनियों को रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अधिमानी शेयरों को जारी करने की शक्तियां प्रदान करना; (iii) किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक के शेयरों के अभिग्रहण एवं मत का अधिकार प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन संबंधी अपेक्षा की धारा जोड़ना और उसे इस प्रकार का अनुमोदन देने हेतु शर्तें निर्धारित करने और साथ-साथ मताधिकार संबंधी पाबंदी हटाने के लिए प्राधिकृत करना; (iv) मताधिकार की पाबंदी हटाना; (v) किसी कंपनी को कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने हेतु किसी प्रकार की वचनबद्धता पर पाबंदी के संबंध में धारा 20 के प्रावधानों से किसी बैंकिंग कंपनी को छूट देने हेतु रिजर्व बैंक को प्राधिकृत करना, (vi) सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 25 प्रतिशत तक की न्यूनतम सीमा को समाप्त करना और रिजर्व बैंक को वर्तमान की 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की शर्त पर एसएलआर बिना किसी न्यूनतम या उच्चतम सीमा के निर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान करना; (vii) बैंकिंग कंपनी को वित्तीय विवरण

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

प्रकट करने अथवा उसे रिज़र्व बैंक को ऐसे अन्य विवरण एवं सूचना जो उसके कारोबार से अथवा उसके सहयोगी उद्यमों के कार्यों से संबंधित है, सहित प्रस्तुत करने और उनका निरीक्षण करने के निदेश देने के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना; (viii) बैंकिंग कंपनी के बोर्ड को अधिक्रमित करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना; तथा (ix) जनहित में किसी सहकारी बैंकों के खातों की विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश देने हेतु रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना।

सरकार के विचाराधीन विधेयक

2.195 भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक में अपेक्षा की गई है कि भुगतान और निपटान प्रणाली को विनियमित करने के लिए

रिज़र्व बैंक को मनोनीत किया जाए। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं : (i) भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए रिज़र्व बैंक से अनिवार्य प्राधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा का प्रावधान, (ii) मानकों का निर्धारण सूचना, विवरणियों तथा दस्तावेज मंगवाते हुए भुगतान प्रणाली को विनियमित एवं पर्यवेक्षित करने हेतु रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना; (iii) जिस स्थान पर भुगतान प्रणालियां परिचालित की जा रही हैं ऐसे स्थानों में प्रवेश कर लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण; (iv) निर्देश जारी करना तथा अन्य कानूनों पर हावी (अध्यारोही) होना; और (v) निपटान हेतु तथा सहभागियों द्वारा धनराशियों, प्रतिभूतियों अथवा देय विदेशी मुद्रा के निर्धारण पर निवल स्थिति को अंतिम एवं अटल बनाने का प्रावधान करना।

वाणिज्य बैंकों के परिचालन और कार्यनिष्पादन

3.1 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)¹ के मजबूत समष्टिगत कार्यनिष्पादन से उनके कारोबार और वित्तीय कार्यनिष्पादन को सहारा मिलना जारी रहा। वाणिज्य बैंकों के परिचालनों की विशिष्टता थी कुल ऋण के स्वरूप में परिवर्तन। पिछले वर्ष की गिरावट की प्रवृत्ति को उलटते हुए, बैंक ऋण ने वर्ष के दौरान मजबूत वृद्धि दर्शायी। ऋण उठाव भी व्यापक आधारवाला था जिसमें आवास तथा फुटकर खंडों में कृषि और उद्योग भी जुड़ गए जिससे ऋण की मांग बढ़ गई। देयता पक्ष में, जमाराशियों की वृद्धि कुछ धीमी हो गई। ऋण की बढ़ी हुई माँग पूरी करने के लिए बैंकों का गैर जमा संसाधनों का सहारा लेना बढ़ गया और उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों में नए निवेश करना नियंत्रित किया। सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित आय कम होने के बावजूद सरकारी और निजी क्षेत्र के नए बैंकों की लाभप्रदता बढ़ गई। ऋण में सुदृढ़ वृद्धि दर्शाते हुए निवल ब्याज आय तेजी से बढ़ी जिससे ब्याजेतर आय में तीव्र गिरावट का प्रभाव एक हद तक कम हो गया। इस प्रकार, बैंक सामान्य रूप से ब्याज दर चक्र के ऊर्ध्वमुखी प्रभाव को झेलने में सफल रहे। इसके अतिरिक्त, 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार आया, जिससे मार्च 2004 से 90 दिवसीय चूक मानदंड अपनाने के बावजूद, अनर्जक परिसंपत्तियों में वास्तविक मात्रा की दृष्टि से लगातार तीसरे वर्ष समग्रतः गिरावट आयी। जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तीव्र वृद्धि के साथ बैंकों के पूंजी आधार में भी वृद्धि हुई। अधिकांश बैंकों के स्टॉकों में हुई तीव्र वृद्धि इस बात की द्योतक थी कि बैंकों के कारोबार तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ।

3.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनों और वित्तीय कार्यनिष्पादन की रूपरेखा समग्र स्तर पर तथा बैंक समूह स्तर पर दी गई है। इस अध्याय में ग्यारह भाग हैं। भाग 2 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों का विश्लेषण समष्टि दृष्टिकोण से दिया गया है, जबकि भाग 3 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर परिचालन प्रस्तुत किए गए हैं। भाग 4 में उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन की चर्चा की गई है। भाग 5 में दृढ़ता संकेतकों के कार्यनिष्पादन की रूपरेखा दी गई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पूंजी बाजार परिचालनों का ब्योरा

भाग 6 में दिया गया है उसके बाद भाग 7 में बैंकों में तकनीकी प्रौद्योगिकी की प्रगति की चर्चा की गई है। बैंकिंग के क्षेत्रीय विस्तार का विश्लेषण भाग 8 में दिया गया है। इसके बाद बैंकों में ग्राहक सेवाओं संबंधी चर्चा भाग 9 में प्रस्तुत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन क्रमशः भाग 10 तथा 11 में दिया गया है।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताएं और परिसंपत्तियां

3.3 वर्ष 2004-05 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समुच्चयित तुलनपत्र 19.3 प्रतिशत की उच्चतर दर से बढ़े (1 अक्टूबर 2004 से एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपांतरण का प्रभाव छोड़कर 15.2 प्रतिशत) जोकि 2003-04 में 16.2 प्रतिशत थे (सारणी III.1)। चालू कीमतों पर उपादान लागत पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में परिसंपत्ति का अनुपात 2003-04 के 78.3 प्रतिशत से काफी बढ़कर 80.4 प्रतिशत हो गया जो यह दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में और सुदृढ़ता आई है। इक्विटी गुणकों में दिखे अनुसार बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता की स्थिति (कुल परिसंपत्तियों को कुल इक्विटी से विभाजित करके मापी गई) में पिछले वर्ष के 16.9 से गिरावट आई और वह 15.8 हो गई।

3.4 मुख्य तुलनपत्र संकेतकों ने 2004-05 के दौरान अलग-अलग प्रवृत्ति दिखाई। मजबूत आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक सुधार के साथ-साथ ऋणों तथा अग्रिमों ने सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की, जबकि बढ़ती हुई ब्याज दरों के परिदृश्य में निवेशों में पर्याप्त कमी आयी। बचत के अन्य साधनों से स्पर्धा बढ़ने के कारण जमाराशियों का कार्यनिष्पादन मंद हो गया। तथापि, उधार राशियाँ और निवल स्वाधिकृत निधियाँ (पूँजी तथा आरक्षित निधि और अधिशेष) तेजी से बढ़ीं जोकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमाराशियों से इतर संसाधनों के उभरते महत्व का द्योतक है।

3.5 बैंक समूहवार विचार किया जाए तो निजी क्षेत्र के नए बैंक उच्चतम दर (19.4 प्रतिशत) से बढ़े जिनके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (15.1 प्रतिशत, रूपांतरण का प्रभाव छोड़कर), विदेशी बैंकों (13.6 प्रतिशत) और पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों (10.6 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी III.2)। मार्च 2005 के अंत में

¹ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 28 सरकारी क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और उनके 7 सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य सरकारी क्षेत्र का बैंक (एक)), निजी क्षेत्र के 9 नए बैंक, निजी क्षेत्र के पुराने 20 बैंक और 31 विदेशी बैंक शामिल हैं।

सारणी III.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च की समाप्ति पर					
	2004		2005		2005 #	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. पूंजी	22,348	1.1	25,183	1.1	25,905	1.1
2. प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	94,254	4.8	1,18,326	5.2	1,23,530	5.2
3. जमाराशियां	15,78,450	80.0	18,21,884	80.1	18,36,987	78.0
3.1 मांग जमाराशि	2,03,237	10.3	2,30,709	10.1	2,34,595	10.0
3.2 बचत बैंक जमाराशि	3,73,677	18.9	4,43,052	19.5	4,44,944	18.9
3.3 मीयादी जमाराशि	10,01,536	50.7	11,48,123	50.5	11,57,447	49.1
4. उधार राशियां	95,562	4.8	1,18,311	5.2	1,68,316	7.1
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	1,83,402	9.3	1,90,918	8.4	2,01,244	8.5
कुल देयताएं/आस्तियां	19,74,017	100.0	22,74,622	100.0	23,55,983	100.0
आस्तियां						
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	1,13,246	5.7	1,15,711	5.1	1,18,087	5.0
2. बैंकों के पास शेष राशि और मांग और अल्पावधि सूचना पर जमाराशियां	82,033	4.2	92,927	4.1	96,204	4.1
3. निवेश	8,04,199	40.7	8,43,081	37.1	8,68,135	36.8
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क+ख)	6,39,143	32.4	6,84,005	30.1	6,98,903	29.7
क. भारत में	6,36,266	32.2	6,80,641	29.9	6,95,540	29.5
ख. विदेश में	2,877	0.1	3,363	0.1	3,363	0.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	18,100	0.9	16,291	0.7	16,291	0.7
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,46,956	7.4	1,42,785	6.3	1,52,941	6.5
4. ऋण और अग्रिम	8,64,271	43.8	11,05,725	48.6	11,51,138	48.9
4.1 खरीदे और भुनाये गये बिल	66,968	3.4	87,188	3.8	89,544	3.8
4.2 नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट आदि	3,72,207	18.9	4,35,777	19.2	4,37,060	18.6
4.3 मीयादी ऋण	4,25,096	21.5	5,82,760	25.6	6,24,534	26.5
5. अचल आस्तियां	21,409	1.1	22,161	1.0	23,051	1.0
6. अन्य आस्तियां	88,860	4.5	95,018	4.2	99,367	4.2
# : एक और गैर बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने सहित						
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र						

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल परिसंपत्तियों, जमाराशियों, अग्रिम तथा निवेश में सबसे अधिक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बना रहा जिनके बाद उल्लेखनीय रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था। कुल परिसंपत्तियों और अग्रिमों में विदेशी बैंकों का हिस्सा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों से अधिक था [सारणी III.3 और परिशिष्ट सारणियां III.1(अ) से III.1(इ)]।

जमाराशियां

3.6 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों की वृद्धि दर 15.4 प्रतिशत थी (रूपांतरण प्रभाव के सिवाय) जोकि पिछले वर्ष के 16.4 प्रतिशत की तुलना में कम थी जिसका कारण मांग जमाराशियों और बचत जमाराशियों में नरमी था। मांग जमाराशियों में गिरावट का मुख्य कारण प्रारंभिक प्रभाव

सारणी III.2: तुलनपत्र में वृद्धि : बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

मद	मार्च की समाप्ति पर									
	2004					2005				
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नये बैंक	विदेशी बैंक	सभी अन-वाणिज्य बैंक	सार्व-जनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनु-वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी	3.5	-2.5	5.4	3.3	3.5	5.8 (0.9)	27.8	6.7	51.0	15.9 (12.7)
2. प्रारक्षित और अधिशेष	25.6	17.9	24.2	14.5	23.6	30.6 (22.6)	7.0	56.6	17.3	31.1 (25.5)
3. जमाराशियां	13.9	15.5	41.0	15.7	16.4	16.8 (15.6)	10.8	21.1	7.9	16.4 (15.4)
3.1 मांग जमाराशियां	11.6	15.0	105.6	50.8	23.6	15.6 (12.8)	19.2	10.6	19.7	15.4 (13.5)
3.2 बचत बैंक जमाराशियां	20.2	24.2	85.1	40.1	23.6	18.0 (17.4)	17.8	32.7	23.4	19.1 (18.6)
3.3 मीयादी जमाराशियां	11.9	13.8	24.0	-0.1	12.7	16.5 (15.3)	8.2	21.6	-2.0	15.6 (14.6)
4. उधार	34.9	-10.7	-3.8	8.9	9.3	207.0 (41.7)	0.9	10.6	24.3	76.1 (23.8)
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	11.7	18.5	24.2	41.8	15.9	10.0 (2.2)	12.9	6.3	12.8	9.7 (4.1)
कुल देयताएं / आस्तियां	14.4	15.0	28.3	16.3	16.2	20.6 (15.1)	10.6	19.4	13.6	19.3 (15.2)
1. भारिवैंक के पास नकदी और शेष राशि	29.3	19.5	38.6	59.7	31.5	6.8 (4.0)	13.0	-7.9	-7.0	4.3 (2.2)
2. बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	0.1	18.5	48.6	48.5	9.2	13.0 (7.3)	31.8	33.3	19.5	17.3 (13.3)
3. निवेश	14.8	19.0	31.9	1.9	15.9	9.5 (5.5)	-6.2	7.2	2.2	8.0 (4.8)
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	18.0	23.9	36.4	6.1	19.2	11.2 (8.3)	-1.3	2.3	4.4	9.3 (7.0)
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-5.7	-21.7	27.3	11.0	-6.1	-9.8 (-9.8)	-24.4	-8.8	25.0	-10.0 (-10.0)
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में	3.8	9.4	23.1	-11.2	6.3	3.9 (-6.4)	-19.7	17.9	-6.3	4.1 (-2.8)
4. ऋण और अग्रिम	15.4	12.4	28.6	16.0	16.9	35.0 (27.8)	22.7	32.8	24.5	33.2 (27.9)
जिसमें से : मीयादी ऋण	32.5	21.4	27.6	26.9	30.4	54.5 (39.8)	30.8	30.9	34.1	46.9 (37.1)
5. नियत आस्तियां	8.9	-1.0	7.4	-10.6	5.6	16.6 (8.8)	4.6	-4.2	-3.6	7.7 (3.5)
6. अन्य आस्तियां	0.8	1.0	-2.4	40.4	5.3	11.2 (3.7)	6.9	18.6	10.0	11.8 (6.9)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ों में एक गैर बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित कर देने का प्रभाव शामिल नहीं है।

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलनपत्र

था क्योंकि मांग जमाराशियों में गत वर्ष असाधारण वृद्धि दर्ज हुई थी। तथापि, मांग जमाराशियों में वृद्धि दीर्घावधि औसत के अनुरूप थी। बचत जमाराशियां, जोकि फुटकर देयता अधिकार का सामर्थ्य दर्शाती है और जो बैंकों के ग्राहक बनाने के प्रयासों का मूल हैं, वह मजबूती से बढ़ी, यद्यपि यह वृद्धि गत वर्षीय वृद्धि से कुछ कम थी। मीयादी जमाराशियों की उच्च वृद्धि प्रमुख रूप से अनिवासी भारतीयों

की जमाराशियों तथा प्रमाणपत्रों के कारण थी। इन जमाराशियों के सिवाय, मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर में गिरावट आई जिसका कारण था मीयादी जमाराशियों के स्थान पर पोस्टल जमाराशियों तथा अन्य निवेश उत्पादों के पक्ष में संभावित निवेश जो मीयादी जमाराशियों की तुलना में कर प्रोत्साहन तथा प्रतिलाभ की आकर्षक दर के लाभ के कारण तेज गति से बढ़ते रहे।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख घटक-बैंक समूहवार (मार्च की समाप्ति पर)

(प्रतिशत)


बैंक समूह	आस्तियाँ			जमाराशियाँ			अग्रिम			निवेश		
	2004	2005	2005#	2004	2005	2005#	2004	2005	2005#	2004	2005	2005#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	74.5	74.4	75.3	77.9	78.0	78.2	73.2	73.2	74.2	77.9	78.4	79.0
राष्ट्रीयकृत बैंक	46.7	46.8	45.2	50.3	50.2	49.8	47.7	47.4	45.6	47.1	47.4	46.1
स्टेट बैंक समूह	27.8	27.6	26.6	27.6	27.8	27.5	25.5	25.8	24.7	30.8	30.9	30.0
अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-	-	3.5	-	-	0.8	-	-	3.9	-	-	2.9
निजी क्षेत्र के बैंक	18.6	18.8	18.2	17.0	17.3	17.1	19.8	20.0	19.2	17.0	16.6	16.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	6.1	5.9	5.7	6.7	6.4	6.4	6.4	6.2	5.9	5.9	5.3	5.1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	12.5	12.9	12.5	10.3	10.9	10.8	13.3	13.8	13.3	11.0	11.3	11.0
विदेशी बैंक	6.9	6.8	6.5	5.1	4.7	4.7	7.0	6.8	6.5	5.2	5.0	4.9

- : कुछ नहीं / नगण्य

: एक गैर-बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने के प्रभाव सहित

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलनपत्र

3.7 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखी जमाराशियों के संयोजन और स्वामित्व के स्वरूप पर मार्च 2004² के बैंकिंग सांख्यिकीय विवरणों सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि घरेलू क्षेत्र का हिस्सा, जोकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखी जमाराशियों में सर्वाधिक था, मार्च 2003 के अंत के 65.4 प्रतिशत से तेजी से कम होकर मार्च 2004 के अंत में 58.4 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल मीयादी जमाराशियों में धारित घरेलू क्षेत्र की जमाराशियों के संबंध में अधिक स्पष्ट थी (चार्ट III.1)। अद्यतन आंकड़े बतलाते हैं कि 2004-05 के दौरान घरेलू बचत कम हो गई। बैंकों के बीच जमाराशियों के लिए स्पर्धा बढ़ रही है कुछ बैंकों ने विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों से जमाराशियां जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं।




3.8 अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियों में 2004-05 के दौरान मध्यम दर्जे की वृद्धि हुई जबकी पिछले वर्ष रिसर्जेंट इंडिया बांडों के शोधन के कारण उनमें भारी गिरावट आयी थी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने वर्ष के दौरान जमा प्रमाणपत्र अधिक जारी करने का सहारा लिया जो कि आसान चलनिधि परिस्थितियों में कुछ असामान्य लगता है। जमा प्रमाणपत्रों की शेष राशि अप्रैल 2004 के 4,626 करोड़ रुपए से तेजी से बढ़कर मार्च 2005 में 12,078 करोड़ रुपए हो गई (परिशिष्ट सारणी III.2)।

3.9 जमा प्रमाणपत्रों की मांग बढ़ने के अनेक कारण थे। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बैंक जमाराशियों में निधियां रखने पर रोक लगाये जाने के बाद म्यूचुअल फंडों ने जमा प्रमाणपत्रों में निवेश करना आरंभ किया। 1 मार्च 2004 से जमा प्रमाणपत्रों पर स्टैप शुल्क में कमी, स्रोत पर कर कटौती समाप्त कर दिया जाना, जमा प्रमाणपत्रों के अंतर्गत जमाराशियों की अपरिपक्व बंदी पर प्रतिबंध की वापसी के साथ-साथ मीयादी जमा जैसे वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी लिखत और गौण बाजार ट्रेडिंग हेतु अधिक अवसर ऐसे अन्य कारक हैं जिनसे जमा प्रमाणपत्रों की मांग बढ़ गई। जमा प्रमाणपत्र जारी करना बैंक विशिष्ट कारकों से भी प्रेरित था। कम शाखा नेटवर्क और फुटकर ग्राहक आधार वाले बैंकों ने जमा प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकाधिक सहारा लिया। कुछ अति प्रतिष्ठित बैंक बाजार में बेहतर पहुंच के लिए अपने जमा प्रमाणपत्रों की रेटिंग करवा रहे हैं हालांकि वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह अनिवार्य नहीं है।

3.10 बैंक समूहों में, जमाराशियों के विस्तार में सर्वाधिक तेज गति निजी क्षेत्र के नए बैंकों की थी (21.1 प्रतिशत) जिसके बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों (15.6 प्रतिशत), निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों (10.8 प्रतिशत) तथा विदेशी बैंकों (7.9 प्रतिशत) का स्थान था। कुल जमाराशि में निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से बढ़ा है। (चार्ट III.2)

² आरबीआइ बुलेटिन, सितंबर 2005



गैर जमाराशि संसाधन

3.11 गैर जमाराशि संसाधनों, नामतः निवल स्वाधिकृत निधियों (पूँजी तथा आरक्षित) निधियाँ और उधार ली गई राशियों में उल्लेखनीय वृद्धि 2004-05 के दौरान की उल्लेखनीय बात थी। पूँजी आधार बढ़ाने व निधियों की बढ़ी हुई माँग पूरी करने के लिए बहुत से बैंकों ने इक्विटी जारी करके घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से पैसे की उगाही की। 2004-05 में बैंकों ने घरेलू इक्विटी बाजार से 7,444 करोड़ रुपये व अंतरराष्ट्रीय बाजार से ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों के माध्यम से 1,473 करोड़ रुपये उगाहे (भाग 6 देखें)। आरक्षित निधि में वृद्धि से इक्विटी निर्गमों पर लिए गए प्रीमियम तथा प्राप्त लाभों को रोक रखे जाने का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। उधार ली गई राशियों में वृद्धि घरेलू पूँजी बाजार में ऋण निर्गमों में वृद्धि और मुख्यतः विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशियों में वृद्धि के कारण थी (बॉक्स III.1)। उधारी ली गई राशियों में 22,749 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि में 52.5 प्रतिशत (11.941 करोड़ रुपये) विदेशी मुद्रा में थी (पैरा 3.13 भी देखें)।

बॉक्स III.1: गैर जमाराशि संसाधनों का बढ़ता महत्व



बैंकों ने अपने उधार देने संबंधी परिचालनों का निधोयन परंपरागत ढंग से मुख्यतः जमाराशियों से किया। तथापि, हाल के वर्षों में, बैंकों के तुलनपत्रों के देयता पक्ष में कुछ परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि निधोयन का मुख्य स्रोत जमाराशियां बनी रहीं, वहीं गैर जमाराशि संसाधनों का महत्व अपेक्षाकृत बढ़ गया है। गैर-जमाराशि संसाधनों के भीतर कुल देयताओं में उधार ली गई राशियों और आरक्षित निधियों का हिस्सा क्रमिक रूप से बढ़ा है (चार्ट 1)। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में पूँजी का हिस्सा कम हो गया है, किंतु निवल स्वाधिकृत निधियों का हिस्सा कुछ बढ़ गया है। पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों ने प्रमुख रूप से प्राप्त लाभों को रोक रखने का काम किया है। हाल के वर्षों में बैंकों की लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिससे वे अपने लाभ का निवेश पुनः कर सके हैं।

उधार ली राशियों के दो उल्लेखनीय स्रोत थे, पहला, गौण ऋण, जोकि टियर II पूँजी बढ़ाने के लिए घरेलू पूँजी बाजार में जारी किए गए थे, और विदेशी मुद्रा में उधार ली राशियों में वृद्धि। विदेशी मुद्रा उधार राशियों में तीव्र विस्तार का कारण था उत्पादक प्रयोजनों के लिए निवासियों की विदेशी मुद्रा उधार आवश्यकता को सुविधाजनक बनाने संबंधी उदारीकरण के विविध उपाय। विदेशी मुद्रा उधारों के स्रोत का पता लगाने के लिए बैंकों को दी गई छूट, विशेषतः

विदेशी मुद्रा में पोटलदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी) की स्वीकृति / निर्यातकों को निर्यात बिल पुनर्भुनाई, उच्च विदेशी मुद्रा उधार राशियों का अन्य कारण था। बैंकों को यह भी अनुमति दी गई कि वे घरेलू फॉरेक्स बाजारों में क्रय-विक्रय स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशियों का उपयोग, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कुल अंतर मर्यादा की शर्त पर, ऐसे ऋणों की स्वीकृति के लिए कर सकते हैं।

बैंक अपने उधार देने संबंधी परिचालनों के निधोयन के लिए उधार लेने पर जितना निर्भर करते हैं, उतने ही वे अनिश्चितता का सामना करते हैं क्योंकि प्रतिभूति बाजार के भागीदार ब्याज दरों और बाजार की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बाजार से उधार ली गई राशियाँ जमाराशियों की तुलना में अधिक महंगी होती हैं और बाजार की उधार पर ज्यादा निर्भरता से ब्याज मार्जिन घट सकती है। तथापि, ऐसे उधार ली गई राशियों को दीर्घवधिस्वरूप के कारण चलनिधि-जोखिम कम हो जाता है तथा बैंकों को दीर्घवधि परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अवसर मिलता है।

गैर-जमा संसाधनों में तीव्र वृद्धि के मौद्रिक निहितार्थ भी हैं क्योंकि परंपरागत व्यापक मौद्रिक परिदृश्य तुलनपत्र में परिसंपत्तियों की वृद्धि पर्याप्त रूप से नहीं दिखाते हैं। यह निवल मुद्देतर देयताओं के अनुपात से स्पष्ट है जो 1990-91 तथा 1998-99 के दरम्यान लगातार गिरने के बाद 2004-05 में तेजी से बढ़ा (चार्ट 2)।



भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं

3.12 बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में 2003-04 के 10.1 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 के दौरान 15.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वृद्धि में अधिकांशतः विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशियों तथा अन्य देयताओं का योगदान था जिसमें प्रमुखरूप से एडीआर/जीडीआर से उगाही गई आय और अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी शामिल थी। विदेशी मुद्रा उधार लेने में पिछले वर्ष की 82.5 प्रतिशत वृद्धि के उपरांत इस वर्ष 35.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। अनिवासी बाह्य रुपया जमा राशियों में पिछले वर्ष की 42.9 प्रतिशत तीव्र वृद्धि की तुलना में 13.0 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। एडीआर/जीडीआर से उगाहे गए संसाधनों में पिछले वर्ष की 66.9 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर 2004-05 में 92.8 की वृद्धि हुई (सारणी III.4)।


3.13 यद्यपि विदेशी मुद्रा जमा राशियों का स्थान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में सबसे ऊपर बना रहा,

सारणी III.4: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं- के प्रमुख घटक

(राशि करोड़ रुपये में)

देयता का प्रकार	मार्च के अंत में		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
1. जमा राशियां और ऋण	1,45,930 (72.8)	1,78,994 (81.1)	2,03,154 (79.7)
<i>जिनमें से:</i>			
क) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर(बी)] जमा राशियां	43,989	45,386	50,796
ख) विदेशी मुद्रा उधार*	18,411	33,598	45,539
ग) अनिवासी विदेशी रुपया (एनआरइ)	53,124	75,938	85,811
घ) खाता अनिवासी गैर-प्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) रुपया जमा राशियां	15,207	7,335	824
2. प्रतिभूति बांडों (आइएमडी/आर आइबी सहित) के अपने निर्गम	44,087 (22.0)	27,720 (12.6)	26,805 (10.5)
3. अन्य देयताएं	10,475 (5.2)	14,017 (6.4)	25,039 (9.8)
<i>जिनमें से:</i>			
क) एडीआर/जीडीआर	3,833	6,396	12,331
ख) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	556	1,379	3,239
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	6,086	6,242	9,469
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	2,00,493	2,20,730	2,54,999

* : भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार, बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।
टिप्पणी : 1. स्थानीय बैंकिंग सांख्यिकी पर आधारित
2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत है।




किंतु विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशियों की तुलना में उनके महत्व में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया (चार्ट III.3)।

3.14 कुल देयताओं में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं का महत्व हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत बढ़ गया (चार्ट III.4)।

बैंक क्रेडिट


3.15 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में पिछले वर्ष की 15.3 प्रतिशत की वृद्धि तुलना में 2004-05 में 26.0 प्रतिशत



की भारी वृद्धि (रूपांतरण प्रभाव छोड़कर) हुई। खाद्यान्न ऋण में पिछले वर्ष की 13,518 करोड़ रुपए की गिरावट के मुकाबले 5,159 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। दूसरी ओर खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के 18.4 प्रतिशत की तुलना में 26.5 प्रतिशत बढ़ा (रूपांतरण के प्रभाव को छोड़कर)। ऋण के तीनों घटकों अर्थात् खरीदे और बढ़ाकृत बिल, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट तथा मीयादी ऋणों ने पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर वृद्धि दर्ज की। मीयादी ऋण, जोकि कुल ऋण में 50.0 प्रतिशत से अधिक हिस्से के साथ सबसे बड़ा अवयव है,ने 46.2 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की। परिणामतः कुल अग्रिमों तथा समग्र घरेलू पूंजी निर्माण, दोनों में, उनका हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ा गया (चार्ट III.5)।

ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन

3.16 2004-05 के दौरान ऋण प्रवाह विस्तृत आधारवाला हो गया। यद्यपि आवास निर्माण, लघु परिवहन परिचालकों तथा फुटकर ऋणों के मामले में ऋण वृद्धि अच्छी तरह जारी रही, लेकिन कृषि तथा उद्योग को ऋण प्रवाह उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। सुदृढ औद्योगिक वृद्धि से औद्योगिक ऋण (मध्यम और बड़े) पिछले वर्ष के 5.1 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि के मुकाबले 2004-05 के दौरान 17.4 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि हुई।(सारणी III.5 और परिशिष्ट सारणी III.3)। विशेषतः इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण तेजी से बढ़ा। पिछले दो वर्षों की गिरावट के विपरीत खाद्यान्न ऋण भी उच्चतर खरीद परिचालनों के कारण वर्ष के दौरान बढ़ा। थोक व्यापार तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को भी पर्याप्त ऋण दिया गया। ऋण का बड़ा आधार अच्छी बात है क्योंकि कुछ ही आर्थिक क्षेत्रों में ऋण केंद्रित करने से क्षेत्र विशिष्ट की समस्याएं बढ़ती हैं और उधार देने वाली संस्थाओं का ऋण जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है (बॉक्स III.2)।



प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

3.17 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण पिछले वर्षीय 24.7 प्रतिशत के चरम स्तर के बाद तेजी से 31.0 प्रतिशत बढ़ा। वृद्धिशील आधार पर, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण का प्रवाह 81,793 करोड़ रुपए था (निवल बैंक ऋण का 39.3 प्रतिशत) जबकि पिछले वर्ष यह 52,225 करोड़ रुपए (54.8 प्रतिशत) था। वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रमुख रूप से कृषि तथा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रभावित था। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् मार्च 2002 के अंत से मार्च 2005 के अंत तक कृषि को ऋण लगभग दुगुना हो गया। लघु उद्योगों को दिए गए ऋण में मध्यम दर्जे की वृद्धि हुई (सारणी III.6)।

सारणी III.5: खाद्येतर ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन : प्रवाह (वर्ष में घट-बढ़)

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	2003-04		2004-05	
	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	52,225	24.7	81,793	31.0
2. उद्योग (मझोले और बड़े)	12,042	5.1	42,976	17.4
3. थोक व्यापार (खाद्यान्न उगाही से इतर)	2,289	10.1	8,947	36.0
4. अन्य क्षेत्र	41,811	27.7	69,328	36.0
जिनमें से: आवास	15,394	42.1	23,192	44.6
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	2,675	18.9	1,808	10.8
स्थावर संपदा ऋण	-317	-5.4	5,035	90.3
कुल (1 से 4)	1,08,367	17.5	2,03,044	27.9
जिनमें से : निर्यात ऋण	8,485	17.2	8,227	14.3


टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जो सभी के बैंक ऋण का 85-90 प्रतिशत हैं।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

बॉक्स III.2: उच्च ऋण वृद्धि - क्या यह चिंता का कारण है?

2004-05 के दौरान ऋण वृद्धि तेज रही और यह प्रवृत्ति चालू वित्त वर्ष में लगातार बनी रही। ऋण में अत्यधिक वृद्धि का समय नीति निर्माताओं के लिए अवसर तथा चुनौतियाँ - दोनों प्रस्तुत करता है। यद्यपि वित्तीय मध्यस्थता में अधिक वृद्धि सामान्यतः वृद्धि और निपुणता के आधिक्य से जुड़ा होता है, वहीं अत्यधिक ऋण वृद्धि से ऋण की गुणवत्ता में अक्सर गिरावट आ जाती है। इसलिए, नीति निर्माता दुविधा की स्थिति का सामना करते हैं कि उच्चतर वृद्धि और निपुणता को बढ़ावा देने के लिए बैंक उधार देने के साथ ही, ऋण की गुणवत्ता में ऐसी गिरावट से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम कैसे किया जाए।


ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन बैंकों के ऋण संविभाग के जोखिमपन का उपयोगी पहला निर्देशक होता है जोकि किसी भी अस्तित्व - देयता प्रबंध की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हाल के वर्षों में खाद्येतर ऋण वृद्धि को जो बड़ा बल मिला वह कृषि तथा उद्योग के सिवाय, विशेषरूप से, आवास निर्माण, लघु परिवहन परिचालकों और फुटकर ऋणों से उद्भूत था। तथापि, 2004-05 के दौरान खाद्येतर क्रेडिट की माँग बढ़ाने वाले प्रेरक क्षेत्रों में कृषि तथा उद्योग भी जुड़ गए। इसके परिणामस्वरूप, 2004-05 के दौरान ऋण का अभिनियोजन पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ज्यादा विस्तृत आधारवाला था। कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि से इन क्षेत्रों में ऋण की माँग बढ़ी। 2001-2002 में कुछ घट-बढ़ के बाद, कृषि ऋण तेजी से बढ़ा (20 प्रतिशत व अधिक) जिससे कृषि ऋण पर नया नीतिगत बल दिखाई दिया (चार्ट 1)।



उद्योग को ऋण ने स्थूल रूप से औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति का अनुसरण किया (चार्ट 2)। यद्यपि उद्योग क्षेत्र को ऋण का प्रवाह पिछले वर्षों में तदनुसारी अवधि के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 17.4 प्रतिशत बढ़ा, किंतु वह समग्र ऋण वृद्धि से निम्नतर रहा। परिणामतः, 2004-05 में समग्र बैंक ऋण में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कम हो गया (सारणी)। यह कंपनियों की बैंक वित्त पर घटी हुई निर्भरता और आंतरिक संसाधनों और विदेशी तथा घरेलू बाजार निधियों दोनों पर निर्भरता बढ़ने के कारण हुआ।

अन्य क्षेत्रों को ऋण, 1997-98 को छोड़कर, समग्र खाद्येतर ऋण वृद्धि से उच्चतर रहा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व का द्योतक है। यद्यपि फुटकर ऋण तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी ऐसे क्षेत्रों का हिस्सा कुल मिलाकर बहुत लघु रहा है जोकि अमरीका, यू के, चीन तथा जापान से विपरीत है जहाँ बैंकों के उधार देने के संविभाग में फुटकर उधार देने का भारी हिस्सा होता है।

जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात दिसंबर 1969 के अंत के लगभग 10 प्रतिशत से सतत बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हो गया (चार्ट 3)। तथापि, इतने वर्षों की सतत वृद्धि के बावजूद भारत में जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात, बहुत सी उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, बहुत कम है (चार्ट 4)। यह इस



सारणी : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल खाद्येतर ऋण का अभिनियोजन

(प्रतिशत)


क्षेत्र	वृद्धि दर		कुल में अंश	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
कृषि	23.2	35.2	12.4	13.1
उद्योग	5.9	17.0	43.0	39.3
अन्य	29.4	36.3	44.6	47.5
इनमें से :				
थोक व्यापार*	10.1	36.0	3.3	3.5
आवास	42.1	44.6	6.8	7.7
स्थावर संपदा ऋण	-5.4	90.3	0.7	1.1
गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋण	26.0	67.2	4.6	6.0

* : खाद्यान्न उगाही से उतर


टिप्पणी : उद्योग में लघु उद्योग, मझौले और बड़े उद्योग शामिल हैं।

बात का संकेतक है कि भारत में वित्तीय सुदृढ़ता अभी भी कम है और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बाद इसमें और अधिक सुधार प्रत्याशित है।

फिर भी, फुटकर ऋण की ऊंची वृद्धि में अंतर्निहित जोखिमों, विशेषरूप से आवास निर्माण और वैयक्तिक ऋण खण्ड में, को पहचानकर रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी जोखिम निर्धारण तकनीकों को तेज करने की जरूरत के बारे में सचेत किया ताकि ऋण की गुणवत्ता के किसी भी विपरीत प्रभाव से बचा जा सके। एक प्रतिचक्र्रीय उपाय के रूप में, आवास निर्माण व उपभोक्ता ऋणों पर जोखिमरोधी उपाय निर्धारित किए गए और वैयक्तिक ऋणों तथा क्रेडिट कार्ड समेत उपभोक्ता ऋणों तथा आवास निर्माण ऋणों के मामले में जोखिम भार 2004-05



की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, स्थावर संपदा क्षेत्र की तीव्र ऋण वृद्धि को देखते हुए बैंकों को जुलाई 2005 में सूचित किया गया था कि वे स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण आदि जोखिम संबंधी नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित करारक लागू करें और प्रकटीकरण को अलग विवरणियों में रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें।



फुटकर ऋण खण्ड में अनर्जक अस्तित्वाँ वर्तमान समय में लगभग 2.0 प्रतिशत के निम्न स्तर पर हैं। कार्पोरेट क्षेत्र के ऋणों के विपरीत, फुटकर ऋणों में किसी एक ऋण से संबंधित कोई बड़े नुकसान नहीं होते हैं। इसलिए, यदि बैंक पर्याप्त जोखिम निगरानी तथा प्रबंध प्रणाली लागू करते हैं तो भविष्य में चिंता नहीं होनी चाहिए, हालांकि यह जरूरी नहीं है कि पिछला कार्यनिष्पादन सदैव अच्छा दिशानिर्देश हो।

सारणी III.6: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

श्रेणी	बकाया			
	22 मार्च 2002	21 मार्च 2003	19 मार्च 2004	18 मार्च 2005
1	2	3	4	5
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (क+ख+ग)	1,75,259	2,11,609	2,63,834	3,45,627
		(20.7)	(24.7)	(31.0)
क) कृषि	60,761	73,518	90,541	1,22,370
		(21.0)	(23.2)	(35.2)
ख) लघु उद्योग	57,199	60,394	65,855	76,114
		(5.6)	(9.0)	(15.6)
ग) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	57,299	77,697	1,07,438	1,47,143
		(35.6)	(38.3)	(37.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर दर्शाते हैं।

3.18 हाल के वर्षों में कृषि को ऋण महत्वपूर्ण प्रमुखता का क्षेत्र रहा है। अगले तीन वर्षों में कृषि को ऋण प्रवाह दोगुना करने की सरकार की जून 2004 की घोषणा के अनुसरण में कई उपाय शुरू

किए गए (बॉक्स III.3)। नीतिगत बल देने का अगला क्षेत्र लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण देना है और बहुत से बैंकों ने इस क्षेत्र को ऋण वृद्धि की शुरुआत कर दी है। उदाहरण के लिए, कुछ बैंकों

बॉक्स III.3: कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

कृषि ऋण, कृषि और संबद्ध कारोबार का संवर्धन करके गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, दसवीं पंच वर्षीय योजना में कृषि हेतु ऋण बढ़ाकर 7,36,750, करोड़ रुपए करने का विचार किया गया है जबकि नौवीं पंच वर्षीय योजना में यह 2,29,956 करोड़ रुपए था। 18 जून 2004 को, सरकार ने एक व्यापक नीति घोषित की जिसके अनुसार कृषि क्षेत्र को अगले तीन वर्षों में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए दिए जाने वाले ऋण की मात्रा दोगुनी की जाएगी। 2004-05 के दौरान 1,15,243 करोड़ रुपए के कुल संवितरण से, लक्षित ऋण 10 प्रतिशत अधिक हो गया (सारणी)। इसी पथ पर चलते हुए, 2005-06 के केंद्रीय बजट में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा और 30 प्रतिशत ऋण वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 50 लाख उधारकर्ता बढ़ाने की सूचना दी गई।

हाल के वर्षों में कृषि संबंधी मुख्य घटनाक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ (क) कृषि ऋण वितरण में वृद्धि तथा समय-समय पर उसकी समीक्षा (ख) कृषि संबंधी दीर्घावधि निरंतर वृद्धि में ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रभाव की दृष्टि से उसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना और (ग) लघु वित्त और अन्य पहलों को संवर्धित करके ग्रामीण निर्धनों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के नवोन्मेषी उपाय शामिल हैं।

रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया है कि वे वार्षिक आधार पर विशेष कृषि ऋण योजनाएं बनाएं। वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए, प्लान के अंतर्गत कुल कृषि संवितरण 55,616 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 65,218 करोड़ रुपए था। कृषि को ऋण प्रवाह और बैंकिंग प्रणाली संबंधी गतिविधियों के संबंध में

बनाई गई सलाहकार समिति (अध्यक्ष: प्रो. वी.एस. व्यास) की सिफारिशों तथा 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में घोषित किए गए अनुसार विशेष कृषि ऋण योजना व्यवस्था 2005-06 से निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू की गई। बैंकों को सूचित किया गया कि वे 2005-06 के लिए विशेष कृषि ऋण योजना के लक्ष्य निर्धारित करें जिसमें 2004-05 के संवितरण से 30 प्रतिशत वृद्धि रखें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे मार्च 2007 तक विशेष कृषि ऋण योजना के तहत लघु तथा सीमांत अपने किसानों को प्रत्यक्ष अग्रिमों का 40 प्रतिशत संवितरण करें। बैंकों को कृषि संबंधी 50,000 रुपए तक, तथा कृषि एग्री-बिजनेस और एग्री क्लीनिक संबंधी 5 लाख रुपए तक के ऋणों पर मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से छूट देने की अनुमति दी गई। ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि पर ब्याज दरें संशोधित करके, पिछले वर्षों कम हुई ब्याज दरों के अनुरूप कम किया गया। यह निर्णय लिया गया कि रबी मौसम 1999-2000 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को उसके वर्तमान रूप में 2005-06 के खरीफ और रबी मौसम में जारी रखा जाए।

दो नवोन्मेष, यथा लघु वित्त और किसान क्रेडिट कार्ड योजना हाल के वर्षों में ग्रामीण ऋण के वितरण संबंधी घटकों की समस्याओं के समाधान में बड़े नीतिगत उपकरण के रूप में उभरे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बढ़ती लोकप्रियता ऋण की समय पर उपलब्धता, असुविधा मुक्त परिचालनों को सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता और न्यूनतम लेनदेन लागत और प्रलेखीकरण के आधार पर ऋण की उपलब्धता दर्शाती है। 2004-05 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 43,95,564 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। संघीय रूप से, पब्लिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या जून 2005 तक बढ़कर 1,83,55,173 हो गई।

कृषि को ऋण प्रवाह और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 2005-06 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में कई उपाय घोषित किए। इनमें निम्न बातें शामिल हैं - (i) कृषि में निवेश बढ़ाने की रणनीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष: श्री वाई एस पी थोरात) स्थापित करना (देखें बॉक्स II.1) ; (ii) बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण पर ग्राहक संतुष्टि निर्धारण के लिए बाहरी एजेंसी की सहायता से सर्वेक्षण कराना ; और (iii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के तहत किसानों के ऋणों की सीमा उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख करना।

सारणी : कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह

	(रु.करोड़)				
एजेंसी/वर्ष	1997-98	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05
(अनुमानित)					
सहकारी बैंक	14,085	18,363	24,296	26,959	30,638
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,040	3,172	5,467	7,581	11,718
वाणिज्य बैंक	15,831	24,733	41,047	52,441	72,886
जोड़	31,956	46,268	70,810	86,981	1,15,243
स्रोत : नाबार्ड					

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

सारणी III.7 : सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	2,44,456	3,10,093	48,920	69,384
	(43.6)	(43.2)	(47.3)	(43.3)
<i>जिसमें से :</i>				
कृषि	84,435	1,12,475	14,730	21,475
	(15.1)	(15.7)	(14.2)	(12.1)
लघु उद्योग	58,311	67,634	7,590	8,668
	(10.4)	(9.4)	(7.3)	(5.4)
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,01,710	1,29,984	26,600	39,241
	(18.1)	(18.1)	(25.7)	(24.5)
टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित समूहों के लिए निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के हैं।				

ने लघु उद्योग क्षेत्र के उधारकर्ताओं को रेटिंग देने की दृष्टि से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ अनुबंध किया है। इससे उधार देने की गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाएगी और बैंक ब्याज दर, मार्जिन तथा लघु क्षेत्र के उद्योग उधारकर्ताओं की संपार्श्विक अपेक्षाओं को निश्चित कर पाएंगे।

3.19 एक समूह के रूप में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उप-

लक्ष्य, जैसे कृषि, अत्यंत लघु क्षेत्र, कमजोर वर्गों को अग्रिम, विभेदक ब्याज दर योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए³। उप-लक्ष्य प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय अंतर देखा गया। सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से 2 बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के समग्र लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए (परिशिष्ट सारणी III.4. तथा III.5)

3.20 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने का निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन कम संतोषजनक रहा क्योंकि निजी क्षेत्र के 30 में से 12 बैंक समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। केवल एक निजी क्षेत्र बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्य प्राप्त कर सका। कमजोर वर्ग हेतु निजी क्षेत्र बैंकों के अग्रिम निवल बैंक क्रेडिट के 1.2 प्रतिशत ही थे जोकि 10 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है (सारणी III.7, परिशिष्ट सारणियां III.6 तथा III.7)।

3.21 विदेशी बैंकों ने, एक समूह के रूप में, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का समग्र लक्ष्य, निर्यात क्रेडिट का उप लक्ष्य और लघु उद्योग का लगभग पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया⁴ (सारणी III.8)।

3.22 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिया गया कुल ऋण मार्च 2005 के अंत में उनके निवल बैंक ऋण के 5.4 प्रतिशत था जिसमें 23 बैंकों ने अपने निवल बैंक ऋण के 5 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए चयनित सरकारी क्षेत्र बैंकों का सहायता संघ

सारणी III.8: विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को ऋण

(मार्च के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि रु. करोड़ में)

क्षेत्र	2003		2004पी		2005पी	
	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशत
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	14,555	33.1	17,960	34.1	23,886	35.4
<i>जिनमें से :</i>						
निर्यात ऋण	8,276	18.8	9,760	18.5	11,942	17.7
लघु उद्योग	4,010	9.1	5,307	10.1	6,914	10.3
पी : अर्न्तम						
# : इनमें इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रस्थापित करने के लिए दिए गए अग्रिम प्रायोजित बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई निधियां, सॉफ्टवेयर उद्योगों, खाद्यान्न और एग्रो-प्रोसेसिंग क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह और वेंचर पूंजी के लिए, ऋण शामिल है।						

³ सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कृषि और कमजोर वर्गों को दिए जानेवाले उधारों के लिए निवल बैंक ऋण का क्रमशः 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।

⁴ विदेशी बैंकों के लिए लघु उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के उप-लक्ष्य निर्दिष्ट किए गए हैं।

बनाया गया जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अगुआ था। ये ऋण संघ के पांच प्रधान बैंकों की मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत कम दर पर दिए जाते हैं। मार्च 2005 के अंत में, सहायता संघ द्वारा इस योजना के अंतर्गत संवितरित 738 करोड़ रुपए में से 342 करोड़ रुपए बकाया थे। मार्च 2005 के अंत में विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिम 3.3 लाख उधारकर्ता खातों में 385 करोड़ रुपए थे जो पिछले वर्ष के अंत में कुल बकाया अग्रिमों के 0.1 प्रतिशत थे जो 1.0 के लक्ष्य से बहुत कम थे।

लघु वित्त


3.23 अनुसूचित वाणिज्य बैंक स्वयं सहायता समूह व बैंक लिकेज कार्यक्रम के जरिए लघु वित्त देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। 2004-05 में स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण 2,994 करोड़ रुपए थे जो 61.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (30.0 प्रतिशत) और सहकारी बैंकों (10.0 प्रतिशत) की तुलना में 60.0 प्रतिशत बढ़ा (विस्तृत विवरण के लिए अध्याय IV देखें)।

उद्योग को ऋण

3.24 2004-05 के दौरान उद्योग को ऋण प्रवाह तेजी से बढ़ा। औद्योगिक ऋण में वृद्धि सड़क तथा पत्तन, पावर, दूर संचार, रत्न और जवाहरात, सूती कपड़े, लोहा तथा इस्पात, पेट्रोलियम, औषधियों एवं औषधि निर्माण, निर्माण, विद्युत, अन्य कपड़े और अवशिष्ट उद्योगों जैसे विविध क्षेत्रों में थी। इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों को ऋण वृद्धि, पिछले वर्षीय 62.4 प्रतिशत की चरम वृद्धि के ऊपर 36.6 प्रतिशत थी (परिशिष्ट सारणी III.8)। समस्त अभियांत्रिकी, जूट कपड़े, चीनी तथा कागज और कागज उत्पादों को बैंक ऋण कम हो गया (चार्ट III.6)।

फुटकर क्रेडिट

3.25 हाल के वर्षों की सुदृढ़ वृद्धि जारी रखते हुए 2004-05 में फुटकर अग्रिम अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र ऋणों तथा अग्रिमों के 27.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 41.2 प्रतिशत (77,947 करोड़ रुपए) बढ़े। परिणामतः, मार्च 2005 को समाप्त वर्ष में कुल ऋणों और अग्रिमों में उनका हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। आवास वित्त ने उच्चतम वृद्धि दर्ज की जिसके बाद अन्य वैयक्तिक ऋणों (जिसमें ऑटो ऋण, प्रोफे शनलों को ऋण तथा शैक्षिक ऋण शामिल हैं) एवं क्रेडिट कार्ड संबंधी प्राप्य आय का स्थान था। तथापि, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु ऋण कम हो गए (सारणी III.9)।



निर्यात ऋण

3.26 निर्यात ऋण 2003-04 की 17.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2004-05 में 14.3 प्रतिशत बढ़ा। निवल बैंक ऋण में निर्यात ऋण का हिस्सा पिछले वर्षों में कम हो रहा है, हालांकि निर्यात तेजी से बढ़ रहे हैं (चार्ट III.7)। निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा में 2004-05 में उल्लेखनीय भिन्नता थी (परिशिष्ट सारणी III.9)। 2004-05 में लिया गया बकाया निर्यात ऋण पुनर्वित्त नगण्य था। तथापि, दिसंबर 2004 और मई 2005 में निर्यात ऋण पुनर्वित्त अचानक बढ़ गया जो विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियों का द्योतक है।


सारणी III.9: बैंकों का खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़
	2004	2005	
1	2	3	4
1. आवास ऋण	89,449	1,34,653	50.5
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6,256	3,810	-39.1
3. क्रेडिट कार्ड की प्राप्त राशियां	6,167	8,405	36.3
4. अन्य निजी ऋण	87,170	1,20,120	37.8
कुल खुदरा ऋण	1,89,041	2,66,988	41.2
	(1+2+3+4)	(21.9)	(24.1)
अनु. वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण और अग्रिम	8,64,271	11,05,725	27.9

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण और अग्रिमों में प्रतिशत अंश का द्योतक है।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (देशी)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05



सारणी III.10 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण (मार्च की समाप्ति पर)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2004	कुल का प्रतिशत	2005	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूंजी बाजार	3,711 (49.4)	12.8	3,767 (1.5)	9.6
2. स्थावर संपदा	15,848 (27.1)	54.6	24,691 (55.8)	62.9
3. पण्य	9,459 (8.3)	32.6	10,783 (14.0)	27.5
कुल (1+2+3)	29,018 (22.5)	100.0	39,241 (35.2)	100.0

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत अंतर के हैं।

विदेशी बैंकों, नए निजी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्थान था (सारणी III.11. एवं परिशिष्ट सारणी III.10)।

संवेदनशील क्षेत्रों को उधार देना

3.27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को उधार देने में वृद्धि होती रही जो प्रमुख रूप से स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण वृद्धि (55.8 प्रतिशत) के कारण थी (सारणी III.10)। संवेदनशील क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल ऋण आदि जोखिम / कुल बैंक ऋणों और अग्रिमों के केवल 3.5 प्रतिशत था (जिसमें स्थावर संपदा क्षेत्र की 2.2 प्रतिशत, पण्य क्षेत्र की 1.0 प्रतिशत और पूंजी बाजार की 0.3 प्रतिशत शामिल थी)।

3.28 बैंक समूहों में, पुराने निजी क्षेत्र बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को दिए गए ऋण आदि जोखिम उच्चतम थे (बैंकों के कुल ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में मापी गई) जिसके बाद

निवेश

3.29 बैंक निवेशों में दो मुख्य श्रेणियां शामिल हैं, यथा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश) एवं निजी और कंपनी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र, शेयर, बंधपत्र और डिबेंचर (एसएलआर से भिन्न निवेश)। बैंकों का लगभग 89 प्रतिशत निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में है। 2004-05 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निवेश पिछले वर्ष के 15.9 प्रतिशत के मुकाबले 4.7 प्रतिशत बढ़े (रूपांतरण प्रभाव के सिवाय)।

सारणी III.11 : संवेदनशील क्षेत्र को ऋण-बैंक समूहवार

(प्रतिशत)


क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		विदेशी बैंक	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में*								
पूंजी बाजार	0.2	0.2	1.0	0.7	0.5	0.5	1.8	1.1
स्थावर संपदा	1.6	1.9	2.9	3.4	2.2	3.4	2.3	2.7
पण्य	1.0	0.8	1.4	1.6	2.7	2.4	0.5	0.7
संवेदनशील क्षेत्र को कुल अग्रिम	2.7	2.8	5.3	5.7	5.4	6.3	4.6	4.6

* : आंकड़े संबंधित बैंक समूह के कुल ऋण और अग्रिमों के प्रतिशत से संबंधित हैं।

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

3.30 बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी निवल माँग तथा मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत का सांविधिक चलनिधि अनुपात, सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बनाए रखें। तथापि, हाल में वर्षों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने सांविधिक अपेक्षा से अधिक सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ बनाए रखीं। 2004-05 के दौरान सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश की वृद्धि पिछले वर्षीय 1,01,871 करोड़ रुपए (18.3 प्रतिशत) के मुकाबले 42,081 करोड़ रुपए (6.4 प्रतिशत) पर बहुत कम रही। परिणामतः, बैंकों की निवल माँग तथा मीयादी देयताओं के प्रतिशत के रूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात में निवेश मार्च 2004 के अंत के 41.3 प्रतिशत और 16 अप्रैल 2004 के 42.7 के शीर्ष से कम होकर 38.4 प्रतिशत रह गया जो 30 सितंबर 2005 को बढ़कर 35.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.8)।

3.31 बैंक समूहवार, सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवेश 2004-05 में 21.2 प्रतिशत बढ़ा जो 2003-04 की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अंक कम था। 2004-05 में सरकारी प्रतिभूतियों में निजी क्षेत्र के बैंको का निवेश तेजी से 31.5 प्रतिशत बढ़ा जो 2003-04 में 16.5 प्रतिशत बढ़ा था, जिससे जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में प्रति पूंजी का अनुपात बढ़ाने के उनके प्रयास प्रतिबिंबित हुए। सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी बैंकों का निवेश 2003-04 के 27.6 प्रतिशत के मुकाबले 2004-05 में 6.0 प्रतिशत बढ़ा।



एसएलआर से भिन्न निवेश

3.32 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एसएलआर से भिन्न निवेशों में 2003-04 की 4.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2004-05 में 3.9 प्रतिशत (परिवर्तन को छोड़कर) की गिरावट आई जो नवंबर और दिसंबर 2003 में एसएलआर से भिन्न प्रतिभूतियों पर जारी रिजर्व बैंक के निदेशों के बाद बैंक द्वारा किए गए पोर्टफोलियो समायोजन दर्शाते हैं। वर्ष के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश बढ़ गए, जबकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों/डिबेंचरों के मामले में ये मामूली बढ़ गए (सारणी III.12)।

सारणी III.12: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	निम्नलिखित तारीख को बकाया					
	19 मार्च 2004	कुल का प्रतिशत	18 मार्च 2005	कुल का प्रतिशत	18 मार्च 2005*	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
कुल गैर एसएलआर निवेश (1+2+3)	1,20,718	100.0	1,24,379	100.0	1,15,962	100.0
1. वाणिज्यिक पत्र	3,770	3.1	3,891	3.1	3,621	3.1
2. निम्नलिखित द्वारा जारी शेयरों में निवेश जिनमें से :	9,696	8.0	13,427	10.8	9,918	8.6
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1,272	1.1	1,613	1.3	1,565	1.3
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	7,395	6.1	10,288	8.3	7,374	6.4
3. निम्नलिखित द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश जिनमें से :	1,07,252	88.8	1,07,061	86.1	1,02,423	88.3
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	48,646	40.3	45,937	36.9	45,290	39.1
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	27,903	23.1	31,934	25.7	28,620	24.7
4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूच्युअल फंड	11,808		12,623		11,575	

* : परिवर्तनों को छोड़कर

टिप्पणी : डाटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं। डाटा बैंकों द्वारा प्रस्तुत सांविधिक धारा 42 (2) विवरणियों के आधार पर.

सारणी III.13: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां-प्रकारानुसार

(राशि करोड़ रुपए में)

परिसंपत्ति	मार्च के अंत में बकाया		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां (1+2+3)	1,04,574	1,15,765	1,33,237
1. ऋण और जमाराशियां	97,657	1,08,527	1,24,582
जिनमें से:			
क) अनिवासियों को ऋण *	4,634	4,281	4,103
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण **	36,859	44,079	58,092
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात ऋण	19,242	20,609	26,171
घ) नास्त्रो शेष@	36,708	39,282	35,673
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिता	1,027	858	979
3. अन्य आस्तियां @@	5,890	6,380	7,676

* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण।
 ** : विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर ऋण, बैंकों को विदेशी मुद्रा ऋण और बैंकों के पास विदेशी मुद्रा जमाराशियों सहित
 @ : अनिवासी बैंकों के पास रखी मीयादी जमाराशियों में शेष सहित (विदेश में धारित एफसीएनआर निधियों सहित)।
 @@ : भारतीय बैंकों की शाखाओं/सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां
 टिप्पणी : स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी पर आधारित

बैंकिंग प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां

3.33 निवासी कार्पोरेटों द्वारा ऋण की भारी मांग का परिणाम निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण में तथा नोस्त्रों खातों में शेष जमाराशियां आहरित करने में पर्याप्त वृद्धि पा गई। 2004-05 के दौरान जहां अनिवासियों पर आहरित निर्यात बिलों की मात्रा बढ़ गई वहीं अनिवासियों को दिए गए ऋण कम हो गए। (सारणी III.13)।

3.34 बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण संकेत देता है कि रिपोर्टिंग बैंकों ने 'बैंक' क्षेत्र तथा 'गैर बैंकनिजी' क्षेत्र में निवेश करने / को उधार देने को वरीयता दी। परिणामतः 2004-05 के दौरान गैर बैंक निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर सबसे बड़े घटक के रूप में उभरा जबकि बैंकों पर दावे उल्लेखनीय रूप से कम हो गए (सारणी III.14)।

3.35 मार्च 2005 के अंत में, निकटवर्ती देश विशेष के जोखिम पर आधारित बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे प्रमुख रूप से अमरीका, हांगकांग तथा ब्रिटेन में केंद्रित थे जो कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों के लगभग 50.3 प्रतिशत थे (सारणी III.15)।

त्रैमासिक प्रवृत्तियां - वाणिज्य बैंकिंग सर्वेक्षण⁵

3.36 संपूर्ण 2004-05 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि सुविधाजनक बनी रही (परिशिष्ट सारणी III.11)। पहली तिमाही प्रणाली में एक बड़ी चलनिधि अधिकता के साथ शुरू हुई, जो वाणिज्य

सारणी III.14: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का क्षेत्रगत वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में बकाया राशि		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां (1+2+3)	91,061	78,124	74,238
1. बैंक	51,551 (56.6)	43,057 (55.1)	33,589 (45.2)
2. बैंकेतर पब्लिक	2,331 (2.6)	1,520 (1.9)	1,857 (2.5)
3. बैंकेतर प्राइवेट	37,179 (40.8)	33,547 (42.9)	38,792 (52.3)

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत है।
 2. बैंक क्षेत्र में आधिकारिक मौद्रिक संस्थाएं (आइएफसी और इसीबी) तथा केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
 3. मार्च 2005 में समाप्त तिमाही से पूर्व बैंकेतर पब्लिक क्षेत्र में बैंकों को छोड़कर ऐसी कंपनियां / संस्थाएं शामिल थीं जिनमें राज्य / केंद्रीय सरकार और उनके विभागों सहित राज्य / केंद्रीय सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी। मार्च 2005 की तिमाही से बैंकेतर पब्लिक में केवल राज्य / केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं तथा तदनुसार बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं को 'बैंकेतर प्राइवेट' क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा रहा है।
 4. समेकित बैंकिंग सांख्यिकी पर आधारित - निकटवर्ती देश जोखिम आधारित।

⁵ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 42(2) के अधीन विवरणियों में प्राप्त सूचना पर आधारित।

सारणी III.15: भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतराष्ट्रीय दावे

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	मार्च के अंत में बकाया राशि					
	2003	कुल का प्रतिशत	2004	कुल का प्रतिशत	2005	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
कुल समेकित अंतराष्ट्रीय दावे	91,061	100.0	78,124	100.0	74,238	100.0
<i>जिनमें से :</i>						
क) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	20,446	22.5	19,915	25.5	22,348	30.1
ख) हांगकांग	13,416	14.7	12,353	15.8	7,389	10.0
ग) ब्रिटेन @	12,779	14.0	9,879	12.6	7,608	10.2
घ) जर्मनी	3,281	3.6	4,593	5.9	3,607	4.9
ड) सिंगापुर	5,776	6.3	3,729	4.8	3,510	4.7
च) इटली	2,832	3.1	1,735	2.2	1,424	1.9
छ) फ्रांस	2,461	2.7	1,684	2.2	1,299	1.7

@ : गुर्से मान और जर्सी आइलैंड को छोड़कर।

टिप्पणी : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी पर आधारित - निकटवर्ती देश जोखिम आधार।

बैंकों के सुदृढ़ मीयादी जमा संग्रहण से प्रभावित थी और मार्च 2004 के अंत की बढ़त के समायोजन के बाद थी। बैंकों का गैर-जमा निधियों का संग्रहण भी उल्लेखनीय था। सरकार के बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम की शुरुआत तथा बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू करने से यह प्रतिबिंबित हुआ कि सरकारी प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों के निवेश में वर्ष के शुरू में सामान्य तेजी दिखी। वाणिज्यिक ऋण वृद्धि, वर्ष के शुरुआत की धीमी वृद्धि की मौसमी प्रवृत्ति के मुकाबले अधिक रही। ऋण में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप रबी की अधिक खरीद हुई। (सारणी III.16)।

3.37 दूसरी तिमाही के दौरान, मीयादी जमाराशियों में मौसमी गिरावट आयी। मुख्य रूप से चलनिधि समायोजन सुविधा की शेष जमाराशि की सहायता से बाजार स्थिरीकरण योजना में परिचालन अधिक बढ़ने के बावजूद सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में भी मौसमी गिरावट आई। खाद्यान्न ऋण की चुकौतियों के बावजूद बैंक ऋण में तेजी आना शुरू हुआ जिससे वाणिज्यिक ऋण हेतु सुदृढ़ माँग का संकेत मिलता है। इसे, अंशतः गिल्ट संविभाग को पुनः संतुलित करके तथा ब्याज दर बढ़ा कर निधि मुहैया करायी गई।

3.38 तीसरी तिमाही में जमाराशियों में वृद्धि हुई, यद्यपि वह पिछले वर्ष की समरूप तिमाही से बहुत कम थी। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋण की मात्रा अधिक बनी रही। खाद्यान्न ऋण में वृद्धि से खरीफ मौसम के दौरान उच्चतर खरीद प्रतिबिंबित हुई। एसएलआर से भिन्न प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश बढ़ा जो स्टॉक बाजारों में आयी तेजी के कारण पूंजी बाजार में बैंकों के निवेशों में वृद्धि दर्शाता है। मई 2004 के मध्य से पूंजी प्रवाह मंद होने के साथ वाणिज्य बैंकों के नोस्ट्रो शेषों में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की कमी आयी।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, पूंजी अन्तर्प्रवाह में अस्थायी मंदी, अग्रिम कर भुगतानों, खाद्येतर ऋण और त्योहारों के मौसम में मुद्रा माँग में लगातार वृद्धि के कारण बाजार में चलनिधि की यदा-कदा तंगी के माहौल में सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश कम हो गए।

3.39 चौथी तिमाही के दौरान माँग और मीयादी - दोनों जमाराशियों में मौसमी वृद्धि दर्ज हुई। सुदृढ़ विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के कारण बैंकिंग प्रणाली में और चलनिधि बढ़ी। पारंपरिक खाद्येतर ऋण में वृद्धि से बड़े गैर-एसएलआर निवेशों को समर्थन मिला। दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक के उपायों के परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों के निवेशों में वृद्धि हुई।

3.40 2005-06 की प्रथम दो तिमाहियों में माँग जमाराशियां बढ़ी जो खाद्येतर ऋण में तीव्र उछाल और तथा तेज प्राथमिक पूंजी बाजार का परिचायक है, जिसमें निधियां अस्थायी रूप से माँग जमाराशियों में रखी रहीं। मीयादी जमाराशियां भी तेजी से बढ़ीं जो जमा दरों तथा आधार प्रभाव में मामूली सुधार को इंगित करती हैं। बैंक ऋण व्यापक आधारित औद्योगिक वृद्धि के अनुरूप बढ़ता रहा। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में अपने बढ़ते निवेश को रोकते हुए वाणिज्यिक क्षेत्र की क्रेडिट की भारी माँग का वित्तपोषण किया।

ऋण - जमा अनुपात

3.41 2004-05 के दौरान खाद्येतर ऋण में बहुत उच्च दर पर वृद्धि हुई। सामान्यतया, प्रारंभिक प्रभाव के कारण ऋण वृद्धि दर

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05



सारणी III.16: अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार की तिमाही प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

परिवर्ती	18 मार्च 2005 के अंत में बकाया	2003-04				2004-05				2005-06	
		ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
घटक											
निवासियों की कुल जमाराशियां	16,23,793	65,483	32,455	60,326	82,201	57,050	21,232	38,447	78,251	92,336	1,16,577
मांग जमाराशियां	2,48,028	11,366	-5,950	18,496	30,822	-12,155	2,277	15,280	17,604	15,741	32,226
मीयादी जमाराशियां	13,75,766	54,117	38,405	41,830	51,380	69,206	18,955	23,167	60,647	76,595	84,351
वित्तीय संस्थाओं से मांग/मीयादी निर्धीयन	69,523	2,526	2,253	4,822	2,431	5,409	530	35,464	3,451	1,395	6,426
स्रोत											
सरकार को ऋण	7,18,982	35,534	45,333	18,342	32,133	40,056	-9,546	-5,918	39,632	-182	10,317
वाणिज्य क्षेत्र को ऋण	12,68,425	9,610	5,083	42,823	58,139	32,884	40,538	1,08,835	79,929	65,615	87,779
खाद्य ऋण	41,120	587	-12,601	-1,113	-391	7,100	-4,872	5,590	-2,659	3,683	-5,254
खाद्येतर ऋण	10,59,308	3,091	15,186	48,992	57,819	30,985	46,477	1,01,812	75,210	57,092	1,00,192
प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	1,447	4,485	-779	-4,649	-2,276	-678	977	-923	125	7,466	-3,228
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	20,172	-13	-407	50	-928	-184	-561	-1,232	-680	-697	4,845
अन्य निवेश (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1,46,377	1,460	3,685	-458	3,915	-4,339	-1,482	3,587	7,933	-1,929	-8,775
वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-75,980	1,564	2,745	5,515	541	-6,706	904	-3,172	-8,652	-1,334	-5,928
विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,091	199	4,108	-5,311	4,250	-2,741	56	2,441	-8,051	1,164	-368
अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय											
सावधि जमाराशियां	76,405	-1,861	-1,273	-14,087	319	953	-189	-654	692	550	-447
समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	25,666	496	2,636	3,261	3,391	3,012	-658	6,267	-90	1,948	6,008
निवल बैंक प्रारक्षित निधियां	96,527	20,149	-14,272	6,394	-1,199	10,392	-3,644	14,151	-1,267	9,570	9,316
पूँजी खाता	1,33,688	15,555	-2,088	-4,023	7,280	14,884	1,393	9,435	3,423	24,077	-973
अन्य मदें (निवल)	1,80,949	-16,708	6,269	11,951	-2,299	-717	5,098	30,550	24,517	-44,139	-20,546
जापन :											
निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण	46,543	807	-2,168	6,255	2,812	2,089	-1,796	3,028	-486	-1,053	5,492
सीआरआर में परिवर्तन कर संसाधन जारी करना	-	3,500	-	-	-	-	-	-9,000	-	-	-
वाणिज्य बैंकों को निवल खुला बाजार बिक्री	-	4,266 *	8,250	9,334	445	-	-	-	-	-	-
- : कुछ नहीं / नगण्य											
* : 31 मार्च की तुलना में मूल्यन											
टिप्पणी : 1. आंकड़े प्रत्येक तिमाही के सूचना के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।											
2. डाटा में बैंकिंग प्रणाली में 3 मई 2002 से हुए विलयन और 1 अक्टूबर 2004 से एक गैर-बैंकिंग कंपनी का एक बैंकिंग संस्था में परिवर्तन शामिल है।											
3. आंकड़े अनंतिम हैं।											

जमाराशि वृद्धि दर से उच्चतर होती है, बकाया जमा बकाया ऋण से उच्चतर है। उदाहरण के लिए मार्च 2005 के अंत में जहां बकाया जमा रु. 18,19,900 करोड़ थीं वहीं बकाया ऋण रु. 11,04,913 करोड़ थे। साथ ही, किसी एक वर्ष में मार्च 2005 के ऋण अभिवृद्धि सामान्यतः जमा अभिवृद्धि से न्यूनतर रही है। तथापि, 2004-05 के दौरान, वृद्धिशील ऋण तथा जमाराशियां कमोबेश उतनी ही मात्रा की रहीं, वहीं वर्ष के दौरान जमाराशियों की तुलना में वृद्धिशील निवेश पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहे (चार्ट III.9)। इसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अनुपात और निवेश-जमा अनुपात में असामान्य स्थितियां पाई गईं।



3.42 अगस्त 6, 2004 तक वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात, वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात से निम्नतर पाया गया। अगस्त 6 और दिसंबर 24, 2004 के बीच वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात तेजी से बढ़ा, वहीं वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात में अधोमुखी प्रवृत्ति पाई गई। जनवरी 2005 से प्रारंभ कर, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात और वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात क्रमशः लगभग 100 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पर स्थिर हो गए। वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात में हुई तीव्र गिरावट का कारण उच्च क्रेडिट मांग कहा जा सकता है जिसने बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में नए निवेश करने से हतोत्साहित किया। वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात दो बार 130 प्रतिशत से ज्यादा के उच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.10)।



3.43 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (बकाया), जो 1995-96 के 55 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 48 प्रतिशत हो गया था, वह वर्ष के दौरान ऋण में हुई तीव्र वृद्धि के कारण तेजी से बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 60 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.11)।

3.44 बैंक समूहों के बीच, निजी क्षेत्र के नए बैंकों का ऋण जमा अनुपात उच्चतम रहा जिसके बाद विदेशी बैंकों, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्थान था (चार्ट III.12)।

3.45 ऋण-जमा अनुपात, जो बैंकों के और अधिक ऋण अभिमुखीकरण को इंगित करता है, को उत्पादक क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए ऋण-दक्षता संकेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली में ऋण जमा अनुपात को ऋण वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता को मापने के समग्र उपाय के रूप में देखा जाता है। हालांकि, ऋण के विनियोजन तथा ऋण-जमा अनुपात सामान्यतः अर्थव्यवस्था के संरचनागत कार्यापलट से प्रभावित होते हैं, फिर भी ऋण प्रणाली तथा बैंकों की उधार देने की नीति का अनुपात की मात्रा पर सहज प्रभाव पड़ता है।



सारणी III.17 : चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूहवार परिपक्वता स्वरूप
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

आस्तियां/देयताएं	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां								
क) एक वर्ष तक	34.4	36.3	51.2	53.3	50.7	54.3	46.2	54.1
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	37.8	35.1	37.1	37.6	42.9	42.4	45.6	39.3
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.7	12.0	4.4	3.4	4.0	2.3	0.7	0.9
घ) पांच वर्ष से अधिक	16.1	16.6	7.3	5.7	2.4	0.9	7.5	5.7
II. उधार राशियां								
क) एक वर्ष तक	82.4	83.2	89.7	80.7	46.4	50.4	85.3	84.5
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	14.0	9.6	5.3	4.1	36.4	27.9	11.9	12.3
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	2.6	5.3	2.8	7.1	8.3	13.3	2.5	3.3
घ) पांच वर्ष से अधिक	1.0	2.0	2.2	8.2	8.9	8.4	0.3	-
III. ऋण और अग्रिम								
क) एक वर्ष तक	40.0	37.3	40.5	42.3	35.4	40.2	57.3	55.9
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	33.0	35.3	36.1	33.7	31.0	31.4	16.3	18.0
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	12.1	11.8	10.3	9.0	12.5	9.5	7.7	6.5
घ) पांच वर्ष से अधिक	14.9	15.5	13.1	15.0	21.1	18.9	18.7	19.7
IV. निवेश								
क) एक वर्ष तक	10.4	13.2	18.0	21.9	45.0	47.4	45.8	53.2
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	11.8	12.5	10.2	11.1	27.3	27.3	30.7	27.1
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	14.5	17.2	10.4	12.6	6.6	6.8	8.5	6.1
घ) पांच वर्ष से अधिक	63.3	57.1	61.4	54.4	21.1	18.6	15.0	13.6

- : कुछ नहीं / नगण्य

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन पत्र

बैंकों की आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता - प्रोफाइल

3.46 वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता ढांचे से बैंकों के लिए कारोबारी विस्तार, चलनिधि प्रबंध, निधियों की लागत, परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ, परिसंपत्ति गुणवत्ता, और किसी उद्योग की प्रगति के दौरान जोखिम उठाने की इच्छाशक्ति से संबंधित बैंकों की विभिन्न समस्याएं सामने आती हैं। सामान्यतः सभी बैंक समूहों के लिए जमाराशियों, उधार राशियों, ऋणों और अग्रिमों तथा निवेशों समेत तुलन -पत्र के प्रमुख घटकों में समग्र परिपक्वता की दृष्टि से एक अप्रत्यक्ष अनुरेखित पोर्टफोलियो संरचना पाई जाती है। साथ ही, सभी बैंक समूहों के लिए, ऋणों और अग्रिमों की परिपक्वता संबंधी संरचना में जमाराशियों की तरह एक-समान रुझान पाया गया। बैंक समूहों में जमाराशियों तथा निवेशों का परिपक्वता विन्यास भिन्न-भिन्न रहा। उच्चतर परिपक्वता सीमा में विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक की परिपक्वता सीमा सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा पुराने निजी बैंकों के निवेशों का अंश काफी अधिक था। वहीं निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों ने अपने निवेशों का 50 प्रतिशत से अधिक अंश एक वर्ष तक को परिपक्वता में रखा (सारणी III.17)।

3.47 समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों के अवशिष्ट परिपक्वता वर्गीकरण से पता चलता है कि बैंकों ने अल्पावधि प्रयोजनों, विशेषतः '6 महीने तक की अवधि' के लिए निवेश करने/ऋण देने को तरजीह देना जारी

रखा, जिसके चलते 2004-05 के दौरान कुल दावों में यह अल्पावधि अंश 3.4. प्रतिशत अंक बढ़कर 73.6 प्रतिशत हो गया (सारणी III.18)।

सारणी III.18: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का परिपक्वता (अवशिष्ट) वर्गीकरण - बकाया राशि

(राशि करोड़ रुपये में)

अवशिष्ट परिपक्वता	मार्च अंत में बकाया राशि		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
6 महीने तक	59,831 (65.7)	54,879 (70.2)	54,665 (73.6)
6 महीने से अधिक - एक वर्ष तक	6,412 (7.0)	3,798 (4.9)	6,448 (8.7)
एक वर्ष से अधिक - दो वर्ष तक	4,247 (4.7)	2,872 (3.7)	3,165 (4.3)
दो वर्षों से अधिक	18,861 (20.7)	14,948 (19.1)	8,785 (11.8)
अनाबंटित	1,710 (1.9)	1,627 (2.1)	1,174 (1.6)
जोड़	91,061	78,124	74,238

टिप्पणिया : 1. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में लागू नहीं परिपक्वता (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गयी परिपक्वता सूचना शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

3. समेकित बैंकिंग सांख्यिकी विवरण पर आधारित - निकटवर्ती देश जोखिम आधार

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर परिचालन

3.48 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर परिचालन 2003-04 की 55.3 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2002-03 की 41.3

प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर तेजी से 2004-05 में 60.2 प्रतिशत बढ़े। तदनुसार, कुल देयताओं में तुलनपत्र से इतर कुल देयताओं का अंश 2003-04 के 90.8 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 119.7 प्रतिशत हो गया। बैंकों के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिम कई कारणों से बढ़ रहे हैं (बॉक्स III.4)।

बॉक्स III.4: बैंकों के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिम

बैंक अपने ग्राहकों को गैर निधि आधारवाली सुविधाएं देने, जोखिम प्रबंध करने, तथा उछाल की स्थिति के जरिए लाभ अर्जित करने के लिए तुलनपत्र से इतर के लेनदेन करते हैं। बैंकों के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों (ओबीएस) में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से तेजी आई है जो अविनियमन, जोखिम प्रबंध की जरूरत, पारंपरिक तुलनपत्र से इतर मदों पर मार्जिन देने के दबाव के कारण विविधीकृत आय आधार की जरूरत, तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति से उभरे नए अवसरों के प्रभाव का परिचायक है।

तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिम निःसंदेह ही, आकस्मिक देयताओं तथा डेरिवेटिव्स का रूप लेते हैं। आकस्मिक देयताएं पारंपरिक तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिम होते हैं वहीं डेरिवेटिव्स वायदा ने, पारंपरिक वायदा विनियम संविदाओं को छोड़कर, हाल के वर्षों में महत्ता प्राप्त की है। किसी तुलनपत्र एक्सपोजर के समान तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर भी बैंक के लिए क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम जैसे कई जोखिम पैदा करते हैं। इस प्रकार, बैंकों के संबंधित जोखिमों का स्वरूप तुलनपत्र की मदों से संबंधित जोखिमों से भिन्न नहीं है। गारंटियों तथा प्रतिबद्धताओं जैसी आकस्मिक देयताएं निश्चित रूप से चलनिधि तथा परिचालनात्मक जोखिम के अलावा क्रेडिट जोखिम लिए चलती हैं। दूसरी ओर, डेरिवेटिव्स के लेनदेनों से बैंकों को बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम उठाना पड़ता है, यद्यपि ऋण जोखिम को पूर्णतः अनदेखा नहीं किया जा सकता।

बैंक तुलन पत्र की आकस्मिक देयताओं पर 1991 में बनाई गई अनुसूची 12 नए लिखतों, जैसे कि व्युत्पन्नियों, को शामिल नहीं करती है। इसलिए उसे ऐसे तुलनपत्रे हर एक्सपोजरों के मद्दे नजर आशोधित करना जरूरी है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली परोक्ष विवरणियों में रिजर्व बैंक को बैंकों के ओबीएस एक्सपोजरों की सही स्थिति उपलब्ध होती है। इन विवरणियों के आधार पर रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2004 में बैंकों के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों का विश्लेषण किया। उक्त विश्लेषण के मुख्य मुद्दे नीचे विस्तार से दिए गए हैं:


- बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों की आनुमानिक मूलधन राशि मार्च 2002 के अंत के रु.8,41,884, करोड़ के दुगुने से ज्यादा बढ़कर मार्च 2004 के अंत में रु.18,48,341, करोड़ हो गई और दिसंबर 2004 में और बढ़कर रु.29,07,457, करोड़ हो गई।
- गारंटियों के साथ साख-पत्र संबंधी देयताएं कुल आकस्मिक देयताओं का 80 प्रतिशत थीं। कुल आकस्मिक देयताओं में साख-पत्रों का अंश निरंतर बढ़कर मार्च 2002 के अंत के लगभग 27 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2004 के अंत में 36 प्रतिशत हो गया वहीं गारंटियों का अंश उसी अवधि के दौरान गिरकर लगभग 58 प्रतिशत से 44 प्रतिशत रह गया। गारंटियों के साथ तुलना करने पर बैंकों को दस्तावेजों द्वारा समर्थित साख-पत्रों पर कम जोखिम उठाना पड़ता है। इस प्रकार, बैंकों की कुल

आकस्मिक देयताओं के पोर्टफोलियो में साख-पत्रों का बढ़ता महत्व न्यूनतर आकस्मिक जोखिम का सूचक है।

- तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों में हुई वृद्धि को मुख्यतः डेरिवेटिव्स खण्ड में हुई तीव्र वृद्धि से बढ़ावा मिला। बैंकिंग प्रणाली के कुल तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों में डेरिवेटिव्स का अंश मार्च 2002 के 82.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2004 में 90.7 प्रतिशत हो गया। कुल आस्तियों के संदर्भ में, बैंकिंग प्रणाली के कुल तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों मार्च 2002 के 57.1 प्रतिशत से दुगुने से ज्यादा बढ़कर दिसंबर 2004 में 137.2 प्रतिशत हो गए।
- बैंकिंग प्रणाली के डेरिवेटिव्स संविभाग की संरचना में मार्च 2003 से उल्लेखनीय बदलाव आया है। मार्च 2002 में वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का हिस्सा कुल डेरिवेटिव्स का 79.6 प्रतिशत था जो दिसंबर 2004 में निरंतर घटकर 49.3. प्रतिशत रह गया। उसी अवधि के दौरान, एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप का हिस्सा 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया। संविदाओं तथा डेरिवेटिव्स की संरचना को पारंपरिक वायदा विदेशी मुद्रा संविदा से बदलकर ब्याज दर संबद्ध संविदा कर दिए जाने से हाल के वर्षों में डेरिवेटिव्स का परिपक्वता प्रोफाइल प्रभावित हुआ है। एक वर्ष के कार्यकाल में परिपक्व होनेवाली कुल संविदाओं तथा डेरिवेटिव्स का अंश, जो कि मार्च 2002 में 84.6 प्रतिशत था, तेजी से गिरकर दिसंबर 2004 में 51.3 प्रतिशत हो गया। तदनुसूची वृद्धि '2 से 3 वर्षों' के खंड में हुई जो निश्चित रूप से उस समयावधि में एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप की अधिकता के कारण थी। लंबी परिपक्वता अवधि खंड में डेरिवेटिव्स में हाल में पाई गई वृद्धि से बैंकों को ज्यादा बाजार जोखिम झेलना पड़ सकता है।
- दिसंबर 2004 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अंश बैंकिंग प्रणाली स्तर पर कुल आकस्मिक देयताओं में सर्वाधिक (64.3 प्रतिशत) था, इसके बाद नए निजी बैंकों (19.9 प्रतिशत) और विदेशी बैंकों (12 प्रतिशत) का स्थान था। बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों अधिकांशतः 15 बैंकों में संकेंद्रित था जिनमें प्रमुख रूप से विदेशी बैंक शामिल थे। इन 15 बैंकों का संयुक्त अंश बैंकिंग प्रणाली के कुल तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों का 78 प्रतिशत था। डेरिवेटिव्स खंड में विदेशी बैंकों का अंश सर्वाधिक (63.7 प्रतिशत) था, इसके बाद काफी अंतर के साथ क्रमशः नए निजी बैंकों (18.1 प्रतिशत) तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (16.3 प्रतिशत) का स्थान था।

बैंकों की तुलनपत्र से भिन्न गतिविधियों के कारण होनेवाले जोखिम को बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा विनियामक द्वारा लागू किए गए तंत्र की सहायता से कम करने के मिश्रित उपायों के जरिए नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। रक्षा का पहला कदम है बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक नियंत्रण नीतियां जिनमें शामिल हैं तुलन-पत्र तथा तुलन-पत्र से इतर (दोनों से उत्पन्न) जोखिमों के प्रबंध के विभिन्न पहलू। तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों के लिए विनियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी रखना, आवधिक पर्यवेक्षी डाटा संग्रहीत करना तथा बैंक के तुलन-पत्र में पर्याप्त प्रकटीकरण बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र से इतर ऋण आदि जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए की गई कुछ प्रमुख विनियामक पहलें हैं।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05



3.49 बैंक समूहों में, विदेशी बैंकों के पास तुलन-पत्र से इतर ऋण आदि जोखिम सर्वाधिक था, इसके बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास तुलन-पत्र से इतर ऋण आदि जोखिम का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा था (चार्ट III.13 तथा परिशिष्ट सारणी III.12)।

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

3.50 2004-05 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का समग्र वित्तीय कार्यनिष्पादन ब्याज दर चक्र में हुए सुधार के संदर्भ में देखे जाने पर

संतोषजनक रहा। बैंक पर्याप्त परिचालन और निवल लाभ अर्जित करते रहे, यद्यपि पिछले वर्ष से यह निम्नतर था। तथापि, कम लाभों से प्रमुख रूप से निम्नतर खजाना लाभों, जो प्रमुख रूप से सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाली आय कम हो जाने के कारण थे, का पता चलता है। क्रेडिट की मात्रा में हुई वृद्धि से हुई निवल ब्याज आय में तीव्र वृद्धि ने ब्याज से इतर आय में आई तीव्र गिरावट का प्रभाव कम किया। समग्रतः, बैंक ब्याज दर में वृद्धि के प्रभाव से बच निकलने में सफल रहे।

ब्याज दर परिदृश्य

3.51 बैंकों के तुलन-पत्र में अधिकांशतः ब्याज दर युक्त देयताएं और आस्तियां शामिल होती हैं और इस कारण निवल ब्याज आय बैंकों की लाभप्रदता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए, ब्याज दर प्रवृत्ति का बैंकों की लाभप्रदता पर सीधे प्रभाव पड़ता है।

3.52 2004-05 के दौरान, जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक वर्ष तक की परिपक्वताओं की मीयादी जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरें थोड़ी सी घट गईं ; वहीं एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरें दिसंबर 2004 तक घटने के बाद वर्ष की अंतिम तिमाही में बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 15-29 दिनों और 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दी जानेवाली विशिष्ट जमा दरें एक वर्ष पहले के 175 आधार अंक से बढ़कर मार्च 2005 में 200 अंक हो गईं (सारणी III.19)।


3.53 वर्ष के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरें कम हो गईं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार

सारणी III.19: जमा और उधार देने की दरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

मद	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005	सितंबर 2005
1	2	3	4	5
I. देशी जमा दरें				
सरकारी क्षेत्र के बैंक				
क) एक वर्ष तक	4.00 - 6.00	3.75 - 5.25	2.75 - 6.00	2.00 - 6.00
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	5.25 - 6.75	5.00 - 5.75	4.75 - 6.50	5.25 - 6.25
ग) 3 वर्षों से अधिक	5.50 - 7.00	5.25 - 6.00	5.25 - 7.00	5.50 - 6.50
निजी क्षेत्र के बैंक				
क) एक वर्ष तक	3.50 - 7.50	3.00 - 6.00	3.00 - 6.25	3.00 - 6.25
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	6.00 - 8.00	5.00 - 6.50	5.25 - 7.25	5.00 - 7.00
ग) 3 वर्षों से अधिक	6.00 - 8.00	5.25 - 7.00	5.75 - 7.00	5.75 - 7.25
विदेशी बैंक				
क) एक वर्ष तक	3.00 - 7.75	2.75 - 7.75	3.00 - 6.25	3.00 - 5.75
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	4.15 - 8.00	2.25 - 8.00	3.50 - 6.50	3.50 - 6.50
ग) 3 वर्षों से अधिक	5.00 - 9.00	3.25 - 8.00	3.50 - 7.00	4.00 - 7.00
II. मूल उधार दर				
सरकारी क्षेत्र के बैंक	9.00 - 12.25	10.25 - 11.50	10.25 - 11.25	10.25 - 11.25
निजी क्षेत्र के बैंक	7.00 - 15.50	10.50 - 13.00	11.00 - 13.50	11.00 - 13.50
विदेशी बैंक	6.75 - 17.50	11.00 - 14.85	10.00 - 14.50	10.00 - 14.50

देने की दरों के दरम्यान स्प्रेड, विशेषतः वर्ष की अंतिम तिमाही में (चार्ट III.14) कुछ घट गया, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में इसमें मामूली सुधार हुआ। तथापि, प्रतियोगी परिस्थितियों के चलते, अधिकांश ऐसे बैंकों ने पीएलआर से कम दर पर उधार देना शुरू किया जिनका वाणिज्य बैंकों के कुल उधार में हिस्सा, निर्यात को छोड़कर, मार्च 2004 के 50 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2005 तक 60 प्रतिशत से ज्यादा हो गया। मार्च 2005 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्रमशः 9.00-12.50 प्रतिशत तथा 8.35-12.00 के दायरों में स्थित मांग और मीयादी ऋणों के लिए माध्य (प्रतिनिधि) उधार दरों में (जिस पर कि अधिकतम कारोबार किया जाता है) मार्च में 2004 के 11.00-12.75 प्रतिशत के तदनुरूपी स्तरों की तुलना में मामूली कमी दिखाई दी। उधार दरों में घट-बढ़, 2003-04 की मध्यावधि समीक्षा में उधार दरों में घट-बढ़ अधोमुखी रहने के संबंध में व्यक्त की गई चिंता के संदर्भ में वांछित दिशा में रही (बॉक्स III.5)।



बॉक्स III.5: उधार देने संबंधी दर में उतार-चढ़ाव की असमानता

यह आम मान्यता है कि बैंक सामान्यतः अपनी उधार दरों को ब्याज दरों में वृद्धि होने के समय की अपेक्षा जब वे घटती हैं तब समायोजित करते हैं। दूसरे शब्दों में, बैंक निश्चित रूप से घटती बाजार दरों के अनुरूप अपनी मूल उधार दरों (पीएलआर) को समायोजित करने में शिथिलता बरतते हैं, पीएलआर में असमानता के मिश्रित प्रमाण मिलते हैं। अमेरिका के मामले में, आर्क, इंग्लैंड तथा टैंग (1984) और लेविन तथा लोएब (1983) ने असमान मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति पाई, यद्यपि गोल्डबर्गर (1984) तथा फोर्बिस और माएने (1989) को ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। मूल दर की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने में बड़ा दर में परिवर्तन महत्वपूर्ण हो सकते हैं उस धारणा का हेंडी (1992) ने समर्थन किया है, जिसने पाया कि कनाडा की मूल दर में परिवर्तनों को स्पष्ट करने में कनाडा की बैंक दर के परिवर्तन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

वित्तीय क्षेत्र सुधारों के प्रारंभ से वाणिज्य बैंकों की उधार देने की दरों को धीरे-धीरे अवनियमित किया गया है। उधार दरों पर अंतरराष्ट्रीय प्रथा को दृष्टि में रखकर तथा वाणिज्य बैंकों को उनकी उधार दरें निर्धारित करने में अतिरिक्त परिचालनात्मक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए 2004 से भारतीय बैंकों द्वारा एक बैंचमार्क पीएलआर प्रणाली अपनाई गई जिसमें बैंकों को बाजार बैंचमार्क आधारवाले ऋणों के मूल्य निर्धारण में लचीलेपन की सुविधा थी। सभी उधार दरें (i) निधियों की वास्तविक लागत; (ii) परिचालन खर्च; तथा (iii) एक न्यूनतम मार्जिन के आधार पर बीपीएलआर के संदर्भ में निर्धारित की जा सकती हैं ताकि प्रावधान, पूंजी प्रभार और लाभ मार्जिन संबंधी विनियामक अपेक्षा को शामिल किया जा सके। रु. 2 लाख की क्रेडिट मर्यादा के लिए बीपीएलआर उच्चतम सीमा बनी रहेगी।

जबकि बैंकों की जमा दरें 1995-96 के 13 प्रतिशत से गिरकर 2004-05 में लगभग 5 प्रतिशत हो गई, औसत उधार दर उसी अवधि में लगभग 17 प्रतिशत से गिरकर लगभग 10 प्रतिशत हो गई। परिणामतः, उधार देने और जमा दरों के दरम्यान स्प्रेड लगभग एक प्रतिशत अंक बढ़ गया। ब्याज दरों में गिरावट भी मुद्रास्फीति दर में गिरावट के अनुरूप नहीं रही, जिसका निहितार्थ था कि वास्तविक प्रभावपूर्ण उधार देने की दरें आनुपातिक रूप से नहीं गिरीं। पीएलआर का अधोमुखी गैर लचीलापन हाल में रिजर्व बैंक, के लिए एक उल्लेखनीय नीतिगत मामले के रूप में उभरा, विशेषतः लघु तथा मध्यम आकार के उधारकर्ताओं को उचित लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में। यद्यपि बैंचमार्क उधार दर ने एक हद तक, उधार दर की अधोमुखी अनम्यता की समस्या को हल किया है वहीं, पीएलआर से नीचे की दर पर ऋण देने की व्यवस्था लागू करने के परिणामस्वरूप अधिकतम तथा न्यूनतम उधार दर के दरम्यान स्प्रेड बढ़

गया है। ब्याज स्प्रेड के बढ़ने से इंगित होता है कि उधार दर की अधोमुखी अनम्यता की समस्या को हल करने के लिए और उपाय करना जरूरी है। अनर्जक परिसंपत्ति के स्तरों और ब्याज खर्च में जारी कमी से बैंक उधार दर को ज्यादा वास्तविक आधार पर निर्धारित कर सकने में समर्थ होंगे।

मूल दर की असमानता को अक्सर बैंकों की बाजार शक्ति के संकेतक के रूप में देखा जाता है। पहले कभी इसे वित्तीय क्रम परंपरा के रूप में बताया जाता था, जहाँ फर्म अपनी आंतरिक निधियों को समायोजित करने के बाद ही बाहरी वित्त लेती थीं। यदि जब बाजार ब्याज दरें बढ़ती हैं तब बैंक उधार दरें तेजी से बढ़ती हैं, परंतु जब बाजार ब्याज दरों में कमी होती है तब उनमें थोड़ी गिरावट आती है, ऐसे में फर्म आंतरिक वित्त लेना पसंद कर सकती हैं क्योंकि आंतरिक निधियों की लागत के अक्सर बाजार दरों के साथ घटते बढ़ते रहते हैं।

मूल दर की असमानता मौद्रिक नीति की प्रभावोत्पादकता के लिए भी निहितार्थ रख सकती है। विशेषतः, इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आसान मौद्रिक नीति क्यों प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के संकोची स्वरूप के मुकाबले कम विस्तारमुखी है [कोवर (1992) और रोटेम्बर्ग (1993)]। ब्याज दरों में गिरावट की अवधियों के दौरान अधोमुखी ब्याज दरें उस प्रोत्साहन को नम कर देंगी जो मौद्रिक नीति द्वारा निवेश खर्च के लिए मिल सकता है जबकि बढ़ती ब्याज दरों की अवधियों में, बैंक उधार दरों में वृद्धि सामान्यतः बाजार दरों के साथ होती है।

संदर्भ:

एट्रेसोर्गलू, एच सोनमेज (2004) 'मॉनीटरी ट्रांसमीशन-फेडरेशल फंड रेट एण्ड प्राइम रेट' जर्नल ऑफ पोस्ट कीन्सियन इकॉनामिक्स, अर्मांक: विंटर 2003-2004 खंड 26, आइएसएस.2; 2; पी. 357.

कोवर, जेम्स पी (1992) 'एसीमेट्रिक इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव एण्ड निगेटिव मनी सप्लाय शॉक्स', त्रैमासिक जर्नल आफ अर्थशास्त्र, नवंबर, 1261-82.

ड्यूकर, एम.जे., डी.एल. थार्नटन (1994) 'एसीमेट्री इन दि प्राइम रेट एण्ड फर्मस' प्रेफरेंस फॉर इंटरनल फाइनेंस ठ, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई, वर्किंग पेपर 17.

लेविन, फिलिप एन्ड पीटर डी.लोएब (1989) 'दि एसीमेट्रिक बिहेविएर ऑफ दि प्राइम रेट ऑफ इंटररेस्ट,' दि अमेरिकन इकॉनामिस्ट, 34-38.

रोटेम्बर्ग, ज्युलियो जे. (1993) 'मॉनीटरी एग्जीगेस्ट, मॉनीटरी पॉलिसी एण्ड इकॉनामिक एक्टिविटी: कामेट्री', फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई रिव्यू, मार्च-अप्रैल, 36-41

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

3.54 5-वर्षीय और 10-वर्षीय अवशिष्ट परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल मार्च 2004 के अंत में तथा मार्च 2005 के अंत के दरम्यान क्रमशः 158 आधार अंक और 150 आधार अंक बढ़ा (सारणी III.20)। इसी प्रकार, 20-वर्षीय अवशिष्ट परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल इसी अवधि के दौरान 114 आधार अंक बढ़कर 5.85 प्रतिशत से 6.99 प्रतिशत हो गया। चूंकि लंबी मीयाद की आय में तीव्र उतार चढ़ाव पाए गए, अतः सरकारी प्रतिभूतियों की अवधि संबंधी स्प्रेड में आंतर-वर्षीय उतारचढ़ाव पाए गए। एक-वर्षीय तथा 10-वर्षीय अवशिष्ट परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों के बीच स्प्रेड मार्च 2004 के 61 आधार अंकों से बढ़कर मार्च 2005 में 114 आधार अंक हो गया। इसी प्रकार, एक-वर्षीय तथा 10-वर्षीय अवशिष्ट परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों के बीच स्प्रेड मार्च 2004 के 131 आधार अंकों से बढ़कर मार्च 2005 में 148 आधार अंक हो गया।

3.55 मुद्रा बाजार के विविध खण्डों में ब्याज दरों में उछाल आया। बाजार में अल्पकालिक व्यवस्था में, भारत औसत मांग मुद्रा दर 63 आधार अंक बढ़कर मार्च 2004 के 4.37 प्रतिशत से मार्च 2005 तक 5.00 प्रतिशत हो गई। वाणिज्य पत्र (सीपी) पर भारत औसत बढ़ा दर 61 से 90 दिनों की परिपक्वता के लिए 70 आधार

अंक बढ़कर मार्च 2005 तक 5.19 प्रतिशत से बढ़कर 5.89 प्रतिशत हो गई।

जमाराशियों की लागत और अग्रिमों पर प्रतिलाभ

3.56 2004-05 के दौरान जमाराशियों की लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई जो पिछले वर्ष जमा दरों में आई उल्लेखनीय गिरावट का प्रभाव दर्शाता है। हाल की अवधि में, निधियों की लागत में आई गिरावट बैंकिंग क्षेत्र परिचालनों की उल्लेखनीय विशेषता के रूप में सामने आई है, जो एक ऐसी प्रवृत्ति है जो 2004-05 के दौरान जारी रही। उल्लेखनीय रूप से, उधार लेने की लागत, विदेशी बैंकों को छोड़कर, सभी बैंक समूहों के बीच जमा लागत से काफी निम्नतर रही। 2004-05 में, सभी बैंक समूहों के बीच निधियों की लागत 60-70 आधार अंकों के दायरे में कम हो गई। निधियों की लागत की गिरावट के साथ साथ अग्रिमों पर प्रतिलाभ में भी गिरावट आई जो प्रतियोगी दबावों के कारण पीएलआर से कम दर पर बढ़ी हुई मात्रा में उधार दिए जाने को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप, ब्याज स्प्रेड दबाव के अंतर्गत आया जो यह दर्शाता है कि निम्न ब्याज दर के लाभ बैंकों के उधारकर्ताओं तक पहुंचाने लगे थे (सारणी III.21)।

सारणी III.20: ब्याज दर संरचना

(प्रतिशत)

मद	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005	सितंबर 2005
1	2	3	4	5
I. ऋण बाजार				
1. सरकारी प्रतिभूति बाजार				
5 वर्ष	5.92	4.78	6.36	6.71
10 वर्ष	6.13	5.15	6.65	7.11
II. मुद्रा बाजार				
2. मांग उधार (औसत)	5.86	4.37	5.00	5.05
3. वाणिज्यिक पत्र				
डब्ल्यूएडीआर 61 - 90 दिन	6.53	5.19	5.89	5.89*
डब्ल्यूएडीआर 91-180 दिन	6.45	4.73	5.87	5.97*
दायरा	6.00-7.75	4.70-6.50	5.45-6.51	5.69-7.50
4. जमा प्रमाणपत्र				
दायरा	5.00-7.10	3.87 - 5.16	4.21-6.34	4.66-7.00 @
विशिष्ट दर				
3 महीने	-	4.96	5.90	5.90 @
12 महीने	5.25	5.16	6.26	5.97 @
6. खजाना बिल				
91 दिन	5.89	4.37	5.32	5.49
182 दिन	-	-	-	5.40
364 दिन	5.89	4.44	5.66	5.79

- : कुछ नहीं / नगण्य

डब्ल्यूएडीआर - भारत औसत जमा दर

* : डाटा 1-15 अक्टूबर 2005 तक समाप्त अवधि से संबंधित

@ : डाटा 15 सितंबर को समाप्त अवधि से संबंधित

सारणी III.21: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

परिवर्ती / बैंक समूह	सरकारी क्षेत्र के बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2003-04	2004-05	2004-05*	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2004-05*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. जमा की लागत	5.1	4.4	4.4	5.4	4.6	4.2	3.4	3.6	3.1	4.9	4.2	4.2
2. उधारों की लागत	2.3	2.6	1.3	2.8	2.7	1.5	1.4	4.3	3.5	2.5	2.4	1.7
3. निधियों की लागत	5.0	4.3	5.7	5.3	4.6	3.7	3.0	3.8	3.2	4.8	4.1	5.2
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ	7.9	7.0	7.2	8.8	8.0	8.8	7.3	8.3	7.3	8.1	7.2	7.3
5. निवेशों पर प्रतिलाभ	8.5	8.2	8.0	8.1	7.7	6.2	5.2	8.5	6.9	8.2	7.8	7.6
6. निधियों पर प्रतिलाभ	8.2	7.6	7.5	8.5	7.9	7.7	6.5	8.4	7.2	8.2	7.4	7.4
7. स्प्रेड (6-3)	3.2	3.2	1.8	3.1	3.3	4.0	3.5	4.6	4.0	3.4	3.3	2.2

: एक और गैर बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने सहित

टिप्पणी : 1. जमा की लागत = जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज/ जमा राशियां

2. उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज/उधार

3. निधियों की लागत = (जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधारों के संबंध में अदा किया गया ब्याज) / (जमा राशियां + उधार)

4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / अग्रिम

5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित आय / निवेश

6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर प्रतिलाभ + निवेशों पर प्रतिलाभ) / (अग्रिम+निवेश)

आय

3.57 बढ़ती हुई ब्याज दर के परिदृश्य में, दो प्रमुख वित्तीय कार्यनिष्पादन मानदंड, नामतः, ब्याज आय तथा ब्याज से इतर या 'अन्य' आय की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न रही। जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे ब्याज आय बढ़ती जाती है। तथापि, चूंकि बैंकों के पास सामान्यतः नियत निवेश का बड़ा संविभाग रहता है अतः ब्याज में दर बढ़ोतरी से बांडों की कीमतें घट जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंकों का ट्रेडिंग लाभ घट जाता है, जो बैंकों की अन्य आय का बड़ा घटक है। ब्याज आय जो आय का प्रमुख स्रोत होती है, पिछले वर्ष के 2.6 प्रतिशत के मुकाबले

तेजी से बढ़कर 6.0 प्रतिशत (रूपांतरण/परिवर्तन के प्रभाव के सिवाय) हो गई जो प्रमुख रूप से बढ़ी हुई मात्रा के कारण था (सारणी III.22)।

3.58 बैंकों के संविभाग के विविधीकरण के साथ अन्य आय, जिसमें ट्रेडिंग आय तथा शुल्क आधारित आय शामिल हैं, वर्षों से बैंकों के लिए आय के एक एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरी है (परिशिष्ट सारणी III.13.)। तथापि, 2004-05 के दौरान, अन्य आय, प्रमुख रूप से ट्रेडिंग आय में गिरावट और मार्क टू मार्केट हानियों के कारण पिछले वर्ष के 25.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले तेजी से 15.1 प्रतिशत गिर गई (सारणी III.23)।

सारणी III.22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुप में)

मद	2002-03		2003-04		2004-05		2004-05 #	
	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आय	1,72,345	10.1	1,83,872	9.3	1,86,703	8.2	1,93,269	8.2
क) ब्याज आय	1,40,742	8.3	1,44,347	7.3	1,53,127	6.7	1,58,438	6.7
ख) अन्य आय	31,603	1.9	39,525	2.0	33,576	1.5	34,831	1.5
2. व्यय	1,55,268	9.1	1,61,601	8.2	1,65,998	7.3	1,71,949	7.3
क) खर्च किया गया ब्याज	93,596	5.5	87,563	4.4	86,601	3.8	91,537	3.9
ख) परिचालन व्यय	38,067	2.2	43,709	2.2	49,140	2.2	50,048	2.1
जिसमें से:								
वेतन बिल	23,610	1.4	26,360	1.3	28,734	1.3	29,032	1.2
ग) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं	23,605	1.4	30,329	1.5	30,256	1.3	30,364	1.3
3. परिचालन लाभ	40,682	2.4	52,600	2.7	50,962	2.2	51,684	2.2
4. निवल लाभ	17,077	1.0	22,271	1.1	20,706	0.9	21,320	0.9
5. निवल ब्याज आय/मार्जिन (1क-2क)	47,146	2.8	56,784	2.9	66,526	2.9	66,901	2.8

टिप्पणी : 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या क्रमशः 93,90 और 88 थी।

: एक और गैर-बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने के प्रभाव सहित

सारणी III 23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय-व्यय प्रोफाइल में परिवर्तन

(राशि करोड़ रूप में)

संकेतक	2003-04	प्रतिशत	2004-05	प्रतिशत	2004-05 #	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आय (क + ख)	11,527	6.7	2,831	1.5	9,397	5.1
क) ब्याज आय	3,604	2.6	8,780	6.1	14,091	9.8
ख) अन्य आय	7,923	25.1	-5,949	-15.1	-4,695	-11.9
2. व्यय (क + ख + ग)	6,333	4.1	4,396	2.7	10,348	6.4
क) ब्याज व्यय	-6,034	-6.4	-961	-1.1	3,974	4.5
ख) अन्य व्यय	5,642	14.8	5,431	12.4	6,339	14.5
ग) प्रावधानन	6,725	28.5	-73	-0.2	35	0.1
3. परिचालन व्यय	11,918	29.3	-1,638	-3.1	-916	-1.7
4. निवल लाभ	5,194	30.4	-1,565	-7.0	-951	-4.3

: एक और गैर-बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने सहित

3.59 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 'अन्य आय' संरचना में 2004-05 के दौरान, निवेशों पर ट्रेडिंग आय के हिस्से में गिरावट तथा शुल्क से आय और विदेशी मुद्रा परिचालनों से आय तथा विविध आय में वृद्धि के कारण उल्लेखनीय बदलाव आया (चार्ट III.15)।


3.60 बैंकों की कुल आय में ब्याज से इतर आय का हिस्सा 1993 के 10.7 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2003-04 में 21.5 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाने के बाद 2004-05 में तेजी से गिरकर 18.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.16)।

3.61 बैंकों की समग्र आय पिछले वर्ष के 6.7 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 में 1.5 प्रतिशत (रूपांतरण के प्रभाव को छोड़कर) बढ़ी। वृद्धिशील आधार पर, 2004-05 के दौरान कुल आय की तुलना


में ब्याज की आय 2003-04 के 31.3 प्रतिशत की तुलना में, 310.0 प्रतिशत थी; परन्तु 'अन्य आय' का योगदान ऋणात्मक था (चार्ट III.17)।


3.62 बैंक समूहों में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आय उच्चतम दर पर बढ़ी। इसके बाद नए निजी क्षेत्र बैंकों का स्थान था (परिशिष्ट सारणी III.14)। विदेशी बैंकों की आय सामान्य दर पर बढ़ी। वहीं पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों की आय ब्याज आय में लघु वृद्धि के कारण घट गई जो अन्य आय में तीव्र कमी को समायोजित करने के बाद अधिक थी। चूंकि रिजर्व बैंक ने बैंकों को, निश्चित मीयाद के बाद कार्यान्वित की जा रही कुछ परियोजनाओं से संबंधित आय को उपचय के आधार पर आय मानने की अनुमति दे दी थी, अतः कतिपय सरकारी बैंकों का आय स्तर भी सुधर गया [परिशिष्ट सारणी III.15(अ) से (ओ)]।

चार्ट III.15: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज से इतर आय की संरचना



चार्ट III.16: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज तथा ब्याजेतर आय





व्यय


3.63 2004-05 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का खर्च 2003-04 के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 2.7 प्रतिशत (रूपांतरण प्रभाव को छोड़कर) ऊपर चला गया। यद्यपि खर्च किए गए ब्याज 1.1 प्रतिशत घट गए (पिछले वर्षीय 6.4 प्रतिशत की तुलना में)। फिर भी, परिचालन अथवा ब्याज से इतर खर्च 13.7 प्रतिशत बढ़ा (2003-04 की 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में)। तथापि, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन खर्च पिछले वर्ष के स्तर (2.2 प्रतिशत) से मामूली घटकर 2.1 प्रतिशत हो गया। फुटकर ऋण, जिसके लघु होने पर भी उनकी लागतें उच्चतर होती हैं, में एक उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद बैंक परिचालन खर्च को सीमित रख सके हैं। लाभप्रदता की समग्र दृष्टि से परिचालन व्यय को ब्याज से इतर आय के साथ-साथ देखा जाना चाहिए। सामान्यतया, परिचालन खर्च ब्याज से इतर आय से ज्यादा होते हैं और यह मामला भारत में भी है। तथापि, 2004-05 के दौरान ब्याज से इतर आय में गिरावट के कारण इन दो के दरम्यान अंतर विस्तारित होता गया (यह सर्वथा ट्रेडिंग लाभ में गिरावट के कारण था)। यह बैंकों पर भार के रूप में तीव्र वृद्धि में प्रतिफलित हुआ (ब्याज से इतर आय की तुलना में ब्याज से इतर अधिक व्यय) जो 2003-04 में स्थित आस्तियों के 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 0.7 प्रतिशत हो गया तथा निपुणता अनुपात की हालत बिगाड़कर पिछले वर्षीय 45.4 प्रतिशत से 49.2 प्रतिशत हो गई।⁶

3.64 संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र, पर वेतन बिल में परिचालन खर्च के प्रतिशत के रूप में गिरावट आई (2003-04 के 60.3 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 में 58.0 प्रतिशत) कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन बिल मामूली गिरकर 1.2 प्रतिशत रह गया। यद्यपि 2004-05, के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वेतन बिल में परिचालन व्यय तथा कुल आस्तियों - दोनों के संबंध में गिरावट रही, लेकिन वह ऊंची बनी रही। ज्यादा प्रौद्योगिकी रखने वाले नए निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों में पुराने निजी और सरकारी क्षेत्र बैंक समूहों की तुलना में परिचालन खर्च उल्लेखनीय रूप से कम रहा। (चार्ट III.18)।

3.65 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बाद की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंक स्टाफ लागत को युक्तिसंगत बनाते रहे ताकि ब्याज से इतर खर्च कम रहे। तथापि, हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रति कर्मचारी लागत स्टाफ की बदलती संघटना तथा अधिवर्षिता देयताओं के लिए अधिक प्रावधानीकरण के कारण और बढ़ी (बॉक्स III.6)।

निवल ब्याज आय

3.66 ब्याज आय और ब्याज व्यय के बीच अंतर के रूप में परिभाषित निवल ब्याज आय, बैंकों का महत्वपूर्ण दक्षता संकेतक होता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का स्प्रेड पिछले स्तर पर अपरिवर्तित बना रहा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में उच्च बना हुआ है। जहां विदेशी बैंकों, एसबीआई समूह, निजी क्षेत्र के नए



⁶ निपुणता अनुपात को निवल आय और ब्याज से इतर आय के रूप में परिभाषित किया गया है।

बॉक्स III.6: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्टाफ व्यय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रवृत्तियां

बैंकिंग उद्योग, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की परिचालन लागत में मजदूरी लागत का हिस्सा प्रमुख है। 2000-01, के दौरान स्टाफ की संख्या घटाने तथा परिचालन लागत घटाने /की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्टाफ के लिए एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की गई थी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को सरकारी क्षेत्र के 27 में से 26 बैंकों में लागू किया और एक लाख से ज्यादा स्टाफ मुक्त किए गए जिनके कारण रूपए 11,885 करोड़ का खर्च बढ़ा। एक विशेष मामले के रूप में, बैंकों को उक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2000-01 से प्रारंभ कर 5 वर्षों की अवधि में अधिस्थगित करने की अनुमति दी गई थी। 2000-01 से लेकर 2003-04 तक वीआरएस से संबंधित अधिस्थगित खर्च की राशि रु. 9,456 करोड़ थी और रु.2,429 करोड़ की शेष राशि को 2004-05 के दौरान अधिस्थगित कर लिया गया।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल स्टाफ खर्च की लागत 1996-97 से लेकर 1999-00 तक की अवधि (वीआरएस पूर्व अवधि) के दौरान 11.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ती गई, परंतु यह 2000-01 से लेकर 2003-04 (वीआरएस उपरांत अवधि) तक के अगले चार वर्षों के दौरान केवल 2.2 प्रतिशत की दर पर बढ़ी, जो स्टाफ कटौती के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करती है। यदि अधिस्थगित किए गए वीआरएस खर्च की निवल राशि को लिया जाता है तो वीआरएस उपरांत अवधि के दौरान स्टाफ लागत में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत बनता है। 2001-02 के दौरान वीआरएस का वास्तविक सकारात्मक प्रभाव सुस्पष्ट रहा जब सरकारी क्षेत्र के बैंकों की, वीआरएस लागत को समायोजित किए बिना, कुल स्टाफ लागत में 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, अगले दो वित्तीय वर्षों के दौरान (2002-03 और 2003-04) अधिस्थगित किए गए वीआरएस खर्चों को घटाकर, स्टाफ लागत क्रमशः 8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत बढ़ गई। कुल स्टाफ संख्या मार्च 2001 के अंत के 7,95,092 से घटकर मार्च 2004 के अंत में, 7,49,575 हो जाने पर भी, स्टाफ लागत बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप, प्रति कर्मचारी लागत, अधिस्थगित किए गए वीआरएस खर्चों को घटाकर) जो 2000-01 में स्थित रु.2.24 लाख से घटकर 2001-02 में रु. 2.18 लाख हो गई थी, बढ़कर रु. 2.37 लाख तथा अगले दो वित्तीय वर्षों में और बढ़कर रु. 2.67 लाख हो गई। चुनिंदा 13 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्टाफ खर्चों को

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल स्टाफ खर्च का 68 प्रतिशत है, के विस्तृत विश्लेषण से निम्नलिखित बातें सामने आईं :

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल स्टाफ संख्या के संदर्भ में अधिकारियों का अनुपात बढ़ गया है। जहां चुनिंदा बैंकों की कुल स्टाफ संख्या मार्च 2003 के अंत के 5,06,241 से घटकर मार्च 2004 के अंत में 5,03,935 रह गई। इसी अवधि के दौरान अधिकारियों की संख्या 1,45,793 (28.8 प्रतिशत) से बढ़कर 1,53,652 (30.4 प्रतिशत) हो गई। समग्र स्टाफ संख्या में अधिकारियों के बढ़ते अनुपात के साथ, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सभी बैंकों में सकल पारिश्रमिक (महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों के साथ मूल वेतन) भी बढ़ गया है।
- चुनिंदा बैंकों की भविष्य निधि और पेंशन देयता के प्रावधान के कारण होनेवाला बहिर्वाह वीआरएस उपरांत अवधि, विशेष रूप से मार्च 2003 और 2004 में समाप्त वर्षों के दौरान, उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, जिसके कारण स्टाफ खर्चों में बढ़ोतरी हो गई। पेंशन और भविष्य निधि देयताओं का अंश चुनिंदा बैंकों के मार्च 2002 के कुल स्टाफ खर्चों के 11.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 में 12.3 प्रतिशत और मार्च 2004 में समाप्त वर्ष के दौरान और बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गया। 2001-02 और 2003-04 के बीच पेंशन और भविष्य निधि देयताएं 12 बैंकों (13 में से) के वृद्धिशील स्टाफ का 54.2 प्रतिशत थीं।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता हाल के वर्षों में सुधर गई है। परिणामतः, कई सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने पिछले वर्षों की स्टाफ देयताओं में आई कमी को पूरा करने के लिए काफी अधिक प्रावधान किए थे, जिसके कारण भी हाल के वर्षों में कुल स्टाफ खर्चों में बढ़ोतरी हुई।
- हाल के वर्षों में अधिकांश बैंकों ने संबंधित लेखांकन मानदंड का अनुपालन करने के लिए मूल्यांकन करने तथा अधिवर्षिता देयताओं के लिए प्रावधान करने के लिए बीमांकिक पद्धति अपनाई है। इससे भी हाल के वर्षों में अधिवर्षिता देयताओं के प्रावधानों में वृद्धि हुई होगी।

और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन बढ़ गया, वहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में वह घट गया।

परिचालन लाभ

3.67 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन लाभ 2004-05 में 3.1 प्रतिशत घट गया जबकि पिछले वर्ष इसमें 29.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो बड़े पैमाने पर ब्याज से इतर आय में गिरावट के प्रभाव का परिचायक है। बैंक समूहों में 2004-05 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और विदेशी बैंकों का परिचालन लाभ घट गया, जबकि स्टेट बैंक समूह और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के संदर्भ में यह बढ़ गया।

प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.68 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रावधानों और आकस्मिक व्यय में मामूली गिरावट आई। 2004-05 के दौरान सकल स्तर पर, जहां ऋण हानियों के प्रावधान में 59 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई, वहीं निवेशों के मूल्य में मूल्यहास 7.7 प्रतिशत बढ़ गए (पैरा 3.77 तथा 3.82 भी देखें)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों

और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय बढ़ गए, वहीं निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों के मामले में ये घट गए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर अन्य बैंकों की ऋण हानियों के प्रावधान में गिरावट पाई गई। विदेशी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों में निवेश के मूल्य में मूल्यहास का प्रावधान बढ़ गया।

निवल लाभ

3.69 2004-05 के दौरान निवल लाभों में (परिवर्तन के प्रभाव को छोड़कर) 7.0 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि पिछले वर्ष 30.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों तथा विदेशी बैंकों के निवल लाभ में गिरावट आई वहीं एसबीआई समूह तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों में वह बढ़ गया। निजी क्षेत्र के नए बैंकों के निवल लाभ में हुई तीव्र वृद्धि प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय में आई तीव्र गिरावट के कारण थी (सारणी III.24)।

आस्तियों पर प्रतिलाभ

3.70 आस्तियों पर प्रतिलाभ अपनी आस्तियों के विनियोजन में बैंकों की निपुणता दर्शाते हैं। 2004-05 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों

सारणी III.24: परिचालन लाभ तथा निवल लाभ - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	परिचालन लाभ				निवल लाभ			
	2003-04	प्रतिशत घटबढ़	2004-05	प्रतिशत घटबढ़	2003-04	प्रतिशत घटबढ़	2004-05	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	52,600	29.3	50,962	-3.1	22,271	30.4	20,706	-7.0
	-	-	(51,684)	(-1.7)	-	-	(21,320)	(-4.3)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	39,290	32.2	39,413	0.3	16,546	34.6	15,784	-4.6
राष्ट्रीयकृत बैंक	24,927	34.8	23,431	-6.0	10,928	40.4	9,494	-13.1
स्टेट बैंक समूह	14,364	27.9	15,260	6.2	5,619	24.5	5,676	1.0
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	-	-	722	-	-	-	615	-
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3,192	13.8	2,239	-29.9	1,446	17.4	436	-69.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	5,133	15.8	5,435	5.9	2,035	17.9	3,098	52.2
विदेशी बैंक	4,986	33.7	4,597	-7.8	2,243	23.0	2,002	-10.7

- : कुछ नहीं / नगण्य

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़ों में एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रभाव शामिल नहीं है।



की आस्तियों की तुलना में निवल लाभ के अनुपात में मामूली गिरावट आई। तथापि, निजी क्षेत्र के नए बैंकों को छोड़कर, अन्य बैंक समूह में इस अनुपात में गिरावट पाई गई, उक्त गिरावट निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में सर्वोच्च थी, जिसके बाद विदेशी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्थान था (चार्ट III.19)।

इक्विटी पर प्रतिलाभ

3.71 इक्विटी पर प्रतिलाभ बैंकिंग संस्थाओं की पूंजी का प्रयोग करने की निपुणता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, यह

बैंकों के शेयरधारियों के हित में उनके कारोबार के संचालन का संकेतक है। समग्रतः, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के इक्विटी पर प्रतिलाभ में उल्लेखनीय गिरावट आई और वह पिछले वर्ष के 19.8 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 13.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.20)।

3.72 सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के बैंक समूह के वित्तीय मानदंड परिशिष्ट सारणी III.16 से III.24 में दिए गए हैं।




भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

5. सुदृढ़ता के संकेतक

3.73 पूंजी पर्याप्तता तथा आस्ति गुणवत्ता ऐसे दो महत्वपूर्ण मानदंड हैं जिनसे किसी वित्तीय संस्था की सुदृढ़ता का पता चलता है। भारतीय संदर्भ में कुछ वर्षों से इन दोनों ही मानदंडों में उल्लेखनीय सुधार पाया गया है। जहां गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर - सकल तथा निवल - दोनों ही रूपों में, गिरा है, वहीं पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर रूप से सुधरता गया है (चार्ट III.21)। पूंजी में वृद्धि तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार के मिले जुले प्रभाव को दर्शाते हुए पूंजी की तुलना में एनपीएल का अनुपात, जो कि सबसे खराब परिदृश्य का माप है, मार्च 1999 के अंत के 71.3 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर मार्च 2004 के अंत में 22.8 प्रतिशत और मार्च 2005 के अंत तक और घटकर 15.5 प्रतिशत हो गया।

आस्ति गुणवत्ता

3.74 ऋण वृद्धि में हुई तीव्र बढ़ोतरी को आस्ति गुणवत्ता में निरंतर हुए सुधार से सहारा मिला। 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष की प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हुए एनपीए में हुई कटौती के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संदर्भ में एनपीए में और बढ़ोतरी नहीं हुई (सारणी III.25)। निजी क्षेत्र के नए बैंकों को छोड़कर सभी बैंक



समूहों में यह प्रवृत्ति देखी गई। मार्च 2004 के अंत और मार्च 2005 के अंत के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल एनपीए (परिवर्तन के प्रभाव को छोड़कर) में रु.6,485 करोड़ की गिरावट आई।

सारणी III.25: अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहवार उतार चढ़ाव -2004-05

(राशि करोड़ रुपये में)

ब्यौरे	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (87)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (88)#	राष्ट्रीय कृत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (8)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (27)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (28)#	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (20)	निजी क्षेत्र के नये बैंक (9)	विदेशी बैंक (31)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सकल अनर्जक आस्तियाँ									
31 मार्च 2004 को *	63,096	64,439	35,549	15,989	51,538	52,880	4,393	4,517	2,649
वर्ष के दौरान वृद्धि	20,210	20,396	10,221	5,603	15,824	16,011	1,154	2,199	1,032
वर्ष के दौरान वसूले गए	23,488	23,801	13,247	5,833	19,080	19,394	1,270	2,004	1,134
वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाले गए	1,519	1,519	814	143	956	956	71	136	356
31 मार्च 2005 को	58,300	59,516	31,709	15,616	47,325	48,541	4,206	4,576	2,192
निवल गैर-निष्पादक आस्तियां									
31 मार्च 2004 के अंत में *	24,615	24,615	12,893	5,967	18,859	18,859	2,140	2,717	898
31 मार्च 2005 के अंत में	21,441	22,289	10,280	6,363	16,642	17,490	1,859	2,292	648
जापन :									
सकल अग्रिम	11,10,986	11,52,682	5,42,768	2,93,360	8,36,128	8,77,825	70,412	1,27,420	77,026
निवल अग्रिम	10,74,044	11,15,663	5,23,253	2,84,040	8,07,293	8,48,912	67,742	1,23,655	75,354
अनुपात :									
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/सकल अग्रिम	5.2	5.2	5.8	5.3	5.7	5.5	6.0	3.6	2.8
निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/निवल अग्रिम	2.0	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.7	1.9	0.9
# : एक और गैर-बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने के प्रभाव सहित									
* : आंकड़ों में उन बैंकों के एनपीए शामिल नहीं हैं जो वर्ष के दौरान बंद हो गए हैं।									
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े वर्ष 2004-05 में उस समूह में बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।									
स्रोत : 1. संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र।									
2. बैंकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां									

सारणी III.26: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विविध माध्यमों के जरिए सुधारे गए एनपीए

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04			2004-05		
	संदर्भित मामलों की संख्या *	शामिल राशि	वसूली गई राशि	संदर्भित मामलों की संख्या *	शामिल राशि	वसूली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
i) एक बारगी निपटान/सुलह योजनाएं *	1,39,562	1,510	617	1,32,781	1,332	880
ii) लोक अदालत	1,86,100	1,063	149	1,85,395	801	113
iii) डीआरटी	7,544	12,305	2,117	4,744	14,317	2,688
iv) सरफेसी अधिनियम	2,661 #	7,847	1,156	39,288 #	13,224	2,391
v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	-	-	-	368	-	14,506

- : कुछ नहीं / नगण्य
: सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन जारी नोटिसों की संख्या.
* : उक्त योजना 31 जुलाई 2004 तक परिचालन में थी और आवेदन पत्र पर प्रक्रिया करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2004 थी।

3.75 गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए बैंकों को उपलब्ध कई विकल्पों को देखते हुए बैंक एनपीए की उल्लेखनीय राशि की उगाही कर पाए (सारणी III.26)। अच्छे औद्योगिक वातावरण का बेहतर उगाही की स्थिति में योगदान था। 2004-05 में बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में पुनर्गठन किए जाने से भी एनपीए के स्तर को घटाने में सहायता मिली।

3.76 भारतीय आस्ति पुनर्निर्माण निगम स्थापित करने से बैंकों की अनर्जक आस्तियों की वसूली के प्रयासों में बड़ी तेजी आई। 2004-05 के दौरान सभी बैंक समूहों तथा कतिपय वित्तीय संस्थाओं ने रुपए 15,343 करोड़ रुपये की अपनी अनर्जक आस्तियाँ भारतीय आस्ति पुनर्निर्माण निगम को बेचीं (सारणी III.27)।

अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतारचढ़ाव

3.77 वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बट्टेखाते डाले गए और प्रतिलेखित किए गए अधिक प्रावधान, वर्ष के दौरान

सारणी III.27: भारतीय आस्ति पुनर्निर्माण निगम द्वारा अभिगृहीत वित्तीय आस्तियों के विवरण (31, मार्च 2005 को)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक / वित्तीय संस्थाएं	मामलों की संख्या	प्रधान ऋण अभिगृहीत किया	ब्याज तथा अन्य प्रभार	कुल बकाया खरीद
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	314	2,584	2,920	5,504
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11	153	84	237
निजी क्षेत्र के नए बैंक	132	4,436	4,329	8,765
वित्तीय संस्थाएं	12	386	450	837
कुल	368	7,559	7,783	15,343

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत घट-बढ़ हैं।

किए गए प्रावधान से अधिक हो गए जिसके चलते, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए संचयी प्रावधानों में कमी आयी। पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर, अन्य सभी बैंक समूहों के संबंध में मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार किए गए संचयी प्रावधान मार्च 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार किए गए प्रावधानों की तुलना में कम थे। तथापि, समग्र अनर्जक आस्तियों में आई गिरावट के मद्देनजर, अनर्जक आस्तियों को सहारा देने के लिए किए गए संचयी प्रावधान मार्च 2004 के अंत के 56.6. प्रतिशत से बढ़कर मार्च के 2005 अंत में 59.7. प्रतिशत हो गए। अनर्जक आस्तियों के प्रति उक्त सहारे के लिए कुशन का प्रावधान वसूली वातावरण और क्रेडिट जोखिम माहौल में सुधार के बावजूद जैसा कि मजबूत समष्टिगत आर्थिक माहौल में पाया गया था, सुधर गया। मार्च 2005 के अंत में, समग्र अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में संचयी प्रावधान विदेशी बैंकों के लिए उच्चतम था, इसके बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों, पुराने निजी बैंकों और नए निजी बैंकों का स्थान था (सारणी III.28)

3.78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए समग्र ऋणों और अग्रिमों में भारी वृद्धि के साथ अनर्जक आस्तियों की वसूली में उल्लेखनीय सुधार के कारण समग्र अग्रिमों की तुलना में समग्र एनपीए अनुपात में तीव्र गिरावट आई तथा वह मार्च 2004 के अंत के 7.2. प्रतिशत से गिरकर मार्च 2005 के अंत में 5.2 प्रतिशत हो गया। समग्र तथा निवल अनर्जक आस्तियों में गिरावट सभी बैंक समूहों में पाई गई [सारणी III.29. और परिशिष्ट सारणियां III.25 और III.26]।

3.79 निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च 2005 के अंत में निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के संबंध में उच्चतम (2.7 प्रतिशत) था, इसके बाद सरकारी क्षेत्र बैंकों, नए निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का स्थान था। मार्च 2005 के अंत में, 88 में से 51 बैंकों (पिछले वर्ष के 38 के मुकाबले) के निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ 2 प्रतिशत से कम थीं। निवल अग्रिम की तुलना में 10 प्रतिशत से ज्यादा निवल अनर्जक आस्तियाँवाले बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के नौ

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

सारणी III.28 : गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव - बैंक समूह-वार

(करोड़ रुपए)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (87)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (88)#	राष्ट्रीय कृत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (8)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (28)#	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (20)	निजी क्षेत्र के नये बैंक (9)	विदेशी बैंक (31)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एनपीए के लिए प्रावधान									
मार्च 2004 के अंत तक	35,735	36,199	20,619	9,030	29,649	30,113	2,069	2,431	1,585
जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	11,498	11,630	5,946	1,977	7,923	8,055	568	2,364	642
घटाइए: वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाले गए, अधिक के लिए पुनः लिखे गए	12,070	12,297	5,380	2,797	8,177	8,404	441	2,601	852
मार्च 2005 के अंत में	35,162	35,531	21,185	8,210	29,395	29,764	2,197	2,195	1,376
ज्ञापन :									
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	58,300	59,516	31,709	15,616	47,325	48,541	4,206	4,576	2,192
अनुपात :									
सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के संचयी प्रावधान (प्रतिशत)	60.3	59.7	66.8	52.6	62.1	61.3	52.2	48.0	62.8
# : एक और गैर-बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने के प्रभाव सहित नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2004-05 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं। स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।									

की तुलना में मार्च 2005 के अंत में कम हो कर चार रह गई। ऐसे सभी बैंक विदेशी बैंक समूह से संबंधित थे (सारणी III.30)।

3.80 2004-05 के दौरान अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण कुछ हद तक निम्नतर होने के साथ निवल अनर्जक

सारणी III.29: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक समूह वार सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह / वर्ष	सकल अग्रिम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ			निवल अग्रिम	निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ		
		राशि	सकल अग्रिमों से प्रतिशत	कुल आस्तियों से अग्रिमों		राशि	सकल अग्रिमों से प्रतिशत	कुल आस्तियों से अग्रिमों
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक								
2002	6,80,958	70,861	10.4	4.6	6,45,859	35,554	5.5	2.3
2003	7,78,043	68,717	8.8	4.0	7,40,473	32,671	4.4	1.9
2004	9,02,026	64,785	7.2	3.3	8,62,643	24,615	2.9	1.2
2005	11,10,986	58,300	5.2	2.6	10,74,044	21,441	2.0	0.9
2005 #	11,52,682	59,516	5.2	2.5	11,15,663	22,289	2.0	0.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक								
2002	5,09,368	56,473	11.1	4.9	4,80,681	27,958	5.8	2.4
2003	5,77,813	54,090	9.4	4.2	5,49,351	24,867	4.5	1.9
2004	6,61,975	51,538	7.8	3.5	6,31,383	18,860	3.0	1.3
2005	8,36,128	47,325	5.7	2.8	8,07,293	16,642	2.1	1.0
2005 #	8,77,825	48,541	5.5	2.7	8,48,912	17,490	2.1	1.0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक								
2002	44,057	4,851	11.0	5.2	42,286	3,013	7.1	3.2
2003	51,329	4,550	8.9	4.3	49,436	2,740	5.5	2.6
2004	57,908	4,393	7.6	3.6	55,648	2,140	3.8	1.8
2005	70,412	4,206	6.0	3.2	67,742	1,859	2.7	1.4
निजी क्षेत्र के नये बैंक								
2002	76,901	6,811	8.9	3.9	74,187	3,663	4.9	2.1
2003	94,718	7,232	7.6	3.8	89,515	4,142	4.6	2.2
2004	1,19,511	5,961	5.0	2.4	1,15,106	2,717	2.4	1.1
2005	1,27,420	4,576	3.6	1.6	1,23,655	2,292	1.9	0.8
भारत में विदेशी बैंक								
2002	50,631	2,726	5.4	2.4	48,705	920	1.9	0.8
2003	54,184	2,845	5.3	2.4	52,171	921	1.8	0.8
2004	62,632	2,894	4.6	2.1	60,506	898	1.5	0.7
2005	77,026	2,192	2.8	1.4	75,354	648	0.9	0.4
# : एक और गैर बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने के प्रभाव सहित। टिप्पणी : आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण घटक मदों को जोड़ा नहीं जा सकता। स्रोत : 1. संबंधित बैंकों का तुलन पत्र। 2. संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ।								

सारणी III.30: निवल अग्रिमों के साथ निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	मार्च के अंत में				
	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	27	27	27	27	28
2 प्रतिशत तक	1	-	4	11	19
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	5	9	14	13	7
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	16	15	7	3	2
10 प्रतिशत से अधिक	5	3	2	-	-
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	23	22	21	20	20
2 प्रतिशत तक	1	2	2	2	4
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	4	2	4	9	12
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	11	13	13	7	4
10 प्रतिशत से अधिक	7	5	2	2	-
निजी क्षेत्र के नये बैंक	8	8	9	10	9
2 प्रतिशत तक	1	1	3	4	5
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	5	3	2	5	3
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	2	4	3	-	1
10 प्रतिशत से अधिक	-	-	1	1	-
भारत में विदेशी बैंक	42	40	36	33	31
2 प्रतिशत तक	21	21	20	21	23
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	6	4	2	3	2
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	4	1	6	3	2
10 प्रतिशत से अधिक	11	14	8	6	4

- : कुछ नहीं / नगण्य

आस्ति अनुपात में गिरावट एनपीए की बढ़ी वसूली और समग्रतः आस्ति में गिरावट दोनों कारणों से हुई। समग्र रूप से, संदिग्ध श्रेणी में अनर्जक आस्तियाँ बढ़ी परन्तु अवमानक श्रेणी की आस्तियाँ तेजी से घट गईं जो मार्च 2005 में समाप्त वर्ष से आस्ति वर्गीकरण मानदंड में किए गए बदलाव को दर्शाता है, जिसके अनुसार किसी आस्ति को 18 महीने के पूर्ववर्ती मानदंड की बजाय 12 महीने के लिए एनपीए बने रहने पर उसे संदिग्ध माना जाएगा। तथापि, निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में संदिग्ध श्रेणी में एनपीए में उल्लेखनीय कमी आई (सारणी III.31)।

क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ

3.81 सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियाँ तीन मोटे क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकृत की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के एनपीए का हिस्सा मार्च 2004 के अंत के 47.5 प्रतिशत से मामूली बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 48.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योगों के एनपीए के हिस्से में गिरावट आई। यद्यपि 2004-05 के दौरान, गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों का हिस्सा बढ़ा, वहीं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनर्जक आस्तियों का हिस्से में घट गया (सारणी III.32)।

3.82 जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों संबंध है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तीनों घटकों जैसे कृषि, लघु उद्योगों तथा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कारण अनर्जक आस्तियों का हिस्सा 2003-04 की तुलना में 2004-05 के दौरान बढ़ा। तथापि, वास्तविक मात्रा की दृष्टि से इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की राशि में वर्ष के दौरान गिरावट आई। 2004-05 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनर्जक आस्तियों में गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 75.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा। कृषि तथा कमजोर वर्गों को अग्रिम और कमजोर वर्गों में से उत्पन्न अनर्जक आस्तियों के बैंकवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट सारणी III.27(ए) और III.27 (बी) तथा परिशिष्ट सारणी III.28(अ) तथा III.28 (आ) में दिए गए हैं।

निवेशों पर मूल्यहास के बारे में प्रावधानों में उतारचढ़ाव

3.83 2004-05 के दौरान निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान उल्लेखनीय रूप से 81.4 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान बढ़ते खाते डाली गई राशि से अधिक और पुनः लिखे गए प्रावधानों से काफी अधिक हो गए। परिणामतः, 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के निवेश संविभाग के कुल प्रावधानों का कुशन मार्च 2004 के अंत के 0.7. प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 1.7 प्रतिशत हो गया। निवेश पर मूल्यहास के लिए उच्चतर

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

सारणी III.31: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण-बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह/वर्ष	मानक आस्तियाँ		अवमानक आस्तियाँ		संदिग्ध आस्तियाँ		हानि आस्तियाँ		कुल गैर-निष्पादक		कुल आस्तियाँ
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2002	6,09,972	89.6	21,382	3.1	41,201	6.1	8,370	1.2	70,953	10.4	6,80,925
2003	7,09,260	91.2	20,078	2.6	39,731	5.1	8,971	1.2	68,780	8.8	7,78,040
2004	8,37,130	92.8	21,026	2.3	36,247	4.0	7,625	0.8	64,898	7.2	9,02,027
2005	10,93,523	94.9	14,016	1.2	37,763	3.3	7,382	0.6	59,161	5.1	11,52,684
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक											
2002	4,52,862	88.9	15,788	3.1	33,658	6.6	7,061	1.4	56,507	11.1	5,09,369
2003	5,23,724	90.6	14,909	2.6	32,340	5.6	6,840	1.2	54,089	9.4	5,77,813
2004	6,10,435	92.2	16,909	2.6	28,756	4.3	5,876	0.9	51,541	7.8	6,61,975
2005	8,30,029	94.6	11,068	1.3	30,799	3.5	5,929	0.7	47,796	5.4	8,77,825
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2002	39,262	89.0	1,834	4.2	2,668	6.0	348	0.8	4,850	11.0	44,112
2003	46,761	91.1	1,474	2.9	2,772	5.4	321	0.6	4,567	8.9	51,328
2004	53,516	92.4	1,161	2.0	2,727	4.7	504	0.9	4,392	7.6	57,908
2005	66,212	94.0	784	1.1	2,868	4.1	549	0.8	4,201	6.0	70,413
निजी क्षेत्र के नये बैंक											
2002	70,010	91.1	2,904	3.8	3,871	5.0	41	0.1	6,816	8.9	76,826
2003	87,487	92.4	2,700	2.9	3,675	3.9	856	0.9	7,231	7.6	94,718
2004	1,13,560	95.0	1,966	1.6	3,665	3.1	321	0.3	5,952	5.0	1,19,512
2005	1,22,577	96.2	1,449	1.1	3,061	2.4	334	0.3	4,844	3.8	1,27,421
भारत में विदेशी बैंक											
2002	47,838	94.5	856	1.7	1,004	2.0	920	1.8	2,780	5.5	50,618
2003	51,288	94.7	995	1.8	944	1.7	954	1.8	2,893	5.3	54,181
2004	59,619	95.2	990	1.6	1,099	1.8	924	1.5	3,013	4.8	62,632
2005	74,705	97.0	715	0.9	1,035	1.3	570	0.7	2,320	3.0	77,025

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े वर्ष 2004-05 में उस समूह में बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीबीएस विवरणियाँ (बीएसए)

प्रवधानीकरण के चलते बैंकों ने बढ़ती हुई ब्याज दर परिदृश्य में अपने निवेश संविभाग में जोखिमों के समुचित प्रबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के नए बैंकों ने

अपने प्रावधानों को प्रतिलेखित किया जो एएफएस श्रेणी में निम्नतर अवधि के निवेशों के उच्चतर अनुपात का परिचायक है। (सारणी III.33)।

सारणी III.32: क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

देश	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	23,840	23,397	1,802	1,782	681	407	26,323	25,586
i) कृषि	7,240	7,254	288	304	171	161	7,699	7,719
ii) लघु स्तर/मानदंड उद्योग	8,838	7,835	859	792	404	172	10,101	8,799
iii) अन्य	7,762	8,308	655	686	106	73	8,523	9,067
ख. सरकारी क्षेत्र	610	450	8	8	66	34	684	493
ग. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25,698	23,849	2,591	2,444	5,205	4,125	33,494	30,417
कुल (क+ख+ग)	50,148	47,696	4,401	4,234	5,952	4,566	60,501	56,496

* : विदेशी बैंकों को छोड़कर.

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियों के आधार पर

सारणी III.33: निवेशों के मूल्यहास पर प्रावधानों में उतार-चढ़ाव बैंक-समूहवार

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण/ब्योरे	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (87)	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (88)#	राष्ट्रीय कुत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (8)	सरकारी क्षेत्र बैंक (27)	सरकारी क्षेत्र बैंक (28)#	पुराने निजी क्षेत्र बैंकों (20)	नई/नए निजी क्षेत्र बैंकों (9)	विदेशी बैंकों (31)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निवेशों पर मूल्यहास के बारे में प्रावधान मार्च 2004 के अंत में	4,620	4,684	1,043	1,853	2,897	2,960	152	1,134	437
जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7,504	7,504	1,998	4,308	6,306	6,306	660	107	431
घटाइए: वर्ष के दौरान बड़े खाते डाले गए अधिक के लिए पुनः लिखे गए	3,742	3,763	1,070	1,587	2,657	2,677	443	563	80
मार्च 2005 के अंत में	8,381	8,425	1,972	4,574	6,546	6,590	369	678	788
ज्ञापन :									
निवेश संविभाग (एएफटी+ एचएफटी)	4,97,163	5,03,720	2,23,963	1,71,181	3,95,144	4,01,701	20,943	42,495	38,581
सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के संचयी प्रावधान	1.7	1.7	0.9	2.7	1.7	1.6	1.8	1.6	2.0
# : एक और गैरबैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने सहित नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2004-05 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं। स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।									

निवेश घटबढ़ आरक्षित निधि (आइएफआर)

3.84 चूंकि खजाना लाभ ब्याज दर में घटबढ़ से प्रभावित होते हैं, अतः बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस आय का कुछ भाग निवेश उतार-चढ़ाव के रूप में अलग रख लें। पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के रूप में आरक्षित निधि एक अंतर्निहित मद है और यह निवल लाभ पर एक प्रभार है। जिन बैंकों ने 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'व्यापार के लिए धारित' दोनों श्रेणियों में क्रेडिट तथा बाजार जोखिमों - दोनों के लिए जोखिम भारित आस्तियों के कम से कम 9 प्रतिशत का सीआरएआर रखा है, उन्हें निवेश संविभाग के 5 प्रतिशत से अधिक भाग के आरक्षित निधि को टियर I पूंजी के रूप में मानने की अनुमति दी गई। हाल में जारी दिशानिर्देशों अनुसार, उपर्युक्त शर्तों का पालन करनेवाले बैंकों को मार्च 31, 2006 से आइएफआर के अंतर्गत संपूर्ण शेष को टियर I पूंजी के रूप में मानने, तथा लाभ और हानि विनियोजन खाता में 'अंतर्निहित' शेष को सांविधिक आरक्षित निधि, सामान्य आरक्षित निधि या लाभ और हानि लेखा के शेष में अंतरित करने की अनुमति दी जाएगी (अध्याय 2 भी देखें)।

3.85 नीतिगत दृष्टिकोण के अनुरूप बैंकों ने संयुक्त निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि निर्मित करने के प्रयासों को तेज किया। मार्च 2005 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए आइएफआर अनुपात (आइएफआर को एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया) तेजी से बढ़ा और मार्च 2004 के अंत के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गया। आइएफआर अनुपात में वृद्धि कुल निवेशों के 25 प्रतिशत से अधिक को प्रमुख रूप से ट्रेडिंग बुक से 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अंतरित किए जाने के कारण थी और यह सभी बैंक

समूहों में पाई गई। तथापि, आइएफआर निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए उच्चतम था, इसके बाद नए निजी बैंकों तथा विदेशी बैंकों का स्थान था। जहां बैंकों से अपेक्षित है कि वे 2007 तक अपने निवेशों के न्यूनतम पांच प्रतिशत आइएफआर संविभाग निर्मित करें, वहीं सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों ने पहले ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है (सारणी III.34, और परिशिष्ट सारणी III.29)।

पूंजी पर्याप्तता

3.86 मार्च 2005 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का 12.8 प्रतिशत पर स्थित समग्र सीआरएआर कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर (12.9 प्रतिशत) पर ही रहा। उक्त अनुपात बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार से संबंधित नई अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद भी निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से बहुत ज्यादा बना रहा (सारणी III.35)। वर्ष के दौरान टियर I घटक ने इस तथ्य के बावजूद कुछ सुधार दर्शाया कि चालू वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों से बदलकर ऋण संविभाग की ओर ज्यादा जोर रहा। आवास निर्माण और उपभोक्ता ऋणों के लिए लागू किए गए उच्चतर जोखिम भार के साथ ऋण संविभाग में तीव्र वृद्धि के कारण जोखिम भारित आस्तियों में 33.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, बैंकों का पूंजी आधार जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता रहा। इसे, एक हद तक, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से और अधिक बार संपर्क करके पूरा किया गया (भाग 6 भी देखें)।

3.87 पिछले कुछ वर्षों में जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात निरंतर बढ़ा है। यद्यपि मार्च 1998 के अंत तथा मार्च 2002 के अंत के बीच में हुई अधिकांश वृद्धि टियर II

सारणी III.34: बैंक समूहवार निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (मार्च 2005के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	निवेश		निवेश घट-बढ़ (एएफएस+ एचएफटी) प्रारक्षित निधि (आइएफआर)	(एएफएस+ एचएफटी) के अनुपात के रुप में आइएफआर
	बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)	व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)		
1	2	3	4	5
अनुसूचित वाणिज्य/वाणिज्यिक बैंक	4,80,055	14,032	21,732	4.4
	(4,86,105)	(14,539)	(22,124)	(4.4)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3,99,853	1,819	18,124	4.5
राष्ट्रीयकृत बैंक	2,23,261	672	10,449	4.7
भारतीय स्टेट बैंक समूह	1,70,541	639	7,284	4.3
अन्य सरकारी क्षेत्र बैंक	6,050	507	392	6.0
निजी क्षेत्र पुराने बैंक	20,642	301	966	4.6
नई/नए निजी क्षेत्र बैंक	31,536	7,913	1,469	3.7
विदेशी बैंक	34,075	4,507	1,565	4.1

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ों में एक गैर बैंकिंग संस्था को बैंकिंग संस्था में परिवर्तित करने का प्रभाव शामिल है।

स्रोतों : 1. परोक्ष रूप से विवरणियाँ (घरेलू तथा अन्तर्गत)

2. संबंधित बैंक के तुलनपत्र

घटक में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी, वहीं उसके बाद टियर I तथा टियर II की सम्मिश्र पूंजी स्थूल रूप से स्थिर रही हैं जिसमें टियर I घटक का अंश मोटे तौर पर कुल सीआरएआर का दो तिहाई था

सारणी III.35: पूंजी पर्याप्तता अनुपात- अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(मार्च के अंत में)


(रुपए करोड़)

मद / वर्ष	2003	2004	2005
1	2	3	4
अ) पूंजीगत निधियां (i + ii)	1,07,058	1,25,249	1,65,928
i) टियर I पूंजी	71,416	78,550	1,08,949
जिसमें से:			
चुकता पूंजी	21,594	22,348	25,905
रिजर्व	57,648	65,948	91,320
अनाबंटित/विप्रेषणीय अधिशेष	4,194	4,983	6,937
टियर I पूंजी के लिए कटौतियां	11,646	14,403	15,031
ii) टियर II पूंजी	35,643	46,699	56,979
जिसमें से:			
बड़ाकृत गौण/			
ऋण	18,482	20,011	26,291
निवेश घटबढ़ रिजर्व	9,635	18,920	21,732
ख) जोखिम भारित आस्तियों	8,44,402	9,69,886	12,96,223
जिसमें से:			
जोखिम भारित ऋण और अग्रिम	5,65,799	6,59,921	9,19,544
ग) सीआरएआर (ख के प्रतिशत के रुप में क)	12.7	12.9	12.8
जिसमें से: टियर-I	8.5	8.1	8.4
टियर-II	4.2	4.8	4.4

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट विवरणियां

(चार्ट III.22)। सीआरएआर बनाए रखने के लिए बैंक मुख्यतः रोक रखे गए अर्जनों पर निर्भर रहे, यद्यपि कुछ बैंकों का रुख उनके रोक रखे गए अर्जनों की पूंजी निर्गमों द्वारा अनुपूर्ति करने का रहा।

3.88 बैंक समूहों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों के सीआरएआर में उल्लेखनीय सुधार हुआ जिससे वे अन्य बैंक समूहों के नजदीक आ गए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भीतर, वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के सीआरएआर में थोड़ा सुधार हुआ। स्टेट बैंक समूह, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और विदेशी बैंकों के सीआरएआर में गिरावट आई (सारणी III.36)।



सारणी III.36: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	11.5	11.3	11.1	11.4	12.0	12.7	12.9	12.8
सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.6	11.3	10.7	11.2	11.8	12.6	13.2	12.9
राष्ट्रीयकृत बैंक	10.3	10.6	10.1	10.2	10.9	12.2	13.1	13.2
स्टेट बैंक समूह	14.0	12.3	11.6	12.7	13.3	13.4	13.4	12.4
पुराने निजी क्षेत्र बैंक	12.3	12.1	12.4	11.9	12.5	12.8	13.7	12.5
नए निजी क्षेत्र बैंक	13.2	11.8	13.4	11.5	12.3	11.3	10.2	12.1
विदेशी बैंक	10.3	10.8	11.9	12.6	12.9	15.2	15.0	14.0


स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट विवरणियाँ

3.89 पांच सबसे बड़े बैंकों, जिनमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों का 39.6 प्रतिशत भाग था, के सीआरएआर में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ पाई गईं। यद्यपि तीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर में मध्यम तीव्र वृद्धि पाई गई, वहीं दो अन्य बैंकों के संदर्भ में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.23)।

3.90 व्यक्तिगत बैंक स्तर पर, पुराने निजी क्षेत्र समूह के दो बैंकों को छोड़कर, जिनका हिस्सा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों का 0.3 प्रतिशत था, सभी अन्य बैंकों का सीआरएआर नौ प्रतिशत न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के ऊपर था (सारणी III.37. तथा परिशिष्ट सारणी III.30)।

6. पूंजी बाजार में बैंकों का परिचालन

3.91 एक वर्धमान बाजार उन्मुख माहौल में, बैंकों को अपने परिचालनों में वृद्धि बरकरार रखने के लिए निरंतर पूंजी जुटाने की जरूरत होती है। इसलिए बहुत से बैंकों ने अपने पूंजीगत आधार को सुदृढ़ करने के लिए 2004-05 के दौरान पूंजी बाजार से संपर्क किया।



सारणी III.37: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपातवार वितरण
(मार्च के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2004				2005			
	4 प्रतिशत से न्यून	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	4 प्रतिशत से न्यून	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीयकृत बैंक	-	-	1	18	-	-	2	17
स्टेट बैंक समूह	-	-	-	8	-	-	-	8
अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक	-	-	-	-	-	-	-	1
पुराने निजी क्षेत्र बैंक	-	-	-	20	1	1	3	15
नए निजी क्षेत्र बैंक	1	1	-	8	-	-	2	7
विदेशी बैंक	-	-	-	33	-	-	1	30
कुल	1	1	1	87	1	1	8	78

- : कुछ नहीं / नगण्य

सारणी III.38: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		कुल		सकल जोड़
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
2003-04	1,104	-	-	1,352	1,104	1,352	2,456
2004-05	3,336	-	4,108	1,478	7,444	1,478	8,922

- : कुछ नहीं / नगण्य

प्राथमिक पूंजी बाजार से जुटाए गए संसाधन

3.92 सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र - दोनों के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, ने घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों से बड़े संसाधन उगाहे। 2004-05 के दौरान बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के जरिए कुल संसाधन संग्रहण (बिक्री को छोड़कर प्रस्तावों) तेजी से 263.3 प्रतिशत से बढ़े। द्वितीयक बाजार में बैंकिंग क्षेत्र स्क्रिप्स की कीमतों की मजबूत प्रवृत्ति तथा संतोषजनक वित्तीय परिणामों से प्रोत्साहित होकर सात बैंकों ने 2004-05 के दौरान इक्विटी बाजार से रुपए 7,444 करोड़ उगाहे। इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रुपए 3,336, करोड़ (प्रीमियम समेत) के दो इक्विटी निर्गम तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के रुपए 4,108, करोड़ के पांच इक्विटी निर्गम शामिल हैं (सारणी III.38)।

3.93 पूंजी बाजार में जाने वाले सरकारी क्षेत्र के दो बैंक थे पंजाब नेशनल बैंक तथा देना बैंक (सारणी III.39)। वर्ष के दौरान इक्विटी निर्गम जारी करनेवाले निजी क्षेत्र के पांच बैंक थे आईसीआईसीआई बैंक (रुपए 3500 करोड़), आईएनजी वैश्य बैंक (रुपए 307 करोड़), कर्नाटक बैंक लिमिटेड (रुपए 162 करोड़), सेंच्यूरियन बैंक (रुपए 91 करोड़), और साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (रुपए 48 करोड़)। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के दो बैंकों ने भी (यूटीआई बैंक तथा सेंच्यूरियन बैंक) वर्ष के दौरान, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जीडीआर निर्गम के जरिए रुपए 1,472, करोड़ उगाहे।

3.94 कुछ बैंकों ने निजी कार्पोरेट ऋण बाजार से भी संसाधन उगाहे। वर्ष के दौरान, आईडीबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर ऋण निर्गमों द्वारा रुपए 2,456, करोड़ उगाहे। इनमें

सारणी III.39: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक नाम	अंकित मूल्य (रुपए)	निर्गम मूल्य (रुपए)	निर्गम आकार (करोड़ रुपए)		
			राशि	प्रीमियम	कुल
1	2	3	4	5	6
देना बैंक	10	27	80	136	216
पंजाब नेशनल बैंक	10	390	80	3,040	3,120
कुल				3,336	

आईडीबीआई द्वारा दो (रुपए 2,390, करोड़ के लिए) और आईसीआईसीआई द्वारा तीन निर्गम (रुपए 1,478, करोड़) शामिल हैं। वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक पहली बार दिसंबर 1, 2004 को अपने मिडियम टर्म नोट के जरिये अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रविष्ट हुआ जिसमें पांच वर्ष की अवधि के 400 मिलियन अमरीकी डालर के बंधपत्र जारी किए गए।

3.95 वर्ष के दौरान, बैंकों द्वारा निजी प्लेसमेंट बाजार में ऋण निर्गमों के जरिए उगाहे गए संसाधन भी तेजी से 59.3. प्रतिशत बढ़े (सारणी III.40)।

द्वितीयक बाजार में बैंकिंग स्टॉकों के कार्यानिष्पादन


3.96 भारत के स्टॉक बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों से प्राप्त सुदृढ़ अन्तर्वाह, की पृष्ठभूमि में पिछले दो वर्षों में उत्साहजनक परिस्थितियां दिखाई दीं जो प्रमुख रूप से सुदृढ़ समष्टिगत मूल-सिद्धांतों तथा कंपनी जगत की लाभप्रदता में सुधार के कारण हुई थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में मई 17, 2004 को आई तीव्र गिरावट से सुधरकर मार्च 2005 के अंत में 6,493 पर बंद होने के पहले उसने मार्च 8, 2005 को 6,915 के सर्वाधिक स्तर को छुआ। चालू वर्ष में स्टॉक बाजारों में स्टॉक में वृद्धि जारी रही जिसमें 4 अक्टूबर 2005 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 8999.96 के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया। तथापि, उच्चतर स्तरों पर लाभ अर्जन, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों में मंदी तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधोमुखी गतिविधियों

सारणी III.40: बैंकों द्वारा निजी प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

श्रेणी	2003-04		2004-05	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	63	2,895	34	5,604
सरकारी क्षेत्र के बैंक	16	3,728	21	4,948
कुल	79	6,623	55	10,552

चार्ट III.24: बैंक स्टॉकों और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव



के कारण 24 अक्टूबर 2005 को बिएसई सेंसेक्स करीब 10 प्रतिशत घटकर 7920.80 हो गया।

3.97 सामान्य उछाल की प्रवृत्ति के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉकों में भी मजबूती रही। अनुकूल समष्टि मूल-सिद्धांतों के अलावा, बैंक स्टॉकों को कुछ क्षेत्र विशिष्ट की गतिविधियों से भी उछाल मिला। बैंकों के तुलन - पत्र में सुधार के साथ बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के परिणामस्वरूप बैंक स्टॉकों में लोगों की रुचि बढ़ी। इसे बहुत से अन्य सकारात्मक कारकों से भी लाभ मिला जैसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम का कार्यान्वयन, विदेशी बैंकों को कमजोर निजी क्षेत्र बैंकों के 75 प्रतिशत शेयर अभिगृहीत करने की अनुमति देना एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में 10 प्रतिशत मतदान करने के अधिकारों की सीमा को बढ़ाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित करने के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन की खबर, और कानून में ऐसे संशोधन करना ताकि बैंकिंग कंपनियों अधिमानी शेयर जारी कर सकें। ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा संतोषजनक वित्तीय कार्यनिष्पादन ऐसा दूसरा कारक था जिससे बैंक स्टॉकों में अधिक रुचि बढ़ गई। अधिग्रहण अथवा विलयन की प्रत्याशा के चलते भी कुछ बैंकों के स्टॉक खरीद में लोगों की रुचि बढ़ी।

सारणी III.41: बैंकिंग स्टॉकों पर प्रतिलाभ*

वर्ष	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 500	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बैंकेक्स
1	2	3	4
2002-03	-12.1	-8.0	16.2
2003-04	83.4	109.4	118.6
2004-05	16.1	21.9	28.6
2005-06 (अप्रैल-सितंबर 2005)	33.0	28.8	33.2

* : सूचकांक में प्रतिशत उतारचढ़ाव बिंदु-दर-बिंदु आधार पर मापा गया है।

3.98 सामान्यतः बाजार सहभागियों ने बैंकों के भावी अर्जनों के संबंध में और ज्यादा उम्मीदें कीं। यह दर्शाते हुए बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉकों ने 2004-05 के दौरान और चालू वर्ष के दौरान सितंबर 30, 2005 तक क्षमता से अधिक निष्पादन किया (सारणी III.41)।

3.99 बैंक स्टॉकों में वृद्धि वर्ष की दूसरी छमाही में ज्यादा सुस्पष्ट थी (चार्ट III.24)।

3.100 जहां बैंकिंग क्षेत्र ने एफएमसीजी और पीएसयू क्षेत्र की तुलना में बेहतर कार्यनिष्पादन किया, वहीं सूचना प्रौद्योगिकी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र से उसका कार्यनिष्पादन कम रहा (सारणी III.42)।

सारणी III.42: अन्य क्षेत्र संबंधी स्टॉकों की तुलना में बैंक स्टॉक*

(प्रतिशत)

वर्षीय	सेंसेक्स	बिएसई 500	क्षेत्र संबंधी सूचकांक					
			बैंकेक्स	एफएमसीजी	सूचना प्राद्योगिकी	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	पूंजीगत वस्तुएं	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03	-12.1	-8.0	16.2	-23.5	-20.4	10.1	26.4	15.1
2003-04	83.4	109.4	118.6	31.3	29.2	148.1	147.3	68.4
2004-05	16.1	21.9	28.6	11.6	59.5	8.1	39.9	50.5

* : सूचकांक में प्रतिशत उतारचढ़ाव बिंदु-दर-बिंदु आधार पर मापा गया है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

सारणी III.43: बैंक स्टॉकों के कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ

सूचकांक	प्रतिलाभ*		अस्थिरता@	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
बैंकेक्स	118.6	28.6	24.0	17.1
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेसेक्स	83.4	16.1	23.0	11.2

* : सूचकांकों में प्रतिशत घट-बढ़ बिंदु-दर-बिंदु आधार पर
 @ : सहसंबंध गुणांक के रूप में परिभाषित
 टिप्पणी: डाटा सीएनएक्स बैंक इंडेक्स से संबंधित है जिसकी साप्ताहिक आधार पर गणना की जाती है।

3.101 वर्ष के दौरान, बैंक स्टॉकों की अस्थिरता (सहसंबंध गुणांक द्वारा मापी गई) में गिरावट आई, यद्यपि सामान्य तौर पर बैंकिंग स्टॉक बाजार की अपेक्षा ज्यादा अस्थिर थे (सारणी III.43)।

3.102 अलग-अलग स्तर पर, निजी क्षेत्र के सभी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों के स्क्रिप्स में लाभ दर्ज हुआ। 2004-05 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, प्रमुख रूप से लाभ प्राप्त करनेवाले बैंक थे: इलाहाबाद बैंक (139.7 प्रतिशत), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (92.3 प्रतिशत), इंडियन ओवरसीज बैंक (87.4 प्रतिशत), पंजाब नेशनल बैंक (69.7 प्रतिशत), विजया बैंक (62.2 प्रतिशत), आंध्रा बैंक (52.8 प्रतिशत)। निजी क्षेत्र के बैंकों में, 2004-05 के दौरान प्रमुख रूप से लाभ प्राप्त करनेवाले बैंकों में शामिल हैं: फेडरल बैंक (94.0 प्रतिशत), यूटीआइ बैंक (81.1 प्रतिशत), इंडसईड बैंक (69.9 प्रतिशत) और बैंक ऑफ राजस्थान (56.8 प्रतिशत)। सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्र के बैंकों का मूल्य/अर्जन (पी/ई) अनुपात का दायरा व्यापक था। मार्च 2005 के अंत में, जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पी/ई अनुपात 6.17 और 15.0 के दायरे में था, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों का दायरा व्यापक था जिसमें कुछ बैंकों में ऋणात्मक पी/ई गुणज पाया गया (सारणी III.44)।

3.103 बैंक स्टॉक अब भारतीय इक्विटी बाजार के बाजार पूंजीकरण का बहुत बड़ा भाग होता है, भले ही मार्च 2004 के अंत की तुलना में मार्च 2005 के अंत में उसके हिस्से में कुछ गिरावट आई थी (सारणी III.45)।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयर धारिता पद्धति

3.104 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व अब भलीभांति विविधीकृत है। मार्च 2005 के अंत में छह बैंकों में आम जनता की धारिता 40 तथा 49 प्रतिशत के बीच और 12 बैंकों में 30 तथा 49 प्रतिशत के बीच थी। केवल चार बैंकों में सरकारी धारिता 90 प्रतिशत से ज्यादा है (सारणी III.46 और परिशिष्ट सारणी III.31)।

सारणी III.44: बीएसई में बैंकों के शेयर का मूल्य और मूल्य/अर्जन अनुपात

बैंक का नाम	औसत दैनिक बंद मूल्य (₹.)		पी/ई अनुपात	
	2003-04	2004-05	2004	2005
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
इलाहाबाद बैंक	21.5	51.5	2.4	6.2
आंध्र बैंक	41.1	62.8	4.4	8.3
बैंक ऑफ बड़ौदा	162.1	191.1	7.4	9.5
बैंक ऑफ इंडिया	55.2	67.7	4.5	14.8
केनरा बैंक	119.2	163.6	4.4	7.4
कार्पोरेशन बैंक	206.8	297.6	8.0	12.4
देना बैंक	22.3	28.9	2.9	15.0
इंडियन ओवरसीज बैंक	30.4	57.0	6.0	6.4
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	197.8	276.9	8.5	8.2
पंजाब नेशनल बैंक	190.3	322.9	8.0	8.8
सिंडिकेट बैंक	29.8	44.2	4.3	6.3
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	42.6	81.9	3.4	7.2
विजया बैंक	34.0	55.2	6.5	7.3
भारतीय स्टेट बैंक	455.9	542.5	8.7	8.0
निजी क्षेत्र के बैंक				
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	29.0	45.5	5.8	17.3
सिटी यूनियन बैंक लि.	56.3	75.9	2.9	4.4
फेडरल बैंक लि.	62.9	122.0	6.1	11.2
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	281.0	329.8	5.9	15.3
कर्नाटक बैंक लि.	36.1	52.9	4.0	5.8
करूर वैश्य बैंक लि.	276.1	360.6	4.0	7.0
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	98.4	136.9	-	-
साउथ इंडियन बैंक लि.	56.9	56.9	3.1	35.1
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	28.2	34.8	3.2	-1.4
वैश्य बैंक लि.	131.7	129.3	18.3	-36.7
बैंक ऑफ पंजाब लि.	23.9	25.5	6.7	-5.4
सेंचुरियन बैंक लि.	13.7	11.5	-4.9	62.2
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	22.0	17.2	-	-
एचडीएफसी बैंक लि.	302.0	437.4	21.2	25.3
आइसीआइसीआइ बैंक लि.	212.0	309.7	11.1	14.4
आइडीबीआई बैंक लि.	35.9	52.3	8.1	8.3
इंडसिड बैंक लि.	28.8	48.9	3.4	7.1
यूटीआइ बैंक लि.	88.5	160.3	12.2	19.8

- : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं
 स्रोत : मनी लाइन टेलरेट एण्ड प्रोवेस डेटाबेस

3.105 हाल के वर्षों में, आम जनता ने बैंक स्टॉकों में काफी रुचि दर्शाई है। विदेशी संस्थाएं, विशेष रूप से (अनिवासी) [एफआई (एनआर)] निजी क्षेत्र बैंक के स्टॉकों की बहुत अधिक खरीद कर रहे हैं। मार्च 2005 के अंत में ऐसे पंद्रह बैंक (सरकारी क्षेत्र के नौ

सारणी III.45: बैंक स्टॉकों का संबंधित अंश - कुल पण्यवर्त तथा बाजार पूंजीकरण

वर्ष	कुल पण्यवर्त में बैंक स्टॉकों के पण्यवर्त का अंश		कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉकों के पूंजीकरण का अंश	
	2	3	2	3
2003-04	4.96	9.09		
2004-05	7.35	8.64		

टिप्पणी : बैंकों के पण्यवर्त और बाजार पूंजीकरण का डेटा सीएनएक्स बैंको से संबंधित है।

**सारणी III.46: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में
निजी शेयर धारिता***
(मार्च 31, 2005 को)

श्रेणी	बैंकों की संख्या
1	2
10 प्रतिशत तक	4
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	-
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	5
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	6
40 से ऊपर तथा 49 प्रतिशत तक	6
- : कुछ नहीं / नगण्य	
* : 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआई लि. सहित	

बैंक, निजी क्षेत्र के चार नए बैंक और निजी क्षेत्र के दो पुराने बैंक) थे जिनमें बैंक धारिता 10 प्रतिशत से ज्यादा थी। एक बैंक में, एफआई (एनआर) धारिता 70 प्रतिशत से ज्यादा थी (सारणी III.47)।

**सारणी III.47: भारतीय बैंकों में विदेशी वित्तीय संस्थाओं
(अनिवासी) की शेयर धारिता**
(मार्च 31, 2005 को)

श्रेणी	बैंकों की संख्या		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक
1	2	3	4
कुछ नहीं	14	3	15
10 प्रतिशत तक	5	2	3
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	9	-	1
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	-	1	1
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	-	-	-
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	-	2	-
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	-	-	-
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	-	-	-
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	-	1	-
- : कुछ नहीं / नगण्य			

7. बैंकों में टेक्नॉलॉजी संबंधी प्रगति

3.106 बहुत से बैंक अपने आप को 'वन स्टॉप शाप वित्तीय सेवा प्रदाता' के रूप में स्थापित कर रहे हैं जिसके सुविस्तृत दायरे में जमा उत्पाद, ऋण, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, निक्षेप (अभिरक्षा सेवाएं), निवेश सूचना, बिल भुगतान और विविध लेनदेन संबंधी सेवाओं संबंधी उत्पाद शामिल हैं। इनके अलावा, बैंकों ने फुटकर उपभोक्ताओं को तीसरी पार्टी के उत्पादों, जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा के विक्रय उत्पादों में कारोबार करना प्रारंभ किया है। अपने ग्राहकों को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करने तथा सर्विसिंग लागत घटाने के लिए बैंक अपनी शाखाओं का नए वितरण चैनलों, जैसे शाखाएं, एटीएम, फ्रोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, और मोबाइल बैंकिंग के कंप्यूटरीकरण करने में, निवेश करते रहे हैं।

सारणी III.48: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण
(मार्च 31, 2005 को)

		(प्रतिशत)
1	2	
i)	पहले से ही पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं #	60.0
ii)	कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाएं	11.0
iii)	पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं	71.0
iv)	अंशतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं	21.8
# : कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाओं से भिन्न		

3.107 मार्च 31, 2005 को विद्यमान स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कंप्यूटरीकरण और संप्रेषण नेटवर्क के विकास पर रुपए 9,487, करोड़ खर्च किए थे (परिशिष्ट सारणी III.32)। बैंकिंग कारोबार के कंप्यूटरीकरण को हाल के वर्षों में काफी महत्व दिया गया है। जहां निजी क्षेत्र के नए बैंकों, विदेशी बैंकों तथा कुछ निजी क्षेत्र के अपेक्षाकृत पुराने बैंकों ने पहले ही "कोर बैंकिंग समाधान" लागू कर लिए हैं, वहीं सरकारी क्षेत्र के बैंक उसी प्रकार की प्रणाली अपना रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकरण प्राप्त करने संबंधी निदेश के कारण इन बैंकों में इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक नया उत्साह जागा जिससे कि ग्राहक सेवा में काफी सुधार हो पाएगा। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं के 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूर्णतः/अंशतः प्राप्त किया है। मार्च 2005 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 90 प्रतिशत से अधिक शाखाएं पूर्णतः अथवा अंशतः कंप्यूटरीकृत कर दी गई थीं (सारणी III.48 और परिशिष्ट सारणी III.33)।

3.108 सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से, सरकारी क्षेत्र के नौ बैंकों में 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकृत शाखाएं थीं। उन्नीस बैंकों में 50 प्रतिशत से ज्यादा कंप्यूटरीकृत शाखाएं थीं (सारणी III.49)।


**सारणी III.49: शाखाओं का कंप्यूटरीकरण -
सरकारी क्षेत्र के बैंक***
(मार्च 31, 2005 को)

कंप्यूटरीकरण की मात्रा	बैंकों की संख्या
1	2
कुछ नहीं	-
10 प्रतिशत तक	1
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	1
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	3
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	-
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	3
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	3
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	1
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	2
80 से ऊपर तथा 90 प्रतिशत तक	2
90 से ऊपर तथा 100 प्रतिशत से कम	2
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत	9
जोड़	27
- : कुछ नहीं / नगण्य	
* : सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों को छोड़कर।	

सारणी III.50: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (मार्च 2005 के अंत में)

बैंक समूह	शाखाएं					एटीएम			कुल शाखाओं के प्रतिशत के रूप में परोक्ष रूप के एटीएम
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	प्रत्यक्ष रूप के	परोक्ष रूप के	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल (i to v)	20,170	13,218	11,046	9,292	53,726	7,654	9,988	17,642	18.6
i) राष्ट्रीय बैंक	13,588	7,291	6,935	5,813	33,627	3,205	1,567	4,772	4.7
ii) भारतीय स्टेट बैंक समूह	5,480	4,080	2,334	1,767	13,661	1,548	3,672	5,220	26.9
iii) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	994	1,499	1,150	868	4,511	800	441	1,241	9.8
iv) निजी क्षेत्र के नए बैंक	108	348	589	640	1,685	1,883	3,729	5,612	221.3
v) विदेशी बैंक	-	-	38	204	242	218	579	797	239.3

- : कुछ नहीं / नगण्य



3.109 मार्च 2005 के अंत में देश में लगाए गए एटीएम की कुल संख्या 17,642 थी। निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा सबसे बड़ा

था, इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक समूह, राष्ट्रीय बैंकों, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और विदेशी बैंकों का स्थान था। राष्ट्रीय बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के परोक्ष एटीएम की अपेक्षा प्रत्यक्ष एटीएम ज्यादा थे, परन्तु भारतीय स्टेट बैंक समूह, निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों के पास प्रत्यक्ष एटीएम की अपेक्षा परोक्ष एटीएम ज्यादा थे। (चार्ट III.25.)

3.110 कुल शाखाओं के प्रतिशत के रूप में परोक्ष एटीएम विदेशी बैंकों के मामले में सबसे अधिक थे, इसके बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक समूह, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और राष्ट्रीय बैंकों का स्थान था (सारणी III.50. और परिशिष्ट सारणी III.34)।

3.111 यद्यपि भारत में फुटकर लेनदेनों में नकदी का बहुत अधिक प्रयुक्त होना जारी है, फिर भी चेकों और भुगतान के अन्य कई लिखतों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तथा स्मार्ट कार्ड का मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टियों से प्रयोग हाल के वर्षों में बढ़ता जा रहा है। 2004-05 में भुगतान कार्डों का प्रयोग, मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टियों से दुगुने से ज्यादा हो गया। ईसीएस ईएफटी तथा एसईएफटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का भी प्रयोग बढ़ा है (सारणी III.51)।

सारणी III.51: फुटकर इलेक्ट्रॉनिक तथा कार्ड आधारित भुगतान

(मूल्य रु. करोड़ में)


वर्ष	फुटकर इलेक्ट्रॉनिक@		कार्ड आधारित #		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
2000-01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2001-02	17,770	6,123	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	17,770	6,123
2002-03	23,660	10,222	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	23,660	10,222
2003-04	29,046	29,933	1,85,501	35,870	2,14,547	65,803
2004-05	57,071	79,479	3,62,040	77,120	4,19,111	2,30,500

@ : ईसीएस (नामे और जमा), ईएफटी तथा एसईएफटी
: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड।
नोट: मात्रा लेनदेन की संख्या के बारे में है।

सारणी III.52: कागज आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन

वर्ष	मात्रा (मिलियन में)			मूल्य (रुपए. करोड)		
	कागज आधारित	इलेक्ट्रॉनिक	कुल	कागज आधारित	इलेक्ट्रॉनिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2002-03	1,014	173	1,187	1,34,24,313	37,536	1,34,61,849
2003-04	1,023	224	1,247	1,15,94,976	67,352	1,16,62,328
2004-05	1,125	432	1,557	1,10,47,052	42,24,746	1,52,71,798

चार्ट III.26: पेपर आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन - सापेक्ष प्रवाह (मूल्य)



3.112 आरटीजीएस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप, मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टियों से इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का अनुपात तेजी से बढ़ा है (सारणी III.52 और चार्ट III.26)। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सस्ते हैं क्योंकि उसकी उत्पादन लागत कागज आधारित लिखतों की तुलना में कम होती है। कागज आधारित लेनदेन की तुलना में ये कम समय में भी संपादित किए जा सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के अधिकाधिक प्रयोग ने भुगतान प्रणाली की निपुणता बढ़ाई है।

8. बैंकिंग का क्षेत्रीय स्प्रेड


3.113 जून 2005 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 68,316, थी जिसमें 32,091 ग्रामीण शाखाएं, 15,387 अर्धशहरी शाखाएं और 20,838, शहरी और मेट्रोपॉलिटन शाखाएं शामिल थीं। 2004-05 के दौरान ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा पिछले वर्ष के 47.7. प्रतिशत से और घटकर 47.0. प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों में, शहरी तथा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में कई नई शाखाएं खोली गई हैं, जबकि अर्धशहरी शाखाओं का हिस्सा कमोबेश अपरिवर्तित रहा। इसके परिणामस्वरूप, कुल शाखाओं में शहरी तथा मेट्रोपॉलिटन शाखाओं का हिस्सा बढ़ा, जबकि अर्धशहरी शाखाओं का हिस्सा घट गया (चार्ट III.27 और परिशिष्ट सारणी III.35)।

3.114 2004-05 के दौरान, कुल जमा राशियों में तथा समग्र बैंक क्रेडिट में चरम स्तर के सौ केंद्रों का हिस्सा बढ़ा जो कार्यालयों

तथा शाखाओं के हिस्से में बढ़ोतरी का सूचक है। क्रेडिट में चरम स्तर के सौ केंद्रों का हिस्सा जमा राशियों में उनके हिस्से से ज्यादा था जिसका आशय है अन्य केंद्रों में हुई जमा वृद्धि को इन केंद्रों की उच्च क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए लगाया गया था (सारणी III.53)।

3.115 मौजूदा बैंक शाखाओं का सबसे अधिक प्रतिशत दक्षिणी क्षेत्र में बना रहा। साथ ही, 2004-05 के दौरान अधिकांश नई शाखाएं


चार्ट III.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बैंक समूहवार शाखा वितरण (जून 2005 के अंत में)



* : अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़े शामिल हैं।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

चार्ट III.28: बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण



सारणी III.53: कुल जमाराशियों में तथा समग्र बैंक क्रेडिट में चरम स्तर के सौ केंद्रों का हिस्सा

मार्च के अंत में	जमाराशियां		क्रेडिट	
	कार्यालय	राशि	कार्यालय	राशि
1	2	3	4	5
1999	21.5	59.1	21.1	73.5
2000	21.9	59.0	21.5	74.7
2001	22.3	58.9	21.9	75.3
2002	22.5	59.1	22.1	77.0
2003	22.7	61.0	22.4	75.9
2004	23.1	63.6	22.9	75.5
2005	23.8	65.3	23.7	76.0

दक्षिणी क्षेत्र में खोली गई। मौजूदा बैंक शाखाओं के अनुसार, दक्षिणी क्षेत्र के बाद मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, तथा पश्चिमी क्षेत्र का स्थान था। 2004-05 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली सेवा की दृष्टि से औसत आबादी के कवरेज में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं पाया गया (चार्ट III.28 और परिशिष्ट सारणी III.36)।


3.116 2004-05 में अखिल भारतीय ऋण-जमा अनुपात (मंजूर ऋण सीमा के अनुसार) पिछले वर्ष हुई मामूली गिरावट के मुकाबले तेजी से बढ़ा। अधिकांश राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल में, अखिल-भारतीय प्रवृत्तियों के अनुरूप, ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हुई। बड़े राज्यों में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान का बकाया ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से अधिक था (परिशिष्ट सारणी III.37)। राज्यों के ऋण-जमा अनुपात मार्च 2004 के अंत में आम तौर पर मंजूरीयों की तुलना में उनके संबंधित स्तरों से अधिक थे। मंजूर सीमा की तुलना में खपत के अनुसार ऋण-जमा अनुपात में कमी महाराष्ट्र के मामले में सर्वाधिक थी। बड़े क्षेत्रों में मार्च 2004 के अंत में,

पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात अखिल-भारतीय स्तर से उच्चतर बना था (चार्ट III.29)।

भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

3.117 30 सितंबर 2005 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की कुल संख्या 31 थी जिनकी 245 शाखाएं थीं। ये बैंक मूलतः 19 देशों के थे। जहां चार बैंकों की 10 या ज्यादा शाखाएं थीं, वहीं 12 बैंकों की केवल एक-एक शाखा ही थी। विदेशी बैंकों की शाखाएं 17 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 35 केंद्रों में फैली हैं। मौजूदा विदेशी बैंकों को भारत में 12 अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए अनुमोदन दिया गया जिसमें से अब तक एक शाखा खोल दी गई है।

चार्ट III.29: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का क्षेत्रवार ऋण-जमा तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात



3.118 विदेशी बैंकों ने भारत में प्रतिनिधि कार्यालय भी स्थापित किए हैं। 30 सितंबर 2005 की स्थिति के अनुसार 13 देशों के 27 बैंकों ने भारत में प्रतिनिधि कार्यालयों का परिचालन किया। अगस्त 2004 में बैंको दि सबादेल एस ए ने अपना कार्यालय खोला। फिलहाल 58 बैंकों की भारत में या तो शाखाएं अथवा प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में उपस्थिति है।

3.119 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 44 क के अंतर्गत सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन की भारतीय शाखाओं का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भारतीय शाखाओं के साथ विलय कर दिया गया। परिणामतः, 1 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6) (ख) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया।

भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

3.120 20 अक्टूबर 2005 की स्थिति के अनुसार चौदह भारतीय बैंकों - नौ सरकारी क्षेत्र के तथा पांच निजी क्षेत्र के - के परिचालन विदेश में 101 शाखाओं (इनमें 6 अपतटीय यूनिट शामिल हैं), 6 संयुक्त उद्यम, 17 सहयोगी संस्थाओं और 30 प्रतिनिधि कार्यालयों के नेटवर्क के साथ 42 देशों में चल रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेश में सर्वाधिक उपस्थिति थी, इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया का स्थान था (सारणी III.54)।

सारणी III.54: भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

(अक्टूबर 20, 2005 को)

(बैंकों की संख्या)

बैंक का नाम	शाखा	सहयोगी संस्था	प्रतिनिधि कार्यालय	संयुक्त उद्यम बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6
बैंक ऑफ बड़ौदा	39	7	3	1	50
भारतीय स्टेट बैंक	24	5	8	3	40
बैंक ऑफ इंडिया	20	1	3	1	25
पंजाब नेशनल बैंक	1	-	4	1	6
इंडियन बैंक	3	-	-	-	3
इंडियन ओवरसीज बैंक	5	1	-	-	6
यूको बैंक	4	-	-	-	4
कैनरा बैंक	1	1	2	-	4
सिंडिकेट बैंक	1	-	-	-	1
भारत ओवरसीज बैंक	1	-	-	-	1
आईसीआईसीआइ बैंक लि.	2	2	6	-	10
इंडसैंड बैंक लि.	-	-	2	-	2
बैंक ऑफ पंजाब लि.	-	-	1	-	1
एचडीएफसी बैंक लि.	-	-	1	-	1
जोड़	101	17	30	6	154
- : कुछ नहीं / नगण्य					

3.121 भारतीय स्टेट बैंक को इंडियन ओशन इंटरनेशनल बैंक लि., मॉरिशस में अधिकांश इक्विटी स्टोक तथा प्रबंध नियंत्रण अभिगृहीत करने का अनुमोदन दिया गया। बैंक ने अप्रैल 19, 2005 को आईओआईबी में 51 प्रतिशत का स्टोक अभिगृहीत किया। बैंक आईओआईबी का प्रबंध नियंत्रण अभिगृहीत करने की प्रक्रिया में है।

9. बैंकों में ग्राहक सेवा

3.122 हालांकि बैंकिंग क्षेत्र में अविनियमन और उदारीकरण के परिणामस्वरूप अधिक दक्षता तथा सर्वांगीण लचीलापन आया है, फिर भी, इनसे बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा के संबंध में उचित चिंता बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ग्राहक सेवा के मानकों और बैंकों में शिकायत निवारण के संबंध में सुनिश्चित सुधार लाने के लिए समय समय पर उपाय कर रहा है। लोक सेवाओं पर क्रियाविधिगत तथा कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा पर स्थायी समिति (अध्यक्ष: श्री एस.एस.तारापोर) तथा बैंकों द्वारा ग्राहक सेवाओं पर गठित तदर्थ समितियों के गठन का उद्देश्य था ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए एक ऐसा तंत्र उपलब्ध कराना जिसमें पारदर्शिता और क्रियाविधियों के सरलीकरण पर बल दिया जाएगा। समिति की रिपोर्टों में आम व्यक्ति को शक्तियां प्रदान करने वाले और वैध लेनदेन करने में उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले मददगार के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिका स्पष्ट की गई। बैंकिंग परिचालन पर गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने हाल के समय में कई उपाय कार्यान्वित किए हैं जैसे चेकों के लिए ड्राप बॉक्स सुविधा और नियमित संग्रहण केंद्रों के जरिए चेकों की पावती देने की सुविधा लागू करना; अनुरोध करने पर काउंटरो पर चेक बुक प्रदान करना; वर्तमान खाताधारियों को बचत खातों के न्यूनतम शेष में होनेवाले किसी परिवर्तन तथा इसे न रख पाने संबंधी प्रभार की कम से कम एक महीना पूर्व सूचना देना; और निवासियों के साथ संयुक्त रूप से अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते खोलने के अनुरोध स्वीकार करना।

3.123 रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर 1 जनवरी 2003 से 25 जून 2005 तक की अवधि के लिए रिजर्व बैंक में एक अध्ययन किया गया। शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को सात व्यापक शीर्षों अर्थात् जमा खाता संबंधी, विप्रेषण/संग्रहण सुविधा, ऋण / अग्रिम (सामान्य तथा आवास ऋण), क्रेडिट कार्ड संबंधी, सीधे विक्रेता एजेंटों की गतिविधियां, ऋणों की वसूली में उत्पीड़न और आम/अन्य में श्रेणीबद्ध किया गया है। हालांकि, समग्रतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें सर्वाधिक थीं, फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रति शाखा औसत शिकायतें 0.08 से 0.28 के

सारणी III.55: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें
(1 जनवरी 2003 से 25 जून 2005)

बैंक समूह	प्राप्त कुल शिकायते	शिकायतों का श्रेणीवार विवरण							
		जमा खातों से संबंधित	विप्रेषण/संग्रहण सुविधा	ऋण/अग्रिम		क्रेडिट कार्ड से संबंधित	प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों की गतिविधियां	ऋण वसूली में उत्पीडन	सामान्य/अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	13,503 (100.0)	2,459 (18.2)	1,621 (12.0)	2,480 (18.4)	254 (1.9)	1,195 (8.8)	55 (0.4)	623 (4.6)	4,816 (35.7)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	9,006 (66.7)	1,801 (20.0)	1,255 (13.9)	1,779 (19.8)	146 (1.6)	239 (2.7)	3 (0.0)	413 (4.6)	3,370 (37.4)
राष्ट्रीयकृत बैंक	5,675 (42.0)	1,085 (19.1)	724 (12.8)	1,142 (20.1)	102 (1.8)	62 (1.1)	1 (0.0)	262 (4.6)	2,297 (40.5)
स्टेट बैंक समूह	3,331 (24.7)	716 (21.5)	531 (15.9)	637 (19.1)	44 (1.3)	177 (5.3)	2 (0.1)	151 (4.5)	1,073 (32.2)
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	694 (5.1)	111 (16.0)	70 (10.1)	160 (23.1)	18 (2.6)	1 (0.1)	- (0.0)	13 (1.9)	321 (46.3)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2,216 (16.4)	398 (18.0)	217 (9.8)	342 (15.4)	63 (2.8)	321 (14.5)	36 (1.6)	99 (4.5)	740 (33.4)
भारत में विदेशी बैंक	1,587 (11.8)	149 (9.4)	79 (5.0)	199 (12.5)	27 (1.7)	634 (39.9)	16 (1.0)	98 (6.2)	385 (24.3)

- : कुछ नहीं / नगण्य

टिप्पणी :1. स्तंभ 2 में कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह के कुल में प्रतिशत अंश के हैं।

2. स्तंभ 3 से स्तंभ 10 तक में कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल शिकायतों के मुकाबले शिकायतों के स्वरूप के प्रतिशत अंश के हैं।

दायरे में थी जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में ये 0.00 से 2.68 और विदेशी बैंकों के मामले में 0.10 से 16.06 थीं (सारणी III.55 और परिशिष्ट सारणी III.38)। अधिकांश शिकायतें ऋण और अग्रिम (सामान्य) श्रेणी में (18.4 प्रतिशत) थीं, इसके बाद जमा खातों से संबंधित (18.2 प्रतिशत) का स्थान था। यह प्रवृत्ति विदेशी बैंकों जिनके विरुद्ध अधिकांश शिकायतें क्रेडिट कार्डों से संबंधित थीं, को छोड़कर सभी बैंक समूहों में पाई गई।

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.124 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अभिन्न अंग हैं जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों के 518 जिलों में 14,446 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकांश शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास सहकारी बैंकों का स्थानीय परिवेश तथा ग्रामीण समस्याओं का परिचय, और वाणिज्य बैंकों जैसी कारोबारी संगठन की मात्रा तथा जमाराशियां जुटाने की क्षमता - दोनों ही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेषीकृत ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की

जरूरतों को पूरा करती हैं। भारत सरकार के कृषि संबंधी क्षेत्र को ऋण प्रवाह दुगुना करने के हाल के प्रयासों के संदर्भ में यह महसूस किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्रामीण अनुकूलन के परिप्रेक्ष्य में उनका उपयोग ऋण सुपुर्दगी के एक प्रभावी साधन के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में संकेत दिया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अच्छे गवर्नेंस संचालन तथा विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करना होगा। ग्रामीण ऋण के प्रबंधक के रूप में उनकी महत्ता के मद्देनजर 2004-05 के द्वीय बजट, में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रवर्तक बैंक अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे। रिजर्व बैंक ने प्रायोजक बैंकों को सूचित किया है कि वे दक्ष प्रबंध, स्टाफ के प्रशिक्षण, उनकी गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग से संबंधित मामलों में अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता प्रदान करें।

निधियों का संग्रहण तथा विनियोजन

3.125 2004-05 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां 2003-04 के 17.9 प्रतिशत की तुलना में 9.0 प्रतिशत

सारणी III 56: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - महत्वपूर्ण संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	निम्नलिखित को			घट-बढ़	
	28 मार्च 2003	26 मार्च 2004	31 मार्च 2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1. बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	179	205	538	26 (14.5)	333 (162.4)
2. अन्य के प्रति देयताएं	54,858	63,391	69,749	8,533 (15.6)	6,358 (10.0)
2.1 कुल जमाराशियां (क+ख)	48,346	57,010	62,143	8,664 (17.9)	5,133 (9.0)
क) मांग जमाराशियां	8,802	11,019	17,330	2,217 (25.2)	6,311 (57.3)
ख) सावधि जमाराशियां	39,544	45,991	44,813	6,447 (16.3)	-1,178 (-2.6)
2.2 उधार	4,799	4,595	5,524	-204 (-4.3)	929 (20.2)
2.3 अन्य मांग और सावधि देयताएं*	1,713	1,785	2,082	72 (4.2)	297 (16.6)
3. बैंकिंग प्रणाली में आस्तियां	15,091	12,993	21,897	-2,098 (-13.9)	8,904 (68.5)
4. बैंक ऋण	21,773	25,481	31,803	3,708 (17.0)	6,322 (24.8)
5. निवेश (क+ख)	12,524	17,444	23,200	4,920 (39.3)	5,756 (33.0)
क) सरकारी प्रतिभूतियां	8,311	13,349	16,911	5,038 (60.6)	3,562 (26.7)
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,213	4,095	6,289	-118 (-2.8)	2,194 (53.6)
6. नकदी शेष	515	571	966	56 (10.9)	395 (69.2)
ज्ञापन :					
क) नकदी शेष - जमाराशि अनुपात	1.1	1.0	1.6		
ख) ऋण - जमाराशि अनुपात	45.0	44.7	51.2		
ग) निवेश - जमाराशि अनुपात	25.9	30.6	37.3		
घ) (निवेश+ ऋण) - जमाराशि अनुपात	70.9	75.3	88.5		

* : अन्य को जारी सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।
टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत घट बढ़ हैं।

बढ़ीं। जहां मांग जमाराशियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई, वहीं मीयादी जमाराशियों में तेजी से गिरावट आई। तथापि, ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के 17.0 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 24.8 प्रतिशत हो गई। बकाया जमाराशियां (रु. 62,143 करोड़) मार्च 2005 के अंत के बकाया ऋण (रु. 31,803 करोड़) से लगभग दुगुनी थीं। क्रेडिट में उच्च वृद्धि और जमाराशियों में निम्न वृद्धि के प्रभाव को दर्शाते हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बैंकिंग क्षेत्र के प्रति देयताओं में तीव्र वृद्धि हुई। सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश पिछले वर्ष के 39.0 प्रतिशत के ऊपर 33.1 प्रतिशत की ऊंची दर पर बढ़ते रहे, जो प्रमुख रूप से अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि होने के कारण था। यह पूर्ववर्ती वर्ष के सर्वथा विपरीत था जब निवेशों में वृद्धि प्रमुख रूप से सरकारी प्रतिभूतियों

में निवेशों के कारण हुई थी (सारणी III.56)। 2004-05 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल आस्तियां 10.8 प्रतिशत बढ़ीं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन

3.126 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि 2004-05 के दौरान घाटे में चलने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घट गई। 2004-05 के दौरान 167 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने रुपए 904 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया वहीं 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपए 154 करोड़ की हानि हुई (सारणी III.57)। 2004-05 के दौरान उच्चतर निवल ब्याज आय अनुपात के बावजूद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उनके

सारणी III.57: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04			2004-05			घट-बढ़ स्तंभ (7) के मुकाबले स्तंभ (4)
	घाटे में चल रहे [33]	लाभ में चल रहे [163]	क्षे.ग्रा.बैं. [196]	घाटे में चल रहे [29]	लाभ में चल रहे [167]	क्षे.ग्रा.बैं. [196]	
1	2	3	4	5	6	7	8
क. आय (i+ii)	609	5,635	6,244	628	5,509	6,137	-107
i) ब्याज आय	553	4,985	5,538	587	5,089	5,676	138
ii) अन्य आय	56	650	706	41	420	461	-245.0
ख. व्यय (i+ii+iii)	793	4,682	5,475	782	4,605	5,387	-88
i) ब्याज व्यय	421	2,939	3,360	424	2,737	3,161	-199
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	90	196	286	51	208	259	-27
iii) परिचालनगत व्यय	282	1,547	1,829	307	1,660	1,967	138
जिसमें से वेतन बिल	248	1,260	1,508	246	1,280	1,526	18
ग. लाभ							
i) परिचालन लाभ/हानि	-94	1,149	1,055	-103	1,112	1,009	-46
ii) निवल लाभ/हानि	-184	953	769	-154	904	750	-19
घ. कुल आस्तियां	8,892	61,386	70,278	9,780	68,086	77,866	7,588
ड. वित्तीय अनुपात#							
i) परिचालन लाभ	-1.1	1.9	1.5	-1.1	1.6	1.3	
ii) निवल लाभ	-2.1	1.6	1.1	-1.6	1.3	1.0	
iii) आय	6.8	9.2	8.9	6.4	8.1	7.9	
iv) ब्याज आय	6.2	8.1	7.9	6.0	7.5	7.3	
v) अन्य आय	0.6	1.1	1.0	0.4	0.6	0.6	
vi) व्यय	8.9	7.6	7.8	8.0	6.8	6.9	
vii) ब्याज व्यय	4.7	4.8	4.8	4.3	4.0	4.1	
viii) परिचालन व्यय	3.2	2.5	2.6	3.1	2.4	2.5	
ix) वेतन बिल	2.8	2.1	2.1	2.5	1.9	2.0	
x) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	1.0	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	
xi) दायरा (निवल ब्याज आय)	1.5	3.3	3.1	1.7	3.5	3.2	

: कुल आस्तियों के अनुपात

नोट : 1. कोष्ठक के आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

2. स्तंभ 8 में कोष्ठक के आंकड़े वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड

परिचालन लाभ और निवल लाभ, वर्ष के दौरान अन्य आय में तीव्र गिरावट के कारण, 34.7 प्रतिशत घट गए।

प्रयोजनवार बकाया ऋण और अग्रिम

3.127 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की संरचना में 2004-05 के दौरान बड़ा बदलाव आया जो कृषि ऋणों के पक्ष में था। अब कृषि और कृषीतर ऋणों के अंश मोटे तौर पर समान हैं, जबकि पहले कृषीतर ऋणों के प्रति आंशिक झुकाव होता था (सारणी III.58)। कृषि ऋणों के भीतर, अल्प कालिक ऋणों (फसल ऋण) में 2004-05 के दौरान उच्चतर वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप कुल कृषि ऋणों में उनका हिस्सा पिछले वर्ष के 65.4 प्रतिशत से बढ़कर 66.3 प्रतिशत हो गया।

सारणी III.58: बकाया अग्रिमों का प्रयोजनवार विर्गीकरण

(मार्च/अप्रैल)

(राशि करोड़ रुपये में)

प्रयोजन	2003	2004	2005
I कृषि (1 से 3)	10,261	11,722	16,710
	(46.3)	(44.9)	(50.8)
1. अल्पकालिक ऋण (फसल ऋण)	6,495	7,664	10,980
2. मीयादी ऋण (कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के लिए)	3,766	4,058	5,730
3. परोक्ष अग्रिम	-	-	-
II कृषीतर (4 से 7)	11,897	14,393	16,161
	(53.7)	(55.1)	(49.2)
4. ग्रामीण कृषीगर, आदि	695	715	713
5. अन्य उद्योग	330	433	580
6. खुदरा व्यापार, आदि	3,264	3,607	4,364
7. अन्य प्रयोजन	7,608	9,638	10,504
कुल (I+II)	22,158	26,115	32,871
- : कुछ नहीं / नगण्य			

सारणी III.59: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफाइल
(मार्च 2005 की समाप्ति पर)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक	आस्तियां		जमाराशियां		अग्रिम	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
1. कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	129	179	110	151	66	90
2. कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	41	45	32	36	19	20
3. कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल बैंक लि.	10	17	5	8	6	12
4. सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	7	12	1	5	3	8

टिप्पणी : साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि., को 25 जून 2004 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलयित कर दिया गया।

11. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

3.128 मार्च 2005 के अंत में चार स्थानीय क्षेत्र बैंक कार्यरत थे। ये थे कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि., विजयवाड़ा; कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि., फगवाड़ा, नवसारी; कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि. महबूबनगर; और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर। साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि., जिसमें कि लगातार निवल हानि हो रही है और उसकी पूंजी तथा आरक्षित निधियों में उल्लेखनीय गिरावट आई थी, का 25 जून, 2004 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया। इन बैंकों का आस्ति, जमाराशि और अग्रिम आधार बहुत छोटा है (सारणी III.59)।

3.129 अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय क्षेत्र बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक अर्थात् बहुत ऊंचा था। यद्यपि, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि. और कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि. का ऋण जमा अनुपात घट गया, फिर भी वह क्रमशः 54.8 प्रतिशत और 59.5 प्रतिशत पर उच्च बना रहा।

3.130 स्थानीय क्षेत्र बैंकों की आय और व्यय में मध्यम वृद्धि हुई। तथापि, आय की उच्चतर वृद्धि विशेषतः ब्याज आय तथा प्रायः स्थिर हो चुके ब्याज व्यय के कारण इनके परिचालन लाभ तथा निवल लाभ में पर्याप्त वृद्धि हुई (सारणी III.60)।

सारणी III.60: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	2003-04	2004-05	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	19.6	21.3	1.7	8.7
i) ब्याज आय	15.4	17.3	1.9	12.3
ii) अन्य आय	4.2	4.0	-0.2	-4.8
ख. व्यय (i+ii+iii)	19.5	20.4	0.9	4.6
i) ब्याज व्यय	8.6	8.7	0.1	1.2
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	2.8	2.5	-0.3	-10.7
iii) परिचालनगत व्यय	8.1	9.2	1.1	13.6
जिनमें से : वेतन बिल	2.7	3.1	0.4	14.8
ग. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ / हानि	2.9	3.4	0.5	17.2
ii) निवल लाभ / हानि	0.1	0.9	0.8	800.0
घ. दायरा (निवल ब्याज आय)	6.8	8.6	1.8	26.5

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां


4.1 सहकारी बैंकों ने 1904 में कृषि ऋण सहकारी समिति अधिनियम के अधिनियमन के बाद से लंबा रास्ता तय किया है। शताब्दी पुरानी सहकारी बैंकिंग संरचना को ग्रामीणों की बैंकिंग तक पहुंच के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार भारतीय वित्तीय प्रणाली के लोकतंत्रीकरण का एक माध्यम समझा जाता है। सहकारी समितियां जमाराशि संग्रहण और व्यापक पहुंच के साथ कृषि और ग्रामीण ऋण का प्रबंध करती हैं। सहकारी समितियां विभिन्न विकास योजनाओं, खासतौर से गरीबों के लिए सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गई हैं।

4.2 भारत में सहकारी बैंकिंग संरचना में शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं शामिल हैं। शहरी सहकारी बैंकों में एक ही स्तर रखा गया अर्थात् प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्हें सामान्यतः शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के रूप में संदर्भित किया जाता है। ग्रामीण सहकारी संरचना को परम्परागत रूप से दो समान पक्षों में विभाजित किया गया है अर्थात् अल्पावधिक संरचना और दीर्घावधिक संरचना। अल्पावधिक संरचनावाली सहकारी ऋण संस्थाओं

को तीन स्तरीय संरचना में विवेन्द्रित किया गया है जिसमें प्रारंभिक स्तर पर भारी संख्या में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिला स्तर पर मध्यवर्ती सहकारी बैंक और राज्य/शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। छोटे राज्यों और संघ प्रदेशों में द्विस्तरीय संरचना जहाँ राज्य मध्यवर्ती बैंक प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों की ऋण संबंधी जरूरत सीधे ही पूरी करते हैं। दीर्घावधिक संरचनावाली ग्रामीण सहकारी संरचना में दो स्तर हैं अर्थात् राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और तालुका/तहसील स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तथापि, कुछ राज्यों ने राज्य स्तर पर अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकों के परिचालनवाली एकल संरचना रखी है: तीन राज्यों में एकल और संघीय प्रणाली - दोनों को अपनाते हुए सम्मिश्र संरचना रखी है (चार्ट IV.1)।

4.3 देश में सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 2004-05 में अनेक उपाय किए गए। सबसे महत्वपूर्ण, शहरी सहकारी बैंकों के लिए विद्यमान पर्यवेक्षी संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए विज्ञान डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी

चार्ट IV.1: सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना



टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े मार्च 2005 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की संस्थाओं की संख्या तथा मार्च 2004 को ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।

समितियों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ किया गया। ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यदल (अध्यक्ष: प्रो. ए. वैधनाथन) की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया। सहकारी बैंकों के पुनरुत्थान के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.4 वर्ष के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं के कारोबारी परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन में अलग-अलग प्रवृत्ति देखी गई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में विस्तार हुआ जो पिछले वर्ष के विपरीत है। इससे जमाराशियों, उधारों और निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि का प्रभाव परिलक्षित हुआ। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में, निवल ब्याज आय में सुधार के बावजूद गिरावट आई, जिसका प्रमुख कारण ब्याज से इतर आय में तीव्र गिरावट रहा। शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

4.5 वर्ष 2003-04 में राज्य सहकारी बैंकों की आस्तियों/देयताओं में तेज विस्तार हुआ। तथापि उनकी लाभप्रदता में कमी आयी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (सीसीबी) के मामले में स्थिति विपरीत रही। उधारकर्ता सदस्यों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के बावजूद प्राथमिक कृषि समितियों की सदस्यता में वृद्धि हुई। कुल जमाराशियों में गिरावट के बावजूद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कारोबार बढ़ना जारी रहा। यद्यपि वर्ष के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया, परन्तु अतिदेय राशियाँ लगातार उच्च बनी रहीं। दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी समितियों अर्थात् एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी की आस्तियों में मामूली वृद्धि हुई। तथापि वर्ष के दौरान समग्र हानियों में भारी वृद्धि से उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन की स्थिति काफी बिगड़ गई। पीएसीएस के अलावा, ग्रामीण सहकारी बैंकों के सभी स्तरों पर आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी IV.1)।

4.6 वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधि, स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम में, तथा वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों-दोनों द्वारा लघु वित्त संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता में तीव्र वृद्धि रही। नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तपोषण और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा। नाबार्ड ने अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाली विभिन्न संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए अपने प्रयासों को भी बढ़ाया है।

4.7 अध्याय को निम्नानुसार आगे बढ़ाया गया है : खण्ड 2 और 3 में नीतिगत गतिविधियों कारोबारी परिचालनों और क्रमशः शहरी सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के कार्य निष्पादन का ब्यौरा है। खण्ड 4 में देश में लघु ऋण के क्षेत्र की गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। खण्ड 5 में ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान किए गए उपायों का वर्णन किया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक

4.8 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों की बढ़ती ऋण आवश्यकता पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शहरी सहकारी बैंक मध्यम और निम्नतर आय समूहों से बचत संग्रहण और समाज के कमजोर वर्गों सहित लघु उधारकर्ताओं के ऋण का प्रबंध करते हैं। मार्च 2005 के अंत तक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 1,872 पर पहुंच गई जिसमें वेतन अर्जकों के 79 बैंक और 119 महिला बैंक शामिल हैं। मार्च 2005 के अंत तक अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 55 थी। इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं से यह प्रदर्शित हुआ कि जमाराशियों/ आस्ति आधार, कार्यक्षेत्र तथा कारोबार के स्वरूप के हिसाब से उनमें बहुत अधिक भिन्नता थी।

4.9 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के अपेक्षाकृत ज्यादा विनियामक और पर्यवेक्षी दायरे में हैं जबकि, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर द्विविध / बहु नियंत्रण व्यवस्था लागू है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि इस क्षेत्र के पास संयुक्त रूप से अपना सुदृढ़ और सक्षम कार्यतंत्र हो, यह लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित हो और व्यावसायिक रूप में सुप्रबंधित संस्थानों के रूप में उभरे। इन उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 2004-05 में विभिन्न नीतिगत उपाय किए। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण उपाय शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज्ञान डॉक्यूमेंट और मीडियम टर्म प्रेमवर्क (एमटीएफ) रहा। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और इस क्षेत्र की कमियों का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने देने और दूसरी ओर शहरी सहकारी बैंकों से बचने के उद्देश्य से, शहरी सहकारी बैंकों को स्थानीय समुदायों और भारी पैमाने पर जनता को उपयोगी सेवा प्रदान करने की दृष्टि से विज्ञान डॉक्यूमेंट का प्रारूप तैयार किया गया और अभिमत प्राप्त करने के लिए उसे पब्लिक डोमेन में रखा गया। अलग-अलग क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, इस क्षेत्र के लिए मध्यावधि रूपरेखा विकसित करने के लिए विज्ञान डॉक्यूमेंट में अनिवार्य आशोधन किए गए (बॉक्स IV.1)।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक उपाय

4.10 शहरी सहकारी बैंकों का 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध से तेज गति से विकास हुआ। तथापि सतत विस्तार के दौर में इस क्षेत्र ने कंपनी नियंत्रण सक्षमता में कमी, अनैतिक तरीकों से ऋण देना, ऋण संबंधी चूकों का अपेक्षाकृत उच्च स्तर, उदार और प्रतिस्पर्धा के परिवेश में परिचालन करने की असमर्थता से उत्पन्न कुछ कमजोरियाँ भी दिखाई पड़ी। अतः रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए, विवेकसम्मत विनियमन और पर्यवेक्षण का समुचित उपयोग करके शहरी सहकारी बैंकों में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। 2004-05 में रिजर्व बैंक ने भली-भांति यूसीबी की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनेकों विनियामक उपाय लागू किये हैं।

बॉक्स IV.1: शहरी सहकारी बैंकों के लिए मध्यावधि रूपरेखा

ड्राफ्ट विज्ञान डाक्यूमेंट की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम रूप दी जा रही मध्यावधि रूपरेखा में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है :

- इस क्षेत्र की संस्थाओं के विषम स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विद्यमान विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को युक्तिसंगत बनाना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से पर्यवेक्षण को केन्द्रीभूत और निरंतर प्रणाली उपलब्ध कराना।
- व्यावसायिता को बढ़ाना, और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने के साथ ही, बैंक के प्रबंधन के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में भारी संख्या में जमाकर्ताओं को शामिल करते हुए यूसीबी में नियंत्रण गुणवत्ता में सुधार लाना।
- वर्तमान विधिक रूपरेखा, तथा विधायी परिवर्तन करने के लिए लम्बा समय लगने वाली प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए, एक ऐसी व्यवस्था लागू करना जो दोहरे नियंत्रण की समस्याओं का समाधान कर सके।
- क्षेत्र में कमजोर परन्तु संभाव्य रूप से अर्थक्षम संस्थाओं की पहचान करने के लिए परामर्शी व्यवस्था लागू करना तथा ऐसी संस्थाओं को यदि आवश्यकता हो तो, सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के माध्यम सहित पुनः सक्षमता प्रदान करने हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करना।
- क्षेत्र में अव्यवहार्य संस्थाओं का पता लगाना तथा ऐसी संस्थाओं को प्रणाली से बाहर निकालने के लिए सुकर व्यवस्था लागू करना।

- उपर्युक्त रूपरेखा को निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित करना प्रस्तावित है :
- 'एक समान' दृष्टिकोण के विपरीत अलग-अलग विनियामक व्यवस्था।
- द्वि स्तरीय विनियामक व्यवस्था : (क) एकक बैंकों और 100 करोड़ रुपए से कम की जमा राशियों वाले एकल जिला बैंकों के लिए सरलीकृत विनियामक व्यवस्था, और (ख) वाणिज्यिक बैंकों की तरह अन्य सभी बैंकों के लिए विनियमन
- चूंकि यूसीबी के मामले में अपनायी जानेवाली रणनीति राज्य-विशेष की आवश्यकतानुसार होनी चाहिए, इसलिए एक राज्य स्तरीय कार्यदल का गठन किया जाए, जिसमें रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों तथा स्थानीय / मध्यवर्ती सहकारी संघों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाए।
- टीएफसीयूबी निम्नलिखित के लिए उतरदायी होंगे : (i) कमजोर परन्तु अर्थक्षम यूसीबी का पता लगाना तथा उनके पुनर्त्थान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना, और (ii) (क) वित्तीय सहायता के स्वरूप और सीमा, (ख) लाइसेंस रहित बैंकों का भावी स्वरूप तथा (ग) अव्यवहार्य बैंकों की निकासी का तरीका और समय सीमा निर्धारित करने के लिए सिफारिशें करना।
- विद्यमान विधिक दायरे के भीतर दोहरे नियंत्रण से संबंधित मुद्दों / कठिनाइयों पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच सहमति ज्ञापन के रूप में कार्यकारी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है।

शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण

4.11 रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के तहत प्राथमिक सहकारी बैंकों की बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों का विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। दूसरे पहलू जैसे यूसीबी के निगमन, पंजीकरण, संचालन, प्रबंधन और समेकन कार्य संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पर्यवेक्षित और विनियंत्रित किये जाते हैं। अनेक राज्यों में काम करने वाले शहरी सहकारी बैंक बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और इन्हें केंद्र सरकार सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के माध्यम से और रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से विनियंत्रित और पर्यवेक्षित किया जाता है।

4.12 विद्यमान विधायी रूपरेखा यूसीबी पर दोहरा नियंत्रण रखने के लिए तैयार की गई है। दोहरी नियंत्रण व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार से परामर्श करने के बाद और यूसीबी संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) में कुछ आशोधनों का प्रस्ताव करने संबंधी विधायी बिल का प्रारूप सरकार को भेजा गया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक यूसीबी के उचित और समन्वित कारगर विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए सहमति ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियामक व्यवस्था कर रहा है। सहमति ज्ञापन पर रिजर्व बैंक और यूसीबी के व्यापक कार्यक्षेत्र वाले तीन राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात

और कर्नाटक ने पहले ही सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में रिजर्व बैंक ने इन राज्यों में टीएफसीयूबी का गठन किया है (बॉक्स IV.2)। भारी संख्या में यूसीबी वाले अन्य राज्यों को इस सहमति ज्ञापन में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

नये बैंकों/शाखाओं को लाइसेंस प्रदान करना

4.13 मई 1993 में लाइसेंस प्रदान करने के मानदंडों को सरल बनाये जाने के बाद, शहरी सहकारी बैंकों के गठन के लिए 800 से अधिक (जून 2001 तक) लाइसेंस जारी किए गए। तथापि, इन नवीन लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग एक तिहाई शहरी सहकारी बैंक अल्पावधि में ही वित्तीय रूप से कमजोर हो गये (परिशिष्ट सारणी IV.2 और परिशिष्ट सारणी IV.3)। इस प्रकार, विशेषकर शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरे नियंत्रण के जटिल मुद्दे को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में वृद्धि की गति को संतुलित करना आवश्यक था। रिजर्व बैंक ने दोहरे नियंत्रण से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (एएसीएस) में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया। इन संशोधनों के अधिनियमन के अनिर्णीत रहते हुए, 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई कि इस क्षेत्र के लिए समुचित विधिक और विनियामक रूपरेखा प्रस्तुत करने तथा शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय क्षमता में सुधार लाने की नीति बनाने के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में व्यापक नीति पर विचार करने के बाद ही नये लाइसेंस

बॉक्स IV.2: राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापन

सहमति ज्ञापन में राज्य सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई निम्नलिखित वचनबद्धता शामिल है :

सहमति ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं कि :

- सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए दीर्घावधिक स्वरूप की लेखा परीक्षा प्रारंभ करना और यूसीबी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई श्रेणीकरण प्रणाली के साथ समरूप होकर अपनी लेखांकन दर निर्धारण प्रतिमानों का आशोधन करना।
- 25 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि वाले यूसीबी के मामले में सनदी लेखाकारों से सांविधिक लेखापरीक्षा करवाना और किसी भी यूसीबी के मामले में, यदि रिजर्व बैंक चाहे तो, सनदी लेखाकारों द्वारा विशेष लेखा परीक्षा करवाना।
- रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए 'योग्य और उचित' मानदंड प्रस्तुत करना।
- सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में रिजर्व बैंक निम्नलिखित के प्रति वचनबद्ध है :
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यदल (टीएफसीयूबी) का गठन करना, जिसमें रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के केन्द्रीय कार्यालय के एक प्रतिनिधि, राज्य सरकार का तथा राज्य सरकार और यूसीबी के राष्ट्रीय संघ के एक-एक

प्रतिनिधि का समावेश हो। टीएफसीयूबी संभाव्य रूप से अर्थक्षम यूसीबी का पता लगाएगा और उनके पुनरुत्थान के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाएगा तथा गैर-अर्थक्षम यूसीबी को बैंकिंग प्रणाली से इस प्रकार बाहर करने के लिए सिफारिशें देना ताकि कोई विशेष उथल-पुथल पैदा न हो।

- यूसीबी में मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें करना। रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन में राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के बीच एक और सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाने का विचार किया गया है। इस सहमति ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक संभाव्य अर्थक्षम/ गैर अर्थक्षम यूसीबी के शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्यस्तरीय कार्यदल की (टीएफसीयूबी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ठोस उपाय किए जाएं तथा इसे टीएफसीयूबी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

अन्य बातों के साथ, सहमति ज्ञापन में यह भी दिया गया है कि रिजर्व बैंक, सहमति ज्ञापन में शामिल अर्थात् ऐसे राज्य जिन्होंने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यूसीबी के बैंककारी विनियम (बीआर) अधिनियम के अधीन लाइसेंस निरस्त अथवा अस्वीकृत करने से पहले सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से विचार-विमर्श करेगा। सहकारी समिति का रजिस्ट्रार यूसीबी बोर्ड के अधिक्रमण अथवा किसी यूसीबी के समेकन के प्रति रिजर्व बैंक की किसी अपेक्षा का अविलंब अनुपालन करेगा।

जारी किए जाएंगे। तदनुसार, फिलहाल नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देने तथा बैंकिंग लाइसेंस देने के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड

4.14 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार और भारत में वाणिज्यिक बैंकों में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार 31 मार्च 2004 से अनर्जक के रूप में अग्रिम की गणना की विद्यमान 180 दिनों की समय-सीमा को घटाकर 90 दिन करने का निर्णय किया गया है। तथापि सहकारी संघों / बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, स्वर्ण ऋणों सहित, 1 लाख रुपए के लघु ऋणों, को 90 दिनों की सीमा से मुक्त रखा गया तथा 180 दिनों के मानदंड से नियंत्रित किया जाना जारी रखा गया। यह छूट 31 मार्च 2006 तक ही दी गई है। यह भी निर्णय किया गया कि तीन वर्षों से अधिक की अवधि तक संदिग्ध के रूप में पहचानी गई आस्तियों को अग्रिम के लिए प्रावधानीकरण की 100 प्रतिशत अपेक्षा पूरी करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में दो वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाए। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद कुछ श्रेणियों के शहरी सहकारी बैंकों को 90 दिनों के मानदंड के स्थान पर 180 दिनों के चूक मानदंडों के आधार पर अनर्जक आस्तियों के रूप में ऋण खाते के वर्गीकरण के लिए अनुमति प्रदान की जाए। इसमें एकल बैंकों अर्थात् 100 करोड़ रुपए तक की जमाराशि वाले एकल शाखा/प्रधान कार्यालय वाले बैंकों तथा 100 करोड़ रुपए तक की जमाराशियों वाली एक ही जिले में बहु

शाखाओं वाले बैंकों को शामिल किया गया है। यह छूट मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक दी गई है और बैंकों को निर्दिष्ट तारीख के बाद 90 दिनों के चूक संबंधी मानदंडों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त प्रबंध कर लेना चाहिए।

4.15 यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकार गारंटीकृत अग्रिमों और ऋणों के मामले में आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को तथा निवेशों के मामले में राज्य सरकारों की गारंटी लागू करने की अपेक्षाओं को अलग-अलग कर दिया जाए। तदनुसार, राज्य सरकार की गारंटीकृत अग्रिमों संबंधी आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड, 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से, राज्य सरकारों द्वारा न गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में भी उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार गारंटीकृत ऋणों के मामले में लागू होते हैं।

जोखिम मानदंड

4.16 ऋण जोखिम के संघनन से बचने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे एकल उधारकर्ता और उधारकर्ताओं के समूह के मामले में 'पूँजीगत निधियों' का क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक की विवेकसम्मत ऋण जोखिम सीमा निर्धारित करें। बैंकों को भी यह सूचित किया गया कि विवेकसम्मत ऋण जोखिम मानदंडों के प्रयोजन से 'पूँजीगत निधियों' का संबंध बैंक की कुल पूँजीगत निधियों (टियर I और टियर II पूँजी दोनों) से होना चाहिए तथा प्रयोजनगत जोखिम में ऋण और निवेश जोखिम (गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात) दोनों शामिल होंगे।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश

4.17 अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश को धन शोधन निवारक मानकों और आतंकवाद वित्तपोषण विरोध संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किए गए। एफएटीएफ की सिफारिशों पर आधारित विस्तृत दिशानिर्देश शहरी सहकारी बैंकों को जारी कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा बैंकों के 'ग्राहकों के मामले में अपेक्षित सावधानी' संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किया गया जिसमें उदाहरणों के आधार पर सुझाव भी दिए गए। उन्हें सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि वे केवाईसी संबंधी उचित नीतिगत रूपरेखा तैयार करें, और आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी उपाय करें तथा बोर्ड के अनुमोदन से उन्हें लागू करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे 31 दिसंबर 2005 के पहले इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पूरा-पूरा अनुपालन सुनिश्चित करें।

शहरी सहकारी बैंकों के निवेश संविभाग-छूट

4.18 सितंबर 2004 में शहरी सहकारी बैंकों को उनके निवेश संविभाग के लिए विवेकसम्मत मानदंडों में कुछ छूट दी गई। उन्हें अनुमति दी गई थी कि वे 'एचटीएम' श्रेणी के अधीन कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक का निवेश कर सकते हैं बशर्ते (क) अधिक में केवल एसएलआर प्रतिभूतियाँ शामिल हों, और (ख) एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियाँ दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनके एनडीटीएल का 25 प्रतिशत से अधिक न हों।

4.19 प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह भी निर्णय किया गया कि विशेष मामले के रूप में, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों-दोनों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं की पूर्ति से छूट देने पर विचार किया जाए। तदनुसार, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 2 सितंबर 2004 को जारी दिशानिर्देशों के बाद 'एचएफटी'/'एएफएस' श्रेणियों से 'एचटीएम' श्रेणी में प्रतिभूतियों के बदलने से उत्पन्न प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को निश्चित रूप दें तथा उसे 31 मार्च 2005 को समाप्त होनेवाले लेखा वर्ष से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अधिकतम अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष उस राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत की राशि का परिशोधन करें।

4.20 गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'एचएफटी'/'एएफएस' श्रेणियों से प्रतिभूतियों को परिवर्तित करके बही मूल्य पर 'एचटीएम' श्रेणी में रखने की अनुमति दी गई थी। प्रथम, यदि बही मूल्य अंकित मूल्य से

अधिक हो तो बही मूल्य और अंकित मूल्य के बीच की अंतर राशि अर्थात् प्रीमियम को शेष परिपक्वता अवधि में बराबर किस्तों में परिशोधित किया जाए। यदि प्रतिभूति अंकित मूल्य के बट्टे पर ली गई हो तो प्रतिभूति की परिपक्वता के समय ही लाभ के रूप में बुक कर ली जाए। दूसरे, इस विशेष प्रबंध के अधीन अंतरित प्रतिभूतियों को 'एचटीएम' श्रेणी के तहत अलग से रखा जाए तथा इन्हें 'एचटीएम' श्रेणी से प्रतिभूति अंतरण के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, भविष्य में, 'एएफएस/एचएफटी' श्रेणी में पुनः अंतरित न किया जाए। तीसरे, सामान्य तौर पर 'एचटीएम' श्रेणी की इन प्रतिभूतियों को बाजार में न बेचा जाए और परिपक्वता के बाद ही उन्मोचित किया जाए। तथापि, विशेष परिस्थितियों में जब इन प्रतिभूतियों को बेचना ही हो तब इस श्रेणी में निवेश की बिक्री से मिले लाभ को पहले 'लाभ और हानि' खाते में लिया जाए और उसके बाद 'आरक्षित पूंजी निधि' में इसका विनियोग किया जाए। बिक्री पर हानि का निर्धारण 'लाभ और हानि खाते' में बिक्री के वर्ष में किया जाएगा।

प्रकटीकरण मानदंड

4.21 सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप और सदस्यों तथा जमाकर्ताओं के हित में यह निर्णय लिया गया कि किसी बैंक पर लगाए गए दंड के विवरण का प्रकटीकरण भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पब्लिक डोमेन में डालेगा। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी आगामी वार्षिक रिपोर्ट में तुलनपत्र के साथ दी जानेवाली 'लेखा टिप्पणी' में ऐसे दंड के बारे में सूचना दें।

4.22 सहकारी बैंकों की सही स्थिति की सूचना देने तथा जनसाधारण में किसी भी तरह की भ्रान्ति न फैलाने देने की दृष्टि से सभी शहरी सहकारी बैंकों को अपना पूरा नाम, लेखन सामग्री की मदों, प्रचार सामग्री और अपने नामपट्ट पर उसी प्रकार लिखने को कहा गया जिस प्रकार उनका नाम सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंस में है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण

4.23 आवास क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया कि शहरी सहकारी बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, किसी आवासीय इकाई के प्रत्येक हिताधिकारी को, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋण के अंग के रूप में, पहले के 10 लाख रुपए की जगह अब 15 लाख रुपए का प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराएं, चाहे वह मकान किसी भी जगह हो।

शहरी सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण

4.24 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय के दिशानिर्देश जारी किए जिनसे, गैर अर्थक्षम संस्थाओं का विलयन करके, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ (बॉक्स IV.3)।

शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण

निरीक्षण

4.25 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जानेवाला प्रत्यक्ष वित्तीय निरीक्षण, शहरी सहकारी बैंकों पर पर्यवेक्षण का एक मुख्य साधन बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2004-05 के दौरान 812 शहरी सहकारी बैंकों का सांविधिक निरीक्षण किया जबकि पिछले साल 848 शहरी सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया था।

अप्रत्यक्ष निगरानी

4.26 पर्यवेक्षण के लिए अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली मार्च 2001 से सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर लागू कर दी गयी। अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली से संबंधित विवरणियों की समीक्षा की गई और मार्च 2004 से संशोधित 8 विवरणियां निर्धारित कर दी गयीं। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली वाली विवरणियां इस प्रकार बनायी गयी हैं ताकि अनुपालन पर नज़र रखी जा सके और विवेकपूर्ण विनियमन से संबंधित क्षेत्रों के बारे में उनसे सूचना प्राप्त की जा सके। अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली से संबंधित विवरणियों का मुख्य उद्देश्य विवेकपूर्ण हितों वाले क्षेत्र के संबंध में सूचना प्राप्त करना, प्रबंध तंत्र की सूचना से संबंधित आवश्यकताओं का समाधान करना, रिपोर्ट देनेवाली संस्थाओं के भीतर प्रबंध सूचना प्रणाली की क्षमताओं को सुदृढ़ करना और बैंक के प्रबंध तंत्रों को पर्यवेक्षी प्राधिकारी की चिंताओं से भलीभांति अवगत कराना है। इन विवरणियों के माध्यम से जिन क्षेत्रों से संबंधित अनुपालन पर नज़र रखी जाती है उनके अंतर्गत आस्तियां और देयताएं, आय, आस्ति गुणवत्ता, अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण, जोखिमों का किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अधिक बढ़ जाना, संबंधित उधार देना और पूंजी पर्याप्तता शामिल

हैं। पहले इन समस्याओं का समाधान एक से दो साल के अंतराल पर बैंकों के किए जाने वाले आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से किया जाता था। अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली जून 2004 से उन अनुसूचित बैंकों पर भी लागू कर दी गयी थी जिनकी जमाराशियों का आधार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था।

कमजोर आर्थिक स्थितिवाले बैंक

4.27 आर्थिक स्थिति के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी III और श्रेणी IV में वर्गीकृत किए गए शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 725 है। (सारणी IV.1)। केरल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा में आधा से अधिक शहरी सहकारी बैंक श्रेणी III और श्रेणी IV के अंतर्गत थे। श्रेणी III और श्रेणी IV के बैंकों के लिए एक अर्थक्षम पुनर्निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया था कि पुनर्निर्माण से संबंधित केवल उन्हीं योजनाओं पर विचार किया जाएगा जिनमें हितधारकों द्वारा पुनः पूंजी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था होगी, अर्थात् जिनमें शेयरधारक/सहकारी संस्थाएं/सरकार निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड प्राप्त करने की सीमा तक (जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम द्वारा बीमा संबंधी दावों के निपटान द्वारा चलनिधि उपलब्ध कराए बिना) पूंजी उपलब्ध करायेगी और जिनमें एक निश्चित अवधि के भीतर अनर्जक आस्तियों का स्तर हटाकर उपयुक्त सीमा के भीतर लाए जाने के संबंध में स्पष्ट योजना दी गई होगी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे पुनर्निर्माण योजनाओं की छानबीन करके इस बात से संतुष्ट हो लें कि शहरी सहकारी बैंक उपर बताई गई अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और उसके बाद ही वे भारतीय रिजर्व बैंक के पास योजना के संबंध में औपचारिक सिफारिश भेजें।

4.28 भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणात्मक निवल मालियत वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्गठन के संबंध में भी योजना तैयार कर ली है (बॉक्स IV.4)।

बॉक्स IV.3: शहरी सहकारी बैंकों का विलयन/समामेलन

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों के सुदृढ़ीकरण और सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण को प्रोत्साहन देने, और साथ ही, बिना किसी ज्यादा उथल-पुथल के कमजोर/गैर अर्थक्षम संस्थाओं को प्रणाली से बाहर कर देने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, इस क्षेत्र में विलयन/समामेलन को सुकर बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक विलयन/समामेलन संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय, जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय स्थिरता का ध्यान रखते हुए, विलयन के वित्तीय पहलुओं के लिए ही अपना अनुमोदन देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय इस बात का ध्यान भी रखेगा कि विलय के बाद निर्मित होने वाली संस्था निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करे।

- जब अधिग्रहीत बैंक की निवल मालियत धनात्मक हो और अधिग्रहण करनेवाला बैंक

अधिग्रहीत बैंक के सभी जमाकर्ताओं की संपूर्ण जमाराशियों के सुरक्षा का आश्वासन दे।

- जब अधिग्रहीत बैंक की निवल मालियत ऋणात्मक हो लेकिन अधिग्रहीत करने वाला बैंक, अधिग्रहीत बैंक के सभी जमाकर्ताओं की जमाराशियों की सुरक्षा का अपने आप आश्वासन दे।
- जब अधिग्रहीत बैंक की निवल मालियत ऋणात्मक हो और अधिग्रहीत करने वाला बैंक, विलय की प्रक्रिया के अंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता की मदद से, सभी जमाकर्ताओं की जमाराशियों की सुरक्षा का आश्वासन दे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त 2005 तक विलय के 5 प्रस्तावों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया था।

सारणी IV.1: शहरी सहकारी बैंकों का केंद्रवार श्रेणीकरण (मार्च 2005 के अंत में)

केंद्र	बैंकों की संख्या				योग
	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	
1	2	3	4	5	6
अहमदाबाद	122	53	87	46	308
बंगलूर	80	58	118	40	296
भोपाल	20	17	27	13	77
भुवनेश्वर	1	5	4	2	12
चंडीगढ़	11	-	2	4	17
चेन्नै	44	25	54	10	133
गुवाहाटी	6	2	5	5	18
हैदराबाद	44	35	31	17	127
जयपुर	23	11	4	1	39
जम्मू	2	-	2	-	4
कोलकाता	29	12	4	6	51
लखनऊ	54	8	7	8	77
मुंबई	276	64	76	43	459
नागपुर	69	38	48	19	174
नई दिल्ली	12	1	1	1	15
पटना	2	2	1	-	5
तिरुवनंतपुरम	12	9	26	13	60
योग	807	340	497	228	1,872

- : कुछ नहीं / नगण्य

शहरी सहकारी बैंकों का परिचालन और वित्तीय कार्य निष्पादन

4.29 वर्ष 1966 में श. स. बैंकों (अनुसूचित और अनुसूचित - दोनों) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की परिधि में लाए जाने के समय से ही उनके परिचालन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। श. स. बैंकों की जमा राशियां और अग्रिम, वर्ष 1966 के क्रमशः 153 करोड़ रुपए और 167 करोड़ रुपए से तेजी से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में क्रमशः 1,02,089 करोड़ और 65,951 करोड़ रुपए हो गए तथा इस प्रकार उनमें क्रमशः 19.2 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई। लेकिन पिछले दो वर्षों में अर्थात् 2003-04 और 2004-05 में जमा राशियों और अग्रिमों की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि कम होकर क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत हो गई।

4.30 श. स. बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी निवेश मार्च 2004 के अंत के 45,299 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2005 के अंत में

42,498 करोड़ रुपए हो गये जो 6.2 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं। तथापि, मार्च 2005 के अंत के आंकड़ों में, अनु. श. स. बैंकों द्वारा मध्यवर्ती सह. बैंकों/राज्य सह. बैंकों में रखी गई जमा राशियां शामिल नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांडों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और यूटीआई की यूनितों में सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न निवेश, और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सह. बैंकों में अनु. श. स. बैंकों द्वारा रखी गई मीयादी जमा राशियां मार्च 2004 के अंत के 2,921 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 4,520 करोड़ रुपए हो गयीं (चार्ट IV.2)।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना


4.31 श. स. बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का 60 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को तथा

बाक्स IV.4: ऋणात्मक निवल मालियत वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का पुनर्गठन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए, संबंधित राज्य सरकारों और बैंकों के अधिकारियों को शामिल करते हुए, ऋणात्मक निवल मालियत वाले कुछ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया आरंभ की है। इन बैंकों की पुनर्वास योजना के स्वरूप का पता करके और निगरानी योग्य लक्ष्य निश्चित करके एक समयबद्ध योजना तैयार करने पर जोर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नियमित अंतराल पर, निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में इन बैंकों की उपलब्धियों की बारीकी से निगरानी करेगा और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और प्रणालीगत समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से उपयुक्त कदम उठायेगा। बड़े जमाकर्ताओं, जमा राशियों का कुछ भाग इक्विटी के रूप में परिवर्तित किए जाने, अनर्जक आस्तियों में कमी मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी के विकास तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानेवाली सहायता से जुड़े

मुद्दों की भी छानबीन की जाएगी। जहां भी आवश्यक होगा, विलय/समामेलन के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी छानबीन और अनुमोदनों को बैंकिंग और पर्यवेक्षी मुद्दों तक ही सीमित रखेगा ताकि वह स्वयं संतुष्ट हो सके कि पुनर्गठन संबंधी पैकेज जमाकर्ताओं और जनसाधारण के हित में है। भारतीय रिजर्व बैंक निधि प्रदान किए जाने, हितधारकों द्वारा किए जाने वाले त्याग, देयताओं के पुनर्गठन, अनर्जक आस्तियों की वसूली, पर्यवेक्षी समर्थन और परिहार, संचालन, कारोबारी योजना, आवेदन पत्र और दस्तावेज दाखिल करने जैसे अन्य मानदंडों का भी ख्याल रखेगा।

आठ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्गठन के लिए विचार विमर्श किया जा चुका है और कार्य योजना तैयार कर ली गई है।



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋणों में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग को दें। 1,017 बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मार्च 2004

सारणी IV.2: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम

(राशि करोड़ रु. में)

घटक	मार्च 2004 के अंत में	
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	कमजोर वर्ग को अग्रिम
1	2	3
कृषि और संबंधित गतिविधियां	1,486 (6.0)	629 (10.0)
कुटीर और लघु उद्योग	6,231 (25.2)	559 (8.9)
सड़क और जल परिवहन परिचालक	1,365 (5.5)	301 (4.8)
निजी खुदरा व्यापारी (आवश्यक वस्तुएं)	951 (3.8)	341 (5.4)
निजी खुदरा व्यापारी (अन्य)	2,570 (10.4)	714 (11.4)
छोटे कारोबारी उद्यम	4,000 (16.2)	1,065 (17.0)
प्रोफेशनल और स्व-नियोजित व्यक्ति	1,643 (6.6)	612 (9.8)
शिक्षा ऋण	328 (1.3)	117 (1.9)
आवास ऋण	5,674 (22.9)	1,786 (28.5)
उपभोग ऋण	468 (1.9)	140 (2.2)
सॉफ्टवेयर उद्योग	38 (0.2)	5 (0.1)
योग	24,754 (100.0)	6,269 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

के अंत में श. स. बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 24,754 करोड़ रुपए दिए थे जो उनके कुल ऋणों और अग्रिमों का 64.2 प्रतिशत था (सारणी IV.2)।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन

4.32 अनु. श. स. बैंकों की आस्तियां, पिछले साल की प्रवृत्ति के विपरीत, 2004-05 के दौरान बढ़ीं। इससे जमाराशियों, लिए गए उधारों और आंतरिक निधि सृजन के रूप में अधिक संसाधन संग्रहण का प्रभाव प्रकट होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2004-05 के दौरान जमाराशियां लिए गए उधार और आंतरिक निधि सृजन में भारी वृद्धि हुई थी। सभी श. सह. बैंकों की कुल जमाराशि में अनु. श. सह. बैंकों का हिस्सा 39.0 प्रतिशत था। आस्तियों के मामले में, ऋण और अग्रिमों में अच्छी खासी वृद्धि हुई जबकि पिछले साल इनमें कमी आई थी। अनु. श. सह. बैंकों के निवेशों में भी वृद्धि हुई। (सारणी IV.3)

सारणी IV.3: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां
(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	671 (1.3)	772 (1.4)	7.0	15.1
2. आरक्षित निधियां	2,456 (4.8)	4,894 (8.7)	-67.0	99.3
3. जमाराशियां	38,003 (73.8)	40,946 (72.6)	3.6	7.7
4. लिए गए उधार	590 (1.1)	902 (1.6)	3.3	52.9
5. अन्य देयताएं	9,748 (18.9)	8,882 (15.7)	40.3	-8.9
कुल देयताएं/आस्तियां	51,468 (100.0)	56,396 (100.0)	-1.6	9.6
आस्तियां				
1. नकदी	319 (0.6)	344 (0.6)	-88.7	7.8
2. बैंकों के पास शेष	5,427 (10.5)	5,846 (10.4)	148.3	7.7
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	428 (0.8)	496 (0.9)	39.9	15.9
4. निवेश	14,976 (29.1)	17,049 (30.2)	8.4	13.8
5. ऋण और अग्रिम	23,161 (45.0)	25,092 (44.5)	-2.9	8.3
6. अन्य आस्तियां	7,157 (13.9)	7,569 (13.4)	-22.9	5.8

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.33 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के 826 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 के दौरान 1,065 करोड़ रुपए हो गयी। लेकिन व्यापारिक आय में कमी के कारण 'अन्य' आय में हुई भारी कमी और साथ ही परिचालन खर्चों में वृद्धि होने के कारण परिचालन लाभ कम हो गया। पिछले साल की तुलना में, कम राशि का प्रावधान करने और कम आकस्मिकताओं के कारण वर्ष के दौरान निवल लाभ बढ़ा, यद्यपि यह पिछले वर्ष की तुलना में कम था। (सारणी IV.4)। 55 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 6 बैंकों को वर्ष के दौरान निवल घाटा हुआ (परिशिष्ट सारणी IV.4 और परिशिष्ट सारणी IV.5)।

शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता (अनुसूचित और अननुसूचित)

4.34 शहरी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और अननुसूचित) की अनर्जक आस्तियां, समग्र रूप में और प्रतिशत के हिसाब से, 2004-05 के दौरान थोड़ी बढ़ीं। निवल अनर्जक आस्तियां मार्च

सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	प्रतिशत अंतर			
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	3,975	3,734	-24.9	-6.1
	(100.0)	(100.0)		
i) ब्याज आय	3,178	3,344	-28.1	5.2
	(79.9)	(89.6)		
ii) अन्य आय	797	390	-8.6	-51.1
	(20.1)	(10.4)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	3,765	3,556	-35.6	-5.6
	(100.0)	(100.0)		
i) खर्च किया गया ब्याज	2,352	2,279	-30.4	-3.1
	(62.5)	(64.1)		
ii) प्रावधान और आकस्मिकताएं	531	336	-60.6	-36.7
	(14.1)	(9.4)		
iii) परिचालन व्यय	882	941	-21.1	6.7
	(23.4)	(26.5)		
इसमें से:				
वेतन बिल	497	508	-11.7	2.2
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	741	514	-6.6	-30.6
ii) निवल लाभ	210	178	-137.8	-15.2
घ. कुल आस्तियां (मार्चत)	51,468	56,396	-1.6	9.6

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं।

सारणी IV.5: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च अंत	रिपोर्ट देनेवाले शसबैंकों की संख्या	सकल अनर्जक आस्तियां	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अनर्जक आस्तियां	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3	4	5	6
2001	1,942	9,245	16.1	-	-
2002	1,937	13,706	21.9	-	-
2003	1,941	12,509	19.0	6,428	13.0
2004*	1,926	15,406	22.7	8,242	12.1
2005अ	1,872	15,409	23.0	8,174	12.2

- : कुछ नहीं / नगण्य

* : संशोधित आंकड़े

अ : अनंतिम आंकड़े

2005 के अंत में 0.8 प्रतिशत घटकर 8,174 करोड़ रुपये हो गयीं (सारणी IV.5)।

शहरी सहकारी बैंक - क्षेत्रीय परिचालन

4.35 शहरी सहकारी बैंकों का स्थानगत वितरण बहुत अव्यवस्थित है क्योंकि ये बैंक मुख्यतः 5 राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु, में सबसे ज्यादा संख्या में हैं (सारणी IV.6)। कुछ शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर ज्यादातर की जमाराशियों का आकार छोटा है क्योंकि उनमें से कुछ की केवल एक ही शाखा है। यह ध्यान योग्य देने बात है कि 1,844 शहरी सहकारी बैंकों में से 1,636 की (88.7 प्रतिशत) जमाराशियों का आधार 100 करोड़ रुपये से कम था (चार्ट IV.3)।

4.36 मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग दो-तिहाई बैंक चार राज्यों, यथा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात, में काम कर रहे थे। इन चार राज्यों में काम कर रही शाखाएं, कुल शहरी सहकारी बैंकों की शाखाओं का 80 प्रतिशत थीं जिनमें से महाराष्ट्र और गोवा में ही कुल शहरी सहकारी बैंकों की शाखाओं का 60.5 प्रतिशत शाखाएं थीं (सारणी IV.6)।

4.37 शहरी सहकारी बैंकों की 6990 शाखाओं में से 923 केवल एक ही यूनिट वाले बैंक थे अर्थात् ये ऐसे बैंक थे जो प्रधान कार्यालय और शाखा के रूप में एक साथ काम कर रहे थे। गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में यूनिट बैंकों की संख्या सबसे अधिक थी। सारणी (IV.7)।

4.38 मुंबई, अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई और नागपुर (5 केन्द्रों) पर काम कर रहे शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी और आरक्षित निधियां सभी शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी और आरक्षित निधियों का 74 प्रतिशत और जमाराशियां, अग्रिम और मांग और मीयादी देयताएं, सभी शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और निवेशों का 80 प्रतिशत थे। उनके ऋण जमा अनुपात में भी भारी अंतर पाये गये थे। हैदराबाद

सारणी IV.6: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण
(मार्च 2005 के अंत की स्थिति)

सं. क्र.	राज्य	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या*	विस्तार काउंटर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	127	317	10
2.	असम/मणिपुर/मेघालय/सिक्किम/नागालैंड/त्रिपुरा/अरुणाचल प्रदेश	18	29	-
3.	बिहार/झारखंड	5	7	1
4.	गुजरात	308	580	3
5.	जम्मू और कश्मीर	4	16	4
6.	कर्नाटक	296	729	21
7.	केरल	60	325	-
8.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	77	45	4
9.	महाराष्ट्र और गोवा	633	4,243	23
10.	नई दिल्ली	15	60	2
11.	उड़ीसा	12	46	4
12.	पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश	17	26	3
13.	राजस्थान	39	142	7
14.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	133	180	2
15.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	77	190	14
16.	पश्चिम बंगाल	51	55	-
जोड़		1,872	6,990	98

- : कुछ नहीं / नगण्य
* : प्रधान कार्यालय और शाखाओं को मिलाकर।

सारणी IV.7: यूनिट बैंकों का केन्द्रवार वितरण
(मार्च 2005 के अंत की स्थिति)

क्रमांक	केन्द्र	यूनिट बैंक
1	2	3
1.	अहमदाबाद	157
2.	बंगलूर	153
3.	भोपाल	58
4.	भुवनेश्वर	4
5.	चंडीगढ़	10
6.	चेन्नै	63
7.	गुवाहाटी	15
8.	हैदराबाद	99
9.	जयपुर	19
10.	जम्मू	1
11.	कोलकाता	31
12.	लखनऊ	53
13.	मुम्बई	142
14.	नागपुर	98
15.	नई दिल्ली	-
16.	पटना	3
17.	तिरुवनंतपुरम	17
योग		923


- : कुछ नहीं / नगण्य

दिल्ली एक मात्र ऐसा केन्द्र था जहां ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत से कम था। अन्य केन्द्रों का ऋण जमा अनुपात 51.1 प्रतिशत और 73.8 प्रतिशत के बीच था। (सारणी IV.8)।

का ऋण जमा अनुपात सबसे अधिक (78.7 प्रतिशत) था, जबकि नई दिल्ली का ऋण जमा अनुपात सबसे कम (36.0 प्रतिशत) था। नई

4.39 मार्च 2005 के अंत में 55 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से महाराष्ट्र में 39, गुजरात में 9, आंध्र प्रदेश में 3, गोवा में 2 और कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में एक-एक बैंक था।

चार्ट IV.3: शहरी सहकारी बैंकों का आकारवार वितरण



3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

4.40 ग्रामीण ऋण सहकारी व्यवस्था ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में ऋण वितरण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम किया है। दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के अलग ढांचे के कारण ये संस्थाएं ग्रामीण ऋण वितरण के मामले में विशिष्ट संस्थाओं के रूप में विकसित हो पायी हैं। इसके साथ ही उनके संघीय ढांचे के कारण निम्नतर ढांचे के लिए मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण वित्तपोषण के मामले में सहायक ढांचा तैयार करने में मदद मिली है। इन संस्थाओं की पहुंच देश के व्यापक क्षेत्र में है तथा मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार 1,05,735 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां काम कर रही थीं जो ग्रामीण सहकारी बैंकिंग ढांचे के लिए मूलभूत संगठन की भूमिका अदा कर रही हैं।

4.41 तथापि, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं कई तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं जिनमें निम्न संसाधन आधार, वित्तपोषण करनेवाली एजेंसियों पर ज्यादा निर्भरता, विविधीकरण की कमी, अधिक संचित घाटे, अनवरत

सारणी IV.8: अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक
(मार्च 2005 के अंत की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

केंद्र	शेयर पूंजी	निर्बंध आरक्षित	निधियां	जमा	अग्रिम निवेश	ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	325	1,021	9,503	5,468	10,495	57.5
बंगलूर	333	691	7,555	4,792	7,997	63.4
भोपाल	46	55	1,022	581	1,084	56.8
भुवनेश्वर	23	29	609	390	628	64.1
चंडीगढ़	26	45	594	346	575	58.3
चेन्नै	151	109	3,022	2,101	3,259	69.5
गुवाहाटी	10	11	307	157	320	51.1
हैदराबाद	126	208	2,131	1,677	2,646	78.7
जयपुर	66	80	1,243	705	1,296	56.8
जम्मू	4	6	183	108	186	59.0
कोलकाता	107	119	1,741	981	1,892	56.3
लखनऊ	111	124	1,697	1,132	2,060	66.7
मुम्बई	794	597	25,583	17,473	28,891	68.3
नागपुर	201	157	5,376	3,969	6,130	73.8
नई दिल्ली	37	94	847	305	874	36.0
पटना	3	6	32	17	26	53.1
तिरुवनंतपुरम	76	104	2,626	1,611	2,633	61.3
योग	2,439	3,456	64,071	41,813	70,992	65.3
<i>ज्ञापन मद:</i>						
कुल में अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नै, मुम्बई और नागपुर का हिस्सा	74.0	74.5	79.7	80.8	80.0	

अनर्जक आस्तियां, निम्न वसूली स्तर और अन्य कई तरह की संगठनात्मक कमजोरियां शामिल हैं। कई संस्थाएं 2003-04 के दौरान घाटे में रही। 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार इनके कुल घाटे 8,746 करोड़ रुपये थे। इसके अलावा, 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार 31 राज्य सरकारी बैंकों में से 6 और 365 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 136 ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (जैसाकि सहकारी समितियों पर लागू है) कि न्यूनतम पूंजी संबंधी अपेक्षा से संबंधित धारा 11(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। न्यूनतम पूंजी संबंधी अपेक्षा का अनुपालन, एक राज्य सहकारी बैंक और 32 मध्यवर्ती सहकारी बैंक दस वर्षों से अधिक समय से, 4 राज्य सहकारी बैंक और 77 मध्यवर्ती सहकारी बैंक 5 से 10 वर्षों से तथा 1 राज्य सहकारी बैंक और 17 मध्यवर्ती सहकारी बैंक 3 से 5 वर्षों से, नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण सहकारी बैंक, 'अपनी जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने की क्षमता' और 'कामकाज इस रूप में संचालित करना ताकि वह जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल न हो' के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्य अनेक प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाये। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कमजोर संस्थाओं के पुनरुज्जीवन और वित्तीय क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण खण्ड के व्यवस्थित विकास के लिए, भारत सरकार से परामर्श करके, कई पर्यवेक्षी और विकासात्मक उपाय करते रहे हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंकों का विनियमन

राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग

4.42 2004-05 के दौरान कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया। लाइसेंसशुदा कुल राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या, मार्च 2005 के अंत में क्रमशः 13 और 73 थी। 2004-05 में 6 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को इस आशय के कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे कि लाइसेंस संबंधी उनके आवेदन पत्र क्यों न अस्वीकृत कर दिए जाएं। आज की तारीख के अनुसार रिजर्व बैंक ने 9 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह निर्देश दिया कि वे कुछ क्षेत्रों को ऋण और अग्रिम मंजूर न करें तथा / या नई जमाराशियां स्वीकार न करे। वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए, किसी भी सहकारी बैंक को मंजूरी नहीं दी गयी। मार्च 2005 के अंत में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के कुल संख्या 16 थी।

कृषि संबंधी अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

4.43 वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य में जैसा कि बताया गया था, कृषि अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को 12 जुलाई

2004 से संशोधित किया गया ताकि चुकौती की तारीखों को फसलों की कटाई के समय के अनुसार रखा जा सके। तदनुसार, 30 सितंबर 2004 से, अल्प अवधिवाली फसलों के लिए मंजूर किया गया कोई ऋण अनर्जक आस्ति तब माना जाएगा जब मूल ऋण की किस्त या उस पर देय ब्याज, निर्धारित तारीख के बाद 2 फसल मौसमों तक चुकता न किया गया हो। लंबी अवधिवाली फसलों (एक वर्ष से अधिक अवधिवाला फसल मौसम) के लिए मंजूर किया गया कोई ऋण अनर्जक आस्ति तब माना जाएगा जब मूल ऋण की किस्त या उस पर देय ब्याज, निर्धारित तारीख के बाद एक फसल मौसम तक चुकता न किया गया हो।

आस्ति वर्गीकरण - राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

4.44 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिमों के लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों, यथा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू, राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए 20 जनवरी 2005 में जारी किए गए थे जिसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा गारंटी मांगकर राज्य सरकार के गारंटीकृत ऋण और अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं की प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से ऐसे ऋण जोखिमों को वैसा ही समझा जाए जैसे राज्य सरकारों द्वारा गैर-गारंटीकृत ऋण जोखिमों के मामले में प्रक्रिया अपनाई जाती है। तथापि, इस मामले में बैंकों द्वारा सहज कारोबार कर पाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिमों (अर्थात् अग्रिम और निवेश दोनों) के मामले में संशोधित विवेकसम्मत मानदंड का कार्यान्वयन दो स्तरों में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। 31 मार्च 2006 को समाप्त होनेवाले वर्ष से राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और निवेशों को यदि बैंक को देय ब्याज और/अथवा मूलधन अथवा कोई भी राशि लगातार 180 दिनों से अधिक की अवधि तक अतिदेय बनी रहने पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लगाए जाएंगे। दूसरे स्तर में जो 31 मार्च 2007 को समाप्त होनेवाले वर्ष से प्रारंभ होता है, राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त अग्रिम और निवेशों पर बैंक के देय ब्याज और/अथवा कोई भी राशि लगातार 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय बनी रहने पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लगाए जाएंगे।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

4.45 चूंकि किसी आस्ति की वसूली के अवसर/सीमा समयावधि में कटौती करनी है। अतः बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे एनपीए की शीघ्र वसूली कर लें। अतः सभी बैंकों द्वारा नियंत्रण नीतियों में अभिमुख

होने के कारण 'तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत सभी अग्रिमों को अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए 1 अप्रैल 2007 से चरणबद्ध तरीके से इनका कार्यान्वयन करने के लिए दिशानिर्देश 1 मार्च 2005 में जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, अग्रिम के बेजमानती अंश के लिए, जिसे मूर्त ऋणाधार के नकदीकरण मूल्य में शामिल नहीं किया है, जिसे बैंक ने आधार के रूप में मान्य किया हो, जिसका वास्तविक आधार पर नकदीकरण मूल्य अनुमानित हो, के लिए अब तक की तरह 100 प्रतिशत तक के प्रावधान किए जाएंगे। दूसरी ओर, जमानती अंश को दो श्रेणियों में विभाजित करना पड़ेगा। 31 मार्च 2007 को 'तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियों के बकाया स्टॉक को 31 मार्च 2010 तक 100 प्रतिशत तक का प्रावधान चरणबद्ध तरीके से प्रदान करने की आवश्यकता होगी और 100 प्रतिशत के प्रावधानीकरण की 1 अप्रैल 2007 तक अथवा उसके बाद के 'तीन वर्षों से अधिक की अवधि तक संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ेगी।

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान संबंधी कार्यदल

4.46 ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए कार्य योजना का प्रस्ताव करने और इन संस्थाओं के लिए समुचित विनियामक रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : प्रो. ए. वैद्यनाथन) का गठन किया। इस कार्यदल ने 15 फरवरी 2005 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जिसमें देश में ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं (बॉक्स IV.5)। सरकार ने सिद्धांततः कार्यदल की सिफारिशों को स्वीकार लिया तथा राज्य सरकार के साथ परामर्शी बैठक का आयोजन किया।

4.47 दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना को मजबूत बनाने की तुरंत आवश्यकता के संदर्भ में भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष : प्रो. ए. वैद्यनाथन) को जिसने पहले अल्पावधि संरचना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के अध्ययन का कार्य भी सौंपा।

ग्रामीण सहकारी संरचना का पयवेक्षण

4.48 बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(6) के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसार नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है। इसके अलावा, नाबार्ड राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों और राज्य सहकारी बाजार महासंघों का स्वैच्छिक निरीक्षण भी करता है। नाबार्ड द्वारा 2005-06 से सांविधिक / स्वैच्छिक निरीक्षणों की बारंबारता

बॉक्स IV.5: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान संबंधी कार्य दल

कार्यदल की प्रमुख सिफारिशों निम्नानुसार हैं :

- सहकारी ऋण संरचना (सीसीएस) में संचालन प्रबंधकीय और वित्तीय क्षेत्रों में खामियां हैं और इसलिए इसका पुनरुत्थान एवं पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।
- वित्तीय पुनर्संरचना राज्य सरकार द्वारा विधिक और संस्थागत सुधारों की वचनबद्धता और कार्यान्वयन के सापेक्ष होनी चाहिए।
- वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाए : (i) कुल हानियों से उबरने के लिए, (ii) राज्य सरकार द्वारा दी गई अप्रदत्त गारंटी की जमानत को पूरा करने के लिए, (iii) विशिष्ट न्यूनतम स्तर तक पूंजी बढ़ाने के लिए, (iv) सरकारी शेयर पूंजी विमोचन, और (v) तकनीकी सहायता।
- भारत सरकार से वित्त की उपलब्धता पूर्णतः सहकारी क्षेत्र में विधिक और संस्थागत सुधार के अनुरूप की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहकारी समितियों वास्तव में जनतान्त्रिक और सदस्यों से बनी हों। इन सुधारों में निम्नलिखित शामिल हों, (i) जमाकर्ताओं सहित वित्तीय सेवाओं के सभी उपयोक्तारों संबंधी पूर्णतः चयन सदस्यता अधिकार सुनिश्चित करना ; (ii) सहकारी समितियों में प्रशासनिक और वित्तीय मामले में राज्य-हस्तक्षेप/मध्यस्थता को हटाना; (iii) सरकारी इक्विटी और सहकारी समिति बोर्ड में सहभागिता को समाप्त करने का प्रावधान; (iv) वित्तीय मामले पर प्रतिबंधी आदेश निकालना; (v) सहकारी समितियों को उच्च स्तरीय संस्थाओं से ही नहीं बल्कि किसी भी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए स्वतंत्रता और इसी प्रकार अपनी इच्छानुसार किसी भी वित्तीय संस्था में जमाराशियां रखने की अनुमति देना; (vi) वर्तमान सहकारी समिति अधिनियमों और इसके विपरीत, इसके अधीन उच्चस्तरीय संस्थाओं में सदस्य बनने के लिए समानांतर अधिनियमों के तहत सहकारी समितियों को अनुमति देना ; (vii) बोर्ड स्थगन करने संबंधी राज्य सरकारों के अधिकारों को सीमित करना; (viii) विद्यमान बोर्डों की समयावधि समाप्त के पहले समय पर चुनाव सुनिश्चित करना; (ix) सहकारी बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक के लिए सभी विनियामक शक्तियां / अधिकार प्रदान करना; और (x) पीएसएस और सभी वित्तीय सहकारी समितियों के लिए सीआरएआर सहित विवेकसम्मत मानदंड लाना।
- कार्यदल ने दोहरा नियंत्रण हटाने और सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक विनियामक नियंत्रण में लाने के समर्थन में बैंककारी विनियम अधिनियम के प्रावधानों में कुछ प्रमुख आशोधनों की सिफारिश की है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं ; जहां तक विनियामक मानदंड का संबंध है, सभी सहकारी बैंकों के मामले में वाणिज्यिक बैंकों के समान रखा जाएगा; (ii) सहकारी बैंकों के बोर्ड का चुनाव करने के लिए 'योग्य और उचित' मानदंड का निर्धारण रिजर्व बैंक करेगा ; (iii) रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के बोर्डों पर प्रोपेन्सनल के लिए कुछेक मानदंड निर्धारित करेगा। (iv) सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित बैंकों द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाएंगे, और (v) रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों से स्तर अनुमोदित की गई सहकारी संस्थाएं गैर-वोटिंग सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी सहकारी संस्थाएं अपने पंजीकृत नाम में 'बैंक', 'बैंकिंग', 'बैंकर' जैसे शब्दों का या 'बैंक' शब्द से उत्पन्न किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगी।
- कुल वित्तीय सहायता का अनुमान लगभग 14,839 करोड़ रुपए लगाया गया है। तथापि, कार्य दल ने वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए विशेष लेखापरीक्षा की सिफारिश की है। वित्तीय सहायता का बोझ लचीली मात्रा के अंदर हानियों की उत्पत्ति के आधार पर भारत सरकार, राज्य सरकारों और सीसीएस द्वारा उठाया जाएगा।
- भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यक्रम का समन्वय और प्रगति की निगरानी करने के लिए नाबार्ड को नोडल इम्प्लीमेंटिंग एण्ड पास थ्रू एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। नाबार्ड प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसएस) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए आदर्श सहमति ज्ञापन (एमओयू) और आदर्श तुलनपत्र प्रोफार्मा तैयार करेगा।
- राज्य सरकारों के लिए इस योजना को दो वर्षों के लिए खुला रखा जाए ताकि वे अपनी सहभागिता के बारे में निर्णय ले सकें।
- इस योजना को राष्ट्रीय मार्गदर्शन और निगरानी समिति, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति एवं जिला स्तरीय प्लानिंग और कार्यान्वयन समितियों के मार्फत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर परिचालित किया जाए।

को बढ़ाया जा रहा है। तदनुसार, सभी राज्य सहकारी बैंकों और उन मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सांविधिक निरीक्षण जो क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत यथापेक्षित न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के स्वैच्छिक निरीक्षण वार्षिक आधार पर किए जाएंगे। धनात्मक मालियत वाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांविधिक निरीक्षण एवं शीर्ष सहकारी सोसायटियों/महासंघों के स्वैच्छिक निरीक्षण दो वर्षों में एक बार किया जाना जारी रहेगा। वार्षिक निरीक्षण लागू कर देने के कारण त्वरित निरीक्षणों का आयोजन बंद कर दिया गया है। वर्ष के दौरान 326 बैंकों (12 राज्य सहकारी बैंक, 181 मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के निरीक्षण एवं 11 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों एवं चार शीर्ष संस्थाओं के स्वैच्छिक निरीक्षण किए गए।

4.49 राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा 1999 में गठित पर्यवेक्षण बोर्ड (बीओएस) की वर्ष 2004-05 के दौरान चार बैठकें हुईं। बोर्ड ने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें : (i) दिवालिया राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की समीक्षा, (ii) सहकारी ऋण संस्थाओं की कार्यपद्धति की राज्यवार समीक्षा, (iii) अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली (ओएसएस) की समीक्षा, (iv) धोखाधड़ियों, दुर्विनियोजन, गबनों और राशि हड़पने की समीक्षा, (v) कृषि और सहबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: प्रो. वी.एस. व्यास) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, (vi) निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सहकारी बैंकों और राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यपद्धति की समीक्षा, (vii) निरीक्षण के निष्कर्षों पर अनुपालन रिपोर्टों को प्राप्त करने की क्रियाविधि और अनुवर्ती कार्रवाई, (viii) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणाली, (ix) 25 प्रतिशत या उससे अधिक जमाराशि

सारणी IV.9: पर्यवेक्षणाधीन ग्रामीण सहकारी बैंकों के चयनित बोर्ड
(31 मार्च 2004 की स्थिति)

विवरण	एसटीसीबी	सीसीबी*	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	कुल
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओं की कुल संख्या	31	365	20	768	1,184
(ii) संस्थाओं की संख्या जहाँ बोर्ड पर्यवेक्षणाधीन हैं	12	186	11	416	625
पर्यवेक्षणाधीन बोर्डों का प्रतिशत [(ii) के प्रतिशत के रूप में (i)]	38.7	51.0	55.0	54.2	52.8

* : सूचनादाता बैंकों के संबंध में ही।
स्रोत : नाबार्ड

क्षरण वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, और (x) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए आशोधित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना शामिल है।

4.50 बोर्ड ने (i) कई सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में अवनति (ii) कई बैंकों द्वारा न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में बी.आर.एक्ट, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 11(1) के उपबंधों का पालन न किये जाने (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए दंडात्मक प्रावधान उपबंधों के अभाव पर चिंता व्यक्त की। राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षी और विनियामक कार्रवाइयां शुरू करने के लिए कतिपय मात्रात्मक मानदंडों पर आधारित सतर्कता के मुद्दे को जिसे पर्यवेक्षण बोर्ड ने अनुमोदित किया था, नाबार्ड के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए और राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया।

सहकारी बैंकों का प्रबंध

4.51 यद्यपि नाबार्ड सहकारी बैंकों की प्रबंध व्यवस्था विधिवत चुने गए प्रबंधन बोर्डों द्वारा किए जाने की आवश्यकता की वकालत करता रहा है तथापि, प्रबंधन के चुने गए बोर्डों को बर्खास्त करने की असाधारण घटनाएं अब भी जारी हैं। 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार लगभग सभी श्रेणी के सहकारी बैंकों में कई संस्थाओं के बोर्ड बर्खास्तगी के अंतर्गत थे (सारणी IV.9)।

राज्य सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों के परिचालन

4.52 राज्य सहकारी बैंकों की आस्तियां/देयताएं पिछले वर्ष की तुलना में 2003-04 के दौरान तेजी से बढ़ी। वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की जमा राशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसी अधिकांश जमा राशि का विनियोजन निवेश में किया गया; यह प्रवृत्ति अन्य वित्तीय संस्थाओं के संबंध में भी देखी गई थी। अनेक वित्तीय संस्थाओं ने घटते हुए ब्याज दर परिवेश में पूंजी लाभ प्राप्ति के

लिए अपना निवेश बढ़ाया। तथापि, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए उधार और अग्रिमों में पिछले वर्ष की निम्न वृद्धि से और भी गिरावट आई (सारणी IV.10)।

सारणी IV.10: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपयों में)

मद	समाप्त मार्च की स्थिति		प्रतिशत में भिन्नता	
	2003	2004	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	897 (1.4)	951 (1.4)	0.8	6.0
2. रिजर्व	7,081 (11.3)	7,569 (11.2)	16.4	6.9
3. जमा राशियां	39,386 (63.1)	43,486 (64.1)	6.0	10.4
4. उधार	12,209 (19.6)	12,457 (18.4)	1.4	2.0
5. अन्य देयताएं	2,853 (4.6)	3,375 (4.9)	6.2	18.3
कुल देयताएं/आस्तियां	62,426 (100.0)	67,838 (100.0)	4.9	8.7
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	3,485 (5.6)	5,066 (7.5)	3.6	45.4
2. निवेश	19,627 (31.4)	23,111 (34.1)	10.2	17.8
3. ऋण और अग्रिम	34,761 (55.7)	35,105 (51.8)	2.9	1.0
4. अन्य आस्तियां	4,553 (7.3)	4,556 (6.6)	0.2	0.1
नोट	: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं। 2. रिजर्व में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जो कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।			
स्रोत	: नाबार्ड			

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.53 राज्य सहकारी बैंकों की ब्याज आय 2003-04 के दौरान 267 करोड़ रुपये कम रही। यह तथापि, एक ओर जहाँ अन्य आय में तीव्र वृद्धि के कारण से अधिक थी वहीं दूसरी ओर परिचालनगत खर्चों में कमी आई। इसके फलस्वरूप, वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के परिचालनगत लाभ में थोड़ी वृद्धि हुई। तथापि, प्रावधानों और आकस्मिक खर्चों के कारण निवल लाभ में 20.6 प्रतिशत से 3.73 करोड़ रुपये (सारणी IV.11) की कमी आई। इन लाभों के एक भाग को पिछले वर्षों की हानियों को पूरा करने के लिए विनियोजित किया गया जिससे पिछले वर्ष के अंत की 343 करोड़ रुपये की संचयित हानि मार्च 2004 के अंत में घटकर 260 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष के दौरान 31 में से 27 राज्य सहकारी बैंकों ने लाभ कमाया जबकि चार घाटे में रहे (एक राज्य सहकारी बैंक की जानकारी उपलब्ध नहीं है)। वर्ष 2003-04 के दौरान 20 राज्य सहकारी बैंकों ने उच्च लाभ कमाया, जबकि 7 बैंकों ने कम लाभ कमाया। घाटे में चल रहे तीन बैंकों की

सारणी IV.11: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपयों में)

मद	2002-03		2003-04	
	2002-03	2003-04	प्रतिशत में भिन्नता	2002-03 2003-04
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	6,197	6,046	3.9	-2.4
	(100.0)	(100.0)		
i) ब्याज आय	5,581	5,314	-1.5	-4.8
	(90.1)	(87.9)		
ii) अन्य आय	616	732	104.3	18.8
	(9.9)	(12.1)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	5,727	5,673	-0.9	-0.9
	(100.0)	(100.0)		
i) खर्च की गई ब्याज	4,233	3,998	-1.7	-5.6
	(73.9)	(70.5)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक खर्च	1,003	1,204	-4.2	20.0
	(17.5)	(21.2)		
iii) परिचालन खर्च	491	471	16.1	-4.1
	(8.6)	(8.3)		
उनमें से :				
वेतन बिल	311	317	0.7	1.9
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	1,473	1,577	19.4	7.1
ii) निवल लाभ	470	373	156.5	-20.6
घ. कुल आस्तियां	62,426	67,838	4.9	8.7
नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।				
स्रोत : नाबार्ड				

हानियों में कमी आई जबकि एक राज्य सहकारी बैंक के घाटे में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

मध्यवर्ती सहकारी बैंक

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कार्य

4.54 वर्ष 2003-04 के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों/ देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में, जमाराशियों और आंतरिक उत्पादन की कमी के कारण निम्न दर से विस्तार हुआ। इस कमी का प्रभाव मुख्यतः ऋणों और अग्रिमों के मामलों में महसूस किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में काफी निम्न दर से वृद्धि हुई। तथापि, निवेशों में तीव्र वृद्धि हुई और यह प्रवृत्ति अन्य मध्यस्थ संस्थाओं के संबंध में भी देखी गई। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताओं और आस्तियों का ढांचा मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा (सारणी IV.12)।

सारणी IV.12: मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपयों में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में भिन्नता	
	2003	2004	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	3,655	3,897	6.7	6.6
	(3.1)	(3.1)		
2. रिजर्व	13,181	15,234	22.0	15.6
	(11.2)	(12.1)		
3. जमाराशियां	73,919	79,153	8.4	7.1
	(62.9)	(63.0)		
4. उधार	19,639	20,256	4.4	3.1
	(16.7)	(16.1)		
5. अन्य देयताएं	7,112	7,145	10.2	0.5
	(6.1)	(5.7)		
कुल देयताएं / आस्तियां	1,17,506	1,25,685	9.1	7.0
	(100.0)	(100.0)		
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	7,311	7,689	8.5	5.2
	(6.2)	(6.1)		
2. निवेश	31,114	35,180	5.7	13.1
	(26.5)	(28.0)		
3. ऋण और अग्रिम	64,214	67,152	8.3	4.6
	(54.7)	(53.4)		
6. अन्य आस्तियां	14,867	15,664	21.8	5.4
	(12.6)	(12.5)		
नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।				
2. रिजर्व में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जो कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।				
स्रोत : नाबार्ड				

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.55 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ब्याज आय में वर्ष 2003-04 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी गिरावट आई जिसका कारण ब्याज की मात्रा और दर-दोनों में कमी आना था। तथापि, निवल ब्याज आय पिछले वर्ष से 226 करोड़ रुपये ज्यादा थी। परिचालन 'अन्य' आय में हुई वृद्धि कमोबेश रूप में खर्चों में हुई वृद्धि के चलते समायोजित हो गई। प्रावधानों और आकस्मिक खर्चों में भी कमी आई। इसके फलस्वरूप, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने पिछले वर्ष की निवल हानियों के विपरीत वर्ष 2003-04 में कुल मिलाकर निवल लाभ कमाया (सारणी IV.13)। वर्ष 2003-04 के दौरान 365 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 261 बैंकों ने 864 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जबकि 102 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की हानि 756 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2003-04 के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों में लाभ

सारणी IV.13: मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपयों में)

मद	2002-03	2003-04	प्रतिशत में भिन्नता	
			2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	12,086	11,912	5.3	-1.4
	(100.0)	(100.0)		
i) ब्याज आय	11,291	11,024	3.7	-2.4
	(93.4)	(92.5)		
ii) अन्य आय	795	888	31.8	11.7
	(6.6)	(7.5)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	12,354	11,804	7.0	-4.5
	(100.0)	(100.0)		
i) खर्च की गई ब्याज	7,812	7,319	1.8	-6.3
	(63.2)	(62.0)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक खर्च	2,571	2,414	24.4	-6.1
	(20.8)	(20.5)		
iii) परिचालन खर्च	1,971	2,071	9.1	5.1
	(16.0)	(17.5)		
उनमें से :				
वेतन बिल	1,467	1,526	4.6	4.0
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	2,303	2,522	15.0	9.5
ii) निवल लाभ	-268	108	588.2	-140.3
घ. कुल आस्तियां	1,17,506	1,25,685	9.1	7.0
नोट	: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।			
स्रोत	: नाबार्ड			

कमानेवाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में और उनके द्वारा अर्जित लाभ की मात्रा में वृद्धि हुई। झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में घाटेवाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में और उनके हुए घाटे की मात्रा में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी IV.7)। कुल मिलाकर, एक समूह के रूप में मार्च 2004 के अंत में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का कुल संचयित घाटा 5,126 करोड़ रुपये था।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

4.56 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां सहकारी ऋण प्रणाली की आधारशिला है जिस पर अल्पावधि सहकारी ऋण प्रणाली का ऊपरी ढाँचा टिका है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ही किसानों से सीधा संपर्क करती हैं, उन्हें अल्पावधि और मध्यावधि ऋण देती हैं, कृषि निविष्टियां मुहय्या कराती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं वितरित करती हैं और सहकारी बाजार समितियों के माध्यम से अपने सदस्यों के उत्पादनों को बेचने की व्यवस्था करती हैं।

4.57 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कुल संख्या पिछले वर्ष की 1,12,309 से घट कर मार्च 2004 के अंत में 1,05,735 हो गई। तथापि, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सदस्य संख्या 9.6 प्रतिशत बढ़कर 135 मिलियन हो गई। उधार लेने वाले सदस्यों की संख्या 51 मिलियन थी जो पिछले वर्ष के 51.7 प्रतिशत की तुलना में कुल सदस्यों का 37.9 प्रतिशत रही (सारणी IV.14)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य

4.58 संसाधनों का संग्रहण प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की दुर्बलता का प्रमुख क्षेत्र बना रहा। वर्तमान में, अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

सारणी IV.14: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां-सदस्यता

(संख्या मिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		
	2002	2003	2004
1	2	3	4
1. समितियों की संख्या	0.098	0.112	0.106
2. कुल सदस्यता	102.14	123.55	135.41
उनमें से :			
क) अनु. जाति	13.73	33.18	30.61
ख) अनु. जनजाति	10.06	12.02	11.89
3. उधारकर्ताओं की कुल संख्या	55.55	63.88	51.27
उनमें से :			
क) अनु. जाति	7.36	11.50	6.49
ख) अनु. जनजाति	4.10	8.07	3.44
4. कुल कर्मचारियों की संख्या	0.206	0.261	0.347
स्रोत:	नेफस्कोब		

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा दिए जा रहे वित्त पर पूरी तरह निर्भर हैं। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से जुड़ी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्त का संकट झेलना पड़ा जिसकी वजह से उन्हें अपने ऋण और गैर-ऋण कारोबार को सीमित करना पड़ा। वर्ष 2003-04 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा लिए गए उधारों में जबकि तीव्र वृद्धि हुई, वहीं उनकी जमा राशियों में भारी गिरावट आई। प्राथमिक वृद्धि ऋण समितियों की आरक्षित निधि में जो कमी हुई थी, उनकी चुकता पूँजी में हुई वृद्धि उससे भी अधिक थी। कुल मिलाकर, वर्ष 2003-04 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संसाधनों में पिछले वर्ष की तुलना में निम्न दर से विस्तार हुआ। आस्तियों की तरफ, अल्पावधि ऋणों में हुई वृद्धि मध्यावधि ऋणों में आई गिरावट के कारण अंशतः समायोजित हो गई। उसके फलस्वरूप, प्रतिशतता के हिसाब से, ऋण संविभाग में हुई सकल वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में निम्नतर गति से हुई।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्तीय कार्यानिष्पादन

4.59 वर्ष 2002-03 के दौरान 83,349 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने 404 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जबकि 53,626 प्राथमिक

कृषि ऋण समितियों को 1,862 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस प्रकार, एक समूह के रूप में, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को 1,458 रुपये का निवल घाटा हुआ। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बड़ी मात्रा में अतिदेय राशि बकाया हो गई है। यद्यपि, वर्ष 2003-04 में कुल मांग के प्रतिशत के रूप में अतिदेय राशि में गिरावट आई फिर भी, मार्च 2004 के अंत में ये 36.8 के उच्च प्रतिशत पर बनी रहीं (सारणी IV.15)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों - क्षेत्रीय कार्य

4.60 देश की कुल प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में से 28 प्रतिशत महाराष्ट्र और गुजरात में हैं, इसमें भी अकेले महाराष्ट्र में ये लगभग 20 प्रतिशत हैं। दूसरी ओर, देश की कुल प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में से पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां मात्र 3 प्रतिशत थीं। मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) जिसकी आबादी एक चौथाई है और ग्रामीण बहुल है, में कुल प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कुल प्राथमिक कृषि ऋण-समितियों का 15 प्रतिशत थीं। कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संकेन्द्रण के बावजूद, देश के लगभग 97 प्रतिशत गांव प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की

सारणी IV.15: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों - चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत में			प्रतिशत में विभिन्नता	
	2002	2003	2004	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
क. देयताएं					
1. कुल संसाधन (2+3+4)	51,176	57,596	60,797	12.5	5.6
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	6,855	8,198	8,397	19.6	2.4
क. प्रदत्त पूँजी	4,390	4,953	5,166	12.8	4.3
उसमें से:					
सरकार का अंशदान	504	619	630	22.8	1.8
ख. कुल रिजर्व	2,466	3,245	3,231	31.6	-0.4
3. जमा राशियां	14,846	19,120	18,143	28.8	-5.1
4. लिए गए उधार	29,475	30,278	34,257	2.7	13.1
5. कार्यशील पूँजी	51,905	61,142	62,047	17.8	1.5
ख. आस्तियां					
1. कुल जारी ऋण (क+ख)*	30,770	33,996	35,119	10.5	3.3
क) अल्पावधि	25,051	27,200	29,326	8.6	7.8
ख) मध्यावधि	5,719	6,796	5,793	18.8	-14.8
2. कुल बकाया ऋण (क+ख)	40,779	42,411	43,873	4.0	3.4
क) अल्पावधि ऋण	27,666	29,107	30,808	5.2	5.8
ख) मध्यावधि ऋण	13,113	13,305	13,065	1.5	-1.8
ग. अतिदेय राशि					
1. कुल मांग	34,077	40,341	44,237	18.4	9.7
2. कुल वसूली	23,010	25,051	27,942	8.9	11.5
3. कुल शेष (अतिदेय) (क+ख)	11,067	15,289	16,295	38.1	6.6
क) अल्पावधि	8,172	11,570	12,279	41.6	6.1
ख) मध्यावधि	2,895	3,720	3,918	28.5	5.3
4. मांग में अतिदेय का प्रतिशत	32.5	38.2	36.8		

* : वर्ष के दौरान.

स्रोत : नेफस्कोब

सेवा पा रहे हैं। मार्च 2004 के अंत में समूचे देश में औसतन एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति आठ गांवों को सेवा प्रदान करती थी। राज्यों के अंदर, इसकी व्याप्ति केरल और नागालैंड में 1 गांव से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 118 गांवों तक थी। मार्च 2004 के अंत में केरल और नागालैंड में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या जो क्रमशः 1,953 और 1,719 थी, इन्हीं राज्यों के क्रमशः 1639 और 969 गांवों से अधिक थी (सारणी IV.16)।

4.61 केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्य में कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को छोड़कर अधिकांश प्रा. कृ. ऋ. स. द्वारा किया गया जमा संग्रहण बहुत कम था। 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार केरल और तमिलनाडु में स्थित प्रा. कृ. ऋण समितियों द्वारा संग्रहीत जमा राशि क्रमशः 8,352 करोड़ रुपये और 2,761 करोड़ रुपये थी जो देश की सभी प्रा कृ ऋण समितियों द्वारा संग्रहीत कुल जमा राशियों का 61 प्रतिशत थी। उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में कार्यरत प्राथमिक कृषि

सारणी IV.16: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा गांवों की व्याप्ति (मार्च 2004 के अंत में)

क्र. सं.	राज्य	गांवों की संख्या	प्रा.क. ऋण सं. की संख्या	प्रा कृ ऋ स.की तुलना में गांवों का अनुपात
1	2	3	4	5
1.	अंदमान और निकोबार	204	45	5
2.	आंध्र प्रदेश	27,647	4,103	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,649	31	118
4.	असम	24,590	809	30
5.	बिहार	77,694	5,936	13
6.	छत्तीसगढ़	30,640	1,464	21
7.	गुजरात	24,483	8,482	3
8.	हरियाणा	7,077	2,423	3
9.	हिमाचल प्रदेश	20,118	2,091	10
10.	जम्मू-कश्मीर	3,891	425	9
11.	झारखंड	3,611	208	17
12.	कर्नाटक	25,079	3,863	6
13.	केरल	1,639	1,953	1
14.	मध्य प्रदेश	57,546	4,568	13
15.	महाराष्ट्र	60,409	20,866	3
16.	मेघालय	5,629	179	31
17.	मिजोरम	710	165	4
18.	नागालैंड	969	1,719	1
19.	उड़ीसा	45,811	3,845	12
20.	पांडिचेरी	264	52	5
21.	पंजाब	12,428	3,996	3
22.	राजस्थान	41,786	5,236	8
23.	तमिलनाडु	20,189	4,533	4
24.	त्रिपुरा	962	270	4
25.	उत्तर प्रदेश	1,12,804	8,929	13
26.	उत्तरांचल	5,900	446	13
27.	पश्चिम बंगाल	1,84,335	18,788	10
	संपूर्ण भारत	8,00,473	1,05,735	8

स्रोत: नाबार्ड

सारणी IV.17: प्रमुख राज्यों में प्रति प्राथमिक कृषि ऋण समिति औसत जमा राशियां

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	मार्चांत		
		2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	17	18
2.	गुजरात	1	1	1
3.	हरियाणा	6	8	9
4.	कर्नाटक	14	26	20
5.	केरल	324	365	428
6.	मध्य प्रदेश	5	8	8
7.	महाराष्ट्र	1	5	1
8.	उड़ीसा	55	56	59
9.	पंजाब	9	11	13
10.	राजस्थान	2	2	2
11.	तमिलनाडु	73	72	61
12.	त्रिपुरा	-	-	-
13.	उत्तरांचल	7	7	7
	संपूर्ण भारत	15	17	17

- : कुछ नहीं / नगण्य
स्रोत: नेफस्कोब

ऋण समितियों ने भी काफी मात्रा जमा राशियां संग्रहीत की। प्रति प्रा कृ ऋ स जमा राशियों का औसत मात्रा केरल में सबसे अधिक थी। उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक का स्थान था (सारणी IV.17)।

4.62 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ऋण देने की क्षमता का स्तर सभी राज्यों में अलग-अलग था। अधिकांश राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कुल सदस्यों की तुलना में उधार लेने वाले सदस्यों का प्रतिशत कम था, जिसका मतलब यह हुआ कि ये संस्थाएँ मुख्यतः सदस्यों से जमा राशियां जुटाने पर ध्यान केन्द्रित करती थीं, या सदस्य बहुत कम ऋण लेते थे (सारणी IV.18) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वसूली-कार्य की स्थिति खराब होती गई। कुछ राज्यों में अतिदेय राशियों के उच्च स्तर

सारणी 18: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कुल सदस्यों की तुलना में उधार लेने वाले सदस्यों का प्रतिशत

(प्रतिशत)

क्र. सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	24	22	11
2.	असम	4	3	3
3.	बिहार	1	1	2
4.	हिमाचल प्रदेश	11	11	11
6.	जम्मू और कश्मीर	4	4	1
7.	कर्नाटक	34	17	21
8.	महाराष्ट्र	31	32	31
9.	मेघालय	1	17	19
10.	राजस्थान	35	34	33
11.	त्रिपुरा	1	1	-
12.	प. बंगाल	26	29	29

- : कुछ नहीं / नगण्य
स्रोत: नेफस्कोब

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

ने नए ऋण लेने के लिए बड़ी संख्या में सदस्यों की पात्रता को काफी हद तक कम कर दिया जिससे उधार लेने वालों की संख्या में कमी आई।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सामने आई चुनौतियां

4.63 अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी में कुछ कमजोरियाँ आ गई हैं। उनमें से अधिकांश आकार में इतनी छोटी हैं कि वे अर्थक्षम और व्यवहार्य नहीं हो सकतीं। इसके अलावा, उनमें से कई निष्क्रिय भी हैं। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार, 1,12,309 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में से 69,725 (62 प्रतिशत) व्यवहार्य थीं, 33,375 (29.7 प्रतिशत) संभाव्य रूप से व्यवहार्य थीं, 3,979 (3.5 प्रतिशत) सुप्त एवं 1,882 (1.7 प्रतिशत) निष्क्रिय थीं।

4.64 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का मुख्य रूप से बाहरी सहायता पर आश्रित रहना अब भी जारी है और वे जमाराशियां जुटाने और आंतरिक संग्रह से संसाधनों के बारे में अब भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाई हैं। इससे उनका विकास और कारोबारी कार्यकलापों का विस्तार प्रभावित हुआ है।

4.65 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अपने सदस्यों, विशेषतः, समाज के अधिक जरूरतमंद सदस्यों की जरूरतों, आकांक्षाओं और उनकी सुविधापूर्ति के लिए जिम्मेदार एक व्यवहार्य इकाई के रूप में काम करना चाहिए। उन्हें सुप्रबंधित और बहु-उद्देशीय उन संस्थाओं के रूप में काम करना चाहिए जो ग्रामीणों की बचतों का संग्रहण करें और कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऋण, कृषि निविष्टियों और उपकरणों, उपभोक्ता वस्तुओं, बाजार सेवाओं और तकनीकी मार्गदर्शन की आपूर्ति सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती हों।

4.66 संसाधन संग्रह में सुधार लाने के अलावा प्राथमिक स्तर की सहकारी ऋण संस्थाओं के सामने आई कुछ गंभीर स्वरूप की चुनौतियां ये हैं: (i) कारोबार संविभाग की विविधता में वृद्धि करना; (ii) कारोबार की मात्रा में वृद्धि; (iii) उधारकर्ता सदस्यों की कमी को रोकना; (iv) प्रबंध लागत को कम करना; (v) बकाया ऋणों में आए असंतुलन को सुधारना; (vi) स्टाफ के कौशल को सुधारना और उसका व्यवसायीकरण करना; (vii) प्रबंध-सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना; (viii) अलाभप्रद / कम लाभ वाली सार्वजनिक वितरण प्रणालियों (पीडीएस) संबंधी कारोबार में सहभागिता को कम करना; और (ix) ब्याज मार्जिन को सुधारना।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के कार्य

4.67 अद्यतन अवधि जिसके लिए डाटा उपलब्ध था, 2003-04 के दौरान एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी की परिसंपत्तियों / देयताओं में धीमी गति से वृद्धि हुई। एससीएआरडीबी और पीसीएआर डी बी ने वर्ष के दौरान मुख्य रूप से आंतरिक निधियों के सृजन और उधार लेकर काफी मात्रा में अपनी देयताओं का विस्तार किया। 2002-03 में जमाराशियों

में आई गिरावट 2003-04 में बढोत्तरी में बदल गई। तथापि, कुल संसाधनों में जमाराशियों का हिस्सा थोड़ा ही बना रहा। वर्ष के दौरान उनके ऋण और अग्रिम संविभाग में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई (सारणी IV.19)।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यानिष्पादन

4.68 वर्ष 2003-04 के दौरान एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का घाटे में चलना जारी रहा। यद्यपि, लाभ कमाने वाले एससीए आर डीबी और पीसीएआरडीबी की संख्या में और उनके द्वारा कमाए गए लाभ में सुधार हुआ, तथापि घाटे में चल रहे एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी को हुई हानियों में तेजी से वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप हानियों में समग्र रूप से वृद्धि हुई (सारणी IV.20)।

4.69 दस राज्यों में स्थित एससीएआरडीबी ने जबकि लाभ कमाया, नौ राज्यों में उन्हें हानि हुई (एक राज्य के एससी एससीएआरडीबी की जानकारी उपलब्ध नहीं है)। वर्ष के दौरान सात राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल) में स्थित एससी ए आर डी बी द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि हुई। वर्ष 2003-04 के दौरान गुजरात स्थित एससीएआरडीबी लाभ की स्थिति में आ गए। दो राज्यों (छत्तीसगढ़ और राजस्थान) में स्थित एससीएआरडीबी के लाभ में कमी आई। छः राज्यों (असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और त्रिपुरा) में हानिवाले एससीए आर डीबी की हानियों में कमी आई, जबकि 3 राज्यों (कर्नाटक, पांडिचेरी और तमिलनाडु) में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.8)। 12 राज्यों में कार्यरत 711

सारणी IV.19 : दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्य

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	मार्च के अंत में			
	2003		2004	
	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5
संख्या	20	20	768	768
शेयर पूंजी	732	762	891	916
<i>उसमें से:</i>				
राज्य सरकार से प्राप्त रिजर्व	90	89	128	140
जमाराशियां	2,174	2,742	1,831	2,055
लिए गए उधार	501	605	214	252
बकाया ऋण और अग्रिम	15,892	16,882	11,214	11,880
	15,354	16,212	10,809	11,209
नोट: 1. 2004 के आंकड़े अनंतिम हैं				
2. वर्ष 2003-04 के लिए मणिपुर में स्थित एससीएआरडी और केरल और उड़ीसा में स्थित पीसीएआरडीबी के आंकड़े वहीं हैं जो पिछले वर्ष के थे।				

सारणी IV.20: एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपयों में)

एजेसी/वर्ष	कुल संख्या	लाभ-वाले		घाटे-वाले		समग्र लाभ/हानि(-)
		संख्या	लाभ की राशि	संख्या	घाटे की राशि	
1	2	3	4	5	6	7
एससीएआरडीबी						
2001-02	20	9	85	11	182	-97
2002-03	20	8	62	11	164	-102
2003-04*	20	10	97	9	210	-113
पीसीएआरडीबी						
2001-02	768	196	47	572	323	-276
2002-03	768	208	52	560	369	-317
2003-04*	768	281	76	430	326	-250

* : मणिपुर एससीएआरडीबी, केरल में 4 पीसीएआरडीबी और उड़ीसा में स्थित 53 पीसीएआरडीबी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड

पीसीएआरडीबी, जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध थी, में से मात्र 281 पीसीएआरडीबी ने लाभ कमाया। मात्र तीन राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब और प. बंगाल) में कार्यरत पीसीएआरडीबी ने निवल लाभ कमाया। अन्य राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु) में कार्यरत पीसीएआरडीबी को हानियां हुईं (परिशिष्ट IV.9)।

ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र के एनपीए और वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन

4.70 ग्रामीण सहकारी बैंकों, विशेषतः दीर्घावधि ऋण संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता दयनीय बनी रही। वर्ष 2003-04 के दौरान सभी सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के एनपीए स्तर में वास्तविक मात्रा और बकाया-ऋणों दोनों की दृष्टि से और वृद्धि हुई। एनपीए का स्तर 18.5 प्रतिशत (राज्य सहकारी बैंकों के मामले में) से लेकर 35.5

प्रतिशत (पीसीएआरडीबी के मामले में) के बीच रहा। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की आस्तियों की गुणवत्ता दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं की तुलना में कुछ हद तक बेहतर रही। तथापि, एससीएआरडीबी को छोड़कर, सहकारी संस्थाओं के वसूली कार्य में थोड़ा सुधार हुआ (सारणी IV.21)।

एनपीए की संरचना और प्रावधानीकरण

4.71 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी वित्तीय संस्थाओं (राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी) के संबंध में अवमानक श्रेणी की अनर्जक आस्तियों में कमी आई, जबकि संदिग्ध श्रेणी की आस्तियों में वृद्धि हुई जिससे यह संकेत मिलता है कि आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आई। तथापि सभी संस्थाओं ने अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्रावधानीकरण की अपेक्षा को पूरा किया (सारणी IV.22)।

सारणी IV.21: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अनर्जक आस्तियां और वसूली का अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	राज्य सह. बैंक		मध्य सह. बैंक		एससीएआरडी		पीसीएआरडी	
	एनपीए	मांग की तुलना में वसूली	एनपीए	मांग की तुलना में वसूली	एनपीए	मांग की तुलना में वसूली	एनपीए	मांग की तुलना में वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002	13.4	82.0	19.9	66.0	18.5	55.0	30.2	48.0
2003	18.1	80.0	21.6	61.0	21.0	49.0	33.0	44.0
2004*	18.5	84.0	23.2	62.0	26.7	44.0	35.5	44.0

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट : 1. एनपीए के आंकड़े मार्च अंत की अवधि से संबंधित हैं, जबकि मांग की तुलना में वसूली से संबंधित आंकड़े समरूपी वर्ष के जून के अंत की स्थिति से संबंधित हैं।
2. संबंधित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कार्यरत पीसीएआरडीबी और मणिपुर एससीएआरडीबी से संबंधित एनपीए के आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों से दोहराए गए हैं।

स्रोत : नाबार्ड

सारणी IV.22: सहकारी बैंकों के एनपीए की संरचना एवं प्रावधानीकरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

आस्ति वर्गीकरण	मार्च के अंत में							
	2003		2004		2003		2004	
	राज्य सह. बैंक		मध्य.सह.बैंक		एससीएआरडीबी		पीसीएआरडीबी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अवमानक	3,544 (56.3)	3,213 (50.2)	7,595 (54.7)	8,137 (52.6)	2,107 (65.5)	2,630 (60.6)	1,975 (55.3)	2,051 (51.6)
संदिग्ध	2,540 (40.4)	2,966 (46.3)	5,073 (36.5)	6,024 (38.9)	1,089 (33.8)	1,687 (38.9)	1,565 (43.8)	1,879 (47.3)
हानि आस्तियां	210 (3.3)	226 (3.5)	1,213 (8.8)	1,318 (8.5)	22 (0.7)	20 (0.5)	29 (0.9)	45 (1.1)
कुल एनपीए	6,294	6,405	13,881	15,479	3,218	4,337	3,569	3,975
ज्ञापन मद:								
अपेक्षित प्रावधान	3,085	3,435	5,950	6,297	609	833	807	944
क्रिया गया प्रावधान	3,178	3,670	6,384	6,900	610	833	823	943

नोट : 1. केरल और तमिलनाडु में 37 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों एवं 4 राज्य सहकारी बैंकों नामतः केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पांडिचेरी और मणिपुर एससीएआरडीबी एवं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कार्यरत पीसीएआरडीबी के आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों से दोहराए गए हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के राज्यवार एनपीए / वसूली

राज्य सहकारी बैंक

4.72 मार्च 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए में काफी विविधता पाई गई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में एनपीए अनुपात (बकाया ऋणों के प्रतिशत एनपीए) 3 प्रतिशत से कम थे जबकि कुछ अन्य राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर और नागालैंड) में एनपीए 50 प्रतिशत से अधिक थे। 31 राज्यों में से केवल 7 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में एनपीए का अनुपात 10 प्रतिशत से कम था।

4.73 सभी राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की वसूली दर में काफी विविधता थी। वर्ष 2003-04 में के दौरान हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, और तमिलनाडु में राज्य सहकारी बैंकों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक थी। तथापि, कई राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में वसूली दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट IV.6)।

मध्यवर्ती सहकारी बैंक

4.74 मार्च 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के भी एनपीए अनुपात में काफी विविधता रही जो 5 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच रही। केवल चार राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरांचल) में एनपीए का अनुपात 10 प्रतिशत से कम था। दो राज्यों (बिहार और झारखंड) में एनपीए का अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 2003-04 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वसूली में थोड़ी सी वृद्धि हुई जो 61 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत हो

गई। कुछ राज्यों जैसे कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वसूली में जबकि वृद्धि हुई वहीं, कुछ अन्य राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में उसमें गिरावट आई। वर्ष 2003-04 में हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और उत्तरांचल जैसे कुछ राज्यों में वसूली दर 80 प्रतिशत से अधिक था (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

एससीएआरडीबी

4.75 मार्च 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों के एससीएआरडीबी के एनपीए में शून्य प्रतिशत (हरियाणा और पंजाब) से लेकर 100 प्रतिशत (मणिपुर) तक की विविधता रही। पांच राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश और पंजाब) में एनपीए 10 प्रतिशत से कम थे। आठ राज्यों (असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा) में एनपीए का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था। वसूली अनुपात में 2 प्रतिशत (मणिपुर) से लेकर 100 प्रतिशत (पंजाब) तक की भारी विविधता रही। तीन राज्यों (पंजाब, हरियाणा और केरल) को छोड़कर सभी राज्यों में वसूली दर 80 प्रतिशत से कम थी। 12 राज्यों में वसूली दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

पीसीएआरडीबी

4.76 मार्च 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में कार्यरत पीसीएआरडीबी के एनपीए का अनुपात 15 प्रतिशत से अधिक था। छत्तीसगढ़ में कार्यरत पीसीएआरडीबी का एनपीए अनुपात सबसे कम (15.5 प्रतिशत) था जबकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 83.8

प्रतिशत था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कार्यरत पीसीएआरडीबी के एनपीए 22 प्रतिशत से अधिक थे।

4.77 768 पीसीएआरडीबी में से केवल 82 की वसूली दर 80 प्रतिशत से अधिक थी; 152 पीसीएआरडीबी की वसूली दर 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच थी। अधिकांश पीसीएआरडीबी (399) की वसूली दर 40 प्रतिशत से कम थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र (न्यूनतम वसूली स्तर के साथ में कार्यरत सभी पीसीएआरडीबी का वसूली स्तर 40 प्रतिशत से कम था (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

एनपीए को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए उपाय

4.78 सहकारी बैंकों के एनपीए का उच्च स्तर चिंता का प्रमुख कारण रहा है। एनपीए को कम करने के लिए सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे एनपीए की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करें और उन्हें उचित स्तर तक कम करने के लिए कार्यनीति बनाएं। इस बारे में सहकारी बैंकों को सुझाए गए विभिन्न उपायों में एकमुश्त निपटान योजना, लोक अदालतें और बड़ी राशि वाले अग्रिमों को ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास भेजने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति को संशोधित करके उसे एनपीए के स्तर से सहबद्ध कर दिया गया ताकि उच्च स्तर के एनपीए वाले बैंकों के लिए पुनर्वित्त प्रवाह को रोका जा सके। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे सहकारी बैंकों के एनपीए को कम करने में सहायता के लिए राज्य सरकार के विभागों से मदद लेकर विशेष वसूली अभियान चलाएं। सहकारी बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे एनपीए को कम करे के लिए उधार देने संबंधी अपने कार्यों के लिए किसान क्लब और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दें। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया कि वे इस संबंध में सहकारी बैंकों को आवश्यक मार्गदर्शन करें।

4. लघु ऋण

4.79 लघु ऋण कार्यक्रम ने, जो लगभग 500 स्वयं सहायता समूहों को सहबद्ध करने की छोटी प्रायोगिक परियोजना के साथ औपचारिक रूप से 1992 में शुरू किया गया था, भारत में व्यापक रूप से प्रजातांत्रिक कार्य पद्धति और समूह गतिशीलता दर्शाते हुए और वृद्धि की। भारत का लघु ऋण कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आजादी के समय से ही, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने गरीबों तक ऋण सुविधा पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। पिछले कई दशकों में औपचारिक ऋण संस्थाओं के भौतिक फैलाव में प्रत्यक्ष रूप से भारी वृद्धि होने के बावजूद गांव के गरीब ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर आज भी निर्भर रहते हैं। संस्थाओं के सामने भी बड़ी

संख्या में उन छोटे उधारकर्ताओं से लेनदेन करने में कठिनाइयाँ आई हैं जिनकी ऋण आवश्यकताएं थोड़ी और बार-बार स्वरूप की हैं और संपार्शिक जमानत देने की उनकी क्षमता सीमित है। इसके अलावा, बैंकों की बोझिल क्रियाविधि और जोखिम संबंधी धारणा ने ग्रामीण गरीबों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ा अंतराल रख छोड़ा है।

4.80 इस स्थिति के चलते उन वैकल्पिक नीतियों, प्रणालियों और क्रियाविधियों, बचतों और ऋण उत्पादों, अन्य निःशुल्क सेवाओं और नई सुपुर्दगी प्रणाली खोजने की आवश्यकता पड़ी जो गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि लघु ऋण पारंपरिक बैंकिंग के लिए उस गरीब आबादी तक पहुंचने के लिए बहुत ही उचित और व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरा है जिस तक अब तक पहुंचा नहीं गया था। लघु ऋण गरीबों में बचत की आदत पैदा करता है और उनकी आय और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं लेने में उनकी सहायता करता है। कई अनुसंधान अध्ययनों एवं नाबार्ड की अनुसंधान और विकास निधि से अर्थपूरित अनुसंधान परियोजनाओं के फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह बैंकों से जुड़ पाए हैं। नाबार्ड ने प्रमत्तुखतम कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू किया जिसका भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतगत समर्थन प्रदान किया। कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों के अपने वित्तीय व्यवस्थाओं का प्रबंध करने में सक्षम होने के लिए ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित होने और फिर वाणिज्यिक शर्तों पर बैंक ऋण लेने की शर्तें तय करने की व्यवस्था है। गरीबों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे थोड़ी-थोड़ी राशि नियमित रूप से बचाएँ और उसी बचत की राशि से ही आपस में स्वयं छोटे ऋण प्राप्त करें। जब समूह बड़े संसाधनों को संभालने की अपेक्षित क्षमता प्राप्त कर लेगा, बैंक ऋण भी मुहय्या कराया जाएगा।


4.81 भारत ने अपने लघु वित्त कार्यक्रम के विकास के लिए एक बहु-एजेंसी दृष्टिकोण अपनाया है। गैर सरकारी एजेंसियों सहित सभी प्रमुख ऋण संस्थाओं, नामतः वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु वित्त कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। वितरणकर्ता एजेंटों की भूमिका और उनके साथ संपर्क के कारण लघु वित्त का वैकल्पिक मॉडल तैयार हुआ (बॉक्स IV.6)।

4.82 नाबार्ड का लघुवित्त संबंधी कार्यक्रम, अर्थात् स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम पिछले डेढ़ दशकों में कई चरणों से होकर गुजरा है, जैसे कि, (i) 1992 से 1995 के दौरान प्रायोगिक परीक्षण, (ii) 1996 से 1998 के दौरान मुख्य धारा से जुड़ना (iii) 1998 से उसका विस्तार होना। इस कार्यक्रम ने देश के कई हिस्सों में लघुवित्त आंदोलन का रूप ले लिया है और उसने देश के संसाधन की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बना ली है। एक मिलियन स्वयं सहायता समूहों से संबद्धता के जरिए

बॉक्स IV.6: एजेंसी मॉडल और लघु वित्त

भारत में लघु ऋण संबद्धता के तीन अलग-अलग मॉडल अपनाए जा रहे हैं। मॉडल - I के अंतर्गत समूह गठित करने और उनके बचत खाते खोलने और उन्हें ऋण प्रदान करने का काम स्वयं बैंक करते हैं। मार्च 2005 तक जिन स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान किया गया था उनमें से 15 प्रतिशत इसी श्रेणी के थे मॉडल-II के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह गैर-सरकारी संगठनों और औपचारिक एजेंसियों द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन उन्हें वित्त सीधे बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। मार्च 2005 तक वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों के 80 प्रतिशत के प्रमुख अंश साथ इस श्रेणी के अंतर्गत यह मॉडल सर्वोपरि बना हुआ है। मॉडल III के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण बैंकों द्वारा, वित्तीय विचौलियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करके, किया जाता है। जिन क्षेत्रों में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को समस्याएं हों, वहाँ गैर-सरकारी एजेंसियों को समूह ऋण सहायता के लिए किसी उचित बैंक से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। मार्च 2005 के अंत तक इस मॉडल के अंतर्गत सहबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संचयित संख्या कम रही है (चार्ट-1)

ध्यान आकृष्ट किया है। इस मॉडल के अंतर्गत, बैंकों को विविध संस्थाओं को अभिकर्ता / एजेंटों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है जो जनता से बहुत नजदीकी से जुड़े रहते हैं, जैसे कि डाकघर, सुपर मार्केट, छोटी दुकानें, पेट्रोल पंप और दवाई की दुकानें। ये एजेंट भुगतान स्वीकारने, खाता खोलने, छोटी जमाराशियां स्वीकारने, लघु ऋण प्रदान करने, बचत बांड बेचने और बीमा सेवा प्रदान करने के लिए कियोस्क या स्वचालित टेलर मशीनों का प्रयोग करते हैं। आकियान इंटरनैशनल ने, जो कि एक लघुवित्त संस्था है, लघु वित्त परिचालनों के विस्तार के लिए 'सर्विस कंपनी मॉडल' विकसित किया है। लघु वित्त सेवा कंपनी एक गैर वित्तीय कंपनी है जो किसी बैंक को, एक निश्चित शुल्क लेकर, प्रवर्तन, मूल्यांकन, अनुमोदन, ऋणकर्ता से संपर्क बनाए रखने एवं ऋण की वसूली करके ऋण आरंभन और ऋण प्रशासन सेवाएं प्रदान करती है। बैंकों द्वारा ऐसी बाहरी संस्थाओं और सिविल सोसायटी संगठनों के नियोजन से लागत मूल्य को कम रकने और अब तक बैंक सेवाओं से वांचित रही आबादी तक बैंक सेवाएं पहुंचाने में सहायता मिलती है। विश्व के दूसरे हिस्सों में सफल हुए इन प्रयोगों ने भारत के संदर्भ में भी उसी प्रकार की संभावनाओं को खोजने की जरूरत को रेखांकित किया है।



उन्के महत्व को स्वीकार करते हुए, रिजर्व बैंक और नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता और अन्य सक्रिय नीतियों तथा प्रणालियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के संबद्धता के कार्यक्रम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नाबार्ड गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है तथा विभिन्न सहभागियों की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका जैसे देशों में अपनाए गए एजेंसी मॉडल ने हाल के वर्षों में काफी

यूनियन बजट 2005-06 में की गई घोषणाओं के बाद में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में सहायता प्रदान करने एवं ऋणदाता बैंकों और लाभार्थियों के बीच बिचौलियों के रूप में काम करने के लिए बैंकिंग अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की संभाव्यता और तौर-तरीकों की जांच करने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों, ग्रामीण कियोस्कों और ग्राम सूचना केन्द्रों की मूलभूत सुविधाओं का इस्तेमाल करके एजेंसी मॉडल को अपनाने के लिए बैंकों को अनुमति देने के मुद्दे की जांच करने के लिए रिजर्व बैंक में एक आंतरिक दल (अध्यक्ष : श्री एच.आर. खान) गठित किया गया था। इन मुद्दों की जांच करने के बाद दल ने यह विचार व्यक्त किया कि लिकेजेस दो स्थूल मॉडलों के अंतर्गत स्थापित किए जा सकते हैं। पहला बिजनेस फैसिलिटेटर माडल जिसमें बैंक गैर वित्तीय सेवाएं देकर सिविल सोसायटी संगठनों और अन्य संस्थाओं को सहायता देने के लिए उनकी व्यापक व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे मॉडल, अर्थात् बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट माडल के अंतर्गत, वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए, बैंकों की सहायता हेतु संस्थागत एजेंटों / अन्य संस्थाओं का प्रयोग किया जा सकता है (बॉक्स II.2 भी देखें)।

एक तिहाई ग्रामीण गरीबों को इस अभियान में शामिल करने के लक्ष्य को, जिसे 2007 तक प्राप्त किया जाना था, काफी पहले मार्च 2004 के अंत में ही प्राप्त कर लिया गया है।

4.83 वर्ष 2004-05 के दौरान कार्यक्रम का व्यापक रूप से प्रसार हुआ जिसमें बैंकिंग प्रणाली ने 539 हजार नए स्वयं सहायता के साथ ऋण संबद्धता स्थापित की और मार्च 2005 के अंत तक स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या बढ़कर 1.61 मिलियन हो गई। बैंकों ने वर्ष 2004-05 के दौरान 6,898 करोड़ रुपये के ऋण देकर पिछले वर्ष की तुलना में 76.7 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्ज की। प्रति स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण औसतन रु.36,179 से बढ़कर रु.42,620 हो गया जिससे यह संकेत मिलता है कि स्वयं सहायता समूहों का और अधिक ऋण उपलब्ध हुआ है। इस लघुवित्त आंदोलन कार्यक्रम में ग्रामीण गरीब महिलाओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया।

इस प्रकार, स्वयं सहायता समूहों से लाभान्वित होने वाले गरीब परिवारों की संख्या 31 मार्च 2004 के 16.7 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2005 में 24.2 मिलियन हो गई तथा इस प्रकार इसमें 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.84 देश में ग्रामीण गरीबों के बीच, गैर सरकारी एजेंसियों स्पष्ट रूप से स्वयं सहायता समूह की अवधारणा के सुविधाकर्ता और प्रवर्तक के रूप में सामने आई हैं (बॉक्स IV.7)

एजेंसीवार प्रवृत्ति

4.85 स्वयं सहायता समूहों के साथ संबद्धता करने और उन्हें वित्त प्रदान करने में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक है। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक आते हैं। वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों की संख्या

बॉक्स IV.7: लघु वित्त - गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम को बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों और उसी प्रकार की साझेदार एजेंसियों ने लगातार सहायता प्रदान की है। अन्यथा, ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह कहलाए जाने वाले छोटे-छोटे सजातीय समूहों में संगठित करना, उनमें अपने स्वयं के वित्त का प्रबंधन करने की क्षमता निर्मित करना और बाद में वाणिज्यिक शर्तों पर बैंक ऋण प्राप्त करना एक कठिन कार्य था। इस व्यवस्था में गरीबों को अपनी छोटी-छोटी राशियों को नियमित रूप से बचाने, के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्र होने और अपनी तात्कालिक स्वरूप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में लघु ऋण प्रदान करने के लिए

प्रोत्साहित किया जाता है। समूह जब बड़े संसाधनों को संभालने में सक्षम हो जाता है, तब गैर-सरकारी संगठन बैंक ऋण प्राप्त करने में स्वयं सहायता समूहों की मदद करते हैं। रूपांतरण / परिवर्तन के इन चरणों के दौरान गैर सरकारी संगठन और अन्य स्वयं सहायता विकास संस्थाएं स्वयं सहायता समूहों / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की मदद करती और उन्हें संभालती रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों से स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत उभरे तीन मॉडलों में से 85 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से बने हैं (सारणी)।

सारणी : मॉडलवार संबद्धता की स्थिति

(राशि करोड़ रु. में)

मॉडल का प्रकार	मार्च 2004 के अंत की स्थिति		मार्च 2005 के अंत की स्थिति	
	स्वयं सहायता समूहों की संख्या (हजारों में)	बैंक ऋण	स्वयं सहायता समूहों की संख्या (हजारों में)	बैंक ऋण
1	2	3	4	5
I. बैंक द्वारा विकसित, मार्गदर्शित और वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	217.62 (20)	550 (14)	343.37 (21)	1,013 (15)
II. एनजीओ / सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित एवं बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	777.32 (72)	3,165 (81)	1,158.27 (72)	5,529 (80)
III. एनजीओ द्वारा विकसित एवं वित्तीय बिचौलियों के रूप में एनजीओ/औपचारिक एजेंसियों का इस्तेमाल करके बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	84.14 (8)	189 (5)	116.84 (7)	356 (5)
कुल	1,079.09	3,904	1,618.48	6,898

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

में और दिए गए ऋण की राशि में वर्ष के दौरान तीव्र वृद्धि हुई (सारणी IV.23)।

4.86 स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम को बैंकिंग प्रणाली, कम लेनदेन-लागत वाला, लगभग शून्य एनपीए वाला एवं

बैंक शाखाओं द्वारा अधिकतम संख्या में ग्रामीण ग्राहकों को शामिल करने के लाभवाली एक लाभकर व्यवस्था मानती है। इसके कारण कारोबार के विस्तार में अन्य मात्रात्मक लाभ भी हुए हैं। मार्च 2005 के अंत में सैतालीस वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 306 मध्यवर्ती सहकारी बैंक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे (सारणी IV.24)।

सारणी IV.23: एजेंसीवार संबद्धता की स्थिति
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या (हजारों में)				बैंक ऋण			
	2004	2005	प्रतिशत में भिन्नता		2004	2005	प्रतिशत में भिन्नता	
			2003-04	2004-05			2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्यिक बैंक	538.42 (49.9)	843.49 (52.1)	49.1	56.7	2,255 (57.8)	4,159 (60.3)	96.1	84.4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	406.00 (37.6)	563.85 (34.8)	46.4	38.9	1,278 (32.7)	2,099 (30.4)	75.8	64.3
ऋण सह. बैंक	134.67 (12.5)	211.14 (13.0)	70.6	56.8	371 (9.5)	640 (9.3)	115.7	72.5
कुल	1,079.09 (100.0)	1,618.48 (100.0)	50.4	50.0	3,904 (100.0)	6,898 (100.0)	90.5	76.7

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

सारणी IV.24: स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों की संख्या (संख्या हजारों में)		बैंक ऋण		पुनर्वित्त	
	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी
1	2	3	4	5	6	7
1999-00	81.78 (147.9)	114.78 (247.9)	136 (138.6)	193 (238.6)	98 (88.5)	150 (188.5)
2000-01	149.05 (82.3)	263.83 (129.9)	288 (111.8)	481 (149.2)	251 (156.1)	401 (167.3)
2001-02	197.65 (32.6)	461.48 (74.9)	546 (89.6)	1,026 (113.3)	396 (57.8)	797 (98.8)
2002-03	255.88 (29.5)	717.36 (55.4)	1,022 (87.2)	2,049 (99.7)	622 (57.1)	1,419 (78.0)
2003-04	361.73 (41.4)	1,079.09 (50.4)	1,856 (81.6)	3,904 (90.5)	705 (13.3)	2,124 (49.7)
2004-05	539.39 (49.1)	1,618.48 (50.0)	2,994 (61.3)	6,899 (76.7)	968 (37.3)	3,092 (45.6)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि दर्शाते हैं।

क्षेत्रीय विस्तार

4.87 ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो, स्वयं सहायता समूहों की संख्या दक्षिणी राज्यों में अधिक रही है। दक्षिणी राज्यों में कार्यक्रम की शुरुआत होने एवं राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रमुख उपाय किए जाने के कारण कार्यक्रम ने दक्षिण राज्यों में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम का तेजी से विस्तार हुआ है। गैर-दक्षिण राज्यों में, वर्ष 2003-04 के दौरान 1,51,087 स्वयं सहायता समूहों की तुलना में, वर्ष 2004-05 के दौरान 82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,74,800 स्वयं सहायता समूह बैंकों के साथ ऋणानुबंध हो गए थे। कुछ राज्यों में कार्यक्रम का विस्तार काफी उल्लेखनीय रहा, जैसे कि असम (184 प्रतिशत), गुजरात (316 प्रतिशत), महाराष्ट्र (210 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (190 प्रतिशत), राजस्थान (135 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल (115 प्रतिशत), झारखंड (82 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (58 प्रतिशत), बिहार (45 प्रतिशत), उड़ीसा (29 प्रतिशत), और मध्य प्रदेश (52 प्रतिशत)। मार्च 2005 के अंत में बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों के संचयित ऋणानुबंधन का अंश देश के सकल स्वयं सहायता समूह ऋणानुबंधन का 60 प्रतिशत रहा।

4.88 अन्य राज्यों में लघु ऋण के प्रसार को और बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम को उन 13 प्राथमिकता प्राप्त राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तरांचल, असम और हिमाचल प्रदेश में तेज

करने का काम हाथ में लिया है जो गांव की गरीब आबादी का 70 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाबार्ड ने देश में लघुवित्त के प्रसार की बहुमुखी कार्यनीति अपनाई है। (बॉक्स IV.8)।

4.89 नाबार्ड ने वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण / सुग्राहीकरण और एक्सपोजर कार्यक्रम आयोजित किए हैं/को सहायता प्रदान की है जिनमें स्वयं सहायता समूहों के 2.1 लाख सदस्यों, 42812 बैंक अधिकारियों, 4,256 एनजीओ स्टाफ, पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए सदस्यों के 1,198 सदस्यों, खंड स्तरीय बैंकर्स समिति के 8,204 अधिकारियों एवं 161 प्रशिक्षकों को शामिल किया गया था।

परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को लघु वित्त उद्यम में शामिल करना

4.90 बैंकों के साथ ऋणानुबंधन वाले 16 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों में से 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के उपभोग और उत्पादन के लिए बचत और ऋण की मुख्य जरूरतों को बैंकिंग प्रणाली द्वारा पूरा किया जा रहा है। इन स्वयं सहायता समूहों ने न केवल एक बार ऋण लिये हैं, बल्कि एकाधिक बार ऋण भी लिए हैं। इस बात पर जोर दिया जा रहा है किसी पुराने स्वयं सहायता समूह का कोई भी सदस्य अब आय उत्पादक कार्यकलाप अपना कर लघु वित्त उद्यमों का काम शुरू कर सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों गरीब घरेलू परिवारों के लिए लघु वित्त उद्यम खोजना एक कठिन कार्य है। यद्यपि, लघु वित्त उद्यम बेरोजगारी और गरीबी जैसी पुरानी और जटिल समस्या का कोई हल नहीं है, तथापि,

बॉक्स IV.8: स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम-नाबार्ड द्वारा अपनाई गई कार्यनीति

स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम के प्रसार के लिए नाबार्ड निम्नलिखित कार्यनीति अपना रहा है:

- जिला उन्मुख आयोजना और कार्यनीति के साथ स्थानिक वितरण और कार्यक्रम की पहुँच की तीव्रता का विस्तार करना
- प्रति जिला प्रति वर्ष कम से कम 500 स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने और संबद्ध करने के लक्ष्य के साथ मौजूदा हितधारकों से परामर्श करके जिलावार कार्य योजना / कार्यनीति तैयार करना।
- हितधारकों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और एक्सपोजर कार्यक्रम
- सामान्यतः 'एंड ऑन' आधार पर, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने और उनका पोषण करने के लिए भागीदारों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना।
- स्वयं सहायता समूहों को विकसित करने वाली एजेंसियों के दायरे को बढ़ाना।
- बैंकों को उनके कार्पोरेट स्तर पर शामिल करना, वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रीय / आंचलिक प्रबंधकों के लिए, उनके केन्द्रीय कार्यालय के साथ मिलकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

- बैंकों के लिए कारोबारी व्यवस्था के रूप में, स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण शुरू करना।
- सहकारी संस्थाओं के भीतर सहकारी संस्थाओं को वित्तपोषण के रूप में स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देकर सहकारी बैंकों की सहभागिता को बढ़ाना।
- स्वयं सहायता समूह के प्रवर्तक के रूप में कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए ग्रामीण समुदायों, जन संस्थाओं, ग्रामीण वालंटियरों और व्यक्तियों को शामिल करना।
- 'सेल्फ रेटिंग' साधनों का प्रचार करके मौजूदा स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता को बढ़ाना।
- ग्रामीण जनों के बीच स्वयं सहायता समूह की अवधारणा और दृष्टिकोण का व्यापक स्तर पर प्रसार-प्रचार करना।
- स्वयं सहायता समूह और बैंक संबद्धता कार्यक्रम के प्रसार में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

गरीब और सीमांतकृत लोगों के लिए आय और आस्तियों में उल्लेखनीय लाभ अर्जित करने के लिए उनका विकास एक व्यवहार्य और कारगर कार्यनीति अवश्य हो सकती है। फिर भी, समेकित रूप से वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में किसी विशिष्ट समर्थनकारी कार्यनीति के अभाव में लघु वित्त से लघु उद्यमों की ओर स्वयं सहायता समूहों को ले जाना कई किस्म की बाधाओं के चलते सुगम नहीं रहा है। अतः नाबार्ड चुने हुए जिलों में, विशेषतः परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए, लघु उद्यम स्तर तक उनके विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना अपना रहा है। इस प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में गैर-सरकारी एजेंसियों को चुना गया है।

लघु वित्त और सरकार

4.91 वर्ष 2005-06 के वार्षिक बजट में यह घोषणा की गई थी कि भारत सरकार बड़े पैमाने पर लघु वित्त संस्थाएं विकसित करना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए लघु वित्त विकास निधि (एमएफडीएफ) को लघु वित्त विकास एवं इक्विटी निधि के रूप में पुनर्नामित किया गया और उसकी निधि को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया। आशा है कि एमएफडीएफ लघु वित्त संस्थाओं के पूंजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर वाणिज्यिक ऋणों तक उनकी पहुँच में सुधार लाएगी।

4.92 केन्द्र सरकार लघु वित्त संस्थाओं की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने की आवश्यकताओं पर विचार कर रही है ताकि ऐसी संस्थाओं की रेटिंग करके उन्हें ऋणकर्ता बैंकों और ग्राहकों के बीच बिचौलियों के रूप में काम करने की शक्तियां प्रदान की जा सकें। लघु वित्त संस्थाओं की रेटिंग को सुविधाजनक

बनाने के लिए नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है ताकि वे लघु वित्त संस्थाओं की रेटिंग के लिए ऋण रेटिंग एजेंसियों की सेवाएं ले सकें।

लघु वित्त एवं रिजर्व बैंक

4.93 लघु वित्त में नए निदर्शनात्मक परिवर्तन के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त के मुद्दे पर व्यापक रूप से पुनः विचार करने का निश्चय किया। तदनुसार, हाल में कई उपाय किए गए। पहला, चुने गए केन्द्रों पर लघु वित्त संस्थाओं के कई प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श की व्यवस्था की गई। दूसरा, इन परामर्शों के आधार पर लघु वित्त सेवाओं के विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीति पर तकनीकी पेपर तैयार किया गया जिस पर 18 जुलाई 2005 को लघु वित्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। पेपर की सिफारिशों पर सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। तीसरा, लघुवित्त से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए ग्रामीण ऋण और लघु वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक का एक आंतरिक दल (अध्यक्ष: श्री एच.आर. खान) गठित किया गया। रिपोर्ट का अंतिम रूप जुलाई 2005 में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है (देखें बॉक्स 11.3)।

5. नाबार्ड और सहकारी क्षेत्र

4.94 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक ऐसी शीर्ष संस्था है जिसे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में नीति,

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

आयोजना एवं परिचालन से संबंधित सभी मामलों के लिये अधिकृत किया गया है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली एक शीर्ष संस्था है। नाबार्ड के अन्य मुख्य कार्यकलापों में (i) निगरानी, पुनर्वास योजनायें तैयार करना, ऋण संस्थाओं का पुनर्गठन करना और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषक क्षमता को सुधारने के लिये संस्थाओं के सुदृढीकरण के उपाय शुरू करना (ii) क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्यों में लगी सभी संस्थाओं की ग्रामीण वित्त पोषण गतिविधियों में तालमेल स्थापित करना, (iii) भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नीति निर्माण से संबंधित अन्य स्तर की संस्थाओं से संपर्क बनाये रखना; और (iv) उसके द्वारा पुनर्वित्त प्रदान की गयी परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन, शामिल है।

4.95 नाबार्ड राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्य बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड से मिलनेवाली पुनर्वित्त सहायता के लाभार्थी व्यक्ति, साझेदारी संस्थाएं, कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाले निगम या सहकारी संस्थाएं हो सकती हैं।

4.96 वर्ष 2005-06 के यूनियन बजट में यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2002-03 के गन्ने के मौसम में जो चीनी मिलें कार्यरत थीं, उन्हें पुनर्निर्माण के लिये सहायता प्रदान की जायेगी। तदनुसार, इस संबंध में एक योजना तैयार करने के लिये नाबार्ड ने रिजर्व बैंक के प्रतिनिधित्व के साथ एक समिति गठित की थी। व्यास समिति ने सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत सेवा क्षेत्र ऋण निगरानी और सूचना प्रणाली को सुदृढ बनाने के सुझाव भी दिये थे। इस संबंध में नाबार्ड ने सामिस की रिपोर्टिंग प्रणाली की समीक्षा करने और उसमें अपेक्षित आवश्यक संशोधन / परिवर्तन करने के लिये एक दूसरा कार्यदल गठित किया।

नाबार्ड के संसाधन

4.97 रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4 इ) के अंतर्गत नाबार्ड को सामान्य ऋण प्रदान करता रहा है ताकि नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान कर सके। वर्ष 2004-05 (जुलाई-जून) के लिए रिजर्व बैंक ने रु.5,200 करोड़ की कुल ऋण सीमा मंजूर की थी जिसमें जी.एल.सी-I के लिये रु.5,000 करोड़ और जी एल सी -II के अंतर्गत रु.200 करोड़ शामिल थे जिनपर ब्याज की दर क्रमशः 6 प्रतिशत और 6.25 प्रतिशत थी। 2005-06 (जुलाई-जून) के लिए मौसमी कृषि कार्यों हेतु राज्य सहकारी बैंकों और आर आर बी को पुनर्वित्त देने के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 3,000 करोड़ रूपए का जी एल सी मंजूर किया गया।

4.98 नाबार्ड के संसाधनों की निवल अभिवृद्धि में आर आई डी एफ जमा राशियों सहित, जो वर्ष 2004-05 के दौरान रु.4,890 करोड़ थीं, वर्ष 2003-04 की तुलना में 16.00 प्रतिशत की कमी आई। बान्ड जारी करके उगाहे गये संसाधनों में, जो हाल के वर्षों में निधियों के प्राथमिक स्रोतों के रूप में उभरे हैं, वर्ष 2004-05 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि जारी रही। तथापि नाबार्ड द्वारा किया गया संसाधनों का वृद्धिगत संग्रहण, आर आई डी एफ जमाराशियों की चुकौती के कारण हुए बहिर्वाह के कारण समायोजित हो गया (सारणी - IV.25)।

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ)

4.99 ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने हेतु आर आई डी एफ की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा 1995-96 में नाबार्ड के पास की गई थी। तब से इस निधि के लिए 11 खेपें दी जा चुकी हैं। वाणिज्य बैंक प्राथमिकता प्राप्त / कृषि क्षेत्र को उधार की अपनी कमी के अनुसार इस निधि में अपना अंशदान करते हैं। वर्ष 1990-2000 से आर आई डी एफ की परिधि को और विस्तृत कर दिया गया है ताकि पंचायती राज संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस निधि से ऋण का उपयोग किया जा सके। वर्ष 2005-06 के दौरान परिचालनकृत आर आई डी एफ की ग्यारहवीं खेप की राशि रु.8,000 करोड़ है।

सारणी IV.25: नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि

(राशि करोड़ रु. में)

संसाधन का प्रकार	मार्च अंत की स्थिति	
	2004	2005
1	2	3
पूंजी	-	-
रिजर्व और अधिशेष	971	908
एन आर सी (एल टी ओ) निधि	125	82
एन आर सी (स्थिरीकरण) निधि	26	11
जमाराशियां	-27	-6
बान्ड और डिबेंचर	3,181	5,321
केन्द्र सरकार से उधार	-26	-159
भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	-1,598	-267
विदेशी मुद्रा ऋण	-5	-
कंपनी उधार	2,500	1,800
आर आई डी एफ जमाराशियां	-70	-2,920
अन्य देयताएं	673	-25
अन्य निधियां	68	145
कुल	5,818	4,890
- : कुछ नहीं / नगण्य		
स्रोत: नाबार्ड		

सारणी IV.26: आर आई डी एफ के अंतर्गत संग्रहीत जमाराशियां

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	आरआईडीएफ I	आरआईडीएफ II	आरआईडीएफ III	आरआईडीएफ IV	आरआईडीएफ V	आरआईडीएफ VI	आरआईडीएफ VII	आरआईडीएफ VIII	आरआईडीएफ IX	आरआईडीएफ X	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1995-96	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
1996-97	842	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1,042
1997-98	188	670	149	-	-	-	-	-	-	-	1,007
1998-99	140	500	498	200	-	-	-	-	-	-	1,338
1999-00	67	539	796	605	300	-	-	-	-	-	2,307
2000-01	-	161	413	440	850	790	-	-	-	-	2,654
2001-02	-	155	264	-	689	988	1,495	-	-	-	3,591
2002-03	-	-	188	168	541	816	731	1,413	-	-	3,857
2003-04	-	-	-	-	261	503	257	681	457	-	2,159
2004-05	-	-	-	-	125	488	752	1,213	1,354	422	4,354
कुल	1,587	2,225	2,308	1,413	2,766	3,585	3,235	3,307	1,811	422	22,658

- : कुछ नहीं / नगण्य
 स्रोत: नाबार्ड

4.100 वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों से जमा राशियों के रूप में रु.4,353 करोड़ की प्राप्त राशि से आर आई डी एफ के अंतर्गत प्राप्त संचयित जमाराशि 31 मार्च 2005 तक कुल रु.22,658 करोड़ हो गयी थी (सारणी IV.26)।

4.101 मार्च 2005 के अंत में आर आई डी एफ (खेप I से X) की कुल राशि रु.42,000 करोड़ थी। आई आर डी एफ 1 से X के अंतर्गत मंजूर और वितरित की गई वित्तीय सहायता 31 मार्च 2005 को क्रमशः रु.42,950 करोड़ और 25,384 करोड़ थी (सारणी IV.27)। आर आई डी एफ खेप I,II,III के अंतर्गत वितरण मार्च 2003 के अंत में बंद कर दिया गया। आर आई डी एफ IV के अंतर्गत मंजूर की गयी परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि को 31 मार्च 2005 तक बढ़ा दिया गया ताकि राज्य सरकारें चालू परियोजनाओं को पूरा कर सकें

और लिये गये खर्च के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकें। आर आई डी एफ V, VI और VII के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2005 तक बढ़ा दी गई (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

4.102 कुल मिलाकर सभी आर आई डी एफ खेपों के अंतर्गत कुल वितरण का 73 प्रतिशत और कुल मंजूरी का 70 प्रतिशत नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक) को प्रदान किया गया। आर आई डी एफ I से X के अंतर्गत मंजूर की गई कुल राशि में से ग्रामीण सड़कों और पुलों के लिए 45 प्रतिशत, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 34 प्रतिशत और अन्य मदों पर 21 प्रतिशत (सामाजिक क्षेत्र 9 प्रतिशत और ऊर्जा क्षेत्र पर 3 प्रतिशत) राशि खर्च की गई।

सारणी IV.27: आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित ऋण

(31 मार्च 2005 की स्थिति)

(राशि करोड़ रु.)

आरआईडीएफ	वर्ष	राशि	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण	मंजूर ऋण की तुलना में वितरित ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I	1995	2,000	1,911	1,761	92.2
II	1996	2,500	2,659	2,398	90.2
III	1997	2,500	2,718	2,454	90.3
IV	1998	3,000	2,904	2,367	81.5
V	1999	3,500	3,504	2,875	82.0
VI	2000	4,500	4,539	3,638	80.1
VII	2001	5,000	4,793	3,371	70.3
VIII	2002	5,500	6,040	3,686	61.0
IX	2003	5,500	5,599	2,148	38.4
X	2004	8,000	8,283	686	8.3
कुल		42,000	42,950	25,384	59.1

स्रोत: नाबार्ड

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

4.103 जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा सूचित किया गया था, आर आई डी एफ X के अंतर्गत ऋण स्थूल क्षेत्रों के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं नामतः ग्रामीण सड़कें और पुल, सूक्ष्म / लघु / मध्यम स्तरीय / प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, सामुदायिक सिंचाई कुओं, मिनी हाइड्रल परियोजनाओं, पीने का पानी, मृदा संरक्षण, वाटरशेड विकास / पानी जमा होने वाले क्षेत्रों का उद्धार, जल निकासी, बाढ़ से बचाव, वन विकास, मार्केट यार्ड / गोदाम, अपना मंडी, ग्रामीण हाट और अन्य विपणन सुविधाएं, विभिन्न निकासी स्थानों पर शीत भंडारण (सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र), बीज / कृषि / बागबानी फार्म, वृक्षारोपण और बागानी, ग्रेडिंग और प्रमाणीकरण प्रणाली जैसे कि परीक्षण और प्रमाणीकरण करनेवाली प्रयोगशालाएं, मछली पकड़ने वाले बंदरगाह / जेट्टी, नदीतटीय मछलीपालन, पशुपालन, आधुनिक कसाईखाने, स्कूल की इमारतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण, मौजूदा स्कूलों में प्रसाधनों का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में सशुल्क सुलभ शौचालय बनाना शामिल है।

4.104 आर आई डी एफ XI के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के अंतर्गत ऋण मंजूरी के लिए लागू शर्तें वही हैं जो आर आई डी एफ X के अंतर्गत लागू थीं। आर आई डी एफ XI के अंतर्गत उधार देने की दर बैंक दर से सहबद्ध अर्थात् ऋण की मंजूरी के समय मौजूदा बैंक के दर से 0.5 प्रतिशत ऊपर बनी हुई है।

4.105 आर आई डी एफ के X के अंतर्गत 60,015 परियोजनाएं मंजूर की गयीं जिनमें ऋण की राशि रु. 8,283 करोड़ थी। इसमें संचयित स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 2,16,099 और मंजूर की गयी राशि 42,950 करोड़ रुपए थी। इस राशि में से कुल 54 करोड़ रुपए खंड पंचायतों (पंचायती राज संस्थाओं) द्वारा कार्यन्वित की जानेवाली ग्रामीण सड़कों और पुल परियोजनाओं के लिए केरल राज्य को मंजूर किये गये। वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए मंजूर और वितरित की गयी कुल राशि क्रमशः 78 करोड़ रु. और 76 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान 4,500 करोड़ रु. के लक्ष्य की तुलना में वितरित की गई राशि 4,317 करोड़ रु. थी।

नाबार्ड द्वारा दिया गया ऋण

4.106 मौसमी कृषि परिचालनों फसलों की विपणन व्यवस्था, मछलीपालन कार्यकलापों, सहकारी बुनकर सोसाइटियों के उत्पादन/ अभिग्रहण और विपणन कार्यकलापों, शीर्ष / क्षेत्रीय सोसाइटियों द्वारा सूत की खरीद और बिक्री, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों, प्राथमिक कृषि एवं ऋण समितियों के जरिए ग्रामीण कारीगरों को वित्तपोषण प्रदान करने और खाद की खरीद एवं वितरण, सहायक और अन्य विपणन कार्यकलापों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा, खरीद और विपणन

तथा ट्रेडिंग-इन-यार्न के वित्तपोषण के लिए शीर्ष / क्षेत्रीय बुनकर / अन्य औद्योगिक समितियों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को भी अल्पावधि ऋण मंजूर किए जाते हैं। मौसमी कृषि कार्यो, मौसमी कृषि कार्यो से भिन्न कार्यो, फसलों के विपणन तथा मत्स्य पालन कार्यो के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अल्पावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं। अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने एवं अनुमोदित कृषि निवेशों के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं।

4.107 वर्ष 2004-05 के दौरान नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों को कुल मिलाकर 10,811 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए जो वर्ष 2004-05 में मंजूर की गयी राशि से 23 प्रतिशत अधिक थी। नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सरकारों को दिए गए बकाया ऋण की राशि 8,597 करोड़ रुपए थी जो 2003-04 में दिए गए ऋण से अधिक थी (सारणी IV.28)। बकाया पुनर्वित्त का बड़ा हिस्सा (95 प्रतिशत) अल्पावधि प्रयोजनों के लिए था। राज्य सहकारी बैंकों को दिया गया बकाया पुनर्वित्त का हिस्सा (95 प्रतिशत) मौसमी कृषि परिचालनों के लिए था।

4.108 कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में जून 2004 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में, किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों के संबंध में नाबार्ड ने राज्य सरकारों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है। यह आशंका व्यक्त की गई कि इन उपायों के कार्यान्वयन को किसानों को दिए गए ऋणों का रुपांतरण / ऋण चुकौती की अवधि से जोड़ देने के फलस्वरूप सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चलनिधि की समस्या हो सकती है जिससे नये ऋण प्रदान करने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी और वे वर्ष के दौरान वांछित विकास नहीं कर पाएंगे। इस समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2004-2005 के दौरान इन संस्थानों के लिए नाबार्ड ने एक चलनिधि सहायता योजना आरम्भ की। वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को 1770 करोड़ रुपए की चलनिधि सहायता मंजूर की गयी। नाबार्ड ने सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के रूप में नौ राज्य सरकारों को 39 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण मंजूर किए (सारणी IV.28)।

नाबार्ड द्वारा लगाई गई ब्याज दर

4.109 नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की ब्याज दर ऋण की मात्रा और जिस कार्यकलाप / क्षेत्र के लिये ऋण दिया गया है उसके स्वरूप द्वारा तय किया जाता है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर की वृद्धि का विचार करते हुए सहकारी बैंकों को नाबार्ड को कोई पूर्व भुगतान प्रभार दिये बिना, 7 प्रतिशत से ऊपर के संपूर्ण बकाया पुनर्वित्त की चुकौती

सारणी IV.28: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण

(राशि करोड़ रु.)

श्रेणी	2003-04				2004-05			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)	8,812	9,294	9,220	5,615	10,811	12,278	9,703	8,191
क. अल्पावधि	8,524	8,719	8,918	4,985	9,041	11,488	9,436	7,037
ख. मध्यावधि	288	576	302	630	1,770	790	267	1,154
2. राज्य सरकारें								
दीर्घावधि	40	85	67	460	39	11	65	406
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)	1,433	989	1,260	621	2,380	1,868	1,196	1,293
क. अल्पावधि	1,433	989	1,245	613	2,221	1,849	1,191	1,271
ख. मध्यावधि	-	-	15	8	159	18	5	22
कुल जोड़ (1+2+3)	10,284	10,369	10,547	6,696	13,230	14,157	10,963	9,890

- : कुछ नहीं / नगण्य
स्रोत: नाबार्ड

करने का विकल्प दिया गया था। कमजोर राज्य सहकारी बैंकों को उच्च लागत वाले बकाया पुनर्वित्त पर ब्याज की दर को 8 प्रतिशत की एकसमान ब्याजदर पर निर्धारित करने का विकल्प दिया गया था बशर्ते वे विकास कार्य योजना (डीएपी) के कार्यान्वयन के लिये नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करें। 16 मार्च 2005 से प्रभावी मीयादी ऋणों पर नाबार्ड द्वारा लगायी जाने वाली ब्याजदर 6.0 से 6.75 प्रतिशत के बीच थी (सारणी IV.29)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

4.110 मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि ऋण हेतु अगस्त 1998 में आरम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना तक पहुँच और कृषि क्षेत्र के लिए समय पर और कम खर्चीला ऋण उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने अल्पावधि ढांचे में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विस्तार में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति की है। किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

सारणी IV.29: कृषि / गैर कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत निवेश ऋण पर नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पर ब्याज दर*

(प्रतिशत)

क्र. सं.	कार्यकलाप/क्षेत्र का नाम	स्लैब/ऋण का आकार		
		I 50,000 रु. तक	II 50,000 रु. से 2,00,000 रु. तक	III 2,00,000 रु. से अधिक
1	2	3	4	5
1.	सिक्किम एवं अंदमान और निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी कार्यकलाप	6.00	6.00	6.00
2.	सभी क्षेत्रों में एंग्रिकल्निक्स और कृषि व्यवसाय केंद्र	6.00	6.00	6.00
3.	एमआइ, डीएलएफ, एलडी, डब्ल्यूएलडी, एसजीएसवाय, एसएचजी, एससी/एसटी कार्य योजना, ऊपर (1) से उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में एईजेड, एएण्डएम, आरएच एवं एफएम के अंतर्गत संविदा कृषि	6.00	6.25	6.25
4.	ऊपर (1) में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में एनएफएस	6.00	6.25	6.50
5.	ऊपर (1) में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों में शीत भंडारण, ग्रामीण गोदाम और अन्य कार्यकलाप	6.00	6.25	6.75

*: 16 मार्च 2005 से प्रभावी और वाणिज्य बैंकों, पी सी बी, आर आर बी, एस टी सी बी, एस सी ए आर डी बी तथा ए डी एफ सी सहित सभी संख्याओं पर लागू।

टिप्पणी : एम आइ - अल्प सिंचाई; डी एल एफ - सूखी भूमि पर खेती; एल डी - भूमि सुधार; डब्ल्यू एल डी - अनुपयोगी भूमिका का विकास; एस जी एस वाय - स्वर्णजयंति ग्राम स्वरोजगार योजना; एस एच जी - स्वसहायता समूह; ओएफ - ऑर्गेनिक फार्मिंग; ए इ झेड - कृषि निर्यात अंचल; ए एंड एम - एरोमैटिक और औषधी पौधे; आर एच - ग्रामीण आवास; एन एफ एस - कृषितर क्षेत्र; एफ एम - खेती का यांत्रिकीकरण

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

नाबार्ड ने कृषि और सहायक कार्यकलापों के लिए मीयादी ऋणों को शामिल करने के लिए इस योजना के दायरे को और बढ़ा दिया। नाबार्ड ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे (i) मौद्रिक पट्टेदारों सहित किसानों की पहचान करने और उन्हें ऋण देने के सभी प्रयास करें और किसान क्रेडिट कार्डों का नवीकरण सुनिश्चित करें; (ii) अपनी देय राशि की चुकौती के लिए चूककर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें; और (iii) केवल किसान क्रेडिट कार्डों के मार्फत फसल ऋण देने के लिए अपनी शाखाओं को उचित निर्देश जारी करें।

4.111 मार्च 2005 के अंत तक जारी किये गये 51.08 मिलियन किसान क्रेडिट कार्डों में से 54.4 प्रतिशत सहकारी बैंकों ने, 34.5 प्रतिशत वाणिज्य बैंकों ने और 11.0 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जारी किये (सारणी IV.30)।

सारणी IV.30: एजेन्सीवार, वर्षवार, किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

(संख्या मिलियन में)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्य बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1998-99	0.16	0.01	0.62	0.78
1999-00	3.60	0.17	1.37	5.13
2000-01	5.61	0.65	2.39	8.65
2001-02	5.44	0.83	3.07	9.34
2002-03	4.58	0.96	2.70	8.24
2003-04	4.88	1.27	3.09	9.25
2004-05	3.56	1.73	4.40	9.68
कुल (मार्च 2005 के अंत तक)	27.81	5.63	17.64	51.08
कुल में प्रतिशत अंश	54.4	11.0	34.5	100.0

सहकारिता विकास निधि

4.112 मानव संसाधन विकास, बेहतर प्रबंध सूचना प्रणाली तैयार करने, मूलभूत सुविधाएं तैयार करने और तकनीकी कार्मिकों सहित कारोबार विकास विभाग स्थापित करने जैसी विभिन्न विकास संबंधी पहलों के लिए सहकारिता विकास निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं को 3 करोड़ के ऋण स्वीकृत और 4 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार सहकारिता विकास निधि के अंतर्गत संचयित रूप से स्वीकृत और वितरित राशि क्रमशः रुपए 65 करोड़ और रुपए 55 करोड़ थी। सहकारिता विकास निधि से सहकारी बैंकों को अनुदान देने के लिए एक योजना आरंभ की गयी ताकि अपने मौजूदा और भावी ग्राहकों के बीच विभिन्न राहत उपायों, ऋण सुविधाओं और योजनाओं का प्रचार कर सकें और वे 2004-07 की अवधि के दौरान कृषि ऋण को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। सहकारिता विकास निधि में से 5 करोड़ रुपए की राशि, कारोबार परिचालन के आकार और स्वरूप के आधार पर, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए प्रति संस्था (राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक / एससीएआरडीबी) सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई।

विकास कार्य योजना / सहमति ज्ञापन

4.113 संस्था विशेष विकास कार्य योजना तैयार करने का दूसरा चरण और सहमति ज्ञापन के निष्पादन का कार्य 2003-04 में पूरा हुआ। सहकारी बैंकों में मौजूदा कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य योजना / सहमति ज्ञापन की प्रक्रिया को आगे और तीन वर्षों अर्थात् 2007 तक बढ़ा दिया गया। संशोधित दृष्टिकोण के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को विकास कार्ययोजना / सहमति ज्ञापन प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष के दौरान 22 राज्य सहकारी बैंकों, 337 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, 12 एससीएआरडीबी और 704 पीसीएआरडीबी ने सहमति ज्ञापन निष्पादित किए थे।



गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

5.1 वित्तीय मध्यस्थों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख वित्तीय सेवाओं में भुगतान और चलनिधि, परिपक्वता का रूपांतरण, मूल्य स्टोर करना, सूचना प्रसंस्करण और जोखिम का एकत्रीकरण शामिल है। बैंकों ने परंपरागत ढंग से इनमें से अधिकांश सेवाएं उपलब्ध करायी हैं और अब वे अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। तथापि, बैंकों को भुगतान और चलनिधि संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में विशिष्ट प्रकार की महारत हासिल है तथा वे सामान्यतः कुछ विशेष प्रतिलाभ उपलब्ध कराने के विशेष उद्देश्य के साथ कोई संविभाग चुनते हैं। दूसरी ओर, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं विस्तारित इक्विटी और जोखिम आधारित उत्पाद उपलब्ध कराने में रुचि लेती हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, स्पर्धा का विस्तार करने, वित्तीय क्षेत्र में विविधता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वित्तीय संकट के समय आघातों और बढ़नेवाले जोखिम को अवशोषित करने की दृष्टि से समर्थ वित्तीय प्रणाली के पूरक के रूप में अधिकाधिक पहचानी जाने लगी हैं।

5.2 परंपरागत बैंकिंग प्रणाली के बाहर के वित्तीय संसाधनों के संग्रहण में हाल के वर्षों में समस्त विश्व में भारी वृद्धि हुई। वाणिज्य बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बीच की सीमा और ज्यादा धुंधली होती जा रही है। इस प्रकार, तेज वित्तीय विविधीकरण ने विनियामकों के लिए नई चुनौतियां खड़ी की हैं, विशेषतः बेहद जटिल गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था क्षेत्र के लिए उचित विनियामक रक्षोपाय बनाने में। अपने विविधीकृत स्वभाव के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय क्षेत्र के सामान्य दिशानिदेश के अतिरिक्त उनके विशेष कारोबार हेतु विशेष विनियामक व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो सकती है।

5.3 भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था क्षेत्र में विविध किस्मों की संस्थाएं शामिल हैं जिनमें से प्रत्येकका मूल, वित्तीय क्षेत्र के विकास के किसी स्तर में हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, जो अधिकांशतः भारत में योजनाबद्ध विकास की शाखाएं हैं, दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए निर्मित की गई थीं जिनमें से कुछ विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित थीं। दूसरी ओर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अधिकतर निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं जिन्होंने भारतीय वित्तीय प्रणाली में अपनी जगह

बनायी है। प्राथमिक व्यापारी, जोकि हाल ही में अस्तित्व में आए हैं, प्राथमिक और गौण-दोनों सरकारी प्रतिभूति बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के एक समूह में होने के बावजूद वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्राथमिक व्यापारियों के परिचालनों में बहुत भिन्नता होती है। इन तीन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं संबंधी विनियामक केंद्र भी भिन्न होते हैं। भिन्न किस्म की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कारोबारी परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन प्रमुख रूप से क्षेत्र विशिष्ट कारकों से प्रेरित होते हैं।

5.4 2004-05 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के संबंध में विनियामक पहल का जोर आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, एक उधारकर्ता या उनके समूह की ऋण जोखिम और गवर्नेंस मानदंडों संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिदेशों को सुदृढ़ बनाने पर था। 2004-05 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के कारोबारी परिचालन बढ़ गए। उनका वित्तीय कार्यनिष्पादन भी सुधर गया जो निवल ब्याज आय में वृद्धि का परिणाम था। वित्तीय संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में सामान्यतः उल्लेखनीय सुधार देखा गया। वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात ऊंचे स्तर पर बना रहा हालांकि वर्ष के दौरान उसमें कुछ गिरावट भी आयी थी।

5.5 वर्ष के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों संबंधी विनियामक पहल क्रेडिट /डेबिट कार्डों संबंधी दिशानिदेश जारी करने, जनता से जमाराशियां न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु रिपोर्टिंग व्यवस्था, जमाराशियों का समय से पहले आहरण के मानदंड, जनता की जमाराशियों हेतु रक्षा तथा अपने ग्राहक को जानिए दिशानिदेश से संबंधित थी। 2003-04 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कारोबारी परिचालन तेजी से कम हुए¹ जो प्रमुख रूप से संसाधन संग्रहण में कमी का प्रभाव दर्शाते हैं। उनमें 2004-05 में थोड़ी-सी वृद्धि हुई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लाभप्रदता 2003-04 और 2004-05 में सुधरी। यह प्रमुख रूप से व्यय नियंत्रण के कारण हुआ था। हालांकि, एक समूह के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल अनर्जित आस्ति 2003-04 और 2004-05 में कम हुई, लेकिन निवल अनर्जक आस्ति 2003-04 में थोड़ी-सी कम होने के बाद 2004-05 में काफी बढ़ गई। यद्यपि, कुल मिलाकर

¹ पिछली रिपोर्ट में दी गई एनबीएफसी संबंधी सामग्री 2002-03 की है। इस रिपोर्ट में 2003-04 की सामग्री के अलावा, 570 रिपोर्टिंग कंपनियों संबंधी 2004-05 के लिए अनंतिम सामग्री भी संग्रहित करके उसका विश्लेषण किया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति निरंतर सुविधाजनक बनी रही, फिर भी जोखिम भारित आस्ति में पूंजी के 12 प्रतिशत से कम अनुपात वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन 30 प्रतिशत से कम अनुपात वाली ऐसी कंपनियों की संख्या कम हो गई। जनता जमाराशि न लेने वाली लेकिन 500 करोड़ रुपए व उससे अधिक आस्ति वाली बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार निरंतर बढ़ता रहा। इस वर्ष इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारी लाभ कमाया और अपनी आस्ति गुणवत्ता भी बढ़ाई।

5.6 सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका सुदृढ़ करने के लिए 2004-05 के दौरान अनेक उपाय शुरू किए गए। वर्ष के दौरान की गई मुख्य पहल में निम्न बातें शामिल हैं - भुगतान अनुपात और पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लाभांश वितरण नीति मजबूत करना, टियर II और टियर III की पूंजी हेतु गौण ऋण उगाहने के लिए दिशानिदेश जारी करना, सरकारी प्रतिभूति बाजार में तत्काल गौण बाजार संबंधी लेनदेन के लिए टी + 1 आधार पर मानकीकृत निपटान अपनाना और प्राथमिक निर्गम में सफल बोली लगाने वाले को आबंटन के दिन आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय की अनुमति देना। वर्ष के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत में कमी आई। ब्याज दरें कम होने से प्राथमिक व्यापारियों ने सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी धारिता भारी मात्रा में घटा दी। समूह के रूप में प्राथमिक व्यापारियों को वर्ष के दौरान निवल हानि हुई जिसका कारण प्रमुख रूप से कारोबार में अधिक हानि का होना था, जबकि पिछले वर्ष कारोबार में लाभ हुआ था। हानि के बावजूद, प्राथमिक व्यापारियों ने उच्च पूंजी पर्याप्तता अनुपात बरकरार रखा। उन्होंने अपनी आस्तियों की धारिता घटाने के लिए अपने संविभाग की संशोधित अवधि कम कर दी।

5.7 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा प्राथमिक व्यापारियों की नीतिगत गतिविधियों, कारोबारी परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन का ब्योरा क्रमशः अध्याय 2, 3 और 4 में दिया गया है।

2. वित्तीय संस्थाएं

5.8 वित्तीय संस्थाएं परंपरागत ढंग से राज्य के विकास के लक्ष्य के अनुरूप अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि निधियों की बड़ी स्रोत रही हैं। समय के साथ अनेक प्रकार की विकास वित्त संस्थाएं उभरी हैं। यद्यपि उनमें से अधिकतर प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ वित्तीय संस्थाएं परोक्ष वित्त और कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं अधिकांशतः पुनर्वित्त प्रदान करती हैं। विकास वित्त संस्थाएं अपने परिचालन के क्षेत्र के आधार पर स्थूल रूप से अखिल भारतीय या राज्य स्तर की संस्थाओं की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। अखिल भारतीय संस्थाओं को उनके प्रमुख कार्य

के अनुसार (i) मीयादी उधार देने वाली संस्थाओं (आइ एफ सी आइ लि., आइ आइ बी आइ लि., आइ डी एफ सी लि., एक्जिम बैंक और टी एफ सी आइ लि.) के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं जो भिन्न-भिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को दीर्घावधि वित्त देती हैं; (ii) पुनर्वित्त संस्थाएं (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक जो क्रमशः कृषि, लघु स्तरीय उद्योगों और आवास क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों को पुनर्वित्त देते हैं; और (iii) निवेश संस्थाएं (एल आइ सी तथा जी आइ सी) जो अपनी आस्तियों को अधिकांशतः विक्रेय प्रतिभूतियों में विनियोजित करते हैं। राज्य / क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं का विशेष समूह है जिनमें विविध राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक और विकास निगम और उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड शामिल हैं। इनमें से कुछ वित्तीय संस्थाएं भारत सरकार द्वारा सरकारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत लोक वित्त संस्थाओं के रूप में अधिसूचित की गई हैं।

5.9 मीयादी उधार देने वाली आइसीआइसीआइ और आइडीबीआइ नामक दो संस्थाओं के बैंक के रूप में रूपांतरण के बाद रिजर्व बैंक के संपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत अब केवल नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और एक्जिम बैंक नामक वित्तीय संस्थाएं ही रह गई हैं। नाबार्ड, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संबंधित क्षेत्र की वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के विनियमन और पर्यवेक्षण का दायित्व भी उठाते हैं जैसे कि आवास निर्माण वित्त कंपनियों के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक, राज्य वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक और विकास निगमों के मामले में सिडबी और सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में नाबार्ड उक्त दायित्व उठाता है। नाबार्ड, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए जा रहे विकासात्मक और पर्यवेक्षी कार्यों के मद्देनजर, वित्तीय संस्थाओं के लिए आशोधित पर्यवेक्षी मानदंड संबंधी दृष्टिकोण लागू किया गया जोकि कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री वाय. एच. मालेगाम) की सिफारिशों पर आधारित है। जनता से जमाराशियां न स्वीकारने वाली किंतु 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार की वित्तीय संस्थाएं रिजर्व बैंक के सीमित परोक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आती हैं। अतः, इस भाग के विश्लेषण का केंद्र वर्तमान समय में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित आठ संस्थाओं तक सीमित है। इन संस्थाओं में आइ एफ सी आइ, आइ आइ बी आइ, आइ डी एफ सी, एक्जिम बैंक, टी एफ सी आइ, सिडबी, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक शामिल हैं।

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहल

5.10 वित्तीय संस्थाओं के विनियामक ढांचे को बैंकों की तर्ज पर लाने के लिए 2004-05 के दौरान अनेक विवेकपूर्ण और अन्य विनियामक उपाय शुरू किए गए।

आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता मानदंड

5.11 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के करीब जाने और वित्तीय संस्थाओं पर लागू मानदंड बैंकों पर लागू करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से 31 मार्च 2005 से, 12 महीने से अधिक समय तक अवमानक श्रेणी में रही आस्ति को 'संदिग्ध आस्ति' के रूप में वर्गीकृत करना अपेक्षित है। तथापि, वित्तीय संस्थाओं को अनुमति है कि वे परिणामी अतिरिक्त प्रावधानीकरण प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर 31 मार्च 2005 तक पूरा करें।

5.12 वर्तमान समय में, वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे अनर्जक आस्तियों की अवधि के आधार पर उनके लिए स्तरबद्ध प्रावधान करें। तथापि, 'तीन वर्ष से ज्यादा समय तक संदिग्ध' की श्रेणी में रही अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा उसके प्रतिभूत भाग के लिए 50 प्रतिशत है, भले ही उसकी अवधि कुछ भी हो, और जब तक वह हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित न कर दी जाए। अवधि बीतने के साथ-साथ आस्ति की वसूली में अवसर कम होते जाते हैं, अतः वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अत्यावश्यक है कि वे अनर्जक आस्तियों की वसूली में तेजी लाएं। तदनुसार, 'तीन वर्ष से ज्यादा समय से संदिग्ध' की श्रेणी में रही अनर्जक आस्तियों की अवधि के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं के लिए 31 मार्च 2005 से स्तरबद्ध उच्चतर प्रावधानीकरण लागू किया गया (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून 2004 से)। परिणामतः, प्रतिभूत भाग पर प्रावधानीकरण की बढ़ी हुई अपेक्षा 31 मार्च 2004 को 'तीन वर्ष से ज्यादा समय तक संदिग्ध' की श्रेणी में रही अनर्जक आस्तियों के मौजूदा स्टॉक पर चरणबद्ध तौर पर लागू किया जाना अपेक्षित है (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून से)। अप्रतिभूत भाग, जोकि ऐसी मूर्त प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से रक्षित नहीं है जिसके लिए वित्तीय संस्थाओं के पास वैध अधिकार है तथा जिसके वसूली योग्य मूल्य का वास्तविक आधार पर अनुमान लगाया जाता है, पर अब तक की भांति 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना जारी रहेगा। तथापि, 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद 'तीन वर्ष से ज्यादा समय तक संदिग्ध' की श्रेणी में रहे अग्रिमों (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 1 जुलाई 2004) के संबंध में प्रावधानीकरण अपेक्षा 100 प्रतिशत होगी।

5.13 पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों से सभी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण आदि जोखिम पर 1 अप्रैल 2005 से 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा जो पहले 20 प्रतिशत था।

वित्तीय संस्थाओं की विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाएं

5.14 उधारकर्ताओं की बाह्य वाणिज्यिक उधारों तक आसान पहुंच और पूंजी बाजार से संसाधन एकत्र करने की उनकी योग्यता के

प्रकाश में, ऐसी वित्तीय संस्थाओं को मामला-दर-मामला अनुमोदन देने की प्रथा बंद कर दी गई, जो विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाओं के अनुपालन में कठिनाई महसूस करती थीं। तदनुसार, वित्तीय संस्थाओं को एकल / समूह उधारकर्ता की विवेकपूर्ण जोखिम सीमा अर्थात्, क्रमशः, 15 प्रतिशत (इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त) और 40 प्रतिशत (इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त) का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। अपवादात्मक परिस्थितियों में वित्तीय संस्थाएं अपने बोर्ड के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता को दिए गए ऋण की सीमा अपनी पूंजीगत निधियों के 5 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं (अर्थात् एकल उधारकर्ता के लिए पूंजीगत निधियों के 20 प्रतिशत तक और समूह उधारकर्ताओं के लिए पूंजीगत निधियों के 45 प्रतिशत तक) बशर्ते कि उधारकर्ता सहमति दे कि वित्तीय संस्थाएं अपनी वार्षिक रिपोर्टों में इस संबंध में समुचित प्रकटीकरण करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को दिए गए ऋणों के संबंध में वित्तीय संस्थाएं 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत की सीमा के अतिरिक्त क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अतिरिक्त मंजूरी पर विचार कर सकती हैं। ऐसे ऋण, जहाँ मूल धन और ब्याज भारत सरकार द्वारा पूर्णतः प्रत्याभूत होता हो, को इससे बाहर रखा जा सकता है। वित्तीय संस्थाओं को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के 'नोट्स ऑन अकाउंट' में इस संबंध में समुचित प्रकटीकरण करना चाहिए, जहाँ जोखिम विवेकपूर्ण सीमाओं को पार कर गया हो। वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे उपर्युक्त अपेक्षाओं से मेल न खाने वाली एकल / सामूहिक उधारकर्ता सीमाओं से अधिक ऋण को, अपनी पूंजीगत निधियों को बढ़ाकर या ऋण में कमी लाकर 31 मार्च 2005 तक अपेक्षा का अनुपालन कर लें।

लिखत की अमूर्त रूप में धारिता

5.15 इक्विटी संबंधी लिखतों को अमूर्त रूप में रखने की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे 30 अगस्त 2004 से अपने इक्विटी लिखत में नए निवेशों को अमूर्त रूप में रखें। मूर्त रूप के सभी शेष इक्विटी निवेशों को दिसंबर 2004 के अंत तक अमूर्त रूप में परिवर्तित करना अपेक्षित था।

वित्तीय संस्थाओं के सांविधिक के द्रीय लेखा-परीक्षकों से अधिप्रमाणन प्रमाणपत्र

5.16 वित्तीय संस्थाओं को फरवरी 2005 में सूचित किया गया था कि वे अपने सांविधिक के द्रीय लेखा परीक्षकों से (i) अपने खजाना परिचालनों संबंधी प्रमाणपत्र; (ii) निवेश समाधान; (iii) उपयोग में न लिए गए बैंकर रसीद के फार्मों की अभिरक्षा और उनका उपयोग जैसा कि जानकीरामन समिति की सिफारिशों में कहा गया था; (iv) निवेश सविभाग, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और

प्रावधानीकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों का अनुपालन; (v) जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात की गणना का प्रमाणन और तुलन पत्र से संलग्न 'नोट्स ऑन अकाउंट' में पूँजी पर्याप्तता अनुपात का मूल्यांकन, प्राप्त करें।

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

5.17 वित्तीय संस्थाओं के जोखिम एक्सपोजर के प्रकटीकरण को अर्थपूर्ण और उचित बनाने तथा जोखिम प्रबंधन की रणनीति बनाने की दृष्टि से अप्रैल 2005 में डेरिवेटिव्स में उनके जोखिम एक्सपोजर के संबंध में न्यूनतम ढांचा बनाया गया। उक्त ढांचे में, मात्रात्मक पहलू के अलावा, डेरिवेटिव्स संबंधी गुणात्मक पहलू भी शामिल हैं जोकि डेरिवेटिव्स के उपयोग की सीमा, उससे जुड़े जोखिम और कारोबारी प्रयोजनों के विशेष संदर्भ में हैं।

अन्य नीतिगत गतिविधियां

5.18 2004-2005 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुपालन स्वरूप पुनर्वित्त संस्थाओं की विनियमित संस्थाओं पर उनके विनियामक और पर्यवेक्षी प्रणाली की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए 3 सितंबर 2004 को पुनर्वित्त संस्था संबंधी तकनीकी दल (अध्यक्ष: श्री जी.पी. मुनिअप्पन) का गठन किया गया था। उक्त समिति ने फरवरी 2005 में पेश अपनी रिपोर्ट में पुनर्वित्त संस्था संबंधी विनियामक प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिए अनेक सिफारिशों की। इस दल ने सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने, आकार तथा पुनर्वित्त के लिए पुनर्वित्त संस्थाओं की निर्भरता के आधार पर विनियमन हेतु विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि पुनर्वित्त संस्थाओं द्वारा विनियमित / पर्यवेक्षित संस्थाओं को सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली और सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सरकारी जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं को रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष विनियमन में तब तक रखना चाहिए जब तक वे सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना बंद न कर दें। सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली संस्थाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए : (क) 100 करोड़ रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली संस्थाएं जो या तो पुनर्वित्त संस्थाओं से पुनर्वित्त बिल्कुल नहीं लेती हैं या बहुत कम लेती हैं; (ख) 100 करोड़ रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली संस्थाएं जिनकी पूरी या अधिकतम निधि पुनर्वित्त संस्थाओं से पुनर्वित्त होती है; और (ग) 100 करोड़ रुपए या उससे कम आस्ति वाली संस्थाएं। उक्त दल ने सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक को श्रेणी (क) के अंतर्गत

आने वाली संस्थाओं के विनियमन के लिए पुनर्वित्त संस्थाओं को व्यापक ढांचा प्रदान करना चाहिए। श्रेणी (ख) तथा (ग) की संस्थाओं का विनियमन, विवेकपूर्ण मानदंडों के निर्धारण सहित, पूर्णतः पुनर्वित्त संस्थाओं पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एसएफसी को सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने से हतोत्साहित करना चाहिए और रिजर्व बैंक को उन्हें इस प्रयोजनार्थ दी गई अनुमति वापस ले लेनी चाहिए। गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों द्वारा सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना बंद किया जाना चाहिए। अंततः, सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं पर वही विवेकपूर्ण मानदंड लागू किए जाने चाहिए जो वाणिज्य बैंकों के लिए लागू हैं।

5.19 पुनर्वित्त संस्थाओं की निगरानी के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण कैमेल आधार पर किया जाना चाहिए और उनकी क्षमता आंतरिक रूप से ही विकसित की जानी चाहिए। तथापि, यदि आवश्यक हो तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में लेखा परीक्षकों को संविदा आधार पर नियोजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 इस आश का संशोधन किया जाए। साथ ही, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बैंक को नाबार्ड में पहले से स्थापित बोर्ड की तर्ज पर पर्यवेक्षण बोर्ड बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। सिडबी के पर्यवेक्षी कार्यों को भलीभांति परिभाषित करने की जरूरत है जो राज्य सरकार के हस्तक्षेप से रहित हो। सिडबी को दंड लगाने की पर्याप्त शक्तियाँ दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों को रेटिंग देने की प्रणाली चरणबद्ध तौर पर लागू करने पर विचार करना चाहिए।

5.20 रिजर्व बैंक और पुनर्वित्त संस्थाओं के दरम्यान समन्वय रखने के लिए उक्त दल ने रिजर्व बैंक, सिडबी, नाबार्ड तथा राष्ट्रीय आवास बैंक प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए स्थायी समिति बनाने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक और नाबार्ड के बीच की व्यवस्था नाबार्ड तथा राष्ट्रीय आवास बैंक जैसी दो अन्य पुनर्वित्त संस्थाओं के बीच भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक और नाबार्ड जैसे ही सिडबी के बोर्ड में भी उच्चतम प्रबंध तंत्र के स्तर पर रिजर्व बैंक का नामिती होना चाहिए। यद्यपि, वार्षिक वित्तीय निरीक्षण और विशेष संवीक्षा की मौजूदा व्यवस्था आवश्यक और उपयोगी है, अतः पुनर्वित्त संस्थाओं की पर्यवेक्षी प्रभावशीलता मापने की औपचारिक प्रणाली विकसित करके रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिलने पर उसे लागू करना चाहिए।

5.21 दल ने सिफारिश की है कि पुनर्वित्त संस्था द्वारा किसी शीर्ष ऋण संस्था को दिए गए कुल पुनर्वित्त की समीक्षा यह मानकर की जानी चाहिए कि यह विभिन्न प्राथमिक ऋण संस्थाओं या विभिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं को मंजूर की गई दुतरफा ऋण सुविधाओं का

समुच्चय है। इस सुविधा के प्रदूषित भाग और अप्रदूषित भाग के अलग-अलग वर्गीकरण की अनुमति होनी चाहिए ताकि किसी शीर्ष ऋण संस्था को दी गई संपूर्ण पुनर्वित्त सहायता आंशिक प्रदूषण आय के कारण पुनर्वित्त संस्थाओं की बही में एन पी ए के रूप में वर्गीकृत न हो जाए। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के गारंटीशुदा निवेश के संबंध में बैंकों के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड, जिनमें हाल ही में संशोधित किया गया है, जिससे आंशिक वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी पूरी करने की अपेक्षा असंबद्ध की गई थी, वे पुनर्वित्त संस्थाओं पर लागू किए जाएँ।

वित्तीय संस्थाओं के परिचालन

5.22 वित्तीय संस्थाएं परियोजना वित्त और गैर-परियोजना वित्त दोनों प्रकार से वित्तीय सहायता देती हैं। उधार, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान और आस्थगित भुगतान गारंटी परियोजना वित्त का बढ़ा हिस्सा होते हैं जबकि गैर-परियोजना वित्त में उपकरण वित्त, कंपनी ऋण उधार, उपकरण पट्टा, शेयर तथा डिबेंचर / बाँडों में निवेश /

प्रत्यक्ष अभिदान आते हैं (परिशिष्ट सारणी 1)। वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहक आधार को व्यापक बनाने के लिए अपने परिचालन का आधार बढ़ाती रही हैं (बॉक्स V.1)। वित्तीय संस्थाएं अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकतानुसार परामर्शी सेवा देकर, निवेश मूल्यांकन और कारोबारी पुनर्संरचना संबंधी कार्य करके और अग्रणी व्यवस्थापक की भूमिका अदा करके अपना गैर-निधि आधारित आय बढ़ाने के लिए कतिपय उपाय करने आ रही हैं।

5.23 प्रमुख रूप से एलआइसी की मंजूरी और संवितरण में तीव्र गिरावट के कारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (सिवाय आइडीबीआई) द्वारा मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता 2004-05 के दौरान घट गई। वित्तीय संस्था समूहों में पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के उलट इस वर्ष अखिल भारतीय मीयादी उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर वित्तीय सहायता में कमी आई, किंतु संवितरण में थोड़ी वृद्धि हुई (सारणी V.1 और परिशिष्ट सारणी V.1)।

5.24 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता हाल के वर्षों में लगातार घटती गई (चार्ट V.1)।

बॉक्स V.1: कारोबारी पहल और नए उत्पाद विकास - वित्तीय संस्थाएं

एक्विजि बैंक, ग्राहक महत्वपूर्ण लक्ष्य समूह के रूप में लघु और मझोले उद्यम निर्यातकों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। 75 करोड़ रुपए तक के वार्षिक पण्यवर्त वाली कंपनियों / फर्मों के प्रस्तावों पर कार्रवाई के लिए एक्विजि बैंक में लघु और मझोले उद्यम समूह बनाया गया है। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य बाह्य उन्मुख लघु और मझोले उद्यमी ग्राहकों का संविभाग विकसित करना और इन ग्राहकों को सरलता से ऋण सुपुर्दगी सुनिश्चित करना है। लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र को एक्विजि बैंक की सहायता से परियोजनाएं स्थापित करने, आधुनिकीकरण, विस्तार के लिए मीयादी ऋण और साथ ही उपस्कर वित्त और निर्यात ऋण शामिल है। 2004-05 के दौरान निर्यातोन्मुख लघु और मझोले उद्यमों को 134 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृत की गई थीं। इसी प्रकार कृषि निर्यात को भी केंद्र क्षेत्र अभिनिर्धारित किया गया है। कृषि निर्यात की अपेक्षाओं पर ध्यान देने के लिए एक्विजि बैंक में कृषि कारोबारी समूह भी स्थापित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण, फूलों, फलों और सब्जियों तथा संविदा खेती के लिए भी मीयादी ऋण मंजूर किए गए थे। 2004-05 के दौरान कृषि निर्यात क्षेत्र को कुल 582 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एक्विजि बैंक के सेवा क्षेत्र वित्तपोषण में अब मनोरंजन, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आतिथ्य और नौवहन भी शामिल है। 2004-05 के दौरान सिनेमा निर्माण में लगी 3 कंपनियों को ऋण दिए गए थे। सिनेमा के वित्तपोषण के प्रति दृष्टिकोण फॉरेक्स अर्जक परियोजनाओं और सिद्ध रिकार्ड वाले चयनित उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना रहा है।

लघु उद्योग धारणा और लघु तथा मझोले उद्यमों के बीच तालमेल बिठाने की दिशा में सिडबी अनेक उपाय करता आ रहा है। सिडबी पहले भारत सरकार द्वारा घोषित 10,000 करोड़ रुपए का लघु तथा मझोले उद्यम कोष परिचालित किया है। इस कोष के अंतर्गत लघु और मझोले उद्यमों को

प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है जोकि सिडबी की मूल उधार दर से 2 प्रतिशत नीचे होती है। 2004-05 के दौरान, 2,825 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी जिसका लाभ लगभग 3,900 इकाइयों को मिला था। इसके अतिरिक्त, सिडबी ने लघु और मझोले उद्यमों की जोखिम पूंजी आवश्यकताएँ पूरी करने की दृष्टि से चयनित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर लघु और मझोले उद्यम वृद्धि कोष स्थापित किया है।

आइडीएफसी ने हाल के वर्षों में उसका कारोबार, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण से बढ़ाकर शहरी, कृषि और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक कर दिया है। उसने वित्तीय और सलाहकार सेवाओं जैसे आय के ब्याज से इतर स्रोतों के विस्तार के प्रयास भी किए हैं। देश के सुधरे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण में आइडीएफसी की मंजूरीयाँ और संवितरण तेज वृद्धि दर्ज करते रहे। यद्यपि, मंजूरीयों ने पिछले वर्ष दर्ज 149.3 प्रतिशत की तुलना में 12.1 प्रतिशत जैसी मध्यम दर्जे की वृद्धि दिखायी, किंतु संवितरण पिछले वर्ष के 47.2 प्रतिशत की तुलना में 58.3 प्रतिशत होकर 3,739 करोड़ रुपए पर थे। 2004-05 में आइडीएफसी के वार्षिक संवितरण उस वर्ष देश के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी परियोजना वित्तपोषण के लगभग तीसरा भाग थे। संचयी आधार पर, आइडीएफसी ने 31 मार्च 2005 तक 198 परियोजनाओं को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की सहायता अनुमोदित की। 2004-05 के दौरान कुल संवितरण में ऊर्जा, दूरसंचार और परिवहन का हिस्सा सर्वाधिक (83.7 प्रतिशत) था। ऊर्जा और वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी संवितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी V.2)।

उधार देने की गतिविधि और संसाधन संग्रहण पर प्रतिबंध की दृष्टि से आइडीबीआई ने समझौतों, कानूनी कार्रवाई की गति बढ़ाकर और पुनर्संरचना के माध्यम से बकाया की वसूली पर ध्यान केंद्रित किया।

सारणी V.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रूप में)

मद	मार्चांत				प्रतिशत घट-बढ़			
	2004		2005		2003-04		2004-05	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) अखिल भारतीय मीयादी उधार दाता संस्थाएं*	17,770	9,647	15,605	10,025	8.5	-9.1	-12.2	3.9
ii) विशिष्टता प्राप्त वित्तीय संस्थाएं **	440	396	98	64	-7.6	-19.4	-77.7	-83.8
iii) निवेश संस्थाएं #	23,197	16,989	10,293	8,972	288.9	115.0	-55.6	-47.2
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	41,407	27,032	25,996	19,061	81.5	42.2	-37.2	-29.5

* : आइएफसीआइ, सिडबी, आइआइबीआइ और आइडीएफसी से संबंधित।
 ** : आइबीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर और टीएफसीआइ से संबंधित।
 # : एलआइसी और जीआइसी से संबंधित।
 टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।
 स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

5.25 2004-05 के दौरान वित्तीय संस्थाओं (सिवाय आइडीबीआइ के) की देयताएं और आस्तियां बढ़ीं, जबकि पिछले वर्ष उसमें गिरावट आयी थी। वित्तीय संस्थाओं की निधि के प्रमुख स्रोत बांड / डिबेंचर बने रहे जिनके बाद बैंकों से प्राप्त रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण का स्थान था। यद्यपि बांडों और डिबेंचर तथा उधारी द्वारा जुटाए गए संसाधन तेजी से बढ़े, किंतु जमाराशियों द्वारा जुटाए गए संसाधन घट गए। वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों के मुख्य घटक ऋण और अग्रिम तथा निवेश होते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस वर्ष दिए गए ऋण और अग्रिम तथा उनके निवेश में उच्चतर दर से वृद्धि हुई, जो देश में मजबूत निवेश वातावरण के प्रभाव को दर्शाता है। वित्तीय

संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश में थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष भारी वृद्धि हुई थी (V.2)।


वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

5.26 वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए कुल संसाधन (अल्पावधि और दीर्घावधि रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण, बांड और डिबेंचर तथा जमाराशि) मार्चांत 2005 में 19.4 प्रतिशत बढ़कर 83,889 करोड़ रुपए हो गए।

5.27 यद्यपि वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए अल्पावधि और दीर्घावधि रुपया संसाधन (प्रवाह के अनुसार) बढ़ गए लेकिन विदेशी मुद्रा ऋण से जुटाए गए संसाधनों में गिरावट आयी। सर्वाधिक संसाधन नाबार्ड द्वारा जुटाए गए जिसके बाद एक्विजम बैंक, एनएचबी और आइडीएफसी का स्थान था (सारणी V.3 और परिशिष्ट सारणी V.3)। आइएफसीआइ और आइआइबीआइ को उनकी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण नए संसाधन जुटाने से रोका जाता रहा।

5.28 2004-05 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार लिखतो से जुटाए गए संसाधनों की औसत काफी घट गई, जिसका प्रमुख कारण था मीयादी जमाराशियों के जरिए जुटाए गए संसाधनों में गिरावट। वाणिज्यिक के जरिए जुटाए गए संसाधन तेजी से बढ़े (सारणी V.4)।

5.29 रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष लाभ भारत सरकार को अंतरित करने से पहले दीर्घावधि परिचालन कोष से औद्योगिक और कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने की प्रथा 1992-93 के संघीय बजट में की गई इस आशय की घोषणा के बाद बंद कर दी गई। तदनुसार, 1992-93 से रिजर्व बैंक इन निधियों में सांकेतिक योगदान ही करता रहा है। जून 2005 के अंत में एनआइसी (दीर्घावधि



सारणी V.2: वित्तीय संस्थाओं की देयताओं और आस्तियों का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत तक		प्रतिशत अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	6,131 (4.7)	6,331 (4.4)	-	3.3
2. प्रारक्षित निधि	13,499 (10.4)	14,963 (10.5)	13.5	10.8
3. बांड और डिबेंचर	50,545 (38.8)	60,801 (42.6)	5.6	20.3
4. जमा	17,946 (13.8)	13,643 (9.5)	13.5	-24.0
5. उधार	18,360 (14.1)	23,028 (16.1)	11.3	25.4
6. अन्य देयताएं	23,661 (18.2)	24,104 (16.9)	5.6	1.9
कुल देयताएं/आस्तियां	1,30,142	1,42,870	7.9	9.8
आस्तियां				
1. नकदी	12,146 (9.3)	16,989 (11.9)	77.0	39.9
2. निवेश	14,298 (11.0)	14,386 (10.1)	23.8	0.6
3. ऋण और अग्रिम	91,613 (70.4)	98,924 (69.2)	0.4	8.0
4. भुनाए गए / पुनः भुनाए गए बिल	1,218 (0.9)	1,048 (0.7)	22.8	-14.0
5. अचल आस्तियां	1,217 (0.9)	1,195 (0.8)	-28.0	-1.8
6. अन्य आस्तियां	9,650 (7.4)	10,328 (7.2)	16.9	7.0

- : शून्य/ नगण्य।

टिप्पणी : 1. आंकड़े आइएफसीआइ, टीएफसीआइ, आइडीएफसी, आइआइबीआइ, एक्विजम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी से संबंधित है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों से संबंधित हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र।

परिचालन कोष) निधि के अंतर्गत किसी भी संस्था के बकाया उधार नहीं थे। एनएचसी (दीर्घावधि परिचालन कोष) निधि के अंतर्गत

राष्ट्रीय आवास बैंक को बकाया ऋण जून 2005 के अंत में 50 करोड़ रुपए था।

सारणी V.3: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधन (मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	जुटाये गये संसाधन								कुल बकाया	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल		2004	2005
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आइएफसीआइ	-	-	-	-	-	-	-	-	17,564	13,385
आइआइबीआइ	176	-	-	-	-	-	176	-	2,420	2,229
टीएफसीआइ	102	23	70	-	-	-	172	23	546	421
आइडीएफसी	1,550	3,378	2,025	875	-	-	3,575	4,253	3,975	6,533
एक्विजम बैंक	2,025	955	1,074	1,632	3,782	2,843	6,881	5,430	12,752	14,704
नाबार्ड	5,334	8,843	-	-	-	-	5,334	8,843	11,883	23,805
एनएचबी	2,990	2,419	300	2,753	-	-	3,290	5,172	10,569	14,385
सिडबी	1,429	1,607	1,536	736	7	21	2,972	2,364	10,535	8,427
कुल	13,607	17,225	5,005	5,996	3,789	2,864	22,401	26,085	70,245	83,889

- : कुछ नहीं/ नगण्य।

टिप्पणी : 1. दीर्घावधि स्रोतों में बांडों/ डिबेंचरों के उधार शामिल हैं, अल्पावधि स्रोतों में वाणिज्यिक पत्रों, सावधि जमाओं, अंतर-कंपनी जमा, जमा प्रमाणपत्र और सावधि मुद्रा शामिल है। विदेशी मुद्रा स्रोतों में मुख्यतः बांड शामिल हैं।

2. वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए कुछ ऋण सारणी में शामिल नहीं हैं। अतः कवरेज में अंतर के कारण स्तंभ 10 और 11 के आंकड़े कुल उधार (बांड तथा डिबेंचर सहित) से और सारणी V.2 की जमा से मेल नहीं खाएंगे।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

सारणी V.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	2003-04	2004-05
1	2	3
i) सावधि जमाराशि	2,206	1,155
ii) सावधि मुद्रा	245	175
iii) अंतर कंपनी जमाराशि	1,329	477
iv) जमा प्रमाणपत्र	408	233
v) वाणिज्यिक पत्र	1,847	2,370
कुल	6,035	4,410
सीमाओं का प्रतिशत	25.6	30.0

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं बनाम अनुसूचित वाणिज्य बैंक

5.30 2004-05 के दौरान वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्ति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 20.9 प्रतिशत के मुकाबले 7.9 प्रतिशत बढ़ी। परिणामस्वरूप, बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) की सम्मिलित वित्तीय आस्तियों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों का अंश घट गया (सारणी V.5)। आइएफसीआई और आइआइबीआई में हुई लगातार हानि, जिससे उनकी आस्तियों में क्षरण हुआ, के बावजूद वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों में वृद्धि हुई। जिन वित्तीय संस्थाओं ने, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, उनको परिवर्तित परिचालन परिवेश में अपना परिचालन बरकरार रखने में कठिनाई हुई। राष्ट्रीय आवास

सारणी V.5: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की वित्तीय आस्तियां*

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्चांत		प्रतिशत अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
i) अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं	1,28,925 @	1,39,153	8.4	7.9
ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक#	16,43,447	19,87,456	17.2	20.9
कुल (i+ii)	17,72,372	21,26,609	16.6	20.0
ज्ञापन :				
कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय संस्थानों की आस्तियां	7.3	6.5		
कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में एससीबी की आस्तियां	92.7	93.5		
* : निवेश, ऋण और अग्रिम, मुद्रा बाजार आस्तियां, जमाराशि, उपलब्ध नकद तथा बैंकों में शेष और अचल आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियां सम्मिलित है।				
@ : आइडीबीआई छोड़कर। आइडीबीआई सहित राशि 1,95,247 करोड़ रुपए है।				
# : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम - 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणों के अनुसार तथा उपलब्ध नकद तथा बैंकिंग व्यवस्था में शेष, निवेश, बैंक ऋण तथा बैंकों से देय सम्मिलित है। इसमें गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश, विदेशी मुद्रा आस्तियां तथा बैंक भण्डार सम्मिलित नहीं है।				

बैंक की वित्तीय आस्ति उच्चतम दर पर बढ़ी, जिसके बाद एक्जिम बैंक और नाबार्ड का स्थान आता है। (परिशिष्ट सारणी V.4(ए) और परिशिष्ट सारणी V.4 (बी)।

निधि के स्रोत तथा उपयोग

5.31 वित्तीय संस्थाओं की निधियों के कुल स्रोत / विनियोजन पिछले वर्ष 86,990 करोड़ रुपए से 9.0 प्रतिशत बढ़कर 2004-05 में 94,810 करोड़ रुपए के हो गए। 2004-05 में विनियोजन के मामले में, जहाँ नये विनियोजन और पिछले ऋण की चुकौती में वृद्धि हुई, वहीं पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान सहित अन्य विनियोजन में कमी आई (सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.5)।

उधार की लागत और परिपक्वता

5.32 यद्यपि 2004-05 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतों की भारत औसत परिपक्वता कम हो गई, किंतु निधियों की भारत औसत लागत सभी वित्तीय संस्थाओं में बढ़ गई (सारणी V.7. और परिशिष्ट सारणी V.6)।

सारणी V.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत का स्वरूप और विनियोजन *

(राशि करोड़ रुपए में)

निधियों का स्रोत/विनियोजन	2003-04	2004-05	प्रतिशत अंतर	
			2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क) निधियों का स्रोत	86,990	94,810	-9.0	9.0
(i+ii+iii)	(100.0)	(100.0)		
(i) आंतरिक	58,263	59,371	18.8	1.9
	(67.0)	(62.6)		
(ii) बाह्य	26,317	32,670	-18.5	24.1
	(30.3)	(34.5)		
(iii) अन्य	2,410	2,769	-83.1	14.9
	(2.8)	(2.9)		
ख) निधियों का विनियोजन	86,990	94,810	-9.0	9.0
(i+ii+iii)	(100.0)	(100.0)		
(i) नए विनियोजन	56,555	61,635	8.7	9.0
	(65.0)	(65.0)		
(ii) पिछले उधारों की चुकौती	17,590	21,069	0.6	19.8
	(20.2)	(22.2)		
(iii) अन्य विनियोजन	12,845	12,106	-50.7	-5.8
	(14.8)	(12.8)		
जिसमें से :				
ब्याज भुगतान	5,611	4,597	-47.7	-18.1
* : आइएफसीआई, आइआइबीआई, आइडीएफसी, टीएफसीआई, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक।				
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल से प्रतिशत हैं।				
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।				

सारणी V.7: दीर्घावधि रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		वर्षों में भारित औसत परिपक्वता	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
आइएफसीआइ	8.2	-	3.2	-
आइआइबीआइ	8.7	-	18.0	-
टीएफसीआइ	8.6	10.4	10.0	4.9
आइडीएफसी	5.6	6.0	5.9	3.7
एक्विजिमेंट बैंक	5.9	6.6	6.7	4.2
नाबार्ड	5.4	5.5	5.4	5.0
एनएचबी	5.4	6.3	3.2	2.6
सिडबी	4.9	5.9	2.8	1.9

- : कुछ नहीं/ नगण्य।
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थान।

5.33 इस वर्ष राष्ट्रीय आवास बैंक ने ऋण की ब्याज दर बढ़ा दी जबकि सिडबी ने पिछले वर्ष के ऋण की ब्याज दर का स्तर बरकरार रखा। आइएफसीआइ की मूल उधार दर पिछले वर्ष के स्तर पर यथावत रही (सारणी V.8)।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

5.34 समूह के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान अपने वित्तीय निष्पादन में काफी सुधार दिखाया। एक ओर ब्याज आय बढ़ने और दूसरी ओर ब्याज दर में वृद्धि के कारण निवल ब्याज आय में काफी वृद्धि हुई। तथापि, निवल ब्याज आय में हुई वृद्धि एक हद तक ब्याजेतर आय में तीव्र

सारणी V.8: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की उधार दर संरचना

(प्रतिशत वार्षिक)

से प्रभावी	पीएल आर	आइएफसीआइ	सिडबी	एनएचबी@
1	2	3	4	5
जुलाई 2003	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	-	7.5-7.0
	मध्यावधि पीएलआर	-	11.5	6.9
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	6.9
मार्च 2004	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	-	6.7-6.5
	मध्यावधि पीएलआर	-	11.5	6.5
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	6.4
जुलाई 2004	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	-	6.5-6.7
	मध्यावधि पीएलआर	-	11.5	6.3
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	6.0
मार्च 2005	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	-	7.3
	मध्यावधि पीएलआर	-	11.5	6.8
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	6.5

- : कुछ नहीं/ नगण्य।
@ : निर्धारित दर से संबंधित।

गिरावट और ब्याजेतर व्यय में वृद्धि से समायोजित हो गई। कुल मिलाकर, आइएफसीआइ और आइआइबीआइ को हुई निवल हानि के बावजूद वित्तीय संस्थाओं के परिचालन लाभ और निवल लाभ में वृद्धि हुई (सारणी V.9)।

सारणी V.9: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	अंतर	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क) आय (क+ख)	9,346	9,451	105	1.1
क) ब्याज आय	7,694	8,122	428	5.6
	(82.3)	(85.9)		
ख) ब्याजेतर आय	1,652	1,329	-322	-19.5
	(17.7)	(14.1)		
ख) व्यय (क+ख)	7,135	6,689	-446	-6.3
क) ब्याज व्यय	6,203	5,660	-543	-8.8
	(86.9)	(84.6)		
ख) अन्य व्यय	932	1,029	97	10.4
	(13.1)	(15.3)		
जिसमें से : मजदूरी बिल	389	344	-45	-11.6
कराधान के लिए प्रावधान	666	726	60	9.0
ग) लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	2,211	2,762	551	24.9
निवल लाभ (पीएटी)	1,545	2,036	491	31.8
घ) वित्तीय अनुपात@				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.7	1.9		
निवल लाभ (पीएटी)	1.2	1.4		
आय	7.2	6.6		
ब्याज आय	5.9	5.7		
अन्य आय	1.3	0.9		
व्यय	5.5	4.7		
ब्याज व्यय	4.8	4.0		
अन्य परिचालन व्यय	0.7	0.7		
मजदूरी बिल	0.3	0.2		
प्रावधान	0.5	0.5		
स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	1.1	1.7		

@ : कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
* : इसमें आइएफसीआइ, टीएफसीआइ, आइडीएफसी, आइआइबीआइ, एक्विजिमेंट बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी से संबंधित है।
टिप्पणी : 1. परिचालन लाभ कराधान/कर के लिए प्रावधान (पीबीटी) पूर्व लाभ का उल्लेख करता है।
2. निवल लाभ कर प्रावधान पश्चात लाभ का उल्लेख करता है।
3. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हिस्सा हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक लेखे।

सारणी V.10: वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/ औसत कार्यशील निधि		ब्याजेतर आय/ औसत कार्यशील निधि		परिचालन लाभ/ औसत कार्यशील निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रुपए)	
	माँचाँत									
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आइएफसीआइ	4.3	7.4	1.3	1.5	-1.9	1.8	-16.9	-2.2	-5.34	-0.63
आइआइबीआइ	10.0	11.1	0.3	7.5	-4.9	-7.6	NA	NA	-0.49	-0.80
टीएफसीआइ	11.8	11.4	0.9	0.2	3.1	3.6	1.6	2.0	0.39	4.40
आइडीएफसी	8.4	7.9	4.4	2.5	5.4	4.6	5.2	4.3	2.06	2.92
एक्विजम बैंक	6.4	6.1	0.8	0.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.20	1.34
नाबार्ड	8.0	6.9	0.1	0.0	3.6	3.2	2.8	1.8	0.28	0.20
एनएचबी	8.1	6.7	0.4	0.4	2.2	0.5	2.2	0.3	2.35	0.47
सिडबी	7.3	5.9	0.5	0.6	3.5	3.0	2.0	1.7	0.27	0.26

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

5.35 इस वर्ष आइएफसीआइ और आइआइबीआइ को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं की औसत कार्यकारी निधियों में ब्याज आय के प्रतिशत में कमी आई। ब्याजेतर आय अधिकांश वित्तीय संस्थाओं की औसत कार्यकारी निधियों का बहुत लघु भाग होती है। सर्वाधिक आस्ति प्रतिलाभ आइडीएफसी का था, उसके बाद टीएफसीआइ, नाबार्ड, सिडबी और एक्विजम बैंक का स्थान रहा। इस वर्ष आइएफसीआइ और टीएफसीआइ को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं के परिचालन लाभ घट गए। आइएफसीआइ को पिछले वर्ष की परिचालन हानि के मुकाबले परिचालन लाभ हुआ। लेकिन, आइआइबीआइ को निरंतर हानि हुई। सभी वित्तीय कंपनियों में से आइडीएफसी का परिचालन लाभ सर्वाधिक रहा, उसके बाद टीएफसीआइ का स्थान रहा। आइएफसीआइ का आस्ति प्रतिलाभ निरंतर ऋणात्मक रहा। प्रति कर्मचारी निवल लाभ की दृष्टि से टीएफसीआइ सबसे ऊपर था, जिसके बाद आइडीएफसी का स्थान था (सारणी V.10)।

मजबूती के संके तक

आस्ति गुणवत्ता

5.36 2004-05 के दौरान सिडबी के सिवाय सभी वित्तीय संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया जो बकाया की वसूली और बढ़े हुए प्रावधानीकरण का सम्मिलित प्रभाव दर्शाता है (सारणी V.11)।

5.37 अवमानक आस्तियों और ऋण आस्तियों का अंश घटने से अनर्जक आस्तियों के स्वरूप में भी सुधार देखा गया, जबकि समस्त वित्तीय संस्थाओं की संदिग्ध आस्तियों के अंश में वृद्धि हुई (सारणी V.12)।

पूँजी पर्याप्तता

5.38 टीएफसीआइ को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2004 के अंत की तुलना में मार्च 2005 के अंत में थोड़ा घट गया। इस गिरावट के बावजूद वित्तीय संस्थाओं का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित अनुपात से काफी ऊपर बना रहा (सारणी V.13)। आइएफसीआइ और आइआइबीआइ का पूँजी पर्याप्तता अनुपात अनर्जक आस्तियों के उच्च स्तर और संचित वित्तीय हानि के कारण इस वर्ष और कम हो गया।

राज्य वित्तीय निगमों को रिजर्व बैंक की सहायता

5.39 हरेक वर्ष रिजर्व बैंक द्वारा राज्य वित्तीय निगम को 12 महीने की अवधि (जुलाई से जून) के लिए तदर्थ उधार सीमा दी गई

सारणी V.11: निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ (एनपीए)

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था	निवल एनपीए		निवल एनपीए/निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2004	2005	2004	2005
1	2	3	4	5
आइएफसीआइ	3,865	2,688	32.3	28.0
आइआइबीआइ	800	405	38.0	27.3
टीएफसीआइ	144	68	21.1	11.0
आइडीएफसी	-	-	-	-
एक्विजम बैंक	129	109	1.3	0.9
नाबार्ड	1	1	-	-
एनएचबी	-	-	-	-
सिडबी	226	407	2.4	3.9

- : कुछ नहीं / नगण्य।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र।

सारणी V.12: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

संस्था	मार्चात							
	मानक		अवमानक		संदिग्ध		अशोध	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आइएफसीआइ	8,116	6,909	899	205	2,966	2,483	-	-
आइआइबीआइ	1,304	1,079	274	23	526	382	-	-
टीएफसीआई	539	531	30	4	115	64	-	-
आइडीएफसी	4,419	7,050	-	-	-	-	-	-
एक्विजम बैंक	10,046	12,714	76	47	53	62	-	-
नाबार्ड	48,789	48,354	1	-	-	1	-	-
एनएचबी	6,580	10,812	-	-	-	-	-	-
सिडबी	9,249	9,845	29	8	197	399	62	51

- : कुछ नहीं / नगण्य।
स्रोत : संबंधित संस्थाओं के तुलन पत्र।

जो 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये अल्पावधि वित्तीय निभाव अलग-अलग राज्य वित्तीय निगम द्वारा जारी तदर्थ बांड की गिरवी से समर्थित और संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र द्वारा गारंटीशुदा होते हैं, ताकि राज्य वित्तीय निगम अपनी अस्थायी नकदी समस्याओं का मुकाबला कर सकें। मई 2004 में रिजर्व बैंक ने 2004-05 से सभी राज्य वित्तीय निगमों को दी जाने वाली तदर्थ ऋण सीमा समाप्त करने का निर्णय लिया।

3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

5.40 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) विषम स्वरूप की कंपनियां हैं जिनके कार्यकलाप के प्रकार, संगठनात्मक ढांचे और मिश्रित संविभाग अलग-अलग हैं। अपनी प्राथमिक कारोबारी गतिविधि के अनुसार वर्गीकृत और रिजर्व बैंक की विनियामक सीमा के अंतर्गत, चार प्रकार की संस्थाएं उपकरण पट्टा कंपनी, किराया खरीद, कंपनी ऋण और कंपनी निवेश कंपनी हैं। शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों

(आरएनबीसी) को अलग श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उनका कारोबार गैर-बैंकिंग कंपनियों की अन्य परिभाषित श्रेणियों से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा, अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी हैं, यथा विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (चिट फंड), पारस्परिक लाभ वित्त कंपनी (निधि और संभाव्य निधि) और आवास वित्त कंपनी, जो या तो अंशतः रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं या रिजर्व बैंक की विनियामक सीमा से बाहर हैं। इस भाग में मुख्यतः रिजर्व बैंक की विनियामक सीमा में आनेवाली बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नीतिगत गतिविधियों और परिचालन पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। तथापि एनबीएफसी और आरएनबीसी के अलग-अलग स्वरूप को देखते हुए उनके परिचालन पर अलग-अलग चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, जनता जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली किंतु 500 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक के आस्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिचालन पर, सर्वांगीण जोखिम पर पड़नेवाले उनके प्रभाव की दृष्टि से, अलग से चर्चा की गई है।

सारणी V.13: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात*

(प्रतिशत)

संस्था	मार्चात						
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
आइएफसीआइ	8.4	8.8	6.2	3.1	0.95	-17.0	-23.4
आइआइबीआइ	11.7	9.7	13.9	9.2	-11.0	-20.1	-41.1
टीएफसीआई	15.4	16.2	18.6	18.5	19.8	22.8	27.4
आइडीएफसी	235.5	119.7	85.5	56.7	51.3	36.9	28.6
एक्विजम बैंक	23.6	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6
नाबार्ड	53.3	44.4	38.5	36.9	39.1	39.4	38.8
एनएचबी	17.3	16.5	16.8	22.1	27.9	30.5	22.5
सिडबी	26.9	27.8	28.1	45.0	44.0	51.6	50.7

* : प्रावधानीकरण और बट्टा छोड़कर।
स्रोत : संबंधित संस्थाओं के तुलन पत्र।

विनियामक और पर्यवेक्षी पहल

5.41 2004-05 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित विनियामक पहल जमाराशि स्वीकृति मानदंडों और वर्धित प्रकटीकरण पर केंद्रित की गयी है।

एनबीएफसी द्वारा क्रेडिट कार्डों के निर्गम के संबंध में जारी दिशानिदेश

5.42 एनबीएफसी को अपने बल पर या किसी अन्य एनबीएफसी या अनुसूचित वाणिज्य बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यह अनुमति कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके अनुपालन रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा आधार पर दी गई। एनबीएफसी को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसमें माँग जमा खाता खोलने और उनमें परिचालन करना शामिल है, जो केवल बैंकों का विशेषाधिकार है। सहयोगी बैंक के एटीएम से आकस्मिक नकदी आहरण की सुविधा मात्र क्रेडिट कार्ड धारकों को समुचित सीमा तक अल्पावधि अग्रिम के रूप में तथा आवश्यक आंतरिक रक्षोपाय के साथ दी जा सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया है कि वे चुनिंदा आधार पर क्रेडिट कार्ड जारी करते समय आवेदक की स्थिति का समुचित मूल्यांकन करें। यह स्पष्ट किया गया है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने का कार्य शुरू करने की इच्छुक जमाराशि नहीं लेने वाली कंपनी समेत किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को रिजर्व बैंक से यह व्यवसाय करने की विशिष्ट अनुमति लेने के अलावा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि की अपेक्षा और रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

जनता जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली श्रेणी में पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जनता जमाराशि का स्वीकरण

5.43 जनता जमाराशि स्वीकार नहीं करने की श्रेणी की जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है, यदि वे जनता जमाराशि स्वीकार चाहती हैं तो उन्हें रिजर्व बैंक को आवेदन करने की पात्रता हेतु 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी अपेक्षा पूरी करनी होगी। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया कि वे जनता जमाराशि स्वीकार करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करने से पहले इस अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करें।

हर एक वर्ष 31 मार्च की स्थिति का तुलनपत्र बनाना

5.44 मौजूदा निदेशों के अनुसार प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति का तुलनपत्र

और लाभ-हानि लेखा तैयार करे। तथापि, कुछ कंपनियों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष के विस्तार की अनुमति सीधे कंपनी पंजीयक से प्राप्त कर ली। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन की संभावना न रहे, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया कि वे जब भी कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाना चाहें तब उन्हें इस आशय की अनुमति के लिए कंपनी पंजीयक से संपर्क करने के पहले रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि रिजर्व बैंक और कंपनी पंजीयक द्वारा समय-समय बढ़ाए जाने के बावजूद, कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह रिजर्व बैंक को कच्चा तुलन पत्र (अलेखापरीक्षित) 31 मार्च को और सांविधिक विवरणियाँ उक्त निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करें।

एनबीएफसी, आरएनबीसी और एमएनबीसी द्वारा जमाराशियों का परिपक्वता पूर्व आहरण

5.45 जमाराशियों की चुकौती में चूक करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ किसी जनता जमाराशि (एनबीएफसी के मामले में) या जमाराशि (आरएनबीसी और एमएनबीसी के मामले में) की परिपक्वतापूर्व चुकौती नहीं कर सकती हैं या उनकी जमानत पर कोई ऋण नहीं दे सकती है (किसी जमाकर्ता की मृत्यु या किसी छोटी राशि अर्थात् 10,000 तक की चुकौती के मामले को छोड़कर)। शेष राशि और उसके ब्याज की चुकौती परिपक्वता के बाद ही की जाए। सामान्य रूप से चलने वाली कंपनियों के मामले में, अवरुद्ध अवधि के बाद, परिपक्वतापूर्व चुकौती का पूरा विवेकाधिकार कंपनी को होगा और जमाकर्ता अधिकार के रूप में दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन, जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में अवरुद्ध अवधि के बावजूद जनता जमाराशि / जमाराशि की चुकौती मृतक जमाकर्ता के उत्तरजीवी या कानूनी वारिस को स्थायी रूप से की जा सकती है। रिजर्व बैंक द्वारा जमाराशियों की परिपक्वतापूर्व चुकौती पर देय ब्याज दर भी तर्कसंगत बनाई गई है।

जनता जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली / रखनेवाली और - 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति वाली एनबीएफसी हेतु सूचना प्रणाली

5.46 जनता जमाराशि स्वीकार नहीं करने/रखने वाली और 500 करोड़ रुपए और अधिक की आस्ति वाली एनबीएफसी से कहा गया कि वे सितंबर 2004 को समाप्त तिमाही से निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक विवरणी तिमाही की समाप्ति के अगले महीने 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। उनसे यह भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ष मार्च को समाप्त तिमाही की अनंतिम विवरणी तिमाही की समाप्ति के अगले महीने 30 दिन के अंदर पेश करें और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित

अंतिम विवरणी लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रति के साथ अंतिम रूप से तैयार होते ही किंतु 30 सितंबर तक पेश कर दें। विवरणी पेश न करने पर गंभीर रूख अपनाया जाएगा और ऐसे अननुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सितंबर 2005 से विवरणी की आविधकता घटाकर मासिक कर दी गई है और विवरणी के प्रस्तुतीकरण की तिथि सीमा 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्ति वाली कंपनियों के अनुसार निर्धारित की गई है।

‘सार्वजनिक जमाराशि’ का बीमा

5.47 जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया कि वे उनके द्वारा प्राप्त सभी जनता जमाराशि की सर्वदा बीमा सुलभता सुनिश्चित करें। ऐसे बीमा का परिकलन करते समय सभी डिबेंचरों (जमानती और गैर-जमानती) तथा जमाकर्ता के प्रति कुल देयताओं से भिन्न, बाहरी देयताओं को कुल आस्तियों में से घटा दिया जाए। इस प्रयोजनार्थ उनसे कहा गया कि आस्तियों का मूल्यांकन उनके बही मूल्य या वसूली योग्य बाजार मूल्य, जो कम हो, के आधार पर किया जाना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि यदि निर्देशानुसार परिकलित आस्ति बीमा का मूल्य जनता जमाराशि की देयता से कम हो, तो उसकी सूचना रिजर्व बैंक को दी जाए। उनसे यह भी कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आय बी की अपेक्षानुसार निवेशित सांविधिक नकदी आस्तियों पर जमाकर्ताओं के पक्ष में अस्थिर प्रभार निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि यह प्रभार कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षानुसार विधिवत रूप से पंजीकृत भी किया जाए।

‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी दिशा-निर्देश - धन शोधन निवारण मानक

5.48 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जनवरी 2004 में कहा गया था कि वे खाता खोलने और उपयुक्त प्राधिकारी को संदिग्ध प्राकृतिक लेन देन की सूचना देने के प्रयोजनार्थ उन पर निगरानी रखने के लिए कतिपय लेन देन पहचान प्रक्रिया का पालन करें। धन शोधन निवारण मानक और आतंकवाद के वित्तीयन से निबटने से संबंधिक वित्तीय कार्रवाई कार्य दल की सिफारिशों के संदर्भ में ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी दिशा-निर्देश का पुनरीक्षण किया गया। बाद में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय कार्रवाई कार्य दल की सिफारिशों और बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति द्वारा बैंकों के लिए कर्मचारी संबंधी समुचित सतर्कता के संबंध में जारी किए गए पेपर के आधार पर बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 21 फरवरी 2005 को कहा गया कि वे अपने क्रियाकलाप के आधार पर मार्गदर्शी

सिद्धांत, समुचित संशोधन सहित अपनाएँ और सुनिश्चित करें कि वे वाई सी तथा ए एम एल उपाय से संबंधित समुचित नीतिगत ढाँचा तैयार किया जाता है और तीन महीने के भीतर उसे बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूरा अनुपालन 31 दिसंबर 2005 से पहले कर लें।

वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

5.49 प्रतिभूति हित प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि संशोधन अधिनियम, 2004 पास करके विआप्रपुप्रहिप्र अधिनियम 2002 की कतिपय धाराओं में संशोधन किए गए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीय आवास बैंक और सरकार सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझाव की दृष्टि से इस अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। मर्डिया केमिकल्स लि. बनाम आइसीआइसीआइ बैंक और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में विआप्रपुप्रहिप्र अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम का समर्थन करते हुए यह घोषणा की कि अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2), जिसमें किसी आस्ति के कुर्की आदेश के विरुद्ध अपील करने के चूककर्ता इच्छुक ऋणी के मामले में देयता की 75 प्रतिशत राशि पूर्व-जमा करना अपेक्षित था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के नियम-विरुद्ध है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षण

5.50 रिजर्व बैंक द्वारा की जानेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पर्यवेक्षीय निगरानी की चतुष्कोणीय रणनीति है; (क) कैमेल पद्धति पर आधारित प्रत्यक्ष निरीक्षण (ख) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से परोक्ष निगरानी; (ग) बाजार संबंधी सूचना और (घ) सांविधिक लेखा परीक्षकों की अपवाद रिपोर्ट। अप्रैल 2004 से मार्च 2005 की अवधि में कुल 573 पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (318 जमा संग्रहण कंपनी और 255 गैर जमा संग्रहण कंपनी) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के अलावा बैंक ने 236 आकस्मिक छानबीन भी की।

पंजीकरण

5.51 रिजर्व बैंक को मार्च 2005 तक पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए 38,096 आवेदन प्राप्त हुए। रिजर्व बैंक ने इनमें से 13,187 आवेदन (निरस्त को घटाकर) स्वीकार किए, जिनमें 474 आवेदन (निरस्त को घटाकर) जनता से जमाराशि स्वीकार करने/ रखने के लिए प्राधिकृत कंपनियों के थे। जून 2005 के अंत तक कुल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या बढ़कर 13,261 (निरस्त को घटाकर) हो गई, जिनमें 507 जनता जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनियाँ थीं (सारणी V.14)।


सारणी V.14: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या

जून के अंत में	सभी गैर-बैं.वि.कं.	जनता की जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैं.वि.कं.
1	2	3
1999	7,855	624
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710
2004	13,764	604
2005*	13,261	507

* : निरस्त को घटाकर.

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विवरण (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग सहित)

5.52 मार्चांत 2003 के 875 की तुलना में मार्चांत 2005 में सूचना देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (पंजीकृत और अपंजीकृत) की संख्या 777 थी जो मार्च 2005 के अंत में पुनः घटकर 573 रह गई। मुख्यतः अनेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशि संग्रहण का कार्य छोड़ने के कारण इनकी संख्या में कमी आई। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की संख्या मार्च 2003 के अंत के पाँच से घटकर मार्चांत 2004 में तीन रह गई और मार्च के अंत में 2005 में यथावत रही। सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति मार्चांत 2004 में घटी लेकिन मार्चांत 2005 में थोड़ी बढ़ गई, जब कि सूचना देने वाली अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की संख्या में तीव्र कमी आई। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों में 2004 और 2005 दोनों में वृद्धि हुई (सारणी V.15)। सूचना देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की जमाराशि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशि मार्चांत 2003 के 1.5 प्रतिशत से घटकर मार्चांत 2004 में 1.2 प्रतिशत और मार्चांत 2005 में 1.1 प्रतिशत रह गई।



5.53 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि में हुई कमी के फलस्वरूप व्यापक चलनिधि एल₃ में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की जमाराशि के अंश में पिछले वर्षों में तीव्र कमी आई है (चार्ट V.2)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (शेष गैर-बैं.कं. को छोड़कर) का कार्यानिष्पादन

5.54 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर-बैं.कं. को छोड़कर) की कुल आस्तियाँ / देयताएँ 2003-04 में 13.1 प्रतिशत घटी थीं, जो 2004-05 में थोड़ी बढ़ गई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निधियों का बड़ा स्रोत ऋण रहा, उसके बाद निवल स्वाधिकृत निधियों (पूँजी और रिज़र्व) एवं जनता की जमाराशि का स्थान रहा। 2003-04 और 2004-05 में उधारी जो 2003-04 में काफी कम होने के बाद

सारणी V.15: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विवरण

(करोड़ रु.)

मद	मार्चांत					
	2003		2004		2005	
	गैर-बैं.वि.कं.	जिनमें से: शेष गैर-बैं.कं.	गैर-बैं.वि.कं.	जिनमें से: शेष गैर-बैं.कं.	गैर-बैं.वि.कं.	जिनमें से: शेष गैर-बैं.कं.
1	2	3	4	5	6	7
सूचना देनेवाली कंपनियों की सं.	875	5	777	3	573	3
कुल आस्ति	58,071	20,362 (35.1)	50,709	17,955 (35.4)	52,900	19,056 (36.0)
जनता जमाराशि	20,100	15,065 (75.0)	19,644	15,327 (78.1)	20,246	16,600 (82.0)
निवल स्वाधिकृत निधि	4,950	809	5,098	1,002	5,510	1,065

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमाराशि में प्रतिशत के द्योतक हैं।

2004-05 में थोड़ी सी बढ़ी, को छोड़कर निधि के इन सभी स्रोतों में कमी आई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियों में ऋण और अग्रिम, किराया खरीद और उपकरण पट्टा संबंधी आस्तियाँ मुख्य थीं। 2003-04 में उधारी और जमाराशि में हुई कमी के फलस्वरूप निवेश को छोड़कर सभी मुख्य आस्तियों जैसे ऋण और अग्रिम, उपकरण पट्टा आस्ति की वृद्धि दर में भी कमी आई। 2004-05 में किराया खरीद आस्ति, बिल कारोबार और एसएलआर निवेशों में तीव्र वृद्धि हुई लेकिन अन्य आस्तियों में कमी जारी रही (सारणी V.16)।

5.55 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी समूह में किराया खरीद वित्तीय कंपनियों की आस्तियों / देयताओं में वर्ष 2004 मार्चात

में कमी आई जबकि मार्च के अंत में वर्ष 2005 में इनमें थोड़ी वृद्धि हुई। निवेश और ऋण देने वाली कंपनियों की आस्तियों / देयताओं में मार्च के अंत में वर्ष 2004 में वृद्धि हुई जबकि अगले वर्ष इसमें कमी आई। यह जुटाई गई निधियों के प्रभाव को व्यापक रूप से परिलक्षित करता है। गैर-बैं.वित्तीय कंपनी समूह में मार्चात 2005 में कुल आस्ति/देयता में किराया खरीद वित्त कंपनियों का सर्वाधिक अंश अर्थात 59.2 प्रतिशत था उसके बाद क्रमशः ऋण कंपनियों (15.7 प्रतिशत), उपकरण पट्टा कंपनियों (14.0 प्रतिशत) और निवेश कंपनियों (5.6 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी V.17)।

सारणी V.16: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए)

मद	मार्चात			अंतर			
	2003	2004	2005	2003-04		2004-05	
				वास्तविक	प्रतिशत	वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं							
1. चुकता पूंजी	2,860 (7.6)	2,327 (7.1)	2,106 (6.2)	-533	-18.6	-221	-9.5
2. रिजर्व और अधिशेष	4,745 (12.6)	4,414 (13.5)	3,855 (11.4)	-331	-7.0	-559	-12.7
3. जनता की जमाराशि	5,035 (13.4)	4,317 (13.2)	3,646 (10.8)	-718	-14.3	-671	-15.5
4. उधारी	24,480 (64.9)	20,852 (63.7)	21,842 (64.5)	-3,628	-14.8	990	4.7
5. अन्य देयता	589 (1.6)	844 (2.6)	2,394 (7.1)	255	43.3	1,550	183.6
कुल देयताएं / आस्तियाँ	37,709	32,754	33,843	-4,955	-13.1	1,089	3.3
आस्तियाँ							
1. निवेश							
i) सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी निवेश	1,453 (3.9)	1,707 (5.2)	1,772 (5.2)	254	17.5	65	3.8
ii) गैर-सांविधिक चलनिधि संबंधी निवेश	2,885 (7.7)	2,110 (6.4)	1,736 (5.1)	-775	-26.9	-374	-17.7
2. ऋण और अग्रिम	13,398 (35.5)	12,363 (37.7)	11,301 (33.4)	-1,035	-7.7	-1,062	-8.6
3. किराया खरीद आस्ति	13,031 (34.6)	11,649 (35.6)	14,200 (42.0)	-1,382	-10.6	2,551	21.9
4. उपकरण पट्टा आस्ति	5,816 (15.4)	3,036 (9.3)	1,971 (5.8)	-2,780	-47.8	-1,065	-35.1
5. बिल संबंधी कारोबार	450 (1.2)	436 (1.3)	464 (1.4)	-14	-3.1	28	6.4
6. अन्य आस्ति	676 (1.8)	1,453 (4.4)	2,398 (7.1)	777	114.9	945	65.0

टिप्पणी : 1. सूचना देने वाली कंपनियों की 2003 की 875 से घटकर 2004 में 777 रह गई।

2. कोष्ठक में आँकड़े कुल देयता / आस्ति में प्रतिशत के द्योतक हैं।

सारणी V.17: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की देयता के मुख्य घटक - समूह वार

(करोड़ रुपए)

गैर-बैं. वि.कं.	मार्च के अंत में								
	देयता			जमाराशि			उधारी		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उपकरण पट्टा	7,996 (21.2)	3,744 (11.4)	4,721 (14.0)	511 (10.1)	344 (8.0)	343 (9.4)	6,472 (26.4)	2,811 (13.5)	3,112 (14.2)
किराया खरीद	22,163 (58.8)	19,929 (60.8)	20,039 (59.2)	3,539 (70.3)	2,963 (68.6)	2,315 (63.5)	13,650 (55.8)	12,141 (58.2)	13,008 (59.6)
निवेश	2,208 (5.9)	2,422 (7.4)	1,890 (5.6)	125 (2.5)	106 (2.5)	93 (2.6)	1,613 (6.6)	1,718 (8.2)	1,092 (5.0)
ऋण	4,109 (10.9)	5,485 (16.7)	5,319 (15.7)	177 (3.5)	178 (4.1)	157 (4.3)	2,600 (10.6)	3,775 (18.1)	3,679 (16.9)
अन्य	1,233 (3.3)	1,173 (3.6)	1,874 (5.5)	683 (13.6)	727 (16.8)	738 (20.2)	145 (0.6)	407 (2.0)	950 (4.3)
कुल	37,709 (100.0)	32,754 (100.0)	33,843 (100.0)	5,035 (100.0)	4,317 (100.0)	3,646 (100.0)	24,480 (100.0)	20,852 (100.0)	21,842 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

जमाराशि

विभिन्न श्रेणी की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशि का विवरण

5.56 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी समूहों के पास रखी जनता की जमाराशियों में मार्च के अंत में वर्ष 2004 (14.2 प्रतिशत) और 2005 (15.6 प्रतिशत) में भारी कमी आई। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी समूह में, ऋण घटक छोड़कर जोकि 2003-04 और 2004-05 में बढ़ गया था, दोनों वर्षों में भारी कमी आई। सार्वजनिक जमाराशि का सर्वाधिक अंश किराया खरीद कंपनियों (63.5 प्रतिशत)

के पास था, उसके बाद उपकरण पट्टा, ऋण और निवेश कंपनियों का स्थान रहा (सारणी V.18)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का जमाराशि आकार-वार वर्गीकरण

5.57 मार्च के अंत में वर्ष 2004 और मार्च के अंत में 2005 में 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की जमाराशि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए वाली एनबीएफसी को छोड़कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की संख्या और सभी श्रेणी के आकार की जमाराशि वाली कंपनियों में उनके द्वारा धारित जमाराशियों में कमी आई जोकि 2003-04 में तेजी से बढ़ी

सारणी V.18: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास सार्वजनिक जमाराशि - समूहवार

(करोड़ रुपए)

व्यवसाय का स्वरूप	मार्च के अंत में						प्रतिशतता अंतर	
	गैर-बैं.वि.कं. की संख्या			जनता की जमाराशि			2004	2005
	2003	2004	2005	2003	2004	2005		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. उपकरण पट्टा	58	46	38	511 (10.1)	344 (8.0)	343 (9.4)	-32.7	-0.3
2. किराया खरीद	439	396	316	3,539 (70.3)	2,963 (68.6)	2,315 (63.5)	-16.3	-21.9
3. निवेश निवेश	19	11	5	125 (2.5)	106 (2.5)	93 (2.6)	-15.2	-12.3
4. ऋण	122	87	54	177 (3.5)	178 (4.1)	157 (4.3)	0.6	-11.8
5. अन्य*	232	234	157	683 (13.6)	727 (16.8)	738 (20.2)	6.4	1.5
कुल	870	774	570	5,035 (100.0)	4,318 (100.0)	3,646 (100.0)	-14.2	-15.6

* : विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, अपंजीकृत और अनधिसूचित निधि सहित।

टिप्पणी: कोष्ठक में आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

सारणी V.19: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशि की सीमा

(करोड़ रुपए)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में					
	गैर-बैं.वि.कं. की संख्या			जमाराशि		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
1. 0.5 करोड़ रुपए से कम	491	428	287	65 (1.3)	53 (1.2)	37 (1.0)
2. 0.5 करोड़ रुपए से अधिक और रुपए 2 करोड़ रुपए तक	233	210	168	225 (4.5)	206 (4.8)	164 (4.5)
3. रुपए 2 करोड़ से अधिक और रुपए 10 करोड़ तक	90	82	70	360 (7.1)	352 (8.2)	320 (8.8)
4. रुपए 10 करोड़ से अधिक और रुपए 20 करोड़ तक	21	18	16	284 (5.6)	242 (5.6)	250 (6.9)
5. रुपए 20 करोड़ से अधिक और रुपए 50 करोड़ तक	12	17	14	364 (7.2)	569 (13.2)	507 (13.9)
6. रुपए 50 करोड़ और उससे अधिक	23	19	15	3,737 (74.3)	2,895 (67.0)	2,368 (64.9)
कुल	870	774	570	5,035 (100.0)	4,317 (100.0)	3,646 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक के आँकड़े कुल जमाराशि का प्रतिशत हैं।

थी। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मार्च के अंत में 2005 में धारित कुल जनता जमाराशि में 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमाराशि आकार की पन्द्रह कंपनियों के पास 64.9 प्रतिशत था। 20 करोड़ रु. और उससे अधिक जमाराशि आकार वाली 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास कुल जमाराशि का 78.8 प्रतिशत से अधिक था, जबकि शेष 541 कंपनियों के पास कुल जनता जमाराशि का 21.2 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक था (सारणी V.19)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारित जमाराशि का क्षेत्रवार स्वरूप 5.58 वर्ष 2003-04 और 2004-05 में सभी क्षेत्रों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारित जमाराशियों में कमी आई। मार्चांत 2005 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारित जमाराशि में सबसे बड़ा अंश (75.9 प्रतिशत) दक्षिणी क्षेत्र का था, उसके बाद अन्य क्षेत्रों का स्थान रहा। ऐसा चेन्नै द्वारा धारित जमाराशि के सबसे बड़े अंश (71.1 प्रतिशत) के कारण था (सारणी V.20)।

सारणी V.20: पंजीकृत और अपंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारित जनता की जमाराशि का क्षेत्रवार विवरण

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05	
	एनबीएफसी की संख्या	राशि	एनबीएफसी की संख्या	राशि	एनबीएफसी की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी	271	543 (10.8)	248	442 (10.2)	195	351 (9.6)
उत्तर-पूर्वी	1	2 (0.0)	1	1 (0.0)	-	-
पूर्वी	18	212 (4.2)	17	204 (4.7)	13	158 (4.3)
मध्य	82	112 (2.2)	75	101 (2.3)	66	92 (2.5)
पश्चिमी	63	687 (13.6)	41	365 (8.5)	27	280 (7.7)
दक्षिणी	435	3,479 (69.1)	392	3,205 (74.2)	269	2,765 (75.9)
कुल	870	5,035	774	4,318	570	3,646
महानगर:						
मुंबई	45	672	23	351	14	268
चेन्नई	318	3,162	304	2,879	217	2,591
कोलकाता	15	203	14	187	11	158
नई दिल्ली	108	443	98	345	71	266
कुल	486	4,480	439	3,762	313	3,283

- : कुछ नहीं / नगण्य।

टिप्पणी: कोष्ठक के आँकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास सार्वजनिक जमाराशि संबंधी ब्याज दर और परिपक्वता-स्वरूप

5.59 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष और 2005 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा 10 प्रतिशत तक की ब्याज पर ली गई जमाराशि में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि अन्य सभी दरों पर ली गई जमाराशि में काफी कमी आई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशि के कुछ अंश 14 प्रतिशत से अधिक और यहाँ तक कि 16 प्रतिशत से भी अधिक दर पर लिए गए थे। मार्चांत 2005 में 10 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर ली गई जमाराशि लगभग 71 प्रतिशत थी (सारणी V.21)।

5.60 पिछले वर्षों में ब्याज दर में हुई सामान्य कमी के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशि पर प्रदत्त ब्याज दर में भी कमी आई, जो 10 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर संविदाकृत जमाराशि के अंश में हुई वृद्धि और 12 से 14 प्रतिशत पर संविदाकृत जमाराशि के अंश में आई कमी के रूप में परिलक्षित हुई (चार्ट V.3)।

सार्वजनिक जमाराशि का परिपक्वता स्वरूप

5.61 सभी परिपक्वता अवधि में गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा संविदाकृत जमाराशि में 2003-04 और 2004-05 में भारी कमी आई। मार्चांत 2005 में 2 वर्ष से 3 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशि का सबसे बड़ा अंश (35.5 प्रतिशत) था (सारणी V.22)।


5.62 इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज और गैर-बैंकिंग

सारणी V.21: ब्याज दर के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की जनता की जमाराशि का वर्गीकरण

(करोड़ रु.)

ब्याज दायरा	मार्चांत		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
10 प्रतिशत तक	1,174 (23.3)	1,896 (43.9)	2,604 (71.4)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	2,101 (41.7)	1,586 (36.7)	726 (19.9)
12 प्रतिशत से अधिक और 14 प्रतिशत तक	1,137 (22.6)	505 (11.7)	164 (4.5)
14 प्रतिशत से अधिक और 16 प्रतिशत तक	475 (9.4)	254 (5.9)	109 (3.0)
16 प्रतिशत और उससे अधिक	148 (3.0)	76 (1.8)	43 (1.2)
कुल	5,035 (100.0)	4,317 (100.0)	3,646 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशि के प्रतिशत हैं।



वित्तीय कंपनी द्वारा उसी परिपक्वता की जमाराशियों पर प्रस्तुत ब्याज दर के बीच का अंतर कम हुआ है (सारणी .23)।

उधारी

5.63 उपकरण पट्टा कंपनियों और किराया खरीद कंपनियों द्वारा ली गई उधारी में कमी होने के कारण मार्च 2004 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास बकाया ऋण में 14.8 प्रतिशत की कमी आई,

सारणी V.22: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास रखी सार्वजनिक जमाराशि का परिपक्वता स्वरूप

(करोड़ रुपए)

परिपक्वता स्वरूप @	मार्चांत		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
एक वर्ष से कम	1,203 (23.9)	1,176 (27.3)	1,145 (31.4)
एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	1,241 (24.6)	1,046 (24.2)	862 (23.6)
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,927 (38.3)	1,573 (36.4)	1,295 (35.5)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	619 (12.3)	492 (11.4)	330 (9.0)
5 वर्ष और उससे अधिक	45 (0.9)	30 (0.7)	14 (0.4)
कुल	5,035 (100.0)	4,317 (100.0)	3,646 (100.0)

@ : बकाया जमाराशियों की शेष परिपक्वता अवधि पर आधारित।

टिप्पणी: कोष्ठक में आँकड़े कुल जमाराशि के प्रतिशत हैं।

सारणी 23: बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की जमाराशि पर अधिकतम ब्याज दर/सीमा

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च के अंत में					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
1. सरकारी क्षेत्र बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशि पर अधिकतम ब्याज दर	10.5	9.5	8.5	6.75	6.75	7.00
2. गैर-बैं.वि.कं.की ब्याज दर सीमा	16.0	14.0	12.5	11.0	11.0	11.0
3. अंतर (2-1)	5.5	4.5	4.0	4.25	4.25	4.00

जिसमें मार्च 2005 को समाप्त वर्ष में थोड़ी वृद्धि हुई। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल उधारी में किराया खरीद कंपनियों का सर्वाधिक अंश (59.6 प्रतिशत) यथावत रहा (सारणी V.24)।

5.64 2003-04 और 2004-05 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं और बाह्य स्रोतों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राप्त उधारी में कमी आई जबकि डिबेंचर के रूप में प्राप्त ऋण में वृद्धि हुई। सरकार से प्राप्त ऋण में मार्च 2004 को समाप्त वर्ष में थोड़ी वृद्धि लेकिन अगले वर्ष तीव्रता से कमी आई। सरकार से प्राप्त ऋण अधिकांशतः दक्षिणी क्षेत्र में कार्यरत एक राज्य वाली स्वाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संबंधित है। किराया खरीद कंपनियाँ बैंकों / वित्तीय संस्थाओं और ऋण बाजार से संसाधन जुटाने में सर्वाधिक सक्रिय रही हैं। वर्ष 2003-04 में किराया खरीद कंपनियों द्वारा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण में कमी आई जबकि वर्ष 2004-05 में थोड़ी वृद्धि हुई। मार्चांत वर्ष 2004 में उपकरण पट्टा कंपनियों द्वारा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण में भारी कमी आई जबकि अगले वर्ष इसमें थोड़ी वृद्धि हुई। ऋणकर्ता कंपनियों

के मामले में इसके उलट रहा (सारणी V.25)। डिबेंचर मार्चांत वर्ष 2005 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा और इसने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उधारी को दूसरे स्थान पर ढकेल दिया। मार्च 2003 के अंत से मार्च 2005 के अंत के बीच डिबेंचर के रूप में प्राप्त ऋण का अंश 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 30.6 प्रतिशत पर पहुँच गया, जबकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उधारी का अंश 36.6 प्रतिशत से गिरकर 27.1 प्रतिशत आ गया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां

5.65 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की मुख्य आस्ति अग्रिम है। वर्ष मार्चांत 2004 में जमाराशि और उधारी में कमी होने के फलस्वरूप ऋण कंपनियों को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त अग्रिम में कमी आई। मार्चांत वर्ष 2005 में उपकरण पट्टा और किराया खरीद के अग्रिम में वृद्धि हुई जबकि निवेश और ऋण कंपनियों के अग्रिम में कमी आई। मार्चांत वर्ष 2004 और 2005 में दो मुख्य

सारणी V.24: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उधारी

(करोड़ रुपए)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में						प्रतिशतता अंतर	
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या			कुल उधारी			2003-04	2004-05
	2003	2004	2005	2003	2004	2005		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उपकरण पट्टा	58	46	38	6,472 (26.4)	2,811 (13.5)	3,112 (14.2)	-56.6	10.7
किराया खरीद	439	396	316	13,650 (55.8)	12,141 (58.2)	13,008 (59.6)	-11.1	7.1
निवेश	19	11	5	1,613 (6.6)	1,718 (8.2)	1,092 (5.0)	6.5	-36.4
ऋण	122	87	54	2,600 (10.6)	3,775 (18.1)	3,679 (16.8)	45.2	-2.5
अन्य	232	234	157	145 (0.6)	407 (2.0)	950 (4.4)	180.7	133.4
कुल	870	774	570	24,480 (100.0)	20,852 (100.0)	21,841 (100.0)	-14.8	4.7

टिप्पणी : कोष्ठक के आँकड़े कुल ऋण का प्रतिशत हैं।

सारणी V.25: गैर बैं. वि. कं. के उधारी के स्रोत

(करोड़ रुपए)

गैर-बैं.वि.कं. का वर्गीकरण	मार्चात														
	सरकार			बाह्य			बैंक और वित्तीय संस्थाएँ			डिबेंचर			अन्य		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
उपकरण पट्टा	61	21	-	571	291	190	3,080	1,141	1,252	1,639	893	1219	1,121	465	452
		(-65.6)	(-100.0)		(-49.0)	(-34.7)		(-63.0)	(9.7)		(-45.5)	(36.5)		(-58.5)	(-2.8)
किराया खरीद	85	91	-	124	332	327	5,613	4,114	4,223	2,721	3,919	4,425	5,107	3,684	4,033
		(7.1)	(-100.0)		(167.7)	(-1.5)		(-26.7)	(2.6)		(44.0)	(12.9)		(-27.9)	(9.5)
निवेश	1,423	1,467	885	-	-	-	14	14	10	-	42	12	176	196	185
		(3.1)	(-39.7)						(-28.6)		(-)	(-71.4)		(11.4)	(-5.6)
ऋण	-	-	86	-	-	-	245	1,132	413	992	1,065	1,037	1,363	1,579	2,142
								(362.0)	(-63.5)		(7.4)	(-2.6)		(15.8)	(35.7)
अन्य	-	-	-	-	-	-	7	13	31	-	-	-	138	394	920
								(85.7)	(138.5)					(185.5)	(133.5)
कुल	1,570	1,579	971	695	623	517	8,959	6,413	5,929	5,352	5,919	6,693	7,905	6,318	7,732
		(0.6)	(-38.5)		(-10.2)	(-17.0)		(-28.4)	(-7.5)		(10.6)	(13.1)		(-20.1)	(22.4)

- : कुछ नहीं / नगण्य

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन के द्योतक हैं।

समूह यथा उपकरण पट्टा और किराया खरीद कंपनियों द्वारा किये गए निवेश में कमी आने के फलस्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश में कमी आई (सारणी V.26)।

आस्ति आकार के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण

5.66 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियाँ विभिन्न आकार की हैं, जो 25 लाख रुपए से कम से लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक की हैं। अधिकांश कंपनियाँ 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक की विभिन्न आस्ति आकार वाली थीं। तथापि, एनबीएफसी

ने अधिक आस्तियाँ बड़े आकार की आस्तियों में रखीं। मार्चात 2005 में 500 करोड़ रु. और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली सोलह कंपनियों के पास सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्ति का सर्वाधिक अंश, अर्थात् 79.4 प्रतिशत था। (सारणी V.27)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियों का वर्गीकरण-कार्यकलाप के प्रकार

5.67 वर्ष 2003-04 और 2004-05 में ऋण और अंतर-कंपनी जमाराशि निवेश तथा उपकरण और पट्टा संबंधी गैर-बैंकिंग वित्तीय

सारणी V.26: गैर-बैं.वि.कं. की आस्ति के मुख्य समूहवार घटक

(करोड़ रुपए)

गैर-बैं.वि.कं. का वर्गीकरण	मार्चात								
	आस्ति			अग्रिम			निवेश		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उपकरण पट्टा	7,996	3,744	4,721	7,087	3,020	3,875	1,028	348	331
	(21.2)	(11.4)	(13.9)	(22.8)	(11.3)	(13.9)	(23.7)	(9.1)	(9.4)
किराया खरीद	22,163	19,929	20,039	18,849	17,114	18,312	1,909	1,805	1,202
	(58.8)	(60.8)	(59.2)	(60.7)	(64.1)	(65.8)	(44.0)	(47.3)	(34.3)
निवेश	2,208	2,422	1,890	1,520	1,617	1,061	629	750	788
	(5.9)	(7.4)	(5.6)	(4.9)	(6.1)	(3.8)	(14.5)	(19.6)	(22.5)
ऋण	4,109	5,485	5,319	2,763	4,208	3,456	527	604	657
	(10.9)	(16.7)	(15.7)	(8.9)	(15.8)	(12.4)	(12.1)	(15.8)	(18.7)
अन्य	1,233	1,173	1,874	818	745	1,129	245	311	530
	(3.3)	(3.6)	(5.5)	(2.6)	(2.8)	(4.1)	(5.6)	(8.1)	(15.1)
कुल	37,709	32,753	33,843	31,037	26,704	27,833	4,338	3,818	3,508
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल का प्रतिशत अंश हैं।

सारणी V.27: आस्ति आकार के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(राशि करोड़ रु. में)

आस्ति आकार	मार्च					
	सूचना देने वाली कंपनियों की सं.			आस्ति		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
1. 0.25 से कम	62	59	34	6 (0.0)	6 (0.0)	4 (0.0)
2. 0.25 से अधिक और 0.50 तक	77	73	41	28 (0.1)	27 (0.1)	15 (0.1)
3. 0.50 से अधिक और 2 तक	354	317	209	388 (1.0)	352 (1.0)	232 (0.7)
4. 2 से अधिक और 10 तक	245	209	164	1,131 (3.0)	964 (2.9)	724 (2.1)
5. 10 से अधिक और 50 तक	68	69	71	1,399 (3.7)	1,593 (4.9)	1,765 (5.2)
6. 50 से अधिक और 100 तक	19	13	18	1,315 (3.5)	850 (2.6)	1,216 (3.6)
7. 100 से अधिक और 500 तक	28	17	17	6,492 (17.2)	3,819 (11.7)	3,007 (8.9)
8. 500 से अधिक	17	17	16	26,950 (71.5)	25,143 (76.8)	26,880 (79.4)
कुल	870	774	570	37,709 (100.0)	32,754 (100.0)	33,843 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक के आँकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

कंपनियों की आस्ति में कमी आई। किराया खरीद कंपनियों की आस्ति 2003-04 में तो कम हुई लेकिन अगले वर्ष तेजी से बढ़ी। फलस्वरूप, सभी आस्तियों में किराया खरीद कंपनियों की आस्तियों का अंश

सबसे बड़ा (42.0 प्रतिशत था, उसके बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्ति में अंतर-कंपनी जमा राशि सहित ऋण कंपनियों का अंश (33.4 प्रतिशत) था (सारणी V.28)।

सारणी V.28: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियों का कार्यात्मक लापवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में			प्रतिशतता अंतर		
	2003	2004	2005	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
1. ऋण और अंतर-कंपनी जमा	13,398 (35.4)	12,363 (37.7)	11,301 (33.4)	-2.3	-7.7	-8.6
2. निवेश	4,338 (11.5)	3,818 (11.7)	3,508 (10.4)	0.1	-12.0	-8.1
3. किराया खरीद	13,031 (34.5)	11,649 (35.6)	14,200 (42.0)	-1.3	-10.6	21.9
4. उपकरण और पट्टा	2,011 (5.3)	1,115 (3.4)	778 (2.3)	-35.4	-44.6	-30.2
5. बिल	450 (1.2)	436 (1.3)	464 (1.4)	-33.1	-3.2	6.4
6. अन्य आस्तियाँ	4,581 (12.1)	3,375 (10.3)	3,592 (10.6)	-4.6	-26.3	6.4
कुल	37,809 (100.0)	32,756 (100.0)	33,843 (100.0)	-5.3	-13.4	3.3

टिप्पणी: कोष्ठक के आँकड़े कुल का प्रतिशत हैं।


भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन

5.68 मुख्यतः व्यय सीमित रखने के कारण वर्ष 2003-04 और 2004-05 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ। मार्चात वर्ष 2004 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधि-आधारित और शुल्क आधारित, आय, दोनों में कमी आई। 2004-05 में निधि आधारित आय और शुल्क आधारित आय में थोड़ी वृद्धि हुई। 2003-04 में वित्तीय और परिचालन दोनों में काफी कमी आई लेकिन 2004-05 में इनमें थोड़ी-सी कमी आई, जिसके फलस्वरूप परिचालन लाभ और निवल लाभ में वृद्धि हुई। मार्चात वर्ष 2004 में निवल लाभ में हुई वृद्धि का कारण कुछ हद तक कर प्रावधान में कमी था। 2003-04 में कुल आस्तियों में कमी के साथ-साथ निवल लाभ में वृद्धि होने से आस्तियों में निवल लाभ के अनुपात में भारी वृद्धि हुई तथा 2004-05 में पुनः इस अनुपात में वृद्धि हुई (सारणी V.29 और चार्ट V.4)।

कुल आय में ब्याज लागत

5.69 2003-04 में कुल आय में ब्याज लागत का प्रतिशत बढ़ा, लेकिन अगले वर्ष उसमें तीव्र कमी आई। कुल आय की तुलना में ब्याजेतर लागत में दोनों वर्षों में कमी आई। फलस्वरूप, आय लागत



अनुपात 2002-03 के 88.3 प्रतिशत से काफी घटकर 2003-04 में 83.8 प्रतिशत पर आ गया और 2004-05 में पुनः गिर कर 78.8 प्रतिशत रह गया (सारणी V.30)।

सारणी V.29: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2002-03	2003-04	2004-05	प्रतिशतता अंतर		
				2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
क. आय (i+ii)	5,084	4,332	4,435	-5.1	-14.8	2.4
	(100.0)	(100.0)	(100.0)			
(i) निधि आधारित	4,709	4,005	4,062	-5.9	-15.0	1.4
	(92.6)	(92.5)	(91.6)			
(ii) शुल्क आधारित	375	327	373	6.5	-12.8	14.1
	(7.4)	(7.5)	(8.4)			
ख. व्यय (i+ii)	4,491	3,621	3,495	-15.6	-19.4	-3.5
	(100.0)	(100.0)	(100.0)			
(i) वित्तीय	2,757	2,099	2,054	-16.4	-23.9	-2.1
	(61.4)	(58.0)	(58.8)			
(ii) परिचालन	1,734	1,522	1,441	-14.3	-12.2	-5.3
	(38.6)	(42.0)	(41.2)			
ग. कर प्रावधान	254	180	349	2.4	-29.1	93.9
घ. परिचालन लाभ	593	711	940	1,547.2	19.9	32.2
ड. निवल लाभ (करोड़र लाभ)	339	531	591	-259.9	56.6	11.3
च. कुल आस्तियाँ	37,709	32,754	33,843	-5.3	-13.1	3.3
छ. वित्तीय अनुपात*						
(i) आय	13.5	13.2	13.1			
(ii) निधि आय	12.5	12.2	12.0			
(iii) शुल्क आय	1.0	1.0	1.1			
(iv) व्यय	11.9	11.0	10.3			
(v) वित्तीय व्यय	7.3	6.4	6.1			
(vi) परिचालन व्यय	2.9	3.1	4.2			
(vii) कर प्रावधान	0.7	0.5	1.0			
(viii) निवल लाभ	0.9	1.6	1.7			

* : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।

टिप्पणी: कोष्ठक के आँकड़े कुल का प्रतिशत अंश हैं।

सारणी V.30: कुल आय में ब्याज लागत

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल आय	कुल लागत	ब्याज लागत	ब्याजेतर लागत
1	2	3	4	5
2002-03	5,084	4,491 (88.3)	974 (19.2)	3,517 (69.2)
2003-04	4,322	3,621 (83.8)	888 (20.5)	2,733 (63.2)
2004-05	4,435	3,495 (78.8)	760 (17.1)	2,735 (61.7)

टिप्पणी : कोषक के आँकड़े कुल का प्रतिशत अंश हैं।

मजबूती के संके तक

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्ति गुणवत्ता

5.70 मार्चांत 2001 और मार्चांत 2004 के बीच सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सामूहिक सकल और निवल अनर्जक आस्तियों में निरंतर कमी आई। मार्चांत वर्ष 2005 में सकल अप्रयोज्य आस्तियों में कमी आई, लेकिन निवल अप्रयोज्य आस्तियों में काफी वृद्धि हुई (सारणी V.31)।

सारणी V.31: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अनर्जक आस्ति*

(जोखिम ऋण का प्रतिशत)

मार्चांत	सकल अप्रयोज्य आस्ति	निवल अप्रयोज्य आस्ति
1	2	3
2001		11.5
2002		10.6
2003		8.8
2004		8.2
2005		7.0

* : एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी सहित।

5.71 विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्ति गुणवत्ता में विविध प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। वर्ष 2003-04 में उपकरण पट्टा कंपनियों, किराया खरीद कंपनियों और निवेश कंपनियों की सकल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई लेकिन 2004-05 में कमी आई। कमोवेश निवल अनर्जक आस्तियों के संबंध में भी यही प्रवृत्ति देखी गई। मार्चांत 2005 में निवेश कंपनियों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात सबसे कम (1.8 प्रतिशत) था, उसके बाद क्रमशः ऋण कंपनियों (3.7 प्रतिशत), किराया खरीद कंपनियों (4.6 प्रतिशत) और उपकरण पट्टा कंपनियों (12.3 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी V.32)।

सारणी V.32: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की समूहवार अनर्जक आस्तियाँ

(राशि करोड़ रु. में)

श्रेणी/वर्ष मार्चांत	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ			निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियाँ		
		राशि	सकल अग्रिम में प्रतिशत	आस्तियों में प्रतिशत		राशि	निवल अग्रिम में प्रतिशत	आस्तियों में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उपकरण पट्टा								
2001	4,118	304	7.4	6.1	3,826	12	0.3	0.2
2002	1,625	646	39.7	28.0	1,330	351	26.3	15.2
2003	5,969	932	15.6	11.1	5,506	469	8.5	5.6
2004	3,306	582	17.6	13.3	3,067	344	11.2	7.8
2005	5,611	718	12.8	12.3	5,310	418	7.9	7.1
किराया खरीद								
2001	8,296	1,324	16.0	12.3	7,604	631	8.3	5.9
2002	6,825	1,167	17.1	14.8	6,068	410	6.8	5.2
2003	16,489	1,288	7.8	6.8	15,305	104	0.7	0.5
2004	10,437	942	9.0	7.3	9,748	253	2.6	2.0
2005	12,812	619	4.8	4.6	12,498	306	2.4	2.3
निवेश								
2001	232	53	22.9	5.1	223	45	20.0	4.3
2002	149	2	1.6	0.1	147	1	0.4	0.0
2003	93	11	11.9	2.1	90	8	8.9	1.5
2004	63	15	24.2	2.6	55	7	12.7	1.2
2005	58	10	17.2	1.8	58	10	17.2	1.8
ऋण								
2001	7,414	595	8.0	5.9	7,118	299	4.2	3.0
2002	3,986	549	13.8	10.1	3,615	177	4.9	3.3
2003	2,707	144	5.3	4.8	2,503	-	-	-
2004	2,038	142	7.0	4.1	1,833	-	-	-
2005	1,906	83	4.4	3.7	1,780	-	-	-
अन्य								
2001	1,394	493	35.4	24.2	1,308	407	31.1	20.0
2002	175	9	5.1	3.0	165	-	-	-
2003	294	2	0.6	0.5	294	1	0.5	0.4
2004	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-

- : कुछ नहीं / नगण्य

सारणी V.33: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वर्गीकरण - समूहवार

(राशि करोड़ रु. में)

मद/अवधि के अंत में	मानक आस्ति		अव-मानक आस्ति		संदिग्ध आस्ति		हानि आस्ति		सकल अनर्जक		कुल आस्तियाँ
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उपकरण पट्टा											
मार्च-03	5,037	84.4	520	8.7	205	3.4	207	3.5	932	15.6	5,969
सितं.-03	2,986	77.9	502	13.1	194	5.1	154	4.0	850	22.1	3,836
मार्च-04	2,724	82.4	396	12.0	84	2.5	102	3.1	582	17.6	3,306
सितं.-04	3,389	87.2	365	9.4	19	0.5	114	2.9	498	12.8	3,887
मार्च-05	4,893	87.2	393	7.0	98	1.7	227	4.1	718	12.8	5,611
किराया खरीद											
मार्च-03	15,201	92.2	746	4.5	273	1.7	269	1.6	1,288	7.8	16,489
सितं.-03	15,621	92.4	758	4.5	245	1.5	283	1.7	1,286	7.6	16,907
मार्च-04	9,495	91.0	613	5.9	103	1.0	226	2.2	942	9.0	10,437
सितं.-04	11,420	91.5	730	5.9	118	0.9	213	1.7	1,061	8.5	12,481
मार्च-05	12,193	95.2	401	3.1	128	1.0	90	0.7	619	4.8	12,812
निवेश											
मार्च-03	82	88.1	9	9.3	2	2.4	-	0.2	11	11.9	93
सितं.-03	43	80.6	9	16.9	1	2.4	-	0.1	10	19.4	54
मार्च-04	48	75.8	-	-	10	15.3	6	8.9	15	24.2	63
सितं.-04	71	86.4	1	1.4	10	12.1	-	-	11	13.6	82
मार्च-05	48	82.0	1	1.1	10	16.7	-	0.2	10	18.0	58
ऋण											
मार्च-03	2,563	94.7	37	1.3	20	0.7	88	3.2	145	5.3	2,708
सितं.-03	5,693	95.8	81	1.4	59	1.0	112	1.9	252	4.2	5,945
मार्च-04	1,896	93.0	40	2.0	20	1.0	82	4.0	142	7.0	2,038
सितं.-04	1,697	93.9	28	1.6	9	0.5	73	4.0	110	6.1	1,807
मार्च-05	1,823	95.6	14	0.7	41	2.1	28	1.5	83	4.4	1,906
अन्य											
मार्च-03	293	99.4	1	0.4	1	0.2	-	-	2	0.6	295
सितं.-03	1	55.0	-	25.9	-	19.0	-	-	1	45.0	2
मार्च-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सितं.-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मार्च-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- : कुछ नहीं / नगण्य।

5.72 2003-04 और 2004-05 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समूहों की अनर्जक आस्तियों के स्वरूप में विविध प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ीं। उपकरण पट्टा कंपनियों की अनर्जक आस्ति में मार्चांत वर्ष 2004 में वृद्धि होने के बाद अगले वर्ष कमी आई। वर्ष 2003-04 में किराया खरीद कंपनियों, निवेश कंपनियों और ऋण कंपनियों की अनर्जक आस्तियों में कमी आई, लेकिन अगले वर्ष उसमें सुधार हुआ (सारणी V.33)।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

5.73 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर पूँजी में जोखिम भारित आस्ति अनुपात संबंधी मानदंड 1998 में लागू किए गए, जिसके अनुसार हरेक जमा संग्रहण गैर-बैंकिंग वि. कं. से अपेक्षा की जाती है कि वह तुलन पत्र के बाहर की मदों के जोखिम भारित मूल्य और अपनी सकल जोखिम भारित आस्तियों की 12 प्रतिशत से अन्यून (अरेटित जमा

संग्रहण, ऋणकर्ता, निवेश कंपनियों के मामले में 15 प्रतिशत) पूँजी, टियर I और टियर II सहित, बरकरार रखे। किसी भी समय कुल टियर II पूँजी टियर I पूँजी के 100 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। मार्चांत वर्ष 2004 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जोखिम भारित आस्ति अनुपात में सुधार हुआ लेकिन अगले वर्ष उसमें कमी आई। 12 प्रतिशत से कम जोखिम भारित आस्ति अनुपात वाली कंपनियों की संख्या मार्चांत 2003 में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का 6.4 प्रतिशत थी, जो मार्चांत 2004 में और घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई लेकिन मार्चांत वर्ष 2005 में बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर 20 प्रतिशत से अधिक जोखिम भारित आस्ति अनुपात वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या मार्चांत 2003 के 85.3 प्रतिशत से बढ़ कर मार्चांत 2004 में 89.7 प्रतिशत हो गई, लेकिन मार्चांत 2005 में तेजी से गिरकर 73.5 प्रतिशत पर आ गई (सारणी V.34)।

सारणी V.34: सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जोखिम भारत आस्ति अनुपात*

रेंज	मार्च के अंत में											
	2003				2004				2005			
	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12 प्रतिशत से कम	10	17	15	42	5	12	8	25	4	55	5	64
12 प्रतिशत से अधिक और 15 प्रतिशत तक	1	8	1	10	1	4	1	6	-	-	1	1
15 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	4	32	9	45	2	15	2	19	2	15	4	21
20 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक	9	54	11	74	6	38	7	51	5	26	1	32
30 प्रतिशत से अधिक	32	334	121	487	28	300	55	383	25	153	28	206
कुल	56	445	157	658	42	369	73	484	36	249	39	324

- : कुछ नहीं / नगण्य
* : एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी को छोड़कर।
टिप्पणी : 1. उप - उपकरण पट्टा
2. कि.ख. - किराया खरीद
3. ऋण कं./नि.क. - ऋण कंपनी / निवेश कंपनी

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में सार्वजनिक जमाराशि

5.74 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि में चुकता पूंजी और (i) संचित हानि की शेष राशि, (ii) आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अपूर्व आस्ति, यदि हो, को घटाकर तथा (क) अनुषंगियों, (ख) उसी समूह की कंपनियों और (ग) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर) के शेयर में किए गए निवेश को प्रदत्त ऋण और अग्रिम में समायोजित करने के बाद मुक्त रिजर्व शामिल है। निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी सूचना जोखिम भारत आस्ति में पूंजी का अनुपात संबंधी सूचना की पूरक हो सकती है। मार्चांत 2004 में लगभग सभी गैर-बैंकिंग कंपनी समूह में, ऋण घटक छोड़कर, निवल स्वाधिकृत निधि में सार्वजनिक जमाराशि के अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई लेकिन मार्चांत वर्ष 2005 में उसमें कमी हुई (V.35)।

5.75 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि का रेंज 25 लाख रु. से कम से लेकर 500 करोड़ रु. से अधिक तक है। 2003-04 और 2004-05 में लगभग सभी निवल स्वाधिकृत

निधिवाली कंपनियों की संख्या कम हुई है। 2003-04 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि में थोड़ी कमी आई जो 2004-05 में बढ़ गई। 25 लाख रु. तक की निवल स्वाधिकृत निधिवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में निवल स्वाधिकृत निधि की स्थिति निरंतर नकारात्मक बनी रही। मार्चांत 2004 में वाली 500 करोड़ रु. से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की संख्या दो थी जो मार्चांत 2005 में एक रह गई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि में सार्वजनिक जमाराशि का अनुपात मार्चांत 2003 के 1.2 प्रतिशत से गिरकर मार्चांत 2004 में 1.1 प्रतिशत और मार्चांत 2005 में और गिरकर 0.8 प्रतिशत रह गया। सार्वजनिक जमाराशि का सबसे बड़ा अंश (29.3 प्रतिशत) 100 करोड़ से 500 करोड़ तक की स्वाधिकृत निधिवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का (सारणी V.36)।

शेष गैर-बैंकिंग कंपनी

5.76 मार्चांत 2003 के 5 की तुलना में मार्चांत 2004 और 2005 में देश में 3 गैर बैंकिंग कंपनियाँ कार्यरत थीं। गैर-बैंकिंग

सारणी V.35 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में सार्वजनिक जमाराशि - समूहवार *

(राशि करोड़ रु. में)

कंपनियों का वर्गीकरण	निवल स्वाधिकृत निधि			सार्वजनिक जमाराशि			निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में सार्वजनिक जमाराशि		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उपकरण पट्टा	154	96	427	511	344	343	3.3	3.6	0.8
किराया खरीद	2,979	2,235	2,597	3,539	2,963	2,315	1.2	1.3	0.9
निवेश	553	607	662	125	106	93	0.2	0.2	0.1
ऋण	367	893	428	177	178	157	0.5	0.2	0.4
अन्य	88	265	331	683	727	738	7.8	2.7	2.2
कुल	4,141	4,096	4,445	5,035	4,317	3,646	1.2	1.1	0.8

* : एम बी एफ सी, एम बी सी और एम एन बी सी सहित

सारणी V.36: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में सार्वजनिक जमा राशियों का दायरा*

(राशि करोड़ रु. में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	मार्चात											
	2003				2004				2005			
	सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता जमा	जनता जमा स्वाधिकृत निधि के गुणक में	सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता जमा	जनता जमा स्वाधिकृत निधि के गुणक में	सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता जमा	जनता जमा स्वाधिकृत निधि के गुणक में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 0.25 तक	208	-1,356	843	-	175	-881	667	-	93	-591	456	-
2. 0.25 से अधिक और 2 तक	497	309	369	1.2	451	289	430	1.5	332	228	372	1.6
3. 2 से अधिक और 10 तक	110	461	467	1	92	394	384	1	97	428	392	0.9
4. 10 से अधिक और 50 तक	30	677	447	0.7	35	683	577	0.8	29	661	470	0.7
5. 50 से अधिक और 100 तक	10	639	255	0.4	7	478	204	0.4	6	456	158	0.3
6. 100 से अधिक और 500 तक	15	3,411	2,654	0.8	12	2,039	1,342	0.7	12	2,595	1,067	0.4
7. 500 से अधिक कुल	-	-	-	-	2	1,094	713	0.7	1	669	731	1.1
	870	4,141	5,035	1.2	774	4,096	4,317	1.1	570	4,446	3,646	0.8

- : शून्य/नगण्य।

* : एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी सहित।

कंपनियों की आस्तियों में मार्चात 2004 में 3.5 प्रतिशत और मार्चात 2005 में 6.4 प्रतिशत की गिरावट आई। फिर भी, 2004-05 के दौरान बैंकों में सावधि जमा राशि, बांड / डिबेंचर और अन्य सावधि आय निवेश में तीव्र वृद्धि हुई। 2003-04 और 2004-05 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि में वृद्धि हुई।

5.77 2003-04 और 2004-05 में शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों का वित्तीय निष्पादन घूमिल रहा। 2003-04 में आय में वृद्धि होने के बावजूद उनके परिचालन और निवल लाभ में कमी रही, जिसका मुख्य कारण उनके व्यय में वृद्धि था 2004-05 में शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों की आय में तीव्र कमी के कारण उनके निवल लाभ में भारी कमी हुई (सारणी V.37)।

सारणी V.37: शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

मद	मार्चात			वास्तविक प्रतिशत अंतर	
	2003	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
क. आस्ति (i) से (v)	21,104	20,362	19,057	-3.5	-6.4
(i) अभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	6,129	5,824	2,037	-5.0	-65.0
(ii) बैंकों में सावधि जमा	1,470	2,033	4,859	38.3	139.0
(iii) सरकारी कंपनी / सार्वजनिक क्षेत्र बैंक / सार्वजनिक वित्त संस्था/निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	6,553	6,048	9,225	-7.7	52.5
(iv) अन्य निवेश	912	2,059	1,639	125.8	-20.4
(v) अन्य आस्तियाँ	6,040	4,398	1,297	-27.2	-70.5
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	809	1,002	1,065	23.9	6.3
ग. कुल आय (i+ii)	1,801	2,055	1,532	14.1	-25.5
(i) निधि आय	1,801	2,055	1,530	14.1	-25.5
(ii) शुल्क आय	-	-	2	-	-
घ. कुल व्यय (i+ii+iii)	1,435	1,813	1,396	26.3	-23.0
(i) वित्तीय लागत	1,212	1,368	1,196	12.9	-12.6
(ii) परिचालन लागत	105	129	146	22.9	13.2
(iii) अन्य लागत	118	316	74	167.8	-76.6
ड. क राधान	134	32	48	-76.1	50.0
च. परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ)	366	242	136	-33.9	-43.8
छ. निवल लाभ (क रोत्तर लाभ)	232	210	88	-9.5	-58.1

- : कुछ नहीं / नगण्य

* : केवल निधि आधारित आय सहित

शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशि का क्षेत्रीय स्वरूप

5.78 तीन शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों में से दो पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता में और एक केन्द्रीय क्षेत्र में है। मार्चात वर्ष 2004 और 2005 में पूर्वी क्षेत्र में स्थित शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशि कम हुई जबकि दोनों वर्ष केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित ऐसी कंपनियों की जमाराशि बढ़ गई। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमाराशि में शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों का अंश काफी बड़ा (82.0 प्रतिशत) है (सारणी V.38)।

शेष गैर - बैंकिंग कंपनियों का निवेश स्वरूप

5.79 शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा किए जानेवाले निवेश संबंधी दिशा-निर्देश को वित्तीय क्षेत्र में सर्वांगीण जोखिम कम करने तथा जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिए जून 2004 में युक्ति संगत बनाया गया। इस संबंध में निम्नलिखित रूपरेखा निर्धारित की गई : (क) शेष-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जून 2005 को समाप्त तिमाही से दूसरी अग्रवर्ती तिमाही में जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयता के केवल 10 प्रतिशत या अपनी स्वाधिकृत निधि के बराबर की राशि, जो भी कम हो, का निवेश इस प्रकार करने की अनुमति दी गई, जो कंपनी की राय में सुरक्षित हो और वह संचालक

मंडल द्वारा अनुमोदित हो; (ख) जून 2006 को समाप्त तिमाही से यह सीमा समाप्त समझी जाएगी और शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों को अपने विवेकानुसार दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही में जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयता में से कोई भी राशि निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार जून 2006 को समाप्त तिमाही से शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों से दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही में जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयता की पूरी राशि यथा निर्दिष्ट निवेश के रूप में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

5.80 इसके अलावा, प्रत्यक्ष निवेश के योग्य बांड / डिबेंचर के लिए एए + रेटिंग और शेयर बाजार में सूचीबद्धता की अपेक्षा लागू की गई। आशा है कि इन उपायों से शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश में अधिक तरलता और सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी और इस प्रकार जमाकर्ताओं को उपलब्ध सुरक्षा मजबूत की जा सकेगी।

5.81 मार्चात वर्ष 2004 और 2005 में जमाकर्ताओं (एएलडी) के प्रति सकल देयता में वृद्धि हुई। अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में तीव्र कमी आई, जबकि बैंकों में सावधि जमाराशि और बांड / डिबेंचर में निवेश में वृद्धि हुई। फलस्वरूप, मार्चात 2003 की अपेक्षा मार्चात 2005 में जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयता के प्रतिशत के रूप में अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ काफी कम हुई हैं (सारणी V.39)।

सारणी V.38: पंजीकृत और अपंजीकृत शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास सार्वजनिक जमाराशि : क्षेत्रवार

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	2003		2004		2005	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	4	5
उत्तरी	-	-	-	-	-	-
उत्तर पूर्वी	-	-	-	-	-	-
पूर्वी	3	7,422 (49.3)	2	6,523 (42.6)	2	5,070 (30.5)
केन्द्रीय	1	7,640 (50.7)	1	8,804 (57.4)	1	11,530 (69.5)
पश्चिमी	-	-	-	-	-	-
दक्षिणी	1	3 (0.0)	-	-	-	-
कुल	5	15,065	3	15,327	3	16,600
महानगरी क्षेत्र						
मुंबई	-	-	-	-	-	-
चेन्नै	-	-	-	-	-	-
कोलकाता	3	7,422	2	6,523	2	5,070
नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-
कुल	3	7,422	2	6,523	2	5,070
- शून्य / नगण्य						
टिप्पणी : आँकड़े मार्चात के हैं।						

सारणी V.39: शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों का निवेश ढाँचा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्चांत			जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयता में		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयता:	15,065	15,327	16,600	100	100	100
क) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	6,129	3,702	2,036	40.7	24.2	12.3
ख) बैंकों में सावधि जमा	1,470	2,431	4,859	9.8	15.9	29.3
ग) सरकारी कं. / सार्वजनिक क्षेत्र बैंक / सार्वजनिक वित्तीय संस्था / निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	6,553	8,319	9,225	43.5	54.3	55.6
घ) अन्य निवेश	913	2,059	1,639	6.1	13.4	9.9

सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

5.82 8 जनवरी 1997 को यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइए के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कार्यकलाप करने वाली कंपनियों से रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, 31 जनवरी 1998 को जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी दिशा-निर्देश के अनुसार सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करनेवाली से सार्वजनिक जमाराशि संबंधी वार्षिक विवरणी (एनबीएस-1), समुचित मानदंड संबंधी छमाही विवरणी (एनबीएस-2) और सांविधिक नकदी अनुपात संबंधी तिमाही विवरणी (एनबीएस-3) जैसी विनियामक विवरणियाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

5.83 रिजर्व बैंक ने 30 जून 2005 तक 13,261 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया, जिनमें से केवल 507 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करती थीं और दिशा-निर्देशानुसार विनियामक विवरणी प्रस्तुत करती थीं।

जमा नहीं लेनेवाली बड़ी कंपनियों के परिचालन का मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 2004 से एक तिमाही विवरणी लागू की गई। शुरू में, 500 करोड़ रु. और उससे अधिक की आकारवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उनकी निधियों के स्रोत और उपयोग तथा पूंजी बाजार में उनके निवेश, अप्रयोज्य आस्तियों और लाभप्रदता संबंधी सूचना वाली तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

5.84 मार्च और जून 2005 को समाप्त तिमाही के लिए 500 करोड़ रु. ओर उससे अधिक की आस्ति आकारवाली लगभग 50 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से प्राप्त विवरणियों पर आधारित सूचना उनकी आस्तियों/ देयताओं में थोड़ी वृद्धि की ओर इंगित करती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निधियों का सबसे बड़ा स्रोत बेजमानती ऋण था और उसके बाद जमानती ऋण का स्थान था (सारणी V.40)।

उधारी

5.85 बड़ी आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल स्रोत उधारी रहा है। मार्च और जून 2005

सारणी V.40: बड़ी आकारवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ *

(राशि करोड़ रु. में)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2005		जून 2005	
	राशि	कुल में आस्ति प्रतिशत	राशि	कुल में आस्ति प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल देयताएँ	1,70,957	100.0	1,79,311	100.0
उनमें से :				
क) चुकता पूंजी	11,233	6.6	11,294	6.3
ख) अधिमान शेयर	689	0.4	689	0.4
ग) रिजर्व और अधिशेष	22,827	13.4	22,976	12.8
घ) जमानती ऋण	52,774	30.9	56,233	31.4
ङ) बेजमानती ऋण	74,049	43.3	76,758	42.8

* : 500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली जनता जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

सारणी V.41: बड़ी आकारवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त उधारी*

(राशि करोड़ रु. में)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2005		जून 2005	
	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत
1	2	3	4	5
क) जमानती उधारी (i से vi)	52,774	41.6	56,233	42.3
i) डिबेंचर	30,777	24.3	31,914	24.0
ii) आस्थगित ऋण	-	-	-	-
iii) बैंकों से प्राप्त सावधि ऋण	11,043	8.7	11,893	8.9
iv) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सावधि ऋण	4,411	3.5	6,574	4.9
v) अन्य	5,433	4.3	5,169	3.9
vi) उपचित ब्याज	1,110	0.8	683	0.6
ख) बेजमानती उधारी (i से viii)	74,049	58.4	76,758	57.7
i) संबंधियों से ऋण	1,310	1.0	1,221	0.9
ii) अंतर कंपनी जमाराशि	7,993	6.3	7,866	5.9
iii) बैंकों से प्राप्त ऋण	19,717	15.5	21,661	16.3
iv) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	2,326	1.8	2,723	2.0
v) वाणिज्यिक पत्र	12,487	9.8	13,382	10.1
vi) डिबेंचर	13,769	10.9	14,256	10.7
vii) अन्य	15,419	12.3	14,512	10.9
viii) ऋण पर उपचित ब्याज	1,028	0.8	1,137	0.9
कुल उधार	1,26,823	100.0	1,32,991	100.0

- : कुछ नहीं / नगण्य
* : सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली 500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी।

को समाप्त तिमाही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ली गई कुल उधारी (सुरक्षित और असुरक्षित) क्रमशः 1,26,823 करोड़ रु. और 1,32,991 करोड़ रु. की थी। जून 2005 को समाप्त तिमाही में डिबेंचर और बैंकों वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण के रूप में प्राप्त सुरक्षित उधारी में काफी वृद्धि हुई। इस तिमाही में बैंकों से ऋण डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र के रूप में प्राप्त असुरक्षित उधारी में भी वृद्धि हुई। वर्धित उधारी से बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आस्ति पक्ष से संबंधित अपना परिचालन बढ़ाने में समर्थ हुई (सारणी V.41)।

निधियों का उपयोग

5.86 जून 2005 को समाप्त तिमाही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण में (सुरक्षित और असुरक्षित दोनों), जो आस्ति पक्ष की सबसे बड़ी एकल मद है, 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू निवेश में भी तीव्र वृद्धि (23.7 प्रतिशत) देखी गई। दीर्घावधि निवेश और किराया खरीद वित्तीयन में थोड़ी कमी आई। बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पूंजी बाजार निवेश में भी थोड़ी कमी आई (सारणी V.42)।

सारणी V.42 : बड़ी आकारवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक *

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2005		जून 2005	
	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. जमानती ऋण	42,552	28.4	44,502	28.5
2. बेजमानती ऋण	60,855	40.6	63,669	40.7
3. किराया खरीद	20,763	13.9	19,982	12.8
4. दीर्घावधि निवेश	14,847	9.9	14,689	9.4
5. चालू निवेश	10,883	7.2	13,466	8.6
कुल	1,49,900	100.0	1,56,308	100.0
ज्ञापन मद :				
पूंजी बाजार निवेश	17,874	11.9	17,132	11.0
उसमें से: इक्विटी में	12,242	8.2	11,817	7.6

* : सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली 500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

सारणी V.43: बड़ी आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन *

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2005		जून 2005	
	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल आय	12,954	7.6	4,225	2.4
कुल व्यय	9,612	5.6	2,753	1.5
निवल लाभ	2,255	1.3	1,059	0.6
कुल आस्ति	1,70,957	100.0	1,79,311	100.0

* : सार्वजनिक जमाराशि न लेनेवाली 500 करोड़ रुपए और अधिक के आस्ति आकार वाली एनबीएफसी।

वित्तीय निष्पादन

5.87 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष में बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की कुल आस्ति में उनकी कुल आय और व्यय का प्रतिशत क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत थी। मार्च 2005 को समाप्त वर्ष में आस्ति में निवल लाभ का अनुपात 1.3 प्रतिशत रहा। जून 2005 को समाप्त तिमाही में बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने 1,059 करोड़ रुपए का भारी लाभ अर्जित किया, जो मार्च 2005 को समाप्त वर्ष में अर्जित कुल लाभ के 50 प्रतिशत से थोड़ा ही कम था (सारणी V.43)।

आस्ति गुणवत्ता

5.88 जून 2005 को समाप्त तिमाही में सकल अनर्जक आस्ति/कुल आस्ति अनुपात यथावत रहा, जबकि सकल अनर्जक आस्ति/ऋण जोखिम अनुपात बढ़ गया। जून 2005 को समाप्त तिमाही में कुल आस्ति और ऋण जोखिम, दोनों की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति कम हो गई (सारणी V.44)।

सारणी V.44: बृहदाकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सकल और निवल अनर्जक आस्ति* (प्रतिशत)

मद	मार्चांत 2005	जूनांत 2005
1	2	3
1. कुल आस्तियों में सकल अनर्जक आस्ति	2.3	2.3
2. कुल ऋण जोखिम में सकल अनर्जक आस्ति	6.3	7.9
3. कुल आस्तियों में निवल अनर्जक आस्ति	1.2	1.1
4. कुल ऋण जोखिम में निवल अनर्जक आस्ति	3.4	2.5

* : सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली 500 करोड़ रु. और उससे अधिक आस्ति आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।

4. प्राथमिक व्यापारी

5.89 भारत में सरकार के उधारी कार्यक्रम, जो बड़े आकार का होता है, के सफलतापूर्वक संपन्न होने और ऋण बाजार को और अधिक विकसित करने के परिप्रेक्ष्य में 1996 में निर्मित प्राथमिक व्यापारी व्यवस्था का महत्व निरंतर बना रहा। प्राथमिक व्यापारी जोखिम प्रबंध तंत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक व्यापारी (इस समय 17) सरकारी प्रतिभूतियों और ब्याज दर उत्पाद का भारी कारोबार करते हैं तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम में सहायता करते हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका और अधिक सशक्त करने के लिए 2004-05 में अनेक उपाय किए गए।

नीतिगत गतिविधियां

5.90 लाभांश के भुगतान अनुपात और पूंजी पर्याप्तता अनुपात को केन्द्र-बिन्दु में रखकर प्राथमिक व्यापारियों को लाभांश संवितरण नीति संबंधी समुचित दिशा निर्देश जून 2004 में जारी किए गए। पिछले वर्ष की चारों तिमाही में जोखिम भारित आस्ति में पूंजी के 20 प्रतिशत या उससे अधिक अनुपात वाले प्राथमिक व्यापारियों के लिए लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा 50.0 प्रतिशत और उक्त शर्तें पूरी नहीं करनेवाले प्राथमिक व्यापारियों के लिए 33.3 प्रतिशत निर्धारित की गई। कोई भी प्राथमिक व्यापारी चारों में से किसी भी तिमाही में जोखिम भारित आस्ति में पूंजी के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से नीचे होने की स्थिति में लाभांश की घोषणा नहीं कर सकता।

5.91 प्राथमिक व्यापारियों से कहा गया कि वे दिसंबर 2004 के अंत तक अपने सभी इक्विटी निवेश अमूर्त रूप में कर लें और उसके बाद सभी नए निवेश केवल अमूर्त रूप में करें।

5.92 प्राधिकृत व्यापारियों को टियर II और टियर III पूंजी के लिए गौण ऋण लिखत जारी करने की अनुमति देने के लिए अक्टूबर 2004 में दिशा-निर्देश जारी किए गए। दिशा निर्देश में संचालक मंडल द्वारा गौण ऋण की राशि के संबंध में निर्णय लेने, ब्याज दर अंतर (स्प्रेड) की सीमा, लिखत के प्रकार की सीमा, अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग, सेबी दिशा-निर्देशों का अनुपालन, अनिवासी भारतीयों/ वित्तीय संस्था निवेशकों को लिखत जारी करने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेने, अन्य प्राधिकृत व्यापारी/बैंकों में निवेश के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित करने और प्रकटीकरण अपेक्षा संबंधी प्रावधान हैं।

5.93 चूंकि रिजर्व बैंक 2006-07 से अंतिम आश्रयदाता के रूप में हामीदारी की भूमिका का निर्वाह नहीं करेगा, अतः प्राधिकृत व्यापारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे बाजार उधारी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तैयारी करें।

5.94 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध संबंधी विधान लागू होने के बाद की अवधि में होनेवाले प्राथमिक निर्गम की प्रक्रिया

की जाँच रिजर्व बैंक के एक आंतरिक तकनीकी दल ने की है और सिफारिश की है कि प्राथमिक व्यापारियों को प्रत्येक नीलामी की पूरी निर्गम राशि की हामीदारी करनी होगी। प्राथमिक व्यापारियों को प्रदत्त उच्चतर जिम्मेदारी के महत्व को देखते हुए दल ने जोखिम कम करने के उपाय, जैसे शॉर्ट सेलिंग, विशेषकर प्राथमिक नीलामी में 'ब्लेन इश्यूड' बाजार की स्थापना, अपनाने का प्रस्ताव किया है। दल ने प्रस्तावित प्रोत्साहन के अनुरूप प्राथमिक व्यापारियों के लिए, विशेषकर मिड सेगमेंट में, कतिपय मार्केट मेकिंग बाध्यताएं लागू करने की सिफारिश की है। इसके पहले, अन्य दल (अध्यक्ष : डॉ. आर.एच.पाटिल) ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका की जांच की थी। तकनीकी सलाहकार समिति में दोनों रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया गया और रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन हेतु अनेक सिफारिशों स्वीकार कीं। तदनुसार, 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया। इनमें (i) बैंक, प्राथमिक व्यापारी और सरकार के परामर्श से सुरक्षोपाय के अंतर्गत कतिपय न्यूनतम मानदंड पूरा करने वाले बैंकों को शामिल करने के लिए प्राथमिक

व्यापारी व्यवसाय के अनुमत ढाँचे का विस्तार करना; (ii) सरकार के परामर्श से प्राथमिक व्यापारियों की हामीदारी बाध्यताओं की पुनर्संरचना, विशेषकर प्राथमिक नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति देने, 'ब्लेन इश्यूड' मार्केट की स्थापना और सरकारी प्रतिभूतियों की सीमित शॉर्ट सेलिंग से संबंधित तकनीक दल की सिफारिशों पर विचार करना शामिल है।

5.95 तकनीकी सलाहकार समिति और भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावित उपायों के प्रवर्तन की जांच की जा रही है। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद की अवधि में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका न केवल ऋण प्रबंध के उद्देश्य से बल्कि बाजार विकास की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है (बॉक्स V.2)। रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम कम करने के जिन साधनों पर विचार किया जा रहा है और बैंकों को शामिल करने के लिए प्राथमिक व्यापारी संबंधी व्यवसाय के अनुमत ढाँचे का विस्तार करने के प्रस्ताव को लागू करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है।

बॉक्स V.2: राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध कार्यान्वयनोत्तर परिवेश में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका

प्राथमिक व्यापारी तंत्र ने अपनी वर्तमान हामीदारी और बोली संबंधी दायित्व का निर्वाह करते हुए सरकार के उधारी कार्यक्रम का सहज निष्पादन काफी हद तक सुनिश्चित किया है। फिर भी ऐसे कम उदाहरण हैं, जब सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ नीलामी में कम अभिदान होने पर उसका भार रिजर्व बैंक पर आया हो। रिजर्व बैंक की सहभागिता ने अब तक की प्राथमिक नीलामी प्रक्रिया में, यद्यपि थोड़ा ही सही, यह सुनिश्चित किया है कि (i) जब कभी सरकार को निधि की आवश्यकता हो तो उधार लेने से; और (ii) बोली संबंधी असंगत व्यवहार से बचा जाए।

राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध अधिनियम 2003के अंतर्गत रिजर्व बैंक को 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिक नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः वर्तमान सांस्थानिक व्यवस्था में ऋण प्रबंध का लक्ष्य पूरा करने और बाजार में घटबढ़ को तीव्र किए बिना बाजार की सभी स्थितियों में सरकार की उधार लेने की समर्थता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विचार करना आवश्यक है।

केंद्रीय सरकारी प्रतिभूति बाजार संबंधी आंतरिक तकनीकी दल, जिसने सरकारी प्रतिभूति बाजार संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया है, का सुझाव है कि प्राथमिक बाजार में रिजर्व बैंक की भूमिका के बदले प्राथमिक व्यापारियों की अधिक सक्रिय और जीवंत सहभागिता शुरू की जाए। इससे वर्तमान सांस्थानिक प्रक्रियाओं का कुछ पुनर्गठन अनिवार्य हो गया है।

चूंकि, वार्षिक बोली प्रतिबद्धता की मौजूदा व्यवस्था से प्रत्येक नीलामी में अधिसूचित मात्रा की बिक्री की सफलता की कोई गारंटी नहीं मिलती, अतः इस दल का विचार है कि प्रत्येक नीलामी की 100 प्रतिशत बोली लगाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्धता जाहिर करने की प्रणाली बनाई जाए ताकि प्रत्येक नीलामी में अधिसूचित मात्रा की बिक्री सुनिश्चित की जा सके। फिर भी, चूंकि, प्राथमिक व्यापारियों की 100 प्रतिशत बोली प्रतिबद्धता से स्वतः निर्गम लागत का न्यूनतम होना या उसका सही मूल्य के अनुसार पूरा होना सुनिश्चित नहीं होता, अतः दल का विचार है कि प्राथमिक व्यापारियों से बोली प्रतिबद्धता के बदले नीलामी की पूरी अधिसूचित राशि की हामीदारी

की अपेक्षा की जा सकती है। दल ने मोटे तौर पर ऐसी व्यवस्था में अपनायी जानेवाली पद्धति के बारे में भी सुझाव दिया है।

यह मानते हुए कि वर्तमान व्यवस्था की तुलना में इस व्यवस्था में प्राथमिक व्यापारियों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, दल का सुझाव था कि प्राथमिक व्यापारियों को मांग बाजार में पहुंच, रिजर्व बैंक में नकदी और प्रतिभूति खाता रखने, पुनर्वित्त सुविधा और नकदी समायोजन सुविधा तक पहुंच जैसे पहले से उपलब्ध प्रोत्साहन के अलावा और समुचित प्रोत्साहन देकर क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। दल का यह भी सुझाव है कि अस्थायी निधीयन जोखिम की समस्या से निपटने में प्राथमिक व्यापारियों की सहायता करने के लिए नीलामी आबंटन के बाद सीमित अवधि के लिए उनको रिजर्व बैंक में रखे उनके नीलामी स्टॉक की पुनर्खरीद की सुविधा देने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

दल का यह भी सुझाव है कि विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारियों के कार्यकलाप के निष्पादन के लिए बैंकों को शामिल करने हेतु प्राथमिक व्यापारी व्यवस्था में सहभागिता का विस्तार किया जाए। लगभग सभी देशों में प्राथमिक व्यापारी की अवधारणा एक कार्यकलाप तक सीमित है न कि कंपनी के रूप में। वहां इस प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक बैंक और निवेश बैंक, वित्तीय संस्था और दलाल व्यापारी, जैसी संस्थाओं को प्राथमिक व्यापारी के रूप में अधिकृत किया जाता है न कि कोई अलग कंपनी बनाने की जरूरत है। इसलिए, दल की सिफारिश है कि वर्तमान पात्रता मानदंड के अलावा स्वतंत्र सहायक बही-खाता वाले विभाग के रूप में प्राथमिक व्यापारी कार्यकलाप हेतु बैंकों को सीधे शामिल करने के लिए प्राथमिक व्यापारी कारोबार के अनुमत स्वरूप का विस्तार किया जाए। बैंक के परिचालन को प्राथमिक व्यापारी कार्यकलाप से एकदम अलग रखा जाए। अतः दल की सिफारिश है कि छोटे प्राथमिक व्यापारियों का पूंजी आधार बढ़ाकर या मूल बैंक के साथ उसका, जहां बैंक अनुषंगी हो, विलय करके प्राथमिक व्यापारी तंत्र का समुचित रूप से पुनर्गठन किया जाए।

दल ने यह भी सुझाव दिया है कि प्राथमिक व्यापारियों को प्रारंभिक नीलामी में विशेष रूप से भाग लेने की अनुमति दी जाए और ऐसी अनुमति चरणों में, अर्थात्, खजाना बिल से शुरू करके दिनांकित प्रतिभूतियों की कुछ नीलामियों में, दी जानी चाहिए।

प्राथमिक व्यापारियों के कार्य और निष्पादन

5.96 2004-05 में प्राथमिक व्यापारी सरकारी प्रतिभूति बाजार में निरंतर महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने रहे। 2004-05 में प्राथमिक व्यापारियों के लिए नकदी सहायता सीमा 3,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, जबकि पिछले वर्ष यह सीमा 4,500 करोड़ रुपए की थी। नकदी सहायता रिजर्व बैंक की रेपो दर पर दी गई थी।

5.97 इस हेतु सभी प्राथमिक व्यापारियों के लिए 2004-05 कुल मिलाकर खजाना बिल नीलामी में बोली वायदा निर्गम राशि का 123 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। प्राप्त कुल बोली 1,10,112 करोड़ रुपए की थी, जो 53,500 करोड़ रुपए के कुल खजाना बिल निर्गम का 205.8 प्रतिशत तथा 1,48,500 करोड़ रुपए के कुल खजाना बिल निर्गम (बाजार स्थिरीकरण योजना सहित) का 74.1 प्रतिशत थी। दिनांकित प्रतिभूति नीलामी हेतु सभी प्राथमिक व्यापारियों के लिए बोली वायदा कुल मिलाकर मूलतः 1,20,300 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। बाद में, सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम में कमी किए जाने के कारण बोली वायदा घटाकर 77,900 करोड़ रुपए कर दिया गया। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बोली 85,474 करोड़ की थी। प्राथमिक व्यापारियों ने प्राथमिक निर्गम में 58,335 करोड़ रुपए तक की हामीदारी की पेशकश की, जिनमें से रिजर्व बैंक द्वारा 34,720 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार की गई थी। इस वर्ष खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक व्यापारियों द्वारा कुल प्रारंभिक खरीद का अंश क्रमशः 63 प्रतिशत और 47 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के क्रमशः 67 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से कम था।

5.98 द्वितीयक बाजार में खजाना बिल और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा (एकमुश्त और रेपो, दोनों) कुल कारोबार क्रमशः 4,66,242 करोड़ रु. और 12,69,454 करोड़ रुपए का था, जो क्रमशः 16,66,020 करोड़ रुपए और 68,23,054 करोड़ रुपए के कुल बाजार कारोबार का क्रमशः 28.0 प्रतिशत और 18.6 प्रतिशत था।

निधियों के स्रोत और उपयोग

5.99 इस वर्ष बेजमानती ऋण में तीव्र कमी के कारण प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत में कमी आई। इसके फलस्वरूप, सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी बांड में उनका निवेश काफी कम हो गया (सारणी V.45)

5.100 प्राथमिक व्यापारियों की कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों का अंश मार्चांत 2004 के 82.3 प्रतिशत से तेजी से गिरकर मार्चांत 2005 में 69.3 प्रतिशत रह गया। प्राथमिक

सारणी V.45: प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 2004-05*		प्रतिशतता अंतर	
	2	3	4	5
निधियों के स्रोत	17,135	11,911	2.2	-30.5
1. पूंजी	2,354	2,332	17.5	-0.9
2. रिजर्व और अधिक्य	3,675	3,334	32.3	-9.3
3. ऋण (क+ख)	11,106	6,245	-7.4	-43.8
क) जमानती	1,654	2,445	-70.2	47.8
ख) बेजमानती	9,452	3,800	47.0	-59.8
निधियों का उपयोग	17,135	11,911	2.2	-30.5
1. अचल आस्ति	71	75	6.0	5.6
2. निवेश (क से घ)	16,436	10,224	3.6	-37.8
क) सरकारी प्रतिभूति	14,094	8,255	-2.2	-41.4
ख) वाणिज्यिक पत्र	123	443	16.0	260.2
ग) कंपनी बांड	2,055	1,176	75.9	-42.8
घ) अन्य	164	350	-	113.4
3. ऋण और अग्रिम	2,567	2,322	41.8	-9.5
4. गैर-चालू आस्तियां	-	-	-	-
5. अन्य*	-1,939	-710	100.8	-63.4
- : कुछ नहीं / नगण्य				
# : आंकड़े अलेखापरीक्षित हैं।				
* : अन्य में नकदी + बैंक + उपचित व्याज + आस्थगित कर आस्ति - चालू देयता और प्रावधान शामिल हैं।				

व्यापारियों की पूंजीगत निधि मार्चांत 2004 के 6015 करोड़ रु. से घटकर मार्चांत 2005 में 5603 करोड़ रु. की रह गई (सारणी V.46)। फिर भी, इस कमी के बावजूद प्राथमिक व्यापारी 15 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक जोखिम भारित आस्ति में पूंजी का अनुपात बरकरार रखने में समर्थ रहे। (सारणी V.46 और परिशिष्ट सारणी V.7)।

सारणी V.46: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेत

(करोड़ रुपए)

मद	मार्चांत	
	2004	2005 #
1	2	3
कुल आस्तियां*	17,135	11,911
उनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	14,094	8,255
कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिशत	82.3	69.3
कुल पूंजीगत निधि	6,015	5,603
जोखिम भारित आस्ति में पूंजी का अनुपात	42.7	54.3
नकदी सहायता सीमा	2,250	3,000
	(सामान्य)	(सामान्य)
	2,250	
	(बैंक स्टॉप)	
* : चालू देयता और प्रावधान घटाकर		
# : अलेखा-परीक्षित		
टिप्पणी : 2004 और 2005 के आंकड़े में एसबीआइ गिल्ट शामिल नहीं है।		

सारणी V.47: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रु.में)

मद	2003-04	2004-05 [#]	प्रतिशतता अंतर	
			2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आय (i से iv)	2,845	574	5.4	-79.8
i) ब्याज	1,132	778	1.8	-31.3
ii) बट्टा	174	44	-4.4	-74.7
iii) कारोबारी लाभ	1,131	-700	-1.4	-161.9
iv) अन्य	408	452	57.5	10.8
ख. व्यय (i+ii)	977	769	-2.6	-21.3
i) ब्याज	655	459	-9.3	-29.9
ii) प्रशासनिक लागत	322	310	14.6	-3.7
ग. कर-पूर्व लाभ	1,868	-195	10.1	-110.4
घ. निवल लाभ	1,229	-250	14.8	-120.3
# : अलेखापरीक्षित				

प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय निष्पादन

5.101 प्राथमिक व्यापारियों के निवल ब्याज आय में 2004-05 में थोड़ी कमी आई। इस के साथ, ब्याज दर बढ़ जाने के कारण इस वर्ष हुई कारोबारी हानि के फलस्वरूप निवल कर-पूर्व और करोत्तर

सारणी V.48: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(करोड़ रुपए)

संकेतक	2003-04	2004-05
1	2	3
i) निवल लाभ	1,229	-250
ii) औसत आस्ति	18,860	15,228
iii) औसत आस्ति प्रतिलाभ (प्रतिशत)	6.5	-1.6
iv) निवल मालियत	5,998	5,592
टिप्पणी : 1. औसत निवल मालियत वित्त वर्ष की प्रारंभिक और अंतिम निवल मालियत का औसत है।		
2. औसत आस्ति मासांत शेष का औसत है।		

हानि हुई (सारणी V.47)। 17 में से 10 प्राथमिक व्यापारियों ने इस वर्ष निवल लाभ अर्जित किया (परिशिष्ट सारणी V.8)।

5.102 इस वर्ष प्राथमिक व्यापारियों का औसत आस्ति प्रतिलाभ ऋणात्मक रहा, जो निवल हानि के रूप में परिलक्षित हुआ। प्राथमिक व्यापारियों को हुई हानि से उनकी निवल संपत्ति का क्षरण हुआ और वह गत वर्षीय 5,998 करोड़ रुपए से कम होकर मार्च 2005 के अंत में 5,592 करोड़ रुपए रह गई (सारणी V.48)।

वित्तीय स्थिरता

6.1 समय-समय पर वित्तीय अस्थिरता की बल परीक्षा, विशेषतः 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, और संकट के समय कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि के कारण वित्तीय स्थायित्व का मामला केंद्र बिंदु बन गया। चूंकि वित्तीय संकट का सदैव ही समष्टिगत अस्थिरता में योगदान रहा है इसलिए अधिकतम केंद्रीय बैंकों ने अपने प्रमुख कार्य के रूप में सबसे ज्यादा ध्यान वित्तीय स्थायित्व हासिल करने और बनाए रखने पर केंद्रित किया है।

6.2 वित्तीय स्थिरता का बढ़ता हुआ महत्व वित्तीय स्थिरता की चार प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित है। पहली, वित्तीय प्रणाली वास्तविक अर्थव्यवस्था से उल्लेखनीय रूप से तेजी से विस्तृत हो गई है। दूसरी, वित्तीय गहनता की इस प्रक्रिया के साथ वित्तीय प्रणाली की बदलती संरचना जिसमें गैर मौद्रिक आस्तियों के अंश में बढ़ोतरी आई है। तीसरी, उद्योगों- उद्योगों के बीच और देश के बाहर समेकन, के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अंतर्ग्रथित हो रही है। चौथी, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय लिखतों की अंतर्निहितता तथा गतिविधियों की विविधता के रूप में और अधिक जटिल हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, संकट के स्रोत भी बहु आयामी हो गए हैं, जिनमें देश के भीतर तथा बाहर दोनों के कई प्राधिकारियों का समन्वयन जरूरी हो गया है।

6.3 वित्तीय स्थिरता को केवल वित्तीय संकट से बचने की दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति है जहां वित्तीय प्रणाली पूर्वानुमान योग्य भावी वित्तीय संसाधनों के निवेशकर्ताओं को सुचारु रूप से दक्ष आबंटन में सुविधा प्रदान करने के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता रखती है और प्रतिकूल संवितरणों से बचने के लिए वित्तीय जोखिमों का प्रबंध भी कर सकती है। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता स्थायी आर्थिक वृद्धि पाने के लिए महत्वपूर्ण है और एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली बिना इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता (बॉक्स VI.1)।

6.4 भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के गतिमान हो जाने के साथ केंद्रीय बैंकों के लिए अधिकाधिक आवश्यक हो गया है कि वे वित्तीय स्थिरता का निरंतर आकलन करें और एक आशावादी दृष्टिकोण रखें। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बहुत से केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता संबंधी रिपोर्टों (एफएसआर) के जरिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का आकलन करते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड और

स्वेरिगज रिक्स बैंक, स्वीडन ऐसे पहले केंद्रीय बैंक थे जिन्होंने एफएसआर को 1997 में लागू किया। वर्तमान समय में, अग्रणी केंद्रीय बैंक नियमित रूप से नियमित प्रकाशन के भाग के रूप में या स्वतंत्र आधार पर एफएसआर को प्रकाशित करते हैं। वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकाय जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक भी वैश्विक वित्तीय स्थिरता के बारे में रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं (सारणी VI.1.)।

6.5 वहाँ वित्तीय स्थिरता पर केंद्रीय बैंकों द्वारा जानकारी देने के दो महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। एक, वित्तीय स्थिरता क्या है और केंद्रीय बैंक इस प्रक्रिया में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं इसके बारे में पब्लिक समझ निर्मित करना महत्वपूर्ण है। दो, ऐसी रिपोर्टें केंद्रीय बैंक के विविध विभागों और बड़े पैमाने पर पब्लिक को ज्ञान और जानकारी बांट लेने के साधन के रूप में भी कार्य करती हैं जिनका कि वित्तीय स्थिरता संबंधी कार्य पर प्रभाव पड़ता है।

6.6 वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों का उद्देश्य सामान्यतः अतिसंवेदनशीलता की ऐसी किसी प्रवृत्ति को काफी पहले से पहचानना है जिनसे वित्तीय प्रणाली में संकट आ सकता है। उक्त प्रकाशित की जानेवाली एफएसआर काफी प्रासंगिक हैं जिसमें रिपोर्टों की विषय- वस्तु एक केंद्रीय बैंक से दूसरे में उल्लेखनीय रूप से बहुत भिन्न-भिन्न होती है। संभवतः, यह तथ्य वित्तीय प्रणाली के ढांचे में अंतर्निहित भिन्नताओं और भिन्न - भिन्न देशों द्वारा सामना किये जानेवाले वित्तीय जोखिमों के स्वरूप को दर्शाता है। फिर भी, अधिकांश वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में समष्टिगत गतिविधियों, वित्तीय विनियमावली और वित्तीय बाजारों संबंधी जानकारी शामिल होती है। कुछ एफएसआर में भुगतान प्रणाली भी शामिल होती है। कुछ एफएसआर में शामिल अन्य पहलू हैं परिचालनात्मक जोखिम (बैंक ऑफ इंग्लैंड), जमा संस्थाओं की लाभप्रदता (बैंको डि इस्पाना, स्पेन) और विवेकशील विनियमन (बैंको सेंट्रल द ब्राजिल, ब्राजिल)। कुछ एफएसआर में विशेष विषय आधारित लेख भी शामिल होते हैं।

6.7 भारत में सुधारों का दौर प्रारंभ होने तक भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सीमित होने के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजारों के चढ़ाव-उतारों से अलग बन गई थी। नब्बे के दशक के प्रारंभ से अर्थव्यवस्था को क्रमिक रूप से उद्घाटित किए जाने के साथ, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में व्याप्त गतिविधियों

बॉक्स VI.1: वित्तीय स्थिरता के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण


नीति निर्माताओं और विद्वत्परिषद ने वित्तीय स्थिरता की बहुत सी परिभाषाएँ प्रस्तावित की हैं। कुछ इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं जैसी कि वह है नहीं। एक ऐसी स्थिति जिसमें वित्तीय स्थिरता वास्तविक अर्थव्यवस्था को बाधित कर देती है। दूसरे इसके प्रति एक व्यापक विवेकशील दृष्टिकोण रखते हैं और वित्तीय प्रणालीगत गड़बड़ियों की घटनाओं से जुड़ी वास्तविक उत्पादन हानि को सीमित रखने के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं। जब वित्तीय स्थिरता को संव्यवहार में लाया जाता है तब कई जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। पहली, वित्तीय स्थिरता की गतिविधियों को मात्रात्मक उपाय के रूप में संक्षेप में नहीं बताया जा सकता। कई अन्य आर्थिक नीतिगत उद्देश्यों (मूल्य स्थिरता, बजटीय संतुलन आदि) के विपरीत वित्तीय स्थिरता का कोई असंतुलनात्मक मापन नहीं होता। यह इसके बहु आयामी स्वरूप को उजागर करता है। दूसरे, वित्तीय स्थिरता की गतिविधियों का स्वाभाविक स्वरूप में पूर्व आकलन करना कठिन है। वित्तीय स्थिरता की स्थिति के निर्धारण में केवल गड़बड़ियाँ जैसे जैसे उभरेगी वैसे वैसे उनका अंदाजा लगाने का प्रयास ही नहीं होता किंतु इसमें ऐसी अति संवेदनशीलता के निर्माण का भी पता लगाने का प्रयास होता है। यहाँ कठिनाई यह है कि उस वित्तीय संकट के संक्रामक प्रभाव का पता लगाना कठिन है और अक्सर ये असंभाव्य प्रसंगों (टेल) के दूरगामी परिणामों को दर्शाता है। तीसरे, वित्तीय स्थिरता की ओर लक्षित नीतियों का विशिष्ट प्रकार से मंदा तथा दक्षता के बीच ट्रेड ऑफ होता है। अक्सर वित्तीय संसाधनों के दक्ष आबंटन के आग्रह को वित्तीय प्रणाली के आघातों को छोड़ देने या खपा लेने की क्षमता की तुलना में भारित किया जाना जरूरी है। अंततः, वित्तीय स्थिरता की नीतिगत अपेक्षाएँ समयानुरूप नहीं हो सकती, विशेष रूप से, एक दीर्घवधिक स्थिरता की कीमत देकर अल्पावधि लाभ होगा, उदा. के लिए अंतिम उधारदाता का प्रावधान या जमा गारंटी बाजार अनुशासन को अवशोषित कर सकता है और व्यावहारिक जोखिम या प्रतिकूल चयन की समस्या खड़ी कर सकता है।

इसलिए चुनौतियाँ एक व्यावहारिक नीतिगत ढांचा विकसित करती है (चार्ट)।

इसमें कई चरण शामिल हैं। पहला, इस बात का पता लगाना कि वित्तीय प्रणाली में क्या हो रहा है। निगरानी और विश्लेषण में संगत कारकों की कमजोरी का पहले ही पता लगाने की ओर लक्षित व्यापक और निरंतर परीक्षा शामिल है। उसके बाद, इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या इन कमजोरियों के कारण वित्तीय स्थिरता को कोई खतरा है और किस प्रकार की नीतिगत प्रतिक्रिया उचित होगी इसका मूल्यांकन किया जाता है।

तदनुसार, पहले मामले में, यथोचित नीतियाँ प्रमुख रूप से प्रतिरोधी होती हैं और इनका लक्ष्य स्थिरता बनाए रखना होता है। दूसरे मामले में, जब असंतुलन विकासशील प्रणाली की स्थिरता का बचाव करनेवाले होते हैं तब निवारक कार्रवाई अपेक्षित होती है। निश्चय ही, बहु आयामी स्वरूप का होने से, नीतिगत श्रेणियों के दरम्यान अंतर यदा कदा स्पष्ट होता है। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने लिए कई

चार्ट: क. वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ढांचा



लिखत/उपाय लागू किए जा सकते हैं (सारणी)। बचाव पद्धति में संरचनागत परिवर्तन करने के लिए मौजूदा नीतियों को बनाए रखा और अद्यतन किया जाता है ताकि भावी असंतुलनों से बचा जा सके। वित्तीय बाजारों, संस्थाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की चौकसी करना बचावात्मक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यदि वित्तीय प्रणाली स्थिरता के दायरे के निकट या बिल्कुल समीप हो तो स्थिति परिवर्तित हो जाती है।

आशा की जाती है कि और बड़े, ज्यादा सघन, लिक्विड, जटिल और बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली की ओर बदलाव से वित्तीय जोखिमों का स्वरूप बदलता रहेगा। इस संबंध में, वित्तीय स्थिरता ढांचे को एक ऐसे लचीले उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कि परिवर्तनों की व्याख्या करने और नीतिगत प्रभाव के लिए प्रयुक्त किया जा सके। इसलिए, एक प्रमुख चुनौती वित्तीय स्थिरता के विभिन्न आयाम परस्पर में और वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे इन प्रतिक्रियाओं से नीतिगत कार्रवाई प्रभावित है?

संदर्भ:

होबेन, ए., जी. सीनासी और जे. काके. (2004), टुवर्ड्स ए फ्रेमवर्क फॉर सेफगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्किंग गेपेपर सं. 101, वाशिंगटन डी सी.

मेटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन ए ग्लोबल इकॉनामी (1997), फ्रेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कनासासिटी, जैकसन होल, व्योमिंग

सारणी: वित्तीय स्थिरता के नीतिगत उपाय

	बचाव	निवारक कार्रवाई	समाधान
	वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए मौजूदा नीतियाँ कार्यान्वित करना	वित्तीय स्थिरता के उभरते जोखिमों को घटाने के लिए बचावात्मक उपाय करना	वित्तीय स्थिरता को पुनःस्थापित करने के प्रति लक्षित प्रतिक्रियात्मक नीति
बाजार को अनुशासित करनेवाले तंत्र स्वयं विनियमन वित्तीय सुरक्षा नेट चौकसी पर्यवेक्षण विनियमन आधिकारिक संप्रेषण समष्टिगत नीतियाँ कानूनी प्रणाली	बनाए रखना, अद्यतन करना बनाए रखना, अद्यतन करना बनाए रखना, अद्यतन करना बनाए रखना, अद्यतन करना मौजूदा नीतियाँ बनाए रखना, अद्यतन करना बनाए रखना, अद्यतन करना	सुदृढ़ करना सुदृढ़ करना सुदृढ़ करना सघन बनाना सघन बनाना नैतिक दबाव असंतुलन घटाना सुदृढ़ करना	विवेकशील उपाय विवेकशील उपाय एलओएलआर, जमा बीमा और सघन बनाना विवेकशील उपाय विश्वास पुनःस्थापित करना विवेकशील उपाय विवेकशील उपाय

एलओएलआर, - अंतिम उधारदाता

सारणी VI.1: चयनित केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें

केंद्रीय बैंक	दस्तावेज का नाम
1	2
विकसित देश	
आस्ट्रेलिया	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिव्यू
यूरोपीय केंद्रीय बैंक	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिव्यू
फिनलैंड	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी
फ्रांस	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिव्यू
जर्मनी	रिपोर्ट ऑन दि स्टैबिलिटी ऑफ दि जर्मन फाइनेंशियल सिस्टम (मासिक रिपोर्ट में एक खंड)
नीदरलैंड	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी (त्रैमासिक बुलेटिन का नियमित खंड)
न्यूजीलैंड	न्यूजीलैंड की वित्तीय स्थिरता की हाल की गतिविधियां (त्रैमासिक बुलेटिन का सितंबर अंक)
नॉर्वे	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
स्वीडन	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
ब्रिटेन	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
उभरते बाजार	
अर्जेंटीना	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
ब्राजिल	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
हंगरी	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
कोरिया	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
दक्षिण अफ्रीका	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट
स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेब साइटें	

का घरेलू परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बड़े पूंजी अन्तर्वाहों ने, उदारीकरण के प्रति सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण रखने के बावजूद, कभी कभी विदेशी मुद्रा विनिमय और ईक्विटी बाजारों पर अतिक्रमण किया। इसके अतिरिक्त, मौद्रिक नीतिगत संकेतों का ब्याज दर के एक प्रमुख माध्यम के रूप में उभरने के साथ मौद्रिक संचारण दक्षता का अनुमान वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता के आधार पर लगाया जाता है। साथ ही, वित्तीय क्षेत्र के क्रमिक उदारीकरण से वित्तीय समुच्चय और उसके सहवर्ती प्रणालीगत निहितार्थ उभरे हैं।

6.8 नब्बे के दशक के प्रारंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित के रूप में बहुत से बाह्य आघात हुए हैं - भारत की आणविक कार्रवाई के परिणामस्वरूप मंजूरीयों में आई कमी नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में, सीमा प्रदेश का तनाव, 1997 में पूर्व के एशिया के संकट का संक्रामक प्रभाव, 2003 में मौसम का अभाव और ऊंची और अस्थिर तेल कीमतें। पहले जब ऐसे आघातों की

वजह से अनिवार्यतः संकट की स्थिति पैदा होती थी, के विपरीत नब्बे के दशक में अर्थव्यवस्था, वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र पर बिना किसी उल्लेखनीय प्रभाव के ऐसे सभी आघातों को अवशोषित कर पायी है।

6.9 अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए समेकन, वित्तीय प्रणाली के सम्मुख खड़े विविध जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय नीति के संचालन में वित्तीय स्थिरता विचारविमर्श का प्रमुख मुद्दा बना है। रिजर्व बैंक ने संस्थाओं, बाजारों और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थिरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त अनुकूलन के साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों पर आधारित बहु आयामी रणनीति अपनाई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से मुद्रास्फीति को निम्न स्तर की बनाते हुए और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर करते हुए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता भी मिली। वर्षों से बने विदेशी मुद्रा भंडार ने बाहरी आघातों के लिए कुशन प्रदान किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।

6.10 भारत में, वित्तीय स्थिरता का आग्रह वित्तीय क्षेत्र सुधारों के मध्यवर्ती मोरचे के रूप में उभरा है। 2004-05 के बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में, कहा गया था कि “जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र परिपक्व होता है और जटिल हो जाता है वैसे वैसे अविनियमन की प्रक्रिया अवश्य चलती रहेंगी किंतु इस प्रकार कि सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाएं मजबूती पाएं और समग्र प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रहे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय स्थिरता की भूमिका को अन्य बातों के साथ - साथ, तीन प्रधान संदर्भों में पहचाना गया है। पहली, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का कीमत स्थिरता और स्थायी वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जो नीति का प्रधान उद्देश्य है। दूसरे, एक स्थिर वित्तीय प्रणाली मौद्रिक नीति के दक्ष संचरण और भुगतान प्रणाली के सुचारु परिचालन को सुविधा प्रदान करती है। और तीसरे, विनियमन और पर्यवेक्षण के संदर्भ में, जमाकर्ताओं के हित की रक्षा विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना रिजर्व बैंक का अधिदेश है।

6.11 वित्तीय क्षेत्र सुधारों के पहले, भारतीय वित्तीय क्षेत्र शासन के अधिकार वाली लिमिटेड निपुणतावाली प्रणाली थी और कठोरता युक्त काफी अधिक स्थिरतावाली थी। इसलिए, भारत में वित्तीय स्थिरता पर प्रासंगिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ज्यादा इसलिए कि यह क्षेत्र धीरे-धीरे ज्यादा बाजार उन्मुख बनता जा रहा है, जिसमें ध्यान निपुणता पर और अस्थिरता से बचने पर है। तदनुसार,

भारतीय परिप्रेक्ष्य में वित्तीय स्थिरता में निम्नलिखित परस्पर संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं : (क) अबाधित वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करना ; (ख) सभी भागीदारों और स्टेकधारकों का वित्तीय प्रणाली में स्तरीय विश्वास बनाए रखना; और (ग) ऐसी अस्थिरता की अनुपस्थिति जिससे वास्तविक आर्थिक गतिविधि अनुचित और विपरीत ढंग से प्रभावित होती है। जब निपुणता बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रणाली में संरचनागत परिवर्तन होते हैं तब ऐसी वित्तीय स्थिरता को विशेषरूप से सुनिश्चित किया जाना है।

6.12 इस अध्याय में भारत में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय बाजारों और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार समीक्षा की गई है। बाद के भाग में वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्य और सहकारी बैंक), विकास वित्त संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों की समीक्षा की गई है। भाग 3 में दृढ़ता और लाभप्रदता के अन्य देशों में प्रचलित मापदंड की तुलना में वित्तीय संस्थाओं की स्थिरता का मूल्यांकन किया गया है। भाग 4 में वित्तीय बाजारों की 2004-05 की स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय स्थिरता की संभावना के बारे में, हाल के वर्षों में रही प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की गई है। वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रमुख गतिविधियां भाग 5 में हैं। अंतिम खंड में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सम्मुख अल्पावधि से मध्यावधि में उत्पन्न ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के अनुसार समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

2. वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना

6.13 भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषता है विभिन्न नियंत्रकों द्वारा शासित बहुविध प्रकार की संस्थाएं। यहां वाणिज्य और सहकारी बैंक, विकास वित्त संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड मौजूद हैं। वित्तीय प्रणाली में वाणिज्य बैंक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण कार्य सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 में संशोधनों के परिणामस्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में एक व्यापक विनियामक ढांचा लागू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन रिजर्व बैंक चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को भी विनियमित करता है। बीमा कंपनियों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(आइआरडीए) तथा म्यूचुअल फंडों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम मुद्रा बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।

6.14 रिजर्व बैंक सुदृढ़ कारोबारी और वित्तीय व्यवहारों को बढ़ावा देते हुए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। इसे प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक उपयुक्त देश विशिष्ट अनुकूलन के साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अब तक की गई प्रमुख नीतिगत पहलों के कारण रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र के अधीन रहनेवाली वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सी पहलों की हैं।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

समष्टि आर्थिक उपाय

6.15 बैंकों की निधियों के सांविधिक पूर्व-क्रय को नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कमी करते हुए सुलभ बना दिया गया है। तथापि, सितंबर 2004 में सीआरआर आधा प्रतिशत अंक बढ़ाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने सीआरआर में बढ़ोतरी का विकल्प आंशिक रूप से प्रणाली में विद्यमान चलनिधि को अवशोषित करने के लिए चुना, परंतु इसका अधिक महत्वपूर्ण कारण था वित्तीय बाजार स्थितियों में स्थिरता के महत्व को दोहराने के साथ-साथ मुद्रास्फीति के अप्रत्याशित स्तरों के प्रति अपनी चिंता के संकेत देना था। जहां रिजर्व बैंक ने सीआरआर को घटाकर इसके 3.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर पर लाने का अपना मध्यावधि लक्ष्य जारी रखा, वहीं अक्टूबर 2005 की मध्यावधि समीक्षा में सीआरआर 5.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर अपरिवर्तित रखना वांछनीय महसूस किया गया। संघीय बजट, 2005-06 में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों में रिजर्व बैंक को लोच प्रदान करने की दृष्टि से निम्नतर तथा उच्चतर सीमाएं हटाये जाने का प्रयास किया गया है।

6.16 नब्बे के दशक में भारतीय वित्तीय प्रणाली के सम्मुख रहा प्रमुख मामला था ब्याज दर का नियंत्रित ढांचा जिसमें मांग और आपूर्ति के दबावों के अनुरूप मूल्य निर्धारण की अनुमति नहीं थी। तदनुसार, सुधारों के प्रारंभिक दौर में, उधार देने और जमाराशियां दोनों पर, ब्याज दरों को धीरे-धीरे अविनियमित किया गया। उधार दरों में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्यों से वाणिज्य बैंकों द्वारा, बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली अपनाई गई है जिसने उन्हें अपने ऋण उत्पादों की या तो नियत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

दर या सचल दर आधार पर कीमत लगाने की लोच प्रदान की। चूंकि ब्याज दर अविनियमन से बाजार सहभागियों को ब्याज दर जोखिम उठाना पड़ता है, अतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने तुलन-पत्र प्रबंध और सुरक्षा ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप/जोखिम प्रबंध जैसे उपकरण अपनाने की अनुमति दी गई।

6.17 बैंकिंग क्षेत्र की निपुणता और स्थिरता को और बढ़ाने तथा उसे सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के निकट लाने की दृष्टि से एक टू ट्रेक और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया जो भारत की विश्व व्यापार संगठन के साथ प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत घरेलू बैंकिंग प्रणाली का सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों

में समेकन विदेशी बैंकों की स्तरबद्ध क्रमिक उपस्थिति बढ़ाकर संयुक्त किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बैंकों की पुनर्संरचना करने/उन्हें सद्बद्ध बनाने के लिए विलयन और समामेलन, विशेषतः पिछले दशक में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अपनाई जा रही आम रणनीति है (बॉक्स VI.2)।

6.18 भारतीय बैंकिंग उद्योग में विलयन और अभिग्रहण नई बात नहीं है। विलयन और अभिग्रहण के जरिए समेकन की प्रक्रिया बहुत वर्षों से चल रही है। तथापि, इस प्रक्रिया ने 1999 से गति प्राप्त की है (सारणी VI.2)। बढ़े हुए उदारिकरण, भूमंडलीकरण और प्रौद्योगिकीय सुधार के साथ भारतीय बैंकिंग में समेकन प्रक्रिया भविष्य में तीव्र हो सकती है।

बॉक्स VI.2: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी नीतियों और समेकन के अनुभव

बहुत सी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग उद्योग जो पहले से ही कायापलट की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष, वित्तीय क्षेत्र के अविनियमन, वित्तीय सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के लिए खुला करने, और कंपनी जगत व्यवहार, में परिवर्तनों के दबाव से गुजर रहा था, को 1997-98 में आए एशिया और लातीनी अमरीका के बैंकिंग संकट के परिणाम स्वरूप कायापलट के बड़े दबाव का सामना करना पड़ा। ईएमई के भिन्न हिस्सों में उपर्युक्त दबाव के प्रति प्रतिसाद के रूप में राज्य स्वाधिकृत वाणिज्य बैंकों का निजीकरण, घरेलू विलयन और समेकन और विदेशी बैंकों का प्रवेश हुआ। इसका प्रतिफलित बैंकों की कम संख्या में हुआ।

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हाल के अनुभव से बहुत से मुद्दे सामने आते हैं जैसे बैंक विलयन को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक भूमिका; नियंत्रण ढांचा और बाजार अनुशासन (परिवार स्वाधिकृत अथवा विदेशी स्वाधिकृत बैंकों); स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं के फायदे प्राप्त करने और स्पर्धा बनाए रखने के बीच ट्रेड ऑफ; और क्षेत्रीय रूप से बड़े प्रतियोगी बैंकों (या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर) की भूमिका (राष्ट्रीय चैम्पीयन)। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक समेकन में अक्सर विदेशी बैंकों और सरकार का हस्तक्षेप होता है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बाजार संचालित समेकन अपेक्षाकृत नई घटना है और प्रमुख रूप से मध्य यूरोप में पायी गई है। अधिकांश विलयन अकार्यक्षम बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना करने के सरकार के प्रयासों (अनेक लातीनी अमरीकी देशों में होता है) या बैंकिंग संकट के बाद हस्तक्षेप (जैसे कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में) का प्रतिफलित है।

संकटग्रस्त एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक विलयन आम तौर पर सरकार की ओर से की जानेवाली, कई अपेक्षाकृत छोटे, अक्सर 1997-98 संकट से ग्रस्त परिवारों स्वाधिकृत बैंकों की पूंजीगत पर्याप्तता और वित्तीय अर्थसक्षमता को सुदृढ़ करने की जरूरत से प्रेरित प्रक्रिया रही है। सरकार के दृष्टिकोण का प्रमुख उदाहरण है मलेशिया का दानामोडल, एक विशेष प्रयोजन संस्था, जिसके दो उद्देश्य हैं बैंकों का पुनः पूंजीकरण और बैंकिंग प्रणाली में सुविधाजनक समेकन और यौक्तिकरण को सुविधाजनक बनाना। कोरिया में, हाल में किए गए विलयन गैर स्वस्थ बैंकों को विघटित करने के लिए अधिकांशतः सरकार द्वारा पहल किए गए भाग के लिए थे। विलयन में सामान्यतः परस्पर व्यापी परिचालन शामिल थे और बड़े पैमाने पर सरकारी

निधियां डालते हुए समर्थन दिया गया। फिलीपीन में, विलयित बैंकों को बहुत से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जिनमें पुनर्भुनाई सुविधा के प्रति बेहतर पहुंच और कतिपय विवेकपूर्ण/अपेक्षाओं से अस्थायी राहत शामिल है। थाइलैंड में, सरकार ने अब तक केवल एक विलयन किया है। किंतु वह निजी विलयन पहलों, विशेषतः गैर बैंक वित्त कंपनियों को समर्थन देता है। इंडोनेशिया में, संकट के पहले मौजूद सात स्टेट बैंकों में से चार का एक नए स्टेट बैंक, (बैंक मंदिरी) में विलयन किया गया जो अब कुल वाणिज्य बैंक जमारारियों का लगभग चौथाई हिस्से का नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त, इंडोनेशियन बैंक पुनर्संरचना एजेंसी द्वारा हाथ में लिये गये आठ निजी बैंकों का 2000 के दौरान नई संस्था (दानामोन) में विलय कर दिया गया। इसलिए, विलयन को कब और कैसे बढ़ावा देना है इस पर प्राधिकारियों को काफी संतुलित कार्रवाई करनी होगी।

तथापि, चूंकि बड़ी संख्या में बाजार खंडों में स्पर्धा को अविनियमन, निजीकरण और विदेशी बैंकों के प्रवेश के जरिए तेज किया गया है, अतः, समेकन ज्यादा बाजार प्रेरित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, परिपक्व वित्तीय बाजारों (सिंगापुर, हांगकांग) के साथ कुछ अर्थव्यवस्थाओं में समेकन को वर्धमान रूप से क्षेत्रीय या यहाँ तक कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्यापक प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले के रूप में देखा जा रहा है।

संदर्भ:

बर्जर, ए., आर. देमेत्ज और पी. स्त्रहन, (1999), दि कंसोलिडेशन ऑफ दि फाइनेशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज: कॉजेस, कांसिक्वेसेस एंड इमप्लीकेशनस फॉर दि फ्यूचर, जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, खंड 23, सं. 2, फरवरी, पीपी 135-94।

हार्किंस, जॉन एंड दुब्रावको मिहल्लेक (2001), द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द इमर्जिंग मार्केट इकॉनामिक्स : कंपिटीशन, कंसोलिडेशन एंड सिस्टमिक स्टेबिलिटी - एन ओवरवीयू, बीआइएस पेपर्स सं. 4, अगस्त.

सौसा, फारौक (2004) वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति में 'ए नोट ऑन बैंकिंग एफडीआई इन इमर्जिंग मार्केटस : लिटरेचर रिव्यू एंड इविडेस फ्राम एम एंड ए डाटा', प्रकाशन सं. 22, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मार्च.।

सारणी VI.2: भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से समामेलित बैंक

क्रम. सं.	अंतरणकर्ता बैंक का नाम	अंतरिती बैंक का नाम	समामेलन की तारीख
1.	बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	8 नवंबर 1969
2.	नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	20 फरवरी 1970
3.	मीरज स्टेट बैंक लिमिटेड	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	29 जुलाई 1985
4.	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	केनरा बैंक	24 अगस्त 1985
5.	बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	26 अगस्त 1985
6.	हिंदुस्थान कमर्शियल बैंक लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	19 दिसंबर 1986
7.	ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड	बैंक ऑफ बड़ौदा	13 मई 1988
8.	यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड	इलाहाबाद बैंक	31 अक्टूबर 1989
9.	बैंक ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड	इंडीयन ओवरसीज बैंक	20 फरवरी 1990
10.	बैंक ऑफ तंजावर लिमिटेड	इंडीयन बैंक	20 फरवरी 1990
11.	परूर सेंट्रल बैंक लिमिटेड	बैंक ऑफ इंडीया	20 फरवरी 1990
12.	पूर्वांचल बैंक लिमिटेड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडीया	29 अगस्त 1990
13.	न्यू बैंक ऑफ इंडीया	पंजाब नेशनल बैंक	4 सितंबर 1993
14.	काशीनाथ सेट बैंक लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	1 जनवरी 1996
15.	बड़ी दोआब बैंक लिमिटेड	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	8 अप्रैल 1997
16.	पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	8 अप्रैल 1997
17.	बरेली कारपोरेशन बैंक लिमिटेड	बैंक ऑफ बड़ौदा	3 जून 1999
18.	सिक्किम बैंक लिमिटेड	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22 दिसंबर 1999
19.	टाइम्स बैंक लिमिटेड	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	26 फरवरी 2000
20.	बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	10 मार्च 2001
21.	बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड	बैंक ऑफ बड़ौदा	20 जून 2002
22.	नेदुनगडी बैंक लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	1 फरवरी 2003
23.	साउथ गुजरात लोकल परिया बैंक लिमिटेड	बैंक ऑफ बड़ौदा	25 जून 2004
24.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14 अगस्त 2004
25.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई लिमिटेड	2 अप्रैल 2005
26.	बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड	सेंचुरियन बैंक लिमिटेड	1 अक्टूबर 2005

6.19 रिजर्व बैंक को सुनिश्चित करना होता है कि किसी विलयन, अभिग्रहण, पुनर्निर्माण या अधिग्रहण के बाद बैंक या बैंकिंग समूह के पास पर्याप्त वित्तीय सामर्थ्य और प्रबंध तंत्र के पास पर्याप्त विशेषज्ञता और सुस्वस्थता है। यद्यपि, रिजर्व बैंक को बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुस्वस्थता बनाए रखने की अत्यधिक जरूरत को देखते हुए स्वैच्छिक विलयन को अनुमोदित करने की पावर है, फिर भी, बैंकिंग संस्था को विलयित करने की शक्तियाँ अनिवार्यतः भारत सरकार को ही हैं। रिजर्व बैंक /सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विलयन जनता के हित के लिए घातक नहीं है और संबंधित बैंकों, उनके जमाकर्ताओं या उनकी नियंत्रक कंपनियों के हित के विपरित भी नहीं। रिजर्व बैंक /सरकार को जिस मुख्य चिंता को सुलझाना है वह है ऐसे विलयन से समग्रतः वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर अतिक्रमण नहीं हो। जहां छोटे बैंक को बड़े सरकारी क्षेत्र बैंक के साथ विलयित करना अपेक्षाकृत आसान है, वहीं यदि विलयन दो बड़े बैंकों का होना हो तो समस्या बढ़ जाती है। संयुक्त संसदीय समिति (2002) की सिफारिश के अनुसार बैंकिंग कंपनियों के विषय में स्वैच्छिक उपायों के लिए दिशानिदेश तैयार करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया

था। दल की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने 11 मई 2005 को दिशानिदेश जारी किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विलयन की प्रक्रिया तथा स्वैप अनुपात निर्धारण के बारे में बताया गया है।

6.20 स्वामित्व के संकेतकों के जोखिम और नैतिक दबाव और अनुबद्धता /ओं की संभाव्य समस्याओं के निराकरण करने के लिए एक बेहतर ढंग से विकसित स्वामित्व ढांचे पर जोर डाला गया है। सरकारी क्षेत्र बैंकों में सरकार की शेयर धारिता कुछ समय में भारी मात्रा में घटा दी गयी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कार्यगत स्वायत्तता और निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को और अधिक स्पर्धा की अनुमति देकर भारतीय वित्तीय क्षेत्र में बहु संस्थागत ढांचे की निपुणता बढ़ाने के बारे में प्रयास किया जा रहा है। फरवरी 22, 2005 को विमोचित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता पैकेज बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख कारोबारियों के बीच एक लेवल प्लेइंग क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम है।

6.21 निजी बैंकों में सभी स्रोतों से विदेशी निवेश मर्यादा मार्च 2004 में अधिकतम 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई। विदेशी बैंकों को तीन माध्यमों में से एक के जरिए भारत में

परिचालन करने की स्वीकृति दे दी गई अर्थात्, (i) शाखा/ए; (ii) पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था; या (iii) एक निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत तक कुल विदेशी निवेश के साथ सहायक संस्था; भारत सरकार के परमर्श से रिजर्व बैंक ने फरवरी 28, 2005 को भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के बारे में खाका जारी किया। खाका में विदेशी बैंकों पर लागू मानदंडों का क्रमिक उदारीकरण दिया गया है जो दो चरणों में प्रभावी होगा।

6.22 हाल के वर्षों में कंपनी जगत गवर्नेंस को वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दृढ़ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मान लिया गया है। जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है कि बैंक के मालिक तथा प्रबंधक अच्छी सत्यनिष्ठावाले हों। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय क्षेत्र में कंपनी संचालन प्रथाओं की पारदर्शिता और मजबूती बढ़ाने के कई उपाय किए। 28 फरवरी 2005 को रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और नियंत्रण पर दिशानिर्देश जारी किए (ब्यौरों के लिए अध्याय II देखें)। ये कतिपय सिद्धांतों पर आधारित हैं, जैसे एक सुविशाखित स्वामित्व और नियंत्रण, 'सुयोग्य और यथोचित' महत्वपूर्ण शेयरधारी, 'सुयोग्य और यथोचित' निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और स्वस्थ कंपनी संचालन सिद्धांतों का पालन, न्यूनतम पूंजी/इष्टतम परिचालन और सर्वांगीण स्थिरता के लिए निवल संपत्ति बनाए रखना, और पारदर्शिता और स्वच्छ नीति और प्रक्रिया ड्राफ्ट नीति बैंकों को 'विशेष' माने जाने के अनुरूप है और इसमें विद्यमान तथा संभाव्य निवेशकों के लिए एक पारदर्शी स्वरूप में एक रोड मैप निर्धारित किया गया है।

विवेकशील उपाय

6.23 वित्तीय संस्थाओं (बैंक, विकास वित्त संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं) को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल थी पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन, जोखिम संबंधी मानदंड, प्रकटीकरण, निवेश का वर्गीकरण/मूल्यान और जोखिम प्रबंधन तथा आस्ति देयता प्रबंधन के क्षेत्रों में विवेकशील विनियमन लागू करना। विवेकशील मानदंडों की लगातार समीक्षा की जा रही है और इन्हें वित्त संस्थाओं के विकास, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों और प्राप्त अनुभव के परिप्रेक्ष्य में परिष्कृत किया जा रहा है।

6.24 वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों के एक भाग के रूप में लागू विभिन्न उदारीकरण उपायों के कारण वित्तीय बिचौलियों के सामने नए जोखिम आ गए हैं। ऐसी जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए पूंजी का पर्याप्त कुशन जरूरी है। अप्रैल 1992 में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित)

के लिए बासल मानदंडों के आधार पर लागू जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) प्रणाली और 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से लागू किया गया बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई प्रमुख पहलें हैं। सीआरएआर जो प्रारंभ में 8 प्रतिशत निर्दिष्ट था उसे बाद में टीयर 1 पूंजी के 50 प्रतिशत के साथ बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया।

6.25 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1969 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में संशोधन कर बैंकों को उनकी इक्विटी के 49 प्रतिशत से अनधिक की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप, कई पीएसबी ने भारत तथा विदेश दोनों में पूंजी जुटाई। बाजार में कुल 11,500 करोड़ रुपयों की बिक्री पीएसबी द्वारा की गई जिसमें कई पीएसबी ने बाजार में एक बार से अधिक प्रवेश किया। 1993 और 2005 के बीच लगभग 17 पीएसबी ने पूंजी बाजार का सहारा लिया, वर्तमान में, 12 पीएसबी की निजी शेयर धारिता 30 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के दायरे में है।

6.26 1993-2004 तक की अवधि में, सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए करीब 22,516 करोड़ रुपये इंकजेट किए। कई बैंकों, जिनका पुनःपूंजीकरण किया गया था, ने इस बीच पूंजी की भारी मात्रा सरकार को लौटाई है। मार्च 2004 के अंत तक लौटाई गई राशि कुल 1,303 करोड़ रुपए थी। 2004-05 के दौरान कोई पुनःपूंजीकरण या पूंजी चुकौती नहीं की गई।

6.27 खुदरा ऋण में बढ़ोतरी भारत में हाल की बात है। तथापि, प्रत्यक्ष अनुभव से सुझाव मिलता है कि खुदरा ऋण में हुई उच्च वृद्धि अक्सर स्थावर संपदा बाजार और वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ के साथ वित्तीय क्षेत्र में व्याप्त असंतुलनों को परस्पर प्रबलित करनेवाला अग्रदूत हो सकती है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, आवास ऋणों पर जोखिम भार आवास ऋणों के मामले में 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और उपभोक्ता ऋण व्यक्तिगत ऋणों और क्रेडिट कार्ड सहित के मामले में 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया।

6.28 एक स्वस्थ तथा स्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए जरूरी है कि बैंकों की आस्तियों को एक तथ्यपरक अपराध मानदंड के आधार पर यथोचित रूप से वर्गीकृत किया जाए। तदनुसार, अप्रैल 1992 में स्थापित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन मानदंड वित्तीय प्रणाली की बढ़ती परिपक्वता के परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे सुदृढ़ बनते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के मदेनजर मार्च 2004 से एनपीए की पहचान करने के लिए 90 दिवसीय चूक का मानदंड अपनाया गया।

विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त बनाने के प्रति उठाए गए एक बड़े कदम के रूप में बैंकों से अपेक्षित है कि वे मार्च 2005 से किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत करें यदि वह अवमानक श्रेणी में पहले के 18 महीनों के मानदंड के मुकाबले 12 महीनों तक बनी रहे।

6.29 बैंकों से अपेक्षित है कि वे मानक आस्तियों के लिए न्यूनतम 0.40 प्रतिशत (कृषि और छोटे और मझौले उद्यमी क्षेत्र के प्रत्यक्ष अग्रिम के लिए प्रावधानन अपेक्षा मानक आस्तियों के लिए 0.25 पर बनी हुई है) का सामान्य प्रावधान करें। अवमानक आस्तियों के लिए संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानन अपेक्षाओं को आस्ति जितनी अवधि के लिए संदिग्ध बनी रही उसके आधार पर ग्रेड दिया जाता है। वर्तमान में, प्रावधानन, जमानत प्राप्त अंश के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के दायरे में और गैर जमानती अंश के लिए 100 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है। प्रावधान संबंधी मानदंड कठोर बनाने के प्रति की जानेवाली अन्य पहल में बैंकों को 31 मार्च 2004 से छः महीनों से अधिक के लिए बकाया रहनेवाली समाधान न की गई। प्रविष्टियों के संबंध में अपने अंतर शाखा खातों में निवल ऋण स्थिति के लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान करने के लिए सूचित किया गया, जबकि पहले इसके लिए एक वर्ष की अवधि थी।

6.30 एनपीए का प्रबंध वित्तीय स्थिरता के परिदृश्य से काफी महत्वपूर्ण रहा है। अतः विवेकपूर्ण उपायों को मजबूती प्रदान करने के बाद केंद्र सरकार तथा रिजर्व बैंक की ओर से कई संस्थागत उपाय प्रारंभ करते हुए एनपीए की समस्या को हल करने के सघन प्रयास किए गए। इनमें शामिल हैं : ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, लोक अदालत (जनता का न्यायालय), आस्ति पुनर्संरचना कंपनियां (एआरसी) और कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) तंत्र की स्थापना। एनपीए से उबरने में शीघ्रता लाने के लिए वाणिज्य बैंकों के क्षेत्रीय तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर निपटान परामर्शदात्री समितियां भी स्थापित की गईं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआई) अधिनियम, 2002 के अधिनियमन से देश में वसूली के वातावरण में सुधार लाने में सहायता मिली है। 2004-05 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन कुल वसूलियां 20,000 करोड़ रुपयों से अधिक हो गईं।

6.31 अत्यधिक जोखिम वित्तीय स्थिरता को बैंकों के परिचालनों को एक विशिष्ट क्षेत्र के उतार-चढ़ाव के लिए असुरक्षित करते हुए गड़बड़ा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों के व्यक्तियों तथा समूह उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर और पूंजी बाजार को ऋण जोखिम पर विनियामक सीमाएं निर्धारित की है ताकि ऋण के संकेंद्रण से बचा जा सके। तथापि, आवास तथा रियल्टी ऋणों जैसे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को दिए जानेवाले ऋण जोखिमों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

6.32 एक वित्तीय प्रणाली का स्थायित्व तब बढ़ता है जब संस्थाएं तथा बाजार सूचित निर्णयों के आधार पर कार्य करते हैं। पर्याप्त प्रकटीकरण अत्यधिक जोखिम उठाने और प्रतिकूल चयन तथा नैतिक दबाव की समस्याओं के निवारक के रूप में कार्य करता है। बाजार अनुशासन बाहरी पणधारियों अर्थात् जमाकर्ताओं, ऋणकर्ताओं और निवेशकों द्वारा रचि लिए जाने से बढ़ता है। अतः, यह वांछनीय है कि पणधारियों को संस्थाओं पर स्वतंत्र रूप से निगरानी रख पाने के लिए पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। परिचालनों में पारदर्शिता का बाजार अनुशासन को सुदृढ़ करने में बड़ा योगदान हो सकता है। अब यह बड़े पैमाने पर महसूस किया जाता है कि वित्तीय स्थिरता के आग्रह में अधिकाधिक बाजार अनुशासन एक महत्वपूर्ण घटक है (बॉक्स VI.3)।

6.33 रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति संबंधी पारदर्शिता और प्रकटीकरण का स्तर बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंक तुलन पत्र में 'लेखा टिप्पणी' के एक भाग के रूप में किए गए प्रकटीकरण में बाजार सहभागियों के लिए अधिक जानकारी दी जाती है। इन प्रकटीकरणों में इस समय पूंजी पर्याप्तता (टियर I और टियर II अलग-अलग) अनुपात और वित्तीय अनुपात, अनर्जक ऋण में घट-बढ़ तथा अनर्जक ऋण के प्रावधान में घट-बढ़ और निवेश संबंधी मूल्यहास शामिल हैं। इस प्रक्रिया के विस्तार स्वरूप, बैंकों को 'लेखा टिप्पणी' के भाग के रूप में व्युत्पन्नी में उनके निवेश जोखिम संबंधी प्रकटीकरण की एक न्यूनतम रूपरेखा सूचित करने को कहा गया है।

6.34 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकों द्वारा लेखाकरण मानकों के अनुपालन में हुई त्रुटियों के निराकरण को कम करने के उपाय की सिफारिश करने के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री एन.डी. गुप्ता) की सिफारिशों के अनुसरण में कतिपय लेखाकरण मानकों के संबंध में मार्च 2003 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैंकों द्वारा इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2004 में दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि लेखा-परीक्षकों द्वारा उनके विवरणों में किसी लेखा मानक के अनुपालन संबंधी कोई शर्त नहीं रखी गई है।

जोखिम नियंत्रण संबंधी उपाय

6.35 वित्तीय नवोन्मेष की तीव्र वृद्धि और वित्तीय कारोबार की बढ़ती हुई जटिलता की दृष्टि से सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि उपयुक्त रूप से अपना

बॉक्स VI.3 : बाजार अनुशासन और वित्तीय स्थिरता

बाजार सूचना और बाजार अनुशासन में रुचि बाजारों की सूचना का प्रसंस्करण करने तथा इस सूचना को बाजार मूल्यों में तेजी से समग्र करने की अंतर्निहित क्षमता पर आधारित है। बाजार अनुशासन के दो परिवर्तियों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। पहला, प्राथमिक पूंजी बाजारों में नए ऋण या इक्विटी जुटाने की बढ़ी हुई लागत बैंकों पर सीधे बाजार अनुशासन लाने का प्रयास कर सकती है। ऐसा उच्चतर वित्तपोषण लागतों, नए वित्त की उपलब्धता के जरिए या बैंक के परिचालनों पर सीधे प्रभाव डालते हुए (उदाहरण के लिए, शेयरधारियों की बैठकों में चर्चा करना) किया जा सकता है। दूसरे, बैंकों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मूल्य पर्यवेक्षकों, रेटिंग एजेंसियों और केंद्रीय बैंकों को बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिकूल संकेतों की प्रतिक्रिया में विशेष रूप से पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी और संधाव्य निवारक कार्रवाइयों को अप्रत्यक्ष बाजार अनुशासन के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से पर्यवेक्षक गौण बाजार के संकेतों को ऐसे बैंकों जिनकी बारीकी से समीक्षा करने की जरूरत है, की पहचान करने के लिए प्रयुक्त किए जानेवाले पूर्व चेतना देने वाले स्क्रीनिंग के साधन या इनपुट के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं।

वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बाजार अनुशासन को प्रभावी बनाने के लिए चार पूर्वापेक्षाएं पूरी की जानी होंगी। पहली, बाजार सहभागियों को समय पर यथोचित और सही जानकारी होना जरूरी है। दूसरी, सहभागियों को जानकारी का सही रूप से प्रसंस्करण करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी, उन्हें उचित प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। चौथी, उनके पास अनुशासन का निष्पादन करने के लिए सही तंत्र उपलब्ध होना जरूरी है।

तथापि, वास्तव में इन स्थितियों को पूरा नहीं किया जा सकता। जानकारी निर्मित करने की लागतें बढ़ जायेंगी जिससे प्रभावी अनुशासन के लिए जरूरी जानकारी की तुलना में जानकारी की कम-आपूर्ति होने की प्रवृत्ति रहेगी। इसी प्रकार, जानकारी का प्रसंस्करण करने की क्षमता सीमित होगी। व्यक्तिगत व्यवहार संपर्क से उत्पन्न

सामूहिक गलत अधिनिर्णयों के कारण 'ब्लूंड' जिससे विशिष्ट रूप से तेजी-मंदी का चक्र चलेगा। इसके अलावा, जिस तंत्र द्वारा अनुशासन को निष्पादित किया जाता है वह हमेशा पर्याप्त समयपरकता के साथ नहीं परिचालित होगा जो बैंक संचालन के बाद सामान्यीकृत रक्षात्मक कार्रवाई निर्मित करेगा।

बाजार अनुशासन को ये मर्यादाएं अपने आप में अत्यधिक वित्तीय स्थिरता का परिणाम देने में पर्याप्त हो सकती हैं। अच्छी रीति से न बने सुरक्षा नेट, लाभों को निजी बनाकर तथा लागतों को सामाजिक बनाकर रखते हुए, पर्याप्त सुरक्षा उपाय न करते हुए, समस्याएं बढ़ा सकते हैं। वे ऐसा प्रोत्साहनों को इकट्ठा होने से बचाते तथा सूचना पर एक उत्तरदायी तथा विवेकपूर्ण ढंग से कार्रवाई करते हुए करेंगे।

इसकी मर्यादाओं के होते हुए भी, पर्यवेक्षकों द्वारा बाजार मूल्यों को पूर्व चेतावनी देनेवाले मॉडलों में शामिल करना भी उपयोगी है। बाजार संकेतकों को लेखांकन डेटा के मुकाबले तीन महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हैं: (i) वे भारी संख्या में बाजार सहभागियों के विचारों का एक सुविधाजनक उपाय के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, (ii) वे अंतर्निहित रूप से दूरदर्शी होते हैं और (iii) वे आम तौर पर अपेक्षाकृत उच्च बारंबारता के साथ उपलब्ध रहते हैं। यह बात वित्तीय संस्थाओं के स्थायित्व का निर्धारण करते समय बहुविध संकेतकों और सूचना स्रोतों पर निर्भर रहने की जरूरत को अधोरेखित करती है।

संदर्भ :

क्रोकेट ए.(2003), 'मार्केट डिस्प्लीन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी' जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 26,997-87

बम्मन, यू और ई नीयर (2003), मार्केट डिस्प्लीन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी: सम इंप्रोकल इविडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जून

योग्य पूंजी पर्याप्तता मानकों के कार्यान्वयन के प्रति बासल II का दृष्टिकोण मार्च 2007 से अपनाया जाए। बैंकों से कहा गया है कि वे जिन बढ़ती हुई जोखिमों का सामना कर रहे हैं, उनके नियंत्रण के लिए केवल बढ़ी हुई पूंजी को ही एक-मात्र विकल्प के रूप में नहीं देखें। उन्हें जोखिम नियंत्रण के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने, समुचित आंतरिक सीमा लागू करने, प्रावधान और रिजर्व का स्तर बढ़ाने तथा आंतरिक नियंत्रण बढ़ाने जैसे अन्य साधनों का भी सक्रिय रूप से पालन करना चाहिए।

6.36 इस प्रक्रिया के लिए बैंकों को तैयार करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं (विवरण के लिए देखें अध्याय II)। इन उपायों का बल त्रिस्तरीय है। पहला, बैंकों को अपना पूंजी आधार बढ़ाने की अनुमति देने से संबंधित उपाय शुरू किए गए हैं। बैंकों में जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित करने और मजबूत करने के लिए इसे अनेक विनियामक पहलों से समर्थन दिया गया है। दूसरा, वर्धित प्रकटीकरण से बैंकों में बाजार अनुशासन की प्रक्रिया धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति में बेहतर पारदर्शिता आ सके। अंततः, क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, ताकि आइ आर बी / उन्नत माप दृष्टिकोण अपनाने हेतु योग्य बैंकों की

पहचान करने और अनुमति देने की विनियामक की योग्यता प्रबल की जा सके।

6.37 बैंकों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए कंपनी संचालन महत्वपूर्ण तत्व है। बैंकों में संचालन विधिक, विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों संबंधी संमिश्र नीतियों की उपज (देन) है। सुदृढ़ व्यावसायिक रणनीति, कठोर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा सक्षम और उत्तरदायी वरिष्ठ प्रबंध तंत्र बैंकों में कंपनी संचालन सुदृढ़ करने के तत्व हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बैंकों द्वारा कंपनी संचालन के कार्यान्वयन से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश जून 2002 में जारी किए गए। निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और संचालन संबंधी दिशा-निर्देश 28 फरवरी 2005 को जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश गांगुली समिति द्वारा सुझाई गई दिशा में कंपनी संचालन संबंधी संचालक मंडल की भूमिका को रेखांकित करते हैं। संचालक मंडल को निदेशकों के उत्तरदायित्व की परिभाषा सुनिश्चित करनी चाहिए। बैंकों को इस संबंध में निदेशकों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। निजी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे : (i) योग्यता, विशेषज्ञता, पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड, निष्ठा तथा अन्य संगत और समुचित

प्रक्रिया के आधार पर बोर्ड के किसी निदेशक की नियुक्ति / के पद पर बरकरार रखने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी की प्रक्रिया शुरू करें; (ii) निहित प्रपत्र में प्रस्तावित / वर्तमान निदेशकों से आवश्यक घोषणा और वचन प्राप्त करें; और (iii) ऐसी घोषणाओं की छानबीन करने के लिए नामांकन समितियां बनाएँ।

6.38 दूसरी महत्वपूर्ण घटना बैंकों के संचालन-ढाँचे में सुधार की रही है। अधिकांश बैंक अब स्पष्ट रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने तुलन पत्र में 'लेखा-टिप्पणी' के रूप में अपने संचालन दर्शन का उल्लेख करते हैं तथा बोर्ड बैठकों की संख्या तथा बोर्ड की उप-समितियों के कार्यों और कार्यप्रणाली, बैंक शेयर (यदि सूचीबद्ध हो) के मूल्य-निष्पादन की सूचना देने के साथ-साथ अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया और कार्यान्वयन के संबंध में लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करते हैं। उनसे सूचीबद्धता अपेक्षाओं के भाग के रूप में शेयर बाजार को अपने तिमाही वित्तीय परिणाम की सूचना देने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, 1 नवंबर 2004 से बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाने लगी है कि वे अपनी अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र की लेखा टिप्पणी में जुमाने की सूचना दें।

6.39 जोखिम-प्रबंध और अंतर-बैंक कारोबार के संबंध में 1 जुलाई 2004 को मास्टर परिपत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा बैंकों से कहा गया कि वे आवश्यक जोखिम प्रबंध व्यवस्था स्थापित करें। बाजार जोखिम के विश्लेषण से ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम तथा पण्य और पूंजी बाजार में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निवेशजन्य जोखिम का पता चलता है।

6.40 बैंकों को अपने ग्राहकों के विदेशी मुद्रा निवेश से संबंधित जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता हो, उन पर विचार करने के बाद ऐसे विदेशी मुद्रा ऋण के बचाव से संबंधित सुचिंतित नीति के आधार पर ही 10 मिलियन अमरीकी डालर (या ऐसी निम्नतर सीमा जो बैंक के निवेश संविभाग की दृष्टि से उपयुक्त समझी जाए) से अधिक विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान किया जा सकता है। परिचालन जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश संबंधी ड्राफ्ट नोट व्यापक पहुँच और प्रतिसाद हेतु 11 मार्च 2005 को वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

6.41 उपयुक्त ऋण सूचना प्रणाली से ऋण का शीघ्र संवितरण सहज होने के अलावा ऋण निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है और बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार होता है। 2001 में स्थापित भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. द्वारा वित्तीय तंत्र के प्रति की गई चूक संबंधी आँकड़े सहित ऋण सूचना का समेकन और प्रसारण किया जाता है। सी आइ बी आइ एल को आँकड़ों की सूचना प्रेषण पर जोर देने की दृष्टि से

जून 2004 में बैंकों से कहा गया कि उनके बोर्ड सी आइ बी आइ एल को ऋणियों से संबंधित ऋण सूचना भेजने और रिजर्व बैंक को अनुपालन की सूचना देने के उपायों की समीक्षा करें। लेकिन सभी ऋणियों से सहमति प्राप्त करने में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। अतः, उनसे इस संबंध में तत्काल उपाय करने के लिए पुनः कहा गया। उनसे यह भी कहा गया कि यदि इससे संबंधित अनुपालन असंतोषजनक रहा तो रिजर्व बैंक को अन्य दंडात्मक उपायों पर विचार करना होगा। संसद द्वारा मई 2005 में पारित ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) बिल पर जून 2005 में राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की। इस बिल द्वारा सी आइ बी आइ एल को सभी ऋणियों से संबंधित जानकारी का संकलन करने का तथा रिजर्व बैंक को ऋण सूचना कंपनियों की कार्यप्रणाली संबंधी नीति निर्धारित करने और ऋण सूचना कंपनियों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया। ऋण सूचना कंपनी अधिनियम, 2005 पारित होने से आशा की जाती है कि सूचना संबंधी अव्यवस्था और अप्रयोज्य ऋण की स्थिति नियंत्रण में रहेगी।

6.42 पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं से विश्वसनीयता संबंधी मानदंडों को परिभाषित करने, विकसित करने और वैश्विक स्तर पर स्वीकार करने की अत्यावश्यकता प्रतीत हुई है। वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता फर्मों को बाह्य वित्त तक पहुँचने में समर्थ बनाती है। यह फर्मों को अपने लेनदारों, कर्मचारियों और अन्य के साथ विश्वसनीय वायदा करने के योग्य भी बनाती है। मितव्ययिता प्राप्त करने, जोखिम युक्त उपाय स्थापित करने, लंबे समय के बाद लाभ देने वाली परियोजना स्थापित करने, नये कार्यों की शुरुआत करने और संगठनात्मक ढाँचे के लिए सांस्थानिक सुनिश्चितता और उच्च स्तरीय विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। इसीलिए, बदलते वातावरण में वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता का महत्व और अधिक बढ़ गया है (बाक्स VI-4)।

6.43 रिजर्व बैंक कालाधन शोधन निवारण और आतंकवाद वित्तीयन प्रतिरोधन के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल में हमेशा आगे रहा है। 1 जुलाई 2005 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, के प्रवर्तन वित्तीय आसूचना इकाई की स्थापना तथा 29 नवंबर 2004 को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी व्यापक मानदंड जारी करके सरकार और रिजर्व बैंक ने भारत में कालाधन शोधन निवारण तंत्र की स्थापना की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की है।

6.44 अगस्त 2002 में निर्गत अपने 'ग्राहक को जानिये' मानदंड संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों से खाता खोलने के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया का पालन करने और उपयुक्त प्राधिकारी को

बाक्स VI.4 वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता

वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता को मुख्य वित्तीय मानकों में से कतिपय पूर्वशर्तों और सिद्धांतों के संदर्भ में समझना आवश्यक है। पूर्वशर्तों में : (i) सुदृढ़ विधिक और लेखा-प्रणाली, (ii) पेशेवर लेखाकार और लेखापरीक्षक निकाय; (iii) नैतिक और पेशेवर वकील और न्यायाधीश; (iv) सक्षम न्याय प्रणाली जिसके निर्णय लागू किए जाते हैं; (v) वित्तीय पारदर्शिता; और (vi) प्रभावी कंपनी संचालन शामिल हैं। दूसरी ओर, विश्वसनीयता के सिद्धांत में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: (i) पर्यवेक्षक की स्वतंत्रता; (ii) पर्यवेक्षक को विधिक संरक्षण; (iii) आंतरिक नियंत्रण; (iv) आंतरिक लेखा-परीक्षा; (v) जोखिम प्रबंध; (vi) बोर्ड और उच्च प्रबंधतंत्र की चूक; (vii) लेखा-मानक; (viii) बाह्य लेखा-परीक्षा; (ix) कंपनी संचालन; (x) प्रकटीकरण और पारदर्शिता; (xi) संगत और समुचित जाँच / सतर्कता / वैयक्तिक विश्वसनीयता; (xii) ग्राहक संबंधी सतर्कता; (xiii) सहबद्ध ऋण / संबंधित पार्टी लेनदेन; (xiv) धोखाधड़ी निवारण; और (xi) संदिग्ध कार्यकलाप की सूचना प्रणाली

वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के दो मुख्य मानक हैं। काला धन शोधन निवारण मानक में विश्वसनीयता तत्व में बाहरी तत्व द्वारा वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग से बचने के लिए व्यापक व्यवस्था शामिल है, वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण और कंपनी संचालन के मानकों के विस्तार से आंतरिक तत्व द्वारा वित्तीय फर्मों और सार्वजनिक कंपनियों का दुरुपयोग रुक सकता है।

काला धन शोधन निवारण संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्यदल-40 की सिफारिशों और आतंकवादी वित्तीय संबंधी नौ विशेष सिफारिशों को काला धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तीय का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है। काला धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तीय का सामना करने से संबंधित मानकों के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

- काला धन शोधन और आतंकवादी वित्तीय का अपराधीकरण।
- वित्तीय संस्थाओं और अन्य द्वारा अपनाए जानेवाले निवारक उपाय तंत्र की स्थापना।
- वित्तीय आसूचना यूनिट के कार्य सहित संदिग्ध लेन-देन सूचना प्रणाली का अंगीकरण।
- काला धन शोधन संबंधी अपराध के अभियोजन और दंड तथा अपराधियों की आगम-राशि की अवरुद्धता और जब्ती संबंधी मानक।
- पर्यवेक्षकों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना विनिमय सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

संदिग्ध प्रकृति के लेन देन की सूचना देने के प्रयोजनार्थ उनकी निगरानी करने के लिए कहा गया। काला धन शोधन निवारण मानकों और आतंकवादी वित्तीय प्रतिशोधन संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की सिफारिशों के संदर्भ में 'अपने ग्राहक को जानिये' संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किए गए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और सामान्यतः देश द्वारा इन मानकों का अनुपालन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंध के लिए आवश्यक हो गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की सिफारिशों और बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति द्वारा बैंकों के लिए ग्राहक संबंधी सतर्कता के संबंध में जारी पेपर तथा

काला धन शोधन निवारण / आतंकवादी वित्तीय प्रतिशोधन तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये उपाय केवल समुचित रूप से विनियमित वित्तीय क्षेत्र द्वारा ही लागू नहीं किए जाएंगे, बल्कि कॅसिनो, धन सेवा प्रदाता, वकील, लेखाकार, उच्च मूल्य वस्तुओं के व्यापारी आदि जैसे अवित्तीय व्यवसाय और धंधा करने वाले तत्वों द्वारा भी ये उपाय लागू किए जाएंगे। यू.के. प्रोसीड्स आफ क्राइम एक्ट (2002) में तो वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की सिफारिशों से भी आगे जाकर सभी अपराध संबंधी आगम राशि के शोधन को भी धन शोधन अपराध में शामिल कर लिया गया है।

आंतरिक तत्व द्वारा वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग के निवारण के लिए और अधिक सूक्ष्मग्राही और गहन उपाय करने की आवश्यकता है। सारतः बासल II में अपेक्षित परिचालन जोखिम संबंधी उपाय बैंकिंग संस्थाओं में आंतरिक विश्वसनीयता के कार्यान्वयन और उसकी सुरक्षा से संबंधित हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इसके मूल्यांकन के लिए विश्वसनीयता जोखिम अवधारणा शामिल करना, आंतरिक नियंत्रण और कंपनी प्रशासन पर अधिक बल देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ के संशोधित मुख्य सिद्धांतों में विश्वसनीयता तत्व की सामान्य समीक्षा शामिल है। प्रतिभूति संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के मुख्य सिद्धांतों में कमोबेश ऐसे ही तत्व की समीक्षा शामिल है। फिर भी, शेयर धारकों के अधिकार और समान बरताव, सूचना प्रकटीकरण तथा लेखांकन स्वरूप पर बल दिया जाएगा।

कंपनी स्केन्डल के फलस्वरूप सार्वजनिक कंपनियों के लिए विश्वसनीयता अपेक्षाओं की मांग अधिक बढ़ती जा रही है। हालाँकि इसके लिए कुछ देशों में, जैसे संयुक्त राज्य में सर्बनेस-ऑक्सले एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं, फिर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी संचालन के ओईसीडी सिद्धांत जैसे कंपनी संचालन सिद्धांतों के संहिताकरण के प्रयास भी किये जाते रहे हैं।

संदर्भ :

जॉन्सटन आर. बेरी एंड जॉन एबॉट (2005), डेटरिंग एब्यूज ऑफ फिनांसियल सिस्टम: एलिमेंट्स ऑफ इमर्जिंग इंटरनेशनल इंटीग्रेटी स्टैंडर्ड्स, आई एम एफ पॉलिसी डिस्कशन पेपर।

विहरेल, बिल (2002), इस्तांबुल में आई ओ एस सी ओ 2000 में भाषण फाइनेंसियल एनलिस्ट जर्नल (2004), सम्पादक का मत

ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक को-आपरेशन एंड डेवलपमेंट (2004), कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, पेरिस।

आवश्यकतानुसार दिए गए सुझाव के आधार पर बैंकों को नवंबर 2004 में दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैंकों से तीन महीने में 'अपने ग्राहक को जानिये' संबंधी समुचित नीतिगत ढाँचा और काला धन शोधन निवारण संबंधी उपाय तथा अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से उनकी स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। उनसे यह भी कहा गया कि वे 31 दिसंबर 2005 के पहले संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

6.45 बैंकों से यह भी कहा गया कि वे परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करते समय मई 2004 में जारी दिशा-निर्देशों के

अनुसरण में निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखें, जिनके द्वारा बैंकों से खाता खोलने के प्रयोजनार्थ ग्राहक से प्राप्त सूचना को गोपनीय रखने के लिए कहा गया था। बैंक निरंतर यह सुनिश्चित करते रहें कि मांग ड्राफ्ट, मेल / तार-अंतरण या किसी अन्य रीति से पचास हजार रु. और उससे अधिक मूल्य की निधियों का प्रेषण और ऐसे मूल्य के यात्री चेकों का निर्गम ग्राहक खाते में नामे करके या चेक पर किए जाते हैं न कि नकद भुगतान पर। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यून आय वर्ग के लोगों की अपनी पहचान तथा पता स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की असमर्थता के कारण उन्हें वित्तीय सुविधा से तथा बैंकिंग सेवा से वंचित नहीं होना पड़ता है 50,000 रुपए से अधिक का शेष रखने की इच्छा न रखनेवाले तथा एक वर्ष में कुल ऋण एक लाख रुपए से अधिक न होने की प्रत्याशावाले व्यक्तियों के लिए खाता खोलने संबंधी सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।

पर्यवेक्षी उपाय

6.46 प्रत्यक्ष निरीक्षण के अलावा रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी रणनीति में तीन अनुपूरक दृष्टिकोण : परोक्ष चौकसी, बैंकों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण का सुनिश्चयन और बाह्य लेखा-परीक्षकों का उपयोग शामिल है।

6.47 देशी और विदेशी बैंकों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय निरीक्षण प्रणाली एक सुपरिभाषित पद्धति पर आधारित है, जिसमें बैंकिंग परिचालन के प्रमुख मापदंड शामिल हैं (विस्तार के लिए देखें आध्याय II)। बासल II लागू करने की दृष्टि से बाजार अनुशासन पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंकों से कहा गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा दंडित सभी मामले तथा विशेष मामलों तथा निरीक्षण से उत्पन्न मामलों पर की गई कड़ी आलोचना/दिए गए निर्देश पब्लिक डोमैन में दिए जाएँ।

6.48 रिजर्व बैंक द्वारा 1995 में बैंकों के लिए निर्धारित परोक्ष निगरानी और चौकसी (ऑसमाँस) ढांचा सफल रहा है और उसका समय पूर्व चेतावनी प्रणाली के संकट प्रबंधन ढाँचे के एक भाग के रूप में तथा दोष पूर्ण संस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण शुरू करने के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

6.49 कार्यदल (अध्यक्ष: श्री रशद जिलानी) की सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन हेतु, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) बैंक की समग्र कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु सहक्रियात्मक प्रयास करने के लिए निरीक्षण और परिचालन कक्ष के बीच सहयोग; (ii) कार्यक्रम और निष्पादन निगरानी; (iii) आँकड़ा / विनिष्टियों की सुरक्षा का सुनिश्चयन और (iv) गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने और उनकी सूचना नहीं देनेवाले निरीक्षकों / लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी का निर्धारण भी शामिल हैं, अपनी आंतरिक नियंत्रण

प्रणाली को अद्यतन करने के लिए बैंकों को व्यापक अनुदेश जारी किए गए।

6.50 बैंकों के लेखे की संविधिक लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी जिन बाह्य लेखा परीक्षकों को सौंपी जाती है, पर्यवेक्षी प्रणाली के अतिरिक्त अंग के रूप में उनका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। उनसे बैंकों द्वारा सांविधिक तरलता अपेक्षाओं और समुचित मानदंडों के अनुपालन जैसे अन्य कतिपय पहलुओं के सत्यापन और प्रमाणन की भी अपेक्षा की जाती है। बैंकों के व्यावसायिक लेन देन की समवर्ती 'आन-लाइन' लेखा परीक्षा प्रणाली, जिसका उद्देश्य बैंक का कम-से-कम 50 प्रतिशत व्यवसाय और विदेशी मुद्रा एवं निवेश जैसे जोखिम प्रवण संविभागों की 100 प्रतिशत लेखा-परीक्षा करनी है, निर्धारित की गई है।

6.51 सुनिश्चित समय पूर्व हस्तक्षेप प्रणाली के रूप में बैंकों को 2003 में 'तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई' योजना संबंधी प्रारूप दिशा-निर्देश जारी किए गए। पूंजी पर्याप्तता (सी आर ए आर); आस्ति गुणवत्ता (निवल अग्रिम में निवल अप्रयोज्य आस्ति); और लाभप्रदता (आस्ति प्रतिलाभ) जैसे तीन मानदंडों के आधार पर उनको सुधारात्मक कार्रवाई की सूची जारी की गई। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने 2004 में इस योजना की समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचा बरकरार रखा जाए।

6.52 बैंकिंग व्यवसाय में बढ़ती हुई जटिलता के कारण पारंपरिक निगरानी प्रणाली की प्रासंगिकता तेजी से कम होती जा रही है। रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण अपनाने की ओर धीरे-धीरे अग्रसर होता रहा है, जो संस्था-विशेष के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार पर्यवेक्षी साधनों के विनियोजन द्वारा और पर्यवेक्षण संबंधी सावधानी पर ध्यान देकर बैंकों की निगरानी के लिए आवश्यक है। इस समय, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत 23 वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।

6.53 बैंकों को जारी समेकित लेखांकन और पर्यवेक्षण संबंधी दिशा-निर्देश में कहा गया कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष से उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, बैंकों से समेकित समुचित रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया, ताकि सामूहिक आधार पर जोखिमों का पर्यवेक्षी मूल्यांकन और कतिपय समुचित विनियमों का अनुपालन किया जा सके। रिजर्व बैंक इन रिपोर्टों की छमाही आधार पर समीक्षा कर रहा है।

अंतर-विनियामक समन्वय

6.54 वित्तीय पुंज बनने तथा वित्तीय सेवाओं और बाजार के एकीकरण से अंतर-विनियामक समन्वय का मुद्दा महत्वपूर्ण बन गया है। इस विकास

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

के फलस्वरूप तीन पर्यवेक्षी निकायों, अर्थात् रिजर्व बैंक, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, के अंतर-एजेसी कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर जून 2004 में एक संयुक्त मंच बनाया गया। ऐसे पुंजों के बीच हुए कारोबार और निवेशकों को पकड़ने के लिए तथा वित्तीय पुंजों से संबंधित सूचना के अंतर-विनियामक विनियम के लिए एक सुयोग्य तंत्र का निर्माण करने के लिए संयुक्त मंच ने एक निगरानी प्रणाली तैयार की है। निगरानी तंत्र के प्रवर्तन के एक अंग के रूप में: (i) संबंधित प्राधिकृत निकायों के अनुरूप प्रमुख विनियामक बनाने और (ii) वित्तीय पुंजों से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करने के लिए एक पाइलट प्रक्रिया शुरू की गई (बाक्स VI.5)।

6.55 सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार सहित रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेबी अध्यक्ष और इरडा के अध्यक्ष की वित्तीय और पूंजी बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समिति नीतिगत मामलों से संबंधित अंतर को पाटने के लिए मंच का काम करती है। सूचना और आसूचना की हिस्सेदारी हेतु एक केन्द्रीय अंतर-एजेसी मंच

प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक, सेबी और इरडा द्वारा विनियमित निकायों के संबंध में एचएलसीसीएफसीएम द्वारा क्रमशः तीन स्थायी तकनीकी समितियाँ बनाई गई हैं और प्रत्येक समिति में तीनों विनियामकों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व है। तीनों स्थायी समितियाँ विनियमित अंतराल पर बैठक करती रही हैं। विचार-विमर्श के निष्कर्ष स्वरूप उत्पन्न समस्याओं का निराकरण संबंधित विनियामकों द्वारा किया जाता है।

6.56 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निकायों से संबंधित तकनीकी समिति के प्राथमिक उत्तरदायित्व में (i) किसी भी निकाय या समूह के निवेश में किसी असामान्य गतिविधि की पहचान करने की दृष्टि से पूंजी बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निकायों के निवेश की समीक्षा; (ii) संदिग्ध बाजार कदाचरण के मामले में जाँचकर्ता एजेसियों के साथ सूचना की हिस्सेदारी के संबंध में निर्णय लेना; (iii) ऐसा बेंचमार्क तैयार करना, जो पूंजी बाजार में बैंकों के निवेश के संबंध में उभरने वाली अनियमितताओं

बाक्स VI.5: वित्तीय पुंज का पर्यवेक्षण

वैश्विक आधार पर बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूति जैसी अनेक वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने वाले वित्तीय पुंज बनने से पर्यवेक्षकों के समक्ष अपने उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह की भारी चुनौतियाँ आ गई हैं। इसके साथ-साथ भारत में भी वित्तीय पुंजों का उदय हुआ है। देश की वित्त व्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की उपस्थिति एक से अधिक बाजार खंडों में है। वित्तीय पुंज संबंधी कार्यदल (संयोजक : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) ने मई 2004 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ वित्तीय पुंज की पहचान के मानदंड, अंतर-समूह कारोबार और निवेश को पकड़ने के लिए निगरानी प्रणाली तथा वित्तीय पुंज संबंधी सूचना के अंतर-विनियामक विनियम तंत्र बनाने का प्रभाव दिया। कार्यदल ने निर्धारित मानदंडों के आधार पर वित्तीय पुंज के रूप में अनेक समूह की पहचान की।

रिजर्व बैंक ने अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पर्यवेक्षण विभाग में वित्तीय पुंज कक्ष की स्थापना की। वित्तीय पुंज कक्ष एक नोडल एजेसी है जो वित्तीय पुंजों के पर्यवेक्षण के मामले में दो अन्य देशी विनियामकों (सेबी और इरडा) के साथ समन्वय का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ने एक निगरानी ढाँचा तैयार किया है, जो (i) पुंजों से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से उत्पन्न चिंताओं; और (ii) प्रमुख विनियामक, जो किसी समूह का पूर्णतः वहन करते हों, के पास की वस्तुतः महत्वपूर्ण सूचना पर विचार करता है। शेष मुद्दों / पर्यवेक्षी चिंताओं को नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अन्य प्रमुख विनियामकों के सहयोग से पुंज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ छमाही चर्चा बैठक करने की हालिया पहल से देशी पर्यवेक्षकों के बीच सूचना हिस्सेदारी प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।

पूंजी, नकदी प्रबंधन, अन्य समूह की कंपनियों / अन्य वित्तीय बाजार खंडों में किसी इक्विटी के गैर आनुपातिक निवेश-निर्माण और पूरे समूह की जोखिम प्रबंध प्रणाली संबंधी महत्वपूर्ण विनियामक पर्यवेक्षी मामलों से संबंधित सूचना का निरंतर आदान-प्रदान और उस पर परामर्श किया जाता है।

विदेशों में उपस्थिति वाले वित्तीय पुंज के कार्य भी चिंताजनक हैं। विदेशों में पर्यवेक्षण को प्रभावशाली करने के लिए यह अपेक्षित है कि पुंज की अविनियमित

कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण वास्तविक सूचना से सज्जित पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाए और संभावित सर्वांगीण संकट से बचने के लिए संबंधित देशों के वित्त मंत्रालय की सहमति से संयुक्त कार्रवाई शुरू की जाए। इससे न केवल वित्तीय क्षेत्र की त्रुटियों का शीघ्र पता करना सहज होगा बल्कि यह विनियामक अंतर पणन को भी हतोत्साहित करेगा।

भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है, जिसमें पर्यवेक्षकों के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था हो या पर्यवेक्षकों के बीच सूचनाओं की हिस्सेदारी के लिए प्राधिकारों / बाध्यता संबंधी प्रावधान हो। जब तक देशों के बीच पर्यवेक्षण के लिए कोई विधिक स्वरूप तैयार नहीं होता, तब तक वित्तीय पुंज संबंधी जोखिमों के नियंत्रण तथा सर्वांगीण स्थायित्व को मजबूत करने के लिए सामान्य / विशेष समझौता ज्ञान निष्पादित करके पर्यवेक्षी समन्वय का कार्य शुरू किया जा सकता है।

संदर्भ :

भा.रि.बैंक (2004), सर्वांगीण दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों की निगरानी संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट, मुंबई।

बासल कमिटी आन बैंकिंग सुपरविजन (1998), कंसल्टेटिव डायग्नोसिस ऑन अ सुपरविजन आफ फिनांसियल कन्फ्लोमेरेट्स - वित्तीय पुंज पर संयुक्त मंच द्वारा तैयार पेपर।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी संयुक्त दस्तावेज, वित्तीय पुंज के पर्यवेक्षण के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन और अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ - वित्तीय पुंज संबंधी संयुक्त मंच द्वारा जारी पेपर - फरवरी 1999।

जूलिया माजा - जार्टबी एंड थोर्डर ओलाप्सॉ (2005) रिजनल फिनांशियल कंग्लोमेरेट्स: ए केस फॉर इंप्रूव्ड सुपरविजन, आईएमएफ वर्किंग पेपर, वाशिंगटन डी सी।

इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स : जी - 10 फिनांशियल रेगुलेशंस: सुपरवाइजर्स एंड स्ट्रक्चर्स

के लिए 'समय पूर्व चेतावनी संकेतक' का काम करें ; और (iv) समय-पूर्व चेतावनी संकेतकों द्वारा दिए गए संकेत के आधार पर अन्य विनियामकों के साथ समन्वय करना शामिल है। यदि व्यापक हित संबंधी नीतिगत मुद्दे में अंतर-एजेन्सी समन्वय की आवश्यकता हो तो समिति इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तकनीकी समिति या एचएलसीसीएफसीएम को भेज सकती है।

6.57 वित्तीय क्षेत्र में हितों के टकराव से निवेशक विश्वास, विनियामक ढाँचे की क्षमता और सर्वतोमुखी वित्तीय सेवा प्रदाताओं की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हित के संभावित टकराव के स्रोत और प्रकृति की पहचान करने और ऐसे टकराव से बचने हेतु सिफारिश करने के लिए सेबी और इरडा के परामर्श से एक कार्यदल बनाने का सुझाव दिया है।

6.58 रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को परिचालन संबंधी अधिक नमनीयता प्रदान करते समय विनियामक मानदंडों और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। रिजर्व बैंक पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया द्वारा समुचित जोखिम प्रबंध संबंधी सर्वोत्तम प्रथाएँ और वैश्विक मानक सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहा है। अंतर-विनियामक समन्वय तंत्र और अग्रसर होने से वित्तीय प्रणाली को और अधिक समर्थन मिलेगा।

अन्य वित्तीय संस्थाएँ

6.59 भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण सहकारी संस्थाएँ

6.60 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय व्यवस्था की कुल आस्ति के लगभग 3 प्रतिशत आस्ति रखने और ग्रामीण समाज के छोटे से खंड में कारोबर करने के बावजूद ग्रामीण समाज के निर्धनतम वर्ग को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने और उनके परिचालन में अधिक लोच प्रदान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत पहल किए गए हैं। इनमें कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूँजीकरण, जमा और ऋण दर का विनियमन तथा अलक्षित समूह को दिए जाने वाले ऋण संबंधी मानदंडों में शिथिलता शामिल है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने की दृष्टि से प्रायोजक बैंकों को उनके द्वारा राज्यवार प्रायोजित बैंकों को समायोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है (विस्तार के लिए देखें अध्याय II)। ये उपाय इस क्षेत्र से

उत्पन्न आरंभिक दोषों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे हैं।

6.61 ग्रामीण सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कार्यदल (अध्यक्ष : ए. वैद्यनाथन) ने अपनी रिपोर्ट में देश में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण के स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए अनेक सिफारिशों की हैं, जिन्हें लागू किया जा रहा है। समिति अब कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घावधि सहकारी ऋण के स्वरूप पर विचार कर रही है (विस्तार के लिए देखें अध्याय IV)।

शहरी सहकारी बैंक

6.62 सहकारी बैंकिंग संस्थाएँ अपने-अपने जनतांत्रिक स्वरूप को वित्तीय अनुशासन के अनुरूप बनाने और प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने की चुनौती का सामना कर रही हैं। विगत समय में कुछ सहकारी बैंकों के फेल होने का संपूर्ण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में बैंकों के फेल होने के कारण जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को पिछले कुछ वर्षों में भारी मात्रा में दावे का निपटान करना पड़ा। उच्च स्तरीय दोषपूर्ण ऋण इस क्षेत्र के निष्पादन के लिए चिंता का कारण बनी हुई है (विस्तार के लिए देखें अध्याय IV)। इन चिंताओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इस खंड के पुनर्गठन के लिए एक सुचिंतित दृष्टिकोण अपनाया है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में एक समयबद्ध पुनर्गठन कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न घटकों के बीच ऐसा पैकेज बनाने पर विचार-विमर्श चल रहा है, जिसके द्वारा एक समुचित समय-सीमा में उनका टर्न-एराउंड सुनिश्चित हो सके। एक ओर विलयन और समामेलन के द्वारा क्षेत्र में समेकन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है तो दूसरी ओर इस क्षेत्र में नये बैंकों और शाखाओं को लाइसेंस देने के मामले में सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण भी अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों में धीरे-धीरे समुचित विनियामक मानदंड और पर्यवेक्षण कड़े करने के लिए भी पहल की गई है। ऐसा उनके बोर्ड में उपयुक्त व्यावसायिक योग्यता वाले और पर्याप्त बैंकिंग अनुभव वाले न्यूनतम दो निदेशकों की नियुक्ति करके उनके संचालन ढाँचे में सुधार करने में सहायता देने के लिए किया जा रहा है। वित्तीय स्थिरता के हित में रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि सहकारी बैंकिंग खंड समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को आवश्यकता आधारित गुणवत्ता पूर्ण बैंकिंग सेवा-प्रदान करने के लिए जनतांत्रिक रूप से नियंत्रित और नैतिक रूप से प्रबंधित बैंकिंग संस्थाओं के एक मजबूत और सुदृढ़ नेटवर्क के रूप में उभरे। शहरी सहकारी बैंकों की समस्याओं के निराकरण के लिए तीन राज्य सरकारों, यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के साथ समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। समझौता ज्ञापन से शहरी सहकारी बैंकों का समुचित और समन्वित विनियमन और पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा।

6.63 इस क्षेत्र के पुनरुद्धार की भूमिका के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए शहरी सहकारी बैंकों के लिए वीजन दस्तावेज में इस क्षेत्र के लिए अलग-अलग विनियामक व्यवस्था के महत्व पर जोर डाला गया है। इस वीजन दस्तावेज की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एक मध्यम अवधि का ढांचा तैयार किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक उन राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है जिनके पास शहरी सहकारी बैंकों का बड़ा नेटवर्क है। अनुवर्ती उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक राज्यस्तरीय कार्यदल गठित किया है जिसमें राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, संबंधित राज्य सरकारों, शहरी सहकारी बैंकों के राज्य और राष्ट्र स्तरीय महासंघों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा यह कार्यदल संभाव्य रूप से अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार के लिए समयबद्ध योजना तैयार करेगा और ऐसी सिफारिशें करेगा जिनके अनुसार गैर अर्थक्षम बैंकर इस व्यवस्था से इस प्रकार बाहर निकल जाएं कि बैंकिंग प्रणाली में कोई ज्यादा अस्तव्यस्तता पैदा न हो।

6.64 सरकार ने दिसंबर 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर एक कार्य-दल गठित किया था जिसे इस क्षेत्र के पुनरुज्जीवन का एक समुचित प्लान प्रस्तावित करना था। सरकार ने कार्य-दल की सिफारिशें सिद्धांततः स्वीकार कर ली हैं और वह ऐसे राज्यों में जो स्वीकार करने के इच्छुक हैं, इन्हें कार्यान्वित करने से पूर्व उन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी।

वित्तीय संस्थाएं

6.65 वित्तीय संस्थाएं एक पुनर्गठन के चरण से गुजर रही हैं जिसमें दो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं का बैंकिंग संस्थाओं के रूप में परिवर्तन एक विशेष बात है। वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान कर रहा है। वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड मोटे तौर पर उस तर्क पर ला दिए गए हैं जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू हैं। हाल ही में इन संस्थाओं के पर्यवेक्षी आकलन के लिए एक संशोधित दृष्टिकोण लागू किया गया है जिसके अंतर्गत चार वित्तीय संस्थाएं, यथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और निर्यात-आयात बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ण विनियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन लाए गए हैं। जो विकास वित्त संस्थाएं सार्वजनिक जमा राशियां नहीं स्वीकार करती, परंतु उनकी आस्तियां 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उनका केवल सीमित अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करता है। इस समय प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं पुनर्वित्त संस्थाओं के रूप में हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष वित्त के रूप में बड़ी राशि का ऋण नहीं लिया है या निवेश नहीं किया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

6.66 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अंतर्गत अलग-अलग प्रकार की मध्यस्थ संस्थाओं के समूह शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण का जोर जमा राशियां स्वीकार करनेवाली कंपनियों पर अधिक रहा है तथा उसमें जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। चिंता का मुख्य क्षेत्र रेसिडुअरी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमा राशियों में बहुत भारी वृद्धि रहा है जिसके अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमा राशियों का 80 प्रतिशत से अधिक भाग केवल दो कंपनियों के पास था। रेसिडुअरी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अबाधित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पैदा हुए जोखिम को पहचानकर भारतीय रिजर्व बैंक ने उनकी आस्तियों की गुणवत्ता के सुधार के लिए कई उपाय घोषित किए। (विस्तृत विवरण के लिए अध्याय V देखें)। इन उपायों का मुख्य जोर अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए मानदण्डों को युक्तिसंगत बनाने और इन कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल 2006 तक विवेकाधीन निवेशों को समाप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। साथ ही साथ, इन कंपनियों के निदेशक मंडलों द्वारा नियुक्त किए गए निदेशकों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए 'योग्य और उचित' मानदण्ड निर्धारित करके उनकी कापोरिट संचालन प्रणाली को सुदृढ़ करना भी एक उद्देश्य है। प्रणालीगत दृष्टि से पर्यवेक्षी व्यवस्था पर ध्यान दिए जाने को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, जमा राशियां स्वीकार न करनेवाली बड़ी कंपनियों के लिए निगरानी की एक नई व्यवस्था भी लागू की गयी है। एनबीएफसी/आरएनबीसी में हुई धोखाधड़ियों के लिए बैंकों के लिए पहले ही प्रचलन में रहे तंत्र के अनुरूप रिपोर्टिंग तंत्र भी लागू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए इन उपायों से इस क्षेत्र के और समन्वयीकरण में मदद मिली है।

6.67 पिछले डेढ़ दशक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप वाणिज्य बैंक क्षेत्र में लाभप्रदता, आस्तियों की गुणवत्ता, और पूंजी की स्थिति के दृष्टि से पर्याप्त सुदृढ़ता आयी है। वर्ष 2004-05 के दौरान शुरू किए गए विभिन्न उपायों का मुख्य ध्यान विवेकपूर्ण मानदंडों को और सुदृढ़ बनाने, प्रकटीकरण तथा संचालन प्रणालियों में सुधार लाने और जोखिम प्रबंध व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर था। एक ओर वाणिज्य बैंकों की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता में पर्याप्त सुधार आया है, वहीं ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार लाने तथा उन्हें ऋण व्यवस्था के सक्षम तंत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के नीतिगत उपायों का मुख्य जोर ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने पर था।

3. भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की बेंचमार्किंग

6.68 अधिकाधिक एकीकृत होते जा रहे विश्व में कहीं भी आयी उथलपुथल का प्रभाव बैंकिंग प्रणाली पर पड़ेगा। वैश्विक बाजार में कमजोर वित्तीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धा को झेल पाने में कठिनाई महसूस करेगी। इसलिए वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुदृढ़ हों। इसलिए इस खंड में, दूसरे देशों के बैंकों से विभिन्न वित्तीय और सुदृढ़ता के संकेतकों की तुलना करके भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रखने का प्रयास किया गया है। इस खंड में दिए गए विश्लेषण का मुख्य जोर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर है जिनके पास भारतीय वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों का 75 प्रतिशत से अधिक भाग है, और इसलिए वे प्रणालीगत दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं।

6.69 विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को पर्याप्त सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए व्यापक उपायों के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। 1990 के दशक के आरंभ में सुधार की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद वित्तीय कार्य-निष्पादन (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का) काफी सुधर गया है। तुलनपत्र तथा लाभप्रदता संबंधित विभिन्न संकेतक यह बताते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की तुलना अब वैश्विक बेंचमार्क¹ से भलीभांति की जा सकती है।

निधियन उतार-चढ़ाव अनुपात

6.70 निधियन उतार-चढ़ाव अनुपात, जो बैंकों के तुलनपत्रों का महत्वपूर्ण पहलू है, उस सीमा की माप करता है जिस पर बैंक अपनी आस्तियों के वित्तपोषण के लिए उतार चढ़ाव देयताओं पर भरोसा करते हैं।² यह अनुपात जितना छोटा होगा बैंक चलनिधि प्रोफाइल उतनी ही अच्छी होगी। तदनुसार, बेहतर होगा, कि उतार चढ़ाव वाली देयताएं, तरल आस्तियों के बराबर या उनके द्वारा सुरक्षित राशियों के ठीक बराबर या उनसे अधिकतर हों, (एफवीआर ≤ 0)

6.71 विश्व स्तर पर निधियन उतार चढ़ाव अनुपात -0.71 और 0.11 के दायरे में रहा है, तथा यह अनुपात अधिकांश देशों के मामले में मुख्यतः ऋणात्मक रहा है। (सारणी VI.3)। भारत के मामले में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अपनी आस्तियों के वित्तपोषण के लिए उतार चढ़ाव वाली आस्तियों पर

निर्भरता समय बीतने के साथ-साथ तेजी से कम हुई है। सभी बैंक समूह के मामले में मार्च 2005 के अंत में यह अनुपात -0.11 से -0.23 के बीच था जिसकी तुलना विश्वस्तरीय रेंज से भलीभांति की जा सकती है।

आस्तियों पर प्रतिलाभ

6.72 बैंकों के आस्तियों पर प्रतिलाभ, जिसे कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, लाभप्रदता की माप के लिए सर्वाधिक लागू किया जानेवाला उपाय है। सुदृढ़ वाणिज्यिक नियमों के अनुसार काम करने वाले बैंक से उम्मीद की जा सकती है कि उसकी आस्तियों पर प्रतिलाभ अच्छा होगा। विश्व स्तर पर वर्ष 2004 के लिए बैंकिंग क्षेत्र का आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.2 प्रतिशत से 6.2 प्रतिशत के बीच था। (सारणी VI.4)। भारत में वर्ष 2004-05 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.9 प्रतिशत था। यह अनुपात विदेशी बैंकों के मामले में सबसे अधिक था, उसके बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का आस्तियों पर प्रतिलाभ देश के भीतर बैंकिंग उद्योग के तर्क के बहुत पास और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के बहुत पास था।

निवल ब्याज मार्जिन

6.73 किसी बैंक की निवल ब्याज मार्जिन उसकी मध्यस्थता की प्रक्रिया की दक्षता सूचित करती है, निम्नतर मार्जिन उच्चतर दक्षता

सारणी VI.3 निधियन उतार-चढ़ाव अनुपात - वैश्विक परास की तुलना में भारतीय बैंक (प्रतिशत)

बैंक समूह	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	-0.25	-0.26	-0.19*
निजी बैंक	-0.27	-0.23	-0.15
पुराने निजी बैंक	-0.27	-0.30	-0.23
नये निजी बैंक	-0.26	-0.20	-0.12
विदेशी बैंक	-0.25	-0.18	-0.11
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	-0.25	-0.25	-0.17*
जापान :			
1998 के लिए वैश्विक परास : [-0.71 से 0.11]			

*: एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था में रूपांतरण के प्रभाव को छोड़कर।
 स्रोत : आइएमएफ वर्किंग पेपर (2000)³.

¹ विश्व स्तर पर बैंकों के लिए वित्त वर्ष का संबंध कैलेण्डर वर्ष से है (अर्थात् जनवरी से दिसंबर) जबकि भारत में वित्त वर्ष किसी वर्ष के अप्रैल महीने के पहले दिन से बाद वाले वर्ष के मार्च महीने के आखिरी दिन तक होता है। इसलिए हर देशों के आंकड़ों की ठीक ठीक तुलना नहीं की जा सकती।

² निधियन उतार चढ़ाव अनुपात की गणना एफवीआर = [(वीएल-एलए)/(टीए-एलए)]: जहां वीएल = उतारचढ़ाव वाली देयताएं (बचत और मांग जमा राशियां), टीए = कुल आस्तियां (तुलनपत्र में शामिल और तुलन पत्र से भिन्न आस्तियां) और एलए = तरल आस्तियां (हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां तथा बैंकों के पास शेष राशियां और मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणियों को मिलाकर निवेश)।

³ सी जोबेक, जे होब्स और डी मात्सर्न (2000) टूवर्ड्स ए फ्रेमवर्क फॉर सिस्टिम लिक्विडिटी पॉलिसी। आइएमएफ वर्किंग पेपर सं. 34

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

की संकेतक हैं। अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवल ब्याज मार्जिन कुल आस्तियों के 2.00 प्रतिशत के आसपास है। विश्व स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए निवल ब्याज मार्जिन सामान्यतया उल्लेखनीय रूप से भिन्न-भिन्न है। (सारणी VI.5)। भारतीय संदर्भ में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन 2004-05 में 2.9 प्रतिशत रहा। बैंक समूह में नए निजी क्षेत्र बैंकों की निवल ब्याज मार्जिन विश्वस्तरीय परास के अंतर्गत थी, जबकि पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह थोड़ी सी ज्यादा थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह अनुपात 3.00 प्रतिशत के आसपास था। विदेशी बैंकों की निवल ब्याज मार्जिन सबसे अधिक थी।

लागत-आय अनुपात

6.74 लागत आय अनुपात सामान्यतया बैंक की दक्षता के सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी गणना निवल कुल व्यय की

सारणी IV.4 : आस्तियों पर प्रतिलाभ -
चुनिंदा देशों के बैंकों की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में**	
	2004	2005
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.1	0.9 *
निजी बैंक	0.9	0.8
पुराने निजी बैंक	1.2	0.4
नए निजी बैंक	0.8	1.1
विदेशी बैंक	1.7	1.3
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.1	0.9 *
जापान :		
उभरते बाजार		
अर्जेंटीना	-0.3	1.0
ब्राज़िल	1.8	..
मेक्सिको	1.5	2.0
कोरिया	0.9	..
दक्षिण अफ्रिका	1.2	1.3
विकसित देश		
अमरीका	1.4	..
ब्रिटेन	0.6	0.8
जापान	0.1	0.3
कनाडा	0.8	0.8
ऑस्ट्रेलिया	1.1	1.2
2004 के लिए वैश्विक रेंज : [-1.2 से 6.2]		
* : एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपांतरण के प्रभाव को छोड़कर		
** : उभरते बाजार और विकसित देशों से संबंधित आंकड़े क्रमशः 2003 और 2004 के हैं।		
स्रोत : ग्लोबल फाइनेंसिएल स्टैबिलिटी रिपोर्टें, विभिन्न अंक		

सारणी VI.5 : निवल ब्याज मार्जिन -
वैश्विक परास की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.9	2.9	3.0 *
निजी बैंक	1.9	2.2	2.3
पुराने निजी बैंक	2.5	2.6	2.7
नये निजी बैंक	1.7	2.0	2.2
विदेशी बैंक	3.4	3.6	3.3
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.8	2.9	2.9 *
जापान :			
वैश्विक रेंज : [1.2 से 11.6]**			
* : एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपांतरण के प्रभाव को छोड़कर।			
** : 1995-99 तक की अवधि में औसत			
स्रोत : विश्व बैंक वर्किंग पेपर (2003) ⁴ .			

तुलना में गैर ब्याज आय के अनुपात के रूप में की जाती है (कुल व्यय में से ब्याज का खर्च घटाकर), इसके कम अनुपात का मतलब होता है कि बैंक का प्रबंधन बहुत दक्षतापूर्वक किया गया। विश्व स्तर पर वर्ष 2004 के लिए लागत आय अनुपात 0.46 प्रतिशत और 0.68 प्रतिशत के बीच था (सारणी VI.6)। द बैंकर 2004 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व के सबसे बड़े बैंकों का लागत आय अनुपात 0.48 प्रतिशत के निम्नतर स्तर से 1.16 प्रतिशत के उच्चतर स्तर के बीच था। तथापि, सामान्यतः 0.60 के आसपास का लागत आय अनुपात निर्देशक बैंचमार्क है। भारतीय बैंकों के मामले में वर्ष 2004-05 में लागत आय अनुपात विश्व स्तर की तुलना में था। बैंक समूह के अंतर्गत, खास बात यह है कि यह अनुपात सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में निम्नतम था।

सारणी VI.6 लागत आय अनुपात -
वैश्विक परास की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.5	0.5	0.5 *
निजी बैंक	0.5	0.5	0.5
पुराने निजी बैंक	0.4	0.4	0.5
नये निजी बैंक	0.5	0.5	0.5
विदेशी बैंक	0.5	0.5	0.5
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	0.5	0.5	0.5 *
जापान :			
2004 के लिए वैश्विक रेंज : [0.46 से 0.68]			
* : एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपांतरण के प्रभाव को छोड़कर।			
स्रोत : दि बैंकर, 2004।			

⁴ ए. देमिर्गक, एल लावेन और आर.लेविन (2003), दि इम्पैक्ट ऑफ बैंक रेग्यूलेशन्स, कन्सट्रेंशन एण्ड इंस्टीट्यूशन्स ऑन बैंक मार्जिन्स, विश्व बैंक वर्किंग पेपर सं. 3030.

अनर्जक ऋण अनुपात

6.75 बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता का एक सामान्य माप सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक अग्रिमों का अनुपात है। जिन बैंकों ने पर्याप्त ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवस्था लागू की है, आशा की जाती है कि उनके अनर्जक ऋण अपेक्षाकृत कम होंगे। विश्व स्तर पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अनर्जक ऋणों का अनुपात 0.3 प्रतिशत के निम्नतर से 3.0 प्रतिशत के बीच और कई लैटिन अमरीकी अर्थव्यवस्थाओं में 10 प्रतिशत से अधिक है। कई उपायों के लागू किए जाने के बाद वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के भाग के रूप में भारतीय बैंकों के अनर्जक ऋणों का अनुपात पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरा है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋणों की तुलना में अनर्जक ऋणों का अनुपात, जो मार्च 1997 के अंत में 15.7 प्रतिशत था, मार्च 2005 के अंत में निरंतर घटकर 5.2 प्रतिशत हो गया। (सारणी VI.7)

अनर्जक ऋणों के अनुपात की तुलना में प्रावधानीकरण

6.76 अनर्जक ऋणों की तुलना में प्रावधानीकरण का अनुपात, आस्तियों के मूल्यों में आयी कमी को सहन कर सकने की बैंक की क्षमता का द्योतक

सारणी VI.7 : अनर्जक ऋण अनुपात - चुनिंदा देशों के बैंकों की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में**	
	2004	2005
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	7.8	5.7 *
निजी बैंक		
पुराने निजी बैंक	7.6	6.0
नए निजी बैंक	5.0	3.6
विदेशी बैंक	4.6	2.8
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	7.2	5.2 *
जापान :		
उभरते बाजार		
अर्जेंटीना	18.6	17.1
ब्राजिल	3.9	..
मेक्सिको	2.5	2.4
कोरिया	1.7	..
दक्षिण अफ्रिका	1.8	1.8
विकसित देश		
अमरीका	1.1	0.8
ब्रिटेन	2.5	2.2
जापान	5.2	2.9
कनाडा	1.2	0.7
ऑस्ट्रेलिया	0.4	0.3
2004 के लिए वैश्विक रेंज : [0.3 से 30.0]		
* : एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपान्तरण के प्रभाव को छोड़कर		
** : विकसित देशों से संबंधित आंकड़े क्रमशः 2003 और 2004 के हैं।		
स्रोत : ग्लोबल फाइनेंसिएल स्टैबिलिटी रिपोर्ट, विभिन्न अंक		

है। किसी बैंक के तुलनपत्र से संबंधित जोखिम उस सीमा तक कम हो जाते हैं जिस सीमा तक अनर्जक ऋणों के लिए ऋण हानि संबंधी प्रावधानों से पुरी तरह से सुरक्षित किया जाता है। विश्व स्तर पर, बैंकों के मामले में अनर्जक ऋणों के प्रावधानीकरण की अनुपात में 10 प्रतिशत तक से लेकर 200 प्रतिशत से अधिक तक के भारी अंतर दिखाई देते हैं (सारणी VI.8)। तथापि, जिन उभरते बाजारों के अनर्जक ऋण की मात्रा अधिक है वे अपेक्षाकृत अधिक प्रावधान करते हैं। भारतीय बैंकों द्वारा अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधानीकरण का अनुपात मार्च 2005 के अंत में लगभग 60 प्रतिशत था जो विश्वस्तरीय परास के अंतर्गत है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

6.77 बैंकों की सुदृढ़ता की माप के लिए जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात सबसे अधिक प्रयुक्त होनेवाली व्यवस्था है। किसी बैंक के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होने पर आघातों को सहने की उसकी क्षमता जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में उसकी पूंजी से ज्ञात होती है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए विश्वस्तरीय परास 8.8

सारणी VI.8 : अनर्जक ऋणों की तुलना में प्रावधानीकरण का अनुपात - चुनिंदा देशों की तुलना में भारतीय बैंक

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में**	
	2004	2005
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	57.5	62.1 *
निजी बैंक		
पुराने निजी बैंक	47.1	52.2
नए निजी बैंक	53.4	48.0
विदेशी बैंक	61.9	62.8
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	56.6	60.3 *
जापान :		
उभरते बाजार		
अर्जेंटीना	102.9	104.9
ब्राजिल	161.7	..
मेक्सिको	201.8	199.6
कोरिया
दक्षिण अफ्रिका	82.0	..
विकसित देश		
अमरीका	140.4	167.8
ब्रिटेन
जापान	43.6	43.9
कनाडा	47.7	47.6
ऑस्ट्रेलिया	131.8	175.7
2004 के लिए वैश्विक रेंज : [7.8 से 266.2]		
* : एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपान्तरण के प्रभाव को छोड़कर		
** : विकसित देशों (कनाडा को छोड़कर) से संबंधित आंकड़े क्रमशः 2003 और 2004 के हैं।		

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

सारणी VI.9 : पूंजी पर्याप्तता अनुपात -
चुनिंदा देशों की तुलना में भारतीय बैंक
(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में**	
	2004	2005
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	13.2	12.9 *
निजी बैंक		
पुराने निजी बैंक	13.7	12.5
नए निजी बैंक	10.2	11.8
विदेशी बैंक	15.0	14.1
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	12.9	12.8 *
ज्ञापन :		
उभरते बाजार		
अर्जेंटीना	11.2	11.6
ब्राज़िल	18.2	..
मेक्सिको	14.1	13.7
कोरिया	11.3	..
दक्षिण अफ्रिका	13.3	12.9
विकसित देश		
अमरीका	13.0	13.2
ब्रिटेन	12.4	12.3
जापान	11.1	11.6
कनाडा	13.4	13.3
ऑस्ट्रेलिया	10.1	10.5
2004 के लिए वैश्विक रेंज : [8.8 से 37.1]		
* : एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपान्तरण के प्रभाव को छोड़कर		
** : विकसित देशों से संबंधित आंकड़े क्रमशः 2003 और 2004 के हैं ।		
स्रोत : ग्लोबल फाइनेंसिएल स्टैबिलिटी रिपोर्टें, विभिन्न अंक		

प्रतिशत और 37.1 प्रतिशत के बीच में हैं। (सारणी VI.9) । भारत के संदर्भ में बैंकों ने अपने पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार किया है। मार्च 2005 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.8 प्रतिशत था, जबकि इससे संबंधित विनियामक अपेक्षा 9.00 प्रतिशत की है जो बासल मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किए गए 8.00 प्रतिशत से खुद ही ज्यादा है। भारत के बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात विश्वस्तरीय रेंज से मोटे तौर पर तुलनीय है। बैंकिंग प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों सहित अधिकांश बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता संबंधी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है। 88 बैंकों में से 78 बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक था। केवल 2 बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात विनियामक अपेक्षा से कम था। तथापि, समग्र बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों में उनका हिस्सा 0.5 प्रतिशत से कम था।

आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात

6.78 आस्तियों की तुलना में पूंजी का साधारण अनुपात यह सूचित करता है कि बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों को कितना महत्व मिला हुआ है।

सारणी VI.10 : आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात -
चुनिंदा देशों की तुलना में भारतीय बैंक
(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में**	
	2004	2005
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	5.8	5.6 *
निजी बैंक		
पुराने निजी बैंक	6.6	6.0
नए निजी बैंक	6.8	7.7
विदेशी बैंक	10.6	12.3
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	6.3	6.3 *
ज्ञापन :		
उभरते बाजार		
अर्जेंटीना
ब्राज़िल	16.0	15.9
मेक्सिको	11.5	..
कोरिया	4.8	4.9
दक्षिण अफ्रिका	7.0	7.4
विकसित देश		
अमरीका	9.2	10.3
ब्रिटेन	6.8	..
जापान	3.9	3.9
कनाडा	4.4	4.7
ऑस्ट्रेलिया	5.9	6.0
2004 के लिए वैश्विक रेंज : [2.7 से 20.2]		
* : एक गैर बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में रूपान्तरण के प्रभाव को छोड़कर		
** : विकसित देशों (कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर) से संबंधित आंकड़े क्रमशः 2003 और 2004 के हैं ।		
स्रोत : ग्लोबल फाइनेंसिएल स्टैबिलिटी रिपोर्टें, विभिन्न अंक		

अनुपात जितना कम होगा या उछाल जितना ज्यादा होगा, बैंक की स्थिति उतनी ही ज्यादा खराब होगी। वैश्विक स्तर पर उक्त अनुपात 2.7 प्रतिशत और 20.2 प्रतिशत के बीच भिन्न भिन्न है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का उछाल विकसित देशों के बैंकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम था। बैंक समूह की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का उछाल सबसे कम था, जबकि विदेशी बैंकों के मामले में यह सबसे अधिक था। (सारणी VI.10) ।

4. वित्तीय बाजार

6.79 प्रतिस्पर्धी प्रयोगों और विविधकृत जोखिमों के बीच संसाधनों का आबंटन करने के मामले में वित्तीय बाजार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वित्तीय बाजार संविभाग-धारिता के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार वित्तीय बाजारों में सुदृढ़ता, वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। बैंकों की दृष्टि से मुद्रा बाजार, मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने के अलावा, चल निधि की दैनंदिन असमानताओं को नियंत्रित करने के लिए महत्व रखती है। खुली अर्थव्यवस्थाओं में

विदेशी मुद्रा बाजार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ने के कारण कार्पोरेट और बैंकों के तुलनपत्रों की गुणवत्ता क्षीण हो सकती है और इसका वित्तीय स्थिरता पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि बैंकों के पास भारी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में चल निधि पैदा करने के लिए ठोस और तरल सरकारी प्रतिभूति बाजार अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुविकसित सरकारी प्रतिभूति बाजार एक ऐसा आय वक्र विकसित करने के लिए भी जरूरी है जो अन्य बाजारों में प्रतिभूतियों का मूल्य निश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय बैचमार्क प्रदान कर सके। पूंजी बाजार (इक्विटी और निजी कार्पोरेट ऋण) कंपनियों के लिए वित्तपोषण के अतिरिक्त विकल्प और बचतकर्ताओं के लिए निवेश के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए पूंजी बाजार बैंकिंग प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। पूंजी बाजार, एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनवरत आधार पर कंपनियों का मूल्यांकन करने में मदद करके, कार्पोरेट क्षेत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई देशों में बैंक पूंजी बाजार को बहुत अधिक ऋण आदि देते हैं। इसलिए पूंजी बाजार की परिस्थितियां बैंकिंग संस्थाओं की सुदृढ़ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। शेयरों के मूल्य में तेजी से गिरावट का बैंकों के पास रखी गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों

के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। (बॉक्स VI.6)। घरेलू पूंजी बाजारों के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के साथ बढ़ते एकीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, पूंजी बाजार में अस्थिरता के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बाजार में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इस प्रकार, विकसित और दक्ष पूंजी बाजार के कारण वित्तीय अस्थिरता का जोखिम कम हो सकता है।

6.80 चूंकि वित्तीय बाजारों में होनेवाले उतार चढ़ाव का लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उससे वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए वित्तीय स्थिरता के बड़े जोखिमों को पहचानने की दृष्टि से वित्तीय बाजारों से संबंधित गतिविधियों का अनवरत मूल्यांकन करते रहने की जरूरत होगी। वित्तीय बाजारों से संबंधित आंकड़ों में वित्तीय प्रणाली के संकटों के बड़े स्रोतों के बारे में दूर भविष्य की सूचनाएं निहित होती हैं। इसलिए बाजार के संकेतकों का प्रयोग तुलनपत्रों के निर्देशों पर आधारित पारंपरिक विश्लेषण के पूरक के रूप में किया जा सकता है।

6.81 रिजर्व बैंक वित्तीय बाजारों की गतिविधियों पर अनवरत नजर रखता है। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय बाजारों के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक

बॉक्स VI.6 : आस्ति मूल्य और वित्तीय स्थिरता

औद्योगिक और उभरते बाजारों में 1970 के दशक के अंतिम भाग से वित्तीय अस्थिरता की बढ़ती हुई घटनाओं और समष्टि आर्थिक लागतों के चलते आस्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव पर और अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। 1980 के दशक के अंतिम भाग के दौरान, स्थावर और वित्तीय आस्तियों के मूल्यों में तेजी से हुए उतार चढ़ाव के चलते बैंकिंग क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसलिए वित्तीय परिस्थितियों को प्रभावित करने में आस्ति बाजार की भूमिका का महत्व हाल के वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गया है।

आस्ति बाजारों में, और इससे भी ज्यादा विशेष रूप से संपत्ति बाजारों में भारी गिरावट का, इक्विटी बाजार की अपेक्षा वित्तीय स्थिरता पर ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है कि स्थावर संपदा कई अर्थव्यवस्थाओं में संपार्श्विक के रूप में काम करती है। आस्तियों के मूल्यों में तेज उतार चढ़ाव से मूल्य स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मौद्रिक नीति की भूमिका, वित्तीय स्थिरता पर आस्तियों के मूल्यों पर प्रभाव के जरिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।

आस्ति मूल्य चक्रों और वित्तीय स्थिरता के बारे में विभिन्न देशों के प्रयोगात्मक साक्ष्य अधिकतम इक्विटी के मूल्यों तक सीमित है। व्यावहारिकता की दृष्टि से विभिन्न असंतुलनों का मुद्दा वित्तीय स्थिरता पर संयुक्त प्रभाव डाल सकता है। आस्तियों के मूल्यों से जुड़ा कोई एक मुद्दा वित्तीय स्थिरता के लिए थोड़ा जोखिम पैदा कर सकता है लेकिन जब कई घटनाएं एक साथ घटित होंगी (ऋणों में तीव्र वृद्धि, अधिक निवेश और आस्तियों के मूल्यों में तेज वृद्धि) तो उससे वित्तीय अस्थिरता बढ़ने की संभावना होगी। सामान्यतया, वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम तब पैदा होते हैं जब कई संस्थाएं एक 'समूह' के रूप में काम करते हैं, और सामूहिक रूप से सर्वनिष्ठ समष्टि आर्थिक खतरे की पहचान नहीं कर पातीं।

वित्तीय मध्यस्थक और वित्तीय प्रणाली के विनियामक कई बार पैदा होते असंतुलनों को अच्छी तरह नहीं पहचान पाते, तथा आस्तियों के मूल्यों के प्रत्यक्ष प्रभाव के

कारण सुरक्षा की भ्रामक भावना के चलते उन असंतुलनों का सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते, जैसा कि 1997 में पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के प्रमाणों से स्पष्ट होता है। इसके बावजूद सच्चाई यह है कि यद्यपि उच्च मुद्रास्फीति के कारण आस्तियों के मूल्य में भारी वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय अस्थिरता पैदा हो सकती है, फिर भी ठीक उसके विपरीत बात सच नहीं भी हो सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब मूल्य स्थिरता के चलते बहुत अधिक आशावादीता के लिए आधार भूमि तैयार हुई है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आस्ति के मूल्य का प्रभाव दूसरी आस्ति के मूल्य पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए बॉण्ड के मूल्य इक्विटी और स्थावर संपदा के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आस्तियों के मूल्यों में होनेवाले परिवर्तन, निवेशों, कार्पोरेट के तुलनपत्रों, चलनिधि या यहां तक कि घरेलू संपत्ति से प्रभावित होकर सकल मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं।

इसलिए नीतिनिर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि वे निजी संस्थाओं में जोखिम प्रबंध की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करें, ज्यादा कठोर पर्यवेक्षी पद्धतियां अपनाएँ और वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता का स्तर और बढ़ें।

संदर्भ :

- बरनानके, बी एण्ड एम गर्टलर (1999) मॉनेटरी पॉलिसी एण्ड असेट वोलैटिलिटी, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कन्सास सिटी, इकॉनॉमिक रिव्यू।
- सेचेड्री, एस. एच., जेनबर्ग, जे. लिप्स्की और एस. वाधवानी (2002), 'असेट प्राइसेस एण्ड सेंट्रल बैंक पॉलिसी', जिनेवा रिपोर्टर आन् वर्ल्ड इकॉनॉमी नं. 2।
- बोरियो, सी और पी. लोवी (2002), 'असेट प्राइसेस फाइनेंसिएल एण्ड मॉनेटरी स्टैबिलिटी: एक्सप्लोरिंग द नेक्सस', बीआइएस वर्किंग पेपर नं. 114।
- क्रॉकेट, ए (2004), 'द इंटरैक्शन ऑफ मॉनेटरी एण्ड फाइनेंसिएल स्टैबिलिटी', सेंट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड मंथली बुलेटिन।

ने सुदृढ़ मुद्रा बाजार सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार विकसित करने के लिए कई उपाय किए हैं। साथ ही, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने पूंजी बाजार के विकास का काम हाथ में लिया है। वित्तीय बाजारों में किए जानेवाले सुधारों का मुख्य जोर आस्तियों के मूल्य निर्धारण पर से नियंत्रण हटाने, संस्थागत और प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने, जोखिम प्रबंध व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और बाजार की सूक्ष्म संघटना में सुधार लाने पर है। बाजार पर निगरानी रखने पर और अधिक ध्यान देने के लिए एक अलग वित्तीय बाजार विभाग गठित किया गया है जो केवल बाजारों पर नजर रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। बाजारों का सुव्यवस्थित तरीके से काम करना सुनिश्चित करने हेतु, बाजारों की संघटनात्मक कठिनाइयों को दूर करने और विनियामक व्यवस्था में सुधार करने के लिए बाजारों को विकसित करने के प्रयासों के साथ-साथ कानूनी ढांचे में भी उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं। वित्तीय बाजारों का दायरा बढ़ाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए नए भागीदार लाए गए हैं और नए लिखत शुरू किए गए हैं।

6.82 1990 के दशक के प्रारंभ से शुरू किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों के चलते भारत में वित्तीय बाजारों का स्वरूप बदला है। विभिन्न खण्डों में चल निधि और सुदृढ़ता में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐतिहासिक परिदृश्य में वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से, 2004-05 के दौरान वित्तीय बाजार की प्रमुख गतिविधियों का मूल्यांकन करना उपयोगी होगा।

मुद्रा बाजार

6.83 मांग/सूचना मुद्रा बाजार जो रात भर की और चौदह दिवसीय निधियों में लेनदेन करता है, भारत में मुद्रा बाजार का प्रमुख घटक है। अलग-अलग बाजार परिस्थितियों में अल्पकालिक चल निधि को नियंत्रित करने की दृष्टि से, 5 जून 2000 से लागू की गई पूर्णस्तरीय चलनिधि समायोजन सुविधा रातभर के मांग दर में होनेवाले उतार चढ़ाव के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक प्रभावी व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आयी है। इसके चलते स्पष्ट संकेत प्राप्त करके, बाजार स्थिर और ज्यादा व्यवस्थित हुए हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा और खुला बाजार परिचालन का समन्वित प्रयोग बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की कमियों और अधिकताओं को दूर करने में सफल रहा है जिसके चलते अल्पावधि ब्याज दरें तर्कसंगत स्तर पर स्थिर रखी जा सकी हैं।

6.84 यह जान लेने पर कि मांग / सूचना मुद्रा बाजार में कुछ सहभागियों द्वारा तुलन पत्र आकार के दिए गए बड़े ऋण प्रणालीगत अस्थिरता पैदा करने और मुद्रा बाजार में अन्य खंडों के क्रमिक विकास को बाधित करने की क्षमता रखते हैं, बैंकों और प्राथमिक डीलरों द्वारा


मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार लेने और देने के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं लगाई गईं। इससे चूक होने के जोखिम कम हुए हैं और मुद्रा बाजार सुरक्षित हुआ है। प्राथमिक डीलरों को छोड़कर गैर-बैंक सहभागियों को बाहर निकाल देने से मांग / सूचना मुद्रा बाजार सहभागियों के लिए और उधार लेने और देने के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) डिसीप्लिन पूर्णतः एक आंतर-बैंक बाजार के रूप में उभर रहा है। अन्य मुद्रा बाजार खंडों का समुचित रूप से विकास हो जाने से गैर-बैंक संस्थाएं सुचारू रूप से मांग / सूचना मुद्रा बाजार से अन्य खंडों में चली गई हैं।

6.85 ब्याज दरों के अविनियमन और उसके परिणामस्वरूप बाजार निर्धारण दरों में आए लचीलेपन के कारण बाजार के सहभागियों को ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ा। इसने सहभागियों द्वारा जोखिम से बचने के लिए व्युत्पन्न उत्पादनों के विकास को आवश्यक बना दिया। तदनुसार, जुलाई 1999 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने तुलन पत्र प्रबंधन और जैसा कि भाग 2 में बताया गया है, ब्याज दर के जोखिमों से बचाव करने के लिए वायदा दर करार (एफआर ए) और ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) जैसे जोखिम प्रबंधन उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई थी।

6.86 रिजर्व बैंक विनियमित शर्तों के अंतर्गत रेपो बाजार के विस्तार और विशाखन पर जोर देता रहा है ताकि प्रणाली में चलनिधि के सुचारू समायोजन में रेपो बहुत सक्रिय हो सकें। मांग/सूचना मुद्रा बाजार की तुलना में रेपो को उन्नत करने का मुख्य कारण उसका संपाश्विक स्वरूप था। रेपो लेनदेन करने से पहले संविभाग में प्रतिभूतियों का वास्तविक रूप में धारण किया जाना अनिवार्य है। रेपो बाजार को और विकसित एवं विस्तारित करने के लिए रिजर्व बैंक ने सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीपीपी) प्रणाली जैसे विनियामक सुरक्षोपाय लागू किए हैं। तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) और भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के परिचालन ने भी बाजार को स्थिरता प्रदान करने में योगदान किया है। बाजार रेपो के रूप में गहन संपाश्विक बाजार एवं असंपाश्विक मांग/सूचना मुद्रा बाजार की तुलना में संपाश्विक उधार लेने और देने से संबंधित दायित्वों (सीबीएलओ) के प्रादुर्भाव ने बाजार में प्रणालीगत जोखिम को कम करने में सहायता की। सीबीएलओ ने बाजार को गहनता प्रदान की। मुद्रा बाजार में गहनता और तरलता के मद्देनजर बाजार के सहभागियों को मई 2005 में यह सूचित किया गया कि वे ब्याज दर व्युत्पन्नियों के लिए केवल घरेलू रुपया बेंचमार्कों का ही प्रयोग करें। तथापि, बाजार के सहभागियों को बेंचमार्क के रूप में एमआईएफओआर का प्रयोग करने के लिए 6 माह का पारण समय दिया गया था जो समीक्षा किए जाने की शर्त पर है।


6.87 1990 के दशक के आरंभ से शुरू किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों के कारण और अधिक सुव्यवस्थित परिस्थितियां बनीं और मुद्रा बाजार में चलनिधि बढ़ी जो कि वित्तीय स्थिरता के परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक के दौरान, अस्थिरता के कुछ घटनाक्रमों को छोड़कर, (मई 1992, नवंबर 1995 और जनवरी 1998) मांग/सूचना मुद्रा बाजार ने सुव्यवस्थित परिस्थितियां दर्शाई (चार्ट VI.1)।

6.88 वर्ष के दौरान विभिन्न मुद्रा बाजार खंडों में गहनता और चलनिधि में भी सुधार हुआ है। 1990 के दशक के पूर्वार्ध में मांग मुद्रा बाजार में लेन देनों की मात्रा कमोबेश स्थिर रही। 2001-02 और 2002-03 के बीच कुल लेन देन में तीव्र वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद उसमें लगातार गिरावट आई। औसत दैनिक आवर्त 1999-2000 के रु.23,221 करोड़ से बढ़कर 2000-01 में रु.30,423 करोड़ हो गया और 2004-05 तक रु.14,170 करोड़ की गिरावट से पहले 2001-02 में और बढ़कर 35,144 करोड़ हो गया। कुछ वर्षों से 2003-04 तक मांग बाजार से उधार का हिस्सा अर्धव्यवस्था में मौजूद अधिक चलनिधि, सीआरआर में भारी कटौती और सामान्यतः अन्य मुद्रा बाजार खंडों, अर्थात् मांग बाजार, रपो और सीबीएलओ में विद्यमान दरों की तुलना में उच्चतर रिजर्व बैंक रिवर्स रपो दर के चलते उधार लेने की कम जरूरत के कारण धीरे-धीरे कम हो गया है। इस स्थिति का एक स्पष्ट परिणाम रहा है रिजर्व बैंक के रिवर्स रेपो भाग में उच्चतर प्लेसमेंट होना। इस प्रकार, मांग मुद्रा बाजार में घटते आवर्त के परिदृश्य में प्राथमिक व्यापारी, जिनकी मांग भारी बाजार उधार कार्यक्रम से प्रेरित थी, 2003-04 तक इस बाजार में एक वर्ग के रूप में सबसे बड़े उधारकर्ता के रूप में उभरे। 2004-05 के बाद स्थिति बदल गई जब बैंक एक वर्ग के रूप में सबसे बड़े उधारकर्ता के रूप में उभरे, इसके बाद अर्धव्यवस्था में ऋण की मांग बढ़ गई थी, सीआरआर बनाए रखने में वृद्धि और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम में कटौती हुई तथा इसके बाद प्राथमिक व्यापारियों के उधार में गिरावट आई। उधार देने के संदर्भ में, 2001-02 और 2002-03 के दौरान गैर-बैंक संस्थाओं का




हिस्सा कम हो गया, इसके बाद मांग/सूचना बाजार में से उन्हें चरणबद्ध रूप से हटाए जाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तदनंतर, 2003-04 के दौरान उक्त हिस्सा वास्तविक अर्थों में बढ़ गया जो मुख्यतः मांग बाजार के कुल आवर्त में बाजार कटौती के कारण था। बैंकिंग क्षेत्र का अंश विशेष रूप से सितंबर 2004 से मांग/सूचना मुद्रा बाजार से गैर-बैंकों को चरणबद्ध रूप से क्रमिक रूप से हटाए जाने के कारण बढ़ता जा रहा है। असंपार्श्विकृत मांग / सूचना मुद्रा बाजार के संबंधित अंश में यद्यपि गिरावट आई है, फिर भी, रपो, बाजार रपो और सीबीएलओ के अंश में काफी सुधार हुआ है (चार्ट VI.2)।

6.89 एफआरए / आई आर एस बाजार के लेनदेन की मात्रा में तीव्र वृद्धि देखी गई। एफआरए/आइआरएस संविदा के अंतर्गत नोशनल मूलधन की राशि 14 जनवरी 2000 को समाप्त पखवाड़े के रु.2,065 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2005 में रु.13,15,306 करोड़ हो गई।



6.90 2004-05 के दौरान मुद्रा बाजार की स्थितियां तरलता की सुखद स्थितियां दर्शाते हुए मौटे तौर पर स्थिर रहीं। मध्य-सितंबर 2004 से दिसंबर 2004 की अवधि को छोड़कर, जब मांग मुद्रा दर रिवर्स रेपो दर से अधिक रही थी, औसत दैनिक मांग मुद्रा उधार लेने की दरें रिवर्स रेपो दर से कम रही थीं। मुख्य रूप से तरलता की स्थितियों को करने के लिए, नवंबर 2004 में कुछ अवसरों पर मांग दर मुख्य रूप से चलनिधि की स्थितियों को संकीर्ण किए जाने के कारण रिवर्स रेपो दर से अधिक हो गई। एल ए एफ के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा तरलता इंजेक्शन ने बाजार की संवेदना को शांत कर दिया (चार्ट VI.3)। असंपाश्विकृत मांग मुद्रा दर और संपाश्विक रेपो दर के बीच का अंतर प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के बारे में एक संकेत है जो बाजार में सुव्यवस्थित स्थितियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ अवसरों को छोड़कर, असंपाश्विकृत मांग दर जब संपाश्विक रिपो दर से कम या उसके आस-पास होती है तब वह इस बात का संकेत देती है कि प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के बारे में मुद्रा बाजार के सहभागियों की धारणा स्थिर बनी रही। तथापि, मांग मुद्रा बाजार में अस्थिरता (विभिन्नता के को-इफिशिएंट द्वारा मापी जाती है) पिछले वर्ष के 0.06 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 के दौरान 0.10 प्रतिशत अधिक रही जिसका मुख्य कारण नवंबर - दिसंबर 2004 के दौरान मांग दरों में उतार-चढ़ाव था।


6.91 बड़े पूंजी प्रवाहों में अप्रैल 2004 में बाजार स्थीरीकरण योजना (एमएसएस) के रूप में एक नई सुविधा आरंभ की गई। एमएसएस ने निष्प्रभावीकरण के जरिए बहुत ही सहनीय स्वरूप की तरलता को आत्मसात करके, बाजार तरलता का प्रबंध करने में भारतीय रिजर्व बैंक को भारी लचीलापन प्रदान किया और वित्तीय बाजारों को स्थिरता प्रदान की।





विदेशी मुद्रा बाजार

6.92 1990 के दशक में चालु और पूंजी खाता लेनदेनों को क्रमिक रूप से खुला कर देने से पूंजी प्रवाह का विनिमय दर की स्थिरता पर सीधा असर पड़ा। अत्यधिक पूंजी के अंतर्वाह की विराम अवधियों के बाद पूंजी अंतर्वाह में हास होने पर पूंजी अंतर्वाह में वसूली हुई है। तथापि, कुल मिलाकर, विदेशी मुद्रा बाजार ने 1990 के दशक के दौरान और 2000 के दशक के पूर्वार्ध में उन अवसरों को छोड़कर जब बाजार दबाव में आ गया था, काफी स्थिर परिस्थितियां प्रदर्शित कीं। तथापि, प्रभावी नीतिगत प्रतिसाद ने बाजार में सुव्यवस्थित परिस्थितियां प्रतिस्थापित कीं। अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपया के विचलन का गुणांक जो परिवर्तनशीलता का माप है, कुछ अवसरों अर्थात् सितंबर 1995- फरवरी 1996 और पुनः मध्य-अक्टूबर 1997 से अप्रैल 1998 के बीच की अवधि को छोड़कर, संकीर्ण दायरे से गुजरा (चार्ट VI.4)।

6.93 विभिन्न उदारीकरण उपायों के परिणाम स्वरूप भारत में 1990 के दशक के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार तेजी से बढ़ा। 1990-91 और 2004-05 के बीच व्यापार और आंतर-बैंक खंडों दोनों में कुल लेन देन बहुत बढ़ा। व्यापारिक लेनदेन अनुपात की तुलना में आंतर बैंक अनुपात 1990-91 के 8.5 से घटकर 2004-05 में 3.1 हो गया (चार्ट VI.5)। बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट द्वारा हाल ही में किए गए विदेशी मुद्रा बाजार के सर्वेक्षण यह पता चलता है कि वैश्विक विदेशी मुद्रा लेन देन में भारत का हिस्सा 1998 के 0.1 से बढ़कर 2001 में 0.2 प्रतिशत एवं आगे और बढ़कर 2004 में 0.3 प्रतिशत रहा।





6.94 2004-05 और 2005-06 (सितंबर 2005 तक) के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में परिस्थितियां मोटे तौर पर स्थिर बनी रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार ने अप्रैल 2004 में ज्यादा आपूर्ति की परिस्थितियां प्रदर्शित कीं। तथापि, मई के मध्य में इक्विटी बाजार में आई अव्यवस्था ने जिसके कारण एफआईआई द्वारा बाह्य प्रवाह करना पड़ा और बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों ने अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति को कमी में बदल दिया। रुपया में दो तरफ़ा गति ने कंपनियों को विदेशी मुद्रा ऋणादि जोखिमों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया और जून 2004 में वायदों को प्रिमिया में परिवर्तित किया। एफआईआई प्रवाहों के पुनरुज्जीवन के कारण सितंबर 2004 से रुपया पर दबाव कम होने लगा और उसके बाद रुपया सामान्य रूप से स्थिर (फर्म) रहा जिसके कारण वृद्धिगत एफआईआई प्रवाह, व्यापार ऋण में बढ़ोत्तरी, आयातकर्ताओं द्वारा इसीबी और निर्यातकों द्वारा विप्रेषण परिलक्षित हुए। जनवरी 2005 में एफआईआई निवेशों में आई मंदी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ जाने के कारण रुपया मजबूत बना रहा।

6.95 एफआईआई द्वारा बहिर्वाह किए जाने एवं पण्य वस्तु व्यापार में भारी घाटे के बावजूद मार्च 2005 के अंत से लेकर मध्य मई 2005 के बीच अमरीका डालर की तुलना में रुपया स्थिर (फर्म) रहा। तथापि, बाद में रुपये के मूल्य में कमी आई। इस अल्प अवधि को छोड़कर जब 21 जुलाई 2005 में चीनी यान का पुनर्मूल्यन उर्ध्वमुख दबाव को सहन करने का प्रयास कर रहा था, रुपये में हास जारी रहा जिसके कारण तेल की कीमतें चढ़ीं जो हरीकन केटरिना सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70.80 अमरीकी डालर प्रति बैरल के उच्चांक को छू गईं। इससे मेक्सिको की खाड़ी में तेल और गैस का उत्पादन बाधित हुआ। बाद में 1 सितंबर

2005 को रुपया घटकर 44.12 प्रतिशत हो गया। चालू खाता घाटे में तीव्र वृद्धि, (विदेशी संस्थागत निवेशकों के बहिर्वाह और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर मजबूत हो जाने से) के चलते अक्टूबर 2005 के पहले सप्ताह से रुपए पर दबाव बढ़ता गया (चार्ट VI.6)। अमरीकी ब्याज दर में और वृद्धि होने के बाद ब्याज विभेदकता संकीर्ण होने के अनुरूप सामान्यतः वायदा प्रीमियम घट गया।

6.96 विदेशी मुद्रा बाजार का कुल लेन देन (व्यापारिक और आंतर-बैंक) जिसमें अप्रैल 2005 में 223.69 बिलियन अमरीकी डालर की तीव्र गिरावट (मार्च 2005 में 305.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में) आई थी, बाद के महिनों में संभल कर अगस्त 2005 में 349.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचा। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यापारिक कुल लेन देन में आंतर बैंक अनुपात 2.32 से लेकर 2.60 के संकीर्ण दायरे के इर्द-गिर्द रहा जिससे सुव्यवस्थित बाजार परिस्थितियां परिलक्षित हुईं। भारतीय समाशोधन निगम लि. (सी सी आई एल) ने नवंबर 2002 से हाजिर और वायदा आंतर-बैंक अमरीकी डालर - रुपया लेन-देनों के निपटान के संबंध में विदेशी मुद्रा खंड के कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके बाद, फरवरी 2004 से सी सी आई एल ने नकदी और टॉम लेन देनों का निपटान कार्य भी आरंभ कर दिया है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

6.97 विभिन्न सुधारात्मक उपायों ने सरकारी प्रतिभूति बाजार को तरलता और गहनता प्रदान की है। सरकारी प्रतिभूति के कूपनों को बाजार ब्याज दर से संरेखित कर देने के कारण सरकारी प्रतिभूति बाजार विभिन्न गैर-बैंक खिलाड़ियों की सहभागिता के कारण क्रमिक

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

रूप से विस्तृत हुआ है। वर्तमान में, बैंकों, बीमा कंपनियों के अलावा, निवेशक आधार में निजी कंपनी क्षेत्र, पारस्परिक निधियां, वित्त कंपनियां और व्यक्ति शामिल हैं। ऑर्डर-ड्रिवेन प्रणाली के जरिए तयशुदा लेन देन प्रणाली (एनडीएस) में लेन देन करने की अनुमति देने के हाल ही के निर्णय से यह अपेक्षा की गई है कि उससे सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास को और गति मिलेगी।

6.98 बाजार तरलता में सुधार लाने तथा बाजार में बेंचमार्क प्रतिभूतियों उपलब्ध हो सकें इस उद्देश्य से 1999 में मूल्य आधारित नीलामियों (पहले की उत्पाद आधारित नीलामियों के विपरित) के जरिए पुनर्निर्गमन/पुनः आरंभ की एक नीति लागू की गई। तथापि पुनर्निर्गमन या प्रतिमोच्यता ऋणों के संदर्भ में सक्षमता पर अधिकतम बकाया राशि की मर्यादा है जिसे कि पुनर्मोचन की दृष्टि से 'प्रबंधनीय' माना जाए।

6.99 बाजार के सहभागियों के लिए निवेश करने और वित्तीय जोखिम की सुरक्षा के लिए प्रतिभूतियों की व्यापक श्रेणी उपलब्ध है। इनमें 364 दिन, 182 दिन, 91 दिन और 14 दिन के खजाना बिल और शून्य कूपन बॉण्ड शामिल हैं। दीर्घावधि खंड में वॉनीला अथवा मीयादी कूपन बॉण्ड आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लिखत हैं। सितंबर 1995 में सचल दर बांड (एफआरके) जारी किए गए। नवंबर और दिसंबर 2001 में अस्थिर दर बॉण्डों (एफ आर बी) के दो निर्गम जारी किए गए जिन्हें अवधि 5 वर्ष (₹.2000 करोड़) और 8 वर्ष (₹.3,000 करोड़) के साथ, 364 दिन के खजाना बिल प्रतिफल पर अंकित किया गया था। फिलहाल एफआरबी की बकाया राशि 46,000 करोड़ रुपए है। जुलाई 2002 में सरकार ने सम्मिलित मांग वाला एक 10 वर्षीय ऋण जारी किया जिसमें जारी करने की तारीख से 5 वर्ष के बाद कॉल और पुट विकल्पों का इस्तेमाल करने की व्यवस्था थी। रिजर्व बैंक, प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन के लिए अलग लेन-देन (एसटीआरआईपीएस) बाजार के सृजन और विकास के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। एसटीआरआईपीएस के लिए विधि सम्मत उपबंध सरकारी प्रतिभूति बिल के पारित किए जाने के साथ प्रभावी होंगे। इस बीच रिजर्व बैंक कूपन भुगतान की तारीखों को चार चुनी गई तारीखों के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करता रहा है ताकि कूपन स्ट्रीप्स जारी करने के लिए विशिष्ट जन समूह का सृजन किया जा सके। कई प्रतिभूतियों ने बेहतर जोखिम प्रतिफल के तालमेल को सुसाध्य बनाकर बाजार की स्थिरता को बढ़ा दिया है।

6.100 प्रमुख संस्थागत विकासों में उन पूंजी-संपन्न प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की एक प्रणाली की स्थापना करना शामिल है जो प्राथमिक नीलामियों और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए लेनदेनों के समाशोधन और निपटान के लिए) के परिचालनों में सहभागी

होने के प्रति वचनबद्ध हों। सरकारी प्रतिभूतियों में हुए लेनदेनों के निपटान के लिए 1995 में आरंभ की गई सुपुर्दगी बनाम भुगतान प्रणाली (डीवीपी) ने निपटान जोखिम को कम किया है और सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार में लेनदेनों की मात्रा में वृद्धि को सुसाध्य बनाया है। प्रौद्योगिकी के विकासों में केन्द्रीयकृत सहायक बही खाता (एसजीएल) लेखांकन प्रणाली द्वारा संपूरित वी सेट (वीएसएटी) संचार नेटवर्क के इस्तेमाल वाली स्क्रीन आधारित लेन देन सूचना प्रणाली शामिल है। एनडीएस, जिसने फरवरी 2002 से काम करना शुरू किया, केन्द्र / राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों, खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) / एलएएफ नीलामियों, स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों और रेपो सहित मुद्रा बाजार लिखतों में हुए लेनदेनों की रिपोर्टिंग में ऑन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने की सुविधा प्रदान करती है। यह अल्पतम समय में व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करती है। 1 अगस्त 2005 से एनडी-एस में एक स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग प्रणाली परिचालन में लायी गई।



6.101 ढांचागत और संस्थागत सुधारों की शृंखला के परिणामस्वरूप एक गहन, विस्तृत और दोलायमान गिल्ट बाजार का अविर्भाव हुआ है। सरकारी प्रतिभूति बाजार का स्वरूप बंधुआ बाजार से बदल कर व्यापक आधार बाजार (ब्रॉड-बेस्ड मार्केट) में तब्दील हो गया है। रिजर्व बैंक का प्राथमिक निर्गमों का अवशोषण व्यापक रूप से कम हुआ है। सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धिगत गहनता एवं तरलता के कारण रिजर्व बैंक लिखतों का बाजार भाव पर दर्शाने के आधार के जरिए अपनी मौद्रिक नीति को लागू कर सका। भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार का कुल लेनदेन लगातार बढ़ रहा है। तथापि ब्याज दरों में गिरावट की प्रवृत्ति पलट जाने का एकमुश्त लेनदेनों के संबंध में ट्रेडिंग गतिविधि पर प्रभाव पड़ा है (सारणी VI.11) जिससे बाजार में चलनिधि में वृद्धि और बाजार के सहभागियों द्वारा लेनदेन कार्यकलापों में वृद्धि परिलक्षित होती है।

6.102 कुछ वर्षों से आय वक्र भी उभरा है। 1997-98 तक, यह वक्र 10 वर्षों तक सीमित था। धीरे-धीरे सरकारी बॉण्ड निर्गमन की परिपक्वता

सारणी VI.11: केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में अनुषंगी बाजार लेनदेन

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	एकमुश्त	रिपो	कुल
1	2	3	4
1999-2000	4,56,493	82,739	5,39,232
2000-01	5,72,145	1,25,976	6,98,121
2001-02	12,11,941	3,61,932	15,73,873
2002-03	13,78,160	5,63,515	19,41,675
2003-04	16,83,711	9,55,533	26,39,244
2004-05	11,60,632	15,62,990	27,23,622
2005-06 (अप्रैल-सितंबर)	5,51,162	7,73,211	13,24,373



अवधि को बढ़ा देने के कारण आय वक्र 30 वर्षों तक बढ़ गया (चार्ट VI.7)। सरकारी प्रतिभूतियां अब निजी ऋण लिखतों के मूल्यनिर्धारण के लिए बेंचमार्क के रूप में उभर रही हैं।

6.103 वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार ने स्थिरता दर्शाई। 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति पर आय मार्च 2004 के अंत के 5.15 प्रतिशत की स्थिरता से बढ़ते हुए 12 अगस्त 2004 तक 6.68 प्रतिशत पर पहुंची। इस अवधि के दौरान आयगत स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय ब्याज दर चक्र में उछाल, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि से परिलक्षित हुई। 4 सितंबर 2004 को आंशिक रूप से आगे बढ़कर 5.91 पर आ गई और 8 नवंबर 2004 तक 7.31 प्रतिशत की उच्च स्थिति पर पहुंच गई इसका कारण सितंबर 2004 में चलनिधि स्थिति को मजबूत करना और सीआरआर बढ़ाना रहा है। यद्यपि उसके बाद आय 31 मार्च 2005 तक 6.65 प्रतिशत पर आ गई परन्तु यह मार्च 2004 के अंत की 150 आधार अंको से काफी अधिक थे। 30 अप्रैल 2005 तक आय दर में 7.35 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई और यह वृद्धि उसी स्तर बनी रही। तथापि, आय का उच्च स्तर होने के बावजूद उसी स्तर स्थिर रही (चार्ट VI.8)

6.104 2004-05 के दौरान सरकारी आय में वृद्धि ने वित्तीय संस्थाओं, खासकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यापारिक लाभों को काफी हद तक प्रभावित किया (ब्यौरो के लिए अध्याय III देखें)। आय में हुई वृद्धि को उद्योग और अन्य क्षेत्रों की बढ़ती ऋण मांग से जोड़ देने के कारण बैंकों को काफी संविभाग समायोजन करने पड़े (ब्यौरो के लिए अध्याय III देखें)। उद्योग और अन्य क्षेत्रों से बढ़ी हुई ऋण मांग के साथ आय कम हो जाने से बैंकों द्वारा उल्लेखनीय रूप से निवेश संविभाग समायोजन

करने पड़े। यद्यपि, बैंक अब तक ब्याज दर चक्र में आई उथल-पुथल को नियंत्रित करने में सफल रहे थे, तथापि, आय में हुई वृद्धि के परियामस्वरूप प्रतिभूतियों के लेनदेन और ऊंचे बाजार भाव पर दर्शाने के कारण हुए मूल्यहास से होनेवाले लाभ में गिरावट आई। आय में हुई वृद्धि ने बैंकों को अपने निवेश संविभाग में सन्निहित ब्याज दर के जोखिम को प्रतिरक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए प्रवृत्त किया। कई बैंकों ने एसएलआर प्रतिभूतियों को 'एचटीएम' श्रेणी में अंतरित करके, एक बारगी लागत बढ़ाते हुए निवेश के एक बड़े हिस्से को भावी ब्याज दर जोखिम प्रतिरक्षी बना दिया है। कुछ बैंकों ने अपने निवेश संविभाग की बाकी परिपक्वता अवधि को कम करने के लिए जागरूक प्रयास किए हैं। तथापि, आय इस बीच उच्च स्तर पर स्थिर हो गई है।

पूंजी बाजार


6.105 वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से एक संतुलित वित्तीय प्रणाली का होना जरूरी है जिसके द्वारा वित्तीय बाजार और वित्तीय संस्थाएं दोनो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लंबे इतिहास के होते हुए भी, भारत में पूंजी बाजार, वित्तीय प्रणाली की बाहरी सतह पर ही बना रहा है। तथापि, 1990 के दशक के आरंभ से किए गए सुधारों की श्रृंखला ने पूंजी बाजार की ढांचागत कायापलट की।

6.106 प्राथमिक पूंजी बाजार में मुक्त मूल्यनिर्धारण ने कंपनियों को अपने मूल सिद्धांतों और बाजार की शर्तों के आधार पर अपने निर्गमों का मूल्य निर्धारण करने की अनुमति प्रदान की। द्वितीयक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रणाली को अपनाने के कारण लेनदेनों में पारदर्शिता आई, बेहतर मूल्य खोज गए और लेन देन लागत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

कम हुई। लेनदेन के शीघ्र निष्पादन के कारण बाजार की क्षमता में सुधार आया है। समाशोधन और निपटान प्रथाओं और जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधारों के जरिए शेयर बाजार की परिचालनगत क्षमता को भी मजबूत किया गया है। प्रतिभूतियों की लगभग सारी सुपुर्दगी अब अभौतिक रूप में की जाती है। पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान दो मुख्य शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) में, दलालों द्वारा चूक करने के बावजूद निपटानों को स्थगित करने या क्लब करने की कोई घटना नहीं हुई है। गलत सुपुर्दगियों के मामले लगभग 'शून्य' हो गए हैं। व्यापार/निपटान गारंटी निधियों के गठन ने निवेशकों के लिए निपटान के जोखिम को बहुत कम कर दिया है। तिमाही अंतरालों पर कंपनियों के कार्यानिष्पादन के संबंध में जानकारी की व्यापक उपलब्धता के साथ जिसने मूल्य खोजने की प्रक्रिया को सुधारा है, बाजार की सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को सुधारा गया है। भारतीय शेयर बाजार के व्यापार और निपटान फ्रेमवर्क की तुलना अब अनुकूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ फ्रेमवर्क के साथ की जाती है।

6.107 निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पब्लिक इश्यू इक्विटी बाजार से जुटाए गए संसाधनों में 1990 के दशक के पूर्वार्ध में तीव्र वृद्धि हुई जिसने 1994-95 में रु.26,417 करोड़ के उच्चांक को छुआ (चार्ट VI.9)। तथापि, पब्लिक इश्यू बाजार से जुटाए गए संसाधनों में, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कई तरह के कारणों जैसे कि कुछ कंपनियों द्वारा लगाया गया प्रिमियम उनके मूल सिद्धांतों द्वारा तर्क संगत नहीं पाया गया, संसाधन जुटा लेने के बाद कुछ कंपनियों का गायब हो जाना, प्रकटीकरण मानदंडों को कड़ा करना, औद्योगिक



सारणी VI.12: प्राथमिक पूंजी बाजार से संसाधन जुटाना

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2003-04	2004-05
1	2	3
विवरण पत्र और राइट्स निर्गम	7,851	21,892
निजी स्थानन	63,901	84,052
कुल	71,752	1,05,944

क्षेत्र की मंदी और द्वितीयक बाजार का दमन करने की वजह से कमी आई। यद्यपि इस खंड में पारदर्शिता का अभाव था, फिर भी इसने कम लागत और समय बचाने के तरीके से कंपनियों द्वारा संसाधन जुटाने के लिए पर्यायी यंत्रणा प्रदान की निजी रोजगार खंड जिसमें कई बैंकों का काफी मात्रा में निवेश था, के बे-लगाव विकास के कारण चूंकि कुछ प्रणालीगत समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, इसलिए सेबी ने इस खंड का क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने विनियामक क्षेत्र में ले लिया।

6.108 सरकारी निर्गम खंड के पुनरुज्जीवन के कारण 2004-05 के दौरान वित्तीय स्थितियों में काफी सुधार हुआ। 2004-05 के दौरान सरकारी निर्गमों के जरिए प्राथमिक बाजार से संसाधनों के संग्रहण में तीन गुना वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के 43.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी निर्गमों के जरिए संग्रहित कुल संसाधनों में इक्विटी निर्गमों द्वारा जुटाए गए संसाधनों का प्रतिशत 82.3 प्रतिशत था। निजी स्थानन बाजार से भी संसाधन संग्रहण में वृद्धि हुई है (सारणी VI.12)।

6.109 यद्यपि गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जुटाई गई कुल निधि में पूंजी बाजार संबंधी लिखतों का अंश सुधार-पूर्व अवधि की तुलना में सुधार के बाद की अवधि में कमोबेश अपरवर्तित रहा, किंतु वित्तीय बिचौलियों के अंश में काफी गिरावट आई है। वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से देखें, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है क्योंकि इससे यह परिलक्षित होता है कि कारपोरेट्स (कंपनियों) की बैंकिंग क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति यह हुई है कि कंपनी क्षेत्र द्वारा इक्विटी जारी करके और आंतरिक रूप से निधि सृजित करके तुलन पत्रों को डिलिवरेज करना जैसा कि ऋण-इक्विटी अनुपात में गिरावट से परिलक्षित होता है। जो अनुपात 1990 के शुरू में 90 प्रतिशत था, वह धीरे-धीरे गिरकर मार्च 2004 के अंत तक 57.0 प्रतिशत हो गया। यह स्थिति सुधार के बाद की अवधि में औसत ऋण-इक्विटी अनुपात में हुई तीव्र गिरावट से दिखाई देती है (सारणी VI.13)।

6.110 घटते हुए लीवरेज ने कंपनी क्षेत्र की आघातों के प्रति संवेदनशीलता को कम कर दिया है (बॉक्स VI.7)।

सारणी VI.13 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक
लिमिटेड कंपनियों की निधियों के स्रोत

(प्रतिशत)

मद	1984-85 से 1992-93	1993-94 से 2003-04
1	2	3
वित्तपोषण में आंतरिक स्रोतों का अंश	32.5	44.5
वित्तपोषण में बाह्य स्रोतों का अंश	67.5	55.5
जिसमें से :		
पूँजी बाजार से संबंधित लिखत (डिबेंचर और इक्विटी पूँजी)	18.8	17.6
वित्तीय विचौलियों का अंश	21.7	18.1
ऋण-इक्विटी अनुपात (इसमें डिबेंचर और दीर्घावधि उधार शामिल हैं)	90.7	65.2
स्रोत : सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन (विभिन्न अंक)		

6.111 म्युचुअल फंड खुदरा निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निवेश साधन हैं, इसलिए पूँजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इक्विटी बाजार में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को म्युचुअल फंडों द्वारा संसाधन के संग्रहण के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि म्युचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान काफी कम था, जो पूरी तरह से आय/ऋणोन्मुखी योजनाओं से हुए निवल बहिर्वाह (आउटफ्लोज) के कारण था। वृद्धि/इक्विटी उन्मुख योजनाओं में निवल अंतर्वाह (इनफ्लोज) कमोबेश पिछले वर्ष की तरह ही रहा है (सारणी VI.14)। प्राथमिक पूँजी बाजार से बढ़ता हुआ संग्रहण और वृद्धि-उन्मुख इक्विटी योजनाओं में निवेशकों की बढ़ती हुई दिलचस्पी यह दर्शाती है कि इक्विटी बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है, जिससे यह पता चलता है कि निवेशक बढ़-चढ़कर जोखिम पूँजी उपलब्ध कराने के इच्छुक हो रहे हैं, जिससे कंपनियों

बॉक्स VI.7 : कंपनी लीवरेज और वित्तीय स्थिरता

यह सर्वमान्य है कि वित्तीय संस्थाओं के ऋण संविभाग की गुणवत्ता उनके उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता पर सीधे निर्भर है, मुख्यतया गैर-वित्तीय उद्यम क्षेत्र पर। एशियाई संकट के दौरान कोरिया में वित्तीय संकट को तेज करने में कंपनी क्षेत्र द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिखित प्रमाण मौजूद हैं। इस एपिसोड के अनुसरण में अब एक नई दिलचस्पी यह पैदा हुई है कि कंपनी क्षेत्र कैसे और किस तरह से वित्तीय स्थिरता पैदा कर सकता है।

कंपनी क्षेत्र और वित्तीय संकट के संबंध में हाल में किए गए सैद्धांतिक एवं अनुभवजन्य कार्य ने इस बात की जांच की है कि समष्टिगत आर्थिक आघातों के प्रति फर्मों की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या इस प्रतिक्रिया के बदले कंपनी क्षेत्र के वित्तपोषण तथा निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं और क्या इन निर्णयों के माध्यम से समष्टि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस साहित्य के अधिकांश भाग में दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कंपनी दायित्वों की चुकौती सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हैं: कंपनी निवल मालियत और नकदी प्रवाह, और बिक्रय संपाश्विक। पहला दृष्टिकोण, 'वित्तीय त्वरित्र' (एक्सीलेटर) दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत आर्थिक कठोरताओं की भूमिका की व्याख्या करता है जो सूचनात्मक विषमताओं के कारण घटित होती हैं, जिसमें कंपनी की निवल मालियत संपाश्विक की भूमिका अदा करती है और उधार देने में प्रोत्साहन समस्या से उबारने में मदद करती है। इन अध्ययनों में यह पाया गया है कि समष्टिगत आर्थिक आघात, कंपनी के तुलनपत्र प्रभाव के माध्यम से वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। वैकल्पिक दृष्टिकोण जिसे 'संपाश्विक' दृष्टिकोण कहते हैं, जो अविकसित घरेलू वित्तीय बाजार के रूप में समष्टिगत आर्थिक कठोरताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपाश्विक की स्वीकार्यता की कमी पर जारे देता है। इन अध्ययनों में बताया गया है कि घरेलू और विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए संपाश्विक की आवश्यकता में कमी आने से संकट की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

कंपनी क्षेत्र तुलनपत्र और संपाश्विक इन दो चैनलों के माध्यम से कंपनी क्षेत्र आघातों के प्रति संवेदनशील बन जाता है। कंपनी लीवरेज के स्तर ही फर्मों को इन आघातों से सामने टिके रहने की योग्यता प्रदान करते हैं। कंपनी क्षेत्र जितना अधिक लीवरेज्ड होगा और जितना कम चलनिधिय होगा, उतनी ही अधिक आघातों के प्रति संवेदनशीलता होगी।

कंपनी क्षेत्र में लंबे समय तक संकट की स्थिति बनी रहने से फर्मों की चुकौती क्षमता और साख पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप बैंक की

आस्ति गुणवत्ता खराब हो जाती है, और अंततः अनर्जक ऋण (एनपीएल) की मात्रा बढ़ने लगती है। समष्टिगत आर्थिक आघात से कंपनी इक्विटी घटने लगती है और इससे अनर्जक ऋण की मात्रा बढ़ने लगती है, और इसकी मात्रा में वृद्धि कंपनी ऋण (अर्थात् गैर-बैंक वित्तपोषित ऋण) की संरचना पर निर्भर करता है।

इस क्षेत्र हुए अनुसंधान यह संकेत करते हैं कि समष्टिगत आर्थिक गतिविधियों और कंपनी लीवरेज के बीच तथा कंपनी लीवरेज और वित्तीय संकट की संभावना के बीच गहरा संबंध होता है। उदारहरण स्वरूप स्टोन और वीक (2001), 1990 के दशक के वित्तीय संकट का विश्लेषण उन्हें दो चरणों में बांटकर करते हैं : संकट के पहले और संकट के बाद की साम्य अवस्था। पहले चरण में, कमजोर कंपनी अभिशासन, त्वरित पूँजी अंतर्प्रवाह और कई मामलों में अर्थव्यवस्था के अतिआवेग (ओवरहीटिंग) से कंपनी तुलनपत्र पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था वित्तीय आघातों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। एक ऐसा आघात, कि जब यह घटित होता है तो संकट अचानक फुट पड़ता है, अथवा स्थिति एक नए संकुचित साम्यावस्था में बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अं.मु.को. 2003) में 47 देशों और दस वर्ष के वार्षिक आंकड़ों पर आधारित बहुत से देशों के अनुसंधान से पता चलता है कि यह स्थिति को पीछे की ओर ले जाता है, किंतु एनपीएल पर लीवरेज का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अंक आकलन दर्शाते हैं कि कंपनी लीवरेज में 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि बैंकों के अनर्जक ऋण को 1.6 प्रतिशत अंक बढ़ा देती है, जो औसतन उसे एक वर्ष पीछे (लैग) ले जाता है। अनुभवजन्य परिणाम यह दर्शाते हैं कि कंपनी लीवरेज और तीव्र बैंक उधार दोनों ही संकट की संभावना के प्रबल संकेतक हैं। इकोनॉमेट्रिक अनुसंधान बताते हैं कि वित्तीय संकट का नकारात्मक प्रभाव विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरते हुए कंपनी क्षेत्र पर अत्यधिक अविरोधी रूप से पड़ता है।

संदर्भ :

डेविस, इ.पी.एंड एम.आर. स्टोन (2004), 'कंपनी वित्तीय संरचना और वित्तीय स्थिरता', जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अंक 1, 65-91

स्टोन एम आर (2000), 'डि कार्पोरेट सेक्टर डायनामिक्स आफ सिस्टमिक फाइनेंशियल क्राइसिस' आइएमएफ वर्किंग पेपर सं. 114, वाशिंगटन डीसी.

स्टोन, एम.आर.एंड एम. वीक्स (2001), 'प्रणालीगत वित्तीय संकट, तुलन पत्र और मॉडल अनिश्चितता', अंमुको वर्किंग पेपर सं.162, वाशिंगटन डीसी।

सारणी VI.14 : पारस्परिक निधियों द्वारा संग्रहीत निधि - योजनाओं के प्रकार वार



(करोड़ रुपए)

योजना	2003-04		2004-05	
	सकल संग्रहण	निवल संग्रहण @	सकल संग्रहण	निवल संग्रहण @
1	2	3	4	5
क. आय/ऋण उन्मुख योजनाएं	5,60,972	39,603	7,98,674	-5,244
ख. वृद्धि / इक्विटी उन्मुख योजनाएं	26,695	7,219	37,280	7,100
ग. संतुलित योजनाएं	2,523	-13	3,755	345
घ. म्युचुअल फण्डों की निधि योजना	1,189	777	1,827	59
जोड़	5,91,379	47,586	8,41,536	2,260



@ : विमोचन का निवल

(कार्पोरेट्स) को लीवरेज उचित सीमा के भीतर रखने में सहायता मिलेगी।

6.112 सरकारी प्रतिभूतियों पर आय के सामान्यतय कठोर होते जाने और अन्य ब्याज दरों में स्थिरता आने से 5 वर्षीय तिहरे-ए रेटिंग वाले कंपनी बाण्डों पर होने वाली आय के साथ-साथ निधीयन की लागत बढ़ने लगी है जो वर्ष के प्रारंभ में 5.61 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 7.14 प्रतिशत हो गई और यहां तक कि अगस्त 2005 के अंत तक 7.17 प्रतिशत हो गई। तथापि, 5-वर्षीय तिहरे-ए रेटिंग वाले कंपनी बाण्डों और 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के बीच आय-स्प्रेड कम हुआ है (चार्ट VI.10)। यही स्थिति कमोबेश 10-वर्षीय तिहरे-ए रेटिंगवाले कंपनी बाण्डों में भी पाई गई है (चार्ट VI.11)। यह अनिश्चितताओं में कमी और प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के स्थिर दृष्टिकोण का परिचायक है जो वित्तीय स्थिरता के परिदृश्य से महत्वपूर्ण है।



6.113 स्टॉक एक्सचेंज में सूचकांक के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के साथ द्वितीय बाजार की स्थिति 2004-05 और 2005-06 की पहली छमाही के दौरान अत्यधिक तेज रही। द्वितीय बाजार में रैली पूरी तरह व्याप्त थी जिसने सभी क्षेत्रों को मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों को भी अपने घरे में ले लिया था। बढ़ती हुई ब्याज दरों का प्रभाव इक्विटी मूल्यांकन पर नहीं पड़ सका क्योंकि निवेशकों का ध्यान कंपनी आय में बढ़ोतरी की संभावना और प्रत्याशित वृद्धि पर था। हाल में देशी शेयर बाजार में मुख्य रूप से उच्चतर दरों पर लाभ होने, के कारण कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के अंतर्वाहों में कमी प्रमुख औद्योगिक बाजारों में गिरावट की प्रवृत्तियों और कुछ कंपनियों द्वारा दूसरी तिमाही के प्रत्याशा से न्यूनतर गिरावट परिणामों जिससे बाजार संवेदना धूंधली रही, के कारण रही (चार्ट VI.12)।



6.114 किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप इन वर्षों में शेयर बाजार में चलनिधि में सुधार आया है जैसा कि व्यापारित मूल्य और टर्न ओवर अनुपात से परिलक्षित होता है (सारणी VI.15)।

6.115 भारतीय शेयर बाजारों में हाल के वर्षों में उछाल में कमी आई है (चार्ट VI.13)। यद्यपि, वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 की पहली छमाही के दौरान शेयर बाजार के उछाल में तेजी आई थी, किंतु यह तेजी मई 2004 मध्य में शेयर की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण थी। आनेवाले कुछ वर्षों में यदि शेयर बाजार के उछाल में नियमित गिरावट बनी रही तो यह इस बात का संकेत होगी कि निवेशक भविष्य में शेयर कीमतों की अनिश्चितता के प्रति अधिक चिंतित नहीं होंगे और यह बाजार की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

6.116 वित्तीय बाजार के विभिन्न खण्डों में बढ़ते एकीकरण को देखते हुए रिजर्व बैंक इक्विटी बाजार की गतिविधियों पर निगाह रखे हुए है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलने की संभावना से

अन्य वित्तीय बाजारों को बचाया जा सके। तदनुसार, 17 मई 2004 को शेयर बाजार में उछाल में आने पर रिजर्व बैंक ने प्रमुख निपटान बैंकों और संबंधित शेयर बाजारों पर नजदीकी निगरानी रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शेयर बाजारों में भुगतान दायित्व पूरे किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध करवाने की सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की थी ताकि वे अपने भुगतान दायित्वों तथा दिन भर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें जिससे भुगतान प्रणाली सहज रूप से कार्य करती रहे। इस संबंध में स्पष्टीकरण देने और चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए कार्यपालक निदेशक, वित्तीय बाजार समिति अधीन एक कार्यदल का गठन किया गया था। वित्तीय बाजार समिति ने यह निर्णय लिया है कि जैसे ही शेयर बाजार में कोई सर्किट ब्रेकर हो वैसे ही रिजर्व बैंक में एक ट्रिगर होना चाहिए जो बाजार के विभिन्न खण्डों की निगरानी कर सके और पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करे।

सारणी VI.15: शेयर बाजार चलनिधि के संकेतक

वर्ष	व्यापारित मूल्य अनुपात	टर्नओवर अनुपात
1	2	3
1995-96	19.14	39.7
2000-01	13.83	50.6 #
2004-05	53.68	98.1 #

#: बाजार पूंजीकरण की गणना यह मानते हुए की गई है कि पूरे भारत के बाजार पूंजीकरण में बीएसई का हिस्सा 95 प्रतिशत है।
टिप्पणी : अनुपातों की गणना अखिल भारतीय टर्न ओवर के आधार पर की गई है।
व्यापारित मूल्य अनुपात: जीडीपी की तुलना में टर्नओवर का अनुपात
टर्नओवर अनुपात : बाजार पूंजीकरण की तुलना में टर्न ओवर अनुपात

5. भुगतान और निपटान प्रणाली

6.117 वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व के लिए सुरक्षित और कुशल भुगतान एवं निपटान प्रणाली होना पहली प्रमुख शर्त है। अतः वित्तीय स्थिरता के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि भुगतान और निपटान प्रणाली किस प्रकार से कार्य कर रही है। विशेष रूप से बड़े-मूल्य वाले भुगतानों के क्षेत्र में ध्यान दिया जाना जरूरी है जिनमें प्रणालीगत जोखिम निहित होता है। यह बड़े मूल्य भुगतान प्रणाली ही है जो दावों के इंटर-लॉकिंग माध्यम से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को जोड़ती है। बड़े-मूल्य वाली प्रणाली में किसी भी

बॉक्स VI.8 : प्रणालीगत जोखिम के स्रोत

प्रणालीगत जोखिम का मुद्दा वित्तीय स्थिरता की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। प्रणालीगत जोखिम वह जोखिम है जो कई संस्थाओं और बाजारों के एक साथ प्रभावित करता है। प्रणालीगत जोखिम में दो घटक शामिल होते हैं: आघात (शॉक्स) और प्रचार यंत्रणा सामान्य कारोबार चक्र में उतार-चढ़ाव जैसे प्रणालीगत आघातों का वित्तीय प्रणाली पर व्यापक और उल्लेखनीय असर हो सकता है। इस प्रक्रिया का अन्य मुख्य पहलू है प्रचार यंत्रणा जिसमें संपदा और वित्तीय क्षेत्रों के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया शामिल है। उदाहरण के लिए, कोई चक्रीय अधोगामी घुमाव बैंकों द्वारा दिए गए कई ऋणों को न केवल अनर्जक बनाकर कंपनी फर्मों द्वारा असफलताओं का प्रवाह ला सकता है बल्कि बैंकों को अपनी उधार देने की क्षमता में कटौती करने के लिए अभिप्रेरित भी कर सकता है।

प्रणालीगत जोखिम संस्थाओं, बाजारों और भुगतान प्रणाली पर अतिक्रमण कर सकता है। बैंकिंग में बहुत ही सामान्य तरह का प्रणालीगत जोखिम तब होता है जब उनकी अति उच्च उत्तोलनता (लीवरेज) के कारण बैंकों में खाता धारकों द्वारा बड़ी मात्रा में राशि निकालने की होड़ सी लग जाती है। ऐसे अवसरों पर ऐसी होड़ क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाती है जिससे भगदड़ की स्थिति बन जाती है। बैंकिंग बाजारों में ऐसे संक्रमण के फेलने के दो अलग माध्यम हैं: वास्तविकता का माध्यम और सूचना का माध्यम। पहला आंतर-बैंक बाजार और / या भुगतान प्रणाली में वास्तविक जानकारी के जरिए 'प्रभुत्व प्रभाव' (डॉमिनो इफेक्ट्स) की संभाव्यता से संबंधित होता है। सूचना का माध्यम, दूसरी तरफ, संक्रामक आहरणों से संबंधित होता है जब जमाकर्ताओं को आघात प्रभावित बैंकों के बारे में गलत सूचना दी जाती है।

प्रणालीगत जोखिम का दूसरा स्रोत वित्तीय और घरेलू वस्तु बाजारों के जरिए उत्पन्न होता है। जिन दो बाजारों में जोखिम का गंभीर असर पड़ सकता है वे हैं विदेशी मुद्रा और इक्विटी बाजार। इनके अलावा, स्थावर संपदा बाजार में अस्थिरता वित्तीय प्रणाली में संकट लाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह बात ईस्ट एशियन संकट से प्रमाणित हो जाती है। आस्ति के मूल्य में अचानक और तीव्र गिरावट चूक का कारण हो सकती है। इसका उपभोक्ता और कारोबार की विश्वसनीयता पर, और इस प्रकार, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्याओं के साथ-साथ सकल मांग पर भी गंभीर असर पड़ता है।

विदेशी मुद्रा बाजार में प्रणालीगत जोखिम विशिष्ट रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, जिसे सामान्य तौर पर मुद्रा संकट के रूप में परिभाषित किया गया है, उस समय उत्पन्न होता है जब बाजार के सहभागी मुद्रा के वर्तमान विनिमय दर में विश्वास खो देते हैं और उस मुद्रा में दशाया गया अपना खुलाव

(एक्सपोजर) कम कर देते हैं। दूसरे प्रकार की विनिमय बाजार अस्थिरता, अस्थिर विनिमय दर की स्थिति में, तब उत्पन्न होती है जब बाजार विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का विस्तार उस दर से अधिक हो जाता है जिसे नीचे दिए मूल सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इक्विटी बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को प्रायः अटकलबाजी की अधिकता के रूप में देखा जाता है।

अस्थिरता का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत पण्य वस्तुओं के उतार-चढ़ाव में निहित होता है। उसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण 1970 के दशक में तेल की कीमतों का दो बार बढ़ाया जाना है। अभी हाल ही में, वैश्विक मांग में लगातार वृद्धि और नए आपूर्ति स्रोतों के दोहन में हुए विलंब ने तेल की कीमतों को अधिक और वृद्धिशील स्तर पर रखा हुआ है। उसके अलावा, सट्टेबाजी की स्थितियां जो प्रायः अल्प आपूर्ति आघातों को गैर-अनुपातिक रूप से व्यक्त करती हैं, ने तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति पैदा की। तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि से यह आशंका बनी हुई है कि कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल अमरीकी डॉलर 5 की स्थायी वृद्धि से यह अनुमान लगाया गया है कि प्रमुख विकासशील देशों में मुद्रास्फीति में 60.70 आधार बिन्दुओं की वृद्धि होगी (आई एम एफ - 2004)।

प्रणालीगत जोखिम का तीसरा स्रोत पूंजी का सोपानीकरण है जो बैंकिंग प्रणाली में बैंकों के बीच आंतरिक अनुबंधनों के कारण उत्पन्न होता है। विभिन्न सहभागियों के अंतरबद्ध दावों को छोड़कर भुगतान नेटवर्क संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में सामान्यीकृत आघात के प्रेषण का अति संभाव्य माध्यम बन गया है। इसके फलस्वरूप, कई देशों के केन्द्रीय बैंकों ने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनिमयन में बहुत रुचि ली है। प्रणालीगत जोखिम के लिए सुभेद्यता को देखते हुए रखने के लिए कई देशों ने वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। उसी समय, व्युत्पन्नियां लिखतों के प्रयोग के जरिए बैंकों के तुलन-पत्रेतर कार्यकलापों में हुए क्रमिक विकास से यह स्पष्ट होता है कि निपटान प्रणाली में ऋण सीमाओं में वास्तविक आर्थिक गतिविधियों की तुलना में तेज गति से वृद्धि हुई है। ये ऋण सीमाएं, जो प्रायः किसी बैंक की पूंजी के गुणजों में होती हैं, प्रणालीगत जोखिम निहित होने के कारण खोज का महत्वपूर्ण विषय बन गई हैं।

संदर्भ :

डे बेंट, ओ एण्ड पी. हर्टमन (2000), सिस्टमिक रिस्क : ए सर्वे, इसीबी वर्किंग पेपर नं.35, फ्रेंकफर्ट।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल 2004

प्रकार की गड़बड़ी, गंभीर प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकती है और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है (बॉक्स VI.8)।

6.118 भुगतान और निपटान प्रणाली से जुड़े जोखिमों को कम करने का रिजर्व बैंक प्रयास कर रहा है। हाल ही के वर्षों में, भुगतान और निपटान प्रणाली को सुधारने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं (अध्याय 2 भी देखें)। शुरूआत के एक भाग के रूप में भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड (बीपीएसएस) गठित किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड से यह अपेक्षा की गई है कि वह सभी प्रकार की भुगतान और निपटान प्रणालियों, खास तौर पर प्रणाली बद्धता की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रणालियों की बारीकी से निगरानी करने के लिए आवेग प्रदान करे जो सारी वित्तीय प्रणाली के लिए शीघ्र चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। इस प्रक्रिया के अनुवर्तन के रूप में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग नामक एक

नया विभाग गठित किया गया है जो भुगतान और निपटान प्रणाली की सुचारू कार्यपद्धति पर ध्यान केन्द्रित करेगा तथा भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को सचिवालय सहयिता प्रदान करेगा।

6.119 वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में होने वाला प्रमुख विकास था बड़े मूल्यवाली निधियों की अंतरण प्रणाली में आर टी जी एस की शुरूआत। चूंकि प्रत्येक अंतर बैंक निधियों के अंतरण का अंतिम निपटान कार्रवाई करने वाले दिन के दौरान वास्तविक समय के आधार पर किया जाता है, इसलिए वित्तीय प्रणाली में जोखिम के प्रमुख स्रोत को काफी हद तक कम कर दिया जाता है। आर टी जी एस लेनदेनों में मात्रा और मूल्य दोनों के हिसाब से, उसके परिचालन के अल्प समय में ही बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है (सारणी VI.16)। आर टी जी एस प्रणाली में निपटाए जा रहे लेन देनों का मूल्य उन चेकों की कुल राशि से अधिक है जिन्हें पहले विभिन्न केन्द्रों

सारणी VI:16 : पेपर आधारित बनाम आरटीजीएस लेनदेन

(राशि करोड़ रुपए में)

को समाप्त तिमाही	लिखत आधारित आंतर बैंक लेन-देन		आरटीजीएस आंतर बैंक लेन देन		आरटीजीएस ग्राहक लेन देन		कुल आरटीजीएस लेन देन	
	मात्रा	मूल्य (रु.करोड़)	मात्रा	मूल्य (रु.करोड़)	मात्रा	मूल्य (रु.करोड़)	मात्रा	मूल्य (रु.करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जून 2004	2,61,796	4,74,268	23,996	2,05,806	955	3,370	24,951	2,09,175
सितंबर 2004	2,14,921	2,41,786	86,744	7,13,990	6,258	29,148	93,002	7,43,138
दिसंबर 2004	1,69,298	1,83,600	1,30,223	13,46,674	20,455	67,334	1,50,678	14,14,008
मार्च 2005	1,63,397	1,50,482	1,50,968	15,50,051	40,824	1,49,811	1,91,792	16,99,862
जून 2005	#	#	2,04,290	18,39,311	67,504	2,06,796	2,71,794	20,46,107
सितंबर 2005*	-	-	2,54,498	21,18,816	1,29,678	5,46,397	3,84,176	26,65,213

: इस बीच बंद किया गया

* : 30 जून 2005 तक सभी केन्द्रों पर लिखत आधारित

पर आयोजित प्रत्येक आंतर बैंक समाशोधनों के जरिए निपटाया जा रहा था।

6.120 प्रणालीगत जोखिम निहित होने के अलावा, आरटीजीएस ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को कई अन्य तरीकों से लाभान्वित किया है जैसे कि (i) लिखत आधारित आंतर-बैंक समाशोधन के मामले में एक दिन के विलंब की तुलना में तात्कालिक निधि अंतरण को सुगम बना कर विस्तारित ग्राहक सेवा प्रदान करना; (ii) भुगतान लेनदेनों जिनमें ग्राहकों के लेन देन भी शामिल हैं, पर सीधे संपूर्ण कार्रवाई करना और (iii) आस्थगित निवल निपटान प्रणाली में निहित भुगतान प्रणाली के जोखिमों को कम करना जैसे कि बड़े मूल्यवाले समाशोधन एवं माइक्रर समाशोधन (बॉक्स VI.9)।

6.121 आरटीजीएस प्रणाली एक संतुलित कारोबार निरंतरता की आयोजना वाली एक सुरक्षित और असफल न होनेवाली सुरक्षा प्रौद्योगिकी मंच पर तैयार की गई प्रणाली है। आर टी जी एस प्रणाली अब तक सुचारू रूप से चल रही है और इसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ है। यहां तक कि मुंबई में 26 और 27 जुलाई 2005 को हुई रेकार्ड तोड़ बारिश और उसके परिणामों के बावजूद आरटीजीएस की केन्द्रीय प्रणाली पूर्णतः अप्रभावित रही थी। आरटीजीएस पूरी तरह से कार्यरत रही और बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा प्रणाली के जरिए एक दूसरे को निधियों का अंतरण आसानी से कर सके थे। अति वृद्धि के कारण जल रिसाव की वजह से जब मेन साइट काम नहीं कर रही थी तब कई बैंकों ने अपने आरटीजीएस इंटरफेस को आपदा वसूली साइटों पर स्थानांतरित कर

बॉक्स VI.9 : आरटीजीएस परिचालन - वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव

आरटीजीएस प्रणाली ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए हैं। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाने के अलावा, इसने बैंकों द्वारा सक्षम नकदी प्रबंधन करके, ग्राहक के खाते में तुरंत अंतरण करके एवं लागत मूल्य को कम करके प्रणाली की सक्षमता को सुधारा है। आरटीजीएस से पहले के समय में, बैंक पेपर आधारित लिखतों को जारी करके अपने आंतर-बैंक दायित्वों को पूरा करते थे जिन्हें 'आंतर बैंक समाशोधन' नाम से पुकारी जानेवाली एक निवल समाशोधन प्रणाली के जरिए निपटा दिया जाता था। आंतर बैंक समाशोधन की सक्षमता पूरी तरह से पेपर लिखतों के सक्षमता पूर्ण परिवहन पर और लिखतों को प्राप्त करने या सुपुर्द करने के लिए काफी संख्या में स्टाफ सदस्यों का इस्तेमाल किए जाने पर निर्भर रहती थी। इसका अलावा, रिजर्व बैंक की बहियों में निवल निपटान की स्थिति को एक या दो घंटों के विलंब से दर्ज किया जाता था। देश के विभिन्न केन्द्रों पर होने वाले आंशिक आंतर बैंक समाशोधन निपटान ने भी बैंकों की सक्षम नकदी प्रबंधन प्रणाली में हस्तक्षेप किया और केन्द्रीकृत लेखा में निधियों के जमाव का अतिरिक्त बोझ लाद दिया। आरटीजीएस प्रणाली रिजर्व बैंक की बहियों में वास्तविक समय के आधार पर निपटान की अंतिमता सुनिश्चित करके प्रेषक बैंक के साथ-साथ प्राप्तकर्ता बैंक में भी यह आत्मविश्वास जगाती है कि भुगतान संबंधी लेन देन पूर्ण हो गया है और प्राप्त कर्ता बैंक इस प्रकार से प्राप्त राशि का तुरंत उपयोग कर सकता है। आरटीजीएस ने सभी लेनदेनों को मुंबई में निपटाने का एक मंच प्रदान करके स्थिति को भी बदल दिया है। आंतर बैंक लेनदेनों के निपटान के लिए नियत खिड़की का कार्य समय जो पहले 'बैंकिंग समय के

अंदर' हुआ करता था, को बढ़ाकर आरटीजीएस के कार्य समय के अनुसार साप्ताहिक दिनों पर पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक और शनिवार को पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 2.30 बजे तक कर दिया गया है।

आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग ग्राहकों के लेनदेन के लिए भी किया जाता है। ऐसे लेनदेनों पर अब तक कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो, छोटे मूल्य वाले समय की दृष्टि से गंभीर परिचालनों को भी आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जा सकता है। आरटीजीएस के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राप्तकर्ता बैंकों के लिए जितना संभव हो सके उतनी जल्दी ग्राहक के खाते में राशि जमा करने के लिए आवेदन करना या कुछ कारणवश यदि जमा के लिए आवेदन न किया जा सकता हो तो, दो घंटों के अंदर लेन देन को लौटाना जरूरी है। इस प्रकार, बैंकों के लिए लाभार्थी के खाते में दो घंटों के अंदर राशि जमा करना आवश्यक है। आरटीजीएस की सुविधाओं का उपयोग करके कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए भुगतान उत्पादन विकसित किए हैं। इंटरनेट सुविधा संपन्न बैंकों के जो ग्राहक आरटीजीएस कार्य समय के अंदर इंटरनेट के जरिए निधियां अंतरित करने का अनुरोध करते हैं वे, यदि प्राप्तकर्ता बैंकों ने अपने यहाँ स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग इंजिन लगा रखा हो तो, कुछ ही मिनटों में लाभार्थी के खाते में राशि जमा कर पा सकते हैं। एक बैंक ने ऐसा भी एक उत्पादन विकसित किया है जिसमें ग्लफ के देशों से स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड के जरिए एक छोर-से दूसरे छोर तक निधियों के भेजने की सुविधा उपलब्ध है, इसके जरिए दो घंटों में ग्राहक के खाते में राशि जमा हो जाती है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

दिया था। बैंक सारे देश में अपने ग्राहकों को बिना बाधा के आरटीजीएस सेवाएं प्रदान कर सके थे। इस प्रकार यह आश्वासन दिया जाता है कि आरटीजीएस कारोबार निरंतरता आयोजना के परीक्षण में खरी उतरी है।

6.122 इसके अलावा, एनडीएस, विदेशी मुद्रा क्लियरिंग एवं भारतीय समाशोधन निगम लि. की सीबीएलओ जिनके मार्फत सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन किया जाता है, सभी पूर्णतः गारंटीत प्रणालियां हैं जिन्होंने ऐसी प्रणालियों में निपटान के जोखिम को कम कर दिया है। आरटीजीएस की बढ़ती हुई निर्भरता पर ध्यान न देते हुए सभी फुटकर भुगतान प्रणालियां, जो भले ही पेपर आधारित हों या इलेक्ट्रॉनिक आधारित हो, आस्थगित निवल निपटान (डीएनएस) के आधार पर निपटाई जा रही हैं। निपटान जोखिम को कम करने और फुटकर डीएनएस में वृद्धिगत सक्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लियरिंग में लिखत प्रस्तुत करने या लौटाने से संबंधित निपटान के बारे में 'उसी दिन' लेखाकरण करने के लिए उपाय किए हैं। इसे देश के अधिकांश समाशोधन गृहों में कार्यान्वित किया गया है। डीएनएस निपटान में जमा, नकदी और परिचालनगत जोखिम शामिल हैं जो निपटान के

विफल होने का कारण हो सकते हैं। फुटकर भुगतान प्रणालियों के लिए एक उचित जोखिम न्यूनीकरण यंत्रणा स्थापित करने एवं ऐसी यंत्रणा की परिचालनगत उलझनों की जांच करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंकों से प्रतिनिधियों को लेकर एक कार्यकारी दल गठित किया है। दल ने बड़े मूल्यवाली समाशोधन प्रणालियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए फुटकर प्रणालियों में बड़े मूल्य के समाशोधन की प्रणालियों के लिए एक गारंटी फंड स्थापित करने की आवश्यकता की सिफारिश की है।

6.123 भारत में, जो भारी मात्रा में नकदी लेनदेनों पर निर्भर रहता है, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों ओर सिक्कों की छपाई और ढलाई लागत, उनकी परिवहन और भंडारण लागत जैसी न्यूनीकृत विविध लागतों के हिसाब से ई-मुद्रा का उपयोग फायदेमंद होगा। तथापि, देश भर में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को परिचालित करने के लिए नेटवर्क सुविधा स्थापित करने में भारी खर्च आएगा। दूसरी तरफ ई-फाइनेंस के उपयोग में भी वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से कई चुनौतियां हैं (बॉक्स VI.10)।

बॉक्स VI.10 : ई-फाइनेंस - चुनौतियां

हाल ही के वर्षों में संप्रेषण प्रौद्योगिकी में हुई तीव्र प्रगति के कारण इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (जिसे सामूहिक रूप से ई-फाइनेंस के रूप में जाना जाता है) के जरिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कई नवोन्मेषी अविष्कार हुए हैं।

सारणी : ई-फाइनेंस : चुनिंदा संकेतक

वर्ष	निवासियों के प्रतिशत के रूप में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले	प्रति 1000 निवासियों की तुलना में मोबाइल फोन	ऑन-लाइन बैंकिंग का प्रयोग करने वाले बैंक ग्राहक
	2000	2000	1999
1	2	3	4
विकसित देश			
ऑस्ट्रेलिया	34	45	4
जर्मनी	29	59	12
इटली	23	74	उ.न.
यूके	30	73	6
यूएस	35	40	6
उभरते हुए बाजार			
ब्राजील	3	14	4
मलेशिया	16	21	1 तक
दक्षिण अफ्रीका	5	19	उ.न.
दक्षिण कोरिया	40	57	उ.न.
इंडोनेशिया	1	2	उ.न.
भारत	1 तक	1 तक	उ.न.
थाइलैंड	4	5	उ.न.

उ.न. : उपलब्ध नहीं

विकासशील अर्थव्यवस्था में, उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तुलना में ई-फाइनेंस का उपयोग कम हुआ है (सारणी)। तथापि, कुछ मामलों में, विकासशील देशों को एक फायदा है। वे प्रगत अर्थव्यवस्था के अनुभवों से सबक ले सकते हैं। उनके लिए अति प्रगत प्रौद्योगिकी में सीधे छलांग लगाना भी संभव हो सकता है।

ई-फाइनेंस के विकास से कई महत्वपूर्ण चुनौतियां उभरती हैं। पहली, सुरक्षा के उपाय वे महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रायः कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ई-बैंकिंग का उपयोग करने के प्रति हतोत्साहित करते हैं। पर्यवेक्षकों को इस बात से आश्चस्त होने की जरूरत होगी कि बैंकों ने अपनी परिचालन प्रणालियों, बैंक-अप सुविधाओं, अग्निरोधकों और आपतकालीन क्रिया-विधि की दोषपूर्णता का पर्याप्त मूल्यांकन कर लिया है। इंटरनेट-सम्बद्ध गतिविधि की जटिलता बाहरी स्रोतों से काम करवाने (आउटसोर्सिंग) की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है जिससे प्रायः संकेन्द्रित जोखिम की समस्याएं तब उत्पन्न हो जाती हैं जब कई बैंक एक ही सेवा दाता पर निर्भर हो जाते हैं। वित्तीय सेवा दाताओं और उनका पर्यवेक्षण करने वाले दोनों के लिए दूसरी चुनौती पूरी तरह की अनिश्चितता है। कौन सी प्रौद्योगिकी बेहतर काम करेगी और ग्राहकों और प्रतिस्पर्धकों का कितना प्रतिसाद मिलेगा, इस बात का अंदाज लगाना बहुत ही कठिन है। लाभप्रदता बनाए रखने के अपने प्रयास में बैंक शायद निम्न स्तर की ई-बैंकिंग (जिसमें नई प्रौद्योगिकी पर कम या अधिक खर्च शामिल हो सकता है) अपना सकते हैं जो प्रतिफल की प्राप्ति में जोखिमभरे कारोबार में पदार्पण करने के लिए उकसाएगी।

संदर्भ :

टर्नर, पी. (2001), 'ई-फाइनेंस एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी', इन आर.लिटान, पी. मेसन एंड एम. पोमरलीनो (इडीएस.) ओपेन डोर्स : फॉरिन पार्टीसिपेशन इन फिनेंशियल सिस्टम्स इन डेवलापिंग कंट्रीज, ब्रुकिंग्स।

क्लेसेंस, एस., टी. ग्लेसनर एंड डी. क्लिंजबिल (2001), ई-फाइनेंस इन इमर्जिंग मार्केट्स : इज लिप फ्रॉगिंग पॉसिबल, विश्व बैंक चर्चा पेपर्स सं.4, जून।

6. समग्र मूल्यांकन

6.124 वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय बाजारों और वित्तीय लिखतों के विकास के लिए अपनाये गये बहु शाखा दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भारत में सुव्यवस्थित कार्यपद्धतिवाली वित्तीय प्रणाली आई है। बैंकों के तुलन काफी सुदृढ़ हुए हैं, वित्तीय बाजार गहन और व्यापक हुए हैं और आरटीजीएस लागू करने से भुगतान प्रणाली भी मजबूत हुई है।

6.125 बैंकिंग क्षेत्र जो कि प्रणालीबद्धता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ने लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजीगत स्थिति जैसे अपने वित्तीय और मजबूत संकेतकों के सुधार में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही के वर्षों में आस्ति पर 1 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार हुआ है जिसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर से की जा सकती है। भारत में ऋण वर्गीकरण संबंधी मानदंड अब अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के समकक्ष हैं। सकल और निवल एनपीएल का अंतर क्रमिक रूप से कम हुआ है जिससे बैंकिंग क्षेत्र का सुधारित वसूली प्रबंधन परिलक्षित होता है। बैंकिंग क्षेत्र के सीआरएआर में लगातार सुधार हो रहा है जो अब उल्लेखनीय रूप से 8.0 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय मानक से अधिक है। कुछ सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कमजोर स्वास्थ्य पर विचार न करते हुए समग्र वित्तीय प्रणाली उत्थानशील बन गई है।

6.126 बैंक जिन जोखिमों से रूबरू होते हैं उनमें कुछ अल्पावधि से लेकर मध्यावधि जोखिम होते हैं। बैंक जिन जोखिमों का सामना करते हैं वे हैं ऋण जोखिम और बाजार जोखिम। ऋण और अग्रिम चूंकि बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्तियों का बड़ा भाग होते हैं, इसलिए बैंकों के लिए ऋण जोखिम, जोखिम का प्राथमिक स्रोत होता है। भारत में, हाल ही के वर्षों में, ऋण जोखिम के वातावरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जैसा कि बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए में आई तीव्र कमी से प्रदर्शित होता है।

6.127 यह अपेक्षा की जाती है कि निकट समय में ऋण जोखिम वातावरण अनुकूल बना रहेगा। अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांत कड़े बने रहेंगे। वर्ष 2005-06 के दौरान अर्थव्यवस्था के -7-7.5 प्रतिशत की भारी दर से बढ़ने की अपेक्षा है। विशेष रूप से, औद्योगिक क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और निकट भविष्य में भी उससे इस गति को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद मुद्रास्फीति की दर कम बनी रही। भारत का बाह्य क्षेत्र प्रमुख शक्ति का स्रोत रहा है। कंपनियों के लिए वित्तपोषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसके चलते पूंजी बाजार में उल्लासपूर्ण स्थिति परिलक्षित हुई। कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से स्पर्धात्मक दरों पर संसाधन जुटाने में कामयाब रहीं। कंपनी क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। कंपनी

क्षेत्र इक्विटी जारी करके और निधियों का आंतरिक उत्पादन करके अपने तुलन पत्रों को डिलीवरेजिंग करते रहे हैं। इससे बकाया ऋणों और ऋणों की चुकौती के बोझ में कमी आई है। कंपनी क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों से और लाभ उठाए और अपने लीवरेज को कम करे।

6.128 यद्यपि पिछली डेढ़ वर्ष की अवधि में ऋण में तीव्र वृद्धि हुई है, तथापि, बैंक के ऋण संविभाग के स्थूल आधार ने संकेत द्रण जोखिम को कम कर दिया है। बैंकों के संविभाग में फुटकर और बंधक ऋणों के बढ़ते अंश का बैंक बहियों में ऋण जोखिम पर सकारात्मक असर हो सकता है। छोटे होने के कारण इन ऋणों में अकेले उधारकर्ता के लिए बड़ा जोखिम शामिल नहीं होता है। इसके अलावा, बंधक ऋणों के मामले में, संपाश्विक आवास का वास्तविक विक्रय मूल्य तय करना आसान होता है जबकि कंपनी ऋणों के मामले में वाणिज्यिक संपत्ति के बारे में ऐसा करना आसान नहीं होता। फलस्वरूप, फुटकर ऋण के साथ जुड़ा औसत जोखिम कम होता है। समग्रतः, बैंक अब विगत दिनों की तुलना में काफी बेहतर ऋण जोखिम वातावरण में कार्य कर रहे हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि निकट भविष्य में भी ऋण जोखिम वातावरण हितकारी बना रहेगा। तथापि, बाजार जोखिम में तीव्र बिगाड़ हो जाने के कारण ऋण जोखिम विपरित स्थिति में परिवर्तित हो सकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है।

6.129 ब्याज दर और विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण बैंक बाजार जोखिम के प्रति एक्सपोज हो जाते हैं। बैंक, ब्याज दर जोखिम के प्रति व्यापार और निवेश की स्थितियों के जरिए प्रत्यक्ष रूप से और किसी अप्रत्याशित ब्याज दर में वृद्धि के कारण ऋण जोखिम पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से एक्सपोज होते हैं। बाजार जोखिम के प्रति बैंकों के संपूर्ण एक्सपोजर में जैसा कि उनके वृद्धिगत निवेश से प्रदर्शित होता है, वृद्धि हुई है जबकि कुल आस्तियों में ऐसे निवेश के अंश में गिरावट आई है। बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे बाजार जोखिम वित्तीय असंतुलन और तेल की उच्च और अस्थिर कीमतों के रूप में दो प्रमुख वैश्विक जोखिमों के कारण बढ़ सकते हैं।

6.130 यू.एस. चालू खाते का घाटा जो अब उसके सकल घरेलू उत्पाद के 6.0 प्रतिशत से अधिक है, के साथ वैश्विक वित्तीय असंतुलनों में वृद्धि बनी हुई है। मुद्रा पुनर्समायोजनों में जोखिम की वजह से विनिमय दरों और ब्याज दरों में परिवर्तनों के जरिए वित्तीय बाजार में उच्च अस्थिरता निर्माण हो सकती है। मुद्राओं का आकस्मिक और तीव्र पुनर्समायोजन और उनके परिणामस्वरूप ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने से विनिमय दरों और आस्ति मूल्यों एवं बैंकों के तुलन पत्रों के लिए आनुषंगिक उलझनों सहित पूंजी प्रवाह के प्रत्यावर्तन के लिए अर्थव्यवस्था के जोखिम में वृद्धि हो जाती है।

6.131 ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि की स्थिति में, बैंकों को अपने निवेश संविभाग में बाजार भाव पर दर्शाने के कारण काफी हानियां हो सकती हैं। बैंकों को आस्ति बाजार में अपने एक्सपोजर के कारण वृद्धिगत जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। बैंक आस्ति बाजार में निवेश के लिए ऋण देते रहे हैं। यह भी एक जोखिम है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी, सामान्यतः, आवास के मूल्यों को प्रभावित कर सकती है और घरेलू वस्तुओं के तुलन पत्रों को ब्याज दर जोखिम के प्रति एक्सपोजर कर सकते हैं। यदि कोई चूक हों तो, यह ऋण हानियों में वृद्धि के जरिए बैंकों के तुलन पत्रों को प्रभावित करेगी। उसी तरह, इक्विटी बाजार में भी उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दिखाई देती है। पूंजी प्रवाह का प्रत्यावर्तन इक्विटी बाजार को प्रभावित कर सकता है और इससे इक्विटी बाजार में निवेश करने के लिए दिए गए कुछ अग्रिम अनर्जक हो सकते हैं। कुछ बैंकों का इक्विटी बाजार से सीधे एक्सपोजर भी होता है। यद्यपि, आस्ति मूल्यों में गिरावट से ऋण हानियां और पूंजी हानियां हो सकती हैं, फिर भी, आस्ति बाजारों में उनके सीमित एक्सपोजरों के कारण तुलन पत्रों पर उनका कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

6.132 अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें उच्च और अस्थिर बनी हुई हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित

कर सकती है क्योंकि भारत तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। यद्यपि, उसका असर अब तक सौम्य रहा है, फिर भी, वह कीमतों में तीव्र वृद्धि मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं और ब्याज दरों को उसके आनुषंगिक परिणामों के साथ प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, तेल की अत्यधिक खपत वाले उद्योग जिन्हें तेल की उच्च कीमतों का सामना करना पड़ता है, बैंकों के लिए ऋण हानियां उत्पन्न कर सकते हैं।

6.133 यद्यपि, वैश्विक वित्तीय एवं पण्य बाजारों में विघटनों का कुछ प्रभाव हो सकता है, तथापि, कंपनी क्षेत्र और बैंकों के तुलन पत्रों के लिए मुख्य जोखिम उनके घरेलू परिचालनों से उत्पन्न होता है। इस संबंध में नीयर-टर्म दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहता है। कारोबार का आत्मविश्वास उच्च है जो यह बताता है कि कंपनियां नीयर-टर्म के भविष्य के प्रति आशावादी हैं। बैंकिंग स्टॉक के शेयर मूल्यों में वृद्धि भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत हैं। चालू वर्ष में विकास के मजबूत आसारों, कंपनी क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार एवं अन्य संकेतक यह बताते हैं कि ऋण जोखिम वातावरण अनुकूल बना रहेगा। बाजार जोखिम के बारे में कतिपय अनिश्चितताओं के बावजूद, वृद्धिगत लोच के कारण बैंकिंग प्रणाली आनेवाली स्थिति का सामना करने में समर्थ होगी।

संभावनाएं

7.1 भूमंडलीकरण, अविनियमन तकनीकी उन्नयन तथा संस्थागत और विधिक सुधारों के चलते भारतीय वित्त व्यवस्था ढांचागत परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उदारकृत परिवेश ने जहां वित्तीय संस्थाओं के लिए व्यवसाय के नये रास्ते खोल दिए हैं वहीं इसके कारण प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में टिके रहने के लिए वित्तीय संस्थाएं विविध गैर-पारंपरिक कार्यकलापों में प्रवेश करती आ रही हैं, मूल्य निर्धारण संबंधी रणनीति में बदलाव लाती रही हैं तथा गैर निधि आधारित आय के स्रोत ढूँढ़ती आ रही हैं। इनके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में जटिलता बढ़ रही है। वित्तीय संस्थाओं का जोखिम और बढ़ गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय संस्थाएं मजबूत लाइन पर आगे बढ़ें, एक सुदृढ़ और समुचित विनियामक ढांचा तैयार किया गया है। वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण के मानदंड समुचित रूप से अंगीकार की जानेवाली अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुसार बनाए जा रहे हैं। उत्तम संचालन, बेहतर बाजार अनुशासन और बासल II की ओर सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए विनियामक पहल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। बैंकों में कंपनी संचालन ढांचे को भी सुदृढ़ बनाया गया है। साथ ही, रिजर्व बैंक ने ऋण-वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, ग्राहक सेवा बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास किए हैं और बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे जनता के सभी वर्गों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाएं। भारत में बैंकिंग प्रणाली में काफी विस्तार होने के बावजूद देश में जनसंख्या के एक बड़े भाग में बैंकिंग सेवाएं पर्याप्त रूप से नहीं पहुंची हैं जिनमें कुछ बचत करने वाले लोग हैं और कुछ अन्य उधारकर्ता हैं। अतः बैंकिंग सेवाओं में विस्तार इस प्रकार से किया जाना कि वह संभाव्य ग्राहकों को दक्षतापूर्वक सेवा प्रदान कर सके, मुख्य चिंता का विषय बन गया है और जिसने रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित किया है।

ऋण वितरण और मूल्य निर्धारण

7.2 बैंकिंग क्षेत्र की गंभीर समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या यह है कि अर्थव्यवस्था के उत्पाद क्षेत्रों की ऋण आवश्यकता कैसे पूरी की जाए। मुख्य रूप से जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा घरेलू आय में वृद्धि के चलते खुदरा वित्तीय सेवाओं, में लगातार भारी वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से आवास ऋण तथा वैयक्तिक ऋण बढ़ते जोखिम से उत्पन्न त्रुटियों को कम करने के लिए उच्चतम जोखिम-भार, समुचित प्रकटीकरण तथा उचित परिपाटी संहिता के रूप में अनेक विनियामक उपाय किए गए हैं।

7.3 भारी औद्योगिक निष्पादन के चलते कार्पोरेट क्षेत्र के द्वारा ऋण की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके अलावा, दो बड़ी वित्तीय संस्थाओं का बैंक के रूप में बदल जाने से बैंकों के लिए परियोजना वित्त, विशेषतः बुनियादी क्षेत्र में वित्तपोषण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बैंक मुख्यतः ऋण समूहन पर ध्यान दे रहे हैं ताकि परियोजना वित्त तथा थोक ऋण के क्षेत्र में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बैंकों द्वारा बुनियादी क्षेत्र के लिए किए जाने वाले वित्तपोषण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निदेशों में बैंकों को विभिन्न विनियामक रियायतें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को बुनियादी क्षेत्र निवेश हेतु दीर्घावधिक बांड जुटाने की अनुमति दी गई है तथा आस्ति देयता असंतुलन को कम करने के लिए भी कहा गया है। अतः औद्योगिक एवं बुनियादी क्षेत्र की दीर्घावधिक निधि आवश्यकताओं को निरंतर पूरा करने के उद्देश्य से निजी कंपनी ऋण बाजार को विकसित करने का सतत प्रयास सहायक सिद्ध होगा।

7.4 ग्रामीण ऋण एक महत्वपूर्ण विकास अवसर के रूप में उभरा है। अनेक नये क्षेत्र जैसे कृषि-क्लीनिक, संविदागत खेती, और ग्रामीण आवास तेजी से बढ़ रहे हैं और बैंकों के लिए आय के संभाव्य घटक साबित हो रहे हैं। यद्यपि, वर्ष के दौरान ग्रामीण ऋण में उच्च वृद्धि दर्ज की गई, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती नई आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में ऋण वितरण को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उभरते क्षेत्रों में ऋण-प्रवाह तेज करने के लिए, रिजर्व बैंक ने विभिन्न स्रोतों से समय पर ऋण-उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय किये हैं। पहले उपाय के रूप में, ग्रामीण ऋण के दायरे को बढ़ाया गया है जिसमें अब स्टोरेज की सुविधा तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिये जानेवाले ऋण को भी शामिल किया गया है। दूसरे उपाय में, प्रक्रियागत तथा लेनदेन संबंधी अड़चनें दूर करने के प्रयास किए गए हैं, इनमें मार्जिन की राशि को कम करना, बकाया राशियों की अदायगी को फसल चक्र के साथ जोड़ना, ऋण अनुसूची पुनः बनाने संबंधी नयी नीति बनाना तथा गैर संस्थागत ऋणदाताओं से ऋण लेने वाले किसानों के लिए एकबारगी समझौता एवं सहायता संबंधी उपाय शामिल हैं। तीसरे उपाय में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रदान की स्थिति में सुधार हेतु निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतिम उपाय में, बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे किसानों को दिये जानेवाले ऋण का ब्याज प्रत्येक मामले के जोखिम के आधार पर निर्धारित करें, न कि ऋणकर्ता की श्रेणी अथवा ऋण के अंतिम उपयोग के आधार पर।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

साथ ही, वे यह भी सुनिश्चित करें कि लगाया गया ब्याज न्यायसंगत एवं युक्तिसंगत हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे-जैसे उत्पादकता और आय में वृद्धि हो रही है, बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अन्य सेवाओं एवं विनिर्माण गतिविधियों सहित उत्पन्न हो रही गतिविधियों की शृंखला की समस्त आपूर्ति संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन रणनीतियां तैयार करें। बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे इन उभरती जरूरतों के लिए अपनी तकनीकी क्षमताएं विकसित करें।

7.5 कृषि क्षेत्र की बढ़ती आय के चलते प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण की आपूर्ति बढ़ी। कई नये क्षेत्रों को इसकी परिधि में लाने से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संभावनाओं एवं इसके विस्तार में अनेक परिवर्तन हुए हैं।

7.6 यद्यपि कृषि ऋण में वृद्धि हुई परंतु लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण में स्थिरता रही। यह संभावित: इस क्षेत्र में जोखिम का स्तर अधिक रहने की धारणा के कारण अर्थव्यवस्था में भावी स्थिर विकास के लिए सुदृढ़ लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि को वित्तपोषित करना आवश्यक है। इसलिए इस क्षेत्र को ऋण देने को सरल और कारगर बनाने तथा संरचनागत बाधाओं को सुलझाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बहुत से उपाय शुरू किए गए। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण में वृद्धि करने में अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) रूप से उपाय करें। इनमें ये प्रमुख बातें : वित्तपोषण के लिए स्वयं द्वारा लक्ष्य निर्धारित करना, ऋणों की लागत का यौक्तिकरण, औपचारिक ऋण की पहुँच का विस्तार करना, ऋणों की स्वीकृति के लिए व्यापक और ज्यादा उदार नीतियाँ बनाना, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण को व्यवहार में लाना, और बैंकों द्वारा तथा रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए अनुदेश/दिशानिदेशों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना शामिल हैं। रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे मध्यम स्तर के उपक्रमों की अधिकता वाले अभिनिर्धारित समूहों/केंद्रों में विशेषीकृत लघु और मध्यम उद्यम शाखाओं को स्थापित करें। इसके अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए से कम की चिरकालिक अनर्जक आस्तियों वाले लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सरलीकृत, बिना विवेकाधिकार वाले और भेद भाव न करने वाले एक बारगी निपटान का तंत्र बनाया गया है। लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कार्यान्वित करने के लिए ऋण पुनर्संरचना तंत्र भी बनाया गया है। रिजर्व बैंक ने लघु और मध्यम उद्यम के वित्तपोषण और रुग्ण लघु उद्योग और लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास में हुई प्रगति की समीक्षा और इन क्षेत्रों को ऋण के आसान प्रवाह को

सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में एमपॉवरिंग समितियाँ गठित की हैं। लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि हेतु उचित जोखिम प्रबंध अनिवार्य है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. को परिचालन में लाए जाने से ऋण के विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। इससे लेनदेन की लागत कम करने में और लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

7.7 लघु वित्त संस्थाएं अब अनेक ऋणेतर सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं जैसे क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का विपणन तथा लघु बीमा। अतः अब चर्चा का विषय लघु ऋण से आगे जा कर लघु वित्त को शामिल करना है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि लघु वित्त संस्थाओं द्वारा ऋणेतर वित्तीय सेवाओं को कवर करने के लिए एक अधिक स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तैयार करने के साथ-साथ संगठनात्मक रूप के अनुसार एक कानूनी ढाँचा तैयार किया जाए। लघु वित्त प्रक्रिया के साथ विभिन्न परिचालनगत मुद्दों को अनदेखा करने के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र विनियामकों तथा संस्थागत विनियामकों के बीच सहयोगात्मक प्रबंधन की आवश्यकता है। नीतिगत परिवेश को इस प्रकार परिष्कृत किया गया है कि बैंकों द्वारा दिये गये माइक्रो क्रेडिट को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए ऋण के रूप में माना गया है। बैंकों को छूट दी गयी है कि वे इस संबंध में ऋण तथा बचत संबंधी समूचित प्रोडक्ट ला सकते हैं। बिचौलियों अथवा फ्रेंचाइजी एजेंटों की सहायता से लेनदेन संबंधी लागतों को कम किया जा सकता है। इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यमान विधिक तथा संस्थागत सीमाओं के भीतर ऋण प्रदान की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। वर्तमान में रिजर्व बैंक एक ऐसा मंच तैयार करने के लिए कार्यरत है जहाँ इन मुद्दों को सभी जोखिम उठाने वालों के बीच सहभागिता तथा परामर्शपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित रूप से दूर किया जाता है।

7.8 रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण लघु वित्त की औपचारिकता पर जोर देते हुए विकासात्मक पहलुओं पर ध्यान देना रहा है। संगठनों की सरलता और लचीलेपन, उनकी संरचना और कार्यप्रणालियों तथा आम जनता की सहभागिता से देश में व्यष्टि वित्त आंदोलन को काफी फायदा पहुंचा है। अतः व्यष्टि वित्त संस्थाओं से संबंधित कोई भी विनियमन इस आंदोलन की मूल भावना के विपरीत होगा। तथापि, नाबार्ड और बैंकों को चाहिए कि वे इन संस्थाओं के संगठनात्मक ढाँचे की विविधता को ध्यान में रखते हुए व्यष्टि वित्त संस्थाओं के साथ संबंध बनाने में उपयुक्त रूप से घरेलू/स्थानीय स्तर पर उपाय तैयार करें।

7.9 बैंकों द्वारा ऋण के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने के प्रयोजन से बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली आरंभ

की गई हैं। हालांकि, हाल ही के पिछले दिनों में मूल उधार दर से कम दर पर उधार देने की शुरुआत करने से न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों के बीच स्प्रेड काफी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग प्रणाली में न्यूनतम बेंचमार्क मूल उधार दर से कम उधार दर पर उधार देने में काफी वृद्धि हुई है (निर्यात को छोड़कर, अधिकांश उधार न्यूनतम बेंचमार्क मूल उधार दर से कम दर पर) - जो दो लाख रुपए से अधिक के कुल बकाया अग्रियों के 60 प्रतिशत से अधिक तक है। हालांकि पीएलआर से कम दर पर उधार देने से कंपनियां यह राशि स्टाम्प शुल्क, अमूर्तकरण लागत अथवा निर्गम के लिए फीस और अदाकर्ता एजेंटों को अदायगी जैसी किसी अतिरिक्त लागत के बिना बैंकों से प्रतिस्पर्धा दर पर निधियां जुटा सकती हैं, किंतु इससे बीपीएलआर की भूमिका स्वतः खण्डित होती है। कई बैंकों की औसत उधार दर बीपीएलआर से कम है जिससे बैंकों के स्प्रेड पर दबाव भी बढ़ रहा है। साथ ही, यह धारणा भी बढ़ रही है कि बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए ऋण जोखिम संबंधी मूल्यांकन कम होता है जबकि कृषि एवं लघु तथा मझोले उद्यमों को उधार देने में जोखिम संबंधी मूल्यांकन अधिक होता हो। अतः ऋण के मूल्यांकन की क्रियाविधि और प्रक्रिया की समीक्षा करना श्रेयस्कर होगा, संभवतः सम्पूर्ण ऋण चक्र में मध्यस्थता के विभिन्न चरणों की लागतों का सुव्यवस्थित तरीके से खण्डवार विश्लेषण करके, तथा बैंकों में जोखिम निर्धारण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार के माध्यम से किया जाए।

ग्राहक सेवा और वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाना

7.10 वित्तीय सेवाओं के उदारीकरण और स्पर्धा से ग्राहक सेवा में सुधार हुआ है। तथापि, यदा-कदा अनुभव प्रदर्शित करता है कि यह जरूरी नहीं है कि उपभोक्ताओं के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो ही और उनकी शिकायतों पर भी उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। शिकायतें मिलती रही हैं कि खाते में जमाशेष के लिए पूछताछ करने, चेक की प्रस्थिति के सत्यापन, हस्ताक्षर सत्यापन, पते की संपुष्टि, फोटोग्राफ सत्यापन, बचत खातों में न्यूनतम जमाशेष न रखने पर दंडात्मक सेवा प्रभार लगाने, चेक बुक के लिए पुनः मांग करने और लेनदेन, शाखा द्वारा नियत की गई संख्या से अधिक बार नकदी के लेनदेन के लिए प्रभार लगाए जाते हैं। रिजर्व बैंक, आम आदमी को सेवा के बारे में ध्यान केंद्रित करने को सुकर बनाने हेतु बैंकों को समय-समय पर दिशानिदेश जारी करता रहा है। रिजर्व बैंक की पहल से भारतीय बैंक संघ ने 'उत्तम व्यवहार संहिता' तैयार की है जो कि सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें उन बातों की सूची है जिनकी ग्राहक संबंधित बैंक से अपेक्षा करता है। नीति का प्रयोजन यह है कि बैंकों को चाहिए कि वे जमाकर्ताओं को वह उपलब्ध कराएँ

जिसका कि उन्होंने जमाराशि स्वीकार करते समय वादा किया था। बैंकिंग लोकपाल का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि उसमें भारतीय बैंक संघ द्वारा बनाई गई और बैंकों द्वारा अपनाई गई उत्तम व्यवहार संहिता का पालन न किए जाने संबंधी व्यक्तिगत मामले/शिकायतें भी शामिल हो सकें। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने स्वतंत्र भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ताकि ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए व्यापक आचार संहिता विकसित होना तथा उनका पालन करना सुनिश्चित हो सके।

7.11 बैंकिंग सेवा का विस्तार और स्वामित्व के विशाखन जिससे बैंकिंग क्षेत्र को अधिक कार्यक्षम और सुव्यवस्थित रूप से लचीला बन गया है। तथापि, बैंकिंग प्रक्रिया के संबंध में यह चिंता का विषय है कि इसने जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को, विशेष रूप से, पेंशनभोगियों, स्वनियोजित व्यक्तियों और असंगठित क्षेत्र के नियोजित व्यक्तियों को आकर्षित करने के बजाए वंचित कर दिया है। बैंकों को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं, खास तौर से, अत्यधिक लिक्विड आधार पर जनता से जमाराशियां स्वीकार करने का। अतः यह अनिवार्य है कि वे जनता के सभी वर्गों को समान आधार पर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करें। इस पृष्ठभूमि में रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रोत्साहन देने के संबंध में नीतियां लागू करने की अपनी मंशा घोषित कर दी है ताकि वे अल्प सुविधा प्राप्त जनता सहित समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप गहन सेवाएँ प्रदान कर सकें।

बासल II और जोखिम प्रबंधन

7.12 भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि वह विवेकपूर्ण मानदण्डों को धीरे-धीरे बैंकिंग क्षेत्र के अनुरूप बनाए जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ हों और देश-विशेष के लिए समुचित रूप से अंगीकार करने योग्य हों। भारत में बासल समझौता 1988 के अनुसरण में पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड 1992 से अपनाए गए। बैंकिंग परिचालनों के बढ़ते परिष्करण और बैंकों की सीमा तक बढ़ती गतिविधियों को देखें तो पिछला समझौता केवल ऋण जोखिम पर ध्यान केंद्रित करता है और बैंकिंग की उभरती हुई वास्तविकताओं का पर्याप्त रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। वर्ष 1999 में शुरू की गई विधिवत परामर्शी प्रक्रिया के बाद बैंकों द्वारा अपनाए जाने हेतु बासल II के नाम से प्रसिद्ध नया पूंजी समझौता वर्ष 2004 में लाया गया। संशोधित समझौते में बाजार एवं परिचालनगत दोनों जोखिमों को ध्यान में रखा गया है जिसे थ्री पिलर रणनीति द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। बासल II के अंतर्गत बैंक की पूंजीगत आवश्यकताएँ काफी हद तक उनके तुलनपत्र में अंतर्निहित जोखिम के अनुरूप होंगी और यह आशा की जाती है कि इससे बैंकों में सुदृढ़ जोखिम प्रबंध प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

7.13 भारत में, वाणिज्य बैंक बासल II को 31 मार्च, 2007 से कार्यान्वित करेंगे। विशेष रूप से, वे ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल निदेशक दृष्टिकोण अपनाएंगे। बैंक तथा पर्यवेक्षीय दोनों स्तरों पर पर्याप्त कौशल विकसित होने के बाद कुछ बैंकों को आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण की ओर जाने की अनुमति दी जा सकती है। रिजर्व बैंक ने मई 2004 में बैंकों को सूचित किया है कि वे बासल II की ओर जाने के लिए दिसंबर 2004 के अंत तक इसका एक खाका तैयार करें और तिमाही अंतराल पर इसमें हुई प्रगति की समीक्षा करें। तदुपरांत, सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे लागू विभिन्न जोखिम प्रबंध प्रणालियों का स्व-मूल्यांकन करें, जिसमें यह विशेष ध्यान दिया जाए कि बासल II के अंतर्गत दिए गए कितने प्रमुख जोखिम इसमें आते हैं और इन प्रणालियों को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करें ताकि वे निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप बन सकें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे नए समझौते के पिलर II के तहत यथापेक्षित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) अपनाया जाना बासल II के अंतर्गत पिलर II की अपेक्षाओं की फैक्टरिंग में सहायक होगा। अंतरिम रूप से बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने निवेश संविभाग में, एएफएस और एचएफटी दोनों श्रेणियों में, 5 प्रतिशत तक की निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि सृजित करें तथा समस्त निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का और जोखिम भार रखें ताकि बाजार जोखिम से बचा जा सके।

7.14 बासल II के कार्यान्वयन के दौरान, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें, पहला, भारत में रेटिंग का स्तर निम्न है, जहां रेटिंग निर्गमों को दी जाती है, न कि निर्गमकर्ता को। हालांकि बासल II में निर्गमों के बजाय जारी करने वालों को रेटिंग देने की कुछ गुंजाइश है लेकिन यह केवल अनुमान होगा तथा प्रणाली के लिए यह आवश्यक होगा कि वे जारीकर्ताओं की रेटिंग की ओर उन्मुख हों। रेटिंग से संबंधित स्वीकार्य और गुणवत्तायुक्त ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ-साथ अपेक्षित डाटाबेस तैयार करने तथा रखरखाव करने से संबंधित आंकड़ों की अनुपलब्धता बासल II के अंतर्गत जोखिम माप के उन्नत दृष्टिकोण की ओर जाने की गति को प्रभावित कर सकता है। दूसरी, बासल II में पर्यवेक्षकों के लिए यह गुंजाइश है कि वे बैंकों के लिए बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम हेतु और अन्य में, जोखिम केंद्रीकरण/जोखिम एक्सपोजर के प्रयोज्य से पूंजी स्तर से उच्चतर स्तर निर्धारित करें। तीसरी, बड़ी और मिश्रित वित्तीय संस्थाओं से सर्वांगीय जोखिम की संभावना हो सकती है। अतः यह आवश्यक

है कि उचित पर्यवेक्षीय नीतियां बनाई जाएं ताकि ऐसी संस्थाओं की उपस्थिति से पैदा होने वाली इन चुनौतियों से बचा जा सके। बासल II लागू करने के लिए बैंकों तथा विनियामक निकायों, दोनों के लिए क्षमता निर्माण, विशेष रूप से विकसित दृष्टिकोणों को अपनाने के संबंध में एक गंभीर चुनौती है।

7.15 चूंकि बासल II का कार्यान्वयन गति पकड़ रहा है और बैंकों ने परिचालनगत जोखिम पर अपनी पकड़ समुचित रूप से बना ली है और बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का प्रावधान कर लिया है, कई बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित उच्च वृद्धि को देखते हुए बैंकों के उधार कार्यक्रम भी बढ़ने की आशा है जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अतः रिजर्व बैंक ने अंतरालों (गैप) की पहचान करने तथा यह पता लगाने के लिए पर्यवेक्षीय उपाय आरंभ किए हैं कि कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। पूर्व के वर्षों में, बैंक अपनी पूंजी की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यतया धारित आय पर ही निर्भर रहे हैं। फिर भी, पूंजी बाजार की तेजी की स्थिति में बैंकों के लिए बाजार से पूंजी जुटा पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, खास तौर से तब जब बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन बेहतर हो। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है जिससे आशा की जाती है कि बैंक निर्धारित स्तर तक सरकार की शेयरधारिता बनाए रखते हुए अपने पूंजी आधार को बढ़ा सकेंगे।

7.16 आधुनिक बैंकिंग जोखिम प्रबंधन से संबंधित बैंकिंग हैं। उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली वाले बैंकों को न्यूनतम विनियामकगत पूंजी प्रभार लगेगा जिसका लाभ उन्हें प्रतिस्पर्धा में मिलेगा। ऐसे बैंक अपनी सेवाओं का उचित मूल्य निर्धारण कर पाएंगे और पर्याप्त प्रावधान कर सकेंगे। बासल II के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन का महत्व और बढ़ गया है। बदलते परिवेश में, विभिन्न जोखिम स्वतंत्र स्वरूप के नहीं होते हैं। अतः बैंकों को समेकित जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा वे सभी संबंधित जोखिमों का समाधान सतत और व्यापक रूप से कर सकें। बैंकों में, 'कोर बैंकिंग' समाधान से उन्हें ऋण स्रोत (प्रिंट ऑफिस) और मूल्यांकन (बैंक ऑफिस) कार्यों को अलग-अलग करने में मदद मिली है, जिसकी सहायता से आगे चलकर वे विशेषज्ञता हासिल कर पाएंगे और बैंक के विस्तृत क्षेत्र में क्रेडिट माइग्रेसन पर निगरानी रख सकेंगे। डायनेमिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडलों के प्रयोग और ऋण ब्यूरो के पूरी तरह से कार्यशील हो जाने से बैंकों को पारंपरिक स्वामित्व मॉडलों से ऋण मूल्यांकन के नए तरीकों की ओर जाने में मदद मिलेगी जिसका असर सभी आस्ति श्रेणियों में, भौगोलिक सीमाओं और जनसांख्यिकी से चुकौती और वसूलियों के संबंध में प्राप्त होनेवाले अनुभवों से परिलक्षित होगा।

एनपीए प्रबंधन

7.17 भारत में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम ऋण जोखिम है। 90 दिवसीय चूक मानदंड और लगातार बनी रही समस्याओं के बावजूद बैंक अपने एनपीए पर नियंत्रण रखने में सफल रहे हैं। निवल एनपीए अब निवल अग्रिमों का मात्र दो प्रतिशत रह गया है। बैंक पिछले कुछ वर्षों में तिजोरी लाभ का इस्तेमाल करके ऐसा कर पाए हैं। सरकार, रिजर्व बैंक और बैंकों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से भी वसूली में आसानी हुई है और एनपीए का प्रबंधन भी किया जा सकता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ने उधारदाताओं की संपाश्विक के प्रति अधिकार प्रवर्तन से क्षमता काफी सुदृढ़ हुई है। इस निधिनियम ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए भी आसानी पैदा कर दी है। कंपनी ऋण पुनर्संरचना प्रणाली (सीडीआर) भी उधारदाता और उधारकर्ता के बीच सहमतिजन्य व्यवस्था पैदा करने हेतु एक समयबद्ध और पारदर्शी तरीका सिद्ध हुई है। ऋण आसूचना कंपनी अधिनियम, 2005 के बनने से ऋण सूचनाओं का आदान-प्रदान सहज होगा तथा ऋण आसूचना ब्यूरो का क्रमिक निर्माण भी होगा, जिससे बैंकों द्वारा लघु एवं मध्यम उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋण की लागत में कमी आएगी। इससे बैंक एनपीए को प्रत्याशित न्यूनतम स्तर पर रख सकेंगे, इसके फलस्वरूप, ऋण वितरण बढ़ेगा और ऋण के उचित मूल्य-निर्धारण को बढ़ावा मिलेगा। तथापि, बैंकों से अपेक्षित है कि वे जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं।

संचालन

7.18 कंपनी संचालन का अभिप्राय सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं के निर्माण से है। जहां बैंकिंग क्षेत्र से यह उम्मीद की जाती है कि वे कमर्शियल तरीके से कार्य करें, वहीं इस समय उदार वातावरण में कंपनी संचालन की भूमिका और भी बढ़ जाती है। निष्प्रभावी संचालन से बैंक की साख दांव पर लग सकती है और उसके कार्य बाधित हो सकते हैं। संचालन की संरचना बोर्ड, प्रबंध तंत्र, शेयर धारकों और अन्य जोखिम धारकों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती है। इन घटकों की परस्पर क्रिया से ही बैंकों के संचालन को बेहतर बनाया जा सकता है। चूंकि सभी संस्थाओं के कारोबार दर्शन भिन्न हैं, प्रत्येक संस्था को समय समय पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी संचालन प्रणाली विकसित करनी होगी। संचालन प्रक्रिया लचीली एवं अपनाते योग्य होनी चाहिए ताकि वह परिचालन परिवेश में होनेवाले परिवर्तनों के अनुरूप चल सके। चूंकि बैंक 'विशेष' होते हैं और न्यासी की भूमिका निभाते हैं, इसलिए निष्प्रभावी संचालन से बैंक की साख गिर सकती है और कार्यप्रणाली में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अतः संचालन को लचीला बनाने वाले दृष्टिकोण

पर जोर दिया जाता है ताकि मूल्यांकन और उन्नयन का कार्य लगातार चलता रहे। स्पर्धा बढ़ जाने से बैंकों में कंपनी संचालन की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और बैंक अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं।

7.19 विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के निर्धारण के साथ साथ विनियामक ढांचे में बैंकों के 'योग्य एवं उपयुक्त' मालिकों, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के माध्यम से बेहतर संचालन सुनिश्चित करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। पांच प्रतिशत और उससे अधिक की शेयरधारिता की पुष्टि रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है और ऐसे महत्वपूर्ण शेयरधारकों को 'योग्य एवं उपयुक्त' परीक्षण से गुजरना पड़ता है। बैंकों से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निर्वाचित निदेशकों का परीक्षण नामित समिति द्वारा 'योग्य एवं उपयुक्त' मानदंड के आधार पर किया जाए। रिजर्व बैंक ने हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और संचालन पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और विविध स्वामित्व पर जोर दिया है। सूचीबद्ध बैंकों को प्रतिभूति बाजार विनियामक द्वारा निर्धारित संचालन सिद्धांतों का भी पालन करना है।

7.20 सुदृढ़ कंपनी संचालन प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्हें पारदर्शिता और प्रकटन मानक अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समकक्ष बना दिया गया है। रिजर्व बैंक में विभिन्न लेखांकन मानकों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे तुलनपत्रों में अपने परिचालनों से संबंधित कुछ अनेक प्रकटीकरण करें। तथापि, भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों में विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और जोखिम मानदंडों, जोखिम संकेत द्रण, निष्पादन उपाय, पूंजी ढांचा घटक में कई अंतराल (गैप) हैं। अतः मानकों को बाजार में कार्यरत संस्थाओं की क्षमता में सुधारों के अनुरूप और अधिक विस्तार की आवश्यकता है ताकि सूचना का उद्देश्यपरक विश्लेषण किया जा सके।

संस्थाओं का बदलता रुख

7.21 सुधार प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया जिसमें उनकी पूरी व्यवस्था को महत्व दिया गया। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सुधार प्रक्रिया काफी व्यापक हुई है जिसमें अन्य संस्थाओं जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया है।

7.22 संघीय बजट 2004-05 में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रायोजक बैंकों के ग्रामीण ऋण प्रबंधकर्ता के रूप में महत्व को देखते हुए वे उनके नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए 'समान रूप से जिम्मेदार' होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

पुनर्संरचना हेतु सुझाई गई रूपरेखा के अनुसार प्रायोजक बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्यवार समामेलन करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण वितरण के प्रभावी उपकरण के रूप में पुनः तैयार करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर रहा है, समामेलन/समेकन, प्रायोजक बैंक बदलने के माध्यम से पुनर्संरचना की संभावनाओं का पता लगा रहा है, न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा की जा रही है और उनके विनियमन, पर्यवेक्षण तथा संचालन हेतु उपयुक्त उपाय सुझाने पर विचार किया जा रहा है।

7.23 शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुत्थान की रणनीति तीन प्रमुख आधारों पर टिकी हुई है अर्थात् समेकन, पूंजी डालना और कमजोर बैंकों की छंटनी करना। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने फरवरी 2005 में शहरी सहकारी बैंकों के विलयन एवं समामेलन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस घटक के लिए एक मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के दोहरे नियंत्रण के दौर में विनियामक एवं पर्यवेक्षीय क्षेत्र के मतभेदों को सद्भावपूर्ण तरीके से समाप्त किया जा सके। कमजोर बैंकों के पुनरुत्थान हेतु एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के लिए रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों ने परस्पर सहमति से ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सहमति ज्ञापन में शहरी सहकारी बैंकों की प्रोफेशनल तरीके से लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया और समन्वय तथा परामर्श हेतु सुनियोजित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

7.24 ग्रामीण सहकारी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं। ग्रामीण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए कार्यदल (अध्यक्ष : श्री ए. वैद्यनाथन) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच सरकार द्वारा की जा रही है। इस खण्ड की पुनर्संरचना में मोटे तौर पर पांच परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र शामिल हैं। पहला, सहकारी समितियों के ढांचे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संचालन, विनियमन और कार्यप्रणाली में कानूनी और संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है। दूसरा, इस खंड को शीघ्र पुनर्गठित करने और पुनः पूंजीकरण करके युक्तिपरक बनाए जाने की आवश्यकता है। तीसरे, ऋण परंपरा को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बढ़े हुए ग्रामीण ऋण को स्थायी रूप दिया जा सके। चौथे, जोखिमपूर्ण उद्यमों को ऋण सहजता से प्रदान करने के लिए बीमा की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। अंतिम, कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंध पर व्यापक जन नीति पर विचार करना विपदाग्रस्त किसानों के लिए राहत सिद्ध होगी और अधिक वाणिज्यिकीकृत कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

7.25 वर्ष 1997 में नए विनियामक शासन प्रणाली के आरंभ के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र कंपनियों का महत्वपूर्ण समेकन हुआ है। अब तक जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षी दबाव जमाराशियां लेनेवाली कंपनियों पर था। जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता से जमाराशियां लेना जारी रखना चाहती हैं उन्हें रिजर्व बैंक के निर्धारित नियामक मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। तथापि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जिन्हें विनियामक लागत, लाभ से अधिक लगती हो, पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर जमाराशियां प्राप्त करने की गतिविधि बंद करने की अनुमति है। इससे इस क्षेत्र में और अधिक समेकन की अपेक्षा है। हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि जमाराशियां न लेनेवाली बड़ी कंपनियों (जिनकी परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक हों) को रिजर्व बैंक के विनियामक दायरे में सम्मिलित किया जाए। हाल में, प्रणालीगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षी ध्यान बढ़ाने के उद्देश्य से जमाराशियां न लेनेवाली बड़ी कंपनियों (100 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि आस्तियों वाली कंपनियां) के लिए एक नई निगरानी व्यवस्था तैयार की गई है।

7.26 रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी जांच कर रहा है ताकि बैंक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रमुख क्षमताओं का उपयोग कर सकें। रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से (अनुमोदन रूट के अधीन) मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को पट्टे पर उपलब्ध करवाने के लिए मूलभूत सुविधा उपस्करों के आयात हेतु वित्तपोषण करने के प्रयोजन से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने से संबंधित संशोधित नीति से आशा की जाती है कि इससे संसाधन में आनेवाली बाधाएं कम होंगी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मूलभूत सुविधा के वित्तपोषण में सहभागिता बढ़ेगी।

7.27 उभरते परिवेश में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका में काफी बदलाव आएगा। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के लागू करने से रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिक बाजार में भाग लेना बंद कर देगा। इससे सरकारी उधार की योग्यता और लागत पर प्रभाव होगा तथा वित्तीय क्षेत्र के लिए रिजर्व बैंक के तुलनपत्र के माध्यम से बाजार अस्थिरता को नियंत्रित करने का कुशन उपलब्ध नहीं होगा। अतः सरकार और बाजार सहभागी दोनों को बाजार जोखिम के प्रबंध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

7.28 चूंकि रिजर्व बैंक 2006-07 से अंतिम उपाय के रूप में हामीदार की भूमिका नहीं निभाएगा, प्राथमिक व्यापारियों को बाजार उधार कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से

तैयार रहने की आवश्यकता है। एफआरबीएम लागू होने के बाद प्राथमिक व्यापारियों की सरकारी प्रतिभूति बाजार में भूमिका न केवल भावी ऋण प्रबंधन की दृष्टि से बल्कि बाजार विकास की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण पाई गई है। जोखिम कम करने के कुछ उपाय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय हेतु अनुमत ढांचे के प्रस्ताव में बैंकों को भी लाया जा सकता है और इसके लिए विनियामक दिशानिदेशों में परिवर्तन की जरूरत हो सकती है।

प्रतिस्पर्धा और समेकन

7.29 बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना रहा है। इसमें तीन घटक सम्मिलित हैं। पहला, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी शेयरधारण को कम करने की अनुमति से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 51 प्रतिशत तक निजी शेयरधारिता लाई गई है। दूसरे, नए निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। तीसरे, विदेशी बैंकों को अतिरिक्त शाखाओं की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2005 में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए रूपरेखा की घोषणा कर दी गई है जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण पर दिशानिदेश तथा भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए दो चरणों में रूपरेखा सम्मिलित है।

7.30 विभिन्न घटकों से विदित होता है कि बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। कुल आस्तियों में निजी और विदेशी बैंकों का हिस्सा सुधारों के आरंभ में 10% से कम था, मार्च 2005 के अंत तक निरंतर रूप से बढ़ कर 25 प्रतिशत से कुछ अधिक हो गया है। नए निजी क्षेत्र के बैंकों का बाजार हिस्सा विशेष रूप से परिलक्षित होता है। नए निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में, तकनीक के प्रतिस्पर्धी लाभ से उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धी बैंकिंग सामने आई है। इससे अन्य बैंकों को अपने बाजार शेयर बनाए रखने में नए रास्ते खोजने में सहायता मिली है।

7.31 हालांकि भारत में पिछले वर्षों के दौरान वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त सुधार आया है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद और बैंक आस्तियों का अनुपात विभिन्न उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित अनुपात की तुलना में अभी भी कम है। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रही वृद्धि तथा तथ्य को देखते हुए विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भविष्य में बैंकिंग में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है।

7.32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों के बीच विलय के लिए दिशानिदेश जारी किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के बीच विलय के संबंध में भी मई 2005 में दिशानिदेश

जारी किए। इन दिशानिदेशों में अन्तर्निहित सिद्धांत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में भी, जहां उपयुक्त हों, लागू होंगे, परंतु ऐसे मामलों में संबंधित विधान के उपबंध भी लागू होंगे। यह उम्मीद की जाती है कि सरकारी और निजी - दोनों क्षेत्रों में देशी बैंकिंग व्यवस्था के सुदृढीकरण के साथ ही विदेशी बैंकों की उपस्थिति में उत्तरोत्तर और नपी तुली वृद्धि होगी। सुदृढीकरण के उपायों के अंतर्गत वित्तीय संस्थाएँ भी आएँगी जो दीर्घावधि वित्त प्रदान करती रही हैं। मीयादी ऋण प्रदान करने वाली दो बड़ी संस्थाएँ बैंकों में रूपांतरित हो चुकी हैं। भारत सरकार ने छह राज्यों (नामत:- बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश) में 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 9 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्यस्तरीय विलय की अधिसूचना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए के अंतर्गत, 12 सितंबर 2005 को जारी कर दी है। विलय 12 सितंबर 2005 से लागू हो गए हैं।

7.33 गैर-परंपरागत गतिविधियों को अपनाने वाले बैंकों, वित्तीय कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ वित्तीय क्षेत्र के कार्यकलापों के बढ़ते मिश्रण के चलते वित्तीय समूहों का उदय हुआ है जो वित्तीय क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तरह के पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक प्रक्रिया अपनाने का नजरिया रखना वांछनीय समझा गया जिसके अंतर्गत सूचना का अंतर विनियामक आदान प्रदान हो सके। एक परामर्शी नजरिये के आधार पर एक ऐसा तरीका विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत हर तीन महीने पर, एक समान वित्तीय समूहों के अंतर समूह लेनदेन/ऋणों व निवेशों का ब्योरा एकत्र करने और प्रधान विनियामक प्राधिकारियों के बीच संगत सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था हो। चूँकि भिन्न-भिन्न वित्तीय समूहों के प्रमुख कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं, अतः निरीक्षण संबंधी ढाँचे में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधान विनियामक अपने वित्तीय समूहों के बारे में निर्धारित प्रोफार्मे में आँकड़ों/सूचना प्राप्त करें तथा आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात हुई समस्याओं का समाधान करें। निर्दिष्ट वित्तीय समूहों के साथ और अधिक तथा अनवरत विचार विमर्श की प्रक्रिया के अंग के रूप में, बकाया मुद्दों तथा पर्यवेक्षी समस्याओं के समाधान के लिए, अन्य प्रधान विनियामकों के साथ मिलकर इन वित्तीय समूहों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से अर्द्धवार्षिक विचार-विमर्श की व्यवस्था शुरू की गई है।

ब्याज दर चक्र में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति से जूझते बैंक

7.34 सरकारी प्रतिभूतियों में वृहद धारणों के मद्देनजर ब्याज दरों की प्रवृत्ति में परिवर्तन बैंक संविभाग में ब्याज दर जोखिम में चिन्ता का कारण है। रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न संपर्क चैनलों के माध्यम से ब्याज दरों के रिवर्स होने की संभावना से बैंकों को सुग्राह्य

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

किया है और निवेश परिवर्तन आरक्षण (आइएफआर) और अन्य उपायों से उन्हें सुलभ ऋण के लिए तैयार रहने को कहा है।

7.35 वर्ष 2004-05 के दौरान ब्याज दरों के बढ़ने पर सरकारी प्रतिभूतियों में अस्थायी दर वाले बॉण्ड के शेयर जारी किये गये ताकि निवेशकों को भविष्य में ब्याज दरों की गतिशीलता के अनुरूप वापसी की दर सुनिश्चित की जा सके तथा उनकी एएलएम अपेक्षाओं को दूर किया जा सके और सरकार को लम्बी परिपक्वता अवधि हेतु निधियों को रखने के लिए समर्थ किया जा सके। तथापि मूल्यन कठिनाइयों और उससे होनेवाली द्वितीयक बाजार चलनिधि एफआरबी प्रभावित रहेंगी। 1997 में सिर्फ एक बार जारी पूंजी इंडेक्स बॉण्डों के पुनः लाने के संबंध में उनकी संशोधित विशेषताओं के साथ विचार किया जा रहा है ताकि बाजार संस्थाएं मुद्रा स्फीति जोखिम को मूलधन और कूपन भुगतान दोनों से बचा सके। ऐसे बॉण्ड उधार की लागत को कम करने में भी मदद करते हैं क्योंकि इससे मुद्रास्फीति जोखिम प्रीमियम नहीं रहता। साथ ही, इससे मुद्रास्फीति संभावनाओं और मुद्रा नीति को समर्थन का विचार मिलता है। ऐसे बॉण्ड खुदरा निवेशकों, छोटी बचत करने वाले और वरिष्ठ नागरिकों को उच्च मूल्य के लिए वरीयता प्राप्त निवेश प्रदान करते हैं। सरकारी प्रतिभूति बिल 2004 के आरंभ होने पर प्रतिभूतियों के मूलधन और पंजीकृत ब्याज के लिए पृथक व्यापार (एसटीआरआयपीएस), लागू किया जा सकेगा। इससे बेहतर आस्ति देयता प्रबंधन होने के साथ-साथ संविभाग के विशाखन के माध्यम से ब्याज दर जोखिम, मुद्रा स्फीति और अव्यवस्थित जोखिम से रक्षा हो सकेगी।

7.36 बहियों में भारी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियां होने को दृष्टिगत रखते हुए बैंकों को एकबारगी उपाय के रूप में 2004-05 में सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों में अंतरित करने की अनुमति दी गई। यद्यपि इससे एक बार लागत तो बढ़ गई, लेकिन इससे बैंकों को अपने निवेश संविभाग के 'बाजार से बाजार' भाग को ब्याज दर जोखिम से बचाए रखने में मदद मिली। इसके अलावा, बैंक अपने निवेश संविभाग की अवशिष्ट परिपक्वता को कम करने का सजग प्रयास कर रहे हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप कुल निवेश संविभाग का अनुमानित संशोधित समय काफी कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरों में होने वाले प्रतिकूल उतार चढ़ाव को सहन करने की लोच पैदा हुई है।

बैंकिंग और प्रौद्योगिकी

7.37 बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रयोग के वातावरण में एक प्रभावी सुरक्षा नीति का बहुत महत्व होता है जिसमें वास्तविक पहलुओं के अलावा डाटा और अन्य जानकारी से संबंधित विवरण होते हैं। अतः असामान्य तौर-तरीकों एवं कमियों का पता लगाने के लिए निगरानी, निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा की भी आवश्यकता होती है। बैंकों को चाहिए कि वे पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित सुरक्षा नीति तैयार करें। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य भी नियमित रूप से किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन में कोई कमी अथवा विचलन नहीं है। सूचना प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी बैंक की प्रतिष्ठागत जोखिम को प्रभावित करती है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एवं अन्य सेवाओं को बाहरी एजेंसियों से कराने पर कतिपय फायदे होते हैं पर इसकी अपनी चुनौतियां भी होती हैं। इसके लिए यथोचित और पर्याप्त सुरक्षा लागू की गई है। रिजर्व बैंक ने बाहरी एजेंसियों को काम सौंपने के लिए आंतरिक समूह गठित किया है और उसकी सिफारिशों के आधार पर शीघ्र ही विनियामक दिशानिदेश जारी किए जाएंगे।

7.38 आंशिक अविनियमन, विवेकपूर्ण विनियमन एवं पर्यवेक्षण तथा अनुकूल नीतिगत परिवेश ने वित्तीय संस्थाओं की क्षमता, स्थिरता एवं लचीलेपन में महत्वपूर्ण सुधार किया है। यह उनकी लाभप्रदता, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और उच्च पूंजी स्तर से परिलक्षित होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था सुधरती है वह और अधिक जटिल होती जाती है। बैंकिंग क्षेत्र को इस तरह से विकसित होना होगा कि वे इस कार्य में सहायक बनें और ऐसी वृद्धि को प्रोत्साहित करें। तथापि, भविष्य में कुछ ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं जिनसे निपटने के लिए नयी तकनीक, ऋण के लिए बेहतर प्रक्रिया एवं ऋण मूल्यांकन, उत्पाद विविधता, सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता होगी। बैंकों को बढ़ते हुए वित्तीय असंतुलनों के कारण ब्याज दर की वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई बाजार जोखिम अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः बैंकिंग क्षेत्र को इन चुनौतियों तथा बासल II के समझौते और अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए सुसज्जित होना होगा। आगामी वर्षों में प्रतिस्पर्धा, समेकन अभिमुखीकरण प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरनेवाले हैं।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ

घोषणा की तारीख	उपाय
क) वाणिज्य बैंक	
2004	
अप्रैल	<p>10 • ड्रॉप बॉक्स सुविधा, काउंटर पर चेक और खाते के विवरण/पास बुक देने के संबंध में जारी संशोधित मानदंड।</p> <p>19 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उनके त्रैमासिक लक्ष्य को मार्च 2005 के अंत तक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऋण मंजूर और वितरित करने के लिए राज्य/संघ क्षेत्रवार वास्तविक लक्ष्यों के बारे में सूचित किया गया।</p> <p>22 • बैंकों को सूचित किया गया कि यदि रखे जाने वाले निर्धारित न्यूनतम जमाशेष में कोई बदलाव आता है और निर्धारित न्यूनतम जमाशेष नहीं अनुरक्षित किया जाता तो उन्हें कितना प्रभार देना होगा इस बारे में वे अपने खाता धारकों को कम से कम एक माह पूर्व सूचित करें।</p> <p>23 • पात्रता मानदंडों संबंधी दिशानिदेश (न्यूनतम जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात, अनर्जक आस्ति और विनियमन संबंधी अनुपालन समेत) रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना वाणिज्य बैंकों द्वारा लाभांश और देय लाभांश की मात्रा की घोषणा के लिए (33 1/3 प्रतिशत की सीमा के साथ लाभांश भुगतान अनुपात और निर्धारित अनुपात के समेकन की पद्धति) में आशोधन किया गया।</p> <p>30 • बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के सिवाय) की लेखापरीक्षा और सूचना प्रणाली संबंधी नीतियों और संव्यवहारों का पुनर्विलोकन करें और लेखापरीक्षा रिपोर्टों अपने उच्च प्रबंध के समक्ष रखें। बैंक अपने कंप्यूटरीकरण के स्तर के अनुसार समुचित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नीति अपनाएं और रिजर्व बैंक द्वारा जारी सर्वोत्तम संव्यवहारों और दिशानिदेशों के अनुरूप उसकी नियमित अंतराल पर उद्योग के साथ तालमेल रखकर समीक्षा करें।</p> <p>• बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सिवाय) को तीनों (क्रमांक 24, 26 और 28) लेखांकन मानकों, क्रमशः बड़ाकरण परिचालनों, गोचर आस्तियों और आस्तियों की गुणवत्ता में हास, का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना है।</p>
मई	<p>8 • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उपदान बैंक एंडेड होगा और उस पर वर्ष 2 की रोक अवधि होगी।</p> <p>12 • अनुसूचित वाणिज्य बैंक ग्राहक द्वारा दी गई (अपने ग्राहक को जानिए) अनुपालन के लिए जानकारी की गोपनीयता सख्ती से बनाए रखेंगे।</p> <p>15 • बैंकों को सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करना है कि उनकी शाखाओं में उन सत्ताओं जिन्होंने दूसरे बैंकों से सुविधाएँ (निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित) प्राप्त की हैं उनके चालू खाते, उधार देने वाले बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना न खोले जाएँ।</p> <p>18 • रु. 50,000 तक के कृषि संबंधी ऋणों और कृषि आधारित कारोबार एवं कृषि क्लीनिक के मामले में रु. 5 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन/जमानत की अपेक्षा माफ़ की गई।</p> <p>• यह पुनः दोहराया गया कि लघु वित्त संस्थाएं जनता से जमाराशियों तब तक नहीं स्वीकार कर सकतीं जब तक कि वे रिजर्व बैंक के मौजूदा विनियामक ढांचे का अनुपालन नहीं करतीं।</p> <p>20 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों के संबंध में 'बाजार के संबंध में' प्रचलित मानदंडों से दी गई छूट एक और वर्ष के लिए, अर्थात्, 2004-05 तक बढ़ा दी गई है।</p>
जून	<p>11 • इंफ्रास्ट्रक्चर को उधार देने में तेजी लाने के लिए, बैंकों को न्यूनतम पांच वर्ष की परिपक्वता वाले दीर्घावधि बंधपत्रों की उगाही की अनुमति दी गई।</p> <p>15 • सरकारी वित्तीय संस्थाओं में बैंकों के निवेश के संबंध में ऋण जोखिम की दृष्टि से जोखिम भार 1 अप्रैल 2005 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत और बाजार जोखिम की दृष्टि से जोखिम भार 2.5 प्रतिशत कर दिया गया।</p> <p>17 • बैंकों को अपनी बेजमानती एक्सपोजर सीमाओं को स्वयं नियत करने की अनुमति देकर बैंकों के मौजूदा बेजमानती एक्सपोजरों की सीमाओं को हटा दिया गया है। बेजमानती एक्सपोजर को पुनः परिभाषित किया गया और स्पष्ट किया गया है कि बेजमानती अवमानक आस्तियों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा।</p> <p>• ग्राहक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा की तदर्थ समितियों की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई और उन्हें सूचित किया गया कि वे अपना काम अपने गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा करें तथा गैर पदाधिकारियों को भी समिति में शामिल करें।</p> <p>• देशों जोखिम प्रबंध पर मौजूदा दिशानिदेशों को, 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से प्रभावी, विस्तारित करके उसे उन देशों पर भी लागू किया गया जहां बैंक के निवल निधियों में से किया गया निवेश आस्तियों के एक प्रतिशत या उससे ज्यादा है।</p>

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय	
2004		
जून	18	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को 2004 के अंत तक बासल II अपनाने के लिए खाका बनाना होगा और उसकी प्रगति के बारे में त्रैमासिक समीक्षा करनी होगी।
	21	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों के बोर्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को सभी उधारकर्ताओं के बारे में दी जाने वाली वांछित जानकारी देना सुनिश्चित करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट रिजर्व बैंक को दें। ऋण संबंधी जानकारी के प्रसार में क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड की भूमिका स्पष्ट की गई। क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को अपने स्वामित्व के ढांचे में विविधता लाना होगा और किसी भी संस्था के पास अपनी प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं होगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अनर्जक आस्तियों की अवधि के अनुसार उच्चतर प्रावधानीकरण की अपेक्षा वाली श्रेणी 'तीन वर्ष से ज्यादा के लिए संदिग्ध' श्रेणी, 31 मार्च 2005 से प्रभावी, लागू की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी उसी प्रकार के मानदंडों को 6 अगस्त 2004 से लागू किए गए। यह स्पष्ट किया गया कि इरादतन चूककर्ता पहचान करने की प्रक्रिया और शिकायतों के निवारण संबंधी तंत्र दो भिन्न प्रक्रिया हैं। उधारकर्ता इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उपयुक्त ढंग से सूचित करना चाहिए। बैंकों को i) नए खाते खोलने के लिए, ii) मौजूदा खातों के लिए, जहां कहीं किसी गलत काम की आशंका हो अथवा जहां जमा/नामे लेनदेन का जोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा हो और iii) न्यास, मध्यस्थ को अथवा उन अधिदेश के जरिए या मुख्तारनामे द्वारा परिचालित संस्थाओं से संबंधित सभी खातों के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अपनाई गई 'अपने ग्राहक को जानिए' नीति का पूर्णतः पालन करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रचलित सतर्कता प्रक्रिया को आशोधित किया गया। केवल ऐसे सतर्कता मामले जिनमें स्केल V और ऊपर के अधिकारी लिप्त हों उन्हें मामलों को सलाह देने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित किया जाए। बैंकों के बोर्डों को, अपवादात्मक परिस्थितियों में, एकल अथवा सामूहिक जोखिम की सीमा को पूंजीगत निधियों के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी गई।
	24	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को ट्रेडिंग बही एक्सपोजर के संबंध में (डेरिवेटिव्स समेत), 31 मार्च 2005 से प्रभावी, बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार उपलब्ध कराना होगा। पूंजीगत प्रभार, 'बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ' श्रेणी के अंतर्गत, 31 मार्च 2006 से प्रभावी, लागू किया जाएगा। फसलों की कटाई के साथ चुकौती की तारीखों का तालमेल करने की दृष्टि से कृषि संबंधी अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रवधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों को आशोधित किया गया है 30 सितंबर 2004 से प्रभावी, अल्प अवधि वाली फसलों के लिए दिए गए ऋण के मूलधन अथवा उन पर ब्याज की किस्तें यदि दो फसल मौसमों तक, देय तिथि से परे अदत्त रह जाती हैं तो उसे अनर्जक आस्ति माना जाए। दीर्घावधि फसलों (एक साल से अधिक समय वाली फसल) के लिए दिए गए ऋण के मूलधन अथवा उन पर ब्याज की किस्तें यदि एक फसल मौसम तक, देय तिथि से परे अदत्त रह जाती हैं तो उसे अनर्जक आस्ति माना जाए। सभी वाणिज्य बैंकों को, कृषि के लिए ऋण के प्रवाह को दोगुना करने की केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपाय लागू करने के लिए सूचित किया गया।
	24	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों के टियर II बांडों में कुल निवेश की विवेकपूर्ण सीमा में शामिल की जाने वाली लिखतों की किस्मों का विस्तार किया गया।
जुलाई	6	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों द्वारा गोल्ड कार्ड जारी करने के लिए न्यूनतम वार्षिक पण्यवर्त निर्धारित करने पर रोक लगा दी गई क्योंकि योजना का उद्देश्य ऋण लेने के लिए पात्र सभी निर्यातकों, लघु और मध्यम उद्यम खंड समेत, को शामिल करना था।
	20	<ul style="list-style-type: none"> बंधक प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित बैंकों के निवेश को, कुछ शर्तों के अधीन, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास निर्माण को उधार देने के रूप में प्रत्यक्ष ऋण वर्गीकृत किया जाए।
	23	<ul style="list-style-type: none"> इरादतन चूककर्ताओं संबंधी अतिरिक्त उपायों को लागू किया गया। इनमें अतिरिक्त सुविधाओं पर प्रतिबंध, नया उद्यम बनाने के लिए पांच वर्ष की अवधि तक संस्थागत वित्त पर रोक, कानूनी कार्यवाही और मोचन निषेध तथा आपराधिक कार्यवाहियों, जहां कहीं आवश्यक हो, इरादतन चूक करने वाली उधारकर्ता इकाई के प्रबंध को बदलने के लिए अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) दृष्टिकोण अपनाना, निगमन/कंपनी स्थापित करना, ऋण करार में प्रसंविदा शामिल करना कि कंपनियों को रोकने के लिए कि वे उस व्यक्ति को निदेशक बोर्ड में न शामिल करें जो किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड में हो और जिसे इरादतन चूककर्ता अभिनिर्धारित किया गया हो।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2004	
जुलाई	<p>26</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत रिजर्व बैंक के आवेदन पर भारत सरकार ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत 24 जुलाई 2004, को कारोबार की समाप्ति पर, से 23 अक्टूबर 2004 तक (दोनों दिन शामिल) ऋण स्थान आदेश जारी किया। भारत सरकार ने पैराग्राफ (2) के अंतर्गत उक्त बैंकिंग कंपनी को कतिपय देयताओं और दायित्व के भुगतान के लिए प्राधिकृत करने का निदेश जारी किया। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वाणिज्य में समामेलन को प्रभावी करने के लिए रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, योजना तैयार की और उसके प्रारूप को, प्रत्येक उक्त बैंकिंग कंपनियों को, उक्त धारा 45 की उपधारा (6) के अनुसार 7 अगस्त 2004 तक सुझाव और आपत्तियों के लिए, यदि कोई हो, आगे भेजा। <p>29</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को जो खाता धारक चालू खाता खोलना चाहते हैं उनसे आग्रह करें कि इस आशय की घोषणा करें कि उन्होंने किसी अन्य वाणिज्य बैंक से ऋण सुविधा नहीं ली है अथवा किसी अन्य वाणिज्य बैंक (को) से ली गई ऋण सुविधा का ब्योरा देने का आग्रह करें। अन्य वाणिज्य बैंकों से भी सुनिश्चित करना कि क्या वह किसी अन्य सहकारी समिति/बैंक का सदस्य है, यदि ऐसा हो तो उसका पूरा विवरण प्राप्त किया जाए। <p>30</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वयं सहायता समूहों में समाविष्ट करने के लिए मानदंड आशोधित किए गए।
अगस्त	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> सिविल न्यायालयों द्वारा संगठित लोक अदालतों को संदर्भित किए जाने के मामले में मौद्रिक सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। <p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को अपनी सभी ईक्विटी धारिता को दिसंबर 2004 की समाप्ति तक डीमैट रूप में बदल लेना था। <p>26</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को सुनिश्चित करना है कि 'इंदिरा आवास योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास निर्माण वित्त योजना' कृषकों को ग्रामीण आवास निर्माण के बारे में दिए गए अग्रिमों पर देय ब्याज/किस्त की अनुसूची फसल चक्रों के साथ जुड़ी हुई हो। <p>28</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मौजूदा नियम और शर्तों पर मास्टर पॉलिसी को एक की वर्ष अवधि के लिए नवीकृत कराने की अपने स्तर पर पहल करनी है।
सितंबर	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को आवास निर्माण के क्षेत्र में धोखाधड़ी के बारे में समूह के सुझावों के अनुसार सुधारात्मक उपाय करने हैं। <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत 25 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाने की अनुमति है बशर्ते कि वह आधिक्य केवल सांविधिक चलनिधि अनुपात के रूप में हो और 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में धारित कुल सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ उनकी निवल मांग और मीयादी देयता के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। उपर्युक्त को संभव बनाने के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों का 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में बदलने की बैंकों को अनुमति है। तथापि, एसएलआर से भिन्न किसी नई प्रतिभूति को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में, वर्ष 2004-05 के दौरान, एकबार फिर शामिल करने की अनुमति नहीं है। 'यस बैंक लिमिटेड' को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 21 अगस्त 2004 से शामिल किया गया। <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह के बारे में गठित गांगुली कार्यदल की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया गया और उन्हें लागू करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया। इनमें : नए क्लस्टरों को अभिनर्धारित करना और लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण व्यवहार में लाना, विशिष्ट परियोजनाएँ प्रायोजित करना और कामयाब गैर सरकारी संगठनों के कार्यकारी नमूने का व्यापक रूप से प्रचार करना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत लघु स्तरीय उद्योग के लिए मालसूची के उच्चतर स्तर को बनाए रखने के लिए उच्चतर कार्यशील पूंजी के लिए उच्चतर ऋण सीमाओं की स्वीकृति और ग्रामीण उद्योग संवर्धन के लिए नए लिखत की तलाश करना शामिल हैं। <p>10</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को ऐसी शाखाएं खोलना है जिनमें ग्राहकों के साथ कोई संपर्क नहीं होगा और पूरी तरह/एकांतिक रूप से डाटा/आंकड़ों का प्रसंस्करण, सत्यापन और दस्तावेज का प्रसंस्करण, अन्य शाखाओं से प्राप्त अनुरोध पर चेक बुक, माँग ड्राफ्ट इत्यादि जारी करना और अन्य बैंकिंग कारोबार के प्रासंगिक कार्य किए जाएंगे। ऐसी शाखाओं के लिए 'सेवा शाखा' श्रेणी के अंतर्गत अनुज्ञापत्र जारी किया जाना है। <p>11</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में लागू उनके नकदी आरक्षित अनुपात को निवल माँग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत अंक के आधा के बराबर दो चरणों में - 18 सितंबर 2004 से प्रभावी 4.75 प्रतिशत और 2 अक्टूबर 2004 से प्रभावी 5.0 प्रतिशत, बढ़ाया गया।
अक्टूबर	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> कृषि के लिए और सहायक गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी और उपभोग आवश्यकताओं के औचित्यपूर्ण घटक के रूप में निवेश ऋण का ध्यान रखने के लिए नाबार्ड की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संशोधित मॉडल को लागू करने के लिए दिशानिदेश जारी किए गए।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2004	
अक्टूबर	<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> डाक घरों के माध्यम से परिचालित वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 का परिचालन सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 1968 को परिचालित सभी शाखाओं के माध्यम से भी होना परिचालित किया जाना है। <p>14</p> <ul style="list-style-type: none"> इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 11 अक्टूबर 2004 से शामिल किया गया। <p>15</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को व्यास समिति की कुछ और सिफ़ारिशें लागू करनी हैं। इनमें बंजरभूमि और परती भूमि का विकास, कृषि को फुटकर उधार देने के कार्य में संबर्द्धन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में स्टाफ़ व्यवस्था में सुधार लाना, ऋण संवितरण के लिए ग्राम स्तर के कार्यकर्ता पर निर्भर करना, व्यक्तिगत स्वयं सेवकों को उपयोग में लाना, किसानों के क्लब अथवा गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों जैसे प्रत्यक्ष विक्रय एजेंट, अच्छा कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और वाणिज्य बैंकों के साथ-साथ कार्रवाई करना सुनिश्चित करना, ग्रामीण शाखाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना, अविलंब चुकौती के प्रोत्साहन के लिए यथोचित छूट ढांचा बनाना, लघु ऋणों पर ब्याज की दरें औचित्यपूर्ण बनाना और लघु उधारकर्ताओं को ऋण के वितरण क्षमता में सुधार लाना और एसोसिएशन संविदा आधार पर खेती करने के लिए वित्तपोषण शामिल हैं। टियर II और टियर III पूंजी के अंतर्गत अधीनस्थ ऋण के लिखत जारी करने की प्रक्रिया संबंधी दिशानिदेश जारी किए गए। <p>19</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी बैंक पर दंड लगाने के बारे में विवरण, निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना है। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर कड़ी आलोचना या निदेश अथवा अन्य प्रतिकूल निष्कर्ष को भी सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना है। <p>27</p> <ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, जोखिम में सहभागिता के बिना, कंपनी एजेंट के रूप में बीमा कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गई बशर्ते कि वे निवल मालियत, सकल अनर्जक आस्तियों, लाभप्रदता, विवेकपूर्ण मानदंडों, आइआरडीए की विनियमावली और रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुपालन, इत्यादि के नियम और शर्तों को पूरा करते हों।
नवंबर	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को (i) स्थानीय/बाहरी केंद्र के चेकों की अविलंब जमाप्रविष्टि, (ii) स्थानीय/बाहरी केंद्र के चेकों की उगाही के लिए समय सीमा और (iii) देर से उगाही के लिए ब्याज भुगतान शामिल करते हुए व्यापक और पारदर्शी नीति बनाना है। बैंकों को घरेलू/अनिवासी मीयादी जमाराशियों के न्यूनतम स्वरूप को अपने विवेकाधिकार से 15 लाख रुपए से कम की राशि के लिए भी 15 दिन से घटाकर 7 दिन करने की अनुमति दी गई। <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को क्रेडिट इम्फ़ॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. को समय-समय पर डाटा और रिजर्व बैंक को अपनी प्रगति रिपोर्टें अविलंब प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित करना सूचित किया गया। <p>24</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को, 31 मार्च 2004 को बकाया किस्तों और उन पर देय ब्याज समेत केवल फसल ऋणों और कृषि संबंधी मीयादी ऋणों के संबंध में पुनर्संरचना करना है। जिन किसानों के ऋणों की उपर्युक्त ढंग से पुनर्संरचना की गई है वे नए ऋणों के लिए पात्र होंगे। पुनः अनुसूचित/पुनर्संचित ऋणों को किसानों को दिए जाने वाले नए ऋणों की तरह चालू देयराशि माना जाए और उसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की जरूरत नहीं है। <p>29</p> <ul style="list-style-type: none"> ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंडों और धन शोधन निवारण उपाय के बारे में व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों को सूचित किया गया कि चार प्रमुख तत्व : i) ग्राहक स्वीकार करने की नीति; ii) ग्राहक की पहचान की प्रक्रिया; iii) लेनदेन की निगरानी और iv) जोखिम प्रबंध शामिल करते हुए ‘अपने ग्राहक को जानिए’ नीतियाँ बनाएँ। उसी प्रकार के दिशानिदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी 18 फरवरी 2005 में जारी किए गए थे।
दिसंबर	<p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> अप्रैल 1989 में लागू किए गए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की समीक्षा की गई और योजना के प्रतिबंधात्मक उपबंधों को समाप्त करने परंतु उसके सकारात्मक पहलुओं, जैसे, ऋण आयोजना और ऋण व्यवस्था की निगरानी, रखने का निश्चय किया गया। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के दायित्व पूरा करने में रह गई कमी के लिए विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में जमाराशियों के उपयोग की पद्धतियों के मूल्यांकन के संबंध में गांगुली कार्यदल की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया गया। तदनुसार, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के दायित्व पूरा करने में रह गई कमी के लिए जमाराशियों को सिडबी में तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाए और उस निधि पर श्रेणीकृत ब्याज दर का ढांचा लागू होगा। <p>15</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों को अपने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों/निवेशों को मौजूदा दिशानिदेशों का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त ढंग से तालमेल रखने के लिए सूचित किया गया। <p>16</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंकों से कहा गया कि सदस्यों की नामांकन समिति के संबंध में बोर्ड द्वारा स्वयं समुचित सावधानी बरती जाए।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2004	
दिसंबर	<p>21 • बैंकों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज्जगार योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) भूमिका अदा करने के लिए व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए।</p> <p>23 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए आवास निर्माण ऋणों के बारे में जोखिम भार को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और वैयक्तिक ऋणों और क्रेडिट कार्ड समेत उपभोक्ता ऋण के मामले में 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया।</p> <p>27 • मुद्रा तिजोरियां रखने वाले बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी सभी शाखाओं को निदेश दें कि वे अपने काउंटरों पर लाए गए सभी मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करें चाहे वे विनियम के लिए हों या खातों में जमा करने के लिए हों।</p> <p>30 • बैंकों को सूचित किया गया कि सुनामी से प्रभावित लोगों को, सामान्य प्रयोजनों के लिए 3,000 रुपए का उपभोग ऋण दें।</p>
2005	
जनवरी	<p>4 • एसोसिएशनों/संगठनों द्वारा भारत में सुनामी राहत के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने के बारे में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए।</p> <p>18 • बैंकों को, दोनों ही तरीके से, सीधे ही और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से पुरानी आस्तियों के वित्त पोषण के लिए, उपयुक्त ऋण नीतियाँ बनानी हैं।</p> <p>• बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी सभी शाखाओं पर सभी मूल्यवर्ग के सिक्के बिना किसी प्रतिबंध के स्वीकार करना सुनिश्चित करें।</p>
फरवरी	<p>15 • पूंजी के बारे में पर्याप्तता, बासल II के अंतर्गत नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को विस्तृत विवेकपूर्ण दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरंतरता और अनुरूपता बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2007 से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत निदेशक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सूचित किया गया था। बैंकों और पर्यवेक्षी दोनों स्तरों पर पर्याप्त दक्षता विकसित करने के बाद आंतरिक साख दर निर्धारण आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण अपनाने के लिए रिजर्व बैंक कुछ और बैंकों को अनुमति देने के बारे में विचार कर सकता है। नए ढांचे के अंतर्गत, मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने वाले बैंक केवल उन्हीं साखदर निर्धारण एजेंसियों की रेटिंग का प्रयोग करेंगे जो रिजर्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित हैं। बैंकों से यह भी अपेक्षित था कि वे पूंजी पर्याप्तता निर्धारण के बारे में अपनी आंतरिक प्रक्रिया बनाने और चालू करने पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि जब 1 अप्रैल 2006 से समानांतर रूप से लागू किया जाएगा तब वह लाभदायक बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा।</p> <p>28 • निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और संचालन के बारे में, न्यूनतम पूंजी की वांछनीयता, विविधीकृत स्वामित्व, शेयरों के अभिग्रहण और अंतरण की प्रक्रियाओं, निदेशक और महत्वपूर्ण शेयर धारकों के लिए 'सही और समुचित मानदंड' सम्मिलित करते हुए, व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए।</p> <p>• भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए खाका दो चरणों में नियत किया गया। पहला चरण (मार्च 2005 से मार्च 2009) में : i) भारत में पहली बार उपस्थिति स्थापित करने के इच्छुक विदेशी बैंकों को या तो मौजूदा शाखा के माध्यम से अथवा 100 प्रतिशत स्वाधिकृत सहायक कंपनी खोलकर परिचालित करने में एक चुनना होगा, एक तरीका अपनाने के मानदंड का अनुसरण करके, ii) नए और मौजूदा विदेशी बैंकों के लिए, विश्व व्यापार संगठन के मौजूदा वचन, एक वर्ष में 12 शाखाएं, से छूट देना प्रस्तावित किया गया। शुरु में, विदेशी बैंकों को केवल निजी क्षेत्र के बैंकों में जो कि रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्संरचना के लिए अभिनिर्धारित किए जाते हैं। उनमें प्रवेश की अनुमति होगी जहाँ विदेशी बैंकों को चरणबद्ध तौर पर नियंत्रक हित अभिगृहीत करने की अनुमति होगी। अप्रैल 2009 से शुरु होने वाले दूसरे चरण में, पहले चरण में प्राप्त अनुभव के अनुसार समीक्षा की जाएगी और बैंकिंग क्षेत्र के सभी स्टेकधारकों के साथ उपयुक्त ढंग से परामर्श करके राष्ट्रीय स्तर लागू किए जाने की आवश्यकता वाले मुद्दों को, पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक के स्टेक में मिलावट करने और विदेशी बैंक द्वारा भारत में निजी क्षेत्र के किसी बैंक के अभिग्रहण और विलयन की जांच पड़ताल की जाएगी।</p>
मार्च	<p>1 • लघु उद्योग क्षेत्र संबंधी ऋण देने के मामले में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंकों समेत) को मास्टर परिपत्र जारी किए गए।</p> <p>3 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नाबाई और रिजर्व बैंक को लघु ऋण के अंतर्गत हुई प्रगति की रिपोर्ट छमाही आधार पर, प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर की समाप्ति पर देने के लिए सूचित किया गया।</p>

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2005	
मार्च	<p>3 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को, 31 मार्च 2005 से प्रभावी, डेरिवेटिव्स में निवेश के जोखिमों को अपने न्यूनतम ढांचे को उजागर करना होगा।</p> <p>11 • बैंकों को चेक छिन्नन छवि मानकों के कार्यान्वयन के बारे में प्रायोगिक मापदंड जारी किए गए।</p> <p>• नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन के बारे में परिचालन जोखिम प्रबंध के संबंध में अभिमत के लिए दिशानिदेश का प्रारूप जारी किया गया।</p> <p>29 • बैंकों को सूचित किया गया कि अपनी प्रणाली की आउटसोर्सिंग करने में सावधानी बरती जाए और इसमें न्यूनतम जोखिमों का होना सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>30 • बैंकों को व्यास समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए सूचित किया गया। इनमें समिति सभी ग्रामीण शाखाओं/ का समूह शाखाओं के लिए स्थानीय सलाहकार का गठन, बैंकों के केंद्रीय कार्यालयों में लघु वित्तपोषक कक्ष स्थापित करना, और लेखा बहियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वयं सहायता समूहों को इन स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन में लगी एजेंसियों के साथ मिलकर बही लिखने वाले स्थानीय लोगों को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, शामिल हैं।</p>
अप्रैल	<p>4 • मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के बारे में दिशानिदेशों का व्यापक प्रारूप जारी किया गया।</p> <p>7 • ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास IV से VII तक की निधि में से 31 अक्टूबर 2003 को या उससे पहले संवितरित किए गए ऋण और जमा के मामले में ब्याज दरें, 16 अप्रैल 2005 से प्रभावी, पुनर्संरचित की गईं।</p> <p>11 • नाबार्ड द्वारा संभाव्यता संबद्ध योजनाओं के आधार पर तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ग्रामीण ऋण देने के बारे में बैंकों को विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए।</p> <p>• ईसीएस/ईएफटी/एसईएफटी के अंतर्गत देर से जमा प्रविष्टि के लिए बैंकों को प्रतिपूर्ति हेतु स्वतः भुगतान करना है।</p> <p>12 • अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के बारे में व्यापक दिशानिदेश का प्रारूप जारी किया गया।</p> <p>13 • स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज्जगार योजना के अंतर्गत सामूहिक रूप से लिए जाने वाले ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दरें प्रति व्यक्ति ऋणों के आकार से जुड़ी होंगी।</p> <p>15 • बैंकों को नियत समय के भीतर मजबूत सूचना जोखिम प्रबंध प्रणाली समेत कारोबार निरंतरता प्लान की व्यवस्था करनी होगी।</p> <p>16 • बैंकों को सार्वजनिक सेवाओं के बारे में प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा (सीपीपीएपीएस) के बारे में मौजूदा तदर्थ समितियों को ग्राहक सेवाओं के बारे में स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है।</p> <p>19 • बैंकों को बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत दिए गए पंचाट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की भूमिका के बारे में सूचित किया गया।</p> <p>27 • बैंकों को अपनी ग्रामीण शाखाओं को रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, कुछ शर्तों पर, अंतरित करने की खंड/सेवा क्षेत्र के भीतर अनुमति दी गई।</p> <p>30 • बैंकों को ग्राहकों के अपने परिसर में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के ढाँचे के अंतर्गत योजनाएँ बनाने और रिजर्व बैंक के लिए अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।</p> <p>• निवेशों की दोनो श्रेणी व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) के लिए जोखिम भारत आस्तियों के कम-से-कम 9 प्रतिशत पूंजी वाले बैंक, ऋण जोखिम और बाजार जोखिम दोनों के लिए, 5 प्रतिशत से अधिक वाली प्रतिभूतियों में निवेश को टियर I पूंजी के रूप में निवेश घटबढ़ रिजर्व शामिल कर सकते हैं।</p>
मई	<p>4 • बैंकों को लाभांश घोषित करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने पर, जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात और अनर्जक आस्ति के न्यूनतम अनुपात समेत, लाभांश के भुगतान अनुपात की 40 प्रतिशत की सीमा की शर्त के अनुपालन के साथ, सामान्य अनुमति दी गई।</p> <p>• जून 2005 को समाप्त तिमाही से प्रभावी, मीयादी सीमा के लिए परोक्ष रूप से पर्यवेक्षण के बारे में मासिक और त्रैमासिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा सभी श्रेणियों के बैंकों के लिए परिवर्तित करके संगत अवधि की समाप्ति से क्रमशः 15 दिन और 21 दिन कर दिया गया।</p>

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2005	
मई	<p>6 • कंपनी ऋण पुनर्संरचना के बारे में दिशानिदेश का प्रारूप प्रस्तावित है।</p> <p>11 • निजी क्षेत्र के बैंकों के विलयन/समामेलन के लिए विलयन की प्रक्रिया के प्रस्ताव, विनियम के अनुपात, प्रकटीकरण, विलयन प्रक्रिया में बोर्डों की भूमिका किस स्तर पर आएगी, और प्रवर्तकों द्वारा विलयन की प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान शेयरों की खरीद-बिक्री के मानदंडों के निर्धारण संबंधी विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए।</p> <p>12 • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को संदर्भित करने पर सलाहकार के रूप में कार्य के आधार पर, कुछ शर्तों पर, बीमा का कारोबार शुरू करने की अनुमति देने के बारे में व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए।</p> <p>13 • विजन दस्तावेज भुगतान और निपटान प्रणाली 2005-08 के बारे में जारी किया गया।</p> <p>20 • बैंकों को, लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में सुधार लाने के विचार से, क्लस्टर्स में स्थित बैंकों की शाखाओं और सिडबी के बीच कार्यनीतिक सहयोग स्थापित करने लिए बनाई गई लघु उद्यम वित्तीय केंद्र योजना पर जल्दी कार्रवाई शुरू करनी है।</p> <p>26 • अनुसूचित वाणिज्य बैंक को, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज्जगार योजना के अंतर्गत 2005-06 के दौरान जमा संग्रहण लक्ष्य, नियत किए गए न्यूनतम उपदान ऋण अनुपात और प्रति परिवार 25,000 रुपये का निवेश बनाए रखते हुए, को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए सूचित किया गया।</p>
जून	<p>7 • बैंकों को, कार्यनीतिक निवेश के रूप में, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली अथवा विदेश स्थित अन्य कंपनियों में, नई अथवा मौजूदा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार, बैंक की ऋण नीति में विधिवत् शामिल की गई, कंपनियों की ईक्विटी के अभिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता देने अनुमति दी गई।</p> <p>9 • बैंकों को, मृतक जमाकर्ताओं के बारे में दावे निपटान के संबंध में सभी पूर्ववर्ती जारी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, i) जमा खाते में शेष जमा राशि तक पहुंच के कारण, ii) अपरिपक्व मीयादी जमा खाते को बंद करना, iii) मृतक जमाकर्ता के नाम में प्राप्त राशियों के बारे में कार्रवाई, iv) सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं तक पहुंच, और v) दावों के निपटान के लिए समय सीमा संबंधी घटकों को शामिल करते हुए अनुदेश जारी किए गए।</p> <p>• बैंकों को (निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में) अपने पूर्ण कालिक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों (अध्यक्ष-मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलावा) को किसी अन्य कंपनी का निदेशक अथवा अंशकालिक कर्मचारी बनने के लिए अनुमति देने हेतु रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेना ज़रूरी नहीं है।</p> <p>14 • ईएफटी, एसईएफटी और ईसीएस सुविधा के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के उत्पादों के सभी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए प्रसंस्करण प्रभागों को, 14 जून 2005 से 31 मार्च 2006 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रभावी, माफ़ कर दिया गया। यह माफ़ी 2 करोड़ रुपए से कम के लेनदेन के लिए मौजूदा माफ़ी के अतिरिक्त है।</p> <p>20 • बैंकों को सूचित किया गया कि सरकार अथवा अन्य जाँच करने वाली एजेंसियों को आँकड़ा-जानकारी देने से पहले अपने आप को संतुष्ट कर लें कि उनके द्वारा दी जाने वाली सूचना का स्वरूप ऐसा नहीं हो जिससे बैंकिंग लेनदेन की गोपनीयता संबंधी कानूनी उपबंधों का उल्लंघन हो।</p> <p>24 • बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के प्रयोजन के लिए 'ऋण और अग्रिम' अभिव्यक्ति में, सुकर निपटान के विचार से, निपटान बैंकों द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड को दी गई ऋण व्यवस्था / ओवरड्राफ्ट सुविधा शामिल नहीं है।</p> <p>25 • अधिकार निर्गम जारी करने वाले बैंकों को अब से अपने प्रस्ताव दस्तावेज में विनियामक अपेक्षाओं के बारे में पूरा प्रकटन करना चाहिए।</p> <p>29 • बैंकों के पास वास्तविक संपत्ति में निवेश जोखिम के संबंध में, बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति होनी चाहिए जिसमें निवेश जोखिम सीमाओं, ध्यान में रखी जाने वाली संपाश्विक जमानत, रखी जाने वाली मार्जिन, मंजूर करने के अधिकार की सीमा, वित्त पोषित किए जाने वाले क्षेत्र को शामिल करते हुए, बैंकों को भी रिपोर्ट अपने वास्तविक संपत्ति निवेश जोखिम को निश्चित शीर्षों के अंतर्गत और अपने वास्तविक संपत्ति क्षेत्र में सकल निवेश जोखिम को उजागर करना होगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विस्तृत विवरण देना होगा।</p>
जुलाई	<p>13 • बैंकों को सूचित किया गया कि वे ईएफटी / एसईएफटी / ईसीएस / आरटीजीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित उत्पादों की अपनी सेवाओं के लिए मूल्यनिर्धारण की सूचना दें।</p> <p>• अनर्जक आस्तियाँ की बिक्री/खरीद के बारे में दिशानिदेश, मूल्यांकन और मूल्यनिर्धारण पहलुओं और विवेकपूर्ण एवं प्रकटन मानदंड जारी।</p> <p>20 • इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं देने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करने पर, रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।</p>

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2005	
जुलाई	<p>23 • मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को किसी भी पण्य के संबंध में (स्वर्ण, चांदी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के सिवाय) में अंतरराष्ट्रीय पण्य बाजार में कीमत जोखिम की रक्षा के लिए अनुमति देने का प्राधिकार कुछ चयनित वाणिज्य बैंकों को प्रत्यायोजित किया गया है।</p> <p>26 • पूंजी बाजार और वाणिज्यिक वास्तविक संपत्ति एक्सपोजर के बारे में ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार बढ़ाकर 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत किया गया।</p> <p>29 • महाराष्ट्र में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय के लिए बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि प्रभावित व्यक्तियों को 5,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी संपार्श्विक जमानत के और 10,000 रुपए का ऋण शाखा प्रबंधक के विवेकानुसार, उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के अनुसार, उपभोग ऋण दिए जाएँ।</p>
अगस्त	<p>2 • बैंकों को, मुद्रा की तिजोरी शाखाओं के नियंत्रक कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करना है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शेष जमाराशि का सत्यापन इसमें संबंध निर्धारित न्यूनतम अंतराल पर होता रहे। यह / और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अनिवार्य सुरक्षा (जैसे, अचानक सत्यापन/ संयुक्त अभिरक्षा, इत्यादि) का पालन किया जाता है।</p> <p>• आपदा के मद्दे नजर और प्राकृतिक अविलंब सहायता देने के लिए ऐसे व्यक्ति शीघ्रता से खाता खोल सकें उसके लिए बैंक न्यूनतम औपचारिकता पालन करें।</p> <p>3 • बैंकों को बोर्ड के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि में शाखा विस्तार के लिए विस्तृत मध्यावधि कंपनी प्लान बनाना है। प्लान में अब से सभी श्रेणियों की शाखाएँ / कार्यालय जो ग्राहक के संपर्क में आते हैं, विशेषीकृत शाखाओं, विस्तार काउंटर और एटीएम की संख्या इत्यादि, शामिल की जानी चाहिए। प्लान जिलावार आधार पर, महानगरीय/शहरी/अर्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की संख्या देते हुए, बनाई जानी चाहिए। उपर्युक्त विवरणों के साथ शाखा विस्तार के लिए प्रस्ताव वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>19 • छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को ऋण बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार के वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इन क्षेत्रों के ऋण देने में सुधार लाने के लिए उपाय करना है। उसके लिए रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली भी निर्धारित की गई। उसी प्रकार के दिशानिदेश 25 अगस्त 2005 को निजी क्षेत्र के, विदेशी, क्षेत्रीय ग्रामीण, और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को भी जारी किए गए।</p> <p>23 • बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और सरकार प्रायोजित योजनाओं, जैसे, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजनाएँ, के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु सभी प्रयास करने हैं। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जातियों के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जातियों के लिए दी गई सुविधाओं का पर्याप्त प्रचार किया जाए और मास्टर परिपत्रों में समाहित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।</p> <p>• बैंकों के लिए, उन व्यक्तियों के खाते खोलने के लिए जो अपने सभी खातों में कुल मिलाकर 50,000 रुपए से कम जमाराशि रखना चाहते हैं और जिनके सभी खातों में कुल जमा एक वर्ष में एक लाख रुपए (रु.1,00,000) अधिक न होने का अनुमान हो, 'अपने ग्राहक को जानिए' प्रक्रिया और सरल बनाई गई। बैंक दूसरे खाताधारक (कम से कम छह महीने से खाताधारक हो) जिसके बारे में 'अपने ग्राहक को जानिए' की पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया हो अथवा ग्राहक की पहचान और उसके पते के बारे में कोई अन्य साक्ष्य हो जिससे बैंक संतुष्ट हो, द्वारा परिचय देने पर खाता खोल सकते हैं। उसी प्रकार के दिशानिदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी जारी किए गए।</p>
सितंबर	<p>1 • नई दिल्ली में चेक छिन्नन प्रायोगिक परियोजना में भाग लेने वाले बैंकों को तुरंत कार्रवाई के लिए अपेक्षित मुद्दों, जावक के लिए प्रस्तुत करने के 'छिन्नन के स्थान' और आवक लिखतों के भुगतान के लिए प्रसंस्करण हेतु प्रस्तुत करने के बारे में अंतिम निर्णय करने समेत, अपनी मौजूदा आंतरिक बैंकिंग और समाशोधन मैनुअल में संशोधन, नए प्रसंस्करण उपकरणों का प्रयोग, आवक और जावक छवियों के भंडारण प्रणाली के लिए निर्णय करना, इत्यादि को सुलझाना है।</p> <p>• लघु और मध्यम उद्यम के लिए 10 करोड़ रुपए से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए एकबारगी निपटान योजना के बारे में दिशानिदेश जारी किए गए।</p> <p>• बैंकों को सूचित किया गया कि तयशुदा लेनदेन प्रणाली-खुला बाजार नमूने से मेलखाते लेनदेन के बारे में, चूँकि सभी सौदों में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड केंद्रीय प्रतिपक्ष है इसलिए किसी व्यापार में किसी प्रतिपक्ष का जोखिम पूर्ण निवेश केवल भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को है न कि उस सत्ता के लिए है जिससे कि लेनदेन मेल खाता है। तथापि, सभी सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन, तयशुदा लेनदेन प्रणाली-खुला बाजार में मेलखाती हुई प्रतिभूतियों से भिन्न, की बैंक ऑफिस द्वारा पहले की तरह वास्तविक रूप से पुष्टि किया जाना जारी रहेगा।</p>

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय	
2005		
सितंबर	5	<ul style="list-style-type: none"> स्वर्ण आयात करने के लिए जिन बैंकों को नामित किया गया था, जो आभूषण निर्यातक नहीं हैं, उन्हें, कुछ निश्चित शर्तों पर, घरेलू आभूषण विनिर्माताओं स्वर्ण (धातु) ऋण देने की अनुमति है।
	8	<ul style="list-style-type: none"> भारत में बैंकों की शाखाओं के लिए प्राधिकार देने की नीति को, शाखा प्राधिकरण नीति ढांचे के साथ उदारीकृत और तर्कसंगत किया गया, जो बैंकों की कंपनी जगत की मध्यावधि कार्यनीति और जनता के हितों के सामंजस्य में होगा। शाखाएँ खोलने के लिए आवेदन पर विचार करते समय बैंकों द्वारा आम व्यक्तियों को दी गई बैंकिंग की सुविधाओं के स्वरूप और विस्तार, विशेषरूप से बिना बैंक वाले क्षेत्र में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण प्रवाह, उत्पादों का मूल्यनिर्धारण और वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए के समग्र प्रयास, यथोचित नए उत्पादों को लागू करने और ऋण वितरण के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी प्रयोग बढ़ाने समेत, मुद्दों को वरीयता दी जाए। बैंकों को ऋण पुनर्संरचना करने का तंत्र लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में इकाइयों के लिए लागू करना होगा। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नियत किए गए पात्रता मानदंडों और खातों, अर्थसक्षमता मानदंडों, पुनर्संचित खातों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों, अतिरिक्त वित्त के बारे में कार्रवाई, आस्ति वर्गीकरण, बार-बार पुनर्संरचना करना, इत्यादि संबंधी विस्तृत दिशानिदेश बनाए गए।
	9	<ul style="list-style-type: none"> आइडीबीआई बैंक लि. 2 अप्रैल 2005 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से निकाला गया।
	24	<ul style="list-style-type: none"> बैंक ऑफ पंजाब का 1 अक्टूबर 2005 से संचूरिय बैंक में विलय हो गया।
अक्टूबर	1	<ul style="list-style-type: none"> प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणों के परिवर्तन/पुनः निर्धारण के मामले में, यदि राज्य सरकार द्वारा आनावारी की घोषणा में देरी होती है तो, जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा की गई ऐसी घोषणा के आधार पर, क्योंकि उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और जिला कलेक्टर उसकी अध्यक्ष होता है, कार्रवाई की जा सकती है।
	9	<ul style="list-style-type: none"> जम्मू और कश्मीर राज्य और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने वाले उपभोग ऋण की सीमा, भूकंप के परिप्रेक्ष्य में, बिना किसी जमानत, बढ़ाकर रु. 5,000 कर दी गई। यह सीमा शाखा प्रबंधक के विवेकाधिकार के अनुसार रु. 10,000 तक, उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के अनुसार, बढ़ाई जा सकती है। बैंक भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त आवासीय इकाइयों इत्यादि के मरम्मत/दुबारा निर्माण के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रावधान पर भी विचार कर सकते हैं।
	10	<ul style="list-style-type: none"> जिन बैंकों ने 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की कम से कम नौ प्रतिशत पूंजी बनाए रखी है, ऋण जोखिमों और बाजार जोखिमों दोनों के लिए, एचएफटी और एएफएस श्रेणी, दोनों के लिए, उन्हें आइएफआर में संपूर्ण जमाशेष को टियर I की पूंजी के रूप में माने जाने की अनुमति है। इस प्रयोजन के लिए बैंक लाभ और हानि विनियोजन खाते में 'लाभ निकालने के बाद' निवेश घटबढ़ रिजर्व (आइएफआर) की संपूर्ण शेष राशि सांविधिक रिजर्व, सामान्य रिजर्व अथवा लाभ और हानि खाता शेष में अंतरित करें।
	15	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को परिचालन जोखिम प्रबंध के बारे में संशोधित मार्गदर्शन संबंधी नोट जारी किए गए। जोखिम प्रबंध के ढांचे की रूपरेखा बैंकों की अपनी अपेक्षाओं, कारोबार के आकार और उसकी जटिलता, जोखिम दर्शन, बाजार अनुमान और पूंजी का प्रत्याशित स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि, बैंक में जोखिम प्रबंध प्रणाली में, कारोबार में परिवर्तनों, आकार, बाजार दिशा और बैंक द्वारा भविष्य में लाए जाने वाले नवोन्मेषी उत्पादों के अनुसार ढलने योग्य हो।
	17	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को अपने ग्राहकों को ईसीएस के माध्यम से उनके खाते में की गई जमा राशियों का ब्योरा उनकी पासबुक/उनके खाता विवरण में देना होगा। भेजने वाले का पता/प्रेषण विवरण के लिए अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, जैसे, ईएफटी, एसईएफटी, आरटीजीएस, इत्यादि, में भुगतान के लिए भी उसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाए।
	18	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को केंद्रीय स्तर समन्वय समिति की सिफारिशों के अनुरूप स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करना होगा- (i) सिफारिशों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को मंजूर करने के लिए शाखा प्रबंधकों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना, (ii) उत्तरवर्ती वर्ष की पहली तिमाही के अंत में सभी लंबित आवेदनों को निपटा दिया जाना, (iii) ऋण के अंतर को पूरा करने के लिए लघु वित्तपोषक संस्थाओं का उपयोग करना, (iv) ऋण में उपदान का 1:3 का अपेक्षित अनुपात हासिल करना, (v) खराब निष्पादन वाली अपनी शाखाओं के बारे में प्रस्थिति रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को देना और (vi) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से भिन्न स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वसूली के संबंध में आंकड़ों का अलग रिकार्ड रखना शामिल है।
25	<ul style="list-style-type: none"> चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक की रिजर्व रेपो दर और रेपो दरें 26 अक्टूबर 2005 से प्रभावी 25 आधार अंक बढ़ाकर क्रमशः 5.25 प्रतिशत और 6.25 प्रतिशत की गईं। 	

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2005	
नवंबर	<p>2 • बैंकों को सूचित किया गया कि आभूषण के बदले अग्रिम स्वीकृत करने के निर्णय पर विचार करते समय उस पर लगाए हुए प्रमाणिकता सूचक चिह्न की उपयोगिता को ध्यान में रखा जाए।</p> <p>4 • बैंकों की 'मानक अग्रिमों' के लिए सामान्य प्रवधानीकरण आवश्यकता, कृषि संबंधी और लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रत्यक्ष अग्रिमों के अतिरिक्त, वर्तमान स्तर 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत तक कर दिया गया है।</p>
ख) सहकारी बैंक	
2004	
अप्रैल	<p>12 • सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को सूचित किया गया कि एक से तीन वर्ष की परिपक्वता वाली अनिवासी बाह्य जमाराशियों के लिए ब्याज दरें, जिनके लिए संविदा की प्रभावी तारीख को कारोबार बंद होने पर भारत में 7 अप्रैल 2004 है, अमरीका डॉलर के लिए, तदनुसूची परिपक्वता हेतु लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होंगी। छह महीने की परिपक्वता वाली अमरीका डॉलर में अनिवासी बाह्य जमाराशियों के लिए ब्याज दरें लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए और लिबोर/स्वैप दर अमरीका डॉलर के बारे में, पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिन को त्रैमासिक आधार पर नियत की जाए।</p> <p>15 • शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एसएलआर से भिन्न प्रतिभूतियों में निवेश के लिए व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए।</p>
मई	<p>24 • प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि आवासीय संपत्ति बंधक रखकर ऋण और अग्रिम मंजूर करने के लिए मूल्यांकन करते समय उपयुक्त सावधानी बरतें।</p> <p>26 • शहरी सहकारी बैंक के लिए पहले से ही प्रचलित व्यवस्था को प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए परोक्ष रूप से निगरानी प्रणाली 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के जमा आकार वाले सभी गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू की गई।</p> <p>29 • शहरी सहकारी बैंक को 'अपने ग्राहक को जानिए' के लिए अपने ग्राहक द्वारा दी गई सूचना की गोपनीयता का सख्ती से अनुपालन करना होगा।</p>
जुलाई	<p>12 • सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को सूचित किया गया कि 30 सितंबर 2004 से प्रभावी, मंजूर किया गया कोई ऋण अनर्जक आस्ति माना जाएगा जब मूलधन अथवा उस पर उपचित ब्याज किस्त, अल्प अवधि की फसलों के बारे में देय तारीख से दो मौसमों तक अदत्त रह जाता है। दीर्घावधि फसलों के लिए दिए गए ऋण मूलधन अथवा उस पर उपचित ब्याज किस्त एक फसल मौसम तक अदत्त रह जाता है तो अनर्जक आस्ति माना जाएगा।</p> <p>13 • प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए जब तक समुचित विधायी ढांचा नहीं बन जाता तब तक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए किसी आवेदन पर विचार न किया जाए।</p>
अगस्त	<p>7 • शहरी सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों (जमानती और बेजमानती दोनों) के लिए निदेशक और उनके रिश्तेदार जमानतदार/गारंटीदाता बनने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>19 • शहरी सहकारी बैंकों में गिल्ट खाता धारक किसी भी बिक्री लेनदेन के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि बेची गई प्रतिभूति ग्राहक के गिल्ट खाते में वास्तविक रूप में जमा न हो।</p>
सितंबर	<p>2 • शहरी सहकारी बैंक को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत 25 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाने की अनुमति है बशर्ते कि उस आधिक्य में केवल सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियाँ ही शामिल हों और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई कुल सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियाँ निवल मांग और मीयादी देयता के 25 प्रतिशत से ज्यादा न हों। इस उद्देश्य से बैंकों एसएलआर प्रतिभूतियाँ एचएटीएम श्रेणी में बदलने की अनुमति दी गई है। तथापि, एसएलआर से भिन्न किसी नई प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान एक बार फिर बदलने की अनुमति नहीं दी गई।</p> <p>27 • शहरी सहकारी बैंक को 'तीन वर्ष से ज्यादा समय के लिए संदिग्ध' के रूप में अधिनिर्धारित अग्रिम के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण 31 मार्च 2005 को समाप्त होनेवाले वर्ष से शुरू करके चरणबद्ध रूप में चार वर्ष के बजाय, पाँच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाए।</p>
अक्तूबर	<p>20 • शहरी सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत, शहरी बैंकिंग क्षेत्र में सुव्यवस्थित रूप से संचालित बैंकों के समान सर्वोत्तम संव्यवहारों, का अनुरण करना होगा। तथापि, शहरी सहकारी बैंक, बेहतर ग्राहक सेवा और कारोबार विकास का परिणाम देने वाली कोई भी अन्य व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं।</p>

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2004	
नवंबर	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश जोखिमों के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए निर्णय करने हेतु राज्य की सरकार की गारंटी लागू करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है और ऐसे ऋणों के लिए वहीं मानदंड लगाए गए जो राज्यसरकार द्वारा गैर-गारंटीकृत ऋण पर लगाए जाने थे। सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को सूचित किया गया कि एक से तीन वर्ष की परिपक्वता वाली अनिवासी बाह्य जमाराशियों के लिए ब्याज दरें, जिनके लिए संविदा की प्रभावी तारीख को कारोबार बंद होने पर भारत में 1 नवंबर 2004 है, लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होंगी, अमरीका डॉलर के लिए, तदनुरूपी परिपक्वता हेतु, और 50 आधार अंक होगा। राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय मध्यवर्ती बैंक को सूचित किया गया कि वे अपने विवेक के अनुसार घरेलू अनिवासी साधारण मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 15 लाख रुपए से कम के लिए भी 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर सकते हैं। तथापि, बैंक 15 लाख रुपए और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर इससे पहले की तरह विभेदकारी दरों पर ब्याज देना जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यह संशोधित अनुदेश 1 नवंबर 2004 से प्रभावी होगा। <p>18</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित अथवा लाइसेंसशुदा राज्य सहकारी बैंकों को और लाइसेंसशुदा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को, जोखिम में सहभागिता के बिना, कंपनी एजेंट के रूप में, कुछ निर्धारित नियम और शर्तों को पूरी करने की शर्त पर बीमा कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गई।
दिसंबर	<p>14</p> <ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंक को मौजूदा 10 लाख रुपए की सीमा के बदले 15 लाख रुपए का आवास निर्माण ऋण देने की अनुमति दी गई। <p>15</p> <ul style="list-style-type: none"> 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों और धन शोधन निवारण उपाय के बारे में व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों को सूचित किया गया कि चार प्रमुख तत्व : i) ग्राहक स्वीकार करने की नीति; ii) ग्राहक की पहचान की प्रक्रिया; iii) लेनदेन की निगरानी और iv) जोखिम प्रबंध शामिल करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियाँ बनाएँ।
2005	
जनवरी	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> एसोसिएशनों/संगठनों द्वारा भारत में सुनामी राहत के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने के बारे में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए। <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> आवास निर्माण ऋणों के बारे में जोखिम भार को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और वैयक्तिक ऋणों और क्रेडिट कार्ड समेत उपभोक्ता ऋण मामले में 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया। <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> एसोसिएशनों/संगठनों द्वारा भारत में सुनामी राहत के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने के बारे में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए। <p>20</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा निवेश जोखिमों के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए निर्णय करने हेतु राज्य सरकार की गारंटी लागू करने की आवश्यकता को हटाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए। <p>24</p> <ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को, जोखिम में सहभागिता के बिना, कंपनी एजेंट के रूप में, कुछ निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने की शर्त पर, संदर्भित करने पर सलाकार के रूप में बीमा कारोबार शुरू करने के बारे में व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए।
फरवरी	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> विलयन/समामेलन के बारे में शहरी सहकारी बैंकों के लिए इन पूर्वशर्तों के साथ: i) अभिगृहीत किए गए बैंक की निवल मालियत धनात्मक हो और अभिगृहीत करने वाला बैंक आश्वासन दिलाता है कि वह अभिगृहीत किए गए बैंक के सभी जमाकर्ताओं की संपूर्ण जमाराशियों की रक्षा करेगा; ii) यदि अभिगृहीत किए गए बैंक की निवल मालियत ऋणात्मक हों और अभिगृहीत करने वाला बैंक आश्वासन दिलाता है कि वह अभिगृहीत किए गए बैंक के सभी जमाकर्ताओं की संपूर्ण जमाराशियों की रक्षा करेगा; और iii) यदि अभिगृहीत किए गए बैंक की निवल मालियत धनात्मक हो और अभिगृहीत करने वाला बैंक आश्वासन दिलाता है कि वह अभिगृहीत किए गए बैंक के सभी जमाकर्ताओं की संपूर्ण जमाराशियों की रक्षा राज्य सरकार द्वारा विलयन प्रक्रिया के भाग के रूप में अग्रिम सहायता भुगतान के रूप में उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से करेगा, दिशानिदेश जारी किए गए। <p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित अथवा लाइसेंसशुदा राज्य सहकारी बैंकों और लाइसेंसशुदा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा बीमा कारोबार करने के लिए न्यूनतम निवल मालियत 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए की गई। <p>18</p> <ul style="list-style-type: none"> 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों और धन शोधन निवारण उपाय के बारे में व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए। राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को सूचित किया गया कि चार प्रमुख तत्व : i) ग्राहक स्वीकार करने की नीति; ii) ग्राहक की पहचान की प्रक्रिया; iii) लेनदेन की निगरानी और iv) जोखिम प्रबंध शामिल करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियाँ बनाएँ।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय	
2005		
फरवरी	26	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने निवेश संविभाग के बारे में रिपोर्टिंग प्रणाली के संबंध में दिशानिदेश जारी किए गए।
मार्च	1	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सहकारी और केन्द्रीय मध्यवर्ती बैंकों को, अनर्जक आस्तियाँ के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण की आवश्यकता के बारे में दिशानिदेश जारी किए गए। शहरी सहकारी बैंक को प्रकटन के लिए व्यापक अपेक्षाओं की पूर्ति करके अपने परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिशानिदेश जारी किए गए।
	28	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंकों को, निवेश संविभाग के लिए वर्गीकरण और मूल्यांकन प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं के संबंध में विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए।
	30	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंकों के लिए आय निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और संबंधित अन्य मामलों के बारे में विवेकपूर्ण मानदंड संशोधित किए गए।
अप्रैल	11	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंकों के लाभ में से सार्वजनिक/धार्मिक प्रयोजनों के लिए दान/योगदान के बारे में सीमा उच्चतम घोषित की गई।
	15	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंक को विवेकपूर्ण निवेश जोखिम अग्रिम के बारे में, एकल उधारकर्ता और सामूहिक उधारकर्ताओं मामले में, 'पूँजी निधियों' और जोखिम पूर्ण निवेश का, एकल उधारकर्ता के और सामूहिक उधारकर्ताओं मामले में क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की सीमाओं को घटाना होगा। इस प्रयोजन के लिए पूँजी निधियों' और जोखिम पूर्ण निवेश की परिभाषाएँ भी आशोधित की गईं। शहरी सहकारी बैंकों को संशोधित सीमा से अधिक के बकाया अथवा किए जोखिम पूर्ण निवेशों को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर, अर्थात्, 31 मार्च 2007 तक, लाना होगा।
	28	<ul style="list-style-type: none"> रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि कमजोर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्जीवन और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यकतानुसार विलयन/समामेलन के विकल्प भी तलाश की जाए।
मई	4	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंकों को, आवास निर्माण ऋण क्षेत्र में बकाया धोखाधड़ी संबंधी टिप्पणी सहित, 'बकाया धोखाधड़ी की समेकित स्थिति' का त्रैमासिक विवरण मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ होने वाली तिमाही भेजना होगा।
	6	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को, जोखिम में सहभागिता के बिना, कंपनी एजेंट के रूप में, कुछ निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने की शर्त पर, संदर्भित करने पर सलाहकार के रूप में बीमा कारोबार शुरू करने अनुमति दी गई।
	11	<ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित वाणिज्य बैंक में गिल्ट खाता धारक गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों और सूचीबद्ध कंपनियों को रेपो बाजार में शामिल करने के लिए सभागिता की पात्रता में विस्तार किया गया।
जुलाई	4	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंक जिनकी एक ही शाखा/प्रधान कार्यालय हो जिसकी कुल जमा राशियाँ 100 करोड़ रुपए हो तथा एक ही जिले में जिनकी कई शाखाएँ हों और जमा राशियाँ 100 करोड़ रुपए हों उन्हें 31 मार्च 2007 तक वर्तमान मौजूदा 90 दिन की चूक के मानदंड के बजाय 180 दिन की चूक के मानदंड आधार पर अनर्जक आस्तियाँ का वर्गीकरण करने अनुमति है।
	12	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक सेवाओं के बारे में प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में जमाकर्ताओं की मृत्यु संबंधी मृतक के दावे का सहज, शीघ्र और असुविधा मुक्त निपटान करने के लिए राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय मध्यवर्ती बैंकों को सूचित किया गया।
	13	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यांकन संबंधी मानदंडों को आशोधित किया गया जिससे वे अपनी अतिरिक्त प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं का परिशोधन कर सकें।
अगस्त	3	<ul style="list-style-type: none"> प्राकृतिक आपदा के मद्दे नज़र और अविर्लंब सहायता देने के लिए ऐसे व्यक्ति शीघ्रता से खाता खोल सकें उसके लिए शहरी सहकारी बैंक न्यूनतम औपचारिकता का पालन करें। राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय मध्यवर्ती बैंकों के बारे में भी उसी प्रकार के दिशानिदेश 16 अगस्त 2005 को जारी किए गए।
	4	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय मध्यवर्ती बैंकों को अपनी वास्तविक अधिशेष निधियों का, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना मामला-दर-मामला आधार पर, कुछ शर्तों पर, एसएलआर से भिन्न में प्रतिभूतियों में निवेश करना होगा।
	9	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक जमानत/गौण जमानत, शेयर / डिबेंचर की जमानत पर दिए गए ऋणों के लिए जोखिम भार क्रमशः बढ़ाकर 125 प्रतिशत (100 प्रतिशत से) कर दिया गया, उसे यू टी आइ की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) की इकाइयों की इक्विटी में निवेश के लिए बढ़ाकर 127.5 प्रतिशत (102.5 प्रतिशत से) और वाणिज्यिक स्थावर संपत्ति के लिए बढ़ाकर 125 प्रतिशत (100 प्रतिशत से) कर दिया गया।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2005	
अगस्त	23 <ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंकों के लिए, उन व्यक्तियों के खाते खोलने के लिए जो अपने सभी खातों में कुल मिलाकर 50,000 रुपए से कम जमा राशि रखना चाहते हैं और जिनके सभी खातों में एक वर्ष में कुल जमा एक लाख रुपए (रु.1,00,000) अधिक न होने का अनुमान हो, 'अपने ग्राहक को जानिए' प्रक्रिया और सरल बनाई गई। बैंक दूसरे खाताधारक (कम से कम छ महीने से खाताधारक हो) जिसके बारे में 'अपने ग्राहक को जानिए' की पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया हो अथवा ग्राहक की पहचान और उसके पते के बारे में कोई अन्य साक्ष्य हो जिससे बैंक संतुष्ट हो, द्वारा परिचय देने पर खाता खोल सकते हैं। उसी प्रकार के दिशानिदेश राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को भी जारी किए गए।
सितंबर	17 <ul style="list-style-type: none"> लाइसेंसशुदा और/अथवा अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक जोखिम में सहभागी हुए बिना, किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक पहले से ही जिनके पास क्रेडिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था है, के साथ समझौता व्यवस्था के रूप में संयुक्त रूप से, कुछ निश्चित शर्तों का पूरा करने पर घरेलू क्रेडिट कार्ड के कारोबार करने की अनुमति है। उन शर्तों में न्यूनतम धनात्मक निवल मालियत 50 करोड़ रुपए, पिछले तीन वर्ष से निवल लाभ का अर्जन कर रहा हो और जिनके पास संचित हानि नहीं है, सकल अनर्जक आस्तियाँ 10 प्रतिशत से नहीं अधिक हैं, रिजर्व बैंक/नाबार्ड के विवेकपूर्ण और अन्य मानदंडों का अनुपालन और रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति शामिल हैं।
अक्तूबर	10 <ul style="list-style-type: none"> राज्य सहकारी बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष से अपने तुलनपत्रों में 'लेखा टिप्पणी' के रूप में सूचना उपलब्ध कराना होगा।
	20 <ul style="list-style-type: none"> अपने तुलनपत्र में संचित हानि रखने वाले शहरी सहकारी बैंक दान करने के पात्र नहीं हैं।
ग) वित्तीय संस्थाएँ	
2004	
जून	15 <ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय संस्थाओं के जोखिम पूर्ण निवेश के संबंध में जोखिम भार को 1 अप्रैल 2005 से बढ़ाकर, ऋण जोखिम के लिए 100 प्रतिशत और बाजार जोखिम के लिए 2.5 प्रतिशत किया गया।
	21 <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड क्रेडिट इन्फर्मेंशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को सभी उधारकर्ताओं के बारे में दी जाने वाली वांछित जानकारी देना सुनिश्चित करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट रिजर्व बैंक को दें। ऋण संबंधी जानकारी के प्रसार में क्रेडिट इन्फर्मेंशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड की भूमिका स्पष्ट की गई। क्रेडिट इन्फर्मेंशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को अपने स्वामित्व के ढांचे में विविधता लाना होगा और किसी भी संस्था के पास अपनी प्रदत्त पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं होगा।
	26 <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय संस्थाओं को, एकल/सामूहिक उधारकर्ता के संबंध में विवेकपूर्ण निवेश सीमा अर्थात्, क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत, और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमाओं का सख्ती से पालन करना होगा। वित्तीय संस्थाएँ, अपवादात्मक परिस्थितियों में, अपने बोर्डों के अनुमोदन से, किसी उधारकर्ता के संबंध में इसके अतिरिक्त पूंजी निधियों के 5 प्रतिशत तक जोखिम पूर्ण निवेशों में वृद्धि करने पर विचार कर सकती हैं बशर्ते कि उधारकर्ता वित्तीय संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उसे यथोचित रूप से प्रकट करने की सहमति दे।
अगस्त	3 <ul style="list-style-type: none"> अनर्जक आस्तियाँ की अवधि के अनुसार 'तीन वर्ष से ज्यादा समय से संदिग्ध' श्रेणी में उच्चतर प्रावधानीकरण की अपेक्षा होगी।
	30 <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय संस्थाओं को ईक्विटी लिखतों में नए रूप से निवेश करने और उन्हें डीमैट रूप में रखने की, अविलंब रूप से प्रभावी, अनुमति है। सभी शेष कागजी ईक्विटी को डीमैट रूप में दिसंबर 2004 के अंत तक परिवर्तित किया जाना था।
नवंबर	1 <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय संस्थाओं के संबंध में, 31 मार्च 2005 से प्रभावी, यदि कोई आस्ति 12 महीने से अवमानक श्रेणी में हो तो उसे संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाए। वित्तीय संस्थाओं को, उसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रावधानीकरण को मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू करके चार वर्ष में चरणबद्ध रूप से, प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 20 की प्रतिशत की सीमा के साथ, समाप्त करने की अनुमति है।
	6 <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट इन्फर्मेंशन ब्यूरो (इंडिया) लि को समय-समय पर डाटा की और रिजर्व बैंक को प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए अविलंब उपाय करने हेतु सूचित किया गया।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय	
2005		
फरवरी	11	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय संस्थाओं का अपने सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से अपने खजाना परिचालनों, साथ-साथ, अपने निवेशों का लेखा समाधान; प्रमुख क्षेत्र में अनुपालन; आय निर्धारण; आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण; जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात के बारे में प्रमाणन और उनकी गणना संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
अप्रैल	26	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय संस्थाओं द्वारा डेरिवेटिवों में अपने जोखिम एक्सपोजर के बारे में, डेरिवेटिवों में अपने जोखिम पूर्ण निवेशों, प्रबंध प्रणाली, उद्देश्यों और नीतियों की स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए प्रकटीकरण के लिए न्यूनतम ढांचा नियत किया जाए।
	27	<ul style="list-style-type: none"> जनता से जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली वित्तीय संस्थाएँ जिनकी आस्ति का आकार 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, उन पर रिजर्व बैंक का परोक्ष रूप से सीमित पर्यवेक्षण लागू होगा। इसलिए, 31 मार्च 2005 को समाप्त अवधि से प्रभावी, परोक्ष रूप से पर्यवेक्षण की मौजूदा प्रणाली के बदले अब सरलीकृत सूचना प्रणाली के रूप में ज्ञात, 'चयनित वित्तीय संस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय मापदंड के बारे में तिमाही प्रतिलाभ' लागू होगी।
घ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)		
2004		
अप्रैल	24	<ul style="list-style-type: none"> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा, 24 अप्रैल 2004 से प्रभावी, अनिवासी भारतीयों से नए रूप से जमा राशियाँ स्वीकार करने पर प्रतिबंध है परंतु पहले से ही स्वीकार की गई जमा राशियों का नवीकरण किया जा सकेगा।
मई	18	<ul style="list-style-type: none"> व्यास समिति की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, निर्णय किया गया कि लघु वित्तपोषक संस्थाओं को जनता से जमा राशियाँ स्वीकार करने की तब तक अनुमति नहीं है जब तक कि वे रिजर्व बैंक के मौजूदा विनियामक ढांचे का अनुपालन न करें।
जून	15	<ul style="list-style-type: none"> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ऋण देने की परिभाषा में : i) कृषि प्रसंस्करण और कृषि को निविष्टियों की आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं संबंधी निर्माण; ii) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, खराब हो जाने वाले माल, जैसे, फल, सब्जियाँ और फूलों के संरक्षण और भंडारण, गुणवत्ता के लिए जाँच करने की सुविधाओं समेत, के लिए निर्माण कार्य और iii) शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण परियोजनाओं/क्षेत्रों को शामिल किया जाना है।
	22	<ul style="list-style-type: none"> शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके निवेशों हेतु चलनिधि और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, निर्धारित निवेश पद्धति को तर्कसंगत व्याख्या प्रदान की गई। इन उपायों में : i) शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निवेश के विवेकाधिकार को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, ii) वित्तीय संस्थाओं में केवल एए+ या उससे ऊपर की रेटिंग वाले जमा प्रमाणपत्र लिखतों में निवेशों पर प्रतिबंध, iii) जमा राशियों की अतिरिक्त 15 प्रतिशत राशि का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश, iv) बंधपत्रों और डिबेंचरों में निवेश को केवल एए+ या उससे ऊपर की रेटिंग वाली सूचीबद्ध प्रतिभूतियों तक सीमित करना, v) म्यूचुअल फंड में निवेशों को केवल ऋण अभिमुखी योजनाओं तक सीमित रखना, किसी एक कोष में अधिकतम 2 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा के साथ, और vi) किसी एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) में जोखिम पूर्ण निवेश को अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) की कुल जमा देयताओं के एक प्रतिशत और किसी एक विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था में शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की जमा राशियों के एक प्रतिशत से ज्यादा न हो, शामिल हैं।
जुलाई	7	<ul style="list-style-type: none"> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि डेबिट कार्ड, भंडारित मूल्य कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्द्धित कार्ड, इत्यादि, के लक्षण माँग जमा राशियों के समान हैं क्योंकि उनका भुगतान कार्ड धारकों की सुविधानुसार किया जाता है। इसलिए कार्डों का जारी किया जाना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी मौजूदा निदेशों का उल्लंघन है।
	24	<ul style="list-style-type: none"> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिनके पास जनता से भिन्न जमा लेने की श्रेणी का पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं उन्हें जनता से जमा राशि स्वीकार करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु रिजर्व बैंक के पास आवेदन करने के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि रखना अपेक्षित होगा।
अगस्त	10	<ul style="list-style-type: none"> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि जब कभी वे कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तुलन पत्र की तारीख बढ़ाना चाहें, उन्हें इस प्रयोजन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करने के पहले रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे मामले में जहाँ मीयाद बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई है, कंपनी से अपेक्षित है कि वे रिजर्व बैंक के पास वर्ष के 31 मार्च को कच्चा तुलन पत्र (अलेखा परीक्षित) और उपर्युक्त तारीख प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक विवरणियाँ दी जाएँ।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (जारी)

घोषणा की तारीख	उपाय
2004	
अक्टूबर	5 <ul style="list-style-type: none"> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने की तारीख से तीन महीने और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने की तारीख से बार महीने के लिए न्यूनतम अवरुद्ध अवधि जिसके भीतर शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने के मामले में जनता की जमाराशियों का भुगतान नहीं कर सकती (विविध गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में) अथवा (शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में) अथवा ऐसी जमाराशियों के बदले ऋण नहीं दे सकती, के प्रावधान को रख लिया गया है। जमाराशियों का समय पूर्व भुगतान करने (अवरुद्ध अवधि के बाद) के प्रयोजन से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों की दो श्रेणियाँ, अर्थात्, 'समस्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शेष गैर बैंकिंग कंपनियों' और 'सामान्यरूप से संचालित कंपनियों' ही बनाने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, दोनों समूहों के संबंध में, समय पूर्व भुगतान मानदंड और जमाराशियों पर दिए जाने वाली ब्याज दरों के लिए अलग-अलग मानदंड जारी किए गए।
नवंबर	13 <ul style="list-style-type: none"> जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने / रखने वाली और 31 मार्च 2004 को जिनकी आस्तियों का आकार 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक था ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए त्रैमासिक रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की गई।
दिसंबर	30 <ul style="list-style-type: none"> जमाकर्ताओं को उचित ढंग से सेवा देना सुनिश्चित करने के लिए और प्रणालीगत जोखिमों से बचाव के लिए संशोधित निदेशों के अनुपालन के संक्रमण के दौरान कठिनाइयों को आसान करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए। 22 जून 2004 को जारी किए गए संशोधित निदेशों के अनुपालन के लिए जो संशोधन किए गए इनमें पात्र प्रतिभूतियों के रूप में गणना करने के लिए विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के जमा प्रमाणपत्रों और सूचीबद्ध बांडों / डिबेंचरों में निवेश, चाहे इन प्रतिभूतियों में निवेश के समय की इनकी एए+ या उससे ऊपर की रेटिंग बाद में कम करके न्यूनतम निवेश श्रेणी रेटिंग (एमआइजीआर) वाली ही क्यों न कर दी गई हो, के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में चालू खाते में शेष जमाराशियों के बारे में संशोधन शामिल है।
2005	
फरवरी	7 <ul style="list-style-type: none"> जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने / रखने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों के लिए हर समय पूरी सुरक्षा उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए।
	21 <ul style="list-style-type: none"> 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों और धन शोधन निवारण उपाय के बारे में व्यापक दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों को सूचित किया गया कि चार प्रमुख तत्व : i) ग्राहक स्वीकार करने की नीति; ii) ग्राहक की पहचान की प्रक्रिया; iii) लेनदेन की निगरानी और iv) जोखिम प्रबंध शामिल करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियाँ बनाएँ।
अप्रैल	28 <ul style="list-style-type: none"> निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विलयन/समामेलन के बारे में दिशानिदेश जारी किए गए। के बीच विलयन/समामेलन की प्रक्रिया के प्रस्ताव, विनिमय के अनुपात, प्रकटीकरण, विलयन प्रक्रिया में बोर्डों की भूमिका कब आएगी, और प्रवर्तकों द्वारा विलयन की प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान शेरों की खरीद-बिक्री के मानदंडों के निर्धारण संबंधी विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के बारे में दिशानिदेश का प्रारूप जारी किया गया और उसे अंतिम रूप देने से पहले उस पर अभिमत लेने हेतु रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया।
सितंबर	6 <ul style="list-style-type: none"> जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने / रखने वाली और जिनकी आस्तियों का आकार 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मासिक रिपोर्टिंग व्यवस्था, जो अब तक 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू थी, पर भी लागू की गई।
अक्टूबर	11 <ul style="list-style-type: none"> गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों द्वारा, ब्रोकर-एजेंट इत्यादि जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से होते हैं समेत, जितनी भी जमाराशियाँ इकट्ठि की जाती हैं उनके संबंध में 'अपने ग्राहक को जानिए' दिशानिदेश का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
	26 <ul style="list-style-type: none"> धोखाधड़ी के बारे में वर्गीकरण, धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के प्रति दृष्टिकोण के बारे में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत) को दिशानिदेश जारी किए गए। 25 लाख रुपए से कम राशि के धोखाधड़ी के व्यक्तिगत मामले गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है, सूचित किया जाए। जबकि 25 लाख रुपए और उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी के व्यक्तिगत मामले धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को सूचित किए जाएँ।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालक्रमानुसार घटनाएँ (समाप्त)

घोषणा की तारीख		उपाय
2004		
ड) प्राथमिक व्यापारी (पीडी)		
जून	3	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक व्यापारियों द्वारा उनके जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात से संबद्ध भुगतान के आधार पर लाभांश वितरण के बारे में दिशानिदेश जारी किए गए।
अगस्त	24	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक व्यापारी को अपने सभी ईक्विटी निवेश दिसंबर 2004 के अंत तक केवल डीमैट रूप में ही रखने थे और 31 दिसंबर 2004 से (स्क्रिप रूप विद्यमान सभी ईक्विटी होल्डिंग को डीमैट रूप में परिवर्तन समेत) नए रूप से किए जाने वाले सभी निवेशों को केवल डीमैट रूप में करना होगा।
अक्टूबर	15	<ul style="list-style-type: none"> टियर II और टियर III की पूँजी उगाहने के लिए अधीनस्थ ऋण लिखत के जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारियों को दिशानिदेश जारी किए गए।
नवंबर	13	<ul style="list-style-type: none"> सभी प्राथमिक व्यापारियों को सुनिश्चित करना होगा कि जब कभी चूक हो तो (लेनदेन के कारण उत्पन्न होने वाली वचनबद्धता को पूरा करने के लिए चालू और/अथवा सहायक सामान्य खाते में पर्याप्त शेष जमा राशि बनाए रखना) उस चूक का विवरण रिजर्व बैंक को सूचित करने की व्यवस्था जाए।
2005		
मार्च	29	<ul style="list-style-type: none"> तयशुदा लेनदेन प्रणाली के सभी सदस्यों को पीडीओ/एनडीएस की प्राथमिक बाजार परिचालनों के मॉड्यूल के अंतर्गत सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी के संचालन के संबंध में दिशानिदेश जारी किए गए।
मई	11	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक व्यापारियों को द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के सभी एकमुश्त लेनदेन के लिए T+1 आधार पर किए जाने वाले को निपटान की मानकीकृत प्रणाली अपना होगा। प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक निर्गम में सफल बोलीकर्ता को आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की आबंटन दिवस को ग्राहक सहायक सामान्य खाता (बी) के खाता धारकों के साथ और उनके बीच बेचने की अनुमति।
जुलाई	20	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक नीलामी के किसी आबंटिती से क्रेता द्वारा खरीदी गई प्रतिभूति की पुनर्बिक्री की अनुमति देने के लिए सरकारी प्रतिभूति लेनदेन संबंधी दिशानिदेश में पुनः ढील दी गई।

परिशिष्ट सारणी III.1(अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक						राष्ट्रीयकृत बैंक				स्टेट बैंक समूह			
	2004		2005		2005 #		2004		2005		2004		2005	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
देयताएं														
1. पूंजी	14,675.56	1.00	14,805.57	0.87	15,527.34	0.88	13,639.76	1.48	13,769.77	1.29	1,035.80	0.19	1,035.80	0.17
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	64,566.94	4.39	79,139.46	4.68	84,343.96	4.75	37,853.46	4.11	47,411.18	4.45	26,713.48	4.86	31,728.28	5.06
3. जमाराशियाँ	12,29,462.52	83.58	14,20,749.92	83.94	14,35,852.56	80.94	7,94,426.26	86.17	9,15,100.51	85.88	4,35,036.26	79.22	5,05,649.41	80.64
3.1 माँग जमाराशियाँ	1,41,318.27	9.61	1,59,419.06	9.42	1,63,305.72	9.21	77,727.56	8.43	88,158.24	8.27	63,590.71	11.58	71,260.82	11.36
3.2 बचत बैंक जमाराशियाँ	3,21,016.66	21.82	3,76,883.99	22.27	3,78,775.88	21.35	2,14,311.31	23.25	2,50,666.64	23.53	1,06,705.35	19.43	1,26,217.35	20.13
3.3 सावधि जमाराशियाँ	7,67,127.59	52.15	8,84,446.87	52.25	8,93,770.96	50.38	5,02,387.39	54.49	5,76,275.63	54.08	2,64,740.20	48.21	3,08,171.24	49.14
4. उधार राशि	30,256.50	2.06	42,874.14	2.53	92,879.68	5.24	13,441.07	1.46	19,398.71	1.82	16,815.43	3.06	23,475.43	3.74
5. अन्य देयताएँ और प्राक्धान	1,32,115.86	8.98	1,35,009.46	7.98	1,45,335.26	8.19	62,593.11	6.79	69,823.68	6.55	69,522.75	12.66	65,185.78	10.40
कुल देयताएं	14,71,077.38	100.00	16,92,578.55	100.00	17,73,938.80	100.00	9,21,953.66	100.00	10,65,503.85	100.00	5,49,123.72	100.00	6,27,074.70	100.00
आस्तियाँ														
1. धारि बैंक के पास नकदी व शेष	84,241.76	5.73	87,616.41	5.18	89,992.31	5.07	58,079.66	6.30	62,396.21	5.86	26,162.10	4.76	25,220.20	4.02
2. माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा और बैंकों के पास शेष	57,784.74	3.93	61,994.34	3.66	65,271.60	3.68	29,966.23	3.25	33,925.20	3.18	27,818.51	5.07	28,069.14	4.48
3. निवेश	6,26,175.69	42.57	6,60,674.36	39.03	6,85,729.05	38.66	3,78,874.04	41.09	3,99,970.11	37.54	2,47,301.65	45.04	2,60,704.25	41.57
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (अ+आ) में	5,10,231.77	34.68	5,52,696.74	32.65	5,67,594.99	32.00	2,96,022.58	32.11	3,21,518.41	30.18	2,14,209.19	39.01	2,31,178.33	36.87
क) भारत में	5,07,451.67	34.50	5,49,447.26	32.46	5,64,345.51	31.81	2,93,445.42	31.83	3,18,786.75	29.92	2,14,006.25	38.97	2,30,660.51	36.78
ख) भारत से बाहर	2,780.10	0.19	3,249.48	0.19	3,249.48	0.18	2,577.16	0.28	2,731.66	0.26	202.94	0.04	517.82	0.08
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	17,137.45	1.16	15,463.25	0.91	15,463.25	0.87	11,784.71	1.28	10,817.33	1.02	5,352.74	0.97	4,645.92	0.74
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	98,806.47	6.72	92,514.37	5.47	1,02,670.81	5.79	71,066.75	7.71	67,634.37	6.35	27,739.72	5.05	24,880.00	3.97
4. ऋण और अग्रिम	6,33,035.49	43.03	8,09,257.72	47.81	8,54,671.29	48.18	4,12,519.69	44.74	5,24,530.86	49.23	2,20,515.80	40.16	2,84,726.86	45.41
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	47,926.01	3.26	62,642.41	3.70	64,998.69	3.66	26,938.87	2.92	35,188.86	3.30	20,987.14	3.82	27,453.55	4.38
4.2 नकदी ऋण, अतिदेय आदि	3,00,412.46	20.42	3,48,556.25	20.59	3,49,839.94	19.72	2,00,523.35	21.75	2,39,425.43	22.47	99,889.11	18.19	1,09,130.82	17.40
4.3 सावधि ऋण	2,84,697.02	19.35	3,98,059.06	23.52	4,39,832.66	24.79	1,85,057.47	20.07	2,49,916.57	23.46	99,639.55	18.15	1,48,142.49	23.62
5. अचल आस्तियाँ	11,531.49	0.78	12,552.02	0.74	13,441.44	0.76	8,181.99	0.89	9,088.12	0.85	3,349.50	0.61	3,463.90	0.55
6. अन्य आस्तियाँ	58,308.21	3.96	60,483.70	3.57	64,833.11	3.65	34,332.05	3.72	35,593.35	3.34	23,976.16	4.37	24,890.35	3.97
कुल आस्तियाँ	14,71,077.38	100.00	16,92,578.55	100.00	17,73,938.80	100.00	9,21,953.66	100.00	10,65,503.85	100.00	5,49,123.72	100.00	6,27,074.70	100.00

: इसमें बैंकेतर संस्था का बैंकिंग संस्था में परिवर्तन के प्रभाव शामिल है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

परिशिष्ट सारणी III.1(आ): भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

मद	निजी क्षेत्र के समस्त बैंक				निजी क्षेत्र के पुराने बैंक				निजी क्षेत्र के नए बैंक			
	2004		2005		2004		2005		2004		2005	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
देयताएं												
1. पूँजी	3,028.14	0.82	3,364.50	0.79	632.71	0.52	808.40	0.61	2,395.43	0.97	2,556.10	0.87
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	19,486.78	5.31	27,217.93	6.36	6,654.95	5.51	7,118.35	5.33	12,831.83	5.20	20,099.58	6.83
3. जमाराशियाँ	2,68,782.34	73.18	3,14,629.72	73.53	1,05,564.36	87.44	1,16,936.08	87.60	1,63,217.98	66.19	1,97,693.64	67.15
3.1 माँग जमाराशियाँ	40,134.73	10.93	45,221.19	10.57	9,793.11	8.11	11,672.64	8.74	30,341.62	12.31	33,548.55	11.39
3.2 बचत बैंक जमाराशियाँ	40,093.07	10.92	50,662.98	11.84	16,983.84	14.07	20,004.24	14.99	23,109.23	9.37	30,658.74	10.41
3.3 सावधि जमाराशियाँ	1,88,554.54	51.34	2,18,745.55	51.12	78,787.41	65.26	85,259.20	63.87	1,09,767.13	44.52	1,33,486.35	45.34
4. उधार	40,365.62	10.99	44,443.41	10.39	2,129.85	1.76	2,149.69	1.61	38,235.77	15.51	42,293.72	14.37
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	35,636.62	9.70	38,259.95	8.94	5,741.88	4.76	6,481.54	4.86	29,894.74	12.12	31,778.41	10.79
कुल देयताएं	3,67,299.50	100.00	4,27,915.51	100.00	1,20,723.75	100.00	1,33,494.06	100.00	2,46,575.75	100.00	2,94,421.45	100.00
आस्तियाँ												
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	21,725.57	5.91	21,324.19	4.98	6,268.68	5.19	7,085.37	5.31	15,456.89	6.27	14,238.82	4.84
2. माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा और बैंकों के पास शेष	14,828.93	4.04	19,671.45	4.60	6,172.94	5.11	8,135.39	6.09	8,655.99	3.51	11,536.06	3.92
3. निवेश	1,36,436.51	37.15	1,39,887.99	32.69	47,608.65	39.44	44,679.32	33.47	88,827.86	36.02	95,208.67	32.34
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (अ+आ) में	96,239.44	26.20	97,191.07	22.71	35,286.32	29.23	34,819.19	26.08	60,953.12	24.72	62,371.88	21.18
क) भारत में	96,142.61	26.18	97,077.49	22.69	35,202.78	29.16	34,743.40	26.03	60,939.83	24.71	62,334.09	21.17
ख) भारत से बाहर	96.83	0.03	113.58	0.03	83.54	0.07	75.79	0.06	13.29	0.01	37.79	0.01
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	790.67	0.22	613.00	0.14	690.93	0.57	522.01	0.39	99.74	0.04	90.99	0.03
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	39,406.40	10.73	42,083.92	9.83	11,631.40	9.63	9,338.12	7.00	27,775.00	11.26	32,745.80	11.12
4. ऋण और अग्रिम	1,70,727.76	46.48	2,21,148.62	51.68	55,580.69	46.04	68,184.04	51.08	1,15,147.07	46.70	1,52,964.58	51.95
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	12,868.58	3.50	17,029.98	3.98	5,192.51	4.30	5,645.17	4.23	7,676.07	3.11	11,384.81	3.87
4.2 नकदी ऋण, अतिदेय आदि	45,064.82	12.27	56,448.69	13.19	25,564.62	21.18	30,063.05	22.52	19,500.20	7.91	26,385.64	8.96
4.3 सावधि ऋण	1,12,794.36	30.71	1,47,669.95	34.51	24,823.56	20.56	32,475.82	24.33	87,970.80	35.68	1,15,194.13	39.13
5. अचल आस्तियाँ	7,924.10	2.16	7,726.76	1.81	1,512.33	1.25	1,581.53	1.18	6,411.77	2.60	6,145.23	2.09
6. अन्य आस्तियाँ	15,656.63	4.26	18,156.50	4.24	3,580.46	2.97	3,828.41	2.87	12,076.17	4.90	14,328.09	4.87
कुल आस्तियाँ	3,67,299.50	100.00	4,27,915.51	100.00	1,20,723.75	100.00	1,33,494.06	100.00	2,46,575.75	100.00	2,94,421.45	100.00

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन पत्रक।

परिशिष्ट सारणी III.1(इ): भारत में विदेशी बैंकों के समेकित तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2004		2005	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	4,644.53	3.42	7,012.90	4.55
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	10,200.61	7.52	11,968.42	7.77
3. जमाराशियाँ	80,205.49	59.13	86,504.76	56.13
3.1 माँग जमाराशियाँ	21,784.27	16.06	26,068.49	16.91
3.2 बचत बैंक जमाराशियाँ	12,567.56	9.27	15,505.33	10.06
3.3 सावधि जमाराशियाँ	45,853.66	33.81	44,930.94	29.15
4. उधार राशि	24,939.75	18.39	30,993.21	20.11
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	15,649.74	11.54	17,649.07	11.45
कुल देयताएँ	1,35,640.12	100.00	1,54,128.36	100.00
आस्तियाँ				
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	7,278.23	5.37	6,770.41	4.39
2. माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा और बैंको के पास शेष	9,419.38	6.94	11,260.75	7.31
3. निवेश	41,586.86	30.66	42,518.36	27.59
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (अ+आ) में				
क) भारत में	32,671.94	24.09	34,116.70	22.14
ख) भारत से बाहर	-	-	-	-
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	172.22	0.13	215.22	0.14
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	8,742.70	6.45	8,186.44	5.31
4. ऋण और अग्रिम	60,507.40	44.61	75,318.25	48.87
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	6,172.92	4.55	7,515.55	4.88
4.2 नकदी ऋण, अतिदेय आदि	26,729.84	19.71	30,771.73	19.97
4.3 सावधि ऋण	27,604.64	20.35	37,030.97	24.03
5. अचल आस्तियाँ	1,953.46	1.44	1,882.71	1.22
6. अन्य आस्तियाँ	14,894.79	10.98	16,377.88	10.63
कुल आस्तियाँ	1,35,640.12	100.00	1,54,128.36	100.00

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्रक।



परिशिष्ट सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया (करोड़ रुपए)	ब्याज दर (प्रतिशत) @	समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया (करोड़ रुपए)	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4	5	6
2004			2005		
9 जनवरी	4,457	3.87 – 5.31	7 जनवरी	7,033	3.91 – 6.26
23	4,419	3.57 – 6.11	21	4,236	4.01 – 6.25
6 फरवरी	4,826	3.92 – 5.06	4 फरवरी	8,202	4.50 – 6.32
20	4,856	3.75 – 6.00	18	9,214	4.25 – 6.12
5 मार्च	4,831	3.59 – 5.75	4 मार्च	10,310	5.25 – 6.31
19	4,461	3.87 – 5.16	18	12,078	4.21 – 6.34
2 अप्रैल	4,626	3.75 – 5.16	1 अप्रैल	14,975	4.75 – 6.60
16	4,813	4.64 – 6.00	15	14,106	4.10 – 6.60
30	4,725	3.50 – 4.45	29	16,602	4.24 – 6.50
14 मई	4,703	4.08 – 4.61	13 मई	17,420	4.29 – 6.75
28	4,860	1.09 – 4.73	27	17,689	4.29 – 6.75
11 जून	5,065	4.70 – 5.00	10 जून	18,503	5.47 – 7.00
25	5,438	3.96 – 6.75	24	19,270	5.58 – 7.50
9 जुलाई	5,529	4.14 – 6.75	8 जुलाई	20,509	4.50 – 7.00
23	5,478	4.02 – 6.75	22	20,768	4.25 – 7.00
6 अगस्त	4,605	4.30 – 6.75	5 अगस्त	21,062	4.75 – 7.00
20	4,480	4.50 – 5.00	19	23,568	4.66 – 7.00
3 सितंबर	4,842	4.50 – 5.75	2 सितंबर	23,646	4.66 – 7.00
17	5,112	4.09 – 5.09	16	25,604	4.66 – 7.00
1 अक्टूबर	5,164	3.50 – 5.50	30	27,641	4.39 – 7.00
15	4,837	4.00 – 5.75			
29	4,785	4.50 – 6.26			
12 नवंबर	5,425	3.90 – 7.00			
26	6,118	4.45 – 6.00			
10 दिसंबर	7,121	4.19 – 6.00			
24	6,103	3.96 – 6.75			

@ : प्रभावी ब्याज दर का वार्षिक दायरा।



परिशिष्ट सारणी III.3: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	निम्नानुसार बकाया			घट-बढ़	
	21 मार्च 2003	19 मार्च 2004	18 मार्च 2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
I. सकल बैंक ऋण (1+2)	6,69,534	7,64,383	9,72,587	94,849	2,08,204
1. सरकारी खाद्यान्न खरीद ऋण	49,479	35,961	41,121	-13,518	5,160
2. खाद्येतर सकल बैंक ऋण (अ+आ+इ+ई)	6,20,055	7,28,422	9,31,466	1,08,367	2,03,044
				(100.0)	(100.0)
अ. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ## (क+ख+ग)	2,11,609	2,63,834	3,45,627	52,225	81,793
				(48.2)	(40.3)
क) कृषि	73,518	90,541	1,22,370	17,023	31,829
				(15.7)	(15.7)
ख) लघु उद्योग	60,394	65,855	76,114	5,461	10,259
				(5.0)	(5.1)
ग) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	77,697	1,07,438	1,47,143	29,741	39,705
				(27.4)	(19.6)
आ. उद्योग (मझौले और बड़े)	2,35,168	2,47,210	2,90,186	12,042	42,976
				(11.1)	(21.2)
इ. थोक व्यापार (खाद्यान्न खरीद से इतर)	22,578	24,867	33,814	2,289	8,947
				(2.1)	(4.4)
ई. अन्य क्षेत्र	1,50,700	1,92,511	2,61,839	41,811	69,328
				(38.6)	(34.1)
जिनमें से :					
क) आवास	36,587	51,981	75,173	15,394	23,192
ख) उपभोक्ता टिकाऊ माल	7,219	8,274	8,655	1,055	381
ग) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	14,127	16,802	18,610	2,675	1,808
घ) शेयरों और डिबेंचर / बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को प्रदत्त ऋण	2,001	2,020	2,390	19	370
ङ) स्थावर संपदा ऋण	5,894	5,577	10,612	-317	5,035
च) अन्य गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण	27,905	35,165	58,812	7,260	23,647
छ) सावधि जमा राशियों पर अग्रिम	22,708	26,346	29,310	3,638	2,964
ज) पर्यटन और पर्यटन से संबंधित होटल व्यवसाय	2,428	3,269	3,455	841	186
II. निर्यात ऋण	49,202	57,687	65,914	8,485	8,227
[मद I.(2) में शामिल]				(7.8)	(4.1)
III. निवल बैंक ऋण	6,68,576	7,63,855	9,71,809	95,279	2,07,954
(अंतर-बैंक सहभागिता सहित)					

: इस विवरण के आंकड़े इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिये गये आंकड़ों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा आधार भिन्न हैं।

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनन्तिम हैं तथा कुल चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण का लगभग 90 प्रतिशत है। सकल बैंक ऋण आंकड़े में भारि बैंक, आइडीबीआई, एक्विजि बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अन्तर बैंक सहभागिता के पुनः बट्टाकृत बिल शामिल हैं। निवल बैंक ऋण आंकड़े में भारि बैंक, आइडीबीआई, एक्विजि बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पुनः बट्टाकृत बिल शामिल नहीं हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े खाद्येतर सकल बैंक ऋण अनुपात में घट-बढ़ दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी III.4: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को अग्रिम
(सूचनाप्रदाता अन्तिम शुक्रवार को)

क्षेत्र	खाते की संख्या (लाखों में)					बकाया राशि (करोड़ रुपए)				
	जून 1969	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005@	जून 1969	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005@
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि	1.7	158	168	190	208	162 (5.4)	58,142 (14.8)	70,501 (14.5)	84,435 (15.1)	1,12,475 (15.7)
i) प्रत्यक्ष	1.6	153	165	188	191	40 (1.3)	44,019 (11.2)	51,484 (10.6)	62,170 (11.1)	82,613 (11.5)
ii) अप्रत्यक्ष	0.1	5	3	2	17	122 (4.0)	14,123 (3.6)	19,017 (3.9)	22,265 (4.0)	29,862 (4.2)
II. लघु उद्योग	0.5	19	17	17	18	257 (8.5)	54,268 (13.8)	52,646 (10.8)	58,311 (10.4)	67,634 (9.4)
III. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	0.4	81	88	94	85	22 (0.7)	59,074 (15.0)	76,638 (15.8)	1,01,710 (18.1)	1,29,984 (18.1)
IV. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	2.6	258	273	301	319	441 (14.6)	1,71,484 (43.5)	1,99,786 (41.2)	2,44,456 (43.6)	3,10,093 (43.2)
V. निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	-	3,016	3,94,064	4,85,271	5,60,819	7,17,304

@ : आंकड़े अनन्तिम हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में आंकड़े निवल बैंक की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी III.5 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम

(मार्च 2005 के अंतिम सूचनाप्रदाता शुक्रवार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम		कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सरकारी क्षेत्र में बैंक	82,612.93	11.52	29,862.02	4.16	1,12,474.95	15.68	63,492.11	8.85	3,10,093.30	43.23
	राष्ट्रीयकृत बैंक	55,635.19	11.91	23,543.52	5.04	79,178.71	16.41	38,293.19	5.20	2,13,602.70	45.72
1.	इलाहाबाद बैंक	2,973.60	14.24	939.50	4.50	3,913.10	18.74	2,210.35	10.59	9,592.34	45.94
2.	आन्ध्र बैंक	2,603.82	15.58	473.74	2.84	3,077.56	18.42	1,768.99	10.59	7,070.29	42.31
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3,246.96	10.96	1,327.77	4.48	4,574.73	15.45	2,278.88	7.69	13,524.11	45.67
4.	बैंक ऑफ इंडिया	4,883.00	14.18	2,161.00	6.27	7,044.00	18.68	4,086.00	11.86	17,682.00	51.33
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,101.42	8.86	725.22	5.83	1,826.64	13.36	575.00	4.62	5,306.41	42.67
6.	केनरा बैंक	6,227.00	10.83	2,555.00	4.45	8,782.00	15.28	3,350.00	5.83	24,777.00	43.11
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3,899.05	13.74	1,860.69	6.56	5,759.74	18.24	2,927.65	10.32	14,272.18	50.31
8.	कार्पोरेशन बैंक	749.43	4.75	420.28	2.66	1,169.71	7.41	505.46	3.20	6,579.24	41.66
9.	देना बैंक	801.52	7.16	947.19	8.46	1,748.71	11.66	376.25	3.36	4,754.73	42.46
10.	इंडियन बैंक	2,537.45	15.17	654.25	3.91	3,191.70	19.08	1,809.83	10.82	8,105.41	48.46
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3,129.72	13.55	1,049.25	4.54	4,178.97	18.05	2,598.67	11.25	10,449.64	45.26
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,712.10	7.20	1,806.32	7.60	3,518.42	11.70	1,093.59	4.60	11,081.44	46.61
13.	पंजाब नेशनल बैंक	8,269.07	14.48	3,391.81	5.94	11,660.88	18.98	6,464.58	11.32	26,468.93	46.34
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	912.85	13.69	351.03	5.26	1,263.88	18.19	465.12	6.98	3,096.41	46.44
15.	सिंडीकेट बैंक	3,346.42	14.64	791.73	3.46	4,138.15	18.10	2,313.62	10.12	10,588.52	46.32
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,392.18	11.60	1,769.03	4.67	6,161.21	16.10	2,755.16	7.27	18,588.67	49.08
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	959.00	8.32	590.00	5.12	1,549.00	12.82	668.00	5.80	4,509.00	39.14
18.	यूको बैंक	2,670.59	9.99	1,112.41	4.16	3,783.00	14.15	1,201.82	4.50	10,980.00	41.07
19.	विजया बैंक	1,220.01	8.75	617.30	4.43	1,837.31	13.18	844.22	6.05	6,176.38	44.29
	स्टेट बैंक समूह	26,977.74	10.79	6,318.50	2.53	33,296.24	13.32	25,198.92	10.08	96,490.60	38.59
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	16,489.31	9.63	4,037.00	2.36	20,526.31	11.99	19,732.28	11.53	62,672.83	36.61
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1,869.54	15.81	277.32	2.35	2,146.86	18.16	1,087.75	9.20	5,327.07	45.06
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,846.87	12.71	49.60	0.34	1,896.47	13.05	777.47	5.35	6,134.20	42.21
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1,393.18	15.28	273.25	3.00	1,666.43	18.27	496.51	5.44	4,083.04	44.77
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,010.75	12.25	217.05	2.63	1,227.80	14.88	843.16	10.22	3,323.47	40.28
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2,146.00	14.45	745.00	5.02	2,891.00	18.95	1,489.00	10.03	6,104.00	41.11
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	971.63	15.23	238.19	3.73	1,209.82	18.96	247.59	3.88	2,912.20	45.64
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1,250.46	9.00	481.09	3.46	1,731.55	12.46	525.16	3.78	5,933.79	42.69

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम।

2. नि.बैं.ऋ. : निवल बैंक ऋण

3. कृषि की प्रतिशतता की गणना के लिए निवल बैंक ऋण का 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की गणना की गई है।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।



परिशिष्ट सारणी III.6: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम
(मार्च के अंतिम सूचित शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च 2003		मार्च 2004		मार्च 2005@	
	राशि	निवल बैंक- ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक- ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक- ऋण की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	36,648	44.1	48,920	47.3	69,384	43.3
<i>जिनमें से :</i>						
I. कृषि	9,924	12.0	14,730	14.2	21,475	12.1
II. लघु उद्योग	8,051	9.7	7,590	7.3	8,668	5.4
III. अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	18,673	22.5	26,600	25.7	39,241	24.5

@ : आंकड़े अनंतिम हैं ।

टिप्पणी : कृषि की प्रतिशतता की गणना के लिए निवल बैंक ऋण का 4.5 प्रतिशत तक अप्रत्यक्ष अग्रिम की गणना की गई है ।



परिशिष्ट सारणी III.7: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम
(मार्च 2005 के अंतिम सूचित शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर क्षेत्र को अग्रिम		कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	12,157.12	7.59	9,315.51	5.82	21,472.63	12.09	1,913.86	1.20	69,383.68	43.33
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	62.30	2.33	281.24	10.51	343.54	6.83	0.05	0.00	1,047.79	39.14
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	28.49	2.61	58.48	5.36	86.97	7.11	11.88	1.09	469.55	43.05
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लि.	70.00	2.99	57.00	2.44	127.00	5.43	34.00	1.45	840.00	35.93
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	72.05	3.50	67.65	3.29	139.70	6.78	28.01	1.36	824.16	40.02
5.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	12.43	0.57	141.31	6.51	153.74	5.07	14.50	0.67	788.76	36.32
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	125.73	8.82	21.79	1.53	147.52	10.35	38.77	2.72	455.76	31.97
7.	फेडरल बैंक लि.	499.08	6.78	105.78	1.44	604.86	8.22	232.48	3.16	2,965.98	40.28
8.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	31.47	26.95	0.00	0.00	31.47	26.95	11.82	10.12	63.40	54.29
9.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	495.49	5.90	377.17	4.49	872.66	10.40	264.92	3.16	3,380.19	40.28
10.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	240.48	2.79	514.24	5.96	754.72	7.29	262.02	3.04	3,467.40	40.16
11.	कनाटक बैंक लि.	369.65	6.07	255.35	4.20	625.00	10.27	125.82	2.07	2,279.53	37.45
12.	करूर वैश्य बैंक लि.	402.01	9.09	229.03	5.18	631.04	13.59	182.18	4.12	1,782.31	40.30
13.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	277.31	12.90	27.70	1.29	305.01	14.19	114.51	5.33	894.54	41.62
14.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	45.90	3.43	150.31	11.24	196.21	7.93	3.85	0.29	590.93	44.18
15.	नैनीताल बैंक लि.	34.63	9.53	5.47	1.51	40.10	11.04	11.20	3.08	205.91	56.69
16.	रत्नाकर बैंक लि.	25.12	5.95	21.20	5.02	46.32	10.45	5.92	0.98	160.19	37.95
17.	सांगली बैंक लि.	46.65	6.08	32.54	4.24	79.19	10.33	17.46	2.28	173.75	22.66
18.	एसबीआई कॉम. एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	15.14	9.38	32.50	20.14	47.64	13.88	0.00	0.00	49.81	30.87
19.	साउथ इंडियन बैंक लि.	474.18	9.42	65.54	1.30	539.72	10.72	172.03	3.42	2,262.69	44.96
20.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	267.08	10.01	141.33	5.29	408.41	14.51	63.74	2.39	1,316.48	49.32
21.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	227.36	5.91	168.20	4.37	395.56	10.28	186.05	4.84	1,606.07	41.74
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	161.24	6.82	254.01	10.74	415.25	11.32	0.42	0.02	848.74	35.90
23.	सेंचूरियन बैंक लि.	146.06	7.23	97.07	4.80	243.13	11.73	68.49	3.39	623.14	30.82
24.	एचडीएफसी बैंक	2,001.46	9.65	2,201.06	10.61	4,202.52	14.15	20.48	0.10	8,560.43	41.26
25.	आइसीआईसीआई बैंक	4,470.76	12.75	2,175.39	6.20	6,646.15	17.25	24.36	0.07	19,106.59	54.49
26.	आइडीबीआई बैंक	171.38	1.78	652.66	6.78	824.04	6.28	0.00	0.00	4,286.42	44.55
27.	इंडसइंड बैंक	249.32	3.12	323.36	4.05	572.68	7.16	0.00	0.00	2,793.01	34.94
28.	कोटक महिन्द्र बैंक लि.	197.01	5.43	190.25	5.24	387.26	9.93	0.00	0.00	1,521.57	41.91
29.	यूटीआई बैंक लि.	937.34	6.45	667.88	4.60	1,605.22	10.95	18.90	0.13	5,953.58	40.99
30.	यस बैंक लिमि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	10.17

टिप्पणी : 1. आंकड़े अंतिम।

2. नि.बैं.ऋ. : निवल बैंक ऋण।

3. 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की गणना की गई है।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।



परिशिष्ट सारणी III.8: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

उद्योग	निम्नानुसार बकाया			घट-बढ़	
	21 मार्च 2003	19 मार्च 2004	18 मार्च 2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
उद्योग (लघु, मझौले और बड़े)	2,95,562	3,13,065	3,66,300	17,503	53,235
1. कोयला	1,334	1,165	987	-169	-178
2. खनन	1,769	1,635	1,791	-134	156
3. लोहा और इस्पात	28,065	26,295	29,025	-1,770	2,730
4. अन्य धातु और धातु उत्पाद	8,556	8,168	9,596	-388	1,428
5. समस्त इंजीनियरी	26,272	26,348	26,370	76	22
इनमें से : इलेक्ट्रॉनिक्स	7,831	8,421	8,769	590	348
6. विद्युत	11,173	14,090	15,991	2,917	1,901
7. सूती वस्त्र	15,762	17,166	20,011	1,404	2,845
8. जूट वस्त्र	860	1,051	850	191	-201
9. अन्य वस्त्र	15,075	15,941	17,695	866	1,754
10. चीनी	5,726	6,363	6,030	637	-333
11. चाय	1,052	1,222	1,355	170	133
12. खाद्यान्न प्रसंस्करण	8,577	9,872	11,413	1,295	1,541
13. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित)	2,919	3,219	3,455	300	236
14. तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	756	891	802	135	-89
15. कागज व कागज उत्पाद	5,049	5,990	5,767	941	-223
16. रबड़ और रबड़ उत्पाद	2,662	2,593	3,161	-69	568
17. रसायन, रंग, पेंट आदि	31,805	30,629	31,889	-1,176	1,260
उनमें से :					
क) उर्वरक	6,923	6,249	6,188	-674	-61
ख) पेट्रो-रसायन	7,735	7,221	6,048	-514	-1,173
ग) दवा व भेषज	7,892	8,667	10,674	775	2,007
18. सीमेंट	6,431	5,689	6,112	-742	423
19. चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	2,940	3,167	3,099	227	-68
20. रत्न और आभूषण	7,533	9,178	12,123	1,645	2,945
21. भवन निर्माण	4,891	5,978	7,963	1,087	1,985
22. पेट्रोलियम	14,743	12,266	14,618	-2,477	2,352
23. ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	5,629	5,302	6,363	-327	1,061
24. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,611	3,029	2,367	418	-662
25. बुनियादी संरचना	26,297	37,224	56,709	10,927	19,485
क) पावर	15,042	19,655	26,973	4,613	7,318
ख) दूर संचार	5,779	8,408	12,956	2,629	4,548
ग) सड़क और बंदरगाह	5,476	9,161	16,780	3,685	7,619
26. अन्य उद्योग	57,075	58,594	70,758	1,519	12,164

टिप्पणी : डाटा अनन्तिम हैं तथा चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं।



परिशिष्ट सारणी III.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता

(करोड़ रुपये)

अंतिम सूचित शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त		अन्य		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6 (2+4)	7 (3+5)
2003						
मार्च	5,048.26	84.51	399.66	-	5,447.92	84.51
2004						
जनवरी	4,822.60	-	399.66	-	5,222.26	-
फरवरी	4,761.57	-	399.66	-	5,161.23	-
मार्च	4,664.42	-	399.66	-	5,064.08	-
अप्रैल	4,893.62	-	399.66	-	5,293.28	-
मई	5,051.83	420.00	399.66	399.00	5,451.49	819.00
जून	4,464.44	-	399.66	-	4,864.10	-
जुलाई	4,321.96	-	399.66	-	4,721.62	-
अगस्त	4,305.84	2.50	399.66	-	4,705.50	2.50
सितंबर	4,375.61	2.70	399.66	-	4,775.27	2.70
अक्टूबर	4,437.55	-	399.66	-	4,837.21	-
नवंबर	4,600.52	7.50	399.66	-	5,000.18	7.50
दिसंबर	4,613.82	601.29	399.66	-	5,013.48	601.29
2005						
जनवरी	4,800.05	-	399.66	-	5,199.71	-
फरवरी	4,864.82	-	399.66	-	5,264.48	-
मार्च	4,912.13	50.00	399.66	-	5,311.79	50.00
अप्रैल	5,169.37	-	399.66	-	5,569.03	-
मई	4,914.86	774.00	399.66	-	5,314.52	774.00
जून	4,884.20	-	399.66	-	5,283.86	-
जुलाई	4,920.95	-	399.66	-	5,320.61	-
अगस्त	4,744.02	473.13	-	-	4,744.02	473.13
सितंबर *	4,813.52	6.00	-	-	4,813.52	6.00

* : 02 सितंबर 2005 तक।

टिप्पणी : सामान्य और बैंक स्टॉप सुविधा के अंतर्गत कुल सीमा को 29 मार्च से सकल सुविधा में विलय किया गया है।

परिशिष्ट सारणी III.10: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार

(राशि करोड़ रुपए में)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

निम्नलिखित को अग्रिम	राष्ट्रीयकृत बैंक			स्टेट बैंक समूह			सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक			सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक				
	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	2004-05#	प्रतिशत घट-बढ़	प्रतिशत घट-बढ़ #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. पूंजी बाजार	1,104.05 (0.27)	1,333.95 (0.25)	20.82	81.32 (0.04)	178.30 (0.06)	119.26	-	209.87 (0.46)	-	1,185.37 (0.19)	1,722.12 (0.20)	1,512.25 (0.19)	45.28	27.58
2. स्थावर संपदा	9,083.33 (2.20)	12,437.99 (2.37)	36.93	853.29 (0.39)	2,687.37 (0.94)	214.94	-	115.11 (0.25)	-	9,936.62 (1.57)	15,240.47 (1.78)	15,125.36 (1.87)	53.38	52.22
3. पण्य	5,004.46 (1.21)	5,224.61 (1.00)	4.40	1,049.05 (0.48)	1,000.32 (0.35)	-4.65	-	277.17 (0.61)	-	6,053.51 (0.96)	6,502.10 (0.76)	6,224.93 (0.77)	7.41	2.83
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	15,191.84 (3.68)	18,996.55 (3.62)	25.04	1,983.66 (0.90)	3,865.99 (1.36)	94.89	-	602.15 (1.33)	-	17,175.50 (2.71)	23,464.69 (2.75)	22,862.54 (2.83)	36.62	33.11

निम्नलिखित को अग्रिम	निजी क्षेत्र के नए बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			अनु.वा.बैं				
	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	2004-05#	प्रतिशत घट-बढ़	प्रतिशत घट-बढ़ #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. पूंजी बाजार	1,167.17 (1.01)	1,048.47 (0.69)	-10.17	279.84 (0.50)	342.46 (0.50)	22.38	1,078.99 (1.78)	863.65 (1.15)	-19.96	3,711.37 (0.43)	3,976.70 (0.35)	3,766.83 (0.34)	7.15	1.49
2. स्थावर संपदा	3,300.53 (2.87)	5,211.43 (3.41)	57.90	1,230.98 (2.21)	2,311.30 (3.39)	87.76	1,379.73 (2.28)	2,042.47 (2.71)	48.03	15,847.86 (1.83)	24,805.67 (2.15)	24,690.56 (2.23)	56.52	55.80
3. पण्य	1,592.89 (1.38)	2,383.93 (1.56)	49.66	1,490.12 (2.68)	1,637.85 (2.40)	9.91	322.19 (0.53)	536.12 (0.71)	66.40	9,458.71 (1.09)	11,060.00 (0.96)	10,782.83 (0.98)	16.93	14.00
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	6,060.59 (5.26)	8,643.83 (5.65)	42.62	3,000.94 (5.40)	4,291.61 (6.29)	43.01	2,780.91 (4.60)	3,442.24 (4.57)	23.78	29,017.94 (3.36)	39,842.37 (3.46)	39,240.22 (3.55)	37.30	35.23

: इसमें गैर-बैंकिंग संस्था का बैंकिंग संस्था में परिवर्तन का प्रभाव शामिल नहीं है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में आंकड़े कुल ऋण तथा अग्रिम संबंधित बैंक समूह की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन पत्रक।

परिशिष्ट सारणी III.11: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपए में)

परिवर्ती	18 मार्च 2005 को बकाया	घट - बढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2003-04		2004-05		2004-05		2005-06	
		समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
घटक									
घ.1 निवासियों की कुल जमाराशि (घ.1.1+घ.1.2)	16,43,814	2,40,732	20.3	2,14,734	15.0	44,545	3.1	59,226	3.6
घ.1.1 मांग जमाराशि	263,817	54,733	32.1	38,795	17.2	-12,491	-5.6	-10,891	-4.1
घ.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशि (घ.1.2.1 + घ.1.2.2)	13,79,997	1,86,000	18.3	1,75,939	14.6	57,036	4.7	70,117	5.1
घ.1.2.1 अत्यावधि सावधि जमाराशि	6,20,999	83,700	18.3	79,173	14.6	25,666	4.7	31,553	5.1
घ.1.2.1.1 जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी)	17,598	6,177	840.9	10,686	154.6	-1,615	-23.4	205	1.2
घ.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशि	7,58,998	1,02,300	18.3	96,767	14.6	31,370	4.7	38,564	5.1
घ.11 वित्तीय संस्थाओं से मांग / सावधि निधीयन	69,304	12,032	95.2	44,634	180.9	4,966	20.1	1,017	1.5
स्रोत									
स्रो.1 घरेलू ऋण (एस.1.1+एस.1.2)	19,80,221	2,42,782	17.2	3,22,984	19.5	65,867	4.0	57,878	2.9
स्रो.1.1 सरकार को ऋण	7,17,791	1,31,341	25.1	63,034	9.6	44,952	6.9	7,542	1.1
स्रो.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (स्रो.1.2.1+स्रो.1.2.2+स्रो.1.2.3+स्रो.1.2.4)	12,62,430	1,11,441	12.5	2,59,951	25.9	20,916	2.1	50,336	4.0
स्रो.1.2.1 बैंक ऋण	10,92,091	1,11,570	15.3	2,51,306	29.9	23,211	2.8	51,960	4.8
स्रो.1.2.1.1 खाद्येतर ऋण	10,50,970	1,25,088	18.4	2,46,146	30.6	15,660	1.9	47,354	4.5
स्रो.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	1,447	-2,147	-52.5	-499	-25.6	-359	-18.5	2,162	149.4
स्रो.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	25,272	-1,299	-5.4	2,442	10.7	-215	-0.9	-461	-1.8
स्रो.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियाँ)	1,43,621	3,317	2.5	6,703	4.9	-1,721	-1.3	-3,324	-2.3
स्रो.11 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (स्रो.11.1-स्रो.11.2-स्रो.11.3)	-74,733	10,101	-14.7	-16,202	27.7	-9,425	16.1	-1,829	2.4
स्रो.11.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,381	2,752	8.9	-6,452	-19.1	-6,108	-18.1	-1,189	-4.3
स्रो.11.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशि	76,133	-17,170	-18.6	797	1.1	426	0.6	-815	-1.1
स्रो.11.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	25,981	9,820	136.2	8,953	52.6	2,891	17.0	1,455	5.6
स्रो.111 निवल बैंक रिज़र्व (स्रो.111.1+स्रो.111.2-स्रो.111.3)	96,478	11,072	16.8	19,583	25.5	4,656	6.1	1,780	1.8
स्रो.111.1 भारिबैंक के पास शेष	88,105	10,662	18.3	19,108	27.7	4,338	6.3	1,497	1.7
स्रो.111.2 उपलब्ध नकद	8,422	331	4.4	524	6.6	1,136	14.4	1,007	12.0
स्रो.111.3 भारिबैंक से ऋण और अग्रिम	50	-79	-100.0	50	-	819	-	724	0.0
स्रो.1111 पूंजी खाता	1,31,836	16,568	19.1	28,728	27.9	12,155	11.8	22,610	17.2
स्रो.11111 अन्य मदें (निवल) (स्रो.11111+स्रो.11111-स्रो.11111-घ.11111)	1,57,011	-5,377	-4.3	38,269	32.2	-567	-0.5	-25,023	-15.9
स्रो.11111.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (स्रो.11111-3 को घटाकर)	1,48,344	8,458	6.9	17,289	13.2	-9,472	-7.2	-22,539	-15.2
स्रो.11111.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों के अलावा)	19,974	834	11.2	11,721	142.0	-1,172	-14.2	8,091	40.5

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. मीयादी जमाराशि और व्यापक मुद्रा में 17 नवम्बर 2000 से इंडिया मिलेनियम बांड की 25,662 करोड़ रुपए तथा 1 अक्टूबर 2003 से रिसर्जन्ट इंडिया बांड के विमोचन के प्रभाव की राशि के 22,693 करोड़ रुपए शामिल है।

परिशिष्ट सारणी III.12: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र से इतर ऋण-जोखिम

(राशि करोड़ रुपए में)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

मद	स्टेट बैंक समूह			राष्ट्रीयकृत बैंक			सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			सरकारी क्षेत्र के बैंक				
	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	2004-05 [#]	प्रतिशत घट-बढ़	प्रतिशत घट-बढ़ [#]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. वायदा विदेशी मुद्रा संविदा	93,167.56 (16.97)	1,25,351.05 (19.99)	34.54	2,20,017.43 (23.86)	2,72,251.90 (25.55)	23.74	0.00 (-)	18,419.46 (22.64)	-	3,13,184.99 (21.29)	4,16,022.41 (23.45)	3,97,602.95 (23.49)	32.84	26.95
2. दी गई गारण्टियाँ	19,619.33 (3.57)	23,177.85 (3.7)	18.14	43,225.99 (4.69)	53,130.66 (4.99)	22.91	0.00 (-)	3,188.60 (3.92)	-	62,845.32 (4.27)	79,497.11 (4.48)	76,308.51 (4.51)	26.50	21.42
3. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन आदि	43,976.88 (8.01)	56,728.18 (9.05)	29.00	66,389.75 (7.20)	95,193.65 (8.93)	43.39	0.00 (-)	38,441.67 (47.25)	-	1,10,366.63 (7.50)	1,90,363.50 (10.73)	1,51,921.83 (8.98)	72.48	37.65
कुल आकस्मिक देयताएँ	1,56,763.77 (28.55)	2,05,257.08 (32.73)	30.93	3,29,633.17 (35.75)	4,20,576.21 (39.47)	27.59	0.00 (-)	60,049.73 (73.81)	-	4,86,396.94 (33.06)	6,85,883.02 (38.66)	6,25,833.29 (36.98)	41.01	28.67

मद	निजी क्षेत्र के नए बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			अनु.वा.बैं				
	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	प्रतिशत घट-बढ़	2003-04	2004-05	2004-05 [#]	प्रतिशत घट-बढ़	प्रतिशत घट-बढ़ [#]
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1. वायदा विदेशी मुद्रा संविदा	1,53,266.20 (62.16)	1,92,510.81 (65.39)	25.61	23,885.38 (19.79)	24,558.55 (18.69)	2.82	6,92,529.14 (510.56)	11,41,358.53 (740.52)	64.81	11,82,865.71 (59.92)	17,74,450.30 (75.38)	17,56,030.84 (77.27)	50.01	48.46
2. दी गई गारण्टियाँ	17,397.12 (7.06)	20,385.56 (6.92)	17.18	4,031.26 (3.34)	4,645.14 (3.54)	15.23	17,574.63 (12.96)	19,195.06 (12.45)	9.22	1,01,848.33 (5.16)	1,23,722.87 (5.26)	1,20,534.27 (5.30)	21.48	18.35
3. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन आदि	1,82,970.87 (74.20)	2,84,890.12 (96.76)	55.70	8,257.43 (6.84)	13,514.56 (10.29)	63.67	2,06,979.09 (152.59)	4,30,082.43 (279.04)	107.79	5,08,574.02 (25.76)	9,18,850.61 (39.04)	8,80,408.94 (38.74)	80.67	73.11
कुल आकस्मिक देयताएँ	3,53,634.19 (143.42)	4,97,786.49 (169.07)	40.76	36,174.07 (29.96)	42,718.25 (32.51)	18.09	9,17,082.86 (676.11)	15,90,636.02 (1,032.02)	73.45	17,93,288.06 (90.84)	28,17,023.78 (119.68)	27,56,974.05 (121.32)	57.09	53.74

: इसमें गैर-बैंकिंग संस्था से बैंकिंग-संस्था में परिवर्तन के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं की प्रतिशतता हैं।

2. राशियों से संबंधित घट-बढ़ 2003-04 की तुलना में 2004-05 में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

परिशिष्ट सारणी III.13: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आगम के विस्तृत ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	व्यापार आय		विदेशी मुद्रा आय	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	15,353.80	8,806.47	1,870.97	2,218.82
	राष्ट्रीयकृत बैंक	10,425.81	5,679.43	1,191.81	1,441.01
1.	इलाहाबाद बैंक	504.71	347.43	43.11	43.76
2.	आंध्रा बैंक	401.75	385.51	20.06	28.45
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,017.53	535.15	169.56	193.27
4.	बैंक ऑफ इंडिया	946.08	180.23	212.73	223.41
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	311.98	215.02	20.34	22.12
6.	केनरा बैंक	1,150.24	499.78	151.75	188.59
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	618.05	587.85	22.91	28.35
8.	कार्पोरेशन बैंक	223.84	200.05	26.97	41.03
9.	देना बैंक	441.31	117.80	24.19	23.99
10.	इंडियन बैंक	465.47	209.77	58.32	68.66
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	481.23	373.05	55.97	71.91
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	504.22	237.10	59.05	77.60
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	144.22	144.34	21.52	21.28
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1,236.37	531.63	106.02	141.76
15.	सिडीकेट बैंक	500.87	245.80	35.56	34.44
16.	यूको बैंक	351.30	195.79	14.23	27.23
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	435.37	260.32	118.48	166.59
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	347.63	263.91	5.73	9.06
19.	विजया बैंक	343.64	148.90	25.31	29.51
	राष्ट्रीयकृत बैंक	4,927.99	2,442.50	679.16	721.23
20.	भारतीय स्टेट बैंक	3,073.45	1,775.30	503.04	528.20
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	227.34	168.86	12.52	17.37
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	411.51	79.96	45.12	46.75
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	226.22	17.37	11.55	22.20
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	155.03	151.20	18.18	21.61
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	365.67	74.94	36.18	38.40
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	200.09	-5.25	15.15	12.41
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	268.68	180.12	37.42	34.29
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक				
28.	आइडीबीआई लिमि.	-	684.54	-	56.58

टिप्पणी : 1. व्यापार आय - निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
2. विदेशी मुद्रा आय - मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी III.14 : बैंक समूहवार महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक (जारी)

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	परिचालन से लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज से आय	अन्य आय	व्यय (8+9+11)	प्रदत्त ब्याज	परिचालनगत व्यय		प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	कीमत लागत अंतर (एनआइआइ)
								कुल	जिससे से: वेतन बिल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2002-03	40,681.94 (2.39)	17,077.22 (1.01)	1,72,345.02 (10.14)	1,40,742.48 (8.28)	31,602.54 (1.86)	1,55,267.80 (9.14)	93,596.27 (5.51)	38,066.81 (2.24)	23,610.14 (1.39)	23,604.72 (1.39)	47,146.21 (2.77)
2003-04	52,600.22 (2.66)	22,270.94 (1.13)	1,83,872.12 (9.31)	1,44,346.81 (7.31)	39,525.31 (2.00)	1,61,601.18 (8.19)	87,562.75 (4.44)	43,709.15 (2.21)	26,359.53 (1.34)	30,329.28 (1.54)	56,784.06 (2.88)
2004-05	51,684.02 (2.20)	21,320.16 (0.91)	1,93,268.88 (8.21)	1,58,438.26 (6.73)	34,830.62 (1.48)	1,71,948.72 (7.30)	91,537.00 (3.89)	50,047.86 (2.13)	29,032.26 (1.23)	30,363.86 (1.29)	66,901.26 (2.84)
2004-05#	50,962.00 (2.24)	20,705.66 (0.91)	1,86,703.20 (8.22)	1,53,126.82 (6.74)	33,576.38 (1.48)	1,65,997.54 (7.30)	86,601.26 (3.81)	49,139.94 (2.16)	28,733.58 (1.26)	30,256.34 (1.33)	66,525.56 (2.93)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक											
2002-03	29,717.24 (2.31)	12,295.46 (0.96)	1,28,464.38 (9.99)	1,07,232.05 (8.34)	21,232.33 (1.65)	1,16,168.92 (9.04)	69,852.59 (5.43)	28,894.55 (2.25)	20,444.88 (1.59)	17,421.78 (1.36)	37,379.46 (2.91)
2003-04	39,290.10 (2.67)	16,546.38 (1.12)	1,37,587.31 (9.35)	1,09,547.35 (7.45)	28,039.96 (1.91)	1,21,040.93 (8.23)	65,764.53 (4.47)	32,532.68 (2.21)	22,581.23 (1.54)	22,743.72 (1.55)	43,782.82 (2.98)
2004-05	39,413.18 (2.22)	15,784.40 (0.89)	1,47,626.25 (8.32)	1,23,001.99 (6.93)	24,624.26 (1.39)	1,31,841.85 (7.43)	71,223.85 (4.02)	36,989.22 (2.09)	24,742.61 (1.39)	23,628.78 (1.33)	51,778.14 (2.92)
2004-05 #	38,691.16 (2.29)	15,169.90 (0.90)	1,41,060.57 (8.33)	1,17,690.55 (6.95)	23,370.02 (1.38)	1,25,890.67 (7.44)	66,288.11 (3.92)	36,081.30 (2.13)	24,443.93 (1.44)	23,521.26 (1.39)	51,402.44 (3.04)
राष्ट्रीयकृत बैंक											
2002-03	18,486.13 (2.34)	7,783.94 (0.98)	79,597.73 (10.06)	66,368.04 (8.39)	13,229.69 (1.67)	71,813.79 (9.08)	42,645.95 (5.39)	18,465.65 (2.33)	13,062.10 (1.65)	10,702.19 (1.35)	23,722.09 (3.00)
2003-04	24,926.58 (2.70)	10,927.66 (1.19)	85,712.04 (9.30)	68,590.96 (7.44)	17,121.08 (1.86)	74,784.38 (8.11)	40,369.38 (4.38)	20,416.08 (2.21)	14,262.25 (1.55)	13,998.92 (1.52)	28,221.58 (3.06)
2004-05	23,431.01 (2.20)	9,494.04 (0.89)	87,548.03 (8.22)	73,645.20 (6.91)	13,902.83 (1.30)	78,053.99 (7.33)	41,446.03 (3.89)	22,670.99 (2.13)	15,434.50 (1.45)	13,936.97 (1.31)	32,199.17 (3.02)
स्टेट बैंक समूह											
2002-03	11,231.11 (2.27)	4,511.52 (0.91)	48,866.65 (9.88)	40,864.01 (8.26)	8,002.64 (1.62)	44,355.13 (8.97)	27,206.64 (5.50)	10,428.90 (2.11)	7,382.78 (1.49)	6,719.59 (1.36)	13,657.37 (2.76)
2003-04	14,363.52 (2.62)	5,618.72 (1.02)	51,875.27 (9.45)	40,956.39 (7.46)	10,918.88 (1.99)	46,256.55 (8.42)	25,395.15 (4.62)	12,116.60 (2.21)	8,318.98 (1.51)	8,744.80 (1.59)	15,561.24 (2.83)
2004-05	15,260.15 (2.43)	5,675.86 (0.91)	53,512.54 (8.53)	44,045.35 (7.02)	9,467.19 (1.51)	47,836.68 (7.63)	24,842.08 (3.96)	13,410.31 (2.14)	9,009.43 (1.44)	9,584.29 (1.53)	19,203.27 (3.06)

परिशिष्ट सारणी III.14: बैंक समूहवार महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक (समाप्त)

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	परिचालन से लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज से आय	अन्य आय	व्यय (8+9+11)	प्रदत्त ब्याज	परिचालनगत लाभ		प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	कीमत-लागत अंतर (नि.व्या.आ.)
								कुल	जिससे से: वेतन बिल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक											
2004-05	722.02 (0.89)	614.50 (0.76)	6,565.68 (8.07)	5,311.44 (6.53)	1,254.24 (1.54)	5,951.18 (7.31)	4,935.74 (6.07)	907.92 (1.12)	298.68 (0.37)	107.52 (0.13)	375.70 (0.46)
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2002-03	2,804.43 (2.67)	1,231.74 (1.17)	11,278.83 (10.75)	8,919.79 (8.50)	2,359.04 (2.25)	10,047.09 (9.57)	6,327.22 (6.03)	2,147.18 (2.05)	1,297.85 (1.24)	1,572.69 (1.50)	2,592.57 (2.47)
2003-04	3,191.66 (2.64)	1,446.48 (1.20)	11,555.03 (9.57)	9,120.90 (7.56)	2,434.13 (2.02)	10,108.55 (8.37)	5,981.88 (4.96)	2,381.49 (1.97)	1,400.22 (1.16)	1,745.18 (1.45)	3,139.02 (2.60)
2004-05	2,238.94 (1.70)	435.81 (0.33)	10,508.96 (8.00)	9,275.29 (7.06)	1,233.67 (0.94)	10,073.15 (7.67)	5,672.84 (4.32)	2,597.18 (1.98)	1,460.96 (1.11)	1,803.13 (1.37)	3,602.45 (2.74)
निजी क्षेत्र के नए बैंक											
2002-03	4,432.13 (2.31)	1,725.98 (0.90)	20,567.23 (10.70)	15,633.01 (8.13)	4,934.22 (2.57)	18,841.25 (9.80)	12,361.45 (6.43)	3,773.65 (1.96)	828.76 (0.43)	2,706.15 (1.41)	3,271.56 (1.70)
2003-04	5,132.93 (2.08)	2,035.01 (0.83)	21,721.43 (8.81)	16,541.52 (6.71)	5,179.91 (2.10)	19,686.42 (7.98)	11,547.82 (4.68)	5,040.68 (2.04)	1,178.41 (0.48)	3,097.92 (1.26)	4,993.70 (2.03)
2004-05	5,434.64 (1.85)	3,097.56 (1.05)	22,099.23 (7.51)	16,990.13 (5.77)	5,109.10 (1.74)	19,001.67 (6.45)	10,600.40 (3.60)	6,064.19 (2.06)	1,483.39 (0.50)	2,337.08 (0.79)	6,389.73 (2.17)
विदेशी बैंक											
2002-03	3,728.14 (3.20)	1,824.04 (1.56)	12,034.58 (10.32)	8,957.63 (7.68)	3,076.95 (2.64)	10,210.54 (8.75)	5,055.01 (4.33)	3,251.43 (2.79)	1,038.65 (0.89)	1,904.10 (1.63)	3,902.62 (3.35)
2003-04	4,985.53 (3.68)	2,243.07 (1.65)	13,008.35 (9.59)	9,137.04 (6.74)	3,871.31 (2.85)	10,765.28 (7.94)	4,268.52 (3.15)	3,754.30 (2.77)	1,199.67 (0.88)	2,742.46 (2.02)	4,868.52 (3.59)
2004-05	4,597.26 (2.98)	2,002.39 (1.30)	13,034.44 (8.46)	9,170.85 (5.95)	3,863.59 (2.51)	11,032.05 (7.16)	4,039.91 (2.62)	4,397.27 (2.85)	1,345.30 (0.87)	2,594.87 (1.68)	5,130.94 (3.33)

: इसमें बैंकेतर संस्था का बैंकिंग संस्था में परिवर्तन के प्रभाव शामिल नहीं है।

टिप्पणी : 1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में क्रमशः 93, 90 तथा 88 थी।

2. पुराने प्राइवेट बैंकों की संख्या 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में क्रमशः 21, 20 तथा 20 थी।

3. नए प्राइवेट बैंकों की संख्या क्रमशः 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में क्रमशः 9, 10 थी।

4. विदेशी बैंकों की संख्या क्रमशः 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में क्रमशः 36, 33 तथा 31 थीं।

5. कोष्ठकों के अंक कुल आस्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

6. नि. व्या. आय : निवल ब्याज आय।

7. वर्ष 2003-04 के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े 2004-05 के तुलन-पत्र में प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं और इसलिए भारत में बैंकिंग प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2003-04 में प्रस्तुत आंकड़े से संगत न हो, 2003-04 तक के आंकड़े को कुछ बैंकों द्वारा संशोधित किया गया है।

स्रोत : सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक।



परिशिष्ट सारणी III.15 (अ): अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	1,83,872.12 (100.00)	1,93,268.88 (100.00)	9,396.76	5.11
i) ब्याज आय	1,44,346.81 (78.50)	1,58,438.26 (81.98)	14,091.45	9.76
<i>जिसमें:</i> अग्रिमों पर ब्याज	70,049.85	83,573.94	13,524.09	19.31
निवेश पर आय	66,104.78	66,171.79	67.01	0.10
ii) अन्य आय	39,525.31 (21.50)	34,830.62 (18.02)	-4,694.69	-11.88
<i>जिसमें:</i> कमीशन और दलाली	11,837.60	14,913.49	3,075.89	25.98
आ. व्यय (i+ii+iii)	1,61,601.18 (100.00)	1,71,948.72 (100.00)	10,347.54	6.40
i) ब्याज व्यय	87,562.75 (54.18)	91,537.00 (53.24)	3,974.25	4.54
<i>जिसमें:</i> जमाराशियों पर ब्याज	77,667.58	77,611.84	-55.74	-0.07
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	30,329.28 (18.77)	30,363.86 (17.66)	34.58	0.11
<i>जिसमें:</i> एनपीए के लिए प्रावधान	17,441.31	7,105.92	-10,335.39	-59.26
iii) परिचालनगत व्यय	43,709.15 (27.05)	50,047.86 (29.11)	6,338.71	14.50
<i>जिसमें:</i> वेतन बिल	26,359.53	29,032.26	2,672.73	10.14
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	52,600.22	51,684.02	-916.20	-1.74
ii) निवल लाभ	22,270.94	21,320.16	-950.78	-4.27
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	56,784.06	66,901.26	10,117.20	17.82
उ. कुल आस्तियां	19,74,017.00	23,55,982.67	3,81,965.67	19.35

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15 (आ): अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन
(परिवर्तन प्रभाव को छोड़कर)#

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	1,83,872.12	1,86,703.20	2,831.08	1.54
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज आय	1,44,346.81	1,53,126.82	8,780.01	6.08
	(78.50)	(82.02)		
<i>जिसमें</i> : अग्रिमों पर ब्याज	70,049.85	79,202.64	9,152.79	13.07
निवेश पर आय	66,104.78	65,380.89	-723.89	-1.10
ii) अन्य आय	39,525.31	33,576.38	-5,948.93	-15.05
	(21.50)	(17.98)		
<i>जिसमें</i> : कमीशन और दलाली	11,837.60	14,652.15	2,814.55	23.78
आ. व्यय (i+ii+iii)	1,61,601.18	1,65,997.54	4,396.36	2.72
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज व्यय	87,562.75	86,601.26	-961.49	-1.10
	(54.18)	(52.17)		
<i>जिसमें</i> : जमाराशियों पर ब्याज	77,667.58	76,903.26	-764.32	-0.98
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	30,329.28	30,256.34	-72.94	-0.24
	(18.77)	(18.23)		
<i>जिसमें</i> : एनपीए के लिए प्रावधान	17,441.31	7,181.78	-10,259.53	-58.82
iii) परिचालनगत व्यय	43,709.15	49,139.94	5,430.79	12.42
	(27.05)	(29.60)		
<i>जिसमें</i> : वेतन बिल	26,359.53	28,733.58	2,374.05	9.01
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	52,600.22	50,962.00	-1,638.22	-3.11
ii) निवल लाभ	22,270.94	20,705.66	-1,565.28	-7.03
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	56,784.06	66,525.56	9,741.50	17.16
उ. कुल आस्तियां	19,74,017.00	22,74,622.42	3,00,605.42	15.23

: इसमें गैर बैंकिंग संस्था से बैंकिंग संस्था में परिवर्तन का प्रभाव शामिल नहीं है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15 (इ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	1,37,587.31	1,47,626.25	10,038.94	7.30
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज आय	1,09,547.35	1,23,001.99	13,454.64	12.28
	(79.62)	(83.32)		
जिसमें: अग्रिमों पर ब्याज	49,934.15	61,408.56	11,474.41	22.98
निवेश पर आय	53,207.89	54,777.76	1,569.87	2.95
ii) अन्य आय	28,039.96	24,624.26	-3,415.70	-12.18
	(20.38)	(16.68)		
जिसमें: कमीशन और दलाली	7,822.13	9,144.30	1,322.17	16.90
आ. व्यय (i+ii+iii)	1,21,040.93	1,31,841.85	10,800.92	8.92
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज व्यय	65,764.53	71,223.85	5,459.32	8.30
	(54.33)	(54.02)		
जिसमें: जमा राशियों पर ब्याज	62,272.57	62,936.35	663.78	1.07
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	22,743.72	23,628.78	885.06	3.89
	(18.79)	(17.92)		
जिसमें: एनपीए के लिए प्रावधान	14,189.10	5,777.77	-8,411.33	-59.28
iii) परिचालनगत व्यय	32,532.68	36,989.22	4,456.54	13.70
	(26.88)	(28.06)		
जिसमें: वेतन बिल	22,581.23	24,742.61	2,161.38	9.57
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	39,290.10	39,413.18	123.08	0.31
ii) निवल लाभ	16,546.38	15,784.40	-761.98	-4.61
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	43,782.82	51,778.14	7,995.32	18.26
उ. कुल आस्तियां	14,71,077.38	17,73,938.80	3,02,861.42	20.59

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15 (ई): सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन#
(परिवर्तन प्रभाव को छोड़कर)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	1,37,587.31 (100.00)	1,41,060.57 (100.00)	3,473.26	2.52
i) ब्याज आय	1,09,547.35 (79.62)	1,17,690.55 (83.43)	8,143.20	7.43
जिसमें: अग्रिमों पर ब्याज	49,934.15	57,037.26	7,103.11	14.22
निवेश पर आय	53,207.89	53,986.86	778.97	1.46
ii) अन्य आय	28,039.96 (20.38)	23,370.02 (16.57)	-4,669.94	-16.65
जिसमें: कमीशन और दलाली	7,822.13	8,882.96	1,060.83	13.56
आ. व्यय (i+ii+iii)	1,21,040.93 (100.00)	1,25,890.67 (100.00)	4,849.74	4.01
i) ब्याज व्यय	65,764.53 (54.33)	66,288.11 (52.66)	523.58	0.80
जिसमें: जमाराशियों पर ब्याज	62,272.57	62,227.77	-44.80	-0.07
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	22,743.72 (18.79)	23,521.26 (18.68)	777.54	3.42
जिसमें: एनपीए के लिए प्रावधान	14,189.10	5,853.63	-8,335.47	-58.75
iii) परिचालनगत व्यय	32,532.68 (26.88)	36,081.30 (28.66)	3,548.62	10.91
जिसमें: वेतन बिल	22,581.23	24,443.93	1,862.70	8.25
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	39,290.10	38,691.16	-598.94	-1.52
ii) निवल लाभ	16,546.38	15,169.90	-1,376.48	-8.32
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	43,782.82	51,402.44	7,619.62	17.40
उ. कुल आस्तियां	14,71,077.38	16,92,578.55	2,21,501.17	15.06

: इसमें गैर बैंकिंग संस्था से बैंकिंग संस्था में परिवर्तन का प्रभाव शामिल नहीं है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15 (उ): राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	85,712.04 (100.00)	87,548.03 (100.00)	1,835.99	2.14
i) ब्याज आय	68,590.96 (80.02)	73,645.20 (84.12)	5,054.24	7.37
<i>जिसमें</i> : अग्रिमों पर ब्याज	33,684.10	38,117.70	4,433.60	13.16
निवेश पर आय	32,343.73	32,660.38	316.65	0.98
पुनपूंजीकरण बांडों पर ब्याज	1855.72	1420.15		
ii) अन्य आय	17,121.08 (19.98)	13,902.83 (15.88)	-3,218.25	-18.80
<i>जिसमें</i> : कमीशन और दलाली	3,604.77	4,089.97	485.20	13.46
आ. व्यय (i+ii+iii)	74,784.38 (100.00)	78,053.99 (100.00)	3,269.61	4.37
i) ब्याज व्यय	40,369.38 (53.98)	41,446.03 (53.10)	1,076.65	2.67
<i>जिसमें</i> : जमाराशियों पर ब्याज	38,244.78	38,952.10	707.32	1.85
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	13,998.92 (18.72)	13,936.97 (17.86)	-61.95	-0.44
<i>जिसमें</i> : एनपीए के लिए प्रावधान	8,989.18	4,446.80	-4,542.38	-50.53
iii) परिचालनगत व्यय	20,416.08 (27.30)	22,670.99 (29.05)	2,254.91	11.04
<i>जिसमें</i> : वेतन बिल	14,262.25	15,434.50	1,172.25	8.22
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	24,926.58	23,431.01	-1,495.57	-6.00
परिचालनगत (पुनपूंजीकरण बांड से प्राप्त विशुद्ध आय)	23,070.86	22,010.86	-1,060.00	-4.59
ii) निवल लाभ	10,927.66	9,494.04	-1,433.62	-13.12
निवल लाभ (पुनपूंजीकरण बांड से प्राप्त विशुद्ध आय)	9,071.94	8,073.89	-998.05	-11.00
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	28,221.58	32,199.17	3,977.59	14.09
उ. कुल आस्तियां	9,21,953.66	10,65,503.85	1,43,550.19	15.57

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15(ऊ): स्टेट बैंक समूह के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रूप में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	51,875.27	53,512.54	1,637.27	3.16
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज आय	40,956.39	44,045.35	3,088.96	7.54
	(78.95)	(82.31)		
जिसमें: अग्रिमों पर ब्याज	16,250.05	18,919.56	2,669.51	16.43
निवेश पर आय	20,864.16	21,326.48	462.32	2.22
ii) अन्य आय	10,918.88	9,467.19	-1,451.69	-13.30
	(21.05)	(17.69)		
जिसमें: कमीशन और दलाली	4,217.36	4,792.99	575.63	13.65
आ. व्यय (i+ii+iii)	46,256.55	47,836.68	1,580.13	3.42
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज व्यय	25,395.15	24,842.08	-553.07	-2.18
	(54.90)	(51.93)		
जिसमें: जमा राशियों पर ब्याज	24,027.79	23,275.67	-752.12	-3.13
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	8,744.80	9,584.29	839.49	9.60
	(18.90)	(20.04)		
जिसमें: एनपीए के लिए प्रावधान	5,199.92	1,406.83	-3,793.09	-72.95
iii) परिचालनगत व्यय	12,116.60	13,410.31	1,293.71	10.68
	(26.19)	(28.03)		
जिसमें: वेतन बिल	8,318.98	9,009.43	690.45	8.30
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	14,363.52	15,260.15	896.63	6.24
ii) निवल लाभ	5,618.72	5,675.86	57.14	1.02
ई. कीमत-लागत अंतर	15,561.24	19,203.27	3,642.03	23.40
उ. कुल आस्तियां	5,49,123.72	6,27,074.70	77,950.98	14.20

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15(ए): निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	11,555.03	10,508.96	-1,046.07	-9.05
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज आय	9,120.90	9,275.29	154.39	1.69
	(78.93)	(88.26)		
जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	4,890.85	5,435.78	544.93	11.14
निवेश पर आय	3,833.78	3,457.55	-376.23	-9.81
ii) अन्य आय	2,434.13	1,233.67	-1,200.46	-49.32
	(21.07)	(11.74)		
जिसमें : कमीशन और दलाली	518.22	555.94	37.72	7.28
आ. व्यय (i+ii+iii)	10,108.55	10,073.15	-35.40	-0.35
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज व्यय	5,981.88	5,672.84	-309.04	-5.17
	(59.18)	(56.32)		
जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	5,668.46	5,382.51	-285.95	-5.04
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	1,745.18	1,803.13	57.95	3.32
	(17.26)	(17.90)		
जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	821.66	465.62	-356.04	-43.33
iii) परिचालनगत व्यय	2,381.49	2,597.18	215.69	9.06
	(23.56)	(25.78)		
जिसमें : वेतन बिल	1,400.22	1,460.96	60.74	4.34
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	3,191.66	2,238.94	-952.72	-29.85
ii) निवल लाभ	1,446.48	435.81	-1,010.67	-69.87
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	3,139.02	3,602.45	463.43	14.76
उ. कुल आस्तियां	1,20,723.75	1,33,494.06	12,770.31	10.58

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15(ए): निजी क्षेत्र के नये बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	21,721.43 (100.00)	22,099.23 (100.00)	377.80	1.74
i) ब्याज आय	16,541.52 (76.15)	16,990.13 (76.88)	448.61	2.71
<i>जिसमें</i> : अग्रिमों पर ब्याज	10,180.56	11,194.38	1,013.82	9.96
निवेश पर आय	5,511.87	4,989.65	-522.22	-9.47
ii) अन्य आय	5,179.91 (23.85)	5,109.10 (23.12)	-70.81	-1.37
<i>जिसमें</i> : कमीशन और दलाली	1,865.04	3,072.52	1,207.48	64.74
आ. व्यय (i+ii+iii)	19,686.42 (100.00)	19,001.67 (100.00)	-684.75	-3.48
i) ब्याज व्यय	11,547.82 (58.66)	10,600.40 (55.79)	-947.42	-8.20
<i>जिसमें</i> : जमाराशियों पर ब्याज	6,824.74	6,698.51	-126.23	-1.85
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	3,097.92 (15.74)	2,337.08 (12.30)	-760.84	-24.56
<i>जिसमें</i> : एनपीए के लिए प्रावधान	1,532.80	279.80	-1,253.00	-81.75
iii) परिचालनगत व्यय	5,040.68 (25.60)	6,064.19 (31.91)	1,023.51	20.30
<i>जिसमें</i> : वेतन बिल	1,178.41	1,483.39	304.98	25.88
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	5,132.93	5,434.64	301.71	5.88
ii) निवल लाभ	2,035.01	3,097.56	1,062.55	52.21
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	4,993.70	6,389.73	1,396.03	27.96
उ. कुल आस्तियां	2,46,575.75	2,94,421.45	47,845.70	19.40

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.15 (ओ): विदेशी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2003-04	2004-05	घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	13,008.35	13,034.44	26.09	0.20
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज आय	9,137.04	9,170.85	33.81	0.37
	(70.24)	(70.36)		
जिसमें: अग्रिमों पर ब्याज	5,044.29	5,535.22	490.93	9.73
निवेश पर आय	3,551.24	2,946.83	-604.41	-17.02
ii) अन्य आय	3,871.31	3,863.59	-7.72	-0.20
	(29.76)	(29.64)		
जिसमें: कमीशन और दलाली	1,632.21	2,140.73	508.52	31.16
आ. व्यय (i+ii+iii)	10,765.28	11,032.05	266.77	2.48
	(100.00)	(100.00)		
i) ब्याज व्यय	4,268.52	4,039.91	-228.61	-5.36
	(39.65)	(36.62)		
जिसमें: जमा राशियों पर ब्याज	2,901.81	2,594.47	-307.34	-10.59
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	2,742.46	2,594.87	-147.59	-5.38
	(25.48)	(23.52)		
जिसमें: एनपीए के लिए प्रावधान	897.75	582.73	-315.02	-35.09
iii) परिचालनगत व्यय	3,754.30	4,397.27	642.97	17.13
	(34.87)	(39.86)		
जिसमें: वेतन बिल	1,199.67	1,345.30	145.63	12.14
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	4,985.53	4,597.26	-388.27	-7.79
ii) निवल लाभ	2,243.07	2,002.39	-240.68	-10.73
ई. कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)	4,868.52	5,130.94	262.42	5.39
उ. कुल आस्तियां	1,35,640.12	1,54,128.36	18,488.24	13.63

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।



परिशिष्ट सारणी III.16: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (जारी)

(31 मार्च 2005 को)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों के पूंजी अनुपात			निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/निवल अग्रिम निधि	ब्याज आय/का. निधियाँ	ब्याजेतर आय/का. निधियाँ	ब्याजेतर आय/का. निधियाँ	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
		टियर I	टियर II	जोड़							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(राशि लाख रुपए में)	
										11	12
	राष्ट्रीयकृत बैंक										
1.	इलाहाबाद बैंक	6.46	6.07	12.53	1.28	7.83	1.57	2.64	1.20	282.00	2.86
2.	आंध्रा बैंक	8.03	4.08	12.11	0.28	8.06	2.67	3.52	1.59	346.25	3.97
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.21	4.40	12.61	1.45	6.86	1.39	2.45	0.75	310.37	1.71
4.	बैंक ऑफ इंडिया	7.05	4.47	11.52	2.77	6.71	1.29	1.62	0.38	320.00	0.80
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7.10	5.58	12.68	2.15	7.40	1.20	1.71	0.54	294.65	1.25
6.	केनरा बैंक	7.29	5.49	12.78	1.88	7.28	1.48	2.48	1.01	351.12	2.48
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.08	6.07	12.15	2.98	8.28	1.46	2.56	0.53	206.89	0.93
8.	कार्पोरेशन बैंक	13.55	2.68	16.23	1.12	7.84	1.97	3.68	1.40	438.00	3.95
9.	देना बैंक	6.63	5.28	11.91	5.23	7.48	1.35	1.94	0.26	313.00	0.60
10.	इंडियन बैंक	7.60	6.54	14.14	1.35	7.34	1.45	2.45	1.08	246.00	1.87
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7.10	7.10	14.20	1.27	7.77	1.26	2.63	1.28	269.48	2.66
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5.42	3.79	9.21	1.29	7.40	1.00	2.50	1.40	515.00	5.20
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	5.26	4.20	9.46	8.11	7.89	1.62	1.63	-0.45	217.57	-0.74
14.	पंजाब नेशनल बैंक	8.87	5.91	14.78	0.20	7.04	1.39	2.25	1.12	276.87	2.42
15.	सिंडिकेट बैंक	6.10	4.60	10.70	1.59	7.11	1.07	1.88	0.82	280.22	1.53
16.	यूको बैंक	5.75	5.51	11.26	2.93	7.50	1.09	1.73	0.73	321.00	1.43
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6.07	6.02	12.09	2.64	7.96	1.23	2.52	1.10	346.72	2.81
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	14.15	4.01	18.16	2.43	7.93	1.78	2.56	1.04	208.00	1.72
19.	विजया बैंक	7.59	5.33	12.92	0.59	8.00	1.35	3.01	1.43	312.89	3.48
	स्टेट बैंक समूह										
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.04	4.41	12.45	2.65	7.70	1.69	2.61	0.99	243.08	2.07
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	7.95	4.65	12.60	1.61	7.75	2.15	3.25	0.88	220.29	1.69
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7.58	4.16	11.74	0.61	7.33	1.33	2.25	0.72	339.74	1.91
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	6.67	4.94	11.61	1.00	7.67	1.23	2.43	0.79	293.88	2.07
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	7.12	4.96	12.08	0.92	8.15	2.69	3.15	1.25	203.54	2.16
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	11.05	3.16	14.21	1.23	7.34	1.23	2.94	0.91	361.15	2.48
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	8.68	2.77	11.45	1.40	8.49	0.85	2.76	0.27	249.60	0.56
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6.17	4.88	11.05	1.81	7.77	1.58	3.10	0.86	346.25	2.21
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक										
28.	आइडीबीआई लि.	उ.न.	उ.न.	15.51	1.74	3.35	0.79	0.46	0.78	1,349.60	6.85

परिशिष्ट सारणी III.16: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (जारी)
(31 मार्च 2005 को)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों के पूंजी अनुपात			निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/निवल अग्रिम निधि	ब्याज आय/का. निधियाँ	ब्याजेतर आय/का. निधियाँ	ब्याजेतर आय/का. निधियाँ	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
		टियर I	टियर II	जोड़							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(राशि लाख रुपए में)	
										11	12
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक										
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	7.84	4.91	12.75	2.50	7.24	0.88	1.14	0.38	231.18	0.86
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	9.28	5.67	14.95	1.56	7.05	0.62	1.75	0.62	422.00	1.86
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	7.49	3.86	11.35	3.80	8.14	1.02	1.74	0.24	215.97	0.37
4.	सिटी यूनिनयन बैंक लि.	10.05	2.13	12.18	3.37	8.36	0.96	2.35	1.33	325.80	3.23
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	6.12	4.04	10.16	3.92	7.58	0.58	0.73	-0.83	292.70	-1.65
6.	फेडरल बैंक लि.	6.42	4.85	11.27	2.21	8.14	1.45	2.74	0.54	366.00	1.39
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुदवाड लि.	-0.25	4.24	3.99	8.32	7.86	-0.30	-2.58	-2.58	124.28	-
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	5.20	3.89	9.09	2.13	7.54	0.92	0.76	-0.25	394.92	-0.73
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	12.48	2.67	15.15	1.41	7.64	0.41	1.75	0.47	435.00	2.00
10.	कर्नाटक बैंक लि.	12.15	2.01	14.16	2.29	7.79	2.05	3.16	1.27	380.90	3.35
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	14.36	1.71	16.07	1.66	8.13	1.56	2.74	1.45	387.00	3.75
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	5.67	5.65	11.32	4.98	7.66	0.98	1.40	0.08	296.00	0.17
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	7.57	4.17	11.74	4.22	8.24	0.05	-	-	306.35	-
14.	नैनीताल बैंक लि.	11.30	3.55	14.85	0.00	8.15	1.04	2.34	1.25	162.32	1.74
15.	रत्नाकर बैंक लि.	10.44	1.97	12.41	5.54	8.12	0.62	1.18	-1.17	220.75	-1.73
16.	सांगली बैंक लि.	6.44	2.86	9.30	4.30	8.05	0.52	0.35	-1.52	105.35	-1.66
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	23.01	0.55	23.56	7.65	6.30	2.26	2.66	-2.10	527.06	-9.73
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	5.68	4.21	9.89	3.81	7.47	1.08	1.82	0.09	352.00	0.24
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	16.22	3.52	19.74	2.95	9.49	1.26	3.23	1.47	316.97	3.60
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2.43	2.43	4.86	5.97	6.99	0.94	1.20	-1.40	309.00	-3.12
	निजी क्षेत्र के नए बैंक										
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	3.83	5.40	9.23	4.64	6.93	0.15	0.41	-1.29	355.93	-3.24
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	17.80	21.42	39.22	2.51	9.74	1.81	0.65	0.64	383.49	1.69
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	5.85	4.03	9.88	6.83	6.29	1.89	-0.09	-3.38	392.29	-10.84
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	9.60	2.56	12.16	0.24	6.85	1.44	2.56	1.47	806.00	8.80
25.	आयसीआयसीआय बैंक लि.	7.59	4.19	11.78	1.65	6.94	2.52	2.18	1.59	880.00	11.00
26.	इंडसइंड बैंक लि.	7.24	4.38	11.62	2.71	8.11	1.79	2.87	1.35	925.78	10.12
27.	कोटक महोन्द्र बैंक लि.	10.12	2.68	12.80	0.37	7.71	2.42	2.44	1.56	387.27	5.37
28.	यूटी आई बैंक लि.	8.87	3.79	12.66	1.39	6.94	1.50	2.04	1.21	895.00	7.03
29.	यस बैंक लि.	18.64	0.17	18.81	0.00	4.49	2.72	-0.83	-0.29	687.93	-1.82

परिशिष्ट सारणी III.16: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (समाप्त)

(31 मार्च 2005 को)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों के पूंजी अनुपात			निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/निवल अग्रिम निधि	ब्याज आय/का. निधियाँ	ब्याजेतर आय/का. निधियाँ	ब्याजेतर आय/का. निधियाँ	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
		टियर I	टियर II	जोड़						(राशि लाख रुपए में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में विदेशी बैंक										
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	7.89	2.66	10.55	0.35	7.28	3.49	3.55	1.27	823.70	10.24
2.	आबू धाबी कर्मशियल बैंक लि..	12.03	2.35	14.38	12.73	7.68	2.07	0.26	-2.57	1,061.10	-77.24
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	10.23	0.64	10.87	0.99	9.29	8.64	2.66	0.55	237.53	1.05
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	26.81	13.18	39.99	0.00	4.61	0.76	2.31	1.00	2,267.01	33.40
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि..	108.00	1.39	109.39	0.18	4.38	5.38	6.23	3.43	183.07	10.29
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	92.06	0.20	92.26	10.49	4.49	-0.44	-1.44	-0.98	274.51	-4.15
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	23.39	6.68	30.07	0.00	4.75	2.19	2.60	1.46	1,707.72	29.47
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	9.84	1.82	11.66	5.53	5.94	0.43	0.31	-3.77	820.00	-28.00
9.	बैंक ऑफ सिलोन	48.30	1.10	49.40	13.76	4.26	2.92	3.30	1.19	628.76	7.95
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	14.36	0.91	15.27	3.08	4.33	1.41	1.87	-0.35	2,085.17	-6.30
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	21.65	10.45	32.10	0.01	4.75	4.77	5.51	0.93	663.58	6.45
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	19.88	0.97	20.85	0.00	1.65	6.66	6.20	4.53	188.49	160.21
13.	बी.एन.पी. परिबास	6.10	3.31	9.41	0.58	6.21	2.38	1.99	0.50	980.52	4.70
14.	चायनाट्रस्ट कर्मशियल बैंक	58.46	1.48	59.94	6.02	6.60	1.04	1.96	-7.68	628.66	-52.51
15.	चो हंग बैंक	53.00	2.31	55.31	0.00	6.44	2.51	5.24	2.49	1,109.39	40.94
16.	सिटी बैंक एन. ए.	8.60	2.18	10.78	1.00	7.17	3.07	3.81	2.84	1,359.51	21.75
17.	काल्यन बैंक	10.00	4.40	14.40	0.30	7.40	1.40	-0.70	-0.80	1,885.82	-15.04
18.	ड्यूश बैंक एजी	12.62	3.60	16.22	0.00	4.37	4.57	2.40	0.72	1,608.93	20.31
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	34.45	0.61	35.06	0.00	5.46	0.56	1.76	0.89	1,110.99	14.52
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	11.38	2.65	14.03	0.50	6.39	2.60	3.79	1.21	779.45	8.90
21.	आइएनजी बैंक एन वी	74.97	0.00	74.97	0.00	0.02	1.23	3.15	-4.38	उ.न.	उ.न.
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	9.44	0.75	10.19	0.00	5.20	12.05	11.63	3.58	593.74	69.96
23.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	99.59	1.42	101.01	0.00	4.92	0.35	1.32	0.03	460.75	0.19
24.	मशरेक बैंक पीएससी	58.03	2.11	60.14	0.00	8.11	1.04	1.19	1.10	521.26	36.99
25.	मिडिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	28.82	1.52	30.34	0.00	5.19	1.87	2.86	2.20	608.21	19.25
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	13.20	0.32	13.52	55.05	5.99	0.57	-0.15	-2.86	1,132.28	-40.79
27.	सोसाइटी जनरेल	61.53	3.28	64.81	0.00	3.96	1.09	1.20	1.61	1,057.90	25.40
28.	सोनाली बैंक	103.73	2.08	105.81	1.90	7.00	24.00	12.00	4.00	92.29	3.35
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	7.10	3.36	10.46	1.12	8.16	1.72	3.50	1.61	786.36	11.50
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	29.76	1.30	31.06	4.08	7.10	0.41	2.16	1.20	1,191.00	18.00
31.	यूएफजे बैंक लि.	120.07	1.53	121.60	0.00	5.02	1.58	4.16	2.13	494.64	21.99

- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी : इस सारणी में सूचित आंकड़े अवधारणागत अंतर होने के कारण परिशिष्ट सारणी III.17 से परिशिष्ट सारणी III.23 में प्रस्तुत आंकड़े पूर्णतः संगत नहीं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।



परिशिष्ट सारणी III.17: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.66	1.53	1.94	2.39	2.66	2.20
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.46	1.34	1.88	2.31	2.67	2.22
	राष्ट्रीयकृत बैंक	1.30	1.29	1.83	2.34	2.70	2.20
1.	इलाहाबाद बैंक	1.28	1.21	1.65	1.84	2.52	2.38
2.	आंध्र बैंक	1.83	1.22	2.03	3.06	3.44	3.03
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1.79	1.64	1.85	2.25	2.92	2.43
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1.23	1.30	2.02	2.66	2.64	1.54
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.52	1.26	1.93	2.09	2.10	1.66
6.	केनरा बैंक	1.70	1.70	2.30	2.43	2.88	2.34
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1.02	1.00	1.34	1.62	2.41	2.35
8.	कार्पोरेशन बैंक	2.54	2.70	2.64	3.24	3.11	3.12
9.	देना बैंक	1.36	0.43	1.78	2.45	3.21	1.86
10.	इंडियन बैंक	0.10	0.23	1.01	1.67	2.05	2.18
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.68	1.01	1.74	1.93	2.80	2.63
12.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.06	1.97	2.84	3.42	3.74	2.28
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.83	0.77	1.19	1.94	1.00	1.64
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1.52	1.49	2.02	2.69	3.05	2.14
15.	सिंडिकेट बैंक	1.03	1.05	1.12	1.80	2.16	1.91
16.	यूसीओ बैंक	0.75	0.78	1.52	1.79	1.82	1.50
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1.12	1.31	1.96	2.55	2.54	2.17
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.43	0.64	1.04	2.29	2.37	2.37
19.	विजया बैंक	0.98	1.25	1.56	2.27	3.60	2.69
	स्टेट बैंक समूह	1.74	1.42	1.94	2.27	2.62	2.43
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1.61	1.26	1.74	2.07	2.34	2.39
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	1.91	1.93	2.52	2.45	3.39	3.12
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.65	2.43	2.71	2.90	3.31	2.04
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.06	2.10	3.48	3.70	4.08	2.08
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.96	1.47	2.27	3.11	3.09	2.73
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.83	2.79	3.25	3.47	3.73	2.71
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.15	1.36	2.36	2.52	3.53	2.45
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.47	1.59	1.95	2.39	2.92	2.78
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक						
28.	आइडीबीआई लि.	-	-	-	-	-	0.89



परिशिष्ट सारणी III.17: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में सकल लाभ/हानि (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.95	1.74	1.74	2.44	2.27	1.79
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.82	1.75	2.70	2.67	2.64	1.68
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.46	1.33	1.69	2.42	2.19	0.90
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	1.26	1.98	2.53	2.02	2.02	1.69
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	0.95	1.63	2.60	2.89	2.86	1.77
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	3.18	2.70	2.92	3.06	3.69	2.34
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1.89	1.46	2.68	3.02	2.74	0.70
6.	फेडरल बैंक लि.	1.78	2.12	3.01	2.88	2.89	2.38
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.81	0.42	1.14	1.65	0.89	-1.16
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.35	1.13	1.91	2.11	1.98	0.65
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.20	2.14	3.14	3.30	2.96	1.45
10.	कर्नाटक बैंक लि.	1.41	2.04	3.23	2.73	3.12	2.72
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	2.91	2.61	3.17	3.20	3.02	2.53
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.40	2.30	2.72	2.50	2.27	1.35
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.41	1.08	2.93	2.76	1.85	-0.04
14.	नैनीताल बैंक लि.	1.69	1.58	1.77	1.51	2.41	2.01
15.	रत्नाकर बैंक लि.	1.46	1.75	3.69	2.74	1.70	1.10
16.	सांगली बैंक लि.	1.14	1.08	1.51	1.11	1.41	0.28
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	3.19	1.34	1.86	2.78	5.31	2.29
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1.80	2.05	2.64	2.84	2.61	1.82
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	2.36	2.78	2.82	2.87	3.34	3.10
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2.96	0.88	2.99	2.31	1.86	1.18
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.11	1.74	1.22	2.31	2.08	1.85
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1.69	1.73	2.46	2.53	2.13	0.40
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	1.25	0.98	0.35	0.64	0.34	0.50
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.89	1.62	2.47	1.35	1.00	-0.09
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	2.21	2.44	2.29	2.33	2.38	2.61
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	1.88	1.47	0.52	2.41	1.98	1.76
26.	इंडसइंड बैंक लि.	2.39	2.00	2.47	3.28	2.95	2.57
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-	4.16	2.18	2.04
28.	यूटी आई बैंक लि.	1.74	1.23	2.83	2.09	2.89	1.50
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-0.29



परिशिष्ट सारणी III.17: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत में विदेशी बैंक	3.24	3.05	3.10	3.20	3.68	2.98
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.05	3.51	3.68	3.13	3.38	2.87
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.50	1.35	0.90	0.69	0.70	0.26
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	2.74	1.81	3.80	3.37	2.95	2.56
4.	एंटवर्प डायमंड बैंक	-	-	-	1.09	2.29	1.98
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	6.08	7.09	6.40	5.26	6.93	6.23
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-9.75	-6.89	0.22	-2.93	0.04	-0.26
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	5.02	3.36	3.56	2.71	2.34	2.86
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	1.74	1.49	2.72	2.23	1.23	0.30
9.	बैंक ऑफ सिलोन	6.34	4.91	5.49	2.58	2.98	3.63
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	3.11	2.19	2.70	3.19	1.95	2.05
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	-2.92	9.22	3.04	3.19	8.05	5.70
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	-0.55	-0.09	4.51	8.42	15.15	8.54
13.	बी.एन.पी. परिबास	2.27	1.36	-0.60	0.06	1.18	1.92
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1.11	2.03	4.20	4.23	4.58	2.33
15.	चो हंग बैंक	7.23	8.38	6.45	7.44	4.67	4.18
16.	सिटी बैंक एन. ए.	3.41	3.55	3.97	3.44	4.17	3.47
17.	काल्यन बैंक	-0.14	0.01	0.50	1.24	-0.27	-0.61
18.	ड्यूश बैंक एजी	5.19	5.72	4.39	5.93	5.88	2.04
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	3.01	2.93	3.49	4.45	1.95	0.79
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	2.41	2.84	2.50	2.25	3.04	3.46
21.	आइएनजी बैंक एन वी	6.44	-2.44	0.06	-4.86	0.67	3.15
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	5.83	10.32	8.29	5.19	3.75	6.84
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	3.57	4.94	4.38	2.75	1.66	1.32
24.	मशरेक बैंक पीएससी	0.41	0.41	3.26	4.01	1.84	1.26
25.	मिस्त्रिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	-0.25	1.62	1.10	1.23	2.96	2.09
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-0.20	-0.64	-2.05	-1.34	-0.17	-0.10
27.	सोसाइटे जनरेल	0.73	0.60	-0.05	0.58	2.61	1.27
28.	सोनाली बैंक	4.11	5.87	3.66	2.15	6.35	7.62
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.45	3.15	3.84	3.80	4.01	2.87
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	3.79	3.80	4.56	4.12	5.22	2.41
31.	यूएफजे बैंक लि.	3.02	1.95	3.34	2.51	3.86	4.16



परिशिष्ट सारणी III.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में सकल लाभ/हानि (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	0.66	0.49	0.75	1.01	1.13	0.91
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.57	0.42	0.72	0.96	1.12	0.89
	राष्ट्रीयकृत बैंक	0.44	0.33	0.69	0.98	1.19	0.8
1.	इलाहाबाद बैंक	0.35	0.18	0.32	0.59	1.34	1.20
2.	आंध्र बैंक	0.76	0.59	0.97	1.63	1.72	1.5
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.86	0.43	0.77	1.01	1.14	0.71
4.	बैंक ऑफ इंडिया	0.31	0.42	0.73	1.12	1.19	0.36
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.59	0.24	0.68	0.89	0.95	0.54
6.	केनरा बैंक	0.43	0.43	1.03	1.24	1.35	1.01
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.36	0.10	0.31	0.54	0.98	0.52
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.39	1.33	1.31	1.58	1.73	1.19
9.	देना बैंक	0.37	-1.49	0.06	0.57	1.04	0.25
10.	इंडियन बैंक	-1.81	-1.03	0.11	0.53	1.04	0.93
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.15	0.38	0.65	1.01	1.08	1.28
12.	ओरिएण्टेड बैंक ऑफ कॉमर्स	1.14	0.75	0.99	1.34	1.67	1.41
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.52	0.10	0.17	0.03	0.06	-0.45
14.	पंजाब नेशनल बैंक	0.75	0.73	0.77	0.98	1.08	1.12
15.	सिंडिकेट बैंक	0.79	0.83	0.79	1.00	0.92	0.77
16.	यूसीओ बैंक	0.16	0.12	0.52	0.59	0.99	0.63
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.29	0.40	0.71	1.08	1.22	0.99
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.16	0.09	0.52	1.26	1.22	1.03
19.	विजया बैंक	0.41	0.50	0.81	1.03	1.71	1.30
	स्टेट बैंक समूह	0.80	0.55	0.77	0.91	1.02	0.91
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0.78	0.51	0.70	0.83	0.90	0.94
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	0.97	0.76	1.06	1.13	1.50	0.88
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.82	0.82	1.02	1.15	1.24	0.72
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.72	0.78	1.27	1.76	1.73	0.79
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.58	0.27	0.64	1.02	1.28	1.25
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1.06	1.12	1.34	1.51	1.60	0.91
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1.18	0.16	0.88	0.81	1.38	0.27
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.53	0.67	0.73	0.90	1.02	0.86
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक						
28.	आइडीबीआई लि.	-	-	-	-	-	0.76



परिशिष्ट सारणी III.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक	0.88	0.70	0.66	1.00	0.95	0.83
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.81	0.59	1.08	1.17	1.20	0.33
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.30	0.74	0.84	1.12	0.82	0.38
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	0.06	0.95	1.08	1.17	1.25	0.62
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	0.25	0.38	1.07	1.17	1.31	0.24
4.	सिटी यूनिनयन बैंक लि.	1.30	1.16	1.28	1.27	1.79	1.33
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.71	0.40	0.53	0.71	0.71	-0.82
6.	फेडरल बैंक लि.	0.61	0.69	0.81	0.86	0.90	0.54
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.14	0.22	0.50	0.66	0.61	-2.56
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	0.50	0.38	0.64	0.75	0.45	-0.25
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.14	1.32	1.77	2.01	1.92	0.47
10.	कर्नाटक बैंक लि.	0.71	0.68	1.17	1.19	1.26	1.17
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	1.90	1.70	2.12	2.02	2.27	1.34
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.14	1.02	1.06	1.07	1.07	0.08
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	0.61	0.36	1.14	1.24	1.01	-0.97
14.	नैनीताल बैंक लि.	0.86	0.53	0.87	0.99	1.43	1.08
15.	रत्नाकर बैंक लि.	0.70	0.67	1.00	1.30	1.04	-1.09
16.	सांगली बैंक लि.	0.34	0.38	0.58	0.65	0.61	-1.48
17.	एसबीआइ कर्माशियल एंड इंटर. बैंक लि.	1.70	-6.65	0.46	-1.45	3.67	-2.10
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.58	0.80	0.95	0.95	0.91	0.09
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	1.32	1.37	1.29	1.35	1.59	1.47
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.16	-0.27	0.50	0.46	0.43	-1.39
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	0.97	0.81	0.44	0.90	0.83	1.05
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1.04	0.93	0.92	0.74	0.76	-1.25
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	0.66	0.12	-2.26	-0.75	-2.96	0.54
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.87	0.76	0.81	0.78	0.32	-3.50
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	1.02	1.35	1.25	1.27	1.20	1.29
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	0.87	0.82	0.25	1.13	1.31	1.20
26.	इंडसइंड बैंक लि.	0.70	0.47	0.50	0.91	1.74	1.35
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-	2.09	1.35	1.30
28.	यूटी आई बैंक लि.	0.76	0.80	0.93	0.98	1.15	0.89
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-0.29



**परिशिष्ट सारणी III.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में सकल लाभ/हानि (समाप्त)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत में विदेशी बैंक	1.17	0.93	1.32	1.56	1.65	1.30
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.58	0.40	1.72	1.56	1.84	1.27
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.52	0.44	0.47	0.17	0.49	-2.57
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	1.02	-0.62	0.27	-0.90	-0.69	0.55
4.	एंटवैर्प डायमंड बैंक	-	-	-	0.36	1.18	1.00
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	2.80	3.50	2.82	2.73	4.08	3.61
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-8.10	-2.95	0.24	2.11	-0.22	-0.67
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	2.70	1.25	1.72	1.74	1.26	1.46
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	0.90	0.81	1.25	1.06	0.12	-3.77
9.	बैंक ऑफ सिलोन	2.62	0.95	0.02	0.27	0.36	1.19
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1.46	1.06	1.00	0.78	0.57	-0.35
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	4.87	7.57	4.08	3.27	6.96	0.93
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	-2.10	1.35	1.78	2.87	9.37	4.53
13.	बी.एन.पी. परिबास	0.94	0.33	-0.94	-0.53	-0.44	0.50
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.25	0.63	1.00	2.12	1.15	-7.67
15.	चो हंग बैंक	0.50	3.15	3.42	2.47	2.21	2.35
16.	सिटी बैंक एन. ए.	1.44	1.46	1.51	1.55	1.93	1.77
17.	काल्यन बैंक	-9.83	-1.62	0.99	0.36	0.51	-0.84
18.	ड्यूश बैंक एजी	1.10	1.71	2.24	2.92	3.17	0.72
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.44	1.58	2.02	2.01	-1.31	0.64
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	0.96	1.26	0.87	0.72	1.55	1.28
21.	आइएनजी बैंक एन वी	-4.00	-3.97	-0.44	-12.92	-0.05	-4.39
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	2.87	5.06	3.18	3.10	2.34	3.58
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	0.26	2.22	0.02	-0.72	1.38	0.03
24.	मशरेक बैंक पीएससी	-3.60	-3.10	1.59	3.25	1.76	1.10
25.	मिस्त्रिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	-2.85	-3.30	-1.45	0.31	2.41	2.13
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-8.98	-4.41	-4.47	-1.83	-0.39	-3.14
27.	सोसाइटे जनरेल	0.02	0.04	-2.29	-1.58	2.04	1.71
28.	सोनाली बैंक	2.14	3.05	1.41	1.23	3.36	4.33
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.81	1.51	2.02	2.92	1.74	1.61
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	1.48	1.05	0.85	1.05	1.33	1.20
31.	यूएफजे बैंक लि.	0.14	0.25	0.05	0.31	1.88	2.10



**परिशिष्ट सारणी III.19: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में ब्याज से प्राप्त आय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8.97	8.88	8.26	8.28	7.31	6.73
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	8.92	8.85	8.72	8.34	7.45	6.93
	राष्ट्रीयकृत बैंक	9.06	9.09	8.78	8.39	7.44	6.91
1.	इलाहाबाद बैंक	9.36	9.39	9.18	9.16	7.69	7.06
2.	आंध्र बैंक	9.16	9.20	9.69	8.89	8.25	6.95
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.83	9.09	8.40	7.98	7.22	6.79
4.	बैंक ऑफ इंडिया	8.51	8.93	8.01	7.77	6.83	6.35
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9.64	8.96	9.31	8.36	6.83	7.20
6.	केनरा बैंक	8.91	8.45	8.83	8.16	7.11	6.86
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9.06	9.03	8.85	8.88	7.99	7.59
8.	कार्पोरेशन बैंक	9.57	9.16	8.24	8.00	7.55	6.63
9.	देना बैंक	9.40	9.58	9.07	8.79	7.83	7.18
10.	इंडियन बैंक	8.07	7.91	7.58	7.16	6.81	6.54
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	9.07	9.22	8.95	8.47	7.93	7.78
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.02	10.19	9.43	9.72	8.05	6.61
13.	पंजाब एन्ड सिंध बैंक	9.50	9.23	9.20	8.86	8.52	7.94
14.	पंजाब नॅशनल बैंक	9.52	9.23	9.12	8.68	7.60	6.70
15.	सिंडीकेट बैंक	8.97	9.89	9.08	8.35	6.53	7.21
16.	यूसीओ बैंक	8.39	8.32	8.10	8.00	7.07	6.50
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9.47	9.58	9.05	8.43	7.74	6.86
18.	यूनायटेड बैंक ऑफ इंडिया	8.70	8.99	8.93	8.73	8.02	7.33
19.	विजया बैंक	9.36	9.51	9.53	8.76	8.06	7.14
	स्टेट बैंक समूह	8.67	8.47	8.62	8.26	7.46	7.02
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.49	8.28	8.56	8.27	7.47	7.05
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर और जयपुर	8.95	9.12	8.76	8.00	7.82	7.44
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	9.56	9.19	8.67	7.91	7.22	6.66
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	8.92	8.63	9.02	8.68	8.02	6.57
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	9.66	9.72	9.38	9.15	7.68	7.05
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	9.40	9.38	8.66	8.26	7.02	6.77
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	9.25	8.95	8.99	7.90	7.62	7.53
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	9.32	9.08	8.82	8.32	7.25	6.96
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक						
28.	आईडीबीआई लि.	-	-	-	-	-	6.53



परिशिष्ट सारणी III.19: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में ब्याज से प्राप्त आय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक	8.74	8.87	6.18	8.26	6.99	6.14
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	9.66	9.53	9.36	8.50	7.56	6.95
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10.04	10.20	9.41	7.71	5.95	5.71
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	8.63	8.54	7.94	7.21	7.05	6.80
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	10.53	10.48	9.68	8.98	8.29	8.30
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	11.40	10.08	9.51	8.91	8.65	8.32
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	10.24	10.45	9.59	8.98	7.82	7.27
6.	फेडरल बैंक लि.	11.60	10.42	10.28	9.11	7.89	7.08
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	10.95	10.61	10.04	9.39	8.29	7.77
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	8.88	8.76	8.61	7.89	6.99	6.45
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	8.38	8.46	9.21	8.50	7.17	6.33
10.	कर्नाटक बैंक लि.	10.07	9.79	9.57	8.76	8.02	6.71
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	11.16	10.88	9.44	8.35	9.11	7.49
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.62	9.61	9.53	8.48	7.48	7.36
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	9.37	8.75	8.36	8.37	6.39	7.79
14.	नैनीताल बैंक लि.	9.54	9.72	9.55	8.78	8.20	7.00
15.	रत्नाकर बैंक लि.	9.91	10.18	9.39	8.79	7.99	7.54
16.	सांगली बैंक लि.	8.36	9.11	8.00	7.65	6.77	6.48
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	9.40	10.17	8.07	8.30	8.08	5.42
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	10.55	10.36	9.39	8.62	7.36	7.48
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	10.14	10.24	10.12	9.99	10.56	9.13
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	8.70	8.29	9.59	7.99	6.48	6.87
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	7.60	8.17	4.48	8.13	6.71	5.77
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	8.23	9.11	9.35	8.24	7.02	6.70
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	8.50	9.29	11.57	10.97	9.41	7.50
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	8.02	9.84	9.01	8.14	6.54	6.51
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	5.80	8.06	7.16	6.62	6.02	6.02
25.	आयसीआयसीआय बैंक लि.	7.06	6.29	2.07	8.77	7.19	5.61
26.	इंडसहंड बैंक लि.	7.97	8.42	6.96	7.50	6.54	7.26
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-	8.42	4.96	6.45
28.	यूटीआई बैंक लि.	7.25	8.26	8.20	7.47	6.62	5.10
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	2.35



**परिशिष्ट सारणी III.19: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में ब्याज से प्राप्त आय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत में विदेशी बैंक	9.93	9.27	8.56	7.68	6.74	5.95
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	8.05	10.18	10.16	7.92	7.18	5.89
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	10.98	6.54	10.03	9.65	8.47	7.68
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	11.11	8.39	8.60	10.05	8.99	8.93
4.	एंटवैर्प डायमंड बैंक	-	-	-	4.61	4.06	3.96
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	7.23	7.77	6.19	4.65	4.78	4.37
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	9.87	5.16	4.27	4.48	3.61	2.87
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	11.76	10.31	9.13	6.99	5.48	4.68
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	10.15	9.96	8.55	8.12	5.77	5.71
9.	बैंक ऑफ सिलोन	8.60	8.45	8.32	6.86	5.14	4.68
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	8.07	8.79	8.73	9.67	4.52	4.75
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मिजुबिशी लिमि.	13.02	10.53	8.62	9.70	6.55	5.02
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	11.20	7.31	4.60	2.83	3.95	2.27
13.	बी.एन.पी. परिबास	9.60	9.68	7.54	9.11	5.93	5.99
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	12.44	10.70	13.35	11.17	10.01	7.82
15.	चो हंग बैंक	8.80	9.86	7.11	10.38	5.44	5.14
16.	सिटी बैंक एन. ए.	10.53	9.00	8.89	7.84	7.70	6.52
17.	काल्यन बैंक	11.46	7.02	5.95	8.28	8.42	6.22
18.	ड्यूश बैंक एजी	10.13	9.77	8.17	5.67	3.50	3.63
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	8.34	8.92	7.92	10.58	4.86	2.45
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	7.84	8.29	7.83	7.08	6.15	5.83
21.	आइएनजी बैंक एन वी	16.88	4.84	4.65	9.82	1.77	2.41
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	5.17	8.43	6.32	4.78	5.43	3.06
23.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	9.20	9.46	8.71	6.90	5.77	4.91
24.	मशरेक बैंक पीएससी	9.90	8.36	11.18	12.19	10.02	8.57
25.	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	7.75	10.64	8.39	8.40	6.84	3.79
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	8.39	6.36	4.42	4.11	4.00	4.05
27.	सोसाइटी जनरेल	9.94	7.38	7.57	5.62	4.03	4.20
28.	सोनाली बैंक	1.84	3.71	3.54	4.00	3.92	4.39
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	10.51	9.12	8.12	7.80	7.35	6.69
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	8.08	9.03	9.27	6.10	6.78	7.94
31.	यूएफजे बैंक लि.	9.05	8.38	9.62	6.11	5.25	5.02



परिशिष्ट सारणी III.20: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में व्यय किया गया ब्याज - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6.25	6.03	5.70	5.51	4.44	3.81
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	6.22	5.99	5.99	5.43	4.47	4.02
	राष्ट्रीयकृत बैंक	6.40	6.19	6.03	5.39	4.38	3.89
1.	इलाहाबाद बैंक	6.50	6.29	6.23	5.92	4.56	4.03
2.	आंध्र बैंक	6.49	6.74	6.95	5.84	4.87	3.68
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	5.98	6.03	5.75	5.23	4.20	3.65
4.	बैंक ऑफ इंडिया	6.19	6.15	5.40	5.10	4.24	4.00
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.57	6.03	6.57	5.64	4.44	4.52
6.	केनरा बैंक	6.27	5.62	6.31	5.39	4.35	4.01
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.09	5.96	5.93	5.56	4.64	4.13
8.	कार्पोरेशन बैंक	6.84	6.21	5.59	4.99	4.24	3.30
9.	देना बैंक	6.94	7.08	6.72	5.97	5.16	4.32
10.	इंडियन बैंक	6.45	6.05	5.83	4.84	3.96	3.57
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6.61	6.31	6.21	5.50	4.55	4.12
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	7.11	7.27	6.42	6.15	4.50	3.79
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7.15	6.72	6.90	6.20	5.23	4.30
14.	पंजाब नेशनल बैंक	6.54	6.02	5.97	5.06	4.06	3.53
15.	सिंडिकेट बैंक	5.94	6.01	5.59	4.84	3.51	3.96
16.	यूसीओ बैंक	6.05	5.90	5.77	5.47	4.34	3.92
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6.73	6.45	6.04	5.50	4.77	4.01
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	6.59	6.60	6.29	5.77	5.00	4.18
19.	विजया बैंक	6.33	6.28	6.52	5.39	4.58	3.78
	स्टेट बैंक समूह	5.91	5.68	5.91	5.50	4.62	3.96
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5.84	5.63	5.95	5.62	4.73	4.02
21.	स्टेट बैंक ऑफ बिकनर एंड जयपुर	5.95	5.84	5.59	4.93	4.26	3.73
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6.21	5.88	5.74	5.05	4.48	3.90
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	5.93	5.79	6.05	5.45	4.54	3.60
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.26	6.39	6.33	5.74	4.38	3.76
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5.62	5.16	4.88	4.58	3.96	3.67
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	6.05	6.02	6.01	5.11	4.47	4.15
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7.06	6.35	6.24	5.58	4.40	3.85
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक						
28.	आईडीबीआई लि.	-	-	-	-	-	6.07



**परिशिष्ट सारणी III.20: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में व्यय किया गया ब्याज - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक	6.58	6.54	4.60	6.29	4.77	3.80
	पुराने निजी क्षेत्र के बैंक	7.33	7.02	6.97	6.03	4.96	4.25
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	7.69	7.13	6.73	4.76	3.70	3.37
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	6.48	5.74	5.59	4.73	4.02	3.54
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	8.18	7.75	7.36	6.67	5.45	5.01
4.	सिटी यूनिनयन बैंक लि.	8.38	7.17	7.06	6.37	5.64	5.15
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	7.74	8.10	7.34	6.46	4.98	4.50
6.	फेडरल बैंक लि.	9.23	7.73	7.55	6.33	5.10	4.09
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	8.55	8.52	8.28	7.91	7.16	6.40
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	7.65	7.05	6.91	6.00	5.14	4.13
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	5.66	5.66	6.23	5.36	4.25	3.89
10.	कर्नाटक बैंक लि..	8.08	7.52	7.76	7.09	6.00	4.18
11.	करुर वैश्य बैंक लि.	7.50	7.21	6.22	5.61	4.93	4.24
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	7.03	7.07	7.36	6.34	5.30	4.73
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	7.97	7.31	7.59	6.95	5.09	5.52
14.	नैनीताल बैंक लि.	5.71	5.91	5.68	5.08	4.33	3.47
15.	रत्नाकर बैंक लि.	7.09	7.11	6.50	6.10	5.26	4.46
16.	सांगली बैंक लि.	5.79	5.96	5.58	5.46	4.14	4.09
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	7.42	8.95	7.30	6.16	5.33	3.46
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	7.88	7.49	7.02	6.28	5.19	4.77
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	7.26	6.95	6.77	6.40	6.33	5.01
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	6.32	6.33	7.62	6.00	4.77	4.80
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	5.64	6.03	3.33	6.43	4.68	3.60
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	5.92	6.09	7.03	5.94	4.38	3.95
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	6.96	7.56	9.09	7.95	5.74	3.65
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	6.21	7.64	6.87	6.52	4.76	5.01
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	3.19	4.83	4.51	3.92	2.86	2.56
25.	आयसीआयसीआय बैंक लि.	5.52	4.24	1.50	7.44	5.60	3.92
26.	इंडसइंड बैंक लि.	6.27	6.58	5.36	5.64	4.44	4.60
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-	4.03	2.02	2.99
28.	यूटी आई बैंक लि.	5.89	7.35	6.81	5.82	4.23	3.16
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	0.93



**परिशिष्ट सारणी III.20: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में व्यय किया गया ब्याज - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत में विदेशी बैंक	6.01	5.64	5.34	4.33	3.15	2.62
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	4.83	6.24	5.49	4.01	2.94	2.17
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	8.88	5.56	9.11	8.78	7.51	7.07
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	7.20	5.77	5.78	6.62	5.25	5.00
4.	एंटवर्प डायमंड बैंक	-	-	-	1.24	1.06	1.48
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1.41	1.16	0.69	0.77	0.77	0.76
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	7.10	2.35	1.70	1.06	0.72	0.55
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	7.11	7.03	6.20	4.47	3.18	2.32
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	8.60	8.32	7.37	6.40	4.71	3.63
9.	बैंक ऑफ सिलोन	3.61	4.58	3.90	3.80	3.11	2.93
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	5.48	6.57	6.32	6.83	3.11	3.21
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	6.68	4.30	3.92	4.45	1.73	1.39
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	8.83	5.77	3.67	2.00	0.95	0.62
13.	बी.एन.पी. परिबास	6.90	7.07	5.66	6.26	3.32	3.08
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	8.50	6.48	7.14	4.20	3.16	2.85
15.	चो हंग बैंक	0.92	1.65	0.97	3.24	1.14	1.17
16.	सिटी बैंक एन. ए.	5.97	5.02	5.13	4.08	3.12	2.22
17.	काल्यन बैंक	8.99	5.56	4.96	5.98	5.55	5.20
18.	ड्यूश बैंक एजी	5.12	4.63	4.41	3.03	2.66	2.84
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	5.02	6.06	4.83	5.11	2.23	0.60
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	5.09	5.33	5.21	4.20	2.85	2.31
21.	आइएनजी बैंक एन वी	10.66	3.34	3.71	7.81	1.31	0.00
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	4.40	5.48	3.01	1.25	1.32	1.24
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	1.41	1.18	0.68	0.34	0.49	0.75
24.	मशरेक बैंक पीएसएस	7.67	7.26	8.96	8.76	7.61	7.32
25.	मिस्त्रिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	6.00	7.65	6.18	5.74	2.32	1.28
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	8.85	6.87	6.38	5.83	4.36	3.36
27.	सोसाइटे जनरेल	8.85	6.09	6.38	3.66	2.15	2.23
28.	सोनाली बैंक	0.90	1.42	2.00	2.90	2.48	2.46
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	6.27	5.38	4.61	3.93	3.12	2.97
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	4.96	5.95	6.57	3.61	3.80	4.98
31.	यूएफजे बैंक लि.	4.81	4.49	5.36	2.73	0.71	0.61



परिशिष्ट सारणी III.21: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में निवल ब्याज आय/मार्जिन - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक	2.73	2.85	2.57	2.77	2.88	2.93
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.70	2.86	2.73	2.91	2.98	2.92
	राष्ट्रीयकृत बैंक	2.66	2.90	2.74	3.00	3.06	3.02
1.	इलाहाबाद बैंक	2.86	3.10	2.95	3.24	3.13	3.02
2.	आंध्र बैंक	2.68	2.45	2.75	3.05	3.37	3.27
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	2.85	3.06	2.65	2.75	3.02	3.15
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2.33	2.78	2.62	2.67	2.59	2.36
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3.07	2.93	2.73	2.72	2.38	2.68
6.	केनरा बैंक	2.64	2.83	2.52	2.76	2.76	2.86
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2.96	3.07	2.92	3.32	3.35	3.46
8.	कार्पोरेशन बैंक	2.73	2.95	2.65	3.02	3.31	3.33
9.	देना बैंक	2.46	2.51	2.35	2.82	2.67	2.86
10.	इंडियन बैंक	1.61	1.86	1.75	2.32	2.85	2.97
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.46	2.91	2.74	2.97	3.38	3.65
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.90	2.92	3.02	3.57	3.55	2.82
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.35	2.51	2.30	2.67	3.29	3.64
14.	पंजाब नॅशनल बैंक	2.99	3.21	3.15	3.62	3.54	3.17
15.	सिंडिकेट बैंक	3.04	3.87	3.49	3.51	3.03	3.25
16.	यूसीओ बैंक	2.35	2.42	2.33	2.53	2.73	2.58
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.73	3.13	3.01	2.93	2.98	2.85
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.10	2.39	2.64	2.97	3.02	3.15
19.	विजया बैंक	3.03	3.23	3.01	3.37	3.48	3.36
	स्टेट बैंक समूह	2.76	2.79	2.71	2.76	2.83	3.06
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2.65	2.66	2.61	2.65	2.74	3.03
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	3.00	3.28	3.16	3.07	3.56	3.71
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3.35	3.32	2.94	2.86	2.75	2.76
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.99	2.84	2.97	3.23	3.48	2.97
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.39	3.33	3.04	3.41	3.30	3.29
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3.78	4.22	3.78	3.69	3.06	3.10
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3.20	2.93	2.99	2.79	3.15	3.38
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.27	2.73	2.57	2.75	2.85	3.10
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक						
28.	आईडीबीआई लि.	-	-	-	-	-	0.46



**परिशिष्ट सारणी III.21: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में निवल ब्याज आय/मार्जिन - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक	2.16	2.33	1.58	1.97	2.21	2.34
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.33	2.51	2.39	2.47	2.60	2.70
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	2.35	3.07	2.69	2.95	2.25	2.33
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	2.15	2.80	2.34	2.48	3.03	3.27
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	2.34	2.72	2.32	2.32	2.84	3.30
4.	सिटी यूनिनयन बैंक लि.	3.03	2.91	2.45	2.53	3.02	3.17
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.49	2.34	2.25	2.53	2.84	2.76
6.	फेडरल बैंक लि.	2.37	2.69	2.72	2.78	2.79	2.99
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	2.40	2.09	1.77	1.48	1.13	1.36
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.24	1.71	1.70	1.89	1.85	2.32
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.71	2.81	2.98	3.13	2.92	2.44
10.	कर्नाटक बैंक लि.	1.99	2.28	1.81	1.67	2.02	2.53
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	3.66	3.67	3.22	2.74	4.18	3.26
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.59	2.55	2.17	2.13	2.18	2.63
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.41	1.44	0.77	1.42	1.30	2.26
14.	नैनीताल बैंक लि.	3.83	3.81	3.87	3.70	3.87	3.53
15.	रत्नाकर बैंक लि.	2.82	3.07	2.89	2.70	2.73	3.08
16.	सांगली बैंक लि.	2.57	3.14	2.42	2.19	2.63	2.40
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	1.98	1.22	0.78	2.15	2.76	1.95
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.66	2.87	2.37	2.33	2.17	2.71
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	2.88	3.29	3.35	3.58	4.24	4.11
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2.38	1.96	1.97	1.99	1.71	2.07
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.95	2.14	1.15	1.70	2.03	2.17
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.31	3.03	2.32	2.30	2.65	2.75
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	1.54	1.73	2.48	3.01	3.66	3.86
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.81	2.20	2.14	1.62	1.77	1.50
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	2.60	3.24	2.65	2.70	3.16	3.46
25.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1.54	2.05	0.57	1.33	1.59	1.69
26.	इंडसइंड बैंक लि.	1.70	1.84	1.60	1.86	2.10	2.66
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-	4.38	2.94	3.46
28.	यूटी आई बैंक लि.	1.36	0.91	1.38	1.64	2.39	1.94
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	1.42



परिशिष्ट सारणी III.21: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में निवल ब्याज आय/मार्जिन - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत में विदेशी बैंक	3.92	3.63	3.22	3.35	3.59	3.33
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.22	3.94	4.67	3.90	4.23	3.73
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.09	0.98	0.92	0.87	0.96	0.61
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	3.91	2.61	2.82	3.43	3.74	3.92
4.	एंटवैर्प डायमंड बैंक	-	-	-	3.36	2.99	2.47
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	5.82	6.61	5.50	3.89	4.01	3.61
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	2.77	2.81	2.57	3.42	2.88	2.32
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	4.65	3.28	2.93	2.52	2.30	2.36
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	1.55	1.64	1.18	1.72	1.06	2.09
9.	बैंक ऑफ सिलोन	4.98	3.87	4.43	3.06	2.03	1.75
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.60	2.21	2.41	2.84	1.41	1.54
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	6.34	6.23	4.70	5.25	4.82	3.63
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	2.37	1.55	0.94	0.83	3.00	1.65
13.	बी.एन.पी. परिबास	2.70	2.61	1.88	2.85	2.61	2.91
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	3.93	4.22	6.21	6.97	6.85	4.97
15.	चो हंग बैंक	7.87	8.21	6.14	7.15	4.30	3.97
16.	सिटी बैंक एन. ए.	4.55	3.98	3.76	3.76	4.58	4.29
17.	काल्यन बैंक	2.48	1.46	0.99	2.30	2.87	1.02
18.	ड्यूश बैंक एजी	5.00	5.14	3.76	2.65	0.84	0.80
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	3.33	2.85	3.10	5.47	2.64	1.85
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	2.75	2.96	2.63	2.88	3.29	3.52
21.	आइएनजी बैंक एन वी	6.22	1.50	0.94	2.01	0.46	2.41
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	0.77	2.95	3.30	3.53	4.12	1.81
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	7.79	8.28	8.03	6.56	5.28	4.16
24.	मशरेक बैंक पीएससी	2.23	1.11	2.22	3.43	2.41	1.26
25.	मिस्त्रिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	1.76	2.98	2.21	2.66	4.52	2.51
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-0.47	-0.51	-1.96	-1.72	-0.36	0.69
27.	सोसाइटे जनरेल	1.09	1.29	1.19	1.96	1.88	1.98
28.	सोनाली बैंक	0.94	2.29	1.55	1.10	1.44	1.94
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	4.24	3.74	3.51	3.87	4.23	3.72
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	3.12	3.08	2.70	2.50	2.98	2.97
31.	यूएफजे बैंक लि.	4.24	3.89	4.27	3.37	4.55	4.41



परिशिष्ट सारणी III.22: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.00	1.03	1.19	1.39	1.54	1.33
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.89	0.92	1.16	1.36	1.55	1.33
	राष्ट्रीयकृत बैंक	0.86	0.95	1.15	1.35	1.52	1.31
1.	इलाहाबाद बैंक	0.93	1.03	1.32	1.25	1.19	1.18
2.	आंध्रा बैंक	1.07	0.63	1.07	1.43	1.73	1.44
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.94	1.20	1.08	1.23	1.78	1.72
4.	बैंक ऑफ इंडिया	0.92	0.87	1.29	1.55	1.45	1.18
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.93	1.02	1.26	1.20	1.15	1.12
6.	केनरा बैंक	1.26	1.27	1.27	1.19	1.53	1.34
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.65	0.90	1.03	1.08	1.44	1.82
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	1.15	1.37	1.33	1.66	1.38	1.93
9.	देना बैंक	0.99	1.92	1.72	1.88	2.17	1.61
10.	इंडियन बैंक	1.92	1.26	0.91	1.13	1.01	1.25
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.54	0.63	1.09	0.92	1.72	1.35
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.93	1.22	1.85	2.08	2.07	0.87
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.31	0.67	1.02	1.91	0.94	2.09
14.	पंजाब नेशनल बैंक	0.76	0.76	1.25	1.71	1.97	1.03
15.	सिंडिकेट बैंक	0.24	0.22	0.33	0.80	1.24	1.13
16.	यूसीओ बैंक	0.60	0.66	0.99	1.19	0.83	0.87
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.83	0.91	1.25	1.47	1.32	1.18
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.27	0.55	0.52	1.03	1.15	1.34
19.	विजया बैंक	0.57	0.76	0.75	1.24	1.89	1.39
	स्टेट बैंक समूह	0.94	0.87	1.17	1.36	1.59	1.53
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0.82	0.75	1.04	1.24	1.44	1.45
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	0.94	1.17	1.46	1.32	1.89	2.24
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.83	1.62	1.69	1.75	2.07	1.32
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1.34	1.32	2.21	1.94	2.35	1.30
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.38	1.19	1.63	2.09	1.81	1.48
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1.78	1.66	1.91	1.96	2.13	1.80
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.98	1.20	1.49	1.71	2.15	2.17
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.93	0.92	1.21	1.49	1.90	1.92
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक						
28.	आईडीबीआई लि.	-	-	-	-	-	0.13



परिशिष्ट सारणी III.22: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक	1.07	1.04	1.07	1.44	1.32	0.97
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.01	1.15	1.62	1.50	1.45	1.35
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.16	0.59	0.86	1.31	1.38	0.52
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	1.20	1.02	1.45	0.85	0.77	1.07
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	0.70	1.25	1.53	1.72	1.55	1.53
4.	सिटी यूनिनयन बैंक लि.	1.88	1.54	1.64	1.79	1.90	1.01
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1.18	1.06	2.15	2.30	2.02	1.51
6.	फेडरल बैंक लि.	1.17	1.43	2.20	2.02	1.99	1.84
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.67	0.20	0.64	0.99	0.28	1.39
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	0.85	0.75	1.27	1.36	1.53	0.90
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.06	0.83	1.37	1.29	1.05	0.98
10.	कर्नाटक बैंक लि.	0.70	1.36	2.06	1.55	1.86	1.55
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	1.01	0.91	1.04	1.17	0.75	1.19
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.26	1.28	1.65	1.44	1.20	1.27
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	0.79	0.72	1.79	1.52	0.84	0.93
14.	नैनीताल बैंक लि.	0.83	1.04	0.91	0.52	0.98	0.93
15.	रत्नाकर बैंक लि.	0.76	1.07	2.69	1.43	0.67	2.18
16.	सांगली बैंक लि.	0.81	0.70	0.93	0.46	0.80	1.77
17.	एसबीआइ कर्मशियल एंड इंटर. बैंक लि.	1.48	7.99	1.40	4.23	1.64	4.39
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1.23	1.26	1.69	1.89	1.70	1.73
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	1.04	1.41	1.52	1.52	1.75	1.64
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.80	1.16	2.49	1.85	1.43	2.57
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.14	0.93	0.78	1.41	1.26	0.79
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.65	0.80	1.54	1.79	1.36	1.65
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	0.59	0.86	2.60	1.39	3.30	-0.04
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.02	0.86	1.66	0.57	0.68	3.41
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	1.19	1.10	1.04	1.06	1.18	1.32
25.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1.01	0.65	0.28	1.28	0.67	0.57
26.	इंडसइंड बैंक लि.	1.69	1.53	1.98	2.36	1.21	1.22
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-	2.07	0.82	0.74
28.	यूटी आई बैंक लि.	0.98	0.43	1.90	1.11	1.74	0.61
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	0.01



**परिशिष्ट सारणी III.22: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत में विदेशी बैंक	2.08	2.12	1.78	1.63	2.02	1.68
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.47	3.11	1.96	1.57	1.54	1.60
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	1.98	0.91	0.43	0.52	0.21	2.83
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	1.73	2.42	3.53	4.26	3.64	2.01
4.	एंटवैर्प डायमंड बैंक	-	-	-	0.73	1.11	0.98
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	3.28	3.58	3.58	2.53	2.85	2.62
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-1.65	-3.93	-0.01	-5.03	0.26	0.41
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	2.32	2.12	1.84	0.97	1.08	1.40
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	0.84	0.68	1.48	1.17	1.11	4.08
9.	बैंक ऑफ सिलोन	3.73	3.95	5.48	2.30	2.62	2.44
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1.65	1.13	1.71	2.41	1.38	2.41
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मिजुबिशी लिमि.	-7.78	1.64	-1.03	-0.08	1.09	4.76
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	1.55	-1.43	2.73	5.55	5.79	4.01
13.	बी.एन.पी. परिबास	1.32	1.02	0.35	0.59	1.61	1.42
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.86	1.40	3.21	2.11	3.43	10.00
15.	चो हंग बैंक	6.73	5.23	3.02	4.97	2.45	1.83
16.	सिटी बैंक एन. ए.	1.98	2.09	2.45	1.89	2.24	1.69
17.	काल्यन बैंक	9.69	1.64	-0.49	0.87	-0.78	0.23
18.	ड्यूश बैंक एजी	4.09	4.02	2.15	3.01	2.71	1.32
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.58	1.35	1.47	2.44	3.27	0.15
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	1.45	1.58	1.63	1.53	1.49	2.18
21.	आइएनजी बैंक एन वी	10.43	1.53	0.50	8.05	0.72	7.54
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	2.96	5.25	5.11	2.09	1.41	3.26
23.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	3.31	2.73	4.35	3.47	0.28	1.29
24.	मशरेक बैंक पीएससी	4.02	3.52	1.67	0.76	0.08	0.16
25.	मिजिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	2.59	4.92	2.55	0.92	0.55	-0.04
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	8.78	3.76	2.41	0.48	0.23	3.04
27.	सोसाइटे जनरेल	0.71	0.57	2.24	2.16	0.57	-0.44
28.	सोनाली बैंक	1.97	2.82	2.25	0.91	2.99	3.29
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.64	1.64	1.82	0.89	2.27	1.25
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	2.31	2.75	3.72	3.07	3.89	1.21
31.	यूएफजे बैंक लि.	2.88	1.70	3.29	2.20	1.99	2.05



परिशिष्ट सारणी III.23: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में परिचालन व्यय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.50	2.64	2.19	2.24	2.21	2.16
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.53	2.72	2.29	2.25	2.21	2.09
	राष्ट्रीयकृत बैंक	2.57	2.76	2.40	2.33	2.21	2.13
1.	इलाहाबाद बैंक	2.89	2.98	2.86	3.27	2.76	2.06
2.	आंध्र बैंक	2.27	2.24	2.17	2.44	2.44	2.53
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.22	2.54	2.20	2.16	2.12	2.09
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2.51	2.93	2.19	2.16	2.06	2.03
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.76	2.84	2.23	2.07	1.74	2.19
6.	केनरा बैंक	2.48	2.51	2.21	2.13	1.91	1.91
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3.00	3.06	2.72	2.67	2.46	2.46
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.81	1.73	1.63	1.79	1.97	1.88
9.	देना बैंक	2.44	3.19	2.44	2.54	2.25	2.29
10.	इंडियन बैंक	2.68	2.79	2.40	2.13	2.71	2.08
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.74	2.89	2.50	2.30	2.14	2.28
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1.74	1.94	1.64	1.71	1.57	1.47
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.82	2.98	2.77	2.85	3.99	3.63
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2.82	2.95	2.47	2.39	2.32	2.36
15.	सिंडिकेट बैंक	3.13	3.81	3.24	3.15	2.51	2.43
16.	यूसीओ बैंक	2.65	2.73	2.67	2.48	2.33	2.02
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.47	2.62	2.18	1.99	1.86	1.74
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.39	2.52	3.33	2.44	2.60	2.42
19.	विजया बैंक	2.97	3.07	2.61	2.92	2.07	1.87
	स्टेट बैंक समूह	2.46	2.66	2.11	2.11	2.21	2.14
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2.41	2.63	2.07	2.11	2.27	2.19
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	2.85	3.07	2.58	2.50	2.62	2.66
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.42	2.45	1.88	1.73	1.74	1.92
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.07	2.72	2.28	2.18	2.16	1.94
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.41	3.68	3.03	2.89	2.69	2.89
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.34	2.62	2.05	1.86	1.67	1.52
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.56	2.88	2.48	2.15	2.00	1.69
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.37	2.48	2.02	1.93	1.88	1.74
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक						
28.	आईडीबीआई लि.	-	-	-	-	-	1.12



परिशिष्ट सारणी III.23: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में परिचालन व्यय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र के बैंक	1.83	1.87	1.44	1.99	2.02	2.77
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.17	1.99	2.07	2.05	1.97	1.95
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	3.23	3.04	3.02	2.59	2.15	2.13
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	2.12	2.21	2.16	1.93	2.13	2.18
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	2.96	2.71	2.56	2.66	2.73	2.57
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	1.99	1.80	1.68	1.52	1.41	1.79
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.15	2.42	2.68	2.84	2.48	2.62
6.	फेडरल बैंक लि.	2.33	1.98	1.89	1.82	1.87	1.87
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	2.19	2.14	2.07	2.24	2.26	2.23
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.98	1.80	2.42	2.91	2.61	2.46
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.51	1.30	1.59	1.55	1.38	1.32
10.	कर्नाटक बैंक लि.	1.84	1.58	1.68	1.52	1.46	1.58
11.	करुर वैश्य बैंक लि.	2.29	2.33	2.10	1.69	2.21	2.16
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.78	2.50	2.47	2.26	2.19	2.23
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.82	1.85	2.21	2.28	2.06	2.35
14.	नैनीताल बैंक लि.	2.67	2.65	2.55	2.81	2.99	2.42
15.	रत्नाकर बैंक लि.	3.23	2.84	3.12	2.58	2.48	2.56
16.	सांगली बैंक लि.	2.80	2.92	2.87	2.82	2.75	2.53
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	1.14	1.45	1.20	1.50	1.63	1.61
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.53	2.21	1.84	1.86	2.09	1.97
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	2.14	1.90	1.99	1.97	2.31	2.22
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.94	1.83	1.96	2.10	1.71	1.82
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.42	1.75	1.10	1.96	2.04	2.06
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.07	2.45	2.88	2.92	3.26	3.76
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	2.00	2.42	3.84	4.68	5.10	4.75
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.82	1.82	1.95	2.23	2.41	3.54
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	1.46	1.98	1.76	1.90	1.91	2.11
25.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1.27	1.70	0.60	1.88	2.05	1.97
26.	इंडसइंड बैंक लि.	1.13	1.19	0.93	1.19	1.44	1.70
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-	3.57	2.39	3.45
28.	यूटी आई बैंक लि.	0.98	1.20	1.44	1.65	1.74	1.54
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	3.13

परिशिष्ट सारणी III.23: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में परिचालन व्यय - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत में विदेशी बैंक	3.22	3.05	3.00	2.79	2.77	2.85
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.83	2.58	3.62	3.47	4.43	3.68
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	1.10	0.44	0.49	0.79	0.56	2.43
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	6.38	6.58	5.49	6.33	7.27	9.66
4.	एंटवैर्प डायमंड बैंक	-	-	-	2.60	1.39	1.14
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	2.08	2.40	1.89	2.23	2.30	2.76
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	15.03	11.49	3.85	7.27	2.97	2.31
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	3.26	1.60	1.76	1.42	1.55	1.66
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	1.75	1.75	1.39	1.71	1.92	2.19
9.	बैंक ऑफ सिलोन	1.54	1.58	1.29	1.55	1.54	1.33
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1.43	0.96	1.07	1.36	1.03	1.03
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	14.70	4.45	4.88	4.70	3.46	2.98
12.	बरकलैज बैंक पीएलसी	3.67	2.81	1.87	1.94	3.24	2.27
13.	बी.एन.पी. परिबास	2.32	2.82	3.59	4.01	2.92	3.28
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	3.30	2.79	3.34	3.72	3.33	3.87
15.	चो हंग बैंक	2.43	2.30	1.75	2.43	2.00	1.79
16.	सिटी बैंक एन. ए.	3.88	3.15	3.52	3.32	3.41	3.62
17.	काल्यन बैंक	3.78	2.27	1.62	1.96	2.20	2.82
18.	ड्यूश बैंक एजी	3.89	3.90	3.43	2.89	2.00	2.56
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.70	1.58	1.53	2.36	1.15	1.31
20.	एचएसबीसी बैंक लि.	2.35	2.61	2.63	2.94	2.47	2.43
21.	आइएनजी बैंक एन वी	6.82	6.52	3.40	10.55	2.87	0.49
22.	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	5.60	5.36	7.24	2.72	3.38	2.06
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	4.65	4.41	4.33	4.25	3.90	3.20
24.	मशरेक बैंक पीएससी	3.39	2.05	1.88	2.05	1.28	1.09
25.	मिस्त्रिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	2.63	2.58	2.14	2.65	2.61	1.79
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	1.25	1.25	1.18	1.36	1.07	1.17
27.	सोसाइटे जनरेल	2.83	2.81	2.83	2.99	2.01	1.86
28.	सोनाली बैंक	3.28	5.13	6.66	6.06	7.17	9.25
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.29	3.04	2.22	1.98	2.26	2.26
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	0.92	0.84	1.19	1.21	1.08	1.01
31.	यूएफजे बैंक लि.	2.41	3.27	1.85	1.66	1.89	1.83

परिशिष्ट सारणी III.24: परिचालन लाभ और पुनः पूंजीकरण बांडों के कर-पूर्व और करोत्तर निवल लाभ - राष्ट्रीयकृत बैंक

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	ब्याज राशि समायोजन के पहले				ब्याज राशि समायोजन के बाद +			
		परिचालन लाभ		निवल लाभ		परिचालन लाभ		निवल लाभ	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राष्ट्रीयकृत बैंक	24,926.58	23,431.01	10,927.66	9,494.04	23,070.86	22,010.86	9,071.94	8,073.89
1.	इलाहाबाद बैंक	876.25	1,072.62	463.38	541.80	802.35	1,007.72	389.48	476.90
2.	आंध्रा बैंक	930.17	992.93	463.50	520.10	878.14	960.89	411.47	488.06
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,485.30	2,301.91	967.00	676.84	2,470.77	2,289.28	952.47	664.21
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2,241.87	1,460.36	1,008.32	340.05	2,082.67	1,340.26	849.12	219.95
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	676.49	546.47	304.55	177.13	605.96	494.94	234.02	125.60
6.	केनरा बैंक	2,858.71	2,585.33	1,338.00	1,109.51	2,781.29	2,544.39	1,260.58	1,068.57
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,528.93	1,609.17	618.11	357.41	1,353.06	1,482.30	442.24	230.54
8.	कार्पोरेशन बैंक	907.05	1,056.98	504.14	402.16	900.48	1,051.91	497.57	397.09
9.	देना बैंक	710.59	447.49	230.50	61.00	685.69	435.58	205.60	49.09
10.	इंडियन बैंक	802.46	958.07	405.75	408.49	446.84	562.83	50.13	13.25
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,325.20	1,336.80	512.76	651.36	1,201.17	1,283.27	388.73	597.83
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,533.03	1,233.15	686.07	760.81	1,522.07	1,227.19	675.11	754.85
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	149.61	257.86	8.89	-71.07	83.88	208.12	-56.84	-120.81
14.	पंजाब नेशनल बैंक	3,120.87	2,707.21	1,108.70	1,410.12	3,066.20	2,680.21	1,054.03	1,383.12
15.	सिंडीकेट बैंक	1,019.25	994.17	434.13	402.89	894.68	937.60	309.56	346.32
16.	यूको बैंक	798.78	818.67	435.42	345.65	584.20	657.58	220.84	184.56
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,483.08	1,573.16	712.05	719.05	1,455.27	1,552.08	684.24	697.97
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	613.30	689.63	315.08	300.17	440.60	549.28	142.38	159.82
19.	विजया बैंक	865.64	789.03	411.31	380.57	815.55	745.43	361.22	336.97

+ : पुन पूंजीकरण बांडों पर ब्याज के लिए समायोजित.

परिशिष्ट सारणी III.25: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में अनर्जक आस्तियां - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल एनपीए/कुल आस्तियां				निवल एनपीए/कुल आस्तियां			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4.60	4.00	3.30	2.50	2.30	1.90	1.20	0.90
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	4.89	4.21	3.50	2.74	2.42	1.93	1.28	0.99
	राष्ट्रीयकृत बैंक	5.21	4.66	3.86	2.98	2.69	2.16	1.40	0.96
1.	इलाहाबाद बैंक	8.08	6.56	4.09	2.84	4.68	3.16	1.05	0.60
2.	आंध्रा बैंक	2.50	2.35	2.28	1.35	1.13	0.84	0.44	0.15
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	6.33	5.45	4.68	3.51	2.70	2.22	2.07	1.27
4.	बैंक ऑफ इंडिया	5.33	4.99	4.40	3.32	3.30	3.00	2.43	1.64
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4.22	3.84	2.96	2.93	2.23	1.84	0.89	0.85
6.	केनरा बैंक	2.93	3.02	3.15	2.15	1.79	1.77	1.39	1.02
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.42	5.68	4.88	4.03	3.23	2.74	2.01	1.19
8.	कार्पोरेशन बैंक	2.49	2.50	2.48	1.91	1.07	0.76	0.86	0.61
9.	देना बैंक	10.59	8.02	6.70	4.78	6.51	4.95	3.99	2.46
10.	इंडियन बैंक	7.19	4.61	3.04	1.71	2.99	2.13	0.98	0.56
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.13	4.61	3.33	2.73	2.70	2.22	1.22	0.63
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.95	3.37	2.95	4.61	1.41	0.66	-	0.61
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7.94	8.60	8.02	7.62	4.73	4.41	3.85	3.24
14.	पंजाब नेशनल बैंक	5.68	5.78	4.56	2.96	2.48	1.77	0.44	0.09
15.	सिंडिकेट बैंक	4.08	4.12	3.37	2.75	2.12	2.03	1.13	0.82
16.	यूको बैंक	4.25	3.91	3.38	2.56	2.31	2.00	1.72	1.49
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5.46	4.68	4.02	2.84	3.02	2.45	1.45	1.46
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	5.34	3.95	2.96	2.50	2.38	1.67	1.16	0.95
19.	विजया बैंक	3.73	2.65	1.62	1.47	2.31	1.08	0.42	0.29
	स्टेट बैंक समूह	4.39	3.48	2.91	2.49	2.00	1.58	1.09	1.01
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4.45	3.59	3.11	2.71	1.96	1.64	1.33	1.16
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.77	3.23	2.40	1.71	2.21	1.57	0.53	0.83
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4.06	2.83	2.26	1.58	1.89	1.21	0.25	0.27
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.25	2.60	2.04	1.80	1.56	1.21	-	0.54
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.03	4.96	3.74	2.51	3.49	2.41	1.35	0.49
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3.62	2.51	1.87	2.07	1.47	0.75	-	0.60
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	4.73	3.09	1.56	1.22	2.17	1.43	-	0.63
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4.41	3.34	2.76	2.26	2.58	1.47	0.64	0.93
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक								
28.	आइडीबीआई लिमि.	-	-	-	1.49	-	-	-	1.04

परिशिष्ट सारणी III.25: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में अनर्जक आस्तियां - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल एनपीए/कुल आस्तियां				निबल एनपीए/कुल आस्तियां			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	4.36	3.97	2.82	2.05	2.49	2.32	1.32	0.97
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	5.20	4.34	3.64	3.15	3.23	2.61	1.77	1.39
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	6.92	4.34	2.81	1.74	3.61	2.46	0.86	0.79
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	3.91	3.30	2.53	1.80	1.87	1.56	1.12	0.80
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	5.47	5.24	4.07	3.83	3.45	3.01	2.05	1.96
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	6.31	5.92	5.25	3.48	3.72	3.78	3.09	1.94
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	7.73	7.03	5.59	4.75	5.80	4.98	3.27	2.28
6.	फेडरल बैंक लि.	6.29	4.33	3.97	4.03	4.39	2.52	1.47	1.16
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	8.80	9.56	8.20	8.17	6.53	6.27	4.63	3.37
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.91	1.77	1.41	1.27	1.89	6.27	1.39	1.26
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.61	1.51	1.35	1.29	0.82	0.76	0.65	0.67
10.	कर्नाटक बैंक लि.	4.81	5.81	5.66	4.01	2.59	3.09	2.19	1.14
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	4.42	4.14	3.37	3.07	3.03	2.25	1.29	0.96
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	7.71	6.60	5.67	4.62	5.00	3.93	2.86	2.84
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	6.07	4.54	3.66	3.62	4.72	3.12	2.60	2.33
14.	नैनीताल बैंक लि.	1.81	1.43	1.13	0.90	-	-	-	-
15.	रत्नाकर बैंक लि.	5.34	5.31	4.76	5.29	3.40	3.13	2.37	2.70
16.	सांगली बैंक लि.	4.07	4.13	4.05	3.60	1.93	2.15	2.13	1.65
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	12.94	14.76	14.16	14.16	8.14	6.23	4.51	3.70
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	5.12	4.53	3.55	3.86	3.38	2.83	2.06	2.15
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	7.59	7.21	6.28	5.72	2.75	3.59	2.06	1.37
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	7.58	7.50	7.23	6.44	5.55	5.01	4.70	3.35
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	3.90	3.76	2.42	1.55	2.10	2.16	1.10	0.78
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.36	3.96	3.06	4.89	1.22	3.01	2.28	2.29
22.	सेंचुरियन बैंक लि.	5.56	6.75	6.24	3.39	2.44	3.07	1.94	1.19
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	5.14	5.89	3.92	6.67	3.57	4.37	2.20	2.94
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	0.94	0.87	0.79	0.85	0.14	0.14	0.07	0.12
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	4.82	4.71	2.43	1.65	2.48	2.60	1.10	0.87
26.	इंडसइंड बैंक लि.	4.09	2.69	1.72	2.05	3.60	2.30	1.41	1.56
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	0.70	0.31	0.43	-	0.06	0.06	0.23
28.	यूटीआइ बैंक लि.	1.96	1.17	1.14	0.82	1.29	0.83	0.46	0.57
29.	यस बैंक लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट सारणी III.25: कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में अनर्जक आस्तियां - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल एनपीए/कुल आस्तियां				निबल एनपीए/कुल आस्तियां			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	भारत में विदेशी बैंक	2.41	2.44	2.13	1.42	0.81	0.79	0.66	0.42
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	2.11	1.92	2.03	1.47	0.81	0.92	0.56	0.22
2.	आबू धाबी कर्माशियल बैंक लि.	3.28	2.75	3.94	2.11	2.18	1.39	2.35	0.59
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	6.98	8.19	6.90	0.80	3.35	3.26	2.11	0.49
4.	अॅण्टवर्प बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1.01	0.84	0.11	0.10	0.35	0.28	0.05	0.06
6.	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	40.44	33.19	30.66	28.51	6.19	3.25	2.32	1.67
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	1.63	0.70	0.51	0.34	0.46	0.04	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	5.80	7.28	10.20	10.87	4.79	5.75	7.84	2.43
9.	बैंक ऑफ सिलोन	19.98	19.76	14.92	14.17	13.40	12.29	6.83	4.51
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.34	7.08	7.64	2.91	1.76	5.41	5.87	1.89
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	-	1.12	0.79	0.71	-	0.05	0.07	0.04
12.	बरक लैज बैंक पीएलसी	0.42	0.40	0.63	-	0.31	-	-	-
13.	बी.एन.पी. परिबास	1.59	3.31	3.00	2.13	0.67	1.97	1.18	0.34
14.	चायनाट्रस्ट कर्माशियल बैंक	1.25	0.38	6.78	15.24	-	-	4.07	3.04
15.	चो हंग बैंक	0.46	0.48	0.39	-	0.26	0.24	0.19	-
16.	सिटी बैंक एन. ए.	0.50	0.98	1.33	1.09	0.21	0.58	0.72	0.54
17.	काल्यन बैंक	10.51	12.55	5.20	1.58	0.11	0.12	0.02	0.09
18.	ड्यूश बैंक एजी	1.26	0.70	0.24	0.08	0.13	-	-	-
19.	डीबीएस बैंक लि.	0.07	7.48	-	-	-	5.92	-	-
20.	एचएसबीसी लि.	2.33	2.08	1.65	1.47	0.93	0.40	0.27	0.23
21.	आइएनजी बैंक एन वी	4.82	11.80	1.00	0.60	3.62	-	-	-
22.	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	8.62	-	-	-	7.76	-	-	-
24.	मशरेक बैंक पीएससी	3.81	4.60	3.57	3.65	-	-	-	-
25.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	9.44	8.12	8.40	5.25	3.08	0.46	-	-
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	25.14	30.34	35.20	29.86	3.04	2.05	2.02	1.58
27.	सोसाइटे जनरेल	1.92	2.50	2.61	1.33	0.14	-	0.32	-
28.	सोनाली बैंक	0.79	1.13	1.27	1.54	-	0.75	0.23	0.34
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.59	1.46	1.41	1.48	0.18	0.14	0.24	0.60
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	9.19	11.41	4.27	3.87	7.06	8.80	2.80	2.06
31.	यूएफजे बैंक लि.	13.51	5.39	-	-	6.88	4.15	-	-

स्रोत : 1. संबंधित बैंक के तुलन-पत्र।
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी III.26: अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में
अनर्जक आस्तियां - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल एनपीए/कुल आस्तियां				निवल एनपीए/कुल आस्तियां			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	10.40	8.80	7.20	5.20	5.50	4.40	2.90	2.00
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.09	9.36	7.79	5.53	5.82	4.53	2.99	2.06
	राष्ट्रीयकृत बैंक	11.01	9.72	8.21	5.84	6.01	4.74	3.14	1.96
1.	इलाहाबाद बैंक	16.94	13.65	8.66	5.80	10.55	7.07	2.37	1.28
2.	आंध्र बैंक	5.26	4.89	4.60	2.46	2.45	1.79	0.93	0.28
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	12.39	11.02	10.52	7.30	5.68	4.81	4.95	2.82
4.	बैंक ऑफ इंडिया	9.37	8.55	7.86	5.45	6.01	5.36	4.49	2.77
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10.44	9.55	7.70	7.00	5.81	4.83	2.46	1.83
6.	केनरा बैंक	6.22	5.96	6.33	3.89	3.89	3.59	2.89	1.88
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14.70	13.06	12.55	9.50	7.98	6.74	5.57	2.98
8.	कार्पोरेशन बैंक	5.19	5.27	5.03	3.41	2.31	1.65	1.80	1.12
9.	देना बैंक	24.11	17.86	14.82	9.67	16.31	11.82	9.40	5.23
10.	इंडियन बैंक	17.86	12.39	7.98	4.19	8.28	6.15	2.71	1.42
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	11.35	10.29	7.40	5.28	6.32	5.23	2.85	1.27
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	6.57	6.94	5.87	9.06	3.21	1.44	-	1.29
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	18.19	19.25	18.16	17.17	11.68	10.85	9.62	8.09
14.	पंजाब नेशनल बैंक	11.38	11.58	9.35	5.96	5.27	3.80	0.98	0.20
15.	सिंडिकेट बैंक	8.35	8.34	7.33	5.17	4.53	4.29	2.57	1.59
16.	यूको बैंक	9.59	8.24	6.93	4.96	5.65	4.38	3.65	2.93
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.77	8.96	7.59	5.01	6.26	4.91	2.87	2.64
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	16.16	12.15	9.07	6.14	7.94	5.52	3.75	2.43
19.	विजया बैंक	9.39	6.18	3.44	2.94	6.02	2.61	0.91	0.59
	स्टेट बैंक समूह	11.23	8.68	6.98	5.32	5.45	4.12	2.70	2.24
20.	भारतीय स्टेट बैंक	11.95	9.34	7.75	5.96	5.64	4.49	3.45	2.65
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	9.36	8.15	5.36	3.26	5.77	4.16	1.24	1.61
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	10.08	7.28	5.60	3.46	4.96	3.26	0.65	0.61
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	7.18	5.53	3.99	3.28	3.58	2.66	-	1.01
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	12.07	10.14	7.76	4.56	7.36	5.19	2.96	0.92
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6.94	4.80	3.71	4.13	2.94	1.49	-	1.23
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	10.18	7.32	3.68	2.70	4.95	3.53	-	1.42
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	9.41	6.67	5.63	4.29	5.72	3.05	1.39	1.80
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक								
28.	आइडीबीआई लिमि.	-	-	-	2.92	-	-	-	2.04

परिशिष्ट सारणी III.26: अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में
अनर्जक आस्तियां - अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल एनपीए/कुल आस्तियां				निवल एनपीए/कुल आस्तियां			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	9.64	8.07	5.84	4.44	5.73	4.95	2.84	2.17
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.01	8.86	7.59	5.97	7.13	5.54	3.85	2.74
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	15.73	11.39	9.14	5.34	8.86	6.80	2.99	2.49
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	8.77	6.75	4.99	3.44	4.38	3.30	2.26	1.89
3.	कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड	14.88	13.01	8.84	7.16	9.91	7.89	4.65	3.80
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	13.20	12.11	10.36	5.89	8.20	8.16	6.37	3.37
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	15.29	13.18	11.43	8.51	11.94	9.71	7.06	4.27
6.	फेडरल बैंक लि.	11.88	8.21	7.44	7.29	8.59	4.95	2.89	2.21
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	18.08	18.42	17.32	18.04	14.08	12.90	10.59	8.32
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	4.64	3.61	2.65	2.14	4.59	3.55	2.60	2.13
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	3.62	3.11	3.04	2.72	1.88	1.59	1.49	1.42
10.	कर्नाटक बैंक लि.	10.43	12.99	11.93	7.58	5.88	7.34	4.98	2.29
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	8.97	7.46	5.83	5.10	6.30	4.16	2.32	1.67
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	13.42	11.47	10.15	7.88	9.10	7.11	5.40	4.99
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	12.32	8.96	8.32	6.39	9.85	6.33	6.05	4.40
14.	नैनीताल बैंक लि.	8.68	6.11	4.00	2.57	-	-	-	-
15.	रत्नाकर बैंक लि.	12.88	11.96	10.63	10.31	8.60	7.42	5.58	5.54
16.	सांगली बैंक लि.	11.80	12.45	11.79	8.95	5.95	6.87	6.56	4.30
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	32.72	38.48	41.28	24.06	23.38	20.85	18.31	17.66
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	10.05	9.27	7.59	6.64	6.87	5.96	4.55	3.81
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	16.47	16.06	13.79	11.26	6.63	8.66	5.00	2.74
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	14.08	13.58	13.14	10.87	10.72	9.50	8.96	5.97
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	8.86	7.64	4.99	3.59	4.94	4.63	2.36	1.85
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	5.49	9.23	6.20	9.43	2.93	7.17	4.69	4.64
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	12.66	15.88	12.96	6.81	6.09	7.92	4.43	2.51
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	9.29	9.56	8.19	14.19	6.61	7.76	4.87	6.83
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	3.18	2.22	1.86	1.69	0.50	0.37	0.16	0.24
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	10.23	8.72	4.70	4.27	5.48	5.21	2.21	2.34
26.	इंडसइंड बैंक लि.	7.41	4.94	3.30	3.53	6.59	4.25	2.72	2.71
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	1.20	0.85	0.69	-	0.11	0.17	0.37
28.	यूटी आई बैंक लिमिटेड	5.18	3.16	2.88	1.98	3.46	2.26	1.20	1.39
29.	यस बैंक लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट सारणी III.26: अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में
अनर्जक आस्तियां - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल एनपीए/कुल आस्तियां				निवल एनपीए/कुल आस्तियां			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	भारत में विदेशी बैंक	5.38	5.25	4.62	2.85	1.89	1.76	1.48	0.86
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.43	3.25	3.15	2.26	1.34	1.59	0.88	0.35
2.	आबू धाबी कर्माशियल बैंक लि.	18.89	17.53	38.78	34.42	13.43	9.67	27.39	18.08
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	14.56	19.29	16.47	1.63	7.56	8.69	5.68	0.99
4.	ऑण्टारियो बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	3.91	4.49	0.68	0.32	1.35	1.50	0.34	0.18
6.	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	91.23	64.62	97.07	66.55	61.40	15.18	69.57	10.46
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	2.68	1.03	0.84	0.57	0.80	0.05	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	13.23	13.77	21.90	20.77	11.40	11.26	17.73	5.53
9.	बैंक ऑफ सिलोन	31.87	36.08	37.91	33.41	23.88	25.98	21.85	13.76
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	3.58	11.02	11.48	4.66	2.72	8.64	9.07	3.08
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	-	2.76	2.18	1.43	-	0.13	0.21	0.09
12.	बरक लैज बैंक पीएलसी	43.58	64.01	65.36	-	36.06	-	-	-
13.	बी.एन.पी. परिबास	3.60	6.17	6.56	3.48	1.54	3.77	2.70	0.57
14.	चायनाट्रस्ट कर्माशियल बैंक	2.60	0.65	9.25	24.33	-	-	5.76	24.72
15.	चो हंग बैंक	0.84	0.98	1.60	-	0.47	0.48	0.81	-
16.	सिटी बैंक एन. ए.	0.93	1.94	2.52	2.01	0.40	1.17	1.40	1.00
17.	काल्यन बैंक	25.21	34.89	43.96	4.24	0.36	0.51	0.26	0.25
18.	ड्यूश बैंक एजी	3.52	2.49	0.97	0.33	0.38	-	-	-
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	0.16	12.65	-	-	-	10.37	-	-
20.	एचएसबीसी लि.	5.51	5.09	4.20	3.16	2.27	1.03	0.70	0.50
21.	आइएनजी बैंक एन वी	32.79	44.13	-	-	26.82	-	-	-
22.	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	37.82	-	-	-	35.43	-	-	-
24.	मशरेक बैंक पीएससी	17.87	31.32	41.31	39.51	-	-	-	-
25.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	13.26	11.99	11.93	8.22	4.75	0.76	-	-
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	85.46	91.50	96.51	95.85	41.53	42.13	61.39	8.00
27.	सोसाइटे जनरेल	6.71	13.89	10.21	6.91	0.52	-	1.36	-
28.	सोनाली बैंक	2.95	6.49	7.49	7.86	-	4.52	1.42	1.84
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.44	3.17	2.91	2.73	0.40	0.31	0.52	1.12
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	17.46	17.67	6.91	7.65	14.02	14.20	4.64	4.22
31.	यूएफजे बैंक लि.	22.20	10.88	-	-	12.69	8.60	-	-

स्रोत : 1. संबंधित बैंक के तुलन-पत्र।

2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी III.27(अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार
(मार्च 2005 के अंत में)

(राशि करोड़ रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		गैर-प्राथमिकता क्षेत्र		कुल
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10	11	12	13 (15-9-11)	14	15 (9+11+13)
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	7,254.05	15.21	7,834.96	16.43	8,308.37	17.42	23,397.38	49.05	450.49	0.94	23,848.61	50.00	47,696.48
	राष्ट्रीयकृत बैंक	4,979.86	15.58	6,004.95	18.79	5,395.69	16.88	16,380.50	51.25	282.74	0.88	15,300.80	47.87	31,964.03
1.	इलाहाबाद बैंक	256.19	19.95	238.13	18.54	279.35	21.75	773.67	60.24	14.76	1.15	495.83	38.61	1,284.27
2.	आन्ध्र बैंक	44.57	10.11	76.40	17.33	119.42	27.08	240.39	54.52	9.89	2.24	190.65	43.24	440.93
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	445.17	14.08	582.76	18.43	352.27	11.14	1,380.20	43.66	33.46	1.06	1,747.83	55.29	3,161.49
4.	बैंक ऑफ इंडिया	514.45	17.88	561.38	19.51	416.31	14.47	1,492.14	51.85	38.51	1.34	1,347.01	46.81	2,877.66
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	174.49	18.14	195.10	20.28	194.74	20.24	564.33	58.67	0.89	0.09	396.72	41.24	961.94
6.	केनरा बैंक	244.07	10.34	303.47	12.85	443.35	18.77	990.89	41.96	5.26	0.22	1,365.35	57.82	2,361.50
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	356.34	13.59	627.55	23.94	601.55	22.95	1,585.44	60.48	12.71	0.48	1,023.26	39.03	2,621.41
8.	कार्पोरेशन बैंक	64.27	9.93	58.61	9.06	197.21	30.47	320.09	49.45	12.49	1.93	314.67	48.62	647.25
9.	देना बैंक	148.30	12.92	221.44	19.30	163.44	14.24	533.18	46.46	3.88	0.34	610.48	53.20	1,147.54
10.	इंडियन बैंक	130.46	17.58	265.85	35.83	221.17	29.81	617.48	83.23	1.33	0.18	123.08	16.59	741.89
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	96.76	7.10	342.01	25.11	194.55	14.28	633.33	46.50	19.17	1.41	709.57	52.10	1,362.06
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	179.46	7.14	477.17	18.99	178.11	7.09	834.74	33.22	5.14	0.20	1,672.94	66.58	2,512.82
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1,180.69	56.85	148.76	7.16	141.87	6.83	1,471.32	70.85	6.01	0.29	599.38	28.86	2,076.71
14.	पंजाब नेशनल बैंक	354.46	9.47	908.30	24.28	478.00	12.78	1,740.76	46.53	39.52	1.06	1,961.06	52.42	3,741.34
15.	सिंडीकेट बैंक	158.25	11.07	258.97	18.11	330.22	23.10	747.44	52.28	39.43	2.76	642.79	44.96	1,429.66
16.	यूको बैंक	147.62	10.70	167.43	12.14	294.25	21.33	609.30	44.17	16.78	1.22	753.33	54.61	1,379.41
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	279.28	13.57	372.03	18.08	439.26	21.34	1,090.57	52.99	1.20	0.06	966.38	46.95	2,058.15
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	151.16	20.81	148.63	20.46	241.65	33.27	541.44	74.54	18.04	2.48	166.89	22.98	726.37
19.	विजया बैंक	53.86	12.48	50.96	11.81	108.96	25.24	213.78	49.53	4.27	0.99	213.58	49.48	431.64
	स्टेट बैंक समूह	2,274.19	15.36	1,830.01	12.36	2,912.69	19.67	7,016.89	47.39	167.75	1.13	7,623.55	51.48	14,808.19
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,912.68	16.42	1,371.97	11.78	2,320.03	19.92	5,604.68	48.12	90.32	0.78	5,952.43	51.11	11,647.43
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	13.70	3.43	73.11	18.30	103.99	26.03	190.80	47.76	9.56	2.39	199.15	49.85	399.51
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	28.14	5.09	72.07	13.02	94.40	17.06	194.61	35.17	-	-	358.72	64.83	553.32
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	37.39	12.32	31.57	10.40	73.15	24.10	142.11	46.83	3.80	1.25	157.57	51.92	303.48
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	49.24	11.85	73.46	17.69	59.62	14.35	182.32	43.89	-	-	233.06	56.11	415.38
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	166.78	25.54	75.19	11.51	129.08	19.76	371.05	56.81	25.79	3.95	256.26	39.24	653.10
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	16.96	9.23	21.00	11.42	27.25	14.82	65.21	35.47	-	-	118.63	64.53	183.84
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	49.30	7.56	111.64	17.12	105.17	16.13	266.11	40.81	38.28	5.87	347.74	53.32	652.13
28.	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.26	100.00	924.26
	आइडीबीआय लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.26	100.00	924.26

टिप्पणी : संबंधित बैंकों के देशी परिचालनों पर आधारित आंकड़े।

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

परिशिष्ट सारणी III.27(आ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार
(मार्च 2005 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		गैर-प्राथमिकता क्षेत्र		कुल
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10	11	12	13 (15-9-11)	14	15 (9+11+13)
	निजी क्षेत्र के बैंक	465.40	5.29	964.31	10.96	758.76	8.62	2,188.46	24.87	42.34	0.48	6,569.03	74.65	8,799.83
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	304.25	7.19	792.07	18.71	685.57	16.19	1,781.90	42.09	8.27	0.20	2,443.84	57.72	4,234.01
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	11.98	7.53	18.04	11.33	17.75	11.15	47.78	30.01	-	-	111.41	69.99	159.18
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	5.31	6.78	15.00	19.15	14.43	18.42	34.75	44.36	-	-	43.59	55.64	78.35
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	6.03	3.55	37.85	22.30	45.23	26.64	89.11	52.49	-	-	80.65	47.51	169.76
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	2.98	2.45	26.04	21.41	11.35	9.33	40.37	33.19	-	-	81.27	66.81	121.64
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.96	0.76	23.70	18.88	23.52	18.74	48.18	38.39	-	-	77.32	61.61	125.50
6.	फेडरल बैंक लि.	30.94	4.56	99.89	14.74	147.02	21.69	277.85	40.99	8.27	1.22	391.67	57.79	677.79
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	2.15	11.27	2.82	14.79	3.00	15.73	7.97	41.79	-	-	11.10	58.21	19.07
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	19.03	9.80	21.89	11.27	36.55	18.81	77.47	39.88	-	-	116.80	60.12	194.27
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	14.83	4.67	64.14	20.22	96.32	30.36	175.29	55.25	-	-	141.96	44.75	317.25
10.	कर्नाटक बैंक लि.	40.16	8.00	103.49	20.62	36.53	7.28	180.17	35.91	-	-	321.61	64.09	501.78
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	5.11	2.11	75.07	31.03	15.38	6.36	95.55	39.50	-	-	146.36	60.50	241.91
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	10.42	5.56	44.60	23.80	34.68	18.50	89.70	47.85	-	-	97.75	52.15	187.44
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	0.84	0.93	8.60	9.49	3.50	3.86	12.94	14.28	-	-	77.70	85.72	90.64
14.	नैनीताल बैंक लि.	1.10	11.64	1.04	10.96	3.82	40.32	5.96	62.93	-	-	3.51	37.07	9.47
15.	रत्नाकर बैंक लि.	2.34	5.08	11.72	25.47	6.59	14.33	20.65	44.88	-	-	25.36	55.12	46.00
16.	सांगली बैंक लि.	18.50	24.30	13.70	18.00	4.87	6.40	37.07	48.69	-	-	39.06	51.31	76.13
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	12.91	16.06	0.57	0.71	-	-	13.49	16.77	-	-	66.94	83.23	80.43
18.	साउथ इंडियन बैंक	62.62	17.11	67.40	18.41	53.45	14.60	183.47	50.12	-	-	182.59	49.88	366.06
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	18.92	5.89	85.02	26.48	22.71	7.07	126.65	39.44	-	-	194.48	60.56	321.13
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	37.13	8.25	71.49	15.88	108.87	24.18	217.48	48.31	-	-	232.71	51.69	450.20
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	161.14	3.53	172.24	3.77	73.18	1.60	406.56	8.90	34.07	0.75	4,125.19	90.35	4,565.82
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.80	1.17	10.54	4.40	2.27	0.94	15.61	6.51	-	-	224.26	93.49	239.87
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	-	-	-	-	4.80	3.07	4.80	3.07	-	-	151.60	96.93	156.40
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.21	0.07	44.30	14.26	18.40	5.92	62.91	20.24	-	-	247.84	79.76	310.75
24.	एचडीएफसी बैंक	-	-	19.13	4.48	-	-	19.13	4.48	-	-	408.28	95.52	427.41
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	82.28	2.97	50.73	1.83	2.99	0.11	136.00	4.91	34.07	1.23	2,600.36	93.86	2,770.43
26.	इंडसइंड बैंक लि.	48.46	15.12	12.12	3.78	33.40	10.42	93.98	29.32	-	-	226.55	70.68	320.53
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	1.37	4.66	-	-	6.80	23.19	8.16	27.84	-	-	21.16	72.16	29.32
28.	यूटीआइ बैंक लि.	26.03	8.37	35.41	11.38	4.53	1.46	65.97	21.20	-	-	245.14	78.80	311.11
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : आंकड़े संबंधित बैंकों के देशी परिचालन पर आधारित ।

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित ।



**परिशिष्ट सारणी III.28(अ) : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर क्षेत्रों के अग्रिमों में
अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक
(मार्च 2005 के अंत में)**

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम		
		कुल	जिसमें : अनर्जक आस्तियाँ	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	51,444.83	5,752.04	11.18
	राष्ट्रीयकृत बैंक	30,804.05	2,880.71	9.35
1.	इलाहाबाद बैंक	2,256.84	280.84	12.44
2.	आन्ध्रा बैंक	1,969.19	80.74	4.10
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,455.52	285.29	11.62
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,925.07	385.81	20.04
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	670.26	117.72	17.56
6.	केनरा बैंक	3,349.85	215.90	6.45
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	632.46	209.68	33.15
8.	कार्पोरेशन बैंक	415.74	32.70	7.87
9.	देना बैंक	440.00	68.63	15.60
10.	इंडियन बैंक	872.93	175.05	20.05
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2,598.67	40.06	1.54
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	714.47	54.77	7.67
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-	-	-
14.	पंजाब नेशनल बैंक	5,572.59	251.04	4.50
15.	सिंडिकेट बैंक	2,313.62	217.48	9.40
16.	यूको बैंक	1,001.81	132.96	13.27
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,143.48	210.86	18.44
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	520.00	67.00	12.88
19.	विजया बैंक	1,951.54	54.19	2.78
	स्टेट बैंक समूह	20,640.78	2,871.33	13.91
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9,162.15	2,312.70	25.24
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1,120.10	99.61	8.89
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	584.08	146.02	25.00
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	501.11	35.91	7.17
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	843.16	42.16	5.00
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,522.36	153.91	10.11
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1,152.75	31.72	2.75
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	5,755.07	49.30	0.86
28.	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			
	आइडीबीआई लिमि.	-	-	-

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन - पत्र।



परिशिष्ट सारणी III.28(आ) : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर क्षेत्रों के अग्रिमों में
अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक
(मार्च 2005 के अंत में)

(राशि करोड़ रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम		
		कुल	जिसमें : अनर्जक आस्तियाँ	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	निजी क्षेत्र के बैंक	1,581.37	207.98	13.15
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1501.62	207.97	13.85
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	47.79	13.09	27.39
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	15.14	3.00	19.82
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	33.66	9.66	28.70
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	27.93	0.79	2.83
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	-	-
6.	फेडरल बैंक लि.	264.09	23.94	9.07
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	-	-	-
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	35.19	2.02	5.74
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	315.44	40.31	12.78
10.	कर्नाटक बैंक लि.	86.73	7.61	8.77
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	186.55	10.97	5.88
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	87.23	1.50	1.72
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	3.85	-	-
14.	नैनीताल बैंक लि.	11.20	1.13	10.09
15.	रत्नाकर बैंक लि.	5.59	1.52	27.19
16.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	-	-	-
17.	सांगली बैंक लि.	-	-	-
18.	साउथ इंडियन बैंक	172.03	60.63	35.24
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	14.73	1.36	9.23
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	194.47	30.44	15.65
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	79.75	0.01	0.01
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.42	-	-
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	-	-	-
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.34	0.01	0.75
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	20.58	-	-
25.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	38.51	-	-
26.	इंडसइंड बैंक लि.	-	-	-
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	-
28.	यूटीआई बैंक लि.	18.90	-	-
29.	यस बैंक लि.	-	-	-

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.29: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित (आइएफआर)
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2003-04				2004-05			
		निवेश		आइएफआर	आइएफआर को प्रतिशतता (एएफएस + एचएफटी)	निवेश		आइएफआर	(एएफएस + एचएफटी) की प्रतिशतता में आइएफआर
		एएफएस	एचएफटी			एएफएस	एचएफटी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	4,87,876.49	5,502.54	15,192.35	3.08	3,93,801.50	1,311.87	17,732.38	4.49
	सरकारी क्षेत्र के बैंक #	4,87,876.49	5,502.54	15,192.35	3.08	3,99,851.79	1,818.86	18,124.38	4.51
	राष्ट्रीयकृत बैंक	2,84,440.79	3,411.11	8,824.62	3.07	2,23,260.29	672.38	10,448.67	4.67
1.	इलाहाबाद बैंक	11,421.04	-	330.65	2.90	8,593.22	5.24	429.95	5.00
2.	आन्ध्र बैंक	7,540.01	225.15	388.26	5.00	3,898.96	86.23	313.00	7.85
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	34,727.58	2.71	1,042.54	3.00	25,661.39	0.91	1,042.54	4.06
4.	बैंक ऑफ इंडिया	16,842.33	737.59	541.76	3.08	4,974.76	339.79	321.76	6.05
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9,875.25	-	327.75	3.32	6,937.91	-	352.75	5.08
6.	केनरा बैंक	27,140.27	404.12	978.15	3.55	23,584.28	21.00	1,208.15	5.12
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	22,884.74	52.62	587.04	2.56	19,390.89	-	780.10	4.02
8.	कार्पोरेशन बैंक	8,818.68	53.43	444.00	5.00	4,074.00	-	444.00	10.90
9.	देना बैंक	7,296.04	123.90	-	-	5,506.23	19.82	42.70	0.77
10.	इंडियन बैंक	9,653.91	-	442.88	4.59	9,601.85	-	556.99	5.80
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	15,380.31	-	481.14	3.13	11,431.60	-	601.14	5.26
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14,108.95	26.37	625.50	4.43	13,976.97	71.29	705.50	5.02
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	4,690.34	-	59.02	1.26	2,878.19	42.35	59.02	2.02
14.	पंजाब नेशनल बैंक	30,811.31	587.14	964.97	3.07	31,031.89	-	1,902.34	6.13
15.	सिंडिकेट बैंक	13,704.40	259.13	418.91	3.00	9,765.62	-	419.12	4.29
16.	यूको बैंक	12,731.06	87.30	329.61	2.57	9,718.04	75.15	391.61	4.00
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	17,450.43	292.89	540.00	3.04	13,579.38	-	555.00	4.09
18.	यूनास्टेड बैंक ऑफ इंडिया	10,350.67	516.06	-	-	9,639.11	-	-	-
19.	विजया बैंक	9,013.47	42.70	322.44	3.56	9,016.00	10.60	323.00	3.58
	स्टेट बैंक समूह	2,03,435.70	2,091.43	6,367.73	3.10	1,70,541.21	639.49	7,283.71	4.25
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,50,093.51	1,667.78	4,371.16	2.88	1,33,065.75	414.53	5,253.89	3.94
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	7,843.34	30.03	295.25	3.75	4,139.17	-	295.25	7.13
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	13,906.05	12.44	467.52	3.36	9,187.45	0.35	467.52	5.09
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	4,206.30	27.76	220.47	5.21	4,511.90	170.27	220.47	4.71
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4,448.03	11.92	156.00	3.50	3,668.10	-	165.10	4.50
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	8,652.03	282.25	402.87	4.51	6,793.62	6.66	408.58	6.01
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	5,282.00	59.25	176.90	3.31	3,310.44	47.68	176.90	5.27
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	9,004.44	-	277.56	3.08	5,864.78	-	296.00	5.05
28.	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	-	-	-	-	6,050.29	506.99	392.00	5.98
	आइडीबीआई लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-

: गैर बैंकिंग संस्थाओं का बैंकिंग संस्था में परिवर्तन का प्रभाव शामिल नहीं है।

टिप्पणी : एएफएस: बिक्री के लिए उपलब्ध. एचएफटी: व्यापार के लिए धारित।

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों के तुलन - पत्र।

2. बैंको द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी III.30: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11.40	12.00	12.70	12.90	12.80
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.20	11.80	12.60	13.20	12.90
	राष्ट्रीयकृत बैंक	10.20	10.90	12.20	13.10	13.20
1.	इलाहाबाद बैंक	10.50	10.62	11.15	12.52	12.53
2.	आन्ध्र बैंक	13.40	12.59	13.62	13.71	12.11
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	12.80	11.32	12.65	13.91	12.61
4.	बैंक ऑफ इंडिया	12.23	10.68	12.02	13.01	11.52
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10.64	11.16	12.05	11.88	12.68
6.	केनरा बैंक	9.84	11.88	12.50	12.66	12.78
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.02	9.58	10.51	12.43	12.15
8.	कार्पोरेशन बैंक	13.30	17.90	18.50	20.12	16.23
9.	देना बैंक	7.73	7.64	6.02	9.48	11.91
10.	इंडियन बैंक	ऋणात्मक	1.70	10.85	12.82	14.14
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.24	10.82	11.30	12.49	14.20
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	11.81	10.99	14.04	14.47	9.21
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	11.42	10.70	10.43	11.06	9.46
14.	पंजाब नेशनल बैंक	10.24	10.70	12.02	13.10	14.78
15.	सिंडिकेट बैंक	11.72	12.12	11.03	11.49	10.70
16.	यूको बैंक	9.05	9.64	10.04	11.88	11.26
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.86	11.07	12.41	12.32	12.09
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.40	12.02	15.17	17.04	18.16
19.	विजया बैंक	11.50	12.25	12.66	14.11	12.92
	स्टेट बैंक समूह	12.70	13.30	13.40	13.40	12.40
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12.79	13.35	13.50	13.53	12.45
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	12.39	13.42	13.18	12.93	12.60
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	12.28	14.03	14.91	14.29	11.74
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	12.73	12.78	13.09	12.39	11.61
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	11.16	11.81	11.62	11.53	12.08
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	12.37	12.55	13.57	13.56	14.21
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	13.89	13.20	13.68	14.53	11.45
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	11.79	12.54	11.30	11.36	11.05
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक					
28.	आइडीबीआई लिमि.	-	-	-	-	15.51

परिशिष्ट सारणी III.30: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.90	12.50	12.80	13.70	12.50
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10.57	12.07	11.29	11.18	12.75
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	14.43	15.09	13.87	16.25	14.95
3.	कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड	6.08	9.57	10.58	11.23	11.35
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	13.59	13.97	13.95	13.36	12.18
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	9.69	11.23	10.45	13.56	10.16
6.	फेडरल बैंक लि.	10.29	10.63	11.23	11.48	11.27
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	9.11	10.08	10.44	11.94	3.99
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	12.05	11.57	9.81	11.05	9.09
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	17.44	15.46	16.48	16.88	15.15
10.	कर्नाटक बैंक लि.	11.37	12.96	13.44	13.03	14.16
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	15.56	16.90	17.01	17.11	16.07
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	10.21	11.54	11.35	13.79	11.32
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	12.90	16.50	12.82	16.68	11.74
14.	नैनीताल बैंक लि.	15.81	14.88	20.93	18.54	14.85
15.	रत्नाकर बैंक लि.	10.00	13.60	14.05	16.65	12.41
16.	सांगली बैंक लि.	11.47	11.64	14.94	13.68	9.30
17.	एसबीआइ कर्माशियल एंड इंटर. बैंक लि.	19.85	22.10	21.19	30.43	23.56
18.	साउथ इंडियन बैंक	11.17	11.20	10.75	11.32	9.89
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	17.59	18.02	18.54	21.07	19.74
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	9.59	9.79	10.17	10.13	4.86
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	11.50	12.30	11.30	10.20	12.07
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	11.02	12.82	13.59	12.64	9.23
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	9.61	4.16	1.95	4.41	39.22
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	11.28	11.49	10.08	14.14	9.88
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	11.09	13.93	11.12	11.66	12.16
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	11.57	11.44	11.10	10.36	11.78
26.	इंडसइंड बैंक लि.	15.00	12.51	12.13	12.75	11.62
27.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	-	25.97	15.25	12.80
28.	यूटीआइ बैंक लि.	9.00	10.65	10.90	11.21	12.66
29.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	18.81

परिशिष्ट सारणी III.30: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
	भारत में विदेशी बैंक	12.60	12.90	15.20	15.00	14.00
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	11.42	13.17	12.57	13.48	10.55
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	10.05	10.42	10.14	14.22	14.38
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	9.59	10.71	10.93	10.74	10.87
4.	ऑण्टवर्प बैंक लि.	-	-	92.69	53.22	39.99
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	96.34	138.51	105.64	111.34	109.39
6.	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	103.78	123.07	103.99	133.94	92.26
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	13.03	21.07	21.08	22.92	30.07
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	11.83	17.03	17.19	21.06	11.66
9.	बैंक ऑफ सिलोन	36.49	30.94	32.29	45.26	49.40
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	9.97	10.12	13.38	13.78	15.27
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	15.51	15.36	30.40	32.78	32.10
12.	बरक लैज बैंक पीएलसी	26.97	63.56	45.68	37.16	20.85
13.	बी.एन.पी. परिबास	9.92	9.66	10.74	21.70	9.41
14.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	28.27	40.11	36.96	39.98	59.94
15.	चो हंग बैंक	35.00	27.65	37.17	54.43	55.31
16.	सिटी बैंक एन. ए.	11.24	11.04	11.30	11.11	10.78
17.	काल्यन बैंक	11.60	11.23	20.04	24.51	14.40
18.	ड्यूश बैंक एजी	12.67	14.55	17.35	14.42	16.22
19.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	15.93	13.31	15.98	55.49	35.06
20.	एचएसबीसी लि.	12.37	10.92	18.10	14.54	14.03
21.	आइएनजी बैंक एन वी	15.00	12.47	20.72	56.91	74.97
22.	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	43.79	85.88	72.95	34.83	10.19
23.	क्रुंग थार्ड बैंक पब्लिक कं. लि.	148.99	167.65	119.88	115.98	101.01
24.	मशरेक बैंक पीएससी	10.54	20.54	39.38	54.71	60.14
25.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	18.38	11.14	18.50	36.09	30.34
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	14.21	18.86	14.62	16.48	13.52
27.	सोसाइटे जनरेल	13.93	12.85	32.63	32.71	64.81
28.	सोनाली बैंक	88.14	113.64	46.86	60.55	105.81
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	9.60	9.28	10.56	10.87	10.46
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	30.78	46.78	31.74	35.08	31.06
31.	यूएफजे बैंक लि.	34.91	29.44	67.68	121.69	121.60

स्रोत : संबंधित बैंक के तुलन-पत्र।

परिशिष्ट सारणी III.31: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शेयरधारिता का स्वरूप (जारी)
(मार्च 2005 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भारिबैं निवासी	वित्तीय संस्थाएं- निवासी	वित्तीय संस्थाएं- अनिवासी	अन्य कंपनियां- निवासी	अन्य कंपनियां- अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीयकृत बैंक									
1.	इलाहाबाद बैंक	71.2	3.8	0.8	3.1	-	21.1	0.1	99.2	0.8
2.	आन्ध्र बैंक	62.5	18.9	-	1.9	-	16.8	-	100.0	-
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	66.8	5.8	18.0	1.1	-	7.3	0.9	81.0	19.0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	69.5	4.3	10.8	1.4	2.0	10.8	1.2	86.0	14.0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.8	4.2	0.8	2.3	-	15.9	0.1	99.1	0.9
6.	केनरा बैंक	73.2	3.2	15.3	1.0	-	7.3	-	84.6	15.4
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
8.	कार्पोरेशन बैंक	57.2	29.4	10.2	0.5	-	2.7	0.2	89.7	10.3
9.	देना बैंक	51.2	2.9	-	7.2	-	31.1	7.6	92.4	7.6
10.	इंडियन बैंक	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	61.2	6.9	8.9	2.6	-	19.2	1.2	89.9	10.1
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	66.5	11.0	14.0	1.5	-	7.0	-	86.0	14.0
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
14.	पंजाब नेशनल बैंक	57.8	6.4	18.3	3.3	-	14.1	0.1	81.6	18.4
15.	सिंडिकेट बैंक	73.5	5.3	2.7	1.6	-	16.7	0.2	97.1	2.9
16.	यूको बैंक	75.0	5.8	-	3.3	1.0	14.8	0.2	98.8	1.2
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	60.9	4.2	18.2	2.2	-	14.5	0.1	81.7	18.3
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
19.	विजया बैंक	53.9	8.0	13.6	3.2	-	20.7	0.8	85.7	14.3
	स्टेट बैंक समूह									
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	59.7	11.4	19.8	2.6	-	6.4	0.1	80.2	19.8
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	-	76.4	-	6.2	4.5	12.8	-	95.5	4.5
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	-	98.1	-	0.7	-	1.3	-	100.0	-
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	-	94.0	-	0.5	0.1	5.4	-	99.9	0.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.1	77.7	2.0	2.7	-	12.4	4.1	93.9	6.1
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक									
28.	आइडीबीआई लिमि.	58.5	24.7	-	3.2	-	12.8	0.8	99.2	0.8
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक									
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	-	0.4	1.8	65.1	-	32.5	0.4	97.9	2.1
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
3.	कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड	-	-	-	6.1	-	93.5	0.5	99.6	0.5
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	-	5.0	-	14.5	-	80.3	0.2	99.8	0.2
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	0.1	-	10.7	-	88.3	0.9	99.1	0.9
6.	फेडरल बैंक लि.	-	38.4	6.4	10.3	-	43.4	1.4	92.1	7.9

परिशिष्ट सारणी III.31: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के श्रेयधारिता का स्वरूप (समाप्त)
(मार्च 2005 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भारिबैं निवासी	वित्तीय संस्थाएं- निवासी	वित्तीय संस्थाएं- अनिवासी	अन्य कंपनियां- निवासी	अन्य कंपनियां- अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	-
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	-	5.3	5.0	4.6	58.7	21.4	5.1	31.3	68.7
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	53.2	4.5	22.5	2.1	-	17.3	0.5	77.0	23.0
10.	कर्नाटक बैंक लि.	-	7.5	-	10.9	-	81.2	0.4	99.6	0.4
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	-	8.2	13.7	13.8	0.1	61.1	3.2	83.1	16.9
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	-	4.8	-	11.0	0.3	83.8	0.2	99.5	0.5
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	-	-	-	46.1	0.1	53.9	-	99.9	0.1
14.	नैनीताल बैंक लि.	-	97.7	-	-	-	2.3	-	100.0	-
15.	रत्नाकर बैंक लि.	-	0.4	-	-	-	99.6	-	100.0	-
16.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
17.	सांगली बैंक लि.	0.5	-	-	10.4	-	89.2	-	100.0	-
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	-	13.3	-	14.9	-	65.8	6.0	94.0	6.0
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	-	-	-	8.3	-	91.3	0.4	99.6	0.4
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	-	16.2	-	15.0	0.9	67.8	0.1	99.0	1.1
निजी क्षेत्र के नये बैंक										
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	-	3.6	0.3	13.3	3.8	76.5	2.5	93.4	6.6
22.	सेच्यूरियन बैंक लि.	-	0.1	6.5	10.4	64.8	17.1	1.1	27.6	72.4
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	-	-	-	7.5	68.9	23.7	-	31.1	68.9
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	-	5.5	-	28.7	52.9	12.8	0.2	47.0	53.1
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	-	17.3	71.0	4.6	-	6.6	0.5	28.5	71.5
26.	आइडीबीआई बैंक लि.	-	78.3	2.8	2.2	-	16.2	0.6	96.6	3.4
27.	इंडसइंड बैंक लि.	-	2.9	-	25.1	41.7	26.4	3.9	54.4	45.6
28.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	-	2.5	21.9	6.6	0.7	67.5	0.8	76.6	23.4
29.	यूटीआई बैंक लि.	-	47.2	45.6	1.0	-	6.2	0.1	54.3	45.7
30.	यस बैंक लि.	-	-	45.0	24.6	-	30.4	-	55.0	45.0

- : कुछ नहीं / नगण्य



परिशिष्ट सारणी III.32: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटराइजेशन और संचार विकास पर किया गया व्यय
(31 मार्च 2005 को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मार्च 2005 को समाप्त छमाही में किया गया व्यय	मार्च 2005 के अंत तक किया गया व्यय
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक (I + II)	983.19	9487.37
I)	राष्ट्रीयकृत बैंक	696.60	6484.24
1.	इलाहाबाद बैंक	1.88	138.33
2.	आन्ध्र बैंक	19.17	266.80
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	50.34	301.45
4.	बैंक ऑफ इंडिया	149.54	1,873.77
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4.23	200.83
6.	केनरा बैंक	80.50	623.12
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	42.00	206.52
8.	कार्पोरेशन बैंक	20.05	260.73
9.	देना बैंक	16.38	120.72
10.	इंडियन बैंक	68.48	247.39
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4.57	169.96
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	18.89	181.14
13.	पंजाब नेशनल बैंक	62.39	668.28
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.38	45.19
15.	सिंडिकेट बैंक	15.21	180.42
16.	यूको बैंक	31.77	206.51
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	58.34	311.45
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.38	100.30
19.	विजया बैंक	42.10	381.33
II)	स्टेट बैंक समूह	286.59	3,003.13
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	120.73	2,160.00
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	39.06	153.97
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	18.90	171.56
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	18.38	41.69
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	12.70	79.90
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	34.03	162.31
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	21.51	92.52
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	21.28	141.18



परिशिष्ट सारणी III.33: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटराइजेशन
(31 मार्च 2005 को)

प्रतिशत

क्रम सं.	बैंक का नाम	पहले से पूर्णतः कंप्यूटरिकृत शाखाएं #	स्थायी बैंकिंग विलयन के अंतर्गत शाखाएं	पूर्णतः कंप्यूटरिकृत शाखाएं (3+4)	अंशतः : कंप्यूटरिकृत शाखाएं
1	2	3	4	5	6
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	60.0	11.0	71.0	21.8
	राष्ट्रीयकृत बैंक	50.4	10.1	60.5	29.5
1.	इलाहाबाद बैंक	41.3	-	41.3	11.2
2.	आन्ध्र बैंक	53.2	46.8	100.0	-
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	83.1	-	83.1	16.9
4.	बैंक ऑफ इंडिया	74.5	4.9	79.5	20.5
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	54.2	-	54.2	-
6.	केनरा बैंक	58.5	-	58.5	41.5
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	50.3	-	50.3	2.0
8.	कार्पोरेशन बैंक	56.7	43.3	100.0	-
9.	देना बैंक	93.8	-	93.8	6.2
10.	इंडियन बैंक	72.0	0.1	72.2	27.8
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	47.8	1.6	49.4	50.5
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14.2	31.3	45.5	44.3
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	9.0	-	9.0	91.0
14.	पंजाब नेशनल बैंक	38.0	26.1	64.2	33.4
15.	सिंडिकेट बैंक	74.7	14.2	88.9	11.1
16.	यूको बैंक	22.8	-	22.8	67.1
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.1	29.3	29.4	70.6
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	22.8	-	22.8	77.2
19.	विजया बैंक	89.1	10.7	99.8	0.2
	स्टेट बैंक समूह	84.0	13.2	97.3	2.7
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	87.9	12.1	100.0	-
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	87.7	12.3	100.0	-
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	89.2	10.8	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	-	14.6	14.6	83.8
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	97.3	2.7	100.0	-
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65.5	34.5	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	81.8	18.2	100.0	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	84.9	15.1	100.0	-

- : कुछ नहीं / नगण्य

: स्थायी बैंकिंग उपाय के अंतर्गत शाखाओं से इतर शाखाएं।

परिशिष्ट सारणी III.34: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (जारी)
(मार्च 2005 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल शाखाओं के अपरोक्ष एटीएम का %
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	परोक्ष	अपरोक्ष	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीयकृत बैंक	13,588	7,291	6,935	5,813	33,627	3,205	1,567	4,772	4.66
1.	इलाहाबाद बैंक	970	323	389	248	1,930	80	11	91	0.57
2.	आन्ध्र बैंक	380	316	274	153	1,123	77	253	330	22.53
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,160	558	476	486	2,680	171	1	172	0.04
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,237	489	423	402	2,551	145	115	260	4.51
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	542	233	242	263	1,280	33	12	45	0.94
6.	केनरा बैंक	760	683	551	525	2,519	647	63	710	2.50
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,381	760	556	433	3,130	32	1	33	0.03
8.	कार्पोरेशन बैंक	178	143	214	234	769	229	572	801	74.38
9.	देना बैंक	392	215	192	243	1,042	137	18	155	1.73
10.	इंडियन बैंक	468	351	321	229	1,369	126	14	140	1.02
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	527	374	337	282	1,520	198	38	236	2.50
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	253	302	323	260	1,138	306	183	489	16.08
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	294	110	218	136	758	6	-	6	-
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1,930	802	752	521	4,005	399	151	550	3.77
15.	सिंडिकेट बैंक	648	421	402	346	1,817	202	41	243	2.26
16.	यूको बैंक	775	336	333	286	1,730	75	4	79	0.23
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	793	469	439	349	2,050	274	80	354	3.90
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	645	203	248	210	1,306	47	9	56	0.69
19.	विजया बैंक	255	203	245	207	910	21	1	22	0.11
	स्टेट बैंक समूह	5,480	4,080	2,334	1,767	13,661	1,548	3,672	5,220	26.88
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,068	2,475	1,470	1,023	9,036	415	3,197	3,612	35.38
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	313	229	133	138	813	154	97	251	11.93
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	290	285	202	138	915	261	69	330	7.54
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	132	132	64	110	438	99	76	175	17.35
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	213	149	116	149	627	184	19	203	3.03
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	277	211	170	87	745	208	43	251	5.77
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	140	136	69	73	418	77	56	133	13.40
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	47	463	110	49	669	150	115	265	17.19

परिशिष्ट सारणी III.34: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (जारी)
(मार्च 2005 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल शाखाओं के अपरोक्ष एटीएम का %
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	परोक्ष	अपरोक्ष	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	994	1,499	1,150	868	4,511	800	441	1,241	9.78
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	104	80	95	90	369	35	19	54	5.15
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	8	9	40	34	91	15	-	15	-
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	32	171	64	33	300	35	15	50	5.00
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	32	36	42	26	136	11	-	11	-
5.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	5	11	10	41	67	59	62	121	92.54
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	23	82	41	27	173	31	1	32	0.58
7.	फेडरल बैंक लि.	31	269	91	63	454	111	145	256	31.94
8.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	8	13	8	2	31	-	-	-	-
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	232	38	104	50	424	114	56	170	13.21
10.	कर्नाटक बैंक लि.	95	87	110	94	386	26	2	28	0.52
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	35	69	82	47	233	112	44	156	18.88
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	38	81	67	36	222	10	-	10	-
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	12	47	27	26	112	42	2	44	1.79
14.	नैनीताल बैंक लि.	18	15	21	14	68	-	-	-	-
15.	रत्नाकर बैंक लि.	22	24	18	10	74	7	1	8	1.35
16.	सांगली बैंक लि.	51	47	46	40	184	-	-	-	-
17.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	-	-	-	2	2	2	-	2	-
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	68	214	78	62	422	59	64	123	15.17
19.	तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लि.	46	57	45	25	173	9	13	22	7.51
20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	48	61	54	65	228	57	3	60	1.32
21.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	86	88	107	81	362	65	14	79	3.87
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	108	348	589	640	1,685	1,883	3,729	5,612	221.31
22.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	-	36	34	45	115	146	79	225	68.70
23.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	-	15	33	29	77	87	72	159	93.51
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	16	90	146	194	446	544	603	1,147	135.20
25.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	82	100	168	158	508	569	1,341	1,910	263.98
26.	आइडीबीआई बैंक लि.	5	22	50	43	120	117	212	329	176.67
27.	इंडसइंड बैंक लि.	-	25	55	36	116	115	80	195	68.97
28.	कोटक महिन्द्र बैंक लि.	-	6	11	36	53	35	11	46	20.75
29.	यूटीआई बैंक लि.	5	54	92	96	247	269	1,330	1,599	538.46
30.	यस बैंक लि.	-	-	-	3	3	1	1	2	33.33



परिशिष्ट सारणी III.34: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (समाप्त)
(मार्च 2005 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल शाखाओं के अपरोक्ष एटीएम का %
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	परोक्ष	अपरोक्ष	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत में विदेशी बैंक	-	-	38	204	242	218	579	797	239.26
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	-	-	2	17	19	24	54	78	284.21
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	-	-	-	2	2	1	2	3	100.00
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-	-	-	8	8	9	1	10	12.50
4.	अॅण्टवर्प बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6.	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	-	-	-	1	1	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	-	-	-	4	4	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	-	-	-	2	2	2	4	6	200.00
9.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	1	1	2	-	-	-	-
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	-	4	4	-	-	-	-
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-
12.	बरक लैज बैंक पीएलसी	-	-	-	1	1	-	-	-	-
13.	बी.एन.पी. परिबास	-	-	-	9	9	-	-	-	-
14.	काल्यन बैंक (क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज)	-	-	-	4	4	-	-	-	-
15.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-
16.	चो हंग बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-
17.	सिटी बैंक एन. ए.	-	-	10	25	35	44	332	376	948.57
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19.	ड्यूश बैंक एजी	-	-	-	5	5	-	-	-	-
20.	एचएसबीसी लि.	-	-	9	30	39	59	99	158	253.85
21.	आइएनजी बैंक एन वी	-	-	-	2	2	-	-	-	-
22.	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
24.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	2	2	-	-	-	-
25.	मिजहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	-	-	1	1	2	1	-	1	-
27.	सोसाइटी जनरेल	-	-	-	2	2	-	-	-	-
28.	सोनाली बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	15	68	83	78	87	165	104.82
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-
31.	यूएफजे बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-

- : कुछ नहीं / नगण्य



परिशिष्ट सारणी III.35: भारत में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का
बैंक समूह और जनसंख्या-वार वर्गीकरण

बैंक समूह	बैंकों की संख्या#	शाखाओं की संख्या									
		30 जून 2004 को @					30 जून 2005 को @				
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय स्टेट बैंक	1	4,068 (45.3)	2,462 (27.4)	1,449 (16.1)	1,010 (11.2)	8,989 (100.0)	4,068 (45.0)	2,475 (27.4)	1,470 (16.3)	1,023 (11.3)	9,036 (100.0)
2. भास्ते बैंक के सहायक	7	1,409 (30.8)	1,588 (34.7)	849 (18.5)	732 (16.0)	4,578 (100.0)	1,412 (30.5)	1,605 (34.7)	864 (18.7)	744 (16.1)	4,625 (100.0)
3. राष्ट्रीयकृत बैंक	19	13,582 (40.9)	7,190 (21.6)	6,801 (20.5)	5,668 (17.1)	33,241 (100.0)	13,587 (40.4)	7,291 (21.7)	6,935 (20.6)	5,812 (17.3)	33,625 (100.0)
4. सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	1	-	-	-	-	-	5 (3.1)	26 (16.4)	68 (42.8)	60 (37.7)	159 (100.0)
5. भारत में निजी क्षेत्र के बैंक	29	1,106 (19.1)	1,768 (30.5)	1,537 (26.5)	1,383 (23.9)	5,794 (100.0)	1,097 (17.9)	1,831 (29.9)	1,714 (28.0)	1,479 (24.2)	6,121 (100.0)
6. भारत में विदेशी बैंक	31	-	-	31 (14.2)	188 (85.8)	219 (100.0)	-	1 (0.4)	42 (16.9)	206 (82.7)	249 (100.0)
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	11,922 (82.4)	2,134 (14.7)	396 (2.7)	20 (0.1)	14,472 (100.0)	11,922 (82.2)	2,158 (14.9)	401 (2.8)	20 (0.1)	14,501 (100.0)
8. गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंक)	4	4 (20.0)	9 (45.0)	7 (35.0)	-	20 (100.0)	4 (17.4)	9 (39.1)	10 (43.5)	-	23 (100.0)
कुल	288	32,091 (47.7)	15,151 (22.5)	11,070 (16.4)	9,001 (13.4)	67,313 (100.0)	32,095 (47.0)	15,396 (22.5)	11,504 (16.8)	9,344 (13.7)	68,339 (100.0)

: 30 जून 2005 के अनुसार।

@ : शाखाओं का आबादी समूह-वार वर्गीकरण 1991 जनगणना पर आधारित।

- : कुछ नहीं / नगण्य।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में अंक हर समूह की कुल प्रतिशतता इंगित करते हैं।

2. बैंक शाखाओं में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं।

3. जून 2004 के डाटा संशोधित।

4. सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में केवल आइडीबीआई लिमि. शामिल है।

परिशिष्ट सारणी III.36: वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का वर्गीकरण -
क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेशवार शाखाएँ[@]

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	30 जून को शाखाओं की संख्या		निम्नलिखित के दौरान खुली शाखाएँ				जून के अंत में प्रति बैंक शाखा (000 में) औसत जनसंख्या	
		2004	2005	जुलाई 2003 से जून 2004	उनमें से: बैंक रहित केन्द्र	जुलाई 2004 से जून 2005	उनमें से: बैंक रहित केन्द्र	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आखिल भारतीय	67,313	68,339	923	8	1,340	13	16	16
1.	उत्तरी क्षेत्र	11,044	11,303	222	2	313	2	13	13
	चंडीगढ़	193	199	9	-	8	-	5	5
	दिल्ली	1,563	1,646	66	-	101	-	10	10
	हरियाणा	1,626	1,677	40	-	58	-	14	14
	हिमाचल प्रदेश	789	800	2	-	11	-	8	8
	जम्मू और कश्मीर	846	861	12	-	15	1	13	13
	पंजाब	2,662	2,713	57	-	58	1	10	9
	राजस्थान	3,365	3,407	36	2	62	-	18	18
2.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1,876	1,892	8	-	19	-	22	22
	अरुणाचल प्रदेश	66	67	-	-	1	-	17	17
	असम	1,223	1,232	7	-	12	-	23	23
	मणिपुर	76	77	-	-	1	-	33	33
	मेघालय	182	184	-	-	2	-	13	13
	मिजोरम	78	79	-	-	1	-	12	12
	नगालैंड	71	72	-	-	1	-	30	29
	त्रिपुरा	180	181	1	-	1	-	19	19
3.	पूर्वी क्षेत्र	11,833	11,955	85	-	140	-	20	20
	अंदमान और निकोबार	32	33	-	-	1	-	12	12
	बिहार	3,560	3,578	12	-	19	-	25	25
	झारखंड	1,476	1,492	16	-	19	-	19	19
	उड़ीसा	2,248	2,276	24	-	30	-	17	17
	सिक्किम	49	55	-	-	7	-	12	10
	पश्चिम बंगाल	4,468	4,521	33	-	64	-	19	19
4.	मध्य क्षेत्र	13,609	13,731	147	-	162	-	20	20
	छत्तीसगढ़	1,038	1,046	9	-	11	-	21	22
	मध्य प्रदेश	3,464	3,491	30	-	40	-	19	19
	उत्तर प्रदेश	8,234	8,307	91	-	92	-	22	22
	उत्तरांचल	873	887	17	-	19	-	10	10
5.	पश्चिमी क्षेत्र	10,408	10,576	137	2	282	2	15	15
	दादरा और नगर हवेली	12	12	-	-	0	-	20	20
	दमण और दीव	16	16	-	-	0	-	11	11
	गोवा	335	341	10	-	14	-	4	4
	गुजरात	3,677	3,729	42	1	74	2	15	15
	महाराष्ट्र	6,368	6,478	85	1	194	-	16	16
6.	दक्षिणी क्षेत्र	18,543	18,882	324	4	424	9	13	12
	आंध्र प्रदेश	5,320	5,421	66	-	136	2	15	15
	कर्नाटक	4,885	4,976	88	2	108	3	11	11
	केरल	3,462	3,522	89	-	68	3	10	9
	लक्षद्वीप	9	10	-	-	1	-	7	7
	पांडिचेरी	84	90	1	-	6	-	12	11
	तमिलनाडु	4,783	4,863	80	2	105	1	13	13

@ : गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक समेत)

- : शून्य

टिप्पणी: 1. प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या का आधार महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त संबंधित वर्षों की वर्ष-मध्य जनसंख्या अनुमान पर आधारित है।

2. बैंक शाखाओं में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं है।

3. जून 2004 के डाटा परिशोधित है।

**परिशिष्ट सारणी III.37: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का क्षेत्र/राज्यवार ऋण-जमा
अनुपात और निवेश + ऋण-जमा अनुपात**

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ऋण-जमा अनुपात							निवेश+ऋण जमा अनुपात @			
		2002		2003		2004		2005	2003		2004	
		स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आखिल भारतीय	58.4	58.4	59.2	59.2	58.2	58.2	66.0	66.8	66.8	66.5	66.5
1.	उत्तरी क्षेत्र	56.2	55.0	56.0	55.5	54.8	56.8	59.3	61.4	60.9	60.6	62.6
	हरियाणा	43.7	55.0	44.0	58.3	47.6	59.6	51.9	52.3	66.6	57.3	69.3
	हिमाचल प्रदेश	23.4	32.5	24.8	37.7	29.7	42.7	36.0	41.2	54.2	50.2	63.2
	जम्मू और कश्मीर	36.8	40.9	36.5	39.0	37.4	41.7	38.6	46.5	48.9	48.0	52.4
	पंजाब	41.8	43.9	41.5	43.4	43.1	45.7	45.7	47.0	49.0	50.3	52.9
	राजस्थान	48.4	55.4	50.8	55.3	55.8	62.9	69.0	71.8	76.3	78.9	86.0
	चंडीगढ़	102.8	102.3	109.7	107.6	105.3	107.0	90.8	109.7	107.6	105.3	107.0
	दिल्ली	67.6	59.1	65.8	59.2	59.9	57.9	63.7	65.9	59.3	59.9	58.0
2.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	27.2	53.2	27.4	48.2	29.8	33.7	34.8	48.2	69.0	51.2	55.1
	अरुणाचल प्रदेश	15.8	27.4	16.6	22.1	16.1	25.2	24.4	31.4	36.9	29.3	38.5
	असम	31.7	70.3	29.3	61.6	31.8	35.7	34.4	49.0	81.4	50.6	54.6
	मणिपुर	26.4	27.3	29.8	30.0	31.6	31.8	40.9	64.1	64.3	74.8	75.0
	मेघालय	18.3	24.3	29.0	31.8	34.6	42.6	45.3	46.1	48.9	52.1	60.0
	मिजोरम	26.4	36.2	27.5	30.5	34.8	39.7	51.0	57.8	60.9	71.1	75.9
	नगालैंड	12.8	18.1	13.2	13.3	15.0	15.2	22.9	54.8	54.8	60.7	60.9
	त्रिपुरा	21.5	21.6	26.1	23.7	25.2	24.7	29.6	40.6	38.2	44.8	44.4
3.	पूर्वी क्षेत्र	37.6	41.4	39.6	42.8	41.8	45.2	46.3	51.3	54.5	54.6	58.0
	बिहार	21.3	21.9	23.1	23.7	24.9	26.9	27.8	40.2	40.8	41.7	43.6
	झारखंड	25.1	31.0	25.1	30.9	26.3	26.9	30.6	28.4	34.2	31.1	31.7
	उड़ीसा	44.5	51.4	48.2	56.9	53.7	58.6	62.2	72.6	81.3	78.2	83.2
	सिक्किम	16.0	22.5	17.1	19.3	22.4	23.0	28.9	29.7	31.9	36.3	37.0
	पश्चिम बंगाल	45.8	49.2	47.9	50.0	49.5	53.8	53.6	56.7	58.9	60.2	64.4
	अंदमान और निकोबार	18.5	57.2	20.3	49.7	26.1	42.2	26.4	20.3	49.7	26.1	42.2
4.	मध्य क्षेत्र	33.9	38.4	33.3	38.6	35.6	39.9	40.5	44.6	49.9	48.3	52.6
	छत्तीसगढ़	44.0	54.2	35.1	43.8	40.0	44.9	45.8	40.1	48.8	46.4	51.2
	मध्य प्रदेश	46.6	50.3	46.6	51.7	46.8	50.1	55.4	60.7	65.9	61.7	64.9
	उत्तर प्रदेश	29.9	34.3	30.6	36.0	33.1	38.0	37.0	42.5	47.8	46.1	50.9
	उत्तरांचल	23.7	26.0	19.4	21.4	21.1	23.4	24.7	24.7	26.7	31.7	34.0
5.	पश्चिमी क्षेत्र	79.7	71.3	81.0	71.5	72.0	63.2	83.8	84.9	75.4	76.6	67.8
	गोवा	25.3	28.2	24.2	27.8	21.7	27.3	25.2	28.9	32.6	27.4	32.9
	गुजरात	44.1	54.7	44.8	56.0	42.2	54.8	46.7	53.0	64.1	51.5	64.1
	महाराष्ट्र	92.3	77.5	93.7	77.4	81.8	66.5	95.2	96.3	80.1	85.1	69.9
	दादरा और नगर हवेली	20.9	189.0	22.9	168.7	15.6	118.8	40.3	22.9	168.7	15.6	118.8
	दमण और दीव	9.9	79.4	9.2	66.1	11.6	49.8	10.1	9.2	66.1	11.6	49.8
6.	दक्षिणी क्षेत्र	64.6	68.9	66.3	71.2	68.5	72.7	77.7	74.7	79.6	77.7	81.9
	आंध्र प्रदेश	61.9	67.7	62.4	69.3	65.9	70.9	75.1	74.9	81.8	79.6	84.7
	कर्नाटक	61.6	68.9	62.3	71.1	63.1	69.0	74.1	69.0	77.8	70.0	75.9
	केरल	43.3	43.7	42.8	43.6	45.5	47.8	55.8	50.8	51.6	54.5	56.8
	तमिलनाडु	85.4	88.5	90.7	93.1	93.1	96.1	98.4	97.8	100.2	100.8	103.9
	लक्षद्वीप	7.9	9.6	4.6	5.9	8.0	10.0	9.6	4.6	5.9	8.0	10.0
	पांडिचेरी	32.3	39.2	32.0	39.6	34.5	42.6	38.2	32.0	39.6	34.5	42.6

@ : बैंकों के राज्यवार निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाओं, राज्य विद्युत बोर्ड, नगरपालिका निगम, नगरपालिका और बंदरगाह, राज्य वित्त निगम, आवास बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सड़क परिवहन निगम तथा अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों के राज्य सरकारी ऋण तथा शेयर, बाण्ड, डिबेंचर आदि की अपनी धारिता दर्शाता है। अखिल भारतीय निवेश + ऋण-जमा अनुपात केन्द्रीय सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को छोड़कर है, उपयुक्त नहीं।

टिप्पणी: 1. जमा व ऋण डाटा (स्वीकृति और उपयोग के अनुसार) 2002, 2003 तथा 2004 के बीएस आर-1 तथा 31 मार्च को सर्वेक्षणों पर आधारित है।

2. निवेश के अंक 31 मार्च 2003 तथा 2004 के बीएसआर-5 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

3. वर्ष 2004 के ऋण-जमा अनुपात 31 मार्च 2004 के अनुसार बीएसआर-7 सर्वेक्षण पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी III.38: अनुसूचित वाणिज्य बैंक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत का विवरण (जारी)
(01.01.2003 से 25.06.2005 तक की अवधि के लिए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	शाखाओं की संख्या	प्रति शाखा शिकायतें	शिकायतों का श्रेणीवार ब्यौरा							
					जमा खाता से संबंधित	प्रेषण/जमा सुविधाएं	ऋण/अग्रिम		ऋण कार्ड संबंधित	सीधे बिक्रीकर्ता एजेंटों की गतिविधि	ऋण वसूली में परेशानी	विविध/अन्य
							विविध	आवास ऋण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राष्ट्रीयकृत बैंक											
1.	इलाहाबाद बैंक	229	1,918	0.12	61	57	37	2	1	-	6	65
2.	आंध्र बैंक	104	1,101	0.09	16	12	25	4	1	-	3	43
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	491	2,683	0.18	84	52	86	9	8	1	44	207
4.	बैंक ऑफ इंडिया	147	1,276	0.12	19	17	29	10	-	-	20	52
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	483	2,545	0.19	91	76	99	6	11	-	21	179
6.	केनरा बैंक	422	2,513	0.17	72	47	102	8	8	-	14	171
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	557	3,127	0.18	120	61	106	13	4	-	28	225
8.	कार्पोरेशन बैंक	132	768	0.17	23	20	25	3	5	-	3	53
9.	देना बैंक	203	1,044	0.19	37	35	40	4	1	-	6	80
10.	इंडियन बैंक	269	1,368	0.20	49	19	54	10	-	-	15	122
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	275	1,509	0.18	50	29	52	5	-	-	9	130
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	302	1,138	0.27	49	34	77	3	1	-	13	125
13.	पंजाब नेशनल बैंक	820	3,987	0.21	161	89	156	10	11	-	46	347
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	212	758	0.28	40	15	40	3	-	-	6	108
15.	सिंडीकेट बैंक	260	1,800	0.14	66	42	59	5	-	-	2	86
16.	यूको बैंक	216	1,727	0.13	42	26	44	1	-	-	8	95
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	322	2,033	0.16	73	66	68	3	-	-	10	102
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	104	1,305	0.08	15	10	15	1	7	-	3	53
19.	विजया बैंक	127	894	0.14	17	17	28	2	4	-	5	54
	स्टेट बैंक समूह											
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2,494	9,012	0.28	536	393	458	32	172	1	130	772
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	171	811	0.21	43	10	41	3	1	-	6	67
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	117	904	0.13	27	23	25	1	1	-	-	40
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	74	438	0.17	13	19	19	1	-	-	6	16
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	95	623	0.15	20	26	26	2	1	-	2	18
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	184	743	0.25	21	31	39	5	2	-	4	82
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	119	418	0.28	28	16	19	-	-	1	3	52
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	77	667	0.12	28	13	10	-	-	-	-	26

परिशिष्ट सारणी III.38: अनुसूचित वाणिज्य बैंक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत का विवरण (जारी)
(01.01.2003 से 25.06.2005 तक की अवधि के लिए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	शाखाओं की संख्या	प्रति शाखा शिकायतें	शिकायतों का श्रेणीवार ब्यौरा							
					जमा खाता से संबंधित	प्रेषण/जमा सुविधाएं	ऋण/अग्रिम		ऋण कार्ड संबंधित	सीधे बिक्रीकर्ता एजेंटों की गतिविधि	ऋण वसूली में परेशानी	विविध/अन्य
							विविध	आवास ऋण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लिमि.	61	361	0.17	18	12	8	-	-	-	2	21
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	7	89	0.08	1	-	2	-	-	-	-	4
3.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	18	300	0.06	3	1	5	-	-	-	-	9
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	32	136	0.24	-	-	3	-	-	-	-	29
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	10	169	0.06	1	-	4	-	-	-	-	5
6..	फेडरल बैंक लि.	62	447	0.14	7	7	14	3	-	-	-	31
7.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	3	31	0.10	-	-	-	-	-	-	-	3
8.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	86	361	0.24	22	3	17	8	-	-	2	34
9.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	44	420	0.10	8	5	6	3	1	-	2	19
10.	कर्नाटक बैंक लि.	43	377	0.11	8	6	10	-	-	-	-	19
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	36	229	0.16	2	2	12	-	-	-	-	20
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	16	224	0.07	-	2	2	-	-	-	-	12
13.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	28	11	2.55	2	2	2	-	-	-	-	22
14.	नैनीताल बैंक लि.	19	65	0.29	1	4	6	-	-	-	-	8
15.	नेदुगंडी बैंक लिमि.	8	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4
16.	रत्नाकर बैंक लि.	14	74	0.19	1	-	2	2	-	-	-	9
17.	सांगली बैंक लि.	46	183	0.25	8	6	13	-	-	-	1	18
18.	साउथ इंडियन बैंक लि.	34	411	0.08	1	5	9	-	-	-	-	19
19.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	74	172	0.43	18	11	25	1	-	-	1	18
20.	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	53	228	0.23	8	4	18	1	-	-	5	17
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	35	114	0.31	6	1	5	1	-	-	-	22
22.	सेंच्यूरियन बैंक लि.	49	63	0.78	8	7	10	-	-	-	2	22
23.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	38	66	0.58	7	4	11	1	-	-	1	14
24.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमि.	27	-	-	2	4	17	-	-	-	-	4
25.	एचडीएफसी बैंक लि.	527	404	1.30	107	62	79	9	80	-	31	159
26.	आइसीआईआई बैंक लि.	1,202	449	2.68	211	97	175	39	203	34	60	383
27.	आइडीबीआई बैंक लि.	164	115	1.43	28	19	22	9	29	1	2	54
28.	इंडसंड बैंक लि.	42	99	0.42	6	3	11	1	-	-	-	21
29.	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	24	47	0.51	1	1	2	-	-	-	-	20
30.	यूटीआई बैंक लिमि.	108	237	0.46	22	19	10	3	9	1	3	41

परिशिष्ट सारणी III.38: अनुसूचित वाणिज्य बैंक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत का विवरण (समाप्त)
(01.01.2003 से 25.06.2005 तक की अवधि के लिए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	अवधि के दौरान प्राप्त कुल संख्या	शाखाओं की संख्या	प्रति शाखा शिकायतें	शिकायतों का श्रेणीवार ब्यौरा							
					जमा खाता से संबंधित	प्रेषण/जमा सुविधाएं	ऋण/अग्रिम		ऋण कार्ड संबंधित	सीधे बिक्रीकर्ता एजेंटों की गतिविधि	ऋण वसूली में परेशानी	विविध/अन्य
विविध	आवास ऋण	10	11	12			13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	भारत में विदेशी बैंक											
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	61	8	7.63	5	3	11	-	12	2	4	24
2.	एबीएन एमरो बैंक	217	18	12.06	36	4	33	3	68	2	5	66
3.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	11	4	2.75	1	-	1	-	1	-	-	8
4.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	4	1	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4
5.	बी.एन.पी. परिबास	1	10	0.10	-	-	-	-	1	-	-	-
6.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2	5	0.40	-	2	-	-	-	-	-	-
7.	सिटी बैंक एन.ए.	546	34	16.06	36	39	69	9	294	12	25	62
8.	एचएसबीसी लि.	189	39	4.85	25	10	17	4	62	-	15	56
9.	मित्सुबिसी बैंक लिमि.	1	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1
10.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	555	79	7.03	46	21	68	11	196	-	49	164

- : कुछ नहीं / नगण्य

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति

(राशि करोड़ रुपए अनुपात प्रतिशत में)

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 अ
1	2	3	4	5	6	7
1.	शहरी सहकारी बैंक	संख्या	1,854	1,941	1,926	1,872
		स्वाधिकृत निधि	13,797	9,830	12,348	5,895
		जमाराशि	93,069	1,01,546	1,10,256	1,05,017
		उधारराशि	उ.न.	1,590	1,484	उ.न.
		कार्यशील पूंजी	1,15,596	1,11,746	उ.न.	उ.न.
		बकाया ऋण	62,060	64,880	67,930	66,905
		ऋण-जमा अनुपात	67	64	62	65
2.	राज्य सहकारी बैंक	संख्या	30	30	31	31
		स्वाधिकृत निधि	6,712	7,979	8,520	उ.न.
		जमाराशि	36,191	39,386	43,486	44,338
		उधारराशि	11,672	12,209	12,457	14,626
		कार्यशील पूंजी	54,262	57,600	58,889	उ.न.
		जारी ऋण	34,663	38,118	34,466	38,319
		बकाया ऋण	32,678	34,761	35,105	37,347
		वसुली कार्य (मांग का प्रतिशत)	82	80	84	उ.न.
		ऋण-जमा अनुपात	90	88	81	84
		3.	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	संख्या	368	367
स्वाधिकृत निधि	14,141			16,836	19,131	उ.न.
जमाराशि	68,181			73,919	79,153	81,013
उधारराशि	18,820			19,639	20,256	20,899
कार्यशील पूंजी	99,424			1,08,265	1,14,372	उ.न.
जारी ऋण	55,915			59,544	58,964	55,764
बकाया ऋण	59,316			64,214	67,152	72,797
वसुली कार्य (मांग का प्रतिशत)	66			61	62	उ.न.
ऋण-जमा अनुपात	87			87	85	90
4.	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक			संख्या @	20	20
		स्वाधिकृत निधि	2,494	2,906	3,504	उ.न.
		जमाराशि #	533	501	605	518
		उधारराशि	14,832	15,892	16,882	17,005
		कार्यशील पूंजी	18,753	20,609	21,250	उ.न.
		जारी ऋण	2,746	2,962	2,942	3,235
		बकाया ऋण	14,110	15,354	16,212	17,435
		वसुली कार्य (मांग का प्रतिशत)	55	49	44	उ.न.
		ऋण-जमा अनुपात	87	87	85	90
		5.	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	संख्या	768	768
सदस्यता (लाखों में)	142			136	उ.न.	उ.न.
स्वाधिकृत निधि	2,480			2,722	2,971	उ.न.
जमाराशि #	255			214	252	168
उधारराशि	10,331			11,214	11,880	12,572
कार्यशील पूंजी	13,986			15,374	15,851	उ.न.
जारी ऋण	2,045			2,151	2,200	2,517
बकाया ऋण	10,005			10,809	11,209	11,877
वसुली कार्य (मांग का प्रतिशत)	48			44	44	उ.न.

अ : अनन्तम।

उ. न. : उपलब्ध नहीं।

@ : 1 अक्टूबर 2001 को महाराष्ट्र एससीएआरडीबी फेडरल संरचना के अधीन आया जिसके साथ शीर्षस्तरीय महाराष्ट्र एससीएआरडीबी तथा आधारस्तर पर 29 डीसीएआरएमडीबी हैं।

: एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी की जमाराशियों में एलडीबी की चुकौती अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत : नाबार्ड।



**परिशिष्ट सारणी IV.2: भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशाधीन
कार्यरत शहरी सहकारी बैंक (जारी)**

क्रम सं.	बैंक का नाम	अर्थदण्ड की तारीख	क्या जमाराशि की चुकौती पर रोक लगी है हां / नहीं	क्या जमाराशि की वसूली पर रोक लगी है हां / नहीं
1	2	3	4	5
	अहमदाबाद			
1.	आनंद पीपल्स को-ऑप बैंक लिमि., आनंद	30.08.2002	हां	हां
2.	आनंद शहरी सहकारी बैंक लिमि., आनंद	22.07.2004	नहीं	नहीं
3.	बडौदा मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लि., बडौदा	10.10.2002	हां	हां
4.	भावनगर मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लि.	21.08.2004	हां	हां
5.	सेंच्युरी मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लि., सूरत	09.10.2004	हां	हां
6.	को-ऑप. बैंक ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद	21.09.2002	हां	हां
7.	दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लिमि. दाभोई जिला, वडोदरा	14.06.2004	हां	हां
8.	धनसुरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., धनसुरा	14.06.2004	नहीं	नहीं
9.	जनता को-ऑप. बैंक लिमि., नदियाड	24.09.2002	हां	हां
10.	करमसद शहरी सहकारी बैंक लिमि., करमसद	02.10.2003	हां	हां
11.	कुबेर को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., अहमदाबाद	25.09.2004	हां	हां
12.	मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., गोधरा	17.09.2004	नहीं	हां
13.	मेट्रो को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., सूरत	21.10.2004	हां	हां
14.	नतपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., नदियाड	16.01.2002	हां	नहीं
		16.12.2004	हां	हां
15.	रॉयल को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., सूरत	12.10.2004	हां	हां
16.	सर्वोदय नागरिक बैंक लिमि., विसनगर	03.01.2004	हां	हां
17.	श्री जनता सहकारी बैंक लिमि., राधानपुर	08.04.2003	हां	हां
		25.01.2005	हां	हां
18.	श्री स्वामिनारायण को-ऑप. बैंक लिमि., वडोदरा	12.11.2003	हां	नहीं
19.	सिंध मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लि. अहमदाबाद	10.10.2002	हां	हां
		27.12.2002	हां	नहीं
20.	तलोद जनता सहकारी बैंक लि., तलौद	02.05.2003	हां	हां
21.	यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लि., नदियाड	10.10.2002	हां	हां
		24.12.2004	हां	नहीं
22.	श्री वितराग को-ऑप. बैंक लि., सूरत	21.10.2004	हां	हां
	बंगलूर			
23.	बंगलूर मर्केन्टाइल को-ऑ. बैंक लिमि., बंगलूर	08.10.2001	हां	हां
24.	बेडकीहल शहरी को-ऑ. बैंक लिमि., बेडकीहल	30.04.2002	हां	हां
25.	ओनाके ओबव्वा महिला को-ऑ. बैंक लिमि., चित्रदुर्ग	11.09.2003	हां	हां
26.	हिरियुर अर्बन को-ऑ. बैंक लिमि., हिरियुर	28.06.2003	हां	हां
27.	हारुगेरी को-ऑ. बैंक लिमि., हारुगेरी	23.06.2003	हां	हां
28.	महालिंगपुर को-ऑ. बैंक लिमि., महालिंगपुर	31.10.2003	हां	हां
29.	एस.एस.के. को-ऑ. बैंक लिमि., हुबली	24.12.2003	हां	हां
30.	मराठा को-ऑ. बैंक लिमि. हुबली	03.02.2004	हां	हां
31.	चल्लाकेरे को-ऑ. बैंक लिमि., चल्लाकेरे	27.10.2004	हां	हां
32.	द अर्बन को-ऑ. बैंक लिमि., सिद्दापुर	12.01.2005	हां	हां
33.	द बंगलूर सौहार्द सेन्ट्रल को-ऑ. बैंक लिमि., बंगलूर	12.01.2005	हां	हां
34.	श्री कालिदास सहकारी बैंक नियमिथा, बंगलूर	28.01.2005	हां	हां
35.	वर्धमान को-ऑ. बैंक लिमि., हुबली	12.02.2005	हां	हां
36.	हिरिकेरूर शहरी को-ऑ. बैंक लिमि., हिरिकेरूर	26.02.2005	हां	हां
37.	रबकवि शहरी को-ऑ. बैंक लिमि., रबकवि	05.03.2005	हां	हां
38.	श्री सम्पिगे सिद्धेश्वरा को-ऑ. बैंक लिमि., चित्रदुर्ग	18.06.2005	हां	हां
	भोपाल			
39.	खरगौन महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या., खरगौन	20.02.2004	हां	नहीं
40.	सिटीजन को-ऑप. बैंक लिमि., बुरहानपुर	15.01.2005	हां	हां
41.	हिंदू नागरिक सहकारी बैंक लिमि., इंदौर	18.01.2004	हां	हां
42.	नागरिक सहकारी बैंक लिमि., छिंदवाडा	09.10.2004	हां	हां
43.	नागरिक सहकारी बैंक लिमि., रतलाम	07.03.2005	हां	हां
44.	सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमि., हौशंगाबाद	05.10.2004	हां	हां



**परिशिष्ट सारणी IV.2: भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशाधीन
कार्यरत शहरी सहकारी बैंक (समाप्त)**

क्रम सं.	बैंक का नाम	अर्थदण्ड की तारीख	क्या जमाराशि की चुकौती पर रोक लगी है हां / नहीं	क्या जमाराशि की वसूली पर रोक लगी है हां / नहीं
1	2	3	4	5
45.	भुवनेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक, भुवनेश्वर	22.01.2004	नहीं	हां
46.	अर्बन को-ऑप. बैंक, छतरपुर	06.07.2004	नहीं	हां
47.	चंडीगढ़ द मंडी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	27.10.2004	हां	हां
48.	गुवाहाटी मिजोरम अर्बन को-ऑप., डेवलपमेंट बैंक, अइजवाल	25.11.2004	हां	हां
49.	मिजोरम अर्बन को-ऑप., बैंक लिमि., दिमापुर, नागालैंड	30.11.2004	हां	हां
50.	हैदराबाद वसावी को-अर्बन बैंक लिमि.	07.03.2003	हां	हां
51.	श्रीनिवासा पद्मावती को-अर्बन बैंक लिमि.	12.08.2003	हां	हां
52.	हैदराबाद को-अर्बन बैंक लिमि.	26.08.2003	हां	हां
53.	बोबली को-अर्बन बैंक लिमि.	27.01.2004	हां	हां
54.	भारत मर्केन्टाइल को-अर्बन बैंक लिमि.	14.09.2004	हां	हां
55.	श्रीकलाइस्ती को-अर्बन बैंक लिमि.	27.01.2004	हां	हां
56.	पालकोल को-अर्बन बैंक लिमि.	12.02.2004	हां	हां
57.	चित्तूर को-अर्बन बैंक लिमि.	23.09.2004	हां	हां
58.	बओगाले को-अर्बन बैंक लिमि.	16.10.2004	हां	हां
59.	चारमिनार को-अर्बन बैंक लिमि.	16.10.2004	हां	हां
60.	कन्याका परमेश्वरी को-अर्बन बैंक लिमि.	27.01.2005	हां	हां
61.	भिमावरम को-अर्बन बैंक लिमि.	13.03.2005	हां	हां
62.	कोलकाता रहूता को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.	04.05.2002	नहीं	हां
63.	बनत्रा को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.	12.11.2001	नहीं	हां
64.	कसुन्दिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.	15.01.2004	नहीं	हां
65.	लखनऊ मानसरोवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., लखनऊ	24.12.1997	नहीं	हां
66.	गाजियाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., गाजियाबाद	17.06.2004	हां	हां
67.	मर्केन्टाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., मेरठ	15.02.2005	हां	हां
68.	मुंबई बॉम्बे मर्केन्टाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., मुंबई	26.09.2002	नहीं	नहीं
69.	मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., गोवा	16.08.2002	हां	हां
70.	द साऊथ इंडियन अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	09.08.2004	हां	नहीं
71.	मराठा मंदिर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., मुंबई	13.08.2004	हां	नहीं
72.	केअर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., मुंबई	14.03.2005	हां	नहीं
73.	कृष्णा वल्ली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि. मुंबई	20.12.2003	हां	हां
74.	सिटीजन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमि. पुणे	17.02.2005	हां	हां
75.	श्री बाबासाहेब सातभाई मर्केन्टाइल को-बैंक लिमि. कोपरगांव, अहमदनगर	06.10.2004	हां	हां
76.	नासिक पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., नासिक	04.06.2004	हां	हां
77.	इचलकरंजी जिवेश्वर सहकारी बैंक लिमि. कोल्हापुर	14.05.2003	हां	हां
78.	श्रीराम स्टेट बैंक लिमि., नासिक	25.10.2004	हां	हां
79.	श्री सप्तशृंगे अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., नासिक	05.11.2004	हां	हां
80.	नागपुर नागपुर महिला अर्बन को-ऑप., बैंक लिमि.	15.09.2004	हां	हां
81.	सिंहगढ़ अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	01.11.2004	हां	हां
82.	संत जनाबाई अर्बन को-ऑप., बैंक लिमि.	09.03.2005	हां	हां
83.	पूर्णा नागरिक लिमि.	04.02.2005	हां	हां
84.	परभणी पीपल्स को-ऑप., बैंक लिमि.	04.04.2005	हां	हां



परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंकों की सूची (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निरस्तीकरण की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
	अहमदाबाद			
1.	अपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., अहमदाबाद			
2.	भरुच तालुका टीचर्स और डिक्स्ट्रक्ट स्कूल बोर्ड, बैंक लिमि., जादेश्वर			
3.	भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लिमि., भिलोदा			
4.	हरिसिद्ध को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		11.05.1999	29.04.2000
5.	पालना को-ऑप. बैंक लिमि., पालना	21.02.2003		28.02.2003
6.	पालिताना नागरिक सहकारी बैंक लिमि., पलिताना			
7.	राजकोट मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लिमि.		01.11.2004	01.11.2004
8.	रीलिफ मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		06.05.1999	22.05.2000
9.	सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लिमि., सामी	21.07.1999		20.08.1999
10.	संतराम को-ऑप. बैंक लिमि., नदियाद	02.06.2003		02.06.2003
11.	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लिमि.		07.05.2001	07.05.2001
12.	श्री भाग्यलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद	09.11.2000		05.02.2001
13.	श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद		18.10.2001	18.10.2001
14.	श्री वेरावल विभाग्य नागरिक सहकारी बैंक लिमि., वेरावल	01.08.2001		05.02.2001
15.	श्री धांगध्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमि., धांगध्रा			
16.	श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमि., जामनगर		27.12.2002	21.07.2004
17.	श्री सर्वोदय को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		10.04.1999	
18.	श्री वधवान विभाग्य नागरिक सहकारी बैंक लिमि., वधवान			
19.	सुप्रभात को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद		27.02.1999	
20.	द अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद	05.03.2002		05.03.2002
21.	द अहमदाबाद अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	05.03.2002		
22.	द भावनगर वेलफेअर को-ऑप. बैंक लिमि., भावनगर	02.06.2003		02.06.2003
23.	द चारोतार नागरिक सहकारी बैंक लिमि., आनंद	28.07.2003		28.07.2003
24.	द इल्लोसब्रिज को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	29.04.1999		29.04.1999
25.	द जनता कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	02.06.2003		02.06.2003
26.	द जनता कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमि., डोलका	02.06.2003		02.06.2003
27.	द मजूर सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद		06.02.2002	
28.	द नायक मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लिमि.	14.08.2003		14.08.2003
29.	द सहयोग को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	20.10.2000		05.03.2001
30.	द विकास को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	26.04.2001		02.05.2001
31.	द विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., विसनगर	11.07.2003		11.07.2003
32.	यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	16.06.1977		16.06.1977
33.	वेरावल रत्नाकर को-ऑप. बैंक लिमि., वेरावल	29.01.2000		10.04.2000
34.	पेतलाद नागरिक सहकारी बैंक लिमि., पेतलाद	13.03.2004		28.10.2004
35.	बडोदा पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., बडोदा	22.05.2004		27.05.2004
36.	उज्जावर को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	22.05.2004		04.06.2004
37.	क्लासिक को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	21-06-2004		21-06-2004
38.	को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेथ लिमि., उमरेथ	21-06-2004		21-06-2004
39.	डायमंड ज्यूबली को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	23-06-2004		23-06-2004
40.	मातार नागरिक सहकारी बैंक लिमि., मातार : खेडा	21-06-2004		21-06-2004
41.	पटनी को-ऑप. बैंक लिमि., बडोदा	27.07.2004		02.08.2004
42.	सूर्यापूर को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	17.08.2004		19.08.2004
43.	पेतलाद कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमि., पेतलाद	26.08.2004		26.08.2004
44.	श्री विकास को-ऑप. बैंक लिमि., सूरत	01.09.2004		
45.	साबरमती को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	01.09.2004		01.09.2004



परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंकों की सूची (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निरस्तीकरण की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख	
1	2	3	4	5	
46.	नदियाद मर्केन्टाइल को-ऑप. बैंक लिमि., नदियाद	15.09.2004	06.11.2004	16.09.2004	
47.	श्री विठ्ठल को-ऑप. बैंक लिमि., देहगाम	21.09.2004		22.09.2004	
48.	प्रगति को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद	21.09.2004		22.09.2004	
49.	सुनव नागरिक सहकारी बैंक लिमि., सुनव	29.09.2004		29.09.2004	
50.	टेक्टटाइल प्रोसेसर को-ऑप. बैंक लिमि., अहमदाबाद			07.11.2004	
51.	नवसारी पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., नवसारी	08.11.2004			
52.	शेठ बी.बी. श्राफ बलसार पीपल्स को-ऑप बैंक लिमि. बलसाड	11.11.2004			
53.	श्रीनाथजी को-ऑप. बैंक लिमि., नदियाद	06.12.2004		06.12.2004	
बंगलूर					
1.	राबर्टसोनपेट को-ऑप. सोसायटी लिमि., राबर्टसोनपेट				10.01.1972
2.	तुरुवेकेरे को-ऑप. मर्चेन्ट बैंक लिमि., तुरुवेकेरे			29.09.1973	
3.	हुबली मुस्लिम को-ऑ. बैंक लिमि., हुबली			11.10.1976	
4.	रॉन अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., रॉन			27.11.1976	
5.	रामदुर्ग अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., रामदुर्ग			22.04.1981	
6.	आदर्श को-ऑप. बैंक लिमि., मैसूर			28.01.1985	
7.	गादग अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., गादग			27.05.1985	
8.	श्री फकिरेश्वरा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., श्रीहात्ती			16.01.1986	
9.	मणिहल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., मणिहल			24.07.1987	
10.	मुद्रागी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., मुद्रागी			18.04.1988	
11.	मनोली श्री पंचलिंगेश्वरा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.			28.05.1981	
12.	बेल्लाट्टी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., बेल्लाट्टी			05.10.1993	
13.	बिजापुर इंडस्ट्रियल को-ऑप. बैंक लि., बागलकोट			30.08.1994	
14.	धारवाड इंडस्ट्रियल को-ऑप. बैंक लिमि., हुबली			31.08.1994	
15.	श्री चामराजा को-ऑप. बैंक लिमि., चामराजा			16.05.1995	
16.	कर्नाटक कुरुबारा को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., गादग			17.06.1995	
17.	बनिक्पो अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., बनिक्पो			19.06.1995	
18.	श्रीरामपुरा को-ऑप. बैंक लिमि., बंगलूर			25.03.1996	
19.	हुबली धारवाड को-ऑप. बैंक लिमि., हुबली			04.12.1999	
20.	नवोदय सहकारी बैंक लिमि., बंगलूर			18.03.2000	
21.	ज्योतिर्लिंग सहकारी बैंक नियमिता, जालागेरी			28.09.2000	
22.	गुलबर्ग अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.			01.11.2002	
23.	श्री मौनेश्वर को-ऑप. बैंक लिमि.			23.04.2003	
24.	रायबाग अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.			14.07.2004	
25.	कावेरी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.			11.02.2004	
26.	कर्नाटक कॉन्ट्रेकर को-ऑप. बैंक लिमि., बंगलूर			12.02.2004	
भोपाल					
1.	जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमि., जबलपुर	09.12.1999		05.06.2000	
2.	सिटीजन अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., इंदौर	23.04.1993		26.04.1993	
3.	बिलासपुर को-ऑप. कर्मशियल बैंक लिमि.		14.09.2000	15.11.2000	
4.	सागर नागरिक सहकारी बैंक लिमि., सागर	07.07.1999		21.12.1999	
5.	नागरिक सहकारी बैंक लिमि., जबलपुर				
6.	जनता सहकारी बैंक लिमि., देवस		14.03.2002	30.04.2002	
7.	दतिया नागरिक सहकारी बैंक लिमि., दतिया	15.05.2002		26.06.2002	
8.	मंदसौर कर्मशियल को-ऑप. बैंक लिमि., मंदसौर	12.12.2002		21.03.2003	
9.	सिटीजन को-ऑप. बैंक लिमि., दामोह	16.09.2003		05.12.2003	
10.	श्री को-ऑप. बैंक लिमि., इंदौर	10.02.2004		28.02.2004	
11.	महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लिमि., इंदौर	21.09.2004		06.10.2004	



परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंकों की सूची (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निरस्तीकरण की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
12.	मित्रमंडल सहकारी बैंक लिमि., इंदौर	18.06.2004		03.07.2004
13.	सांकरधाणी महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमि., जबलपुर	27.08.2004		17.09.2004
14.	नागरिक सहकारी बैंक लिमि., धामत्री	28.06.2004		17.09.2004
भुवनेश्वर				
1.	द राऊरकेला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	जारी नहीं		01.09.1969
2.	द भांजनिगार अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	16.07.1999		20.05.2003
3.	द अशक को-ऑप अर्बन बैंक लिमि.	13.03.2000		06.03.2002
4.	द रायगदा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	जारी नहीं		07.03.1983
5.	द भुवनेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	05.11.1969		05.11.1969
6.	द कटुक अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	जारी नहीं		23.10.1989
चेन्नै				
1.	थेनी अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.		20.05.2002	03.06.2002
2.	तिरुवन्यैकोविल को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.		23.05.2002	03.06.2002
3.	मदुराई अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.		22.08.2003	07.01.2005
चंदीगढ़				
1.	द यमुनानगर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.			14.08.2002
गुवाहटी				
1.	मणिपुर इंडस्ट्रियल को-ऑप. बैंक लिमि.	25.09.1999		23.09.2000
2.	गुवाहटी को-ऑप. टाऊन बैंक लिमि.	08.12.1999		07.06.2000
3.	सिलचर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.		16.02.2002	
4.	अर्बन इंडस्ट्रियल को-ऑप. बैंक लिमि.	07.02.2000		
5.	लम्का अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	25.02.2003		19.06.2003
6.	नागांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	24.06.2005		
जयपुर				
1.	यूनियन को-ऑप. बैंक लिमि., जयपुर	08.10.1976		08.10.1976
2.	बांसवाडा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., बांसवाडा	08.10.1976		08.10.1976
3.	श्रीगंगानगर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि. श्रीगंगानगर	28.08.2004		08.09.2004
4.	लोक विकास अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., जयपुर	28.09.2004		11.10.2004
कोलकाता				
1.	झारग्राम पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि.		03.08.1999	
2.	प्रणबंनदा को-ऑप. बैंक लिमि.		25.01.2001	06.08.2002
3.	द आसनसोल पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि.		12.08.1999	16.03.2004
हैदराबाद				
1.	अनकपाल्ले को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.		15.12.1997	02.08.1999
2.	आरमोर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	26.08.2002		01.10.2002
3.	आर्यन को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	15.01.2002		09.09.2002
4.	बेल्लामपल्ली को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	10.08.2004		
5.	भाग्यनगर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	18.07.2000		28.09.2000
6.	चिपुरपल्ली को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.		11.12.1991	14.11.1996
7.	चिराला को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.			
8.	चोदावरम को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.		26.02.2001	24.09.2001
9.	धाना को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	08.04.2002		16.04.2003
10.	फ्रस्ट सिटी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	05.04.2002		27.08.2002
11.	गुडुर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.		16.10.1998	28.12.1998



परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंकों की सूची (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निरस्तीकरण की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
12.	गुराजला वसावी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	29.07.1987		08.03.1988
13.	हिंदुपुर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	31.05.1989		31.05.1989
14.	जवाहर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	08.05.2002		23.10.2002
15.	कल्याण को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	13.01.2001		
16.	कोलूर पार्वती को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.		04.02.1980	16.04.1980
17.	कृषि को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	16.10.2001	16.10.2001	
18.	कुरनोल को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	08.03.2001		26.07.2002
19.	महालक्ष्मी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	12.01.2004		
20.	मणिकांता को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	07.07.2003		24.07.2003
21.	मेगासिटी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	02.08.2002		09.09.2002
23.	मदर टेरेसा को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	14.10.2002		24.10.2002
24.	नरसारावपेट को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	24.05.2003		16.09.2003
25.	नीलगिरी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	26.09.2003		
26.	निजामाबाद को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	16.09.1999		25.07.2002
27.	पिठापुरम को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	07.11.2002		30.06.2003
28.	प्रजा को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	01.07.2002		21.08.2002
29.	पूडेंसियल को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	03.11.2004		08.12.2004
30.	राजमपेट को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	03.07.2002		30.07.2002
31.	साई को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	22.05.2004		
32.	सितारा को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	06.09.2001		24.10.2002
33.	श्रव्या को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	30.05.2002		30.05.2002
34.	एस.एस.जी. योगेश्वर को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	23.02.2004		
35.	श्री लक्ष्मी महिला को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	01.07.2000		03.10.2000
36.	श्री सत्य साई को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	19.06.2004		
37.	स्टार को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	27.12.2002		19.04.2003
38.	ट्रिनिटी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	28.11.2003		18.12.2003
39.	वसुंधरा को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	01.09.2003		27.09.2003
40.	विजया को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	20.01.2004		14.02.2004
41.	यलम्माचली को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	27.09.1988		28.12.1988
42.	निजामाबाद को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	20.01.2005		20.01.2005
43.	ग्रेटर तेलंगाना को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.	03.12.2004		03.12.2004
44.	वसुंधरा को-ऑप. अर्बन बैंक लिमि.			
	नागपुर			
1.	औरंगाबाद पीपल्स अर्बन को-ऑप. बैंक	13.01.2005		15.01.2005
2.	पतूर पीपल्स अर्बन को-ऑप. बैंक	02.12.2005		06.12.2005
	लखनऊ			
1.	हिंद अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., लखनऊ			29.10.1986
2.	फिरोजाबाद अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., फिरोजाबाद			06.01.2000
3.	औंध सहकारी बैंक लिमि., लखनऊ	25.08.2000	01.07.1999	
4.	फेडरल को-ऑप. बैंक लिमि., घाटमपुर, कानपुर	25.08.2000		28.09.2000
5.	अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., अलाहाबाद	19.12.2001		24.08.2002
6.	अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., टेहरी (उत्तरांचल)	30.03.2002		21.04.2002
7.	इंडियन को-ऑप. डेव्हपमेंट बैंक लिमि., मेरठ	08.06.2004		12.06.2004
8.	नागरिय सहकारी बैंक लिमि., वाराणसी	11.06.2004		18.08.2004
9.	सिटी को-ऑप. बैंक लिमि., लखनऊ	23.10.2004		



परिशिष्ट सारणी IV.3: परिसमापन के अधीन शहरी सहकारी बैंकों की सूची (समाप्त)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निरस्तीकरण की तारीख	भारिबैंक द्वारा लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने की तारीख	आरसीएस द्वारा परिसमापन आदेश देने की तारीख
1	2	3	4	5
मुंबई				
1.	मेट्रोपोलिटियन को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	19.06.1992	19.06.1992	20.06.1992
2.	चेतना को-ऑप. बैंक लिमि.	15.11.1994	15.11.1994	01.12.1994
3.	स्वस्तिक जनता स्टेट बैंक लिमि.	30.09.1994	30.09.1994	14.12.1994
4.	पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., इचलकरंजी	22.09.1994	22.09.1994	19.12.1994
5.	कोल्हापुर जिला जनता सहकारी बैंक लिमि., मुंबई	20.10.1997	20.10.1997	20.12.1997
6.	मफतलाल इंजि.इएमपी. को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	05.03.2002	05.03.2002	
7.	त्रिमुर्ति सहकारी बैंक लिमि., पुणे	07.08.1998	07.08.1998	09.09.1998
8.	विनकर सहकारी बैंक लिमि., मुंबई	18.08.1998	18.08.1998	24.08.1998
9.	आवामी मरकनटाइल, मुंबई	17.10.1998	17.10.1998	06.01.1999
10.	रविकिरण अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	27.11.1998	27.11.1998	15.01.1999
11.	इंदिरा स्टेट बैंक लिमि., मुंबई	23.06.1999	23.06.1999	29.06.1999
12.	नंदगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., नासिक	20.02.1999	20.02.1999	09.06.1999
13.	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लिमि., नासिक	04.08.1999	04.08.1999	27.09.1999
14.	सोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमि., सोलापुर	13.09.1999	13.09.1999	04.06.2000
15.	दादर जनता सहकारी बैंक लिमि., मुंबई	16.12.1997	16.12.1997	26.02.1998
16.	इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लिमि., कोल्हापुर	29.12.1999	29.12.1999	22.05.2000
17.	खेड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., रत्नागिरी	21.06.2000	21.06.2000	13.10.2000
18.	मराठा मार्केट पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	15.05.2000	15.05.2000	14.08.2000
19.	मिरा भाईंदर को-ऑप. बैंक लिमि., ठाणे	01.02.2001	01.02.2001	28.02.2002
20.	फ्रेडस को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	20.07.2001	20.07.2001	08.08.2001
21.	वेस्टर्न को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	31.10.2001	30.10.2001	20.12.2001
22.	श्री आदिनाथ को-ऑप. बैंक लिमि., पुणे	22.06.2002	22.06.2002	28.06.2002
23.	श्री लाभ को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	06.08.2002	06.08.2002	13.08.2002
24.	कलवा बेलापुर स्टेट बैंक लिमि., नवी मुंबई	10.08.2002	10.08.2002	22.08.2002
25.	सेवालाल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि., सोलापुर	04.12.2002	04.12.2002	12.12.2002
26.	प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लिमि., जलगांव	25.02.2003	25.02.2003	04.03.2003
27.	यशवंत सहकारी बैंक लिमि., मुंबई	04.02.2003	04.02.2003	07.03.2003
28.	सोलापुर मर्चेन्ट को-ऑप. बैंक लिमि., सोलापुर	20.06.2003	20.06.2003	03.07.2003
29.	लार्ड बालाजी को-ऑप. बैंक लिमि., सांगली	03.09.2004	03.09.2004	09.09.2004
30.	समस्तनगर को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	09.09.2004	09.09.2004	15.09.2004
31.	जय हिंद को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	28.10.2004	28.10.2004	03.01.2005
32.	रघुवंशी को-ऑप. बैंक लिमि., मुंबई	17.03.2005	17.03.2005	19.03.2005
पटना				
1.	पटना अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	15.04.1976		19.04.1976
2.	द बेगुसराय अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	22.04.2002		27.05.2002
3.	दि पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमि.	22.04.2002		27.05.2002
4.	दि मधेपुरा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	22.04.2002		27.05.2002
5.	नालंदा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.		10.06.2002	22.07.2002
नई दिल्ली				
1.	दि परिषद को-ऑप. बैंक लिमि.	30.07.1999		05.08.1999
2.	दि फार्मर्स को-ऑप. बैंक लिमि.	07.02.2000		08.03.2000
3.	जय लक्ष्मी को-ऑप. बैंक लिमि.	15.10.2004		20.10.2004
तिरुवनन्तपुरम				
1.	कंधरा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	29.11.1990		28.04.1991
2.	पनुर को-ऑप. बैंक लिमि.	26.09.1975		29.07.1976
3.	पुनलुर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमि.	26.09.1975		30.12.1976
परिसमापन के अधीन कुल शहरी सरकारी बैंक = 214				



परिशिष्ट सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों के अनुपात के रूप में वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक (जारी)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालन लाभ		निवल लाभ		ब्याजगत आय	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एपी महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.03	1.50	1.20	0.96	9.36	8.54
2.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.77	0.66	0.71	0.05	8.85	2.08
3.	अहमदाबाद मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.89	1.91	0.65	0.52	8.78	7.07
4.	अकोला- जनता कर्मशियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.86	1.31	0.84	0.34	9.02	8.55
5.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.97	0.46	0.66	0.27	11.63	8.16
6.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.27	उ.न.	0.27	उ.न.	6.46	उ.न.
7.	बसिन कॅथलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.53	2.51	1.55	2.06	9.01	8.87
8.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	2.36	1.96	1.01	1.06	9.38	8.62
9.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	2.34	1.18	0.62	0.26	8.13	8.50
10.	बाम्बे मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.41	0.64	1.29	0.08	4.28	3.75
11.	चारमीनार को. ऑप. शहरी बैंक लिमिटेड	0.91	उ.न.	-0.76	उ.न.	4.06	उ.न.
12.	सिटीजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.03	1.08	0.95	1.07	6.86	7.04
13.	को. ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद	-0.36	0.65	-4.69	0.51	6.54	7.26
14.	कॉसमॉस को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.44	1.53	2.24	1.10	8.48	7.39
15.	डोंबिवली नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.97	2.23	0.81	0.88	9.37	7.79
16.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.19	0.64	0.60	0.60	7.29	7.88
17.	ग्रेटर बाम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.54	1.27	1.19	0.90	6.85	7.08
18.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.87	उ.न.	0.37	उ.न.	8.51	उ.न.
19.	इंडियन मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.16	3.41	2.16	2.96	8.80	9.22
20.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.50	0.25	0.34	0.03	8.22	8.43
21.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	1.68	-0.96	0.41	-2.87	7.38	7.11
22.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.51	4.41	0.63	0.74	10.17	12.07
23.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.44	0.70	0.32	0.18	5.40	7.36
24.	कालुपूर कर्मशियल को-ऑप बैंक लिमिटेड	3.46	1.28	1.14	1.08	8.27	5.40
25.	कल्याण जनता सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.98	1.63	0.77	0.85	6.91	6.96
26.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.30	2.96	0.93	0.32	7.91	7.03
27.	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.26	0.27	0.35	0.07	8.74	7.97
28.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.63	0.93	0.07	-0.30	12.06	7.93
29.	माधवपुरा मर्केटाइल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	-1.74	0.28	-1.74	0.27	0.97	1.43
30.	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.01	0.84	0.76	0.59	9.30	8.68
31.	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.90	0.69	0.53	0.27	8.89	7.99
32.	मापुसा अर्बन को.-ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड	-3.56	-4.06	-3.90	-4.95	2.98	2.79
33.	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.11	1.07	0.90	0.92	11.24	8.66
34.	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.66	0.90	0.73	0.23	9.77	9.01
35.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.42	0.52	0.54	0.21	8.53	7.29
36.	नासिक मर्चेन्ट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.52	3.13	0.79	1.09	8.52	9.20
37.	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.38	1.54	1.87	1.37	8.57	8.01
38.	नार्थ केनरा जी.एस.बी. को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.89	1.99	1.15	1.06	8.79	7.85
39.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.36	1.54	1.66	0.91	8.24	7.07
40.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	3.29	2.25	1.71	1.13	8.20	7.79
41.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	2.12	0.99	0.39	0.00	10.48	10.21
42.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.64	1.35	1.10	0.96	8.90	8.89
43.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.17	0.61	1.06	0.57	6.17	5.55
44.	रूपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.23	-1.82	-1.51	-2.34	5.37	4.30
45.	सांगली अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.26	-0.93	0.33	-1.06	7.99	7.64
46.	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.32	0.40	1.04	0.07	6.76	1.40
47.	सरदार भिलाडवाला पारदी पोपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.72	2.55	1.25	0.63	8.86	8.31
48.	शामराव विट्टल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.62	1.62	0.96	0.84	9.25	8.73
49.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.87	0.66	0.73	-0.77	7.69	7.89
50.	सोलापूर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.08	0.71	0.54	0.33	10.94	9.04
51.	सूरत पोपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.15	2.57	1.29	0.94	9.32	9.01
52.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	1.90	1.97	0.80	0.83	8.11	8.87
53.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.19	2.00	1.45	1.35	9.01	8.41
54.	वासवी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.84	उ.न.	1.84	उ.न.	10.52	उ.न.
55.	जोरास्ट्रीयन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.64	2.33	0.44	1.02	8.83	8.34
	कुल	1.78	0.94	0.62	0.32	7.29	5.98

परिशिष्ट सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों के अनुपात के रूप में वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक (जारी)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान और आकस्मिक व्यय	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	9	10	11	12
1.	ए पी महेश को-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	5.65	5.26	0.83	0.54
2.	अभ्युदय को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.33	0.91	4.05	0.60
3.	अहमदाबाद मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	4.46	3.45	2.24	1.40
4.	अकोला जनता कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.94	6.58	1.02	0.96
5.	अकोला अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	10.47	6.70	1.31	0.20
6.	अमानत को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.95	उ.न.	0.00	उ.न.
7.	बसिन कॅथलिक को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.84	5.20	0.98	0.45
8.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	5.11	4.54	1.35	0.90
9.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	6.64	6.61	1.72	0.92
10.	बाम्बे मर्केटाइल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.03	2.70	0.12	0.56
11.	चारमीनार को-ऑप. शहरी बैंक लिमिटेड	2.12	उ.न.	1.67	उ.न.
12.	सिटीजन क्रेडिट को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.87	4.66	0.08	0.01
13.	को. ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद	4.36	4.05	4.33	0.14
14.	कॉसमॉस को-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.14	4.81	1.20	0.43
15.	डॉबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.00	4.47	2.16	1.35
16.	गोवा अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.27	4.52	0.59	0.04
17.	ग्रेटर बाम्बे को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.18	4.84	1.35	0.36
18.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.28	उ.न.	0.51	उ.न.
19.	इंडियन मर्केटाइल को-ऑप. बैंक लिमि.	5.66	4.78	0.00	0.45
20.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.36	5.78	0.16	0.20
21.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	7.11	6.83	1.27	1.90
22.	जनलक्ष्मी को-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.10	6.98	1.88	3.67
23.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.05	5.88	0.12	0.52
24.	कालुपूर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.94	3.33	2.32	0.20
25.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.61	4.33	1.20	0.78
26.	कपोल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.40	4.88	0.37	2.64
27.	कपोल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.43	5.33	0.91	0.15
28.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	10.80	5.83	0.55	1.23
29.	माधवपुरा मर्केटाइल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.50	2.79	0.00	0.00
30.	महानगर को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.55	4.80	1.25	0.25
31.	मांडवी को-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.51	5.61	0.37	0.39
32.	मापुसा अर्बन को-ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड	4.54	5.01	0.34	0.89
33.	मेहसाना अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.81	7.13	1.21	0.15
34.	नगर अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.45	6.41	1.93	0.67
35.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.21	5.25	1.89	0.12
36.	नासिक मर्चेट को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.46	5.02	1.74	2.03
37.	न्यू इंडिया को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.33	3.76	0.51	0.17
38.	नार्थ केनरा जीएस बी को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.88	4.87	0.74	0.40
39.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.86	4.16	0.70	0.63
40.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.40	3.96	1.58	0.84
41.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	8.07	7.66	1.73	0.87
42.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.96	5.95	0.53	0.39
43.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.71	3.89	1.11	0.04
44.	रूपी को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.63	4.90	1.74	0.49
45.	सांगली को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.52	6.00	0.93	0.14
46.	सारस्वत को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.12	0.92	1.28	0.33
47.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.15	4.63	1.47	1.91
48.	शामराव विडुल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.84	5.20	1.66	0.78
49.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.56	5.96	1.13	1.42
50.	सोलापूर सहकारी बैंक लिमिटेड	6.85	6.70	1.54	0.38
51.	सूरत पीपल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.02	4.49	1.86	1.60
52.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	5.98	5.37	1.10	1.14
53.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.36	4.62	0.74	0.52
54.	वासवी को-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	6.37	उ.न.	0.00	उ.न.
55.	जोरास्ट्रीयन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.88	4.66	2.20	1.29
	कुल	5.16	4.08	1.16	0.60

परिशिष्ट सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों के अनुपात के रूप में वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालन व्यय		व्याप्ति (अंतर)	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	13	14	15	16
1.	एपी महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.74	7.82	3.71	3.29
2.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.63	1.56	4.52	1.17
3.	अहमदाबाद मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	1.66	5.41	4.33	3.62
4.	अकोला-जनता कमर्शियल बैंक लिमिटेड	5.15	8.36	2.09	1.97
5.	अकोला अर्बन सह-बैंक लिमिटेड	1.38	8.08	1.16	1.46
6.	अमानत सह-बैंक लिमिटेड	2.40	उ.न.	0.50	उ.न.
7.	बसिन कॅथलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.63	6.82	3.16	3.67
8.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	2.76	7.21	4.27	4.08
9.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	1.68	8.23	1.50	1.89
10.	बाम्बे मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.12	4.84	1.25	1.05
11.	चारमीनार को. ऑप. शहरी बैंक लिमिटेड	1.19	उ.न.	1.94	उ.न.
12.	सिटीजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.56	6.38	1.99	2.38
13.	को. ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद	2.86	6.80	2.18	3.21
14.	कॉसमॉस को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.75	6.48	2.34	2.58
15.	डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.64	6.21	4.37	3.32
16.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.92	7.69	2.02	3.37
17.	ग्रेटर बाम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.35	6.93	1.67	2.24
18.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.10	उ.न.	1.23	उ.न.
19.	इंडियन मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमि.	2.63	6.84	3.15	4.44
20.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.75	8.42	1.86	2.65
21.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	1.82	8.99	0.27	0.28
22.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.69	8.45	3.07	5.09
23.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.43	7.80	0.34	1.48
24.	कालुपूर कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड	1.20	5.65	4.33	2.07
25.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.70	6.13	2.30	2.63
26.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.69	7.95	2.50	2.15
27.	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.12	8.05	2.31	2.64
28.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.64	7.51	1.25	2.10
29.	माधवपुरा मर्केटाइल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.22	3.11	-1.54	-1.36
30.	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.93	8.27	3.75	3.88
31.	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.20	7.88	2.38	2.38
32.	मापुसा अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.29	7.14	-1.56	-2.22
33.	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.66	8.13	3.43	1.53
34.	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.94	8.57	2.31	2.60
35.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.06	7.61	2.32	2.04
36.	नासिक मर्चेन्ट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.88	7.25	3.07	4.17
37.	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.14	6.88	4.24	4.25
38.	नार्थ केनरा जोएस बी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.78	6.47	2.91	2.98
39.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.73	6.83	3.38	2.91
40.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.63	5.99	3.80	3.83
41.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	1.89	9.65	2.41	2.54
42.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.29	8.31	2.93	2.94
43.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.09	4.94	1.46	1.66
44.	रूपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.30	6.33	-0.26	-0.61
45.	सांगली अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.42	8.95	2.47	1.64
46.	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.95	1.45	2.64	0.48
47.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.80	6.67	3.71	3.68
48.	शामराव विट्टल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.25	7.82	3.41	3.53
49.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.45	7.50	1.13	1.93
50.	सोलापूर सहकारी बैंक लिमिटेड	2.28	8.64	4.10	2.34
51.	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.28	6.98	4.30	4.53
52.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	1.68	7.33	2.12	3.50
53.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.19	6.79	3.65	3.79
54.	वासवी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.32	उ.न.	4.15	उ.न.
55.	जोरास्ट्रीयन को- ऑप. बैंक लिमिटेड	1.63	6.19	3.95	3.68
	कुल	1.94	5.76	2.13	1.90

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।



परिशिष्ट सारणी IV.5: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड
(31 मार्च 2005)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सीआरएआर	ब्याज आय/कार्यशील निधि	ब्याज रहित आय/कार्यशील निधि	परिचालन आय/कार्यशील निधि	परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	जमाराशियों का औसतन मूल्य	कारोबार प्रति कर्मचारी (लाख रुपए)	लाभ/कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	41.74	0.05	0.01	0.03	0.01	5.40	1.91	0.02
2.	अहमदाबाद मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	62.65	21.95	21.95	11.60	0.01	6.40	1.38	0.01
3.	अकोला-जनता कमर्शियल बैंक लिमिटेड	11.21	0.02	0.01	0.01	0.00	8.01	1.51	0.00
4.	अकोला अर्बन सह-बैंक लिमिटेड	10.84	0.01	0.00	0.00	0.00	8.18	2.33	0.00
5.	अमानत सह-बैंक लिमिटेड	6.75	0.00	0.00	-0.03	0.06	6.90	1.31	0.06
6.	आंध्र प्रदेश सहकारी अर्बन बैंक लिमि.	44.78	1,630.73	402.59	744.90	0.01	7.43	1.07	0.01
7.	बसिन कंथालिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	29.13	0.04	0.00	0.03	0.02	6.53	2.55	0.05
8.	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	16.50	0.04	0.01	0.02	0.01	5.91	2.53	0.02
9.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	12.36	0.02	0.01	0.01	0.00	8.00	1.78	0.02
10.	बाम्बे मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-16.66	0.02	0.03	0.01	0.00	4.87	0.94	0.00
11.	सिटीजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	17.35	1,920.45	329.85	874.34	0.01	5.14	2.95	0.03
12.	को-ऑप बैंक ऑफ अहमदाबाद लिमि.	-36.89	0.04	0.00	0.01	0.01	5.84	1.30	0.01
13.	कॉसमॉस को. ऑप. बैंक लिमिटेड	17.19	0.03	0.01	0.02	0.01	6.84	3.49	0.03
14.	डॉंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	14.53	0.04	0.01	0.02	0.01	5.92	2.55	0.02
15.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	16.55	0.04	0.00	0.01	0.01	5.76	1.70	0.01
16.	ग्रेटर बाम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	12.54	0.02	0.01	0.01	0.02	7.12	4.64	0.03
17.	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	12.32	0.02	0.01	0.01	0.00	8.03	1.61	0.36
18.	इंडियन मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमि.	20.72	734.17	169.71	563.24	0.03	5.57	1.11	0.09
19.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	10.06	0.03	0.03	0.00	0.00	7.71	1.59	0.05
20.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	6.96	0.00	0.01	-0.01	0.03	7.47	3.97	-0.08
21.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	14.11	0.06	0.00	0.05	0.01	7.92	1.05	0.01
22.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	-11.94	0.01	0.01	0.01	0.00	6.63	2.45	0.00
23.	कालुपुर कमर्शियल बैंक लिमिटेड	45.02	0.02	0.02	0.01	0.01	7.01	2.68	0.04
24.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	12.80	0.03	0.01	0.02	0.01	5.92	2.20	0.03
25.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	14.43	0.02	0.04	0.03	0.00	6.05	0.42	0.00
26.	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	13.08	0.03	0.00	0.00	0.00	6.81	1.13	0.00
27.	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	9.14	0.02	0.01	0.00	34.19	13.43	1.55	0.00
28.	माधवपुरा मर्केटाइल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	-1,141.43	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
29.	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	16.46	0.04	0.00	0.01	0.01	6.26	1.61	0.01
30.	माडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	12.30	1,533.55	379.22	449.91	0.00	6.72	3.28	0.01
31.	मापुसा अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	-51.42	-0.03	0.00	-0.06	0.00	6.46	1.16	0.00
32.	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	14.46	8.78	3.15	6.18	0.01	9.33	306.94	0.02
33.	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	10.65	0.03	0.00	0.00	0.00	7.74	1.87	0.00
34.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	12.44	0.02	0.01	0.01	0.00	6.37	1.54	0.00
35.	नासिक मर्चेण्ट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	31.71	0.04	0.01	0.03	0.01	6.76	1.00	0.01
36.	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	42.07	0.04	0.00	0.02	0.02	4.90	1.86	0.03
37.	नार्थ केनरा जीएस बी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	13.80	0.03	0.00	0.02	0.01	6.08	0.03	0.03
38.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	46.53	0.03	0.01	0.02	0.01	6.26	1.55	0.01
39.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	27.15	0.04	0.00	0.02	0.00	5.06	1.92	0.14
40.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	8.39	0.03	0.00	0.00	0.13	8.80	1.48	0.00
41.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	13.45	0.03	0.03	0.00	0.01	7.31	2.83	0.02
42.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	30.35	0.02	0.00	0.01	0.01	6.75	2.58	0.02
43.	रूपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	-54.14	-0.01	0.00	0.00	0.03	7.49	2.15	-0.05
44.	सांगली अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	9.74	6.92	1.62	3.91	0.00	7.80	0.69	0.00
45.	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	15.23	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
46.	सरदार भिलाडवाला पारदी पोपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	45.91	0.04	0.01	0.03	0.01	7.17	1.54	0.01
47.	शामराव विट्टल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	12.77	0.04	0.01	0.02	0.01	6.79	4.36	0.03
48.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.70	0.02	0.00	0.01	0.00	7.49	2.26	0.00
49.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	10.72	0.02	0.00	0.01	0.00	8.51	1.77	0.00
50.	सूरत पोपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	28.00	0.05	0.01	0.03	0.01	6.08	2.12	0.05
51.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	13.78	0.04	0.00	0.02	0.01	6.62	2.06	0.01
52.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	20.29	0.04	0.00	0.02	0.02	5.87	3.54	0.04
53.	जोरास्ट्रीयन को- ऑप. बैंक लिमिटेड	19.94	0.04	0.00	0.02	0.01	5.86	3.33	0.06

उ.न. : उपलब्ध नहीं



परिशिष्ट सारणी IV.6: राज्य सहकारी बैंकों का राज्यवार कार्यकारी परिणाम

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	लाभ / हानि		कुल एनपीए (मार्च के अंत में)		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां (मार्च के अंत में)		मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत (जून के अंत में)	
		2002-03	2003-04	2003	2004	2003	2004	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखिल भारतीय	469.79	373.25	6,293.70	6,525.71	18.11	18.59	79.56	83.00
1.	अंदमान और निकोबार	1.39	1.74	11.72	16.32	22.70	25.96	66.62	87.87
2.	आंध्र प्रदेश	3.00	4.16	1,668.52	1,374.84	36.81	30.67	45.96	73.82
3.	अरुणाचल प्रदेश	-0.51	-3.43	40.84	73.34	73.73	71.98	19.32	29.82
4.	असम	-22.87	-13.99	182.96	199.00	67.97	67.49	24.69	31.55
5.	बिहार	1.26	114.02	365.37	254.55	67.65	51.95	20.20	51.49
6.	चंडीगढ़	2.34	1.60	3.79	3.88	37.10	37.18	61.95	58.08
7.	छत्तीसगढ़	0.90	4.45	13.96	25.89	8.64	27.31	87.32	78.95
8.	दिल्ली	16.16	12.95	28.44	29.09	19.14	17.70	74.70	52.31
9.	गोवा	0.21	5.16	91.13	79.65	28.26	24.76	65.73	65.94
10.	गुजरात	4.19	4.81	127.29	125.75	5.89	6.45	91.29	85.60
11.	हरियाणा	39.67	29.29	13.54	10.83	0.74	0.59	99.50	99.63
12.	हिमाचल प्रदेश	17.64	19.89	66.81	69.86	15.96	11.22	68.88	71.93
13.	जम्मू और कश्मीर	1.22	4.58	13.68	15.41	21.76	23.50	43.04	38.22
14.	कर्नाटक	10.55	2.78	173.15	207.44	10.37	11.99	85.60	82.20
15.	केरल	6.12	5.05	92.61	155.65	7.49	13.93	94.50	95.49
16.	मध्य प्रदेश	1.59	1.84	159.89	195.66	9.62	11.56	93.76	91.62
17.	महाराष्ट्र	271.91	31.93	2,371.87	2,733.22	26.63	32.41	68.66	68.59
18.	मणिपुर	-0.01	0.47	13.62	13.09	65.66	55.35	8.91	26.65
19.	मेघालय	2.99	0.70	20.02	22.36	22.36	24.14	38.97	31.10
20.	मिजोरम	0.22	0.69	10.85	16.91	22.99	25.55	54.40	54.13
21.	नागालैंड	-3.85	-1.77	21.64	21.40	56.62	56.72	52.29	55.11
22.	उड़ीसा	10.37	13.47	167.60	155.39	16.61	14.14	78.01	82.93
23.	पांडिचेरी	1.77	1.96	8.17	17.32	8.55	18.15	78.21	79.77
24.	पंजाब	21.01	31.35	61.16	60.56	2.81	2.68	95.38	96.13
25.	राजस्थान	15.04	17.55	37.85	26.98	3.40	2.20	95.46	83.37
26.	सिक्किम	0.24	0.70	0.13	0.54	1.87	7.23	76.06	76.06
27.	तमिलनाडु	15.75	19.41	21.39	135.56	1.10	7.04	97.36	92.16
28.	त्रिपुरा	-1.84	-1.02	40.40	52.35	35.69	43.19	35.44	44.87
29.	उत्तर प्रदेश	27.28	27.36	393.97	344.27	14.70	12.29	70.55	71.81
30.	उत्तरांचल	-	0.04	-	-	-	-	-	-
31.	पश्चिम बंगाल	26.74	35.50	71.30	88.60	5.28	6.52	84.79	86.85

टिप्पणी : 1. 2004 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

2. 2003 के वसूली संबंधी आंकड़े को सिक्किम और तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंकों के संबंध में 2004 में दोहराया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.7: मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	अखिल भारतीय / राज्य	2002-03					2003-04					2003			2004		
		जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (सं.)	लाभ		हानि		जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (सं.)	लाभ		हानि		कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए	जून के अंत में वसूली (प्रतिशत)	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए	जून के अंत में वसूली (प्रतिशत)
			संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	अखिल भारत	367	243	742.05	122	953.56	365	263	858.11	102	758.48	13,880.65	21.61	61.09	15,479.07	23.24	62.25
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	10	28.25	12	98.52	22	17	68.68	5	25.02	1,580.22	25.28	33.00	1,725.56	28.54	49.18
2.	बिहार	24	9	8.81	13	32.76	22	11	10.85	11	12.72	361.17	64.27	24.45	386.58	63.79	37.43
3.	छत्तीसगढ़	7	-	-	7	48.41	6	5	13.17	1	2.00	288.07	37.74	65.52	192.41	31.25	59.25
4.	गुजरात	18	14	46.30	4	68.59	18	14	52.69	4	62.96	914.45	18.00	62.70	1,001.88	20.76	66.58
5.	हरियाणा	19	17	29.13	2	3.39	19	19	57.96	-	-	148.75	4.18	78.26	210.50	5.45	77.11
6.	हिमाचल प्रदेश	2	2	67.26	-	-	2	2	86.70	-	-	36.40	5.30	79.36	44.10	5.33	85.92
7.	जम्मू और कश्मीर	3	-	-	3	10.83	3	-	-	3	5.28	65.77	29.21	36.13	69.47	26.54	41.33
8.	झारखंड	8	2	1.77	6	8.13	8	3	3.04	5	10.48	124.42	72.56	18.77	130.98	68.69	19.26
9.	कर्नाटक	21	11	23.89	10	62.64	21	14	35.50	7	71.08	876.50	23.80	62.32	1,037.35	27.49	53.17
10.	केरल	14	12	19.38	2	11.60	14	13	38.55	1	6.32	776.69	20.95	76.58	774.60	17.76	80.34
11.	मध्य प्रदेश	38	24	25.45	14	92.80	38	24	36.90	14	72.02	901.30	27.68	61.37	993.68	28.87	64.53
12.	महाराष्ट्र	30	22	178.59	8	309.67	31	21	115.54	10	267.54	4,019.58	25.02	51.57	4,955.62	30.10	48.20
13.	उड़ीसा	17	13	10.12	4	6.36	17	15	13.93	2	0.29	436.43	23.96	51.61	419.11	21.34	56.87
14.	पंजाब	19	19	84.90	-	-	19	19	105.04	-	-	246.89	5.98	88.88	307.47	7.0	90.11
15.	राजस्थान	26	23	33.33	3	3.21	26	24	46.98	2	1.14	280.22	13.53	75.06	301.25	13.30	76.32
16.	तमिलनाडु	23	11	71.06	12	131.21	23	11	67.87	12	132.90	1418.41	20.06	63.68	1,418.41	20.06	63.68
17.	उत्तर प्रदेश	50	29	60.80	21	64.26	50	26	47.71	24	88.56	1,139.13	33.28	52.78	1,210.10	33.69	53.84
18.	उत्तरांचल	9	9	24.06	-	-	9	9	26.33	-	-	43.27	9.56	80.85	57.29	9.71	82.80
19.	पश्चिम बंगाल	17	16	28.95	1	1.18	17	16	30.68	1	0.18	223.00	17.90	78.04	242.91	16.71	70.13

टिप्पणी: 1. 2004 के आंकड़े अनंतिम।

2. 2003 के एनपीए के आंकड़े को केरल और तमिलनाडु में स्थित जिला सहकारी बैंकों के प्रति 2004 में दोहराया गया है।

3. 2003 के वसूली संबंधी आंकड़े को तमिलनाडु जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए 2004 में दोहराया गया है।

4. माधवपुरा सौपाल और दरभंगा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.8: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	आखिल भारतीय / राज्य	शाखाओं की संख्या	लाभ/हानि		कुल एनपीए		बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में एनपीए		वसूली (प्रतिशत) (जून के अंत में)	
			2004	2002-03	2003-04	2003	2004	2003	2004	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	अखिल भारत	865	-101.46	-113.59	3,218.85	4,336.55	20.96	26.75	48.68	44.37
1.	आसाम *	33	-2.12	-0.73	16.86	16.50	100.00	98.68	8.99	7.17
2.	बिहार *	151	-21.08	-16.27	106.50	102.07	83.30	83.73	6.40	18.43
3.	छत्तीसगढ़ @	2	2.98	0.24	10.73	3.96	6.50	1.96	31.13	44.78
4.	गुजरात *	181	-1.84	18.38	326.00	363.56	47.45	57.28	33.35	40.34
5.	हरियाणा @	-	9.11	10.17	-	-	-	-	88.08	90.08
6.	हिमाचल प्रदेश #	33	0.92	1.34	51.22	52.20	26.90	24.65	56.23	56.73
7.	जम्मू और कश्मीर*	45	-3.57	-2.96	12.91	10.12	46.85	43.13	42.96	35.57
8.	कर्नाटक @	23	-31.96	-77.86	579.54	650.60	44.51	48.77	22.44	17.91
9.	केरल @	14	10.42	11.26	74.92	92.92	5.10	6.28	79.83	82.30
10.	मध्य प्रदेश @	7	1.38	1.53	98.91	101.13	9.19	8.19	43.57	42.92
11.	महाराष्ट्र @	-	-92.08	-73.04	455.44	685.71	44.68	65.56	24.70	34.31
12.	मणिपुर *	1	-0.91	उ.न.	0.68	0.68	100.00	100.00	2.08	2.08
13.	उड़ीसा @	5	-8.68	-6.97	101.24	106.29	89.91	87.47	6.68	8.85
14.	पॉण्डेचरी *	1	-0.22	-0.26	3.00	3.11	33.17	35.61	60.43	63.58
15.	पंजाब @	-	20.75	39.32	-	-	-	-	88.32	100.00
16.	राजस्थान @	7	8.91	5.18	87.17	170.56	7.28	13.23	45.92	50.27
17.	तमिलनाडु @	20	-0.42	-32.14	556.27	713.56	43.94	56.62	33.45	27.51
18.	त्रिपुरा *	5	-1.02	-0.26	7.75	7.34	63.84	55.60	40.34	55.47
19.	उत्तर प्रदेश *	335	6.66	6.68	653.16	1,148.88	21.79	35.43	68.23	40.08
20.	पश्चिम बंगाल #	2	1.31	2.80	76.55	107.37	16.34	20.85	61.52	52.94

* : एकल संरचना

@ : संघीय संरचना

: संमिश्र संरचना

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : 1. 2004 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. 2003 के अनर्जक आस्तियों संबंधी आंकड़े को मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में 2004 में दोहराया गया है।

3. 30 जून 2003 के जिला सहकारी बैंक की स्थिति का मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में 2004 में दोहराया गया है।

4. पश्चिम बंगाल के जिला सहकारी बैंक की स्थिति 31 मार्च 2004 के अनुसार है।

स्रोत : नाबार्डी।

परिशिष्ट सारणी IV.9: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रूप में)

क्र. सं.	आखिल भारतीय/राज्य	2002-03				2003-04				2003			2004		
		लाभ		हानि		लाभ		हानि		कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए	मांग की वसूली का प्रतिशत जून के अंत में	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए	मांग की वसूली का प्रतिशत जून के अंत में
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	अखिल भारत	208	52.43	560	369.37	281	75.56	430	326.00	3,569.26	33.02	43.80	3,975.64	35.05	43.90
1.	छत्तीसगढ़	1	0.49	11	3.46	5	1.70	7	2.54	30.76	20.40	63.50	28.16	15.50	63.30
2.	हरियाणा	6	6.06	80	56.36	40	7.97	46	20.03	472.99	29.30	63.20	524.68	29.50	69.00
3.	हिमाचल प्रदेश	-	-	1	0.54	1	1.59	-	-	20.94	35.60	63.30	17.35	27.80	68.20
4.	कर्नाटक	21	1.76	156	72.06	22	3.45	155	103.57	481.57	40.40	26.10	560.35	51.90	17.30
5.	केरल	16	5.75	28	26.03	15	3.53	25	26.45	391.23	26.40	51.30	503.87	34.00	44.40
6.	मध्य प्रदेश	10	0.85	28	17.05	15	3.05	23	21.66	168.92	17.10	56.40	203.93	17.70	55.80
7.	महाराष्ट्र	1	1.17	28	111.20	2	1.33	27	96.78	524.96	76.60	21.60	535.39	83.80	14.60
8.	उड़ीसा	7	-	46	6.35	-	-	-	-	53.47	74.20	22.90	53.47	74.20	28.70
9.	पंजाब	69	18.48	18	12.50	87	40.02	-	-	391.83	23.30	66.30	353.36	19.60	73.60
10.	राजस्थान	23	9.67	13	14.18	22	6.17	14	22.41	361.08	29.50	25.40	470.88	36.30	34.40
11.	तमिलनाडु	47	4.43	134	44.89	57	3.62	124	31.81	565.91	45.20	36.30	618.60	51.50	30.10
12.	पश्चिम बंगाल	7	3.77	17	4.75	15	3.13	9	0.75	105.60	25.70	52.60	105.60	22.90	52.60

टिप्पणी : 1. 2004 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. 2003 के लिए एनपीए आंकड़े को उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल की प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए 2004 में दोहराया गया है।

3. 2003 में जिला सहकारी आंकड़े को केरल, पश्चिम बंगाल की प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संबंध में 2005 में दोहराया गया है।

4. केरल में 4 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और उड़ीसा में 53 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी IV.10: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियों और संवितरणों की राज्य-वार स्थिति (जारी)

(31 मार्च 2005 को)

(राशि करोड़ रूप में)

अखिल भारत / राज्य	ग्राबुसुविनि I		ग्राबुसुविनि II		ग्राबुसुविनि III		ग्राबुसुविनि IV		ग्राबुसुविनि V		ग्राबुसुविनि VI	
	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारत	1,910.54	1,760.87	2,658.88	2,397.95	2,717.71	2,453.50	2,904.03	2,367.03	3,504.41	2,875.33	4,539.05	3,638.07
दक्षिणी क्षेत्र	495.65	460.18	865.14	779.79	751.51	672.78	701.84	634.50	925.81	840.51	1,291.26	1,129.08
आंध्र प्रदेश	227.09	215.13	337.23	307.71	281.53	251.61	286.82	271.54	380.00	350.47	561.27	503.51
कर्नाटक	172.63	158.79	195.21	180.08	171.29	161.75	172.34	166.54	173.18	164.22	301.08	269.70
केरल	95.93	86.26	86.91	73.14	89.29	73.87	64.00	53.42	126.77	110.46	175.87	133.70
तमिलनाडु	-	-	245.79	218.86	209.40	185.55	178.68	143.00	245.86	215.36	253.04	222.17
पश्चिमी क्षेत्र	344.56	322.19	358.66	318.81	408.05	380.81	425.83	374.05	599.12	500.20	1,013.01	711.66
गोवा	6.85	6.85	-	-	-	-	8.93	8.70	-	-	19.09	8.97
गुजरात	150.90	145.47	127.00	114.34	153.74	134.86	114.92	90.61	248.84	174.28	554.75	383.97
महाराष्ट्र	186.81	169.87	231.66	204.47	254.31	245.95	301.98	274.74	350.28	325.92	439.17	318.72
उत्तरी क्षेत्र	231.08	216.96	328.02	306.27	408.64	360.96	408.75	341.16	544.95	484.09	841.23	753.65
हरियाणा	26.70	19.33	61.06	62.16	74.24	62.43	53.46	47.85	90.09	74.60	67.03	58.94
हिमाचल प्रदेश	14.23	14.23	52.96	52.83	51.12	49.43	87.81	78.61	109.19	104.70	128.45	118.77
जम्मू और कश्मीर	6.14	6.04	-	-	35.95	24.35	107.47	94.90	110.88	100.56	161.52	134.67
पंजाब	60.50	60.50	62.50	62.05	88.85	84.77	96.00	73.12	102.79	91.28	230.48	196.20
राजस्थान	123.51	116.86	151.50	129.23	158.48	139.98	64.01	46.68	132.00	112.95	253.75	245.07
मध्यवर्ती क्षेत्र	536.16	496.92	740.92	645.79	693.55	653.63	767.72	606.23	616.88	521.00	591.37	461.76
छत्तीसगढ़	79.12	77.91	9.80	5.64	57.07	57.99	65.32	61.41	34.09	30.14	50.86	41.87
मध्य प्रदेश	161.32	137.12	239.47	233.03	200.32	204.06	176.63	151.06	228.87	196.12	292.79	213.94
उत्तर प्रदेश	295.72	281.89	491.65	407.12	414.48	389.15	474.97	387.29	348.94	294.74	247.72	205.95
उत्तरांचल	-	-	-	-	21.68	2.43	50.80	6.47	4.98	-	-	-
पूर्वी क्षेत्र	294.19	256.52	302.85	285.85	432.83	362.51	482.13	309.90	448.33	265.74	520.09	389.08
बिहार	22.17	12.63	-	-	57.96	26.93	-	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	4.35	2.48	118.50	-	91.42	-	-	-
उड़ीसा	169.50	162.05	147.03	141.03	199.98	172.04	149.89	116.44	134.62	90.23	106.86	71.54
पश्चिम बंगाल	102.52	81.84	155.82	144.82	170.54	161.06	213.74	193.46	222.29	175.51	413.23	317.54
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	8.90	8.10	63.29	61.44	23.13	22.81	117.76	101.19	369.32	263.79	282.09	192.84
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	25.10	20.40	88.50	72.52
असम	-	-	63.29	61.44	16.07	15.75	64.72	50.08	185.77	114.45	49.57	44.31
मणिपुर	1.75	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	8.33	-
मेघालय	3.39	3.39	-	-	7.06	7.06	9.33	9.21	35.10	30.73	30.49	25.66
मिजोरम	2.38	2.37	-	-	-	-	-	-	54.17	53.35	3.76	3.76
नगालैण्ड	1.38	1.38	-	-	-	-	0.72	-	16.52	14.40	61.49	27.56
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	21.70	21.27	43.94	21.73	35.40	14.49
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	21.29	20.63	8.72	8.73	4.55	4.54

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.10: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियों और संवितरणों की राज्य-वार स्थिति (समाप्त)
(31 मार्च 2005 को)

(राशि करोड़ रूप में)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2004-05

अखिल भारत / राज्य	ग्राबुसुविनि VII		ग्राबुसुविनि VIII		ग्राबुसुविनि IX		ग्राबुसुविनि X		कुल	
	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
अखिल भारत	4,792.52	3,370.87	6,039.62	3,686.34	5,599.00	2,147.63	8,282.75	686.43	42,948.51	25,384.02
दक्षिणी क्षेत्र	1,406.49	1,128.25	1,722.97	1,197.50	1,794.27	651.77	2,862.28	233.60	12,817.22	7,727.96
आंध्र प्रदेश	624.85	518.44	907.76	620.74	868.20	280.39	1,560.86	153.79	6,035.61	3,473.33
कर्नाटक	236.77	184.67	231.03	152.64	297.17	103.42	420.96	8.12	2,371.66	1,549.93
केरल	191.76	105.22	196.21	102.44	81.17	5.50	222.74	21.10	1,330.65	765.11
तमिलनाडु	353.11	319.92	387.97	321.68	547.73	262.46	657.72	50.59	3,079.30	1,939.59
पश्चिमी क्षेत्र	586.42	333.80	743.01	516.91	966.24	601.41	1,570.18	74.15	7,015.08	4,133.99
गोवा	15.79	9.91	16.10	10.29	-	-	-	-	66.76	44.72
गुजरात	40.90	15.53	283.82	260.06	899.21	563.39	1,311.69	74.15	3,885.77	1,956.66
महाराष्ट्र	529.73	308.36	443.09	246.56	67.03	38.02	258.49	-	3,062.55	2,132.61
उत्तरी क्षेत्र	1,203.79	935.85	1,174.16	794.76	878.04	332.30	983.18	163.28	7,001.84	4,689.28
हरियाणा	151.92	131.25	270.87	151.32	153.62	74.70	173.21	32.23	1,122.20	714.81
हिमाचल प्रदेश	168.43	148.12	170.73	111.04	142.15	45.89	91.72	5.86	1,016.79	729.48
जम्मू और कश्मीर	216.80	162.51	175.64	101.04	153.82	26.29	49.36	0.41	1,017.58	650.77
पंजाब	231.52	195.52	210.17	163.24	288.18	131.23	312.63	55.08	1,683.62	1,112.99
राजस्थान	435.12	298.45	346.75	268.12	140.27	54.19	356.26	69.70	2,161.65	1,481.23
मध्यवर्ती क्षेत्र	787.93	513.57	1,254.67	694.57	1,158.26	391.29	1,420.82	165.99	8,568.28	5,150.75
छत्तीसगढ़	84.42	60.53	281.30	146.42	432.88	130.19	62.53	-	1,157.39	612.10
मध्य प्रदेश	311.05	203.28	575.23	301.48	277.46	118.42	533.51	58.59	2,996.65	1,817.10
उत्तर प्रदेश	338.50	233.56	322.71	188.07	217.84	62.96	516.34	34.65	3,668.87	2,485.38
उत्तरांचल	53.96	16.20	75.43	58.60	230.08	79.72	308.44	72.75	745.37	236.17
पूर्वी क्षेत्र	706.42	402.02	986.49	427.28	544.89	134.93	1,368.31	39.20	6,086.53	2,873.03
बिहार	78.76	24.40	218.93	87.70	97.24	18.44	290.91	-	765.97	170.10
झारखंड	-	-	-	-	49.13	5.00	174.78	-	438.18	7.48
उड़ीसा	153.25	105.36	246.83	129.12	185.11	60.82	375.66	4.74	1,868.73	1,053.37
पश्चिम बंगाल	474.41	272.26	520.73	210.46	213.41	50.67	526.96	34.46	3,013.65	1,642.08
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	101.47	57.38	158.32	55.32	257.30	35.93	77.98	10.21	1,459.56	809.01
अरुणाचल प्रदेश	69.41	32.98	-	-	15.12	4.53	20.14	4.13	218.27	134.56
असम	-	-	76.23	15.25	189.75	7.59	13.77	-	659.17	308.87
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	0.53	-	10.61	0.96
मेघालय	18.30	11.03	18.39	6.52	15.52	2.01	-	-	137.58	95.61
मिजोरम	7.33	7.33	2.00	2.00	13.50	9.58	6.90	2.11	90.04	80.50
नगालैण्ड	0.95	0.95	6.68	4.96	16.94	10.27	28.66	3.97	133.34	63.49
त्रिपुरा	-	-	50.13	21.76	3.17	-	-	-	154.34	79.25
सिक्किम	5.48	5.09	4.89	4.83	3.30	1.95	7.98	-	56.21	45.77

स्रोत : नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.1: सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थाएं	ऋण *				हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				अन्य				कुल				2003-04 की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़	
	2003-04		2004-05		2003-04		2004-05		2003-04		2004-05		2003-04		2004-05		स्वी.	संवि.
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अ. अखिल भारतीय विकास बैंक (1 से 5)	18,708.3	11,593.1	28,742.1	15,892.6	457.6	715.6	2,997.3	815.8	2,541.7	2,324.8	354.5	198.4	21,707.6	14,633.5	32,093.9	16,906.8	47.9	15.5
1. आइडीबीआई	3,712.3	4,517.3	14,965.5	6,471.3	84.3	469.1	1,333.6	410.9	141.1	-	189.7	-	3,937.7	4,986.4	16,488.8	6,882.2	318.7	38.0
2. आइएफसीआई	1,386.6	275.5	-	83.6	-	2.7	-	-	5.0	-	-	-	1,391.6	278.2	-	83.6	-	-70.0
3. सिडबी	8,246.3	4,414.2	9,190.5	6,193.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,246.3	4,414.2	9,190.5	6,193.7	11.5	40.3
4. आईआईबीआई	189.8	54.5	0.9	7.6	5.0	5.0	-	-	2,217.2	2,192.7	-	0.5	2,412.0	2,252.2	0.9	8.1	-99.96	-99.6
5. आइडीएफसी	5,173.3	2,331.6	4,585.2	3,136.4	368.3	238.8	1,663.7	404.9	178.4	132.1	164.8	197.9	5,720.0	2,702.5	6,413.7	3,739.2	12.1	38.5
आ. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ (6 से 8)	180.7	155.8	83.2	41.4	96.9	79.9	14.5	22.2	162.2	160.5	-	-	439.8	396.2	97.7	63.6	77.8	-84.0
6. आइवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आइसीआईसीआई वेंचर	133.8	126.0	83.8	74.8	162.2	160.5	379.8	361.3
8. टीएफसीआई	46.9	29.8	83.2	41.4	13.1	5.1	14.5	22.2	-	-	-	-	60.0	34.9	97.7	63.6	62.8	82.2
इ. निवेश संस्थाएँ (9 से 10)	15,266.3	4,373.4	4,454.8	3,514.3	7,318.2	12,002.5	5,180.4	4,798.6	612.9	612.8	658.5	659.0	23,197.4	16,988.7	10,293.7	8,971.9	-55.6	-47.2
9. एलआइसी	15,232.0	4,328.7	4,447.0	3,458.9	6,742.0	11,452.9	4,782.9	4,495.2	-	-	-	-	21,974.0	15,781.6	9,229.9	7,954.1	-58.0	-49.6
10. जीआइसी @	34.3	44.7	7.8	55.4	576.2	549.6	397.5	303.4	612.9	612.8	658.5	659.0	1,223.4	1,207.1	1,063.8	1,017.8	-13.1	-15.7
ई. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (अ+आ+इ)	34,155.3	16,122.3	33,280.1	19,448.3	7,872.7	12,798.0	8,192.2	5,636.6	3,316.8	3,098.1	1,013.0	857.4	45,344.8	32,018.4	42,485.3	25,942.3	-6.3	-1.9
उ. राज्य स्तरीय संस्थाएँ (11 से 12)																		
11. एसएफसी	1,133.8	856.8	-	-	-	-	-	-	1,855.9	1,454.0	-	-	2,989.7	2,310.8	-	-	-	-
12. एसआईडीसी
ऊ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (उ+ऊ)	35,289.1	16,979.1	33,280.1	19,448.3	7,872.7	12,798.0	8,192.2	5,636.6	5,172.7	4,552.1	1,013.0	857.4	48,334.5	34,329.2	42,485.3	25,942.3		

स्वी : स्वीकृत संवि. : संवितरित

- कुछ नहीं

... अनुपलब्ध

* ऋणों में रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ आंकड़े में भारतीय साधारण बीमा निगम, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमि. और यूनाइटेड इश्यूरेंस कंपनी लिमि. शामिल हैं।

टिप्पणी: सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएँ।



परिशिष्ट सारणी V.2: औद्योगिक विकास वित्त निगम द्वारा स्वीकृतियाँ और संवितरण

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	स्वीकृतियाँ			संवितरण		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
1. ऊर्जा	1,095	2,209	2,079	203	828	1,639
2. दूरसंचार	64	1,262	1,331	413	1,130	923
3. परिवहन	958	1,633	1,888	304	575	566
4. वाणिज्यिक और औद्योगिक (i से iii)	-	415	898	-	53	489
i) पर्यटन	-	158	587	-	-	450
ii) औद्योगिक	-	104	-	-	32	14
iii) वाणिज्यिक	-	153	311	-	21	25
5. अन्य (i से v)	178	202	218	12	117	123
i) शहरी सेवाएं	-	30	13	2	1	32
ii) शिक्षा	-	19	95	-	13	19
iii) स्वास्थ्य मूलभूत संरचना	78	104	24	-	78	10
iv) खाद्य व कृषि कारोबार	-	50	86	-	15	43
v) इक्विटी निधियां	100	-	-	10	10	18
जोड़ (1 से 5)	2,294	5,720	6,414	933	2,702	3,739
विकास (प्रति शत)	-	149.3	12.1	-	189.7	38.4

स्रोत: आइडीएफसी।



परिशिष्ट सारणी V.3: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाँडों / डिबेंचर * के जरिए जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था / वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आइडीबीआई *									
जुटाए गए संसाधन	9,834	13,171	15,819	8,495	7,727	8,405	5,009	10,477	-
बकाया	29,503	35,286	41,748	46,443	46,929	45,464	41,798	46,967	-
आइआइबीआई									
जुटाए गए संसाधन	365	797	1,223	689	458	210	44	176	-
बकाया	1,241	1,856	1,799	2,084	2,140	3,196	2,754	2,420	2,229
आइएफसीआई									
जुटाए गए संसाधन	4,051	3,366	3,544	1,783	1,634	651	267	-	-
बकाया	14,640	18,018	20,173	20,092	19,966	19,788	20,203	17,564	13,385
टीएफसीआई									
जुटाए गए संसाधन	232	234	158	104	124	112	93	172	23
बकाया	448	586	711	753	676	667	632	546	421
एक्जिम बैंक									
जुटाए गए संसाधन	-	-	500	800	565	1,098	4,923	6,881	5,430
बकाया	817	817	1,275	2,050	4,068	5,303	9,154	12,752	14,704
आइडीएफसी									
जुटाए गए संसाधन	-	-	500	-	250	250	400	1,350	4,253
बकाया	-	-	500	500	1,400	1,650	2,175	3,975	6,533
सिडबी									
जुटाए गए संसाधन	350	50	50	357	822	1,224	961	1,429	2,364
बकाया	1,984	1,876	2,002	2,437	10,442	10,074	9,607	10,535	8,427
नाबार्ड									
जुटाए गए संसाधन	265	164	354	569	1,472	2,548	2,988	5,334	8,843
बकाया	1,245	1,370	1,632	2,141	3,614	6,078	8,702	11,883	23,805
एनएचबी									
जुटाए गए संसाधन	525	325	475	667	500	287	1,877	2,526	5,172
बकाया	3,005	3,464	4,069	4,795	5,256	4,830	7,932	10,569	14,385
जुटाए गए कुल संसाधन	15,622	18,106	22,623	13,464	13,551	14,736	16,562	28,345	26,085
कुल बकाया	52,883	63,273	73,909	81,295	94,491	97,050	1,02,957	1,17,211	83,889

* : आइडीबीआई को अक्टूबर 2004 से बैंकिंग-इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा यह प्रस्तुत।

परिशिष्ट सारणी V.4 (अ): अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थाएं	1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (1 से 10)	57,372	2,29,109	2,42,062 (5.7)	1,71,215 (-29.3)	1,80,740 (5.6)	1,95,247 (8.0)	1,39,153 (-28.7)
1. आइडीबीआई*	22,701	70,576	68,822 (-2.5)	65,444 (-4.9)	61,831 (-5.5)	66,322 (7.3)	उ.न. उ.न.
2. आइसीआईआई@	7,084	65,571	73,676 (12.4)	उ.न. उ.न.	उ.न. उ.न.	उ.न. उ.न.	उ.न. उ.न.
3. आइएफसीआई	5,835	22,800	21,808 (-4.4)	20,723 (-5.0)	21,127 (2.0)	18,165 (-14.0)	15,976 (-12.0)
4. आइआइबीआई	818	4,004	4,232 (5.7)	4,089 (-3.4)	3,183 (-22.2)	2,849 (-10.5)	2,439 (-14.4)
5. एक्विज बैंक	1,984	6,995	7,362 (5.3)	8,051 (9.4)	12,269 (52.4)	15,456 (26.0)	18,369 (18.8)
6. सिडबी	5,317	16,388	16,909 (3.2)	17,458 (3.2)	17,427 (-0.2)	19,140 (9.8)	18,161 (-5.1)
7. नाबार्ड	12,664	33,082	38,655 (16.8)	44,454 (15.0)	50,642 (13.9)	55,642 (9.9)	60,544 (8.8)
8. एनएचबी	969	6,251	6,836 (9.4)	6,872 (0.5)	9,802 (42.6)	11,344 (15.7)	17,405 (53.4)
9. टीएफसीआय	-	985	862 (-12.5)	872 (1.2)	791 (-9.3)	710 (-10.2)	592 (-16.6)
10. आइडीएफसी	-	2,457	2,901 (18.1)	3,252 (12.1)	3,668 (12.8)	5,619 (53.2)	5,668 (0.9)
आ. राज्य स्तरीय संस्थाएं (11 + 12)	10,049	24,518	31,993 (30.5)	38,904 (21.6)	53,044 (36.3)	60,942 (14.9)	60,942 # -
11. एसएफसी	6,412	12,218	12,692 (3.9)	12,712 (0.2)	17,026 (33.9)	20,708 (21.6)	20,708 # -
12. एसआइडीसी	3,637	12,300	19,301 (56.9)	26,192 (35.7)	36,018 (37.5)	40,234 (11.7)	40,234 # -
इ. निवेश संस्थाएं (13 से 15)	58,566	2,61,885	3,07,732 (17.5)	3,50,538 (13.9)	3,34,570 (-4.6)	4,33,178 (29.5)	4,39,409 (1.4)
13. यूटीआई +	23,164	75,102	85,426 (13.7)	64,223 (-24.8)	उ.न. उ.न.	उ.न. उ.न.	उ.न. उ.न.
14. एलआईसी	29,040	1,59,949	1,92,482 (20.3)	2,44,448 (27.0)	2,89,630 (18.5)	3,72,052 (28.5)	3,72,052 # -
15. जीआईसी और सहायक संस्थाएं	6,362	26,834	29,824 (11.1)	41,867 (40.4)	44,940 (7.3)	61,126 (36.0)	67,357 (10.2)
ई. अन्य संस्थाएं (16 + 17)	1,988	6,954	7,954 (14.4)	8,596 (8.1)	9,523 (10.8)	10,973 (15.2)	12,336 (12.4)
16. डीआईसीजीसी	1,744	5,607	6,311 (12.6)	6,933 (9.9)	7,786 (12.3)	9,094 (16.8)	10,146 (11.6)
17. ईसीजीसी	244	1,347	1,643 (22.0)	1,663 (1.2)	1,737 (4.4)	1,879 (8.2)	2,190 (16.6)
ई. सकल जोड (अ + आ + इ + ई)	1,27,975	5,22,466	5,89,741	5,69,253	5,77,877	7,00,340	6,51,840

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

अ : अनंतिम

* : आइडीबीआई को 2004 में बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था।

@ : आइसीआईआई को मई 2002 में बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था।

+ : यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963 को अक्टूबर 2002 संबंधी अध्यादेश द्वारा निरस्त करके यूटीआई की पुनर्संरचना दो भागों अर्थात् यूटीआई-I और यूटीआई-II (बाद में यूटीआई म्यूचुअल फंड के रूप पुनः नाम रखा गया) को अलग करके की गई थी।

: आंकड़े दोहराए गए हैं।

टिप्पणी : 1. आंकड़े संबंधित वित्तीय संस्थाओं के लेखा वर्ष से संबंधित हैं। जहां तक आइएफसीआई का संबंध है, 1993-94 से लेखा वर्ष परिवर्तित है। एनएचबी और यूटीआई संबंधी आंकड़े जून के अंत के हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

स्रोत : वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्र

परिशिष्ट सारणी V.4 (आ): बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थाएं	1990-91	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. बैंक (3+4)	2,32,786	7,61,326 (16.3)	8,88,781 (16.7)	10,50,276 (18.2)	12,69,034 (20.8)	14,50,854 (14.3)	16,96,574 (16.9)	20,46,643 (20.6)
1. समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	2,22,613	7,26,129	8,51,100	10,09,150	12,23,008	14,01,682	16,43,447	19,87,456
2. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक**	77	-	-	-	-	-	-	-
3. कुल वाणिज्य बैंक (1+2)	2,22,690	7,26,129	8,51,100	10,09,150	12,23,008	14,01,682	16,43,447	19,87,456
4. राज्य सहकारी बैंक+	10,096	35,197	37,681	41,126	46,026	49,172	53,127	59,187
II. वित्तीय संस्थाएं (5+6+7+8)++	1,27,975	4,64,328 (20.1)	5,22,466 (12.5)	5,89,741 (12.9)	5,69,253 (-3.5)	5,77,877 (1.5)	7,00,340 (21.2)	6,51,840 (-6.9)
5. मीयादी ऋणदात्री संस्थाएँ# (अखिल भारतीय)	57,372	2,09,388	2,29,109	2,42,062	1,71,215	1,80,740	1,95,247	1,39,153
6. राज्य स्तरीय संस्थाएँ@	10,049	21,629	24,518	31,993	38,904	53,044	60,942	60,942 >>
7. निवेश संस्थाएँ@@	58,566	2,27,023	2,61,885	3,07,732	3,50,538	3,34,570	4,33,178	4,39,409
8. अन्य संस्थाएँ##	1,988	6,289	6,954	7,954	8,596	9,523	10,973	12,336
III. कुल (I+II)	3,60,761	12,25,654 (17.7)	14,11,247 (15.1)	16,40,017 (16.2)	18,38,287 (12.1)	20,28,731 (10.4)	23,96,914 (18.1)	26,98,483 (12.6)
IV. प्रतिशत अंश:								
क) I से III	64.5	62.1	63.0	64.0	69.0	71.5	70.8	75.8
ख) II से III	35.5	37.9	37.0	36.0	31.0	28.5	29.2	24.2

अ : अनंतिम

>> : आंकड़े दोहराए गए हैं।

* : भारिबैं अधिनियम 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार तथा 1991 से मार्च के रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं, इसमें आइसीआइसीआइ शामिल नहीं है, अतः इसके आंकड़े मार्च 2002 की समाप्ति से संबंधित हैं।

** : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार आंकड़े मार्च के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

+ : 1990 से आंकड़े मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

++ : आंकड़े संबंधित वित्तीय संस्था के लेखा वर्ष से संबंधित हैं।

: मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं में, आइडीबीआइ, नाबार्ड, आइसीआइसीआइ, आइएफसीआइ, एनएचबी और आइडीएफसी शामिल हैं। 2001-02 से आइसीआइसीआइ का विलयन मई 2002 आइसीआइसीआइ बैंक के रूप में किया गया है तथा 2004-05 से आइडीबीआइ का रूपांतरण अक्टूबर 2004 से बैंक में किया गया है अतः इनके आंकड़े को शामिल नहीं किया गया है।

@ : राज्य स्तरीय संस्थाओं में एसएफसी तथा एसआइडीसी शामिल हैं।

@@ : निवेशगत संस्थाओं में यूटीआइ (2002 तक क्योंकि उसके बाद इसको म्युच्युअल फंड में परिवर्तित किया गया), एलआइसी और जीआइसी तथा इनकी पूर्ववर्ती सहायक संस्थाएं शामिल हैं।

: अन्य संस्थाओं में डीआइसीजीसी तथा इसीजीसी शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े पूर्व वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

2. बैंकों की वित्तीय आस्तियों के आंकड़े में (i) भारिबैं के पास उपलब्ध नकदी और शेष राशि, (ii) बैंकिंग प्रणाली की आस्तियां, (iii) निवेश, (iv) बैंक ऋण (कुल ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा खरीदे तथा भुनाए गये बिल) और (v) बैंकों से देय राशियां शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी V.5: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और विनियोजन का स्वरूप *

(राशि करोड़ रु. में)

निधियों के स्रोत/ विनियोजन	2003-04								कुल		2004-05								कुल	
	निम्नलिखित को समाप्त तिमाही										निम्नलिखित को समाप्त तिमाही									
	जून		सितंबर		दिसंबर		मार्च		जून		सितंबर		दिसंबर		मार्च					
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निधियों के स्रोत (i+ ii+ iii)	21,905	100.0	25,248	100.0	17,831	100.0	22,006	100.0	86,992	100.0	22,629	100.0	19,669	100.0	29,076	100.0	23,434	100.0	94,811	100.0
i) आंतरिक	15,017	68.6	17,636	69.9	12,714	71.3	12,896	58.6	58,263	67.0	17,195	76.0	13,283	67.5	17,552	60.4	11,340	48.4	59,370	62.6
ii) बाह्य	5,728	26.1	7,284	28.8	4,828	27.1	8,477	38.5	26,317	30.3	4,397	19.4	6,189	31.5	10,858	37.3	11,226	47.9	32,670	34.5
iii) अन्य स्रोत	1,160	5.3	329	1.3	289	1.6	632	2.9	2,410	2.7	1,037	4.6	197	1.0	665	2.3	868	3.7	2,768	2.9
निधियों के विनियोजन (i+ ii+ iii)	21,905	100.0	25,248	100.0	17,831	100.0	22,006	100.0	86,990	100.0	22,629	100.0	19,669	100.0	29,076	100.0	23,434	100.0	94,810	100.0
i) नये विनियोजन	13,918	63.5	16,441	65.1	10,459	58.7	15,738	71.5	56,555	65.0	10,649	47.1	13,434	68.3	21,020	72.3	16,531	70.5	61,635	65.0
ii) विगत उधारों की चुकौती	4,210	19.2	6,761	26.8	3,338	18.7	3,281	14.9	17,590	20.2	8,066	35.6	4,264	21.7	5,166	17.8	3,574	15.2	21,069	22.2
iii) अन्य विनियोजन	3,777	17.3	2,046	8.1	4,034	22.6	2,987	13.6	12,845	14.8	3,914	17.3	1,971	10.0	2,891	9.9	3,330	14.2	12,106	12.8
जिनमें से : ब्याज चुकौती	1,509	-	1,527	-	1,214	-	1,361	-	5,611	-	1,252	-	1,100	-	1,194	-	1,050	-	4,597	-

* : आइएफसीआई, आइआईबीआई, आइडीएफसी, टीएफसीआई, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी V.6: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा
रुपया बाँडों / डिबेंचरों* के जरिए जुटाए गए संसाधनों की परिपक्वता/भारित औसत लागत

(प्रतिशत)

संस्था / वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आइडीबीआई									
भारित औसत लागत	15.7	12.3	13.5	12.1	11.2	9.8	8.5	6.5	-
भारित औसत परिपक्वता	2.7	3.0	4.9	5.1	3.9	2.6	4.3	5.1	-
आइआइबीआई									
भारित औसत लागत	-	-	-	-	13.2	10.6	9.6	8.7	-
भारित औसत परिपक्वता	-	-	-	-	5.6	9.6	8.7	18.0	-
आइएफसीआई									
भारित औसत लागत	16.1	13.0	13.9	12.9	12.5	11.1	9.6	8.2	-
भारित औसत परिपक्वता	8.3	5.3	5.7	7.0	6.5	6.8	2.2	3.2	-
टीएफसीआई									
भारित औसत लागत	16.8	14.1	14.1	12.5	11.8	10.5	8.5	8.6	10.3
भारित औसत परिपक्वता	6.1	4.6	5.7	5.2	9.0	5.9	10.1	10.0	4.8
एक्विजम बैंक									
भारित औसत लागत	12.5	12.5	12.9	12.5	12.2	10.7	8.9	5.9	6.6
भारित औसत परिपक्वता	7.4	6.4	5.6	4.2	3.6	6.4	6.1	6.7	4.2
आइडीएफसी									
भारित औसत लागत	-	-	12.5	-	10.9	9.0	7.6	5.6	6.1
भारित औसत परिपक्वता	-	-	5.0	-	5.0	5.0	5.6	5.9	3.6
सिडबी									
भारित औसत लागत	15.2	12.3	12.3	9.7	9.8	7.5	6.5	4.9	5.9
भारित औसत परिपक्वता	5.7	10.0	10.0	2.6	1.3	1.0	2.3	2.8	1.9
नाबार्ड									
भारित औसत लागत	11.1	9.8	11.2	10.6	9.4	8.0	6.1	5.4	5.5
भारित औसत परिपक्वता	8.3	8.2	8.0	5.4	3.0	3.0	5.4	5.4	4.9
एनएचबी									
भारित औसत लागत	13.4	10.5	11.2	11.1	10.2	8.7	6.4	5.4	6.3
भारित औसत परिपक्वता	6.7	8.9	9.0	9.5	5.8	7.4	4.0	3.2	2.6

* : इसमें केवल रुपया संसाधन शामिल है तथा विदेशी मुद्रा उधार शामिल नहीं है।

आंकड़े अनन्तम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी V.7: प्राथमिक व्यापारियों की चुनिंदा आस्तियाँ व देयताएँ

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रमांक	प्राथमिक व्यापारी का नाम	पूंजीगत निधियां (टियर I + टियर II + पात्र टियर III)		सीआरएआर (प्रतिशत)		सरकारी प्रतिभूतियाँ व खजाना बिल का स्टॉक		कुल आस्तियाँ (चालू देयताएँ व प्रावधान को घटाकर)	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एसटीसीआइ	1,004.61	858.98	54.21	70.57	2,391.58	1,477.56	2,936.73	2,166.80
2.	एसबीआई डीएफएचआइ लि.	1,052.36	957.81	58.60	64.15	2,093.68	1,054.56	2,215.90	1,499.53
3.	जीएसटीसी लि.	334.56	247.31	72.59	113.90	1,191.00	352.98	1,207.97	378.98
4.	आइसीआइसीआइ प्रतिभूति लि.	392.49	425.98	21.16	32.28	1,520.10	691.22	2,259.63	1,310.21
5.	पी एन बी गिल्ट लि.	541.33	462.96	41.91	62.39	1,403.81	996.26	1,520.91	1,263.67
6.	जे. पी. मोरगन प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	372.67	360.26	80.41	36.17	398.61	220.65	669.79	973.75
7.	एबीएन अमरो प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	145.23	139.99	42.34	39.06	326.60	424.16	425.19	593.59
8.	कोटक महीन्द्र पूँजी कंपनी लि.	246.68	236.09	38.78	46.22	469.98	201.78	506.29	358.19
9.	डीएसपी मेराइल लिंच लि.	369.23	398.72	47.80	77.05	388.42	342.65	657.66	596.08
10.	इयूश प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	162.02	168.84	35.74	135.92	402.30	343.40	657.33	317.56
11.	आइडीबीआइ कैपिटल बाजार सेवा लि.	580.48	627.88	22.12	40.75	1,814.04	593.87	2,238.26	904.69
12.	कोर्प बैंक प्रतिभूति लि.	201.41	133.42	54.30	26.32	743.92	504.33	756.61	535.54
13.	एचएसबीसी प्राथमिक डीलरशिप (भारत) प्रा.लि.	77.94	77.94	79.60	188.31	214.92	334.93	212.73	80.36
14.	बैंक ऑफ अमरीका प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि..	244.65	247.35	118.27	145.20	55.00	206.67	244.76	257.01
15.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूटीआइ प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	64.99	64.99	41.64	255.36	217.61	71.46	216.69	69.99
16.	बीओबी कैपिटल बाजार लि.	106.42	81.53	46.46	27.09	216.55	299.03	215.26	319.35
17.	सिटीकोर्प पूँजी बाजार लि.	117.73	112.96	90.70	48.43	245.69	139.35	193.70	285.60
	कुल	6,014.80	5,603.01	42.74	54.32	14,093.81	8,254.86	17,135.41	11,910.90

टिप्पणी : 1. पूंजीगत निधियां तथा सीआरएआर मार्च 2004 और मार्च 2005 के पीडीआर III से हैं।
2. 2005 के आंकड़े अलेखापरीक्षित हैं।

परिशिष्ट सारणी V.8: प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रमांक	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			ब्याज आय	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	एसटीसीआइ लि.	2003-04	277.07	176.19	2.68	455.94	139.38	12.98	152.36	303.58	193.90	20.12
		2004-05	181.39	-221.85	1.10	-39.36	95.53	11.30	106.83	-146.18	-97.80	-15.67
2.	एसबीआइ डीएफएचआइ लि.	2003-04	212.65	164.30	2.13	379.08	94.58	7.91	102.49	276.59	177.57	17.50
		2004-05	140.25	-179.19	2.09	-36.85	49.15	8.80	57.95	-94.80	-94.04	-9.39
3.	जीएसटीसी लि.	2003-04	85.44	67.27	1.58	154.29	44.96	3.89	48.85	105.44	67.42	21.92
		2004-05	51.32	-110.04	0.44	-58.28	25.24	3.68	28.92	-87.20	-87.24	-29.98
4.	आइसीआइसीआइ प्रतिभूति लि.	2003-04	112.39	133.72	75.04	321.15	62.05	79.74	141.79	190.23	143.90	38.70
		2004-05	98.40	22.78	61.15	182.33	61.07	36.80	97.87	84.46	56.40	13.87
5.	एसबीआई गिल्ट लि.	2003-04	121.89	113.30	2.75	237.94	61.63	7.66	69.29	168.65	106.96	21.10
		2004-05	111.76	-103.85	3.37	11.28	71.86	7.55	79.40	-68.13	-68.25	-13.47
6.	जे. पी. मोरगन प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	2003-04	39.69	20.49	0.36	60.54	18.90	5.57	24.47	36.07	22.94	8.33
		2004-05	50.07	-11.55	1.89	40.41	21.08	6.05	27.13	13.28	8.34	2.57
7.	एबीएन एमरो प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	2003-04	20.58	14.08	15.01	49.67	7.31	14.79	22.10	27.57	17.65	12.94
		2004-05	34.85	-8.72	5.68	31.81	16.62	7.12	23.74	8.07	5.09	3.47
8.	कोटक महीन्द्र कॅपिटल कंपनी लि.	2003-04	38.70	49.94	47.91	136.55	20.19	31.65	51.84	84.71	57.95	26.24
		2004-05	53.23	4.16	5.57	62.96	7.59	34.88	42.47	20.49	15.82	6.18
9.	डीएसबी मेराइल लिंच लि.	2003-04	34.34	44.68	227.98	307.00	16.08	120.54	136.62	170.38	112.48	32.16
		2004-05	30.44	8.77	339.42	378.63	12.43	156.69	169.12	209.51	133.80	32.15
10.	इयूश प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	2003-04	26.53	40.01	0.69	67.23	13.26	5.95	19.21	48.02	30.71	18.07
		2004-05	17.68	-1.09	0.66	17.25	6.78	3.76	10.54	6.71	3.74	2.31
11.	आइडीबीआइ कैपिटल बाजार सेवा लि.	2003-04	186.57	224.51	27.64	438.72	106.14	16.69	122.83	315.89	200.67	36.63
		2004-05	-15.92	-3.67	21.51	1.92	57.94	18.28	76.22	-74.30	-74.27	-13.68
12.	कोर्प बैंक प्रतिभूति लि.	2003-04	70.15	44.00	0.41	114.56	39.44	1.85	41.29	73.27	46.98	24.82
		2004-05	34.83	-88.24	0.74	-52.67	14.44	1.57	16.01	-68.68	-45.08	-26.92
13.	एचएसबीसी प्राथमिक डीलरशिप (भारत) प्रा.लि.	2003-04	13.64	13.75	0.13	27.52	5.84	3.44	9.28	18.24	11.70	15.65
		2004-05	7.46	1.91	1.56	10.93	2.51	2.47	4.98	5.95	3.74	4.32
14.	बैंक ऑफ अमरीका प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	2003-04	15.90	3.77	0.30	19.97	2.83	3.74	6.57	13.40	8.16	5.25
		2004-05	16.93	-7.73	0.17	9.37	1.27	3.58	4.85	4.52	2.85	1.13
15.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूटीआइ प्रतिभूति (भारत) प्रा.लि.	2003-04	12.49	14.81	0.10	27.40	5.98	1.75	7.73	19.67	12.58	20.64
		2004-05	7.38	1.63	1.15	10.16	2.85	1.76	4.61	5.55	3.35	6.36
16.	बीओबी कैपिटल बाजार लि.	2003-04	29.33	2.24	-0.13	31.44	11.74	1.93	13.67	17.77	11.37	10.91
		2004-05	-10.67	1.02	0.04	-9.61	7.45	2.37	9.83	-19.44	-19.40	-12.72
17.	सिटीकोर्प पूंजी बाजार लि.	2003-04	8.87	4.30	3.27	16.44	4.49	2.39	6.88	9.56	6.03	7.05
		2004-05	12.00	-4.48	6.29	13.81	5.47	3.08	8.55	5.26	3.31	2.83
	कुल	2003-04	1,306.23	1,131.36	407.85	2,845.44	654.80	322.47	977.27	1,868.17	1,228.97	22.20
		2004-05	821.40	-700.14	452.83	574.09	459.28	309.74	769.03	-194.92	-249.64	-5.05

टिप्पणी : 2004-05 के आंकड़े अलेखापरीक्षित।

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एडी	प्राधिकृत व्यापारी	सीएएमईएलएस	पूँजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि तथा प्रणालियाँ
एडीआर	अमरीकी निक्षेपागार (डिपोजिटरी) रसीद	सीएआरटी	ऋण मूल्यांकन और दर निर्धारण साधन
एएफआइ	वार्षिक वित्तीय निरीक्षण	सीबीएलओ	संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	सीबीएस	समेकित बैंकिंग सांख्यिकी
एजीएल	कुल अंतर सीमा	सीसीबी	मध्यवर्ती सहकारी बैंक
एआइएफआइ	अखिल भारतीय वित्तीय संस्था	सीसीआइएल	भारतीय समाशोधन निगम लि.
एएलडी	जमाकर्ता के प्रति कुल देयताएं	सीडीआर	ऋण-जमा अनुपात
एएलएम	आस्ति देयता प्रबंधन	सीडी	जमा प्रमाणपत्र
एएमए	उन्नत उपाय दृष्टिकोण	सीडीडी	ग्राहक संबंधी उचित सावधानी
एएमसी	परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी	सीडीएफ	सहकारी विकास निधि
एएमएल	धन शोधन निवारण	सीडीआर	कंपनी ऋण पुनर्संरचना
एआरसी	आस्ति-पुनर्निर्माण कंपनी	सीएफसी	ग्राहक सुविधा केंद्र
एआरसीआइएल	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लि.	सीएफएमएस	केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली
एएस	लेखांकन मानक	सीएफएस	समेकित वित्तीय विवरण
एएसए	वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण	सीएफटी	आतंकवाद के वित्तपोषण का विरोध
एटीएम	स्व-चालित टेलर मशीन	सीजीटीएसआइ	लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण पर बासल समिति	सीआइबीआइएल	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि.
बीसीएसबीआइ	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड	सीआइबी	कैपिटल इंडेक्सड बांड
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड	सीआइआर	लागत आय अनुपात
बीआइएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	सीएलएफ	जमानती ऋण सुविधा
बीपीएलआर	बेंचमार्क मूल उधार दर	सीएमपी	साझा न्यूनतम कार्यक्रम
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड	सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
बीएसई	शेयर बाजार, मुंबई	सीपी	वाणिज्यिक पत्र
बीएसआर	मूलभूत सांख्यिकी विवरणी	सीपीसी	चेक संसाधन केंद्र
सीएएपी	पूँजी पर्याप्तता निर्धारण कार्यक्रम	सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीएलसीएस	पूँजी-पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन और प्रणाली	सीपीपीएपीएस	सार्वजनिक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर समिति

सीपीआर	समेकित विवेकसम्मत विवरणी	एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात	एफसीएनआर(बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
सीआरआर	नकदी आरक्षित अनुपात	एफसीएनआर	विदेशी मुद्रा अनिवासी
सीएसजीएल	ग्राहक का सहायक सामान्य बही खाता	एफडीआइ	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
सीटीएस	चेक छिन्नन प्रणाली	एफईडीएआइ	भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ
सीयूजी	सीमित उपयोगकर्ता समूह	एफआइ	वित्तीय संस्थाएं
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग	एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता
डीई	प्राधिकृत संस्थाएं	एफआईएमएमडीए	निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ
डीएफआइ	विकास वित्त संस्थाएं	एफआईयू-इंड	वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत
डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	एफएमसी	वायदा बाजार कमीशन
डीएनएस	आस्थगित निवल निपटान	एफएमडी	वित्तीय बाजार विभाग
डीएनएसएस	आस्थगित निवल निपटान प्रणाली	एफआरएएस	वायदा दर करार
डीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	एफआरबी	अस्थायी दरवाले बांड
डीआरएटी	ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण	एफआरबीएम एक्ट	राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम
डीआरआइ	विभेदक ब्याज दर	एफआरएमसी	धोखाधड़ी नियंत्रण कक्ष
डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण	एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
डीटीएल	मांग और मीयादी देयताएं	एफवीआर	निधीयन अस्थिरता अनुपात
डीव्हीपी	सुपुर्दगी बनाम भुगतान	जीडीपी	सकल देशी उत्पाद
ईबीआर	पुनः भुनाए गए निर्यात बिल	जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार	जीआइसी	साधारण बीमा निगम
ईसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम	एचएफसी	आवास वित्त कंपनी
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली	एचएफटी	लेनदेन के लिए धारित
ईडीपी	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसोसिंग	एचएलसीसीएफसीएम	वित्तीय और पूंजी बाजार संबंधी उच्चस्तरीय समन्वयन समिति
ईएफटी	इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
ईएल	उपस्करों की पट्टेदारी	आइएआइएस	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ
ईएमई	उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था	आइएएस	एकीकृत लेखाकंन प्रणाली
ईडब्ल्यूएस	पूर्व चेतावनी प्रणाली	आइबीए	भारतीय बैंक संघ
एक्विजम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	आइबीआरए	इंडोनेशियन बैंक रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसी
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य दल		
एफसीसी	वित्तीय समूह कक्ष		

आइबीएस	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी	एमएसीएस	परस्पर सहायता प्राप्त समितियां
आइसीएआइ	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	एमबीएस	बंधक समर्थित प्रतिभूतियां
आइडीबीआइ	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	एमएफडीइएफ	लघु वित्त विकास और इक्विटी फंड
आइडीएफसी	बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी	एमएफआइ	लघु वित्त संस्थान
आइडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान	एमआइबीओआर	मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर
आइएफआर	निवेश घटबढ़ के लिए आरक्षित निधि	एमआइसीआर	चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान
आइआइबीआइ	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	एमआइटीसी	अति आवश्यक शर्तें
आइआइपी	औद्योगिक उत्पाद सूचकांक	एमएनबीसी	विविध गैर-बैंकिंग कंपनी
आइएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एमओयू	सहमति ज्ञापन
इन्फिनेट	इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क	एमपीआइ	समष्टि विवेकसम्मत संकेतक
आइओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	एमएसएस	बाजार स्थिरीकरण योजना
आइपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम	एमटीएफ	मध्यावधि ढांचा
आइआरबी	आंतरिक दर आधारित	नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
आइआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एनएएफएससीओबी	राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ लि.
आइआरएस	ब्याज दर स्वैप	एनएआइएस	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
आइएस	सूचना प्रणाली	एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी	एनबीसी	निवल बैंक ऋण
जीएलजी	संयुक्त दायित्व समूह	एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी
जीपीसी	संयुक्त संसदीय समिति	एनसीआर	राष्ट्रीय पूंजी
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड	एनडीएस	तयशुदा लेनदेन प्रणाली
केवीआइबी	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
केवीआइसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एल ₃	व्यापक चलनिधि	एनआइए	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र के बैंक	एनआइएम	निवल ब्याज मार्जिन
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा	एनएनएमएल	निवल मुद्रेत्तर देयताएं
लिबोर	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर	एनओएफ	निवल स्वाधिकृत निधि
एलआइसी	भारतीय जीवन बीमा	एनपीए	अनर्जक आस्ति
एम ₃	व्यापक मुद्रा	एनपीएल	अनर्जक ऋण
		एनआरई	अनिवासी बाह्य

एनआरआइ	अनिवासी भारतीय	आरपीटीएस	जोखिम प्रोफाइल टेप्लेट्स
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार	आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
ओएमओ	खुले बाजार में परिचालन	आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान
ओपीएल	आरंभिक राशि सीमा	एसएए	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण
ओएसएमओएस	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली	एसएसपीपी	विशेष कृषि ऋण योजना
ओएसएस	अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली	एसएआरएफ- एइएसआइ	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम
ओटीसी	ओवर द काउंटर	एसबीआईपी	स्वयं सहायता समूह संबद्ध कार्यक्रम
ओटीएस	एक बारगी निपटान	एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पीएसिएएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
पीएटी	कर पश्चात लाभ	एसडीएस	विशेष जमाराशि योजना
पीबीटी	कर-पूर्व लाभ	एसईबीआइ	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)
पीसीए	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	एसईएफसीएस	लघु उद्यम - वित्तपोषण केन्द्र
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	एसईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
पीडी	प्राथमिक व्यापारी	एसएफसी	राज्य वित्त निगम
पीडीएआइ	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ	एसएफएमएस	संरचनागत वित्तीय संदेश समाधान
पीकेआइ	प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी सुविधा	एसजीएल	सहायक सामान्य खाता बही
पीएलआर	मूल उधार दर	एसजीएसवाई	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
पीएमएलए	धन शोधन निवारण अधिनियम	एसएचजी	स्वयं-सहायता समूह
पीपीएफ	सार्वजनिक भविष्य निधि	एसआइडीबीआइ	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एसआइडीसी	लघु उद्योग विकास निगम
पीटीसीएस	पास थ्रू सर्टिफिकेट	एसआइपीएस	प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली
आरएएम	जोखिम मूल्यांकन प्रतिमान (मॉडल)	एसएलबीसीएस	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
आरबीआइए	जोखिम भारित आंतरिक लेखा परीक्षा	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
आरबीएस	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण	एसएमई	लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम
आरआइबी	रीसर्जेंट इंडिया बांड	एसपीवी	विशेष प्रयोजन संस्था
आरआइडीएफ	ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि	एसएसआइ	लघु उद्योग
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी	एसटीएसीएफआर	वित्तीय विनियमन संबंधी स्थायी तकनीकी परामर्शदात्री समिति
आरओए	आस्ति पर प्रतिलाभ	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार		
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ		

एसटीसीआइ	भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम	यूबीडी	शहरी बैंक विभाग
एसटीपी	स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
एसटीआरआइपीएस	पंजीकृत प्रतिभूतियों के ब्याज और मूलधन का पृथक कारोबार	यूआइए	यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमि.
टीएसी	तकनीकी परामर्शदात्री समिति	यूटीआइ	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
टीएफसीयुबी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्रवाई कार्यदल	वीआरएस	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना
टीएफआइसी	भारतीय पर्यटन वित्त निगम	वीएसएटी	वीसैट (वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल)
टीआइएन	कर सूचना नेटवर्क	डब्ल्यूएआरडी	भारांकित औसत बट्टा दर
		डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक